तुर्दश माला, खंड 15, अंक 16

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005
23 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FD-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 4 Jan 2006

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 16, बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005/23 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 302, 303, 305 से 307, 309 और 310	1–36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 304, 308 और 311 से 321	36–80
अतारांकित प्रश्न संख्या 3090 से 3285	80–458
सभा पटल पर रखे गए पत्र	458–465
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन	466
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
सातवां और आठवां प्रतिवेदन	466
सभा में सदस्यों के आचरण के बारे में	466–467
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में महिलाओं के अवैध व्यापार की बढ़ रही घटनाओं जिससे देश के सामाजिक ढांचे को खतरा उत्पन्न हो गया है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	467–476
श्रीमती मिनाती सेन	467–468, 470–472
श्रीमती कान्ति सिंह	468–470
श्रीमती सुमित्रा महाजन	472–473
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन को स्थगित किए जाने के बारे में	485
नियम 377 के अधीन मामले	485–497
(एक) वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश मिश्रा	485–486
(दो) एडुसैट पायलट परियोजना के विस्तार तथा सी टी ई गुलबर्गा का आई ए एस ई के रूप में उन्नयन करने के बारे में कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	486

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) एंग्लो-इंडियन समुदाय की समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता	
श्री फ्रांसिस फैन्थम	487
(चार) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने तथा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सी.सी.आई. के खरीद केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. ठुम्मर	487–488
(पांच) मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	488
(छह) नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए 'नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996' के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता	
श्री एम.एम. पल्लम राजू	488–489
(सात) आंध्र प्रदेश में ओंगोले और दोनाकोंडा के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. श्रीनिवासुलू रेड्डी	489–490
(आठ) गांवों में स्थायी अवसंरचना प्रदान करने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती नीता पटैरिया	490
(नौ) बरेली, उत्तर प्रदेश में रेलवे के कोच डिपो/स्क्रैप डिपो स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष गंगवार	490–491
(दस) मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले सेवर घाट पर चम्बल नदी के ऊपर एक पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक अर्गल	491
(ग्यारह) गोदिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	491
(बारह) ग्वालियर-जयपुर इंटर सिटी एक्सप्रेस को राजस्थान में अजमेर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	491–492
(तेरह) पश्चिम बंगाल में कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण सेठ	492–493
(चौदह) असंगठित क्षेत्रों में कर्मकारों के लाभ के लिए एक व्यापक विधान पारित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सांताश्री चटर्जी	493–494
(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भरवारी रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	494
(सोलह) दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	494–495

विषय	कॉलम
(सत्रह) उत्तर प्रदेश में गोला और शाहजहांपुर के बीच बरास्ता मोहम्मदी एक नई रेल लाइन बिछाए जाने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री इलियास आजमी	495
(अठारह) तमिलनाडु के अप्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए चेन्नई से संयुक्त अरब अमीरात के लिए "बजट एयरलाइन्स सेवा" शुरू किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन	495–496
(उन्नीस) छपरा-कप्तानगंज बरास्ता थावे-सिवान रेल लाइन का काम शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	496
(बीस) पश्चिम बंगाल में कैनिंग रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा सोनारपुर और कैनिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	496–497
कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और	
कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005	497–548
विचार करने के लिए प्रस्ताव	497
प्रो. रासा सिंह रावत	498–504
श्री पी. चिदम्बरम	505–508, 538–546
श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली	509–511
श्री वरकला राधाकृष्णन	511–515
श्री मोहन सिंह	515–518
श्री काशीराम राणा	518–522
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	522–523
श्री गणेश प्रसाद सिंह	523–524
मोहम्मद शाहिद	524–526
श्री भर्तृहरि महताब	526–528
श्री नवीन जिन्दल	529–532
श्री अविनाश राय खन्ना	532–533
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	533–534
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	535–536
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	536–538
खंड 2 से 9 और 1	547
पारित करने के लिए प्रस्ताव	548
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2005-2006	548–648
श्री कैलाश जोशी	551–557
श्री सचिन पायलट	557–562
श्री बंसगोपाल चौधरी	562–566
श्री सीताराम सिंह	567–572
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	572, 593–598

विषय		कॉलम
	श्री मित्रसेन यादव	598–601
	श्री शैलेन्द्र कुमार	601–602
	श्री खारबेल स्वाईं	603–608
	श्री एम. एम. पल्लम राजू	608–611
	श्री तथागत सत्पथी	611–615
	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	616–618
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	618–621
	श्री लक्ष्मण सिंह	621–625
	श्रीमती प्रतिभा सिंह	625–629
	श्री मुन्शी राम	629–630
	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	630–631
	श्री किन्जरपु येरननायडु	631–634
	प्रो. एम. रामदास	634–637
	श्री पी. करूणाकरन	637–640
	श्री किशन सिंह सांगवान	640–643
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	643–647
आधे घंटे की चर्चा		
रेल दुर्घटनाओं के बारे में		573–592
	श्री पी. करूणाकरन	573–576, 585–586
	श्री वरकला राधाकृष्णन	576–577, 585
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	577–578
	श्री सुरेश कुरुप	578
	श्री खारबेल स्वाईं	579
	श्री शैलेन्द्र कुमार	579
	श्री पी.सी. थामस	580
	श्री एन.एन. कृष्णदास	580–581
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	581
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	581
	श्री राम कृपाल यादव	582
	श्री आर. वेलु	582–585, 587–592
अनुबंध-I		
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		649
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका		650–656
अनुबंध-II		
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		657–658
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका		657–660

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005/23 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, आज आप भारतीय वेशभूषा में हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह भी भारतीय ड्रेस है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रायापति सांबासिवा राव, प्रश्न संख्या 302

भारत-पाक व्यापार संबंध

*302. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 2005 के दौरान भारतीय विदेश सचिव ओर इस्लामाबाद में उनके समकक्ष अधिकारी के बीच नियंत्रण रेखा के दोनों ओर व्यापार संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या व्यापार संबंध स्थापित करने संबंधी कार्यविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कार्यविधियों को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) 1-2 सितम्बर, 2005 तक इस्लामाबाद में संयुक्त वार्ता के दूसरे दौर की प्रगति की समीक्षा के लिए विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान श्रीनगर-मुजफ्फराबाद मार्ग पर व्यापार के लिए ट्रक सेवा शुरू किए जाने पर सहमति हुई। 2-5 अक्टूबर, 2005 तक पाकिस्तान में विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस मार्ग पर ट्रक सेवा शुरू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ स्तर की एक बैठक इस वर्ष के अन्त से पूर्व आयोजित की जाएगी। 8 अक्टूबर, 2005 के भूकंप के कारण नियंत्रण रेखा के दोनों ओर की अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो जाने से बैठक नहीं हुई। जैसे ही अवसंरचना बहाल होगी इस मामले को उठाया जाएगा।

श्री रायापति सांबासिवा राव: माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ-स्तरीय बैठक कब आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रक सेवा शुरू करने के लिए होने वाली बैठक भूकम्प के कारण नहीं हुई है। ट्रैक-2 नीति से लोगों के बीच परस्पर संबंध सुधारने में मदद मिली है जिससे नागरिकों की आवाजाही पुन: बहाल करने तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान, चिकित्सा, पर्यटन और खेलकूद के क्षेत्र में सहायता मिली है। इसके परिणामत: वर्ष 2004-2005 के दौरान व्यापार बढ़कर 600.77 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। क्या मंत्रालय इस गतिशीलता को बनाए रखेगी और आने वाले वर्षों में बढ़ाएगी? फिक्की की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, यदि व्यापार अवरोध हटा दिए जाएं तो भारत और पाकिस्तान के बीच वार्षिक मुक्त व्यापार छह बिलियन अमरीकी की डालर तक पहुंच सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आपका सवाल क्या है?

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, क्या यह सच है? यदि हां, तो क्या मंत्रालय ब्यौरा देगी? धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: किस चीज का ब्यौरा? प्रश्न व्यापार संबंधों पर है।

श्री ई. अहमद: महोदय, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ रहा है। किन्तु इस तथ्य के मद्देनजर कि कुछ व्यापार प्रतिबंध हैं, हम अपेक्षानुसार परिणाम नहीं पा सके हैं। तथापि वित्तीय वर्ष 2004-2005 में निर्यात 509.27 मिलियन अमरीकी डालर था और आयात 92.74 मिलियन अमरीकी डालर था। कुल व्यापार 602.01

मिलियन अमरीकी डालर है और यह 416.53 मिलियन अमरीकी डालर हमारे पक्ष में है। इन दोनों देशों के बीच हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह आपके मंत्रालय का काम नहीं है।

श्री रायापति सांबासिवा राव: ऐसी खबर आयी थी कि भारत और पाकिस्तान अपने देशों के अनुसूचित बैंकों को एक-दूसरे के यहां खोलने पर सहमत हो गए हैं जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सहायता मिलेगी। क्या यह सच है कि नवम्बर 2004 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और पाकिस्तान के अनुसूचित बैंकों की शाखाएं एक-दूसरे के यहां खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय: कोई ब्यौरा नहीं। केवल हां या ना कहिए।

श्री ई. अहमद: महोदय इसे वित्त मंत्रालय देखता है। यदि माननीय सदस्य बैंकिंग के बारे में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं पूरा ब्यौरा दे पाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, अमृतसर और फिरोजपुर दोनों पाकिस्तान से लगे बार्डर क्षेत्र हैं और पहले काफी व्यापार यहां से होता रहा है। आज व्यापार बंद होने के कारण बहुत से व्यापारी और उनके साथ-साथ बहुत से मजदूर काफी परेशान हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अमृतसर और फिरोजपुर के रास्ते पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए कोई योजना बना रही है?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय यह ऐसा मामला है जिसे अन्य मंत्रालयों के साथ भी उठाया जाना है। व्यापार को मुख्यत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। किन्तु सीमा पार से लोगों के आने के बारे में हमने अब कुछ ढील दी है। वाघा सीमा एक ऐसी जगह है जहां से लोग आ जा सकते हैं और व्यापार भी हो सकता है। किन्तु कुछ प्रतिबंध अब भी लागू हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बातों और दिए गए सुझावों पर हम इसे जनवरी 2006 से होने वाली कम्पोजिट डायलॉग के भाग के रूप में चर्चा हेतु वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, प्रश्न नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापार संबंधों के बारे में है। कृपया अपने अनुपूरक प्रश्न उसी तक रखें।

श्री अमिताभ नन्दी: महोदय, भारत सरकार इस्लामाबाद और हमारे देश के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट आयी है कि प्रतिवर्ष औसतन 500 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी जाती है।

अध्यक्ष महोदय: इसमें विदेश मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता है।

श्री अमिताभ नन्दी: इससे नियंत्रण रेखा से होकर भारी पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी होने का पता चलता है। जब एक बार नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापारिक संपर्क खुल जाएगा तो सरकार क्या एहतियाती उपाय करने जा रही है ताकि इस तस्करी की बुराई को रोका जा सके?

अध्यक्ष महोदय: इस व्यापारिक संपर्क का दुरुपयोग हेरोइन की तस्करी के लिए न किया जाए।

श्री ई. अहमद: महोदय, भारत और पाकिस्तान अपने 'कम्पोजिट डायलोग' को जारी रखे हुए हैं। इस 'कम्पोजिट डायलोग' के आठ विषयों में आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा भी शामिल है जिसके बारे में गृह सचिव बातचीत कर रहे हैं। गृह सचिवों के बीच बातचीत के समय इस पर भी चर्चा की जाएगी। किंतु यह विशेष दृष्टांत एक ऐसा दृष्टांत है जो किसी भी समय हो सकता है। अपनी बातचीत के दौरान गृह सचिव इस पर भी ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत-पाकिस्तान व्यापार की मौजूदा स्थिति क्या है और यदि कोई व्यापार हो रहा है जिसमें आयात-निर्यात, दोनों शामिल हैं, तो उसके मौजूदा परिमाण क्या हैं और अगले कुछ वर्षों में इसकी क्या संभावनाएं हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं पहले ही आंकड़े दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने उत्तर दे दिया है। आप इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री को भेज दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहले सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये रास्ते एक-दूसरे के मुल्क में आने-जाने के लिए खोले। इससे देश के सारे लोगों में खुशी की लहर थी, क्योंकि इससे सरहदी रियासतों, जैसे पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लोगों की बहुत सी उम्मीदें बावस्ता हैं। मैं आपकी वसासत से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि क्या तिजारती रास्ता, व्यापार के लिए रास्ता एल.ओ.सी. पर खोला जाना मुमकिन है, यदि हां, तो क्या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खोला जाएगा और उसमें कौन-कौन से आइटम रखे जाएंगे, कौन-कौन सी चीजें होंगी, जिन्हें इधर-उधर ले जाया जा सकेगा?

अध्यक्ष महोदय: यह कॉमर्स मिनिस्ट्री के बारे में है। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं केवल यह कह सकता हूं कि नियंत्रण रेखा के पास हमने पांच स्थान खोले हैं। लोग उचित जांच पड़ताल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अन्य अनुदेशों का पालन करने के बाद अपना सामान उस ओर ले जा सकते हैं। लोग प्राय: जो सामान सीमा के इस पार से उस पार ले जाते हैं सामान्यतया वही सामान वे ले जाते हैं। वे नियंत्रण रेखा के उस ओर से भी आएंगे। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जांच के बाद उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

एड्स रोगियों हेतु 'जेनेरिक' औषधियों की उपलब्धता

***303. श्री +बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री राकेश सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता की वजह से 'एंटी रेट्रो वाइरल थेरेपी' के माध्यम से एड्स के उपचार के खर्च में बीस गुणा कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर में 'जेनेरिक' औषधियों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करवाने/उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जी, हां। रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा के जरिए एड्स के उपचार पर होने वाले खर्च को जेनेरिक औषधों की उपलब्धता के कारण पर्याप्त रूप से कम कर दिया गया है।

प्रति रोगी प्रति वर्ष एआरवी ब्रांड की औषधों की लागत वर्ष 1996 में लगभग 30,000 रुपए प्रति माह हुआ करती थी और उसके बाद यह ट्रिपल ब्रांड की औषधों के सम्मिश्रण में नेविरापाइन शुरू करने के कारण 1998 में कम होकर 18,000 रुपए प्रति माह हो गई। जेनेरिक औषधें शुरू करने से इन ट्रिपल औषधों के सम्मिश्रण का बाजार मूल्य कम हो कर वर्ष 2004 में लगभग 1200 रुपए प्रति माह हो गया। तथापि, भारत सरकार विभिन्न राज्यों में चल रहे सभी एआरटी केन्द्रों के लिए केन्द्रीय आधार पर थोक में खरीद किए जाने के कारण इन ट्रिपल औषधों के सम्मिश्रण का प्रापण प्रति माह 550 रुपए में कर रही है।

देश भर में सस्ती दरों पर एआरवी औषधों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) फार्मा उद्योग द्वारा एआरवी औषधों की लागत में कमी करने के तौर-तरीकों, उपकरणों और रिट्रोवायरल-रोधी औषधों पर किस प्रकार के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लिए जाते हैं, उन्हें हटाने हेतु सरकार द्वारा विचार किए जाने और सार्वजनिक तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए अनुवर्तन जांच तथा मानीटरिंग हेतु मौजूदा सुविधाओं की जांच करने के लिए सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया था जिसमें सदस्यों के रूप में अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, फार्मा उद्योग, एफआईसीसीआई और सीआईआई के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्य दल की बैठक 19 नवम्बर, 2003 और 24 नवम्बर, 2003 को आयोजित की गई थी। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य विभाग से अनुरोध किया गया था कि वे कच्ची सामग्री के देशी/आयातित अवयवों पर से उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क हटाएं।

(ख) भारत सरकार ने दस एआरवी औषधों पर से उत्पाद शुल्क हटा लिया है। इन एआरवी औषधों में स्टावुडाइन, जिडोवुडाइन, लेमुवुडाइन, नेविरापाइन, इफेविरेंज, डिडानोसाइन, इण्डिनावीर, नेल्फीनावीर, रिटोनावीर और सक्वेनावीर शामिल हैं।

(ग) निम्नलिखित एआरवी औषधों के परिष्कृत उत्पादों पर से सीमा शुल्क हटाया गया है: रिटोनावीर, सक्वेनावीर, डिडानोसाइन, इण्डिनावीर। उसे लेमुवुडाइन और जिडोवुडाइन पर कम करके केवल 5.1 प्रतिशत भी किया गया है। एआरवी औषधों इण्डिनावीर, डिडोनासाइन, रेटिनोवीर, सक्वेनावीन की कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क हटाया गया है और इसे जिडोवुडाइन और लेमोवुडाइन एआरवी औषधों के लिए कम भी कर दिया गया है।

(घ) सीआईआई ने कार्यक्रम के अधीन इस्तेमाल हेतु दो सीडी 4 मशीनों की आपूर्ति की है। मुफ्त एआरटी सेवाएं आठ (8) चुनिंदा सरकारी अस्पतालों के जरिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 1 अप्रैल, 2004 से शुरू की गई थीं। आज देश भर के 40 अस्पताल मुफ्त एआरटी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2010 के अन्त तक 1.8 लाख रोगियों की मुफ्त एआरवी उपचार प्रदान करने की योजना भी बनाई गई है। ईएफसी प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रतियोगी बोली के जरिए एआरवी औषधों का थोक में प्रापण किया जा रहा है जिससे लागत को कम करने में भी मदद मिलती है।

(ङ) एड्स रोधी औषधों में माता-पिता से बच्चे को होने वाले एचआईवी संक्रमण की रोकथाम (पीपीटीसीटी) और प्रभावोत्तर (पोस्ट एक्सपोजर) रोग निरोधन के लिए उपचार भी शामिल है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मां तथा नवजात शिशु को मुफ्त वितरण हेतु पीपीटीसीटी के लिए औषधों की आपूर्ति भी की गई है। वर्तमान में 377 केन्द्र देश भर में पीपीटीसीटी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को प्रभावोत्तर (पोस्ट एक्सपोजर) रोग निरोधन में इस्तेमाल हेतु रिट्रोवायरल-रोधी औषधों की खरीद करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं और उन्हें राज्यों द्वारा स्थानीय आधार पर खरीदा जाता है तथा जरूरत के अनुसार रोगियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों को उनकी आपूर्ति की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: आप यह जानते हैं कि भारत एड्स और एच आई वी से सर्वाधिक पीड़ित है और यहां पर 60 लाख से अधिक मरीज हैं। इसके साथ-साथ, गत गुरुवार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यह कहा था कि ''एच आई वी पीड़ितों के लिए कुछ अधिक नहीं किया है।''

[हिन्दी]

एक लाख का टारगेट था, लेकिन अभी तक खाली 15 हजार पेशंट कवर हुए हैं। यह टारगेट पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? इन्होंने उत्तर में लिखा है कि हमने देश में 8 अस्पताल रिकोग्नाइज किए हैं, जहां ये दवाइयां फ्री मिल जाएंगी तथा 40 सेंटर खुल गए हैं, लेकिन ये दवाइयां अभी भी बहुत महंगी हैं। इन्होंने कहा कि 800 या 550 रुपए में दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन आज भी दो-तीन लाख रुपए एक पेशंट के लगते है।

[अनुवाद]

चूंकि एचआईवी-एड्स की दवा एक जीवन रक्षक औषधि है, क्या सरकार इसे देशभर में नि:शुल्क वितरित करने के बारे में सोच रही है क्योंकि हम इस बीमारी से सर्वाधिक पीड़ित हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे नि:शुल्क दे सकते हैं?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, हम 40 पंजीकृत अस्पतालों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करा रहे हैं। इसकी औसत लागत प्रति माह 550 रुपये और 6,600 रुपये प्रति वर्ष है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि सरकार ने जो टारगेट तय किया है, वह टारगेट हासिल करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा है कि नेशनल पालिसी के अंडर 2010 तक एक लाख आठ हजार पेशंट के ट्रीट करने की उम्मीद है, ऐसा इन्होंने प्लान बनाया है, लेकिन 2010 तक कितने मरीज बढ़ जाएंगे, उस हिसाब से क्या इनका कोई प्रोग्राम आगे बढ़ने वाला है या यहीं रुकने वाला है, क्योंकि जब मरीज बढ़ जाएंगे तो डेथ संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसलिए गरीबों को सस्ती दवाइयां मिलें, इसके लिए सरकार का क्या नियोजन है, यह हम जानना चाहते हैं और आप 2010 तक क्यों रुकें, जल्दी क्यों नहीं करें? हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, हम इसमें 60 और अस्पताल जोड़ रहे हैं। अत: ऐसे पंजीकृत अस्पतालों की कुल संख्या 100 हो जाएगी। इनके माध्यम से हम इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने अच्छा काम किया है।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रश्न के ''ग'' भाग के उत्तर से मैं

संतुष्ट नहीं हूं। हमारे देश में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 2002 के अनुसार पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कास्ट इफेक्टिव बनाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक, दोनों ही सैक्टर्स में सभी दवाइयां जेनेरिक नेचर की हों, ऐसा प्रावधान किया गया है। यह भी प्रावधान है कि सरकारी डाक्टर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ट्रेड नेम वाली दवाइयां नहीं लिखेंगे, जेनेरिक नेचर की दवाइयां ही लिखेंगे, लेकिन फिर भी डाक्टर ट्रेड नेम की दवाइयों पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी दो रुपए की दवाई 16 रुपए में खरीदने को मजबूर है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, यदि माननीय सदस्य विशिष्ट मामले को बताते हैं तो हम उस पर गौर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: डा. अरविन्द शर्मा।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने आम आदमी की बात की है। हमारे देश में जो स्थिति है, आप भी उससे बहुत अच्छी तरह से अवगत होंगे कि आज दो रुपए की दवाई 16 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके पास कोई विशिष्ट मामला है तो उसे उनके पास भेज दें। वह उस पर गौर करेंगी।

डा. अरविन्द शर्मा: अध्यख महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यौन कर्मियों के बीच एच. आई. वी. को फैलने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एड्स रोकथाम परियोजना (स्टॉप एंड प्रिवेन्शन एड्स प्रोजेक्ट) शुरू की गयी है। क्या हमारी सरकार ने इसके बारे में ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए समुचित उपाय किए हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर वेश्यालय क्षेत्र के निकट वाले इलाकों में एच.आई.वी. को फैलने से रोकने के लिए तथा इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निदेश दिए गए हैं।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, हम यह कार्य कर रहे हैं। हाल ही में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। हमारे प्रधान मंत्री ने इसका श्रीगणेश किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में आशा (ए.एस.एच.ए.) चयनित कर रहे हैं। हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें इस संबंध में शिक्षित करने जा रहे हैं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: अध्यक्ष महोदय यह सर्वविदित है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जेनेरिक दवाओं के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। 1970 में हाथी समिति ने जेनेरिक दवाओं के व्यापक स्तर पर प्रयोग किये जाने की सिफारिश की थी। वर्ष 2002 की स्वास्थ्य नीति से भी इस बात को दुहराया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं के प्रयोग को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है।

इसके अलावा, देश के गैर-सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं के आम उपयोग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: जेनेरिक दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आप क्या कर रहे हैं?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, हम सरकारी तथा गैर-सरकारी अस्पतालों को जेनेरिक दवाएं मुहैया करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है, लेकिन जिस तरह से इसका उत्तर दिया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इस विषय पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम चर्चा करेंगे, चर्चा जरूर होगी, पहले भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आपका अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो भेज दीजिए।

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे देश की बात है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या केस की बात नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। श्रीमती रंजीत रंजन।

...(व्यवधान)

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, यह किसी विशिष्ट मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, परन्तु यह प्रश्न जेनेरिक दवाओं से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, उन्होंने कहा है कि जेनेरिक दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। माननीय सदस्य, क्या आप हमेशा अपनी संतुष्टि के अनुरूप उत्तर पा सकते हैं? यदि ऐसा होता तो मंत्रियों को मंत्रालय रखने की जरूरत नहीं पड़ती।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी, एक तरफ हम एण्टी रैट्रो-वायरल थैरेपी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खासकर बिहार के सहरसा में, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उनमें सिर्फ एच.आई.वी. पोजिटिव की जो फर्स्ट जांच होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट को ही मुहैया कराया जाता है, वह भी नियमित नहीं है। बीच-बीच में जब सरकार की तरफ से कैम्प लगते हैं, तब लोगों को जागृत किया जाता है, लेकिन इसका जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आप जस्ट पोजिटिव का पता लगाएंगे, आपको एड्स डिसीज है कि नहीं, उसके लिए जो वैस्टर्न ब्लाट टेस्ट होता है, आश्चर्य की बात है कि सिर्फ मेरे क्षेत्र में ही नहीं, पटना में जो मेडीकल कालेज पी.एम.सी.एच. है, जो दरभंगा का मेडीकल कालेज है, उनमें कहीं वैस्टर्न ब्लाट टेस्ट नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले प्रभा नाम से एक हॉस्पीटल पटना में खुला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य महोदया, कृपया प्रश्न देखें। यह एक विशेष दवा की उपलब्धता से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि एक तो वहां के लोग वैसे भी जागरूक नहीं हैं और ब्लड चढ़ाने पर जब किसी को टेस्ट के लिए कहा जाता है तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वैस्टर्न ब्लाट टेस्ट अगर वहां किया जाता है तो उसे मुम्बई में रैनबैक्सी भेजा जाता है, जिसके एक टेस्ट की कीमत 1500-2000 रुपये है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य महोदया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है। हमारे सामने जो प्रश्न रखा हुआ है वह जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के बारे में है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैस्टर्न ब्लाट टेस्ट क्या आप सस्ता मुहैया कराएंगे और हर छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट में वैस्टर्न ब्लाट टैस्ट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, परन्तु यह उन पर निर्भर है कि वह इस प्रश्न का उत्तर देती हैं अथवा नहीं। परन्तु कृपया ऐसा न करें। अनुपूरक प्रश्न का अभिप्राय यह होता है कि प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ हो अथवा मंत्री जी के उत्तर पर आधारित हो। हां, मैंने आपकी बात समझ ली है तथा इस मामले में आपकी चिन्ता से अवगत हो चुका हूं। मंत्री जी, क्या आप माननीय सदस्य महोदया के इस प्रश्न का उत्तर देंगी?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए, हम इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करेंगे। हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परीक्षण हेतु किट् आदि भी मुहैया करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: डा. पी. पी. कोया कृपया जेनेरिक दवाओं से संबंधित विशिष्ट प्रश्न ही पूछें।

डा. पी. पी. कोया: धन्यवाद महोदय। मेरे विचार से एंटी-रेट्रो-वायरल दवाएं बहुत महंगी हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के भाग के रूप में इस उपचार को स्वीकार किया है? क्या यह आम आदमी की पहुंच के अंदर है? क्या सरकार उक्त दवाओं को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने वाली है जिससे कि आम आदमी का उपचार हो सके?

अध्यक्ष महोदय: डा. कोया, इस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी दे चुके हैं। माननीय मंत्री जी, क्या आप उक्त दवाओं को उपलबध कराने वाली हैं?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, हम इसके मूल्यों में कमी कर चुके हैं और हम इसे 550 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से उपलब्ध करा रहे हैं। परन्तु उत्पाद शुल्क इत्यादि के कारण कुछ दवाएं महंगी हैं और हम इसका मूल्य कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूं।

प्रश्न संख्या 304, श्री ब्रजेश पाठक-अनुपस्थित।

निजी अस्पतालों के पैनल का नवीकरण करना

***305. श्री अनन्त कुमार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के उपचार हेतु पूरे देश के निजी अस्पतालों के पैनल का नवीकरण करने का निर्णय वर्ष 2004 से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पैनल के नवीकरण हेतु पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले कुछ अस्पतालों को निरीक्षण में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं तथा कम बिस्तरों वाले कई अस्पतालों को निरीक्षण में शामिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों के नए सिरे से पैनल बनाने/पैनल के नवीकरण के लिए निविदाएं मार्च, 2004 में आमंत्रित की गई थीं। 768 अस्पतालों तथा 404 नैदानिक केन्द्रों ने पैनल/पैनल के नवीकरण के लिए अपनी बोलियां/प्रस्ताव प्रस्तुत किए। सभी प्रस्तावों/बोलियों की संवीक्षा एक जांच समिति द्वारा यह जांच करने के लिए की गई कि क्या बोली लगाने वाले निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तथा साथ ही क्या निविदा/बोली निर्धारित प्रक्रियानुसार दर्ज की गई थी। तद्नुसार, 334 अस्पतालों तथा 262 नैदानिक केन्द्रों को शार्ट लिस्ट किया गया है। अब इनका भारत की गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा अवसंरचनाओं, स्टाफ इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने/इनका सत्यापन करने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। यह निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अपेक्षाकृत कम अवसंरचना वाले अस्पताल/नैदानिक केन्द्र निविदा में तथ्यों के मिथ्या निरूपण के जरिए पैनल में शामिल न हो जाएं। केवल ऐसी संस्थाओं की निविदाएं/बोलियां अस्वीकृत की गई हैं जो निविदा की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रही थीं।

श्री अनंत कुमार: महोदय, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि वह सी जी एच एस में संशोधन करने वाले हैं और इसकी जगह मेडीक्लेम की तरह एक स्वास्थ्य योजना लाने वाले हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के क्या विचार हैं? जब वह यह योजना लाएंगे, तो सी जी एच एस के कर्मचारियों का क्या होगा और पैनल में शामिल विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे सी जी एच एस लाभ भोगियों का क्या होगा?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, मैं सी जी एच एस के लाभभोगियों के दिमाग से यह भय निकालना चाहती हूं। मैं इस सभा में यह घोषणा करती हूं कि सी जी एच एस को बंद नहीं किया जाएगा। बल्कि इसे उपचार और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एक सक्रिय संगठन का रूप दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: और पूरक प्रश्न नहीं पूछते हुए मंत्री महोदया को बधाई दें।

श्री अनंत कुमार: मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री को उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूं परन्तु मैं एक दूसरा पूरक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री जी ऐसे अस्पताल के बारे में जानते हैं, जिसकी सी बी आई द्वारा जांच की जा रही है और जिसको पैनल में शामिल किए जाने हेतु निरीक्षण किया जा रहा है? यदि ऐसा है, तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: बंगलौर के बारे में?

श्री अनंत कुमार: देश में कहीं भी, महोदय।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: यदि ऐसा कोई मामला है, तो हम इस पर गौर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को ब्यौरा दें। इसके बाद और भी आप कुछ चाहते हैं? उन्होंने सब कुछ किए जाने की बात स्वीकारी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना का अभी भी भारत के बहुत सारे प्रान्तों की राजधानियों में विस्तार नहीं है, इनकी स्वयं की डिस्पेंसरीज नहीं हैं। एक डिस्पेंसरी कानपुर में है लेकिन लखनऊ में नहीं है, जो आश्चर्यजनक

है। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना से संबंधित डिस्पेंसरीज के अपने काउंटर्स खोलने की व्यवस्था करने के लिए सरकार तैयार है? साथ ही, राज्य सरकारों के अच्छे अस्पतालों को इस योजना में कवर करने और जो मरीज वहां से इलाज करवाएं, क्या उन्हें कम्पैनसेट करने के इंतजाम पर भी भारत सरकार विचार कर रही है? मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना को और स्ट्रैन्दन करने का आश्वासन इस सदन में दिया है। उस दिशा में पहला कदम यही होगा कि राज्य सरकारों के हाइटैक अस्पतालों को भी कवर किया जाए और कम से कम राज्यों की राजधानियों में इस योजना के अंतर्गत अस्पताल खोले जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, हम इस मांग पर विचार करेंगे। इसीलिए हमने निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात् हम प्रत्येक शहर, राज्य की राजधानी और सब जगह इसका प्रबंध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। यह बड़ा पुण्य का काम है।

श्री बी. विनोद कुमार: उत्तर में यह उल्लेख किया जाता है कि निविदाएं काफी समय पहले लगभग दो वर्षों पूर्व आमंत्रित की गई थी। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने अब तक संस्थाओं का निरीक्षण नहीं किया है। अनेक अस्पतालों ने पिछले दो वर्षों में अधिक बेहतर सुविधाएं आरंभ की हैं। क्या सरकार का नए आवेदन आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि कुल मिलाकर जनता द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर उपयोग हेतु इन अस्पतालों के नाम भी लघुसूचीबद्ध सूची के साथ भेजे जा सकें।

अध्यक्ष महोदय: तब तो इसे कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: इस बोली को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् हम एक बार फिर विशिष्ट अस्पतालों को सूची में शामिल करेंगे। एक बात और है। हम 242 निजी और सरकारी मेडिकल कालेज अस्पतालों को इस सीजीएचएस सुविधा में सम्मिलित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आज, जो आप चाहते हैं वह आपको मिल रहा है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहां जब सी.जी.एच.एस. डिस्पैंसरी के कार्ड बनाए गए थे, उसके लिए मुझसे पूछा था कि आपको वहां कौनसी डिस्पैंसरी सूट करती है। मैंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, जम्मू-कश्मीर में सी.जी.एच.एस. की कोई डिस्पेन्सरी नहीं होने के कारण, जितने भी सैंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लाईज हैं, वे बहुत परेशान हैं। मैं मंत्री मोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे आज एनाउंस करें कि स्टेट जम्मू-कश्मीर में डिस्पेन्सरीज खोली जायेंगी क्योंकि मंत्री जी ने डिस्पेन्सरीज देने का काम शुरू किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप स्टेट जम्मू-कश्मीर को कितनी डिस्पेन्सरीज देने जा रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनुपूरक प्रश्न अनुरोध करने के लिए नहीं है। अन्य इसे प्रश्न की तरह पूछिये।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: आप उन्हें देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या मंत्री महोदय, जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल खोलने पर विचार करेंगे?

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज लेने का वक्त है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: सरकार उनके अनुरोध पर विचार करेगी।

श्री पी. राजेन्द्रन: महोदय, माननीय.....*

अध्यक्ष महोदय: इस टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत से हटाया जाए।

श्री पी. राजेन्द्रन: मंत्री ने इस सभा को सूचना दी है कि 334 अस्पतालों और 262 निदान केंद्रों को शार्ट लिस्ट किया जा चुका है। मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है। इस सूची में 334 अस्पतालों और 262 निदान केंद्रों में से कितने अस्पताल और निदान केंद्र केरल में स्थित हैं? यदि यहां कोई नहीं है तो ऐसा क्यों है? क्या केरल के अस्पतालों को इस सूची में सम्मिलित किए जाने का कोई प्रस्ताव है?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न निजी अस्पतालों का पैनल बनाने के नवीकरण के संबंध में है।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: इस संबंध में मैं सदस्य को सूचना दूंगी।

अध्यक्ष महोदय: सदस्य को सूचना दीजिए।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: सी.जी.एच.एस. के माध्यम से लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की प्रणाली बहुत अच्छी है। इस समूह में लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं। पुणे जैसे शहरों में यह सुविधा प्रदान की गई है। परंतु मिराज और कोल्हापुर जैसे दक्षिणी महाराष्ट्र के शहरों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों को सी.जी.एच.एस. सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आना जाना पड़ता है। क्या सरकार मिराज, सांगली और कोल्हापुर में निजी अस्पतालों में यह सुविधा प्रदान करने के प्रयास करेगी।

अध्यक्ष महोदय: आप चाहते हैं कि पुणे से सुविधा वापस ली जाए।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: नहीं महोदय, मेरा मतलब था कि यह सुविधा दक्षिणी महाराष्ट्र के शहरों में भी प्रदान की जाए।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: इस निविदा कार्य के बाद हम जब भी निविदा आमंत्रित करेंगे तब उनके अनुरोध को सम्मिलित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री जी को शुभकामना देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अवैध खनन

***306. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 सितम्बर, 2005 को "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड" के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अवैध खनन के कारण खान धंसने की घटना में कुछ महिलाओं सहित 15 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो पीड़ितों के निकट संबंधियों को दिए गए मुआवजे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड", "भारत कोकिंग कोल लिमिटेड" और "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड" में कोयले के अवैध खनन और चोरी के कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का घाटा होता है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की उक्त कंपनियां कोयले के अवैध खनन और तस्करी को रोकने में असफल रही हैं;

(ङ) क्या सरकतार ने कोयले की तस्करी को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (च) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। राजरप्पा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने दिनांक 29.9.2005 की अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि हजारीबाग, झारखंड के निकट सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की राजरप्पा परियोजना की खुली खान के सेक्शन-1 में 29.9.2005 को अवैध खनन करते समय खान की छत के एक भाग के ढह जाने पर दुर्घटना स्थल से दो शव बरामद हुए। पुलिस ने राजरप्पा पुलिस आउटपोस्ट (पुलिस स्टेशन, रामगढ़) के जरिए भारतीय दंड संहिता की धारा 286, 287, 338, 379, 304(ए) तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 30 (2) के अंतर्गत मामला सं. 399/05 दिनांक 29.9.2005 दर्ज किया है और यह मामला पुलिस के जांचाधीन है। अवैध खनन के कारण हुई दुर्घटना के मामले में कोयला कंपनियों द्वारा मुआवजा दिया जाना अपेक्षित नहीं होता है।

(ग) परित्यक्त/बंद/अप्रयुक्त खानों/खान के गैर-क्रियाशील भाग अथवा दृश्यांश क्षेत्रों से चोरी-छिपे तथा गुप्त रूप से अवैध खनन किया जाता है। इस प्रकार ऐसे उदाहरणों के पूरे ब्यौरे रखना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोयले की चोरी-छिपे और गुप्त रूप से चोरी की जाती है और इस प्रकार सही-सही रूप से वह स्थान जहां से कोयले की चोरी की गई है और चोरी की गई कोयले की मात्रा बताना संभव नहीं है।

(घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। अवैध खनन और कोयले की चोरी को रोकने/रोकथाम करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य/जिला प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। कोयला कंपनियां समय-समय पर होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं की ओर, आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करती हैं।

(ङ) और (च) कोयले की तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

(1) प्रबंधन चरणबद्ध तरीके से पुरानी/परित्यक्त/खुले कोयला मुहानों को भरने/डोजिंग/सील करने/ब्लास्टिंग करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)/ आन्तरिक सुरक्षा एवं राज्य प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में छापे/गहन गश्त की जा रही है।

(3) नियमित अन्तराल पर जिला अधिकारियों के साथ अन्तर कार्रवाई और सम्पर्क करना एवं जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक महीने बैठकें करना।

(4) मुख्य सड़कों पर चैकपोस्ट स्थापित किए गए हैं जहां पर कोयले के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सशस्त्र होम गार्ड एवं राज्य पुलिस को लगाया गया है।

(5) होलोग्राम निर्धारित करके और चोरी की रोकथाम के लिए सी.आई.एस.एफ. के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद जिले से बाहर ट्रकों द्वारा कोयले के परिवहन के चालान जारी किए जा रहे हैं।

(6) स्थानीय थाने में कोयले के अवैध खनन और उठाईगीरी/ चोरी के विरुद्ध सहायक कंपनियों के प्रबंधन और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा प्राथमिकियां दर्ज कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न 306 के 'क' भाग का जो उत्तर दिया गया है, वह गलत है, उस उत्तर से हमारी सहमति नहीं है। मैंने अपने प्रश्न में कहा था कि 15 लोगों की मृत्यु हुई है। उस घटना के दो घंटे बाद, जब मैं वहां पहुंचा था, चूंकि वह एरिया हमारे क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए मैं वहां दो घंटे बाद पहुंचा, तो लोग सात लाशें लेकर भाग गये थे, चार लाशें ले जाते हुए लोग हमें रास्ते में मिले और दो लाशें हमारे सामने घटनास्थल से चली गयीं। जब चार घंटे बाद मशीन से दो लाशें निकाली गयीं तो उसी के आधार पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज की। हमारा प्रश्न यही था कि वहां क्या 15 लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे जाने के बाद वहां डीसी, एसपी और कोल इंडिया के पदाधिकारियों ने स्वीकार किया कि 11-12 लोग मारे गये हैं। इसके अलावा वहां और भी लाशें निकल सकती थीं लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोगों ने लाशें निकालने नहीं दीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। वहां पुलिस और प्रशासन के लोग मिले हुए हैं क्योंकि जिस क्षेत्र में घटना घटी है, उस राजरप्पा परियोजना में छः महीने से काम चल रहा था। वहां 300-400 पुरुष और महिला इल्लीगल माइनिंग का काम कर रहे थे। उनको न तो डिपार्टमेंट ने रोकने का काम किया और न ही पुलिस और प्रशासन ने किया। जी.एम इस संबंध में डीसी और एसपी को पांच बार चिट्ठी लिख चुके थे। यह चिट्ठी उन्होंने मई, जून और जुलाई महीने में लिखी थी। वे 18 एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुलिस एफआईआर में जो दो लोगों की मृत्यु को बात कही गयी है, वह बिल्कुल गलत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसकी उच्चस्तरीय जांच कराना चाहते हैं कि वहां 15 लोगों की मृत्यु हुई है या दो लोगों की मृत्यु हुई है? इसके अलावा वहां और लोगों की भी लाशें निकल सकती थीं, क्योंकि वहां लाशें छिपी रही गयी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जांच करेंगे?

डा. दासरि नारायण राव: जी नहीं, महोदय। माननीय सदस्यों के दो प्रश्न हैं, प्रथम, वे यह दावा कर रहे हैं कि वहां 15 लाशें हैं किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अवैध खनन की घटना है। वास्तव में, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसका कोल इण्डिया लिमिटेड से कुछ लेना-देना नहीं है।

कुछ गतिविधियां एक ही स्थान पर दो वर्षों से जारी हैं। इसके अलावा, कोल इण्डिया ने तत्काल ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कोल इण्डिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय: आप यह कह सकते हैं कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

डा. दासरि नारायण राव: वास्तव में, दुर्घटना का मामला पुलिस के पास है। सी आई एल ने इस घटना के घटित होने से पहले कई पत्र लिखे थे। जुलाई में पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा गया था। एक और पत्र अगस्त में भेजा गया। सितम्बर में, इस घटना से कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने एक पत्र लिखा था। पुलिस ने इस पर सही ढंग से कार्यवाही नहीं की। उन्होंने यह संख्या 15 बताई है जबकि मीडिया ने 18 लोगों की खबर दी है। वास्तव में, पुलिस प्राधिकारियों ने एक मामला दर्ज कर लिया है। उन्हें दो लाशें मिली हैं। इस घटना के बाद मैं झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से मिला था और उन्हें इस घटना की गंभीरता से अवगत कराया था। इसके बाद उन्होंने एक निकाय का गठन कर दिया। अब वे इसे अवैध खनन बताने का प्रयास कर रहे है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में कहा कि एस.पी. और डी.सी. को कई चिट्ठियां लिखी गई, तभी एफआईआर दर्ज की गई *...(व्यवधान)* यह घटना 6 महीने पहले से चल रही थी और 400 गज ऊपर इनका काम हो रहा था और 400 गज नीचे इललीगल माइनिंग इनके एरिया में चल रही थी, कहीं बाहर नहीं चल रही थी। इनके सीसीएल के एरिया में इललीगल माइनिंग चल रही थी। प्रश्न के घ भाग के उत्तर में इन्होंने माना है कि हर साल इन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान इल्लीगल माइनिंग के कारण होता है, लेकिन इसका सही उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चाहे कोल इंडिया लिमिटेड हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो या बीसीसीएल हो, उसके अलग-अलग जो दर्जनों अवैध कारखाने चल रहे हैं, दर्जनों अवैध डिपो चल रहे हैं, जिसकी जानकारी कोल इंडिया के पदाधिकारियों को है, उन्हें कहां से लिंकेज मिलता है - कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो कोयले का उत्पादन होता है, क्या उसी से चला जाता है, क्या आप इसकी जांच कराना चाहते हैं? क्या इनके पदाधिकारी उनसे मिले हुए हैं? हजारों टन कोयला रोज इनके स्पौंज आयरन और दूसरे कारखानों और जो इनके डिपो हैं, उसमें से अवैध रूप से चला जाता है, क्या इसकी जांच कराना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

डा. दासरि नारायण राव: इस प्रकार के आरोप सदैव ही अवैध खनन पर लगते रहते हैं। जहां तक कोल इण्डिया के पास सूचना का सम्बन्ध है, हमें वहां के किसी डिपो से कोई सूचना नहीं मिली है। माननीय सदस्य उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि वे इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना दे सकते हैं, तो हम इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इसका उत्तर नहीं दिया।

डा. दासरि नारायण राव: हम अवैध खनन के बारे में बहुत चिंचित हैं। इस अवैध खनन में सामाजिक-आर्थिक मुद्दा शामिल है। मैंने स्वयं कुछ खान कर्मियों को सुबह और शाम गनी बैग्स लेकर जाते हुए देखा है। इसमें राजनैतिक मुद्दा भी शामिल है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गैर-कानूनी कार्य में कोई राजनीति नहीं होती है। इसमें कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

डा. दासरि नारायण राव: वहां सामाजिक-आर्थिक समस्या है। हमने गंभीर कदम उठाए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपके प्राधिकारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई अवैध खनन कार्य न हो।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम है कि इललीगल माइनिंग के अवैध डिपो इनके एरिया में चल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य के साथ चर्चा करें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी अवैध खनन कार्य चल रहा है। मैं इसके बारे में जानता हूं। इसलिए, कृपया इसे गंभीरतापूर्वक लें और इसे राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए कार्यवाही करें जैसा कि आप कर ही रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने 2004 में सुरक्षित खनन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कोई उपाय किये हैं जिसमें जी.एम. से लेकर विभिन्न अधिकारियों द्वारा औचक जांच आदि का प्रावधान है? इसके बाद भी सितम्बर, 2005 में वहां कई शव बरामद हुए हैं। उस समय यह जवाब दिया गया था कि कोयले की तस्करी एवं चोरी गए कोयले की मात्रा बताना

सीआईएल के लिए मुश्किल है। जून, 2005 में सीसीएल के 12 अधिकारियों के खिलाफ खान दुर्घटना के कारण पुलिस कार्रवाई हुई है। कोयले की तस्करी में निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोयला विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का सहयोग रहता है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों, खासकर सीसीएल में कोयले की अवैध माइनिंग, कोयले की चोरी एवं तस्करी रोकने के लिए आपके द्वारा कितने विभागीय कर्मचारियों एवं बाहरी व्यक्तियों को दण्डित किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के कितने मामले विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने किसी पर मुकदमा चलाया?

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, वर्ष 2004-2005 में, सी सी एल में 408 घटनाएं घटी और लगभग 428 टन कोयला जब्त किया गया। इसी प्रकार बी सी सी एल और ई सी एल के बारे में भी मेरे पास विवरण उपलब्ध है। यह एक विस्तृत विवरण है। मैं यह विवरण माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कितने व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाया गया है? क्या आपके पास सूची उपलब्ध है?

डा. दासरि नारायण राव: जी हां, महोदय, मेरे पास सूची उपलबध है। सी सी एल में, 113 एफ आई आर दर्ज की गई और छ: व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाया गया। इसमें एक बात है। मुझे ऐसी स्थिति के लिए खेद है। इसमें धमकी भी है। वास्तव में, आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में भारतीय छात्र द्वारा तैयार किया गया एक शोध दस्तावेज है। उसने इस पर अध्ययन किया है और कुछेक नतीजे पर पहुंचा है। वह कहता है कि पुलिस भी भयभीत है। वह कहता है कि पुलिस को अवैध खनन की व्यापक गतिविधियों की पूर्ण जानकारी है। और वह इन ग्रामवासियों को ऐसा करने देती है क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे अन्य अपराध करेंगे और अपराध दर में भी वृद्धि होगी। यह हाल ही का दस्तावेज है, जो प्रकाश में आया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या इसे आपकी सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है?

डा. दासरि नारायण राव: नहीं महोदय। तो, यह स्थिति है। वस्तुत: हम इसे नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: किंतु स्थिति गंभीर है।

अब श्रीमती करूणा शुक्ला।

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गंभीर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला: महोदय, मेरे लिए अब यही सीट आवंटित की गयी है। अब मुझे सीट संख्या 503 के बदले 492 आवंटित की गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अपनी बात सुधार लेता हूं। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला: महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दो प्रश्नों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आप अपनी जवाबदेही को राज्य सरकार पर न डालें। बार-बार प्रश्नों का सरकार की ओर से यही उत्तर आता है कि राज्य सरकारें अवैध खनन रोकने में असमर्थ हैं। आप इसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या आपकी ऐसी कोई नयी नीति बनेगी ताकि कोयले की चोरी एवं तस्करी रुके? कोयले की चोरी के माध्यम से जो करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होती है, उस पर रोक लगाने के लिए आपकी क्या पॉलिसी बनने जा रही है?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, मैं राज्य सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, किंतु कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह अवैध खनन अथवा चोरी उत्पादन से लेकर प्रेषण तक और फिर प्रेषण से लेकर उपभोगताओं तक हो रही है। यह मामला है। अत:, उत्पादन स्तर पर हमने सभी उपाय किए हैं। पहले, ग्रेडों के मिश्रण की बात की। आज, हम शत प्रतिशत इसे तोड़कर इसके टुकड़े बना रहे हैं, ताकि एक ग्रेड से लेकर दूसरे ग्रेड तक कोयले का चयन जारी रहे। तत्पश्चात्, सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के साथ हम रेलवे वेगनों के माध्यम से ट्रक भेज रहे हैं। किंतु कई बार रेलवे वेगनों से चोरी हो जाती है। हमने इसके बारे में भी सूचना दी है। लेकिन एक बार रेलवे वेगनों में

इन्हें लोड करने के पश्चात् कोल इंडिया की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है।

इसलिए, इस सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने चोरी और अवैध खनन के संबंध में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन करने का विचार प्रस्तुत किया है।

श्री बंसगोपाल चौधरी: महोदय, क्या सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने पर विचार कर रही है। राज्यों में अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने क्या तंत्र बनाया है?

अध्यक्ष महोदय: खैर, मैं आपको आपके सबसे पहले अनुपूरक प्रश्न के लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: हम नियमित रूप से कदम उठा रहे हैं। हमने कतिपय स्थलों की पहचान की है। हम पुरानी खानों को पुन: भरने, निकल आने वाले क्षेत्रों पर अत्यधिक भार का पाटन करने, अवैध खनन स्थलों पर दीवार का निर्माण करने, चूहों द्वारा बनाए गए बिलों को पत्थरों एवं मलबे से भरने, बन्द की गई खानों के प्रवेश पर कंक्रीट दीवार का निर्माण करने, अवैध खनन स्थलों आदि को अलग करने के लिए गड्डे खोदे जाने जैसे कदम उठा रहे हैं। ये सब काम किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री मित्रसेन यादव, आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री मित्रसेन यादव: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप पूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, आपने अपना इरादा बदल दिया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं, उससे जाहिर है कि यह एक चिंता का विषय है। कोयला खानों से निकल कर उपभोक्ताओं तक जब पहुंचता है, चाहे रेलवे के वैगंस से जाता हो या निजी ट्रकों द्वारा जाता हो, वहां के लोकल कर्मचारियों से लेकर रेलवे विभाग द्वारा उसकी चोरी होती है-यह बात सबको मालूम है। उसमें चाहे रेलवे के लोग हों या खनन करने वाले हों, सब इस काम में शामिल हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं? अभी मंत्री जी ने सीसीएल के बारे में बताया कि 138 मुकदमें दर्ज हुए, उनमें से सिर्फ छ: चल रहे हैं, लेकिन एक केस का भी फैसला नहीं आया है। क्या ऐसे केसेज का तुरंत निपटारा करने हेतु मंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेंगे या ऐसा कोई प्रावधान करेंगे, जिससे कोयले की चोरी को रोका जा सके और रेवेन्यू बचाया जा सके?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव: इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: उनका कहना है कि वे इसकी जानकारी पहले ही दे चुके हैं।

श्री सुनील खां: अधिकारियों तथा अवैध खनन करने वाले लोगों के बीच गठजोड़ पर नियंत्रण करने के लिए क्या मंत्री जी कोयला खनन के लिए बेरोजगार युवकों को लाइसेंस देने पर विचार करेंगे-जैसा कि चीन में दिया जा रहा है। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।

डा. दासरि नारायण राव: मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करूंगा। निश्चित रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री बिक्रम केशरी देव: मंत्री जी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि सीसीएल एवं ईसीएल में अवैध खनन कार्य चल रहा है। इससे देश को अत्यधिक राजस्व हानि हो रही है। क्या अवैध खनन के बारे में उन्होंने कोई अनुमान लगाया है? अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए उन्होंने कया कदम उठाए हैं? राज्य सरकारों के साथ उन्होंने कैसा समन्वय किया है? क्या अवैध खनन कार्य पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कोई विशेष कृतिक बल का गठन किया है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी पहले ही उनके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे चुके हैं। वे बाकी-प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

डा. दासरि नारायण राव: हां, महोदय, अवैध खनन कार्य के सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि अवैध खनन कार्य केवल परिव्यक्त खानों एवं बंद की जा चुकी खानों में ही हो सकता है। जब कोयला समाप्त हो जाता है, तो हम खानों को बंद कर देते हैं तथा वे बचा हुआ कोयला खोदकर ले जाते है।

श्री बिक्रम केशरी देव: जब कोयला समाप्त हो जाता है तो अवैध खनन कैसे हो सकता है?

डा. दासरि नारायण राव: कुछ कोयला अभी-भी बचा होता है।

अध्यक्ष महोदय: परिव्यक्त खानों का अर्थ यह नहीं है कि वहां बिल्कुल भी कोयला नहीं है। अभी भी वहां कुछ कोयला बच जाता है। आप जानते हैं कि यह कैसे होता है। इसे थैलों में भरकर साइकिल पर ले जाया जाता है। यह भारी मात्रा में नहीं ले जाया जाता है।

डा. दासरि नारायण राव: कुछ कोयला खान कोल इंडिया के नियंत्रणाधीन हैं तथा कुछ खान कोल इंडिया को आबंटन नहीं हैं, ऐसी-खान राज्य सरकारों की सम्पत्तियां हैं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन बेरोजगार युवकों को इस प्रयोजनार्थ काम में लाने का एक अच्छा सुझाव दिया गया है।

डा. दासरि नारायण राव: एक बात और है। झारखंड के मुख्यमंत्री गत-माह एक कृतिक बल का गठन कर चुके हैं। पहली बैठक गत माह के अंतिम सप्ताह में हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा हमने बहुत अच्छी चर्चा की।

अब हम प्रश्न सं. 307 पर चर्चा करेंगे।

मेडिकल शिक्षा के स्तर में सुधार

[हिन्दी]

***307. श्री संजय धोत्रे:**
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद, राज्य चिकित्सा परिषदें तथा नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया चिकित्सा पेशे को विनियमित करने, मेडिकल शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा निर्धारित मानकों को लागू करने के संबंध में उन्हें दिए गए अधिकार को निभाने में असफल रहे हैं जैसा कि 'नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकनोमिक्स एंड हेल्थ' ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में मेडिकल शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय वृहत् अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य आयोग ने हाल ही में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य के साथ-साथ यह बताया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदें तथा भारतीय नर्सिंग परिषद भी उन्हें व्यवसाय को विनियमित करने तथा आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानकों में वृद्धि करने तथा उन्हें प्रवृत्त करने के लिए प्रदान किए गए अधिदेश का पालन करने में असफल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में आयोग ने बताया है कि अविच्छिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों में उपस्थिति के आधार पर पंजीकरण के लिए अधिक कड़े विनियम तथा हर पांच वर्षों के बाद चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण के जरिए आयुर्विज्ञान शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

अनेक विनियम पहले ही मौजूद हैं जिनमें मेडिकल कालेजों की स्थापना करने, छात्रों को प्रवेश देने, अध्यापकों के लिए योग्यताओं आदि हेतु क्रियाविधि और मानकों की व्यवस्था है जो मेडिकल कालेजों के मानकों के रखरखाव के लिए न्यूनतम अपेक्षा निर्धारित करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिशद मानकों को लगातार बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेजों का आवधिक निरीक्षण करती है तथा कालेज द्वारा इस न्यूनतम अपेक्षा की पुष्टि न किए जाने की स्थिति में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। संस्था को पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने हेतु मानकों के सत्यापन तथा मानकों के अनुरक्षण के लिए तदनुरूप उपबंध भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में मौजूद हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के विभिन्न उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति सहित निरीक्षण की समग्र प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है ताकि इसे पारदर्शी और कारगर बनाया जा सके।

सरकार चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण के नवीकरण के मुद्दे की भी जांच कर रही है। चिकित्सीय पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं की भी उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने हेतु उनमें संशोधन करने हेतु जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि क्या भारतीय चिकित्सा परिषद, राज्य चिकित्सा परिषदें तथा नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इंडिया को जो अधिकार दिये गये हैं, वे उन्हें निभाने में असफल रही हैं जैसा कि 'नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकनोमिक्स एंड हैल्थ' ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया है। इन संस्थाओं के ऊपर मैडीकल कॉलिज का रजिस्ट्रेशन कराना, नर्सिंग कालेज, हैल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आदि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम इसकी जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे। सारे देश के लोगों को आरोग्य रखना और हैल्थ सेवाएं प्रदान करना, इन पर निर्भर है लेकिन ये अपने अधिकारों का निर्वहन करने में असफल रही हैं। इसके लिए कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पिछले सप्ताह हमने इस पर पूर्ण चर्चा की थी।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, आई एच सी अधिनियम के अंतर्गत दिए गए विनियमों के विभिन्न उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एम सी ए द्वारा निरीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया तथा आई एम सी अधिनियम में सुधार कर रही है। सरकार इंस्पेक्टरों की नियुक्ति सहित निरीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए इसकी समीक्षा करना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे: इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 60 मेडिकल कॉलिज, 225 नर्सिंग कॉलिज और 6 पब्लिक हैल्थ स्कूल्स हैं, जिनकी रिक्मेंडेशन की गयी है। जिस एरियाज में इनका बैकलॉग है, क्या सरकार उस बैकलॉग को खत्म करने के लिए जरूरी कदम तुरंत उठाएगी?

[अनुवाद]

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, निजी कॉलेजों में अपेक्षित बुनियादी ढांचे, फैकल्टी आदि सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी तथा आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले कॉलेजों को दी गई अनुमति वापस ले ली जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: क्या नए आवेदनों पर विचार किया जाएगा?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री बापू हरी चौरे: नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकनोमिक्स एंड हैल्थ ने अपनी रिपोर्ट में इंडियन मैडीकल काउन्सिल, स्टेट मेडीकल काउन्सिल और नर्सिंग मैडिकल काउन्सिल के जरिए आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु, उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मगर मेरे चुनाव क्षेत्र धुले, महाराष्ट्र में जो मैडीकल कॉलेज 1989 में स्थापित हुआ, उसमें चार बिल्डिंग बनाना सुनिश्चित किया गया है। उसमें एक ओपीडी बिल्डिंग है, दूसरी कालेज बिल्डिंग तथा 250 बैड की दो बिल्डिंग बनाना निश्चित किया गया, लेकिन वर्ष 1989 से लेकर आज तक तीन बिल्डिंग्स का काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। मैडीकल काउन्सिल के मुताबिक मरीजों का सही तरीके से इलाज करने के लिए वहां इमारत बनना बहुत जरूरी है। मैडीकल काउन्सिल के जो नियम हैं, जो मापदंड हैं उसमें मैडीकल कॉलेज बनाने हेतु कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके अंतर्गत उन्हें निर्देश दिये जाएं कि एक टाइम लिमिट में बिल्डिंग बनाना जरूरी है, जिससे मरीजों को सही तरीके से, वक्त पर इलाज दिया जा सके। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इन बिल्डिंग्स को निश्चित टाइम में बनाने के निर्देश दे सकती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या मंत्री महोदय के पास ये जानकारी है।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: मैं उनके पास जानकारी भेज दूंगी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया ध्यान रखिए कि भवन का निर्माण शीघ्र ही कर लिया जाए।

प्रो. बसुदेव बर्मन: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर में यह कहा गया था कि चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा चलाए जा रहे चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों में उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष बाद चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए कड़े विनियमों की तत्काल आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ''चलाए जा रहे चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों में उपस्थिति के आधार पर'' शब्दों का अर्थ जानना चाहता हूं। किसकी उपस्थिति मांगी जा रही है? क्या यह छात्रों के लिए है क्योंकि सामान्यत: संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्था के विनियमों में इसका उल्लेख होता है? कृपया इसे स्पष्ट किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: शिक्षकों तथा छात्रों दोनों को इसमें भाग लेना चाहिए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): महोदय ये शिक्षकों तथा छात्रों दोनों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय: हां, निश्चित रूप से इन दोनों तथा कर्मचारियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर में लिखा गया है कि ये संस्थान मानकों का पालन करने में असफल रहे, हम इसकी जानकारी चाहते हैं कि कितने मेडिकल कालेज या नर्सिंग कालेजों में अनियमितताएं पायी गयी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि किसी कालेज का पंजीकरण या लाइसेंस रद्द किया गया, तो जो बच्चे उससे प्रभावित हुए, उनके भविष्य को कैसे निर्धारित किया गया–मैं इस बात की जानकारी चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने किसी पंजीकरण को रद्द किया है?

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: इस प्रयोजनार्थ हमारी एक समिति है तथा इस समिति की रिपोर्ट के बाद हम कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्र. 308 श्री बागुन सुम्बरूई–उपस्थित नहीं।

लोक पाल विधेयक

*309. **श्री गणेश सिंह:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने वर्ष 1966 में लोक पाल कार्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी;

(ख) क्या विगत समय में अनेक प्रयासों के बावजूद लोकपाल संबंधी कानून अभी तक नहीं बनाया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो इतने अधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने लोक पाल के विविध पहलुओं पर राजनैतिक आम सहमति बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इस विधेयक को संसद में कब तक लाए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष, 1968, 1971, 1977, 1989, 1996, 1998 तथा 2001 में, पहले प्रस्तुत किए गए लोकपाल विधेयक, संबंधित लोक सभा भंग हो जाने के साथ ही व्यपगत हो गए। तथापि, लोकपाल विधेयक, 1985 को वापस ले लिया गया।

(घ) और (ङ) सरकार लोकपाल पर एक विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तद्नुसार, लोकपाल विधेयक के बारे में जांच-पड़ताल करने तथा उस पर अपनी सिफारिशें करने के लिए एक मंत्रिदल गठित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकपाल विधेयक की आवश्यकता, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा वर्ष 1966 में की गयी थी, लेकिन आज तक उस बिल को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका वास्तविक कारण क्या है? क्या सरकार अगले बजट सत्र में उक्त विधेयक को प्रस्तुत करने जा रही है?

श्री सुरेश पचौरी: अध्यक्ष जी, जैसा मैंने आपके माध्यम से बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन 1966 में बना था, उसने इस बात की सिफारिश की थी कि लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिए। यूपीए सरकार का जो कामन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम जल्दी ही लोकपाल बिल लाएंगे। जहां तक लोकपाल बिल की पृष्ठभूमि का प्रश्न है, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि पूर्व में लोकपाल बिल, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 1968, 1971, 1977, 1989, 1996, 1998 और 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद लोक सभा भंग हो गयी-यही विलंब का कारण है। वर्ष 1985 में जब यह इंट्रोड्यूस हुआ, तब इस बिल का स्कोप बढ़ाने की बात आयी कि पब्लिक ग्रिवेन्सेज को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए—इस वजह से इसमें देरी हुई। जहां तक यूपीए सरकार का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का सामना करने और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध है और इसी दिशा में लोकपाल बिल लाया जाएगा। यह यूपीए के कार्यक्रम में प्रस्तावित है। जहां तक इस बिल की क्या स्थिति है, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है और जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंचेगे, एक निश्चित स्वरूप के साथ इस बिल को पेश किया जाएगा।

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उक्त विधेयक के परीक्षण के लिए एक मंत्री दल गठित हुआ, क्या इसकी रिपोर्ट देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है, यदि नहीं की गयी, तो क्या आप समय-सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं?

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्य जानते हैं कि जब किसी भी बिल को कैबिनेट पास करती है और उसमें कुछ और सुझाव आते हैं, तो वह बिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेषित किया जाता है। जहां तक समय-सीमा की बात है, वह निर्धारित नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने यह अपेक्षा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से व्यक्त की है कि जल्दी से अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर दें। जहां तक संबंध है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस दिशा में क्या कदम उठाया है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसकी दो मीटिंग्स हुयी हैं, एक मीटिंग 2 अप्रैल, 2005 को और दूसरी मीटिंग नवम्बर, 2005 में हुई।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री धर्मेन्द्र प्रधान-उपस्थित नहीं।

कुंवर जितिन प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि लोकपाल बिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के विचाराधीन है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में स्टैंडिंग कमेटी के कुछ सुझाव आए हैं और अगर आए हैं, तो वे क्या हैं?

श्री सुरेश पचौरी: अध्यक्ष जी, जो वर्ष 2001 का लोकपाल बल था, उस पर डिपार्टमेंट रिलेटिड स्टैंडिंग कमेटी आन होम अफेयर्स में, जिसके अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी थे, विचार किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 दिसम्बर, 2001 को प्रस्तुत की। जहां तक स्टैंडिंग कमेटी की मुख्य सिफारिशों की बात है, काफी ज्यादा सिफारिशें की गयी हैं, उनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्यों को लोकपाल बिल की परिव्यूह में आना चाहिए तथा लोकपाल को सिविल कोर्ट की ही पावर दी जानी चाहिए, उसे सैशन कोर्ट की पावर नहीं दी जानी चाहिए। एक और मैन सिफारिश यह थी कि जो उसकी एक क्लॉज था, उसमें लोकपाल को यह शक्ति प्रदान की गयी थी कि वह किसी भी एजेंसी और व्यक्ति की किसी मैटर के इन्वेस्टिगेशन के लिए मदद ले सकते हैं, उसकी डिलेशन का उल्लेख उस सिफारिश में किया गया था।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, लोकपाल की संकल्पना की शुरूआत उत्तरी यूरोपीय देशों विशेषकर स्वीडन और नार्वे से हुई थी और हमने इस विचार को लोकपाल के रूप में स्वीकार किया। जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है कि यह पिछले 35 वर्षों अर्थात 1966 से चल रहा है कि उच्च पदों पर फैले भ्रष्टाचार को किस प्रकार समाप्त किया जाए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस प्रस्तावित विधेयक के दायरे में आएगा और क्या सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है या नहीं।

श्री सुरेश पचौरी: जहां तक इस सरकार की प्रतिबद्धता का संबंध है तो मैंने इस संबंध में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जहां तक लोकपाल का संबंध है तो हमने विभिन्न देशों में विद्यमान इस व्यवस्था का निरीक्षण किया है कि ये देश कौन सी व्यवस्था अंगीकृत कर रहे हैं और स्वीडन, डैनमार्क, फिनलैण्ड, नार्वे, यू.के., न्यूजीलैण्ड, अमरीका और अन्य देशों में कौन सी व्यवस्था है।

माननीय सदस्य के प्रश्न का अंतिम भाग यह है कि क्या हम प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य कार्यालयों को लोकपाल विधेयक को दायरे में ला रहे हैं। जब तक मंत्रियों के समूह द्वारा इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं इससे संबंधित सूचना का खुलासा न करूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ न्यायपालिका को भी लोकपाल विधेयक में शामिल किया जाएगा।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, जैसाकि मैंने आपके माध्यम से कहा है कि इस समय इस संबंध में कोई जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन हमें जो सुझाव दिए गए है उनमें से एक सुझाव यह भी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य सुझाव यह भी दिया गया है कि न्यायपालिका को भी इस विधेयक के दायरे में लाने के लिए एक आयोग होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते है कि मंत्रियों के समक्ष विभिन्न सुझाव हैं। जब हम इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों की खेती

***310. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औषधीय पौधों की खेती हेतु विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों की उपयुक्तता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्रक विकास से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए एक औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। इस प्रयोजनार्थ बोर्ड औषधीय पादपों की कृषि और संवर्धन के लिए स्कीमों को कार्यान्वित करता रहा है जिसके तहत सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों और किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि, संबंधित क्षेत्रों में मिट्टी और जलवायुगत उपयुक्तता के अनुसार राज्य सरकारों से औषधीय पादपों की कृषि के लिए स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्कीमों के लिए 30 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए किन-किन संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी और वे कौन से राज्य हैं, जिनको परामर्श दिया गया कि आपके यहां इस प्रकार की खेती को बढ़ावा जाए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: महोदय, मेघालय और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य कोई राज्य नहीं है। हम राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड के लिए 30 करोड़ रुपए दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हम नौ प्रश्नों तक पहुंचे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें ऐसा ही करना चाहिए।

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं बहुत निराश हूं कि मेरे प्रश्न तक नहीं पहुंचा गया। वह अगला प्रश्न था।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्षपीठ को चुनने का अधिकार दें ताकि मैं आपके प्रश्न तक पहुंच सकूं। मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच की नई रणनीति

***304. श्री ब्रजेश पाठक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) का विचार सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी लाने, उन्हें प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कोई नई रणनीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रणनीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) उन मंत्रालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी):

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पहले से ही कड़ी निगरानी के जरिए भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। फिर भी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय कोई नई रणनीति आयोग के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

'टेलिंग पॉन्ड्स से विकिरण'

***308. श्री बागुन सुम्बरूई:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जादुगुडा में, जहां यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है, कितने 'टेलिंग पॉन्ड्स' हैं;

(ख) 'टेलिंग पॉन्ड्स' के कारण कुल कितने लोगों को हटाया जा रहा है और उन्हें दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका पुनर्वास किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) 'टेलिंग पॉन्ड्स' में डाले जा रहे रेडियोधर्मी कचरे का विकिरण स्तर कितना है;

(च) जादुगुडा में विकिरण से उत्पन्न रोगों से कितने लोग पीड़ित हैं;

(छ) यूरेनियम खानों और उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरती जा रही हैं; और

(ज) देश भर से जादुगुडा में यूरेनियम कचरे को वापस लाये जाने के क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) तीन। दो भरे हुए हैं और एक का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) टेलिंग्स पॉन्ड्स के निर्माण की वजह से विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या तथा उन्हें दिया गया मुआवजा निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	विवरण	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	विस्थापित परिवारों की संख्या	दिए गए मुआवजे की राशि (रुपए)
1.	पहला टेलिंग्स पॉन्ड	32.94	शून्य	80,363 (सम्पति के लिए)
2.	दूसरा टेलिंग्स पॉन्ड	29.17	13	2,30,058
3.	तीसरा टेलिंग्स पॉन्ड			
	(क) भूमि	51.07	46	24,34,519
	(ख) मकानों के निर्माण के लिए अनुदान			18,90,000

(ग) जी, हां।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

(ङ) टेलिंग्स पॉन्ड्स में विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों का विकिरण-उत्सर्जन स्तर, अंतर्राष्ट्रीय वैकिरणिकी बचाव आयोग (आईसीआरपी) और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर ही है।

(च) कोई नहीं।

(छ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन सख्ती से किया जाता है।

(ज) देश के अन्य भागों से कोई अपशिष्ट-पदार्थ जादुगुडा में वापस नहीं लाया जाता है।

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

***311. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरों में अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन.यू.आर.एम.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन के अंतर्गत राज्य-वार किन-किन शहरों का चयन किया गया है;

(घ) वर्ष 2005-2006 के दौरान मिशन हेतु शहर-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) मिशन का क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और उसके उद्देश्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों की सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) वर्ष 2005-2006 के वार्षिक बजट में 5467.17 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। राशियां शहर-वार आबंटित नहीं की जाती हैं।

(ङ) यह मिशन 3.12.2005 को शुरू किया गया है और इसे सात वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण I

जे एन एन यू आर एम के विवरण और इसके लक्ष्य

* इस मिशन के दो उप मिशन हैं:

  शहरी अवस्थापना तथा शासन के लिए उप मिशन-1 तथा शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं का उप मिशन-2

* मिशन में विभिन्न राज्यों के 63 चुनिन्दा नगरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

* मिशन के तहत शामिल न किए जाने वाले नगरों/कस्बों के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने छोटे और मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) शुरू की है जबकि शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी) नामक स्कीम तैयार की है।

* शहरी विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की निम्नलिखित मौजूदा स्कीमों को जे एन एन यू आर एम में शामिल किया गया है:

  (1) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास

  (2) छोटे और मझोले कस्बों का समन्वित विकास

  (3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

  (4) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष

* केन्द्रीय सहायता का प्रावधान राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तरों पर कुछ अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा है।

* सभी अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों का कार्यान्वयन 2005-2006 से आरंभ हुई 7 वर्षों की मिशन-अवधि के दौरान पूरा किया जाना है।

* केन्द्रीय सहायता शतप्रतिशत अनुदान के रूप में है, जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी।

* शहरों को शहर विकास योजनाएं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी हैं।

* केन्द्रीय अनुदान अथवा वास्तविक जरूरत का 5 प्रतिशत जो भी कम हो, शहरी विकास योजनाएं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, क्षमता निर्माण, सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) क्रियाकलापों इत्यादि के लिए मुहैया कराया जाता है।

* राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटलों द्वारा केन्द्र सरकार के साथ त्रि-पक्षीय करार ज्ञापन सम्पन्न करना केन्द्रीय धनराशि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। करार ज्ञापन में राज्य और शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल स्तरों पर सुधारों के कार्यान्वयन में प्रतिबद्धता तथा लक्ष्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

* वित्तपोषण

शहरों की आाबादी, भौगोलिक स्थिति तथा शहर की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित अनुसार धनराशि मुहैया कराई जाती हैं:

(1) परियोजनाओं की लागत का 35%/ 50%/ 80%/ 90% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा 100% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में किया जाएगा और

(2) 65%/ 50%/ 20%/ 10% वित्तपोषण राज्य/शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

* धनराशि चार किस्तों में दी जाएगी।

* पहली किस्त करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तथा शहर विकास योजनाएं/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद दी जाएगी।

* बाद की किस्ते जारी किया जाना सुधार/लक्ष प्राप्त करने और परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करेगा।

* मिशन अवधि में केन्द्रीय सहायता के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. शहरों में अवसंरचना सेवाओं के समन्वित विकास पर अधिक ध्यान देना।
2. परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंधन में कारगर सामंजस्य स्थापित करना ताकि शहरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं का न केवल कुशलता से रखरखाव हो बल्कि ये सेवाएं समय के साथ-साथ स्वपोषित भी बन सकें।
3. शहरी क्षेत्र में कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना।
4. बाहरी-शहरी क्षेत्रों, विस्तार क्षेत्रों और शहरी कारीडोरों सहित चुनिंदा शहरों का नियोजित विकास करना
5. शहरी गरीबों के लिए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान की सुलभता पर जोर देते हुए इसकी उपलब्धता बढ़ाना।
6. भीड़भाड़ कम करने के लिए शहरी नवीकरण कार्यक्रम अर्थात अंदरूनी (पुराने) नगरीय क्षेत्र का पुनर्विकास, शुरू करना।

विवरण II

राज्यों के नाम	शहर का नाम	आबादी (लाखों में)
1	2	3
आंध प्रदेश	हैदराबाद	57.42
	विजयवाड़ा	10.39
	विशाखापट्नम	13.45
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	0.35
असम	गुवाहाटी	8.19
बिहार	बोध गया	3.94
	पटना	16.98
चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	8.08
छत्तीसगढ़	रायपुर	7.00
दिल्ली	दिल्ली	128.77
गोवा	पणजी	0.99
गुजरात	अहमदाबाद	45.25
	राजकोट	10.03
	सुरत	28.11
	वडोदरा	14.91
हरियाणा	फरीदाबाद	10.56
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.45
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	6.12
	श्रीनगर	9.88
झारखण्ड	धनबाद	10.65
	जमशेदपुर	11.04
	रांची	8.63
कर्नाटक	बंगलौर	57.01
	मैसूर	7.99
केरल	कोचीन	13.55
	थिरूवनन्थपुरम	8.90

1	2	3
मध्य प्रदेश	भोपाल	14.58
	इंदौर	16.40
	जबलपुर	10.98
	उज्जैन	4.31
महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	164.34
	नागपुर	21.29
	नांदेड	4.31
	नासिक	11.52
	पुणे	37.60
मणिपुर	इम्फाल	2.50
मेघालय	शिलोंग	2.68
मिजोरम	एजवाल	2.28
नागालैण्ड	कोहिमा	0.77
उड़ीसा	भुवनेश्वर	6.58
	पुरी	1.57
पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
पंजाब	अमृतसर	10.03
	लुधियाना	13.98
राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	5.04
	जयपुर	23.27
सिक्किम	गंगटोक	0.29
तमिलनाडु	चेन्नई	65.60
	कोयम्बटोर	14.61
	मदुरै	12.03
त्रिपुरा	अगरतला	1.90
उत्तर प्रदेश	आगरा	13.31
	इलाहाबाद	10.42
	कानपुर	27.15
	लखनऊ	22.46
	मथुरा	3.23
	मेरठ	11.61
	वाराणसी	12.04
उत्तरांचल	देहरादून	5.30
	हरिद्वार	2.21
	नैनीताल	2.20
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	10.67
	कोलकाता	132.06

[हिन्दी]

मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय

***312. श्री इलियास आजमी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बुल्गारिया सहित पूर्वी-यूरोप में देश-वार किन-किन चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता दी गयी है;

(ख) क्या भारतीय मूल के उन छात्रों को यहां अपना पंजीकरण कराने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें उक्त महाविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन विद्यार्थियों के आवेदन पंजीकरण के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के पास लंबित पड़े हैं जिन्हें उक्त चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के जरिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों में संशोधन कर और उसके तहत बनाए गए स्क्रीनिंग जांच विनियम, 2002 की अधिसूचना के बाद भारत के बाहर किसी भी मेडिकल संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा अर्हता

प्राप्त करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जो 15 मार्च, 2002 को या उसके बाद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या किसी राज्य मेडिकल परिषद में अस्थायी या स्थायी रूप से पंजीकरण कराने का इच्छुक है, तो उसे निर्धारित प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा पास करनी होगी। भारतीय छात्रों की प्राथमिक चिकित्सा अर्हता उस देश में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकन हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होनी चाहिए जहां उक्त अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है और जो भारत में एम बी बी एस के समकक्ष है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि परिषद में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को मार्च, 2005 तक भारत के बाहर अध्ययन पूरा करने वाले भारतीय राष्ट्रीयता वाले आवेदकों से अस्थायी पंजीकरण हेतु 1525 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने संबंधित देश के भारतीय दूतावास के जरिए उनकी 10+2 और डिग्री स्तर के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की पुष्टि करके 1405 आवेदकों को पंजीकृत किया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

***313. डा. वल्लभभाई कथीरिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किसी विदेशी स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी सहायता में से स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में सरकारी अनुदान/ऋण के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकारी अनुवाद/ऋण के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

ऋण

(राशि हजारों में; दाता की मुद्रा में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र	दाता	मुद्रा	करार तारीख	ऋण राशि	उपयोग			
							2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-नवम्बर 05)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	26.2.2004	59500.00	0.00	24480.97	34858.09	0.00
2.	खाद्य एवं औषध क्षमता निर्माण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	29.9.2003	39700.00	0.00	0.00	1708.61	1537.00
3.	एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	23.9.2004	46900.00	0.00	0.00	4400.61	6.00
4.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	राजस्थान	आईडीए	एक्स डी आर	3.6.2004	61000.00	0.00	0.00	2767.20	551.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	तमिलनाडु	आईडीए	एक्स डी आर	5.1.2004	60636.00	0.00	0.00	4873.39	11.00
6.	नामची अस्पताल आधुनिकीकरण परियोजना	सिक्किम	फ्रांस	ईयूआर	1.7.1997	3654.38	284.73	0.00	0.00	
7.	संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और कार्यान्वयन	उत्तर प्रदेश	फ्रांस	ईयूआर	25.1.1998	4604.10	309.04	83.55	0.00	
8.	स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए	एक्स डी आर	22.12.1994	84759.21	5917.90	0.00	0.00	
9.	परिवार कल्याण (शहरी मलिन बस्ती) परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	4.2.1994	55262.15	8414.60	0.00	0.00	
10.	द्वितीय एकीकृत बाल विकास परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	23.3.1993	141600.00	11934.86	0.00	0.00	
11.	मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	19.5.1994	68762.02	11916.02	-1937.60	0.00	
12.	परिवार कल्याण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	24.6.1994	61608.04	8080.53	0.00	0.00	
13.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	14.3.1997	89224.00	11138.66	12768.13	12081.36	16287.00
14.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	30.7.1997	86109.80	8023.21	9772.09	12853.56	4763.00
15.	द्वितीय राष्ट्रीय एच आई वी/एड्स नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	14.9.1999	140820.00	20537.84	23415.47	11317.57	18582.00
16.	रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	19.5.2000	106500.00	24616.12	33763.88	3277.56	2832.00
17.	द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ समापन परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	19.7.2001	23294.46	10843.96	6682.48	2636.13	6.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना-पूरक वित्त	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	26.3.2003	10000.00	0.00	6314.69	3685.31	546.00
19.	प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	30.7.1997	179500.00	15638.07	16189.96	30514.79	221.00
20.	महिला और बाल विकास परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	एक्स डी आर	6.7.1999	205920.00	45933.98	-5865.80	39008.88	38758.00
21.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	बहुराज्यीय	आईडीए	एक्स डी आर	23.10.1990	56660.26	0.00	-339.74	0.00	
22.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	बहुराज्यीय	आईडीए	एक्स डी आर	18.4.1996	228943.81	38937.80	19474.32	7799.57	
23.	स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	उत्तर प्रदेश	आईडीए	एक्स डी आर	19.5.2000	62203.00	6435.98	12488.63	4658.11	5392.00
24.	स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	उड़ीसा	आईडीए	एक्स डी आर	13.8.1998	56800.00	5217.07	4486.99	22586.38	5573.00
25.	स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	महाराष्ट्र	आईडीए	एक्स डी आर	14.1.1999	73762.00	12984.93	19906.84	15894.01	12276.00

अनुदान

(रुपए हजार में; दाता की मुद्रा में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र	दाता	मुद्रा	करार की तारीख	ऋण राशि	उपयोग			
							2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-नवम्बर, 05)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-5	केन्द्रीय क्षेत्र	जर्मनी	ईयूआर	15.10.2004	10000.00	0.00	0.00	388.55	8829.00
2.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम-4	केन्द्रीय क्षेत्र	जर्मनी	ईयूआर	3.11.2003	7669.38	0.00	386.50	6847.24	17.00
3.	द्वितीयक स्तरीय अस्पताल विकास परियोजना	कर्नाटक	जर्मनी	ईयूआर	16.1.1997	13804.88	2232.74	1824.35	771.13	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन	कर्नाटक	जर्मनी	ईयूआर	16.1.1997	52119.43	0.00	0.00	3851.89	
5.	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	2.1.2002	98000.00	19590.37	23511.29	15489.88	0.00
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	9.7.2004	54350.00	0.00	0.00	1586.59	2498.00
7.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	4.1.2005	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
8.	स्वास्थ्य प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण का विकेन्द्रीकरण	मध्य प्रदेश	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	20.5.2003	14450.00	0.00	0.00	1134.00	0.00
9.	उभर रहे अतिसारीय रोगों के नियंत्रण संबंधी परियोजना, एन आई सी ई डी, कोलकाता	पश्चिम बंगाल (केन्द्रीय सरकार परियोजना)	जापान	जेपीवाई	15.7.2004	2134000.00	0.00	0.00	642068.00	481551.00
10.	बंगलौर मेडिकल कालेज में सुधार	कर्नाटक	जापान	जेपीवाई	27.1.2004	61463.19	0.00	0.00	61463.19	
11.	सर जे.जे. अस्पताल, मुम्बई में सुधार	महाराष्ट्र	जापान	जेपीवाई	27.9.2003	759000.00	0.00	300.00	732900.00	0.00
12.	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम का विस्तार	केन्द्रीय क्षेत्र	ग्लोबल फंड	यूएसडी	2.2.2005	6819.00	0.00	0.00	397.00	0.00
13.	एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	ग्लोबल फंड	यूएसडी	9.2.2004	26116.00	0.00	0.00	4931.43	3535.00
14.	एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	ग्लोबल फंड	यूएसडी	9.2.2004	7080.00	0.00	0.00	1921.00	1810.00
15.	एकीकृत स्वाथ्य पोषण और परिवार कल्याण परियोजना	कर्नाटक	आई डी ए	यूएसडी	3.1.2002	680.00	68.00	27.97	496.38	11.00
16.	प्रचार-प्रसार एवं सम्प्रेषण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.7.2003	1600.00	0.00	0.00	277.23	77.00
17.	अम्ब्रेला परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.4.1997	1.08	1.10	0.00	0.00	
18.	एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना (चरण-2)	गुजरात	यूएनएफपीए	यूएसडी	16.12.2004	6646.66	0.00	0.00	2716.81	806.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (चरण-2)	केन्द्रीय क्षेत्र	डेनमार्क	डी केके	17.9.1991	70000.00	4331.84	0.00	0.00	0.00
20.	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	उड़ीसा (चरण-1)	डेनमार्क	डी केके	2.12.1996	54800.00	2475.37	911.46	1566.58	0.00
21.	स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना (चरण-2)	तमिलनाडु	डेनमार्क	डी केके	24.12.1996	102500.00	16372.08	14640.91	0.00	0.00
22.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	डेनमार्क	डी केके	7.11.1997	55000.00	8700.54	10021.55	2534.85	0.00
23.	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (चरण-3)	केन्द्रीय क्षेत्र	डेनमार्क	डी केके	16.11.1998	76400.00	0.00	6586.06	0.00	0.00
24.	प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं	मध्य प्रदेश	डेनमार्क	डी केके	15.11.1999	58400.00	8262.78	6746.82	4145.08	0.00
25.	प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं	छत्तीसगढ़	डेनमार्क	डी केके	15.11.1999	21000.00	3875.97	1414.43	4269.65	0.00
26.	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग-नियंत्रण कार्यक्रम (चरण-2)	उड़ीसा	डेनमार्क	डी केके	12.12.2003	21180.00	0.00	3921.57	1007.77	0.00
27.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास	केन्द्रीय क्षेत्र	ईईसी	ईयूआर	2.9.1997	240000.00	31540.00	18460.00	67000.00	1900.00
28.	पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (3)	केन्द्रीय क्षेत्र	जर्मनी	ईयूआर	29.10.2001	10225.84	8525.93	1073.09	0.00	25.00
29.	प्राथमिक स्वास्थ्य	महाराष्ट्र	जर्मनी	ईयूआर	23.7.1996	10225.84	1194.96	977.97	704.07	628.00
30.	प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल	जर्मनी	ईयूआर	22.6.1999	30677.51	566.16	727.41	965.99	
31.	स्वास्थ्य परिचर्या	गुजरात	नीदरलैण्ड	ईयूआर	27.11.1997	18072.27	2093.27	0.00	0.00	0.00
32.	यौन स्वास्थ्य के लिए भागीदारी	आंध्र प्रदेश, गुजरात कर्नाटक, उड़ीसा	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	5.10.1999	28100.00	2639.86	2689.13	2884.36	0.00
33.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए अंतरिम सहायता	उड़ीसा	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	29.11.2002	1189.00	0.00	196.98	46.05	
34.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना (चरण-3)	उड़ीसा	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	21.8.1997	1610.58	726.34	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	बहुराज्यीय	ग्लोबल फण्ड	यूएसडी	10.1.2003	5651.00	0.00	1000.00	3313.84	3375.00
36.	एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएसए	यूएसडी	30.9.1992	19563.00	1340.35	2914.40	2520.35	2010.00
37.	परिवार नियोजन सेवाओं में नवीन कार्यकलाप	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएसए	यूएसडी	30.9.1992	129714.08	5783.00	16456.00	12032.00	276.00
38.	एच आई वी/एड्स से निपटने के लिए सहायता परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनडीपी	यूएसडी	22.3.2001	1500.00	208.46	219.30	449.43	510.00
39.	परिवार कल्याण विभाग के लिए सहायता कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.7.2003	11500.00	0.00	0.00	282.18	288.00
40.	नॉन स्केलपल वेसेक्टोमी का विस्तार	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	15.5.1997	1361.26	304.29	0.00	0.00	
41.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना	राजस्थान	यूएनएफपीए	यूएसडी	14.7.1998	12062.90	1127.95	1314.62	0.00	
42.	प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	3.8.1998	408.09	21.72	3.05	0.00	0.00
43.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना	केरल	यूएनएफपीए	यूएसडी	7.8.1998	4223.90	448.17	291.66	0.00	
44.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना	मध्य प्रदेश	यूएनएफपीए	यूएसडी	16.8.1999	7140.36	607.45	1309.80	0.00	0.00
45.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना	उडीसा	यूएनएफपीए	यूएसडी	8.7.1999	5962.00	253.78	391.42	199.72	0.00
46.	लिंग विषय के लिए सहायता	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	15.9.1999	483.55	161.14	564.64	0.00	
47.	जनसंख्या प्रजनन स्वास्थ्य पर समर्थन	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	8.11.1999	139.03	48.55	28.43	0.00	
48.	सुरक्षित मातृत्व एवं वास्तविकता	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.4.2000	488.51	207.06	49.98	0.00	
49.	लिंग सम्मानता को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम	हरियाणा	यूएनएफपीए	यूएसडी	22.7.2003	560.34	0.00	151.44	0.00	147.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना (चरण-2)	केरल	यूएनएफपीए	यूएसडी	20.12.2004	935.50	0.00	0.00	153.39	23.00
51.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना (चरण-2)	महाराष्ट्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.7.2003	9185.36	0.00	0.00	2336.27	918.00
52.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना (चरण-2)	महाराष्ट्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	4.2.1999	4595.52	1677.66	1770.07	0.00	
53.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना (चरण-2)	मध्य प्रदेश	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.7.2003	9428.91	0.00	0.00	1746.61	779.00
54.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना (चरण-2)	उड़ीसा	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.7.2003	7737.94	0.00	0.00	997.84	536.00
55.	एकीकृत जनसंख्या और विकास परियोजना (चरण-2)	राजस्थान	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.7.2003	10012.15	0.00	0.00	3087.84	835.00
56.	एड्स, टीबी तथा मलेरिया से लड़ने में सहायता	केन्द्रीय क्षेत्र	ग्लोबल फण्ड	यूएसडी	1.11.2004	2667.00	–	0.00	0.00	0.00
57.	एचआईवी/एड्स का एंटीरेटरोवायरल इलाज	केन्द्रीय क्षेत्र	ग्लोबल फण्ड	यूएसडी	27.6.2005	21673.00	–	–	0.00	2972.00
58.	तीव्र मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र	ग्लोबल फण्ड	यूएसडी	27.6.2005	30159.00	–	–	0.00	857.00
59.	परिवार कल्याण विभाग को नीतिगत सहायता	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.11.2003	840.00	0.00	0.00	0.00	11.00
60.	द्वितीय स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना का उन्नयन (चरण-2)	कर्नाटक	जर्मनी	ईयूआर	26.4.2004	14300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61.	स्वास्थ्य पद्धति विकास पहल	पश्चिम बंगाल	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	1.7.2005	97500.00	–	–	0.00	14500.00
62.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अंतरिम सहायता	उड़ीसा	यूनाइटेड किंगडम	जीबीपी	29.11.2002	1189.00	0.00	0.00	0.00	287.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	एचआईवी/एड्स हेतु भारत की तैयारी-3	केन्द्रीय क्षेत्र	आईडीए	यूएसडी	31.5.2005	861.00	-	-	0.00	150.00
64.	लिंग समानता को बढ़ावा	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनडीपी	यूएसडी	30.6.2004	600.00	-	0.00	0.00	0.00
65.	जनसंख्या विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.9.2003	70.00	0.00	0.00	0.00	24.00
66.	किशोर स्वास्थ्य एवं विकास हेतु सहायता	केन्द्रीय क्षेत्र	यूएनएफपीए	यूएसडी	1.2.2004	510.00	-	0.00	0.00	32.00

पेयजल परियोजनाएं

***314. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के संदर्भ में पेयजल की आपूर्ति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और "यूनीसेफ" ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए बनी परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो इनके द्वारा वित्तपोषित की जा रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनके कार्यान्वयन की तिथि क्या है; और

(ङ) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान नई दिल्ली ने जल आपूर्ति की व्यवस्था (कवरेज) के संबंध में मंत्रालय की ओर से देश में 301 श्रेणी-1 एवं 2 कस्बों/शहरों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार इन 301 कस्बों/शहरों की औसतन 94% आबादी के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था है। तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों से समय-समय पर एकत्र की गई सूचना के अनुसार 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार लगभग 89% शहरी आबादी के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था है। जल आपूर्ति की राज्यवार व्यवस्था (कवरेज) संलग्न विवरण-I में दी गई है। "कवरेज" शब्द का अभिप्राय केवल सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की सुलभता से है। जिस आबादी के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था, यह उस आबादी को मिलने वाली जल आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता, अवधि या तरीके को नहीं दर्शाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण जल आपूर्ति से संबंधित है, ने यह सूचित किया है कि जल आपूर्ति की व्यवस्था के संदर्भ में बसाव सर्वेक्षण करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से वर्ष 2003 में अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सर्वेक्षण के परिणामों की भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा पुष्टि की जा रही है।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक देश के शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करता रहा है। विश्व बैंक सहायता से पूर्ण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है तथा चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

यूनिसेफ ने यह सूचित किया है कि वह ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र में मुख्य स्टेकहोल्डरों की क्षमताओं सुदृढ़ करने तथा को सुधार कार्यक्रमों (स्वजलधारा और पूर्ण सफाई अभियान) के कार्यान्वयन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 14 राज्यों में बाल पर्यावरण कार्यक्रम (सीईपी) के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए नोडल मंत्रालय है, ने यह सूचित किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय सहायता से शहरी क्षेत्रों में कोई जल आपूर्ति परियोजना नहीं चल रही है।

विवरण I

भारत में शहरी जल आपूर्ति की स्थिति

31.2.2000 की स्थिति के अनुसार जल आपूर्ति सुविधा प्राप्त आबादी का राज्य-वार ब्यौरा

(आबादी हजार में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित आबादी	*निम्न के माध्यम से जल आपूर्ति मुहैया करायी गयी आबादी			
			एच.एस.सी.	पी.एस.पी.	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश-पीएचईडी	15738	6767	4008	10775	68
	आंध्र प्रदेश-एचएमडब्ल्यूएसएसबी	3500	2640	500	3140	90
	आंध्र प्रदेश-कुल	19238	9407	4508	13915	72
2.	अरूणाचल प्रदेश	231	117	25	142	61
3.	असम	3100	600	200	800	26
4.	बिहार **	11892	4187	5327	9514	80
5.	दिल्ली	13300	9560	3740	13300	100
6.	गोवा	557	439	118	557	100
7.	गुजरात**	16810	13227	3307	16534	98
8.	हरियाणा	3705	2108	402	2510	68
9.	हिमाचल प्रदेश	596	509	87	596	100
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1378	1240	50	1290	98
11.	कर्नाटक यूडब्ल्यूएसएंडडीबी	11000	5720	2420	8140	74
	कर्नाटक बीडब्ल्यूएसएसबी	5750	3525	1175	4700	82
	कर्नाटक कुल	16750	9245	3595	12840	77
12.	केरल	7680	3260	2764	6024	78
13.	मध्य प्रदेश	25000	16200	8800	25000	100
14.	महाराष्ट्र-एमजेपी					
	महाराष्ट्र-बीएमसी					
	महाराष्ट्र-कुल **	34309	23744	10176	33920	99
15.	मणिपुर	969	481	176	657	68
16.	मेघालय	457	221	201	422	92

1	2	3	4	5	6	7
17.	मिजोरम	258	63	30	93	36
18.	नागालैण्ड	296	232	0	232	78
19.	उड़ीसा	4877	859	2221	3080	63
20.	पंजाब	8496	5212	317	5529	65
21.	राजस्थान	12897	10318	2579	12897	100
22.	सिक्किम	156	137	8	145	93
23.	तमिलनाडु-टीडब्ल्यूएडीबी	19515	8107	8734	16841	86
	तमिलनाडु-सीएमडब्ल्यूएसएसबी	6010	5729	117	5846	97
	तमिलनाडु-कुल	25525	13836	8851	22687	89
24.	त्रिपुरा	553	136	327	463	84
25.	उत्तर प्रदेश	33000	16100	16500	32600	99
26.	पश्चिम बंगाल-सीएमडीए					
	पश्चिम-बंगाल-पीएईडी					
	पश्चिम बंगाल-कुल **	18495	6261	9505	15766	85
	कुल राज्य	260525	147699	83814	231513	89
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	109	98	9	107	98
2.	चंडीगढ़	762	610	152	762	100
3.	दादरा एवं नगर हवेली	15	9	5	14	93
4.	दमन एवं द्वीव	47	6	1	7	15
5.	लक्षद्वीप	30	0	20	20	67
6.	पांडिचेरी	678	598	80	678	100
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1641	1321	267	1588	97
	कुल योग	262166	149020	84081	233101	89

टिप्पणी:

एच एस पी-हाउस सर्विस कनेक्शन

पी एस पी-पब्लिक स्टैंड पोस्ट

*केवल सुलभता दर्शाता है। संभवतया कुछ शहरी क्षेत्रों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जल आपूर्ति की पर्याप्तता और समान वितरण नहीं है।

**दर्शाये गए आंकड़े 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार है, क्योंकि संबंधित राज्यों ने 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

-नवनिर्मित झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के संबंध में आंकड़े क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्य के रूप में शामिल किया गया है।

विवरण II

विश्व बैंक सहायता से पूर्ण जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लागत (करोड़ रु. में)	बाह्य सहायता (मिलियन अमेरिकी डालर)	पूर्ण करने का वर्ष
1.	मुंबई जल आपूर्ति और सफाई परियोजना फेज-1	185.00	55.00	1981
2.	महाराष्ट्र जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	86.00	48.00	1985
3.	पंजाब जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	67.00	38.00	1988
4.	उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	60.00	40.00	1983
5.	2 मुंबई जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	640.00	196.00	1988
6.	राजस्थान जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	137.76	80.00	1988
7.	गुजरात जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	207.33	72.00	1991
8.	तमिलनाडु जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	321.66	73.00	1994
9.	केरल जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	127.88	30.11	1994
10.	मद्रास जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	255.95	69.00	1996
11.	3 मुम्बई जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	915.00	145.00	1996
12.	गुजरात शहरी विकास परियोजना	208.00	62.00	1995
13.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना	463.86	150.00	1996
14.	हैदराबाद जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	337.80	81.90	1998
15.	2 चेन्नई जल आपूर्ति परियोजना	778.79	86.50	2004
16.	मुंबई सीवेज निपटान	131.57	192.00	2004

विवरण III

विश्व बैंक सहायता से चालू परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शुरू करने का वर्ष	एजेंसी का नाम	लागत (करोड़ रु.)	पूर्ण करने का संभावित वर्ष	परियोजना की वर्तमान स्थिति और घटक
	कर्नाटक					
1.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	2004	विश्व बैंक	237.04 (संशोधित)	2007	करार पर फरवरी, 2005 को हस्ताक्षर किए गए (अधिक मात्रा में जल आपूर्ति पर निवेश; प्रदर्शन परियोजनाएं, डिजायन, निर्माण, प्रचालन शुल्क; परियोजना कार्यान्वयन हेतु सहायता क्षेत्र विकास)

[हिन्दी]

'ब्लड बैंक'

***315. श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री मुन्शी राम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बड़े अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण 'ब्लड बैंकों' पर बढ़ते दबाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मरीजों के उपचार के लिए सरकारी 'ब्लड बैंकों' में विम्बाणुओं (प्लेटलेट्स) की कमी के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निजी ब्लड बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रक्त की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ब्लड बैंकों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) रक्त/रक्त घटक यूनिट की मांग करने वाले रोगियों की संख्या पर राज्य स्तर पर राज्य रक्ताधान परिषदों द्वारा निगरानी रखी जाती है। राज्य रक्ताधान परिषदों द्वारा दी गई आकलन रिपोर्ट में एकत्र की गई कुल रक्त यूनिटें, तैयार किए गए रक्त घटक और आपूर्ति की गई मात्रा शामिल है। वर्ष 2004-05 की मांग इस प्रकार है:

वर्ष	एकत्र की गई कुल रक्त यूनिटें	तैयार किए गए कुल रक्त उत्पाद	तैयार किए गए कुल प्लेटलेट्स
2004	4051554	1595837	266851
जनवरी-सितम्बर, 2005	2882850	1296236	220492

राज्य रक्ताधान परिषदों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित रक्त बैंक, रक्त और रक्त घटकों की पर्याप्त मात्रा एकत्र कर रहे हैं जिसमें विम्बाणु (प्लेटलेट्स) भी शामिल हैं। इसलिए रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण इन रक्त बैंकों पर कोई दबाव नहीं है। सरकारी रक्त बैंकों में चल रही रक्त घटक पृथककरण यूनिटें (बीसीएसयू) रोगियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विम्बाणु (प्लेटलेट्स) तैयार कर रही हैं।

सरकार को प्राइवेट रक्त बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे रक्त की गुणवत्ता के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने रक्त बैंकों के

चिकित्सा अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के कार्यक्रम अधिकारियों के लिए रक्ताधान सेवाओं के बारे में "गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रमों, स्वेच्छा से बिना पैसे लिए रक्तदान करने और रक्त के समुचित नैदानिक उपयोग पर" कार्यशालाएं आयोजित करके देश में रक्त बैंकों के मानकों में सुधार लाने के लिए पहल की है।

देश भर में 2177 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक हैं जिनमें से 855 रक्त बैंक सरकारी क्षेत्र में, 288 धर्मार्थ संगठनों के अधीन तथा शेष 1034 प्राइवेट क्षेत्र में हैं। रक्त की वार्षिक मांग लगभग 7 मिलियन यूनिट है जिसमें रक्त घटक भी शामिल है। ये रक्त बैंक देश में रक्त आपूर्ति की मांग को पूरा कर सकते हैं।

तथापि, सरकार कुछ समयावधि में देश के प्रत्येक जिले में एक रक्त बैंक स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर

***316. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने ऐसे कारकों की भी पहचान की है जो वृद्धि प्रक्रिया में बाधक हो सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं। दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिन कारकों से वृद्धि प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उनमें मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि क्षेत्र का निष्पादन, अवसंरचना अड़चनें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतें, अपर्याप्त निवेश मांग, कम सार्वजनिक निवेश और विश्व अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार शामिल हैं। दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दसवीं योजना के बाकी बचे वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 7 प्रतिशत से ऊपर वृद्धि दर प्राप्त करके देश में प्रति व्यक्ति आय के स्तर को ऊपर उठाने के कुछेक सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव विभिन्न क्षेत्रकों विशेषकर कृषि, अवसंरचना अर्थात् विद्युत, सड़कों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना, संसाधनों की आबंटनीय कुशलता में सुधार करना, निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से नीतिगत सुधारों का अधिनियमन करना, अभिशासन में सुधार करना और वितरण प्रणालियों की कुशलता को बढ़ाना आदि शामिल हैं। सुझाये गए उपायों के ब्यौरे दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में सूचीबद्ध किए गए हैं जिसे संसद ग्रंथागार में रख दिया गया है।

राज्यों को टीकों की आपूर्ति

***317. श्री राजेन गोहेन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों को हैपेटाइटिस-बी, एंटी रेबीज, एंटीडोट इत्यादि जैसे विभिन्न टीकों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का और चालू वर्ष में आज की तारीख तक का तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया है/किया जा रहा है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस प्रकार के टीकों की नियमित आधार पर आपूर्ति करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-सरकारों को वैक्सीनें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। ये वैक्सीनें हैं: बीसीजी (बेसीलस केलमेट-गुवेरिन), डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस टाक्साइड), पोलियो, खसरा, डीटी (डिप्थीरिया और टेटनस टाक्साइड), टीटी (टेटनस

टाक्साइड) और हेपेटाइटिस-बी (प्रयोगिक परियोजना क्षेत्रों में)। अन्य सभी वैक्सीनों/एंटी-सीरा की खरीद स्वयं राज्यों/संघ राज्य सरकारों द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार की जाती है।

भारत सरकार ऐसे 15 शहरों और 33 जिलों में ग्लोबल एलएंस फॉर वैक्सीन एण्ड एम्युनाइजेशन (जीएवीआई) की सहायता से हेपेटाइटिस-बी प्रायोगिक परियोजना चला रही है। इन स्थानों पर डीपीटी की तीसरी खुराक की कवरेज 80 प्रतिशत से अधिक है। हेपेटाइटिस-बी प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत वैक्सीनें और एडी सिरिंजें ग्लोबल एलाएंस फॉर वैक्सीन एण्ड इम्युनाइजेशन की सहायता से यूनीसेफ के माध्यम से सामग्री सहायता के रूप में प्राप्त की जा रही है। यह कार्यक्रम 10 जून, 2002 को आरम्भ किया गया था और वर्ष 2002-03 में 15 शहरों में और वर्ष 2003-04 में 33 जिलों में कार्यकलाप आरम्भ किए गए थे। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रायोगिक परियोजना असम के दो जिलों, अर्थात जोरहाट और शिवसागर में नवम्बर, 2003 से चलाई जा रही है।

पूर्वोत्तर के इन दो जिलों में वैक्सीनों की आपूर्ति (आरंभ से) नीचे दी है:

जिले का नाम	हेपेटाइटिस-बी की तीन खुराकों के टीके लगाए गए बच्चों (0-1) की संख्या तथा आपूर्ति की गई हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन की मात्रा					
	आपूर्ति	टीके लगाए गए बच्चों की संख्या 2003-04	आपूर्ति	टीके लगाए गए बच्चों की संख्या 2004-05	आपूर्ति	टीके लगाए गए बच्चों की संख्या 2005-06
जोरहाट	72600	7250	41900	52948	33000	27280
शिवसागर	66800	9471	47800	72711	45000	14056

[हिन्दी]

नेपाल में प्रवेश हेतु पहचान का प्रमाण

***318. योगी आदित्यनाथ:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल ने भारत से नेपाल जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहचान-पत्र अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे दोनों देशों के संबंधों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) भारत सरकार और नेपाल की शाही सरकार ने रूपैडीहा (जिला-बहराइच, उत्तर प्रदेश)-नेपालगंज जांच चौकियों के द्वारा होने वाले सीमा-पार आवागमन को विनियमित करने के लिए 1 नवम्बर, 2005 से एक पॉयलट परियोजना शुरू की है।

इस पॉयलट परियोजना के अनुसार इस जांच चौकी से सीमा पार करने वाले भारतीय और नेपाली नागरिकों के लिए भारत और नेपाल द्वारा आपस में सहमति के आधार पर निर्धारित दस्तावेजों में से कोई अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने और अवांछित व्यक्तियों की आवाजाही पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही को विनियमित करने पर सहमति हुई है क्योंकि इससे द्विपक्षीय संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

[अनुवाद]

स्पैक्ट्रम का आबंटन

***319. श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) ने वर्ष 2006 तक गारन्टेड स्पैक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी उपायों की सिफारिश की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त लक्ष्य को वर्ष 2006 तक प्राप्त करने के लिए नागरिकों के इस्तेमाल हेतु और अधिक स्पैक्ट्रम जारी करने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई अंतर्मंत्रालयी अधिकारियों का ग्रुप गठित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल सेवाओं की वृद्धि के लिए अन्य सिफारिशों के साथ अतिरिक्त स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। ट्राई के अनुमान के अनुसार, 2006 तक 1800 मैगाहर्ट्ज बैंड में खाली होने वाली स्पैक्ट्रम की मात्रा 2 × 25 मैगाहर्ट्ज तक होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं द्वारा स्पैक्ट्रम रिलीज करने संबंधी विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु एक परियोजना निश्चयन (डेफिनिशन) दल गठित किया है जिसमें रक्षा मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के अधिकारी शामिल हैं। अतिरिक्त स्पैक्ट्रम रिलीज करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण, परियोजना निश्चयन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जाएगा, जिसे 20 जनवरी, 2006 तक का समय दिया गया है।

विदेशी जेलों में बंदी भारतीय

*320. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों की जेलों में बड़ी संख्या में भारतीय बंदी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और उन्हें किन-किन तारीखों से बंदी बनाकर रखा गया है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि सऊदी जेलों में बहुत से भारतीय सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में बंद हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या वे 'दिया' (ब्लड मनी) का भुगतान करने में असमर्थ हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन कैदियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न जेलों में सभी भारतीय कैदियों को शीघ्र रिहा करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) सरकार को उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में भेज दी जाएगी।

(च) विदेश स्थित भारतीय मिशन और केन्द्र विदेशी जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों की शीघ्र रिहाई करवाने और सहायता प्रदान करने, जिसमें शीघ्र मुकदमा चलाने, सजा में माफी दिलवाने, नजरबन्द और कैद व्यक्तियों को कोंसुली पहुंच देने, कानूनी और अन्य मामलों में परामर्श/दिशानिर्देश प्रदान करने, कैदियों के भारत स्थित रिश्तेदारों के साथ पारस्परिक कार्यकलाप, जेलों में उचित तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करवाने और रिहा होने के पश्चात भारत में प्रत्यावर्त्तन की सुविधा प्रदान करने के सभी संभव प्रयत्न करते हैं। अधिसंख्यक भारतीय कामगारों वाले देशों (उदाहरणस्वरूप खाड़ी) में भारतीय राष्ट्रिकों के कार्य को देखने के लिए अलग से स्कन्ध बनाए गए हैं। इन स्कन्धों के अधिकारी नियमित रूप से स्थानीय जेलों का दौरा यह देखने के लिए करते हैं कि क्या वहां कोई भारतीय राष्ट्रिक बन्दी है और उसे अनुज्ञेय सहायता दी जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	देश	विदेशी जेलों में बन्द भारतीयों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	शून्य
2.	अल्जीरिया	शून्य
3.	अर्जन्टीना	उ.न.
4.	अर्मेनिया	उ.न.
5.	आस्ट्रेलिया	35
6.	आस्ट्रिया	उ.न.
7.	अजरबैजान	उ.न.
8.	बहरीन	उ.न.
9.	बंगलादेश	893
10.	बेल्जियम	1

1	2	3
11.	बेलीज	उ.न.
12.	भूटान	उ.न.
13.	बोलिविया	उ.न.
14.	बोत्सवाना	उ.न.
15.	ब्राजील	शून्य
16.	ब्रुनई	उ.न.
17.	बुल्गारिया	शून्य
18.	बुर्किना फासो	उ.न.
19.	कम्बोडिया	1
20.	कनाडा	उ.न.
21.	मध्य अफ्रीका गणराज्य	उ.न.
22.	चिली	उ.न.
23.	चीन	उ.न.
24.	कोलम्बिया	उ.न.
25.	कोमरोस	उ.न.
26.	कोत द आइवर	उ.न.
27.	क्रोएशिया	उ.न.
28.	क्यूबा	उ.न.
29.	साइप्रस	1
30.	चैक गणराज्य	उ.न.
31.	डेनमार्क	उ.न.
32.	जिबूती	उ.न.
33.	अल सल्वाडोर	उ.न.
34.	इथोपिया	उ.न.
35.	फिजी	शून्य
36.	फिनलैण्ड	शून्य
37.	फ्रांस	1
38.	जर्मनी	शून्य

1	2	3
39.	घाना	उ.न.
40.	यूनान	उ.न.
41.	ग्वाटेमाला	उ.न.
42.	गिनी	उ.न.
43.	गायाना	उ.न.
44.	होडुरस	उ.न.
45.	हांगकांग	उ.न.
46.	हंगरी	1
47.	इंडोनेशिया	उ.न.
48.	ईरान	7
49.	आयरलैण्ड	1
50.	इजरायल	उ.न.
51.	इटली	51
52.	आइवरी कोस्ट	शून्य
53.	जमाइका	उ.न.
54.	जापान	उ.न.
55.	जार्डन	उ.न.
56.	कजाकिस्तान	शून्य
57.	कुवैत	73
58.	लाओस	शून्य
59.	लात्विया	उ.न.
60.	लेबनान	70
61.	लाइबेरिया	उ.न.
62.	लीबिया	उ.न.
63.	मैकडोनिया	उ.न.
64.	मैडागास्कर	उ.न.
65.	मलेशिया	उ.न.
66.	मालदीव	उ.न.

1	2	3
67.	मारीशस	21
68.	मैक्सिको	उ.न.
69.	मंगोलिया	शून्य
70.	मोरक्को	4
71.	मोजाम्बीक	2
72.	म्यामा	50
73.	नामीबिया	शून्य
74.	नीदरलैण्ड	शून्य
75.	न्यूजीलैण्ड	उ.न.
76.	निकारागुआ	उ.न.
77.	नाइजर	उ.न.
78.	नार्वे	2
79.	ओमान	72
80.	पाकिस्तान	365
81.	पनामा	2
82.	पपुआ न्यू गिनी	उ.न.
83.	पेरू	उ.न.
84.	फिलीपीन्स	27
85.	पोलैन्ड	6
86.	पुर्तगाल	उ.न.
87.	कतर	उ.न.
88.	रूसी परिसंघ	2
89.	सऊदी अरब	1444
90.	सेनेगल	1
91.	सर्विया एन्ड मोन्तेनेर्गो	उ.न.
92.	सेशेल्स	उ.न.
93.	सिअरा लियोन	उ.न.
94.	सिंगापुर	580
95.	स्लोवाक गणराज्य	उ.न.
96.	सोलोमन द्वीप	उ.न.
97.	दक्षिण अफ्रीका	3
98.	श्रीलंका	58
99.	सूडान	शून्य
100.	सूरीनाम	शून्य
101.	स्वाजीलैण्ड	उ.न.
102.	स्वीडन	शून्य
103.	स्विट्जरलैण्ड	शून्य
104.	सीरिया	शून्य
105.	ताजिकिस्तान	1
106.	तंजानिया	उ.न.
107.	थाइलैण्ड	उ.न.
108.	टोगो	उ.न.
109.	टयूनेशिया	उ.न.
110.	तुर्की	शून्य
111.	तुर्कमेनिस्तान	शून्य
112.	संयुक्त अरब अमीरात	937
113.	यू. के.	उ.न.
114.	सं. रा. अमरीका	199
115.	उगान्डा	उ.न.
116.	उक्रेन	1
117.	उजबेकिस्तान	1
118.	वानुआतु	उ.न.
119.	वियतनाम	उ.न.
120.	यमन	शून्य
121.	जाम्बिया	शून्य
122.	जिम्बावे	शून्य
	कुल	4913

उ.न.-का अभिप्राय है "सूचना उपलब्ध नहीं है"।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का सेवन

***321. श्री रशीद मसूद: क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) मां-बाप, प्रशिक्षकों के बढ़ते दबाव से और सफलता तथा सम्मान हासिल करने की उनकी व्यक्तिगत इच्छा से, अनुचित प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, खिलाड़ी प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों के प्रयोग के लिए लालायित होते हैं। यह विश्वव्यापी प्रक्रिया है। भारत में, कुछ खेल विधाओं जैसे भारोत्तोलन और एथलेटिक्स में यह हाल ही में देखने को मिला है।

(ग) खेलों में डोपिंग नियंत्रण के लिए एक बहुआयामी उपाय की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के माध्यम से मंत्रालय सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(1) राष्ट्रीय शिविरों के दौरान कोचों के मार्फत खिलाड़ियों को प्रतिबंधित मादक द्रव्यों और उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना और परामर्श देना।

(2) खेल वैज्ञानिकों, डाक्टरों और खेल विशेषज्ञों के माध्यम से शिविरों के दौरान लेक्चर कराना।

(3) प्रतिबंधित मादक द्रव्यों की सूची और शिविरवासियों के कमरों में खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिए प्लेकार्ड का प्रदर्शन।

(4) खिलाड़ियों के कमरों तथा उनके सामान की नियमित जांच।

(5) प्रशिक्षण शिविर के दौरान खिलाड़ियों के मूत्र नमूनों की यादृच्छिक जांच।

(6) खिलाड़ियों, कोचों, खेल अधिकारियों तथा डाक्टरों आदि के बीच प्रतिबंधित द्रव्यों और तरीकों के साथ-साथ प्रतिबंधित मादक द्रव्यों वाली औषधियों के भारतीय ट्रेड नामों के बारे में सूचना देने और जागरूकता फैलाने के लिए क्रमश: ''ड्रग्स इन स्पोर्टस-डाइरेक्टरी'' तथा ''ड्रग एजुकेशन हैण्डबुक-ऑन-ड्रग एब्यूस-इन-स्पोर्टस'' नामक दो पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं।

इसके अलावा, भारत ने डोप विरोधी कोपेनहेगन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तथा डोप विरोधी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी (नाडा) को हाल ही में पंजीकृत किया है। सरकार ने आधुनिक डोप नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की है। प्रयोगशाला का उन्नयन सतत् प्रक्रिया के एक भाग के रूप में लिया गया है।

[अनुवाद]

दूरसंचार परामर्शदात्री समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यगण

3090. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार परामर्शदात्री समिति (टी.ए.सी.) के सदस्य की नियुक्ति हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक संसद सदस्य की सिफारिश पर दूरसंचार परामर्शदात्री समिति में कितने सदस्यगणों का नाम-निर्देशन किया गया है;

(ग) सदस्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा इस मंत्रालय के पास टी ए सी से संबंधित संसद सदस्यों के कितने पत्र अग्रेषित किए गए हैं; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दूरभाष परामर्शदात्री समितियों (टीएसी) का गठन गौण स्विचन क्षेत्र-वार किया जाता है तथा दूरभाष परामर्शदात्री समिति में सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित मानदण्डों को पालन किया जाता है:

* दूरभाष परामर्शदात्री समिति के सदस्य समाज के सभी वर्गों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेस, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसायों इत्यादि से लिए जाते हैं।

* प्रत्येक संसद सदस्य दूरभाष परामर्शदात्री समिति में नामांकन हेतु विचार किए जाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की सिफारिश कर सकते हैं।

* माननीय संसद सदस्य अपने निर्वाचलन क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते, उनके क्षेत्र से संबंधित केवल एक दूरभाष परामर्शदात्री समिति के सदस्य होंगे। राज्य सभा के नामित संसद सदस्यों के मामले में, उन्हें उनके अंगीकृत निर्वाचन क्षेत्र (संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अंगीकृत निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में) के अंतर्गत आने वाली दूरभाष परामर्शदात्री समिति में नामित किए जा सकते हैं।

* तथापि, जो माननीय संसद सदस्य मंत्री बन गए हैं उन्हें दूरभाष परामर्शदात्री समिति में नामित नहीं किया जाएगा/ उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

* नियुक्ति के समय, इस बात को सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं कि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलें।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों की सिफारिश पर दूरभाष परामर्शदात्री समिति हेतु नामित सदस्यों की संख्या की संसद सदस्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) दूरभाष परामर्शदात्री समिति हेतु नामांकन के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अग्रेषित दो माननीय संसद सदस्यों (लोक सभा) से पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

8.12.2005 की स्थिति के अनुसार, माननीय संसद सदस्यों (लोक सभा) द्वारा दूरभाष परामर्शदात्री समिति के लिए जिन सदस्यों की सिफारिश की गई है उनकी राज्य वार संख्या

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	माननीय संसद सदस्य की सिफारिश पर नामांकित सदस्यों की संख्या
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	श्री टी. मधुसूदन रेड्डी	5
2.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	5
3.	श्री पल्लाला चलापथिराव	5
4.	श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डी	5
5.	श्रीमती डग्गूबती पुरन्देश्वरी	3
6.	डा. बाबू राव मेदियाम	5
7.	श्री के.पी. नायडु	5
8.	श्री डी.के. औडिकेशवुलू	5
9.	श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	5
10.	श्री कावूरू सम्बाशिवा राव	3
11.	श्री सम्बाशिवा रायपत्ती राव	5
12.	श्री विनोद कुमार बोयनापल्ली	0
13.	श्री जी. निजामुद्दीन	5
14.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	1
15.	श्री मल्लीपुडी राजू पल्लम मंगपती	15
16.	श्री कल्वा कुंटला चन्द्रशेखर राव	7
17.	श्रीमती रेणुका चौधरी	5
18.	श्री के. जयासूर्या प्रकाश रेड्डी	9
19.	श्री रामकृष्ण बडीगा	5
20.	श्री देवराकोडा विठ्ठल राव	5
21.	श्री अले नरेन्द्र	17
22.	श्री जयपाल सुदीनी रेड्डी	0
23.	डा. एम. जगन्नाथ	4
24.	श्री सुरावरम सुधाकर रेड्डी	5
25.	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	1
26.	श्री चेगौंडी वेंकट हरिराम जोगैय्या	5
27.	श्री मेकापती राजमोहन रेड्डी	4
28.	श्रीमती लक्ष्मी पानाबाका	8
29.	श्री मधु गौड यास्की	2
30.	श्री मांगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी	20

1	2	3
31.	श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	5
32.	श्री जी. वेंकटस्वामी	5
33.	श्री अरुण कुमार वंडावल्ली	6
34.	श्री साई प्रताप अन्नायगरी	5
35.	श्री एम. अंजान कुमार यादव	5
36.	श्री सत्यनारायण सार्वे	5
37.	श्री किनीजारापु येरेननायडु	15
38.	श्री बालाशौरी वल्लाभनेनी	5
39.	श्री चिंतमोहन	0
40.	श्री राजगोपाल लगाडपती	5
41.	श्री नेडुरूमल्ली जनार्धन रेड्डी	12
42.	श्री रविन्द्र नायक धरावठ	5
	अरुणाचल प्रदेश	
1.	श्री तपिर गावो	5
2.	श्री किरेन रिजीजू	5
	असम	
1.	श्री बिरेन सिंह एंगटी	5
2.	श्री ए.एफ. गोलाम असमानी	0
3.	श्री अनवर हुसैन	4
4.	श्री सरबनन्दा सोनोवाल	5
5.	श्री किरीप चेलिहा	5
6.	श्री विजय कृष्ण हांडिक	0
7.	श्री दीप गोगोई	0
8.	श्री ललित मोहन शुक्लाबैद्य	5
9.	श्री संसुमा खुंगुर विश्वमुतियारी	5
10.	डा. अरुण कुमार शर्मा	5
11.	श्री नारायण चन्द्र बोरकाटकी	5
12.	श्री राजेन गोहाई	5
13.	श्री संतोष मोहन देव	29
14.	श्री मोनी कुमार सुब्बा	5
	बिहार	
1.	श्री सुखदेव पासवान	5
2.	श्रीमती कांति सिंह	5
3.	श्री निखिल कुमार	5
4.	श्री कैलाश बैठा	5
5.	श्री सुरज सिंह	5
6.	श्री गिरीधारी यादव	5
7.	श्री विजय कृष्ण	5
8.	श्री राजीव रंजन सिंह (ललन)	5
9.	श्री रघुनाथ झा	5
10.	श्री सुशील कुमार मोदी	2
11.	श्री अजीत कुमार सिंह	5
12.	श्री लालमनी चौबे	4
13.	श्री लालू प्रसाद	0
14.	श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	5
15.	श्री राजेश कुमार मांझी	4
16.	श्री अनीरुद्ध प्रसाद यादव (साधू)	5
17.	श्री राम विलास पासवान	107
18.	श्री गणेश प्रसाद सिंह	5
19.	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	5
20.	श्री निखिल कुमार चौधरी	5
21.	श्री रबीन्द्र कुमार राणा	5
22.	श्री तसलिमुद्दीन	5
23.	श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)	0
24.	डा. शकील अहमद	2
25.	श्री प्रभुनाथ सिंह	5

1	2	3
26.	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	5
27.	श्री अखिलेश प्रसाद सिंह	0
28.	श्री जार्ज फर्नांडीस	0
29.	श्री नीतीश कुमार	5
30.	श्री वीरचंद्र पासवान	5
31.	श्री राम कृपाल यादव	5
32.	श्री उदय सिंह	0
33.	श्री रामचंद्र पासवान	5
34.	श्रीमती रंजीत रंजन	1
35.	श्री आलोक कुमार मेहता	6
36.	श्रीमती मीरा कुमार	2
37.	श्री सीताराम सिंह	1
38.	श्री सीताराम यादव	10
39.	डा. मोहम्मद शहाबुद्दीन	5
40.	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	5
	छत्तीसगढ़	
1.	श्री बलीराम कश्यप	0
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	5
3.	श्री ताराचंद साहू	5
4.	श्रीमती करूणा शुक्ला	5
5.	श्री सोहन पोटाई	5
6.	श्री अजीत जोगी	5
7.	श्री विष्णु देव साई	0
8.	श्री रमेश बैश	5
9.	श्री प्रदीप गांधी	5
10.	श्री गुहाराम अजगल्ले	4
11.	श्री नंद कुमार साई	5
	हरियाणा	
1.	कुमारी शालजा	5
2.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3
3.	श्री अवतार सिंह भडाना	5
4.	श्री जय प्रकाश	5
5.	डा. अरविन्द कुमार शर्मा	5
6.	श्री नवीन जिंदल	5
7.	श्री इंदरजीत सिंह राव	5
8.	श्री आत्मा सिंह गिल	5
9.	श्री किशन सिंह सांगवान	5
	हिमाचल प्रदेश	
1.	श्री सुरेश चंदेल	5
2.	प्रो. चंदर कुमार	5
3.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	5
4.	डा. (कर्नल) धनी राम शांदिल	5
	गुजरात	
1.	श्री हरिन पाठक	9
2.	श्री विरजीभाई ठुम्मर	5
3.	श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी	5
4.	श्री हरिसिंह प्रतापसिंह चावड़ा	5
5.	श्रीमती जयाबेहन बी. ठक्कर	5
6.	श्री राजेन्द्र सिंह घनश्यामसिंह राणा (राजू राणा)	5
7.	श्री मनसुखभाई डी. वासवा	5
8.	श्री किसनभाई वेस्ताभाई पटेल	5
9.	श्री नारायणभाई जे. राठवा	5
10.	श्री रतिलाल कालिदास वर्मा	5
11.	श्री बाबूभाई खीमाभाई कटारा	5

1	2	3
12.	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	5
13.	श्री भूपेंद्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी	5
14.	श्री अमीर विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	5
15.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	5
16.	श्री दिनेश जे. पटेल	5
17.	श्री शंकर सिंह वघेला	5
18.	श्री पुष्पदान शम्भुदान गढ़वी	5
19.	डा. तुषार अमरसिंह चौधरी	5
20.	श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल	5
21.	श्री महेश कुमार कनोडिया	5
22.	श्री हरिलाल माधवीजी भाई पटेल	5
23.	डा. वल्लभभाई कथीरिया	5
24.	श्री मधुसूदन देवराम मिस्त्री	5
25.	श्री काशी राम राणा	5
26.	श्री सोमाभाई गंडेलाल कोली पाटिल	5
	गोवा	
1.	श्री चर्चील अलीमाऊ	5
2.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	5
	झारखण्ड	
1.	श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	16
2.	श्री चन्द्र शेखर दूबे	12
3.	श्री शिबू सोरेन	4
4.	श्री टेक लाल महतो	5
5.	श्री फुरकान अंसारी	5
6.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद महतो	5
7.	श्री सुनिल कुमार महतो	5
8.	श्रीमती सुशीला केरकेता	7
9.	श्री बाबूलाल मरांडी	5
10.	डा. रामेश्वर ओराओन	5
11.	श्री मनोज कुमार	5
12.	श्री हेमलाल मुर्मू	5
13.	श्री सुबोध कांत सहाय	25
14.	श्री बागुन सुम्बरूई	10
	जम्मू और कश्मीर	
1.	सुश्री महबूब मुफ्ती	5
2.	श्री अब्दुल रशीद शहीन	5
3.	श्री मदन लाल शर्मा	5
4.	श्री थुपस्तान देवांग	5
5.	श्री उमर अबदुल्ला	0
6.	चौधरी लाल सिंह	5
	कर्नाटक	
1.	श्री पी.सी. गद्दीगौदार	5
2.	श्री एच.टी. सांगलियाना	5
3.	श्री अनंत कुमार	0
4.	श्री सुरेश चनबसप्पा अंगड़ि	5
5.	श्री करूणाकर जी. रेड्डी	5
6.	श्री नरसिंग हुल्ला सूर्यवंशी	0
7.	श्री बसनगुड्डा पाटिल	5
8.	श्री एम. शिवन्ना	5
9.	श्री आर.एल. जालप्पा	5
10.	श्री रमेश चन्दप्पा जीगाजिनजी	5
11.	श्री डी.सी. श्रीकांताप्पा	5
12.	श्री एन.वाई. हनुमंतप्पा	5
13.	श्री गोदार मल्लिकार्जुनप्पा सिद्देश्वर	5
14.	श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी	5
15.	श्री कुन्नुर मंजुनाथ चन्नप्पा	5

1	2	3
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	5
17.	श्री एच.डी. देवगौड़ा	0
18.	डा. (श्रीमती) तेजस्विनी सीरामेश	5
19.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	5
20.	श्री के.एच. मुनियप्पा	5
21.	श्री विरूपक्षप्पा	5
22.	श्री एम.एच. अम्बरीश	5
23.	श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा	5
24.	श्री सी.एच. विजयशंकर	5
25.	श्री ए वेंकटेश नायक	5
26.	श्री एस. बंगरप्पा	5
27.	श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	5
28.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	5
	केरल	
1.	श्री चेगरा सुरेन्द्रन	5
2.	श्री के.एस. मनोज	5
3.	श्रीमती पी. सतीदेवी	5
4.	श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार	5
5.	श्री ए.पी. अब्दुलाकुट्टी	5
6.	श्री वरकला राधाकृष्णन	0
7.	डा. सेबस्टियन पॉल	0
8.	श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज	5
9.	श्री पी. करूणाकरन	5
10.	श्री सुरेश कुरूप	5
11.	श्री टी.के. हामजा	5
12.	श्रीमती सी.एस. सुजाता	0
13.	श्री लोनप्पन नाम्बडान	5
14.	श्री पी.सी. थॉमस	5
15.	श्री अजय कुमार	5
16.	श्री एन.एन. कृष्णदास	5
17.	श्री ई. अहमद	21
18.	श्री पी. राजेद्रन	5
19.	श्री सी.के.पी. चंद्रप्पन	5
	मध्य प्रदेश	
1.	श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन	0
2.	श्री विजय कुमार खंडेलवाल	5
3.	डा. रामलखन सिंह	5
4.	श्री कैलाश जोशी	0
5.	श्री कमल नाथ	87
6.	श्री चन्द्रभान भैया सिंह	5
7.	श्री छत्तर सिंह दरबार	0
8.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	83
9.	श्री रामसेवक सिंह (बाबूजी)	5
10.	श्री सरताज सिंह छत्तवाल	5
11.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	5
12.	श्री राकेश सिंह	5
13.	श्री कांतिलाल भूरिया	30
14.	डा. रामकृष्णा कुस्मारिया	6
15.	श्री नंद कुमार सिंह चौहान	5
16.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे	5
17.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	5
18.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डे	5
19.	श्री अशोक अर्गल	5
20.	श्री लक्ष्मण सिंह	5
21.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	5
22.	श्री विरेन्द्र कुमार	5

1	2	3
23.	श्री गणेश सिंह	5
24.	श्रीमती नीता पटैरिया	5
25.	श्री दलपत सिंह परस्ते	0
26.	श्री थावर चन्द्र गेहलोत	5
27.	बाबा साहेब चन्द्र प्रताप सिंह	5
28.	डा. सत्यनारायण जटिया	4
29.	श्री शिवराज सिंह चौहान	5
	महाराष्ट्र	
1.	श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	5
2.	श्री संजय शामराव धेत्रे	5
3.	श्री अन्तराव गुधे	5
4.	श्री चन्द्रकांत भोराव खैरे	5
5.	श्री शरदचन्द्रा गोविंदराव पवार	5
6.	श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील	5
7.	श्री शिशुपाल नत्थु पाटले	5
8.	श्री आनंद राव विठोबा अडसूल	5
9.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	5
10.	श्री महादेवराव शिवनकर	5
11.	श्री दमु बारकू शिंगडा	5
12.	श्री बापू हरी चौरे	5
13.	श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटील	5
14.	श्रीमती सूर्याकांता पाटील	10
15.	श्रीमती निवेदिता माने	5
16.	श्री वाई.जी. महाजन	5
17.	श्री रावसाहेब पाटील दानवे	5
18.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	5
19.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील	5
20.	श्री सदाशिवराव ददोबा मण्डलीक	5

1	2	3
21.	श्री बालासाहेब विखे पाटील	5
22.	श्री अब्दुल रहमान अंतुले	5
23.	श्रीमती रूपाताई दिलीपराव निलागेंकर पाटील	5
24.	श्री हरीशचन्द्रा देवराम चवान	5
25.	श्री गोविंदा अरूण अहुजा	1
26.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	5
27.	श्री गुरूदास कामत	5
28.	श्री मिलिंद मुरली देवरा	5
29.	श्री मोहन रवाले	5
30.	श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवर	13
31.	श्री दिगबंर बापूजी पाटील	5
32.	श्री मानिकराव होडल्या गावीत	5
33.	श्री देवीदास आनंदराव पिंगले	5
34.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	5
35.	श्री रामदास आठवले	5
36.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	5
37.	श्री सुरेश कलमाडी	0
38.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	6
39.	श्री सुबोध मोहिते	5
40.	श्री अनंत गंगाराम गीते	5
41.	श्री प्रकाश वी. पाटील	5
42.	श्री लक्ष्मण राव पांडुरंग पाटील	5
43.	श्री सुभाष सुरेशचन्द्रा देशमुख	5
44.	श्री प्रकाश विश्वनाथ परंजपे	5
45.	श्री सुरेश गणपतराव वागमरे	5
46.	श्रीमती भावना पुंडलिकराम गावली	5
47.	श्री हरीसिंह नसारू राठोड	5
48.	स्वर्गीय श्री सुनील दत्त	5

1	2	3
	मणिपुर	
1.	डा. थोकचोम मैनया	5
2.	श्री मनी चरेनामाई	5
	मेघालय	
1.	श्री पत्य रिप्पले क्यंदीह	5
2.	श्री पी.ए. संगमा	6
	मिजोरम	
1.	श्री बनलाजव्मा	5
	नागालैण्ड	
1.	श्री डब्ल्यू.वंगयुह कोनयक	5
	उड़ीसा	
1.	श्री हरीहर स्वेन	5
2.	श्री एम.ए. खराबेला स्वेन	3
3.	श्री चन्द्रशेखर साहु	5
4.	श्री अर्जुन चरन सेठी	5
5.	डा. (प्रो.) प्रसन्न कुमार पाटसाणी	5
6.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	0
7.	श्री भर्तृहरी महताब	5
8.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	5
9.	श्री तथागत सत्पथी	5
10.	श्री ब्रहमानंद पाण्डा	5
11.	श्री मोहन जेना	2
12.	श्री विक्रम केशरी देव	5
13.	श्रीमती अर्चना नायक	5
14.	श्री अनन्त नायक	5
15.	श्री गिरीधर गमांग	5
16.	श्री सुदम मरंदी	0
17.	श्री परशुराम माझी	6
18.	श्री सुग्रीव सिंह	5
19.	श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	5
20.	श्री प्रसन्न आचार्य	5
21.	श्री जुएल ओराम	0
	पंजाब	
1.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	5
2.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	5
3.	श्री सुखबीर सिंह बादल	4
4.	सरदार जोरा सिंह मान	5
5.	श्री विनोद खन्ना	5
6.	श्री अविनाश राय खन्ना	5
7.	श्री गुरजीत सिंह राणा	0
8.	श्री सरनजीत सिंह ढिल्लो	5
9.	श्रीमती परनीत कौर	5
10.	श्री चरनचीत सिंह अटवाल	2
11.	श्री सुखदेव सिंह लिब्रा	5
12.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	0
13.	डा. रतन सिंह अजनाला	5
	राजस्थान	
1.	प्रो. रासा सिंह रावत	5
2.	डा. करण सिंह यादव	5
3.	श्री धन सिंह रावत	5
4.	श्री मानवेन्द्र सिंह	5
5.	श्री रामस्वरूप कोली	0
6.	श्री विश्वेन्द्र सिंह	5
7.	श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	0
8.	श्री धर्मेन्द्र	5
9.	श्री श्रीचन्द्र कृपलानी	0

1	2	3
10.	श्री रामसिंह कासवान	5
11.	श्री सचिन पायलट	5
12.	श्री निहाल चन्द चौहान	0
13.	श्री गिरधारी लाल भार्गव	5
14.	श्रीमती सुशीला लक्ष्मण बंगारू	5
15.	श्री दुष्यंत सिंह	5
16.	श्री सीस राम ओला	5
17.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	5
18.	श्री रघुवीर सिंह कौशल	5
19.	श्री भंवर सिंह डांगवास	5
20.	श्री पुष्प जैन	0
21.	श्री महावीर भगोरा	5
22.	श्री नमो नारायन मीणा	5
23.	श्री सुभाष महारिया	5
24.	श्री कैलाश मेघवाल	5
25.	श्रीमती किरण महेश्वरी	5
	उत्तर प्रदेश	
1.	श्री राज बब्बर	5
2.	श्री शंखलाल माझी	5
3.	श्री बिजेन्द्र सिंह	5
4.	कुंवर रेवती रमन सिंह	5
5.	श्री राहुल गांधी	5
6.	श्री हरीश नागपाल	5
7.	श्री कुंवर सर्वराज सिंह	5
8.	श्री रमाकांत यादव	5
9.	श्री अजीत सिंह	5
10.	श्रीमती रूबब सैयदा	5
11.	श्री चन्द्र शेखर	5
12.	श्री बृज भूषण शरण सिंह	5
13.	श्री श्यामा चरण गुप्ता	5
14.	श्री महाबीर प्रसाद	5
15.	श्री कमला प्रसाद रावत	5
16.	श्री संतोष कुमार गंगवार	5
17.	श्री लाल मणि प्रसाद	5
18.	श्री मुंशीराम	5
19.	श्री राजा राम पाल	5
20.	श्री सलीम इकबाल शेरवनी	0
21.	श्री कल्याण सिंह	5
22.	श्री शैलेन्द्र कुमार	5
23.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	0
24.	श्री मोहन सिंह	5
25.	श्री मोहम्मद मुकीम	5
26.	डा. कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव	0
27.	श्री रघुराज सिंह शाक्य	5
28.	श्री मित्रसेन यादव	4
29.	श्री चन्द्र भूषण सिंह	5
30.	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	5
31.	श्री रामजी लाल सुमन	5
32.	श्री राधे श्याम कोरी	5
33.	श्री अफजल अंसारी	5
34.	श्री चन्द्र देव प्रसाद राजभर	5
35.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	5
36.	श्री आदित्य नाथ	5
37.	श्री राजनारायन बुधौलिया	5
38.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गोयल	0
39.	श्रीमती उषा वर्मा	5

1	2	3
40.	श्री किशन लाल दिलेर	5
41.	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	5
42.	प्रो. एस.पी. सिंह बाघेल	0
43.	श्री पारसनाथ यादव	5
44.	श्री चन्द्र पाल सिंह यादव	5
45.	श्रीमती अनुराधा चौधरी	0
46.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	5
47.	श्री अखिलेश यादव	0
48.	श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	5
49.	श्री भाल चन्द्र यादव	5
50.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	0
51.	श्री अशोक कुमार प्रधान	0
52.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज	5
53.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	0
54.	श्री उमाकांत यादव	5
55.	श्री पंकज चौधरी	5
56.	श्री धर्मेन्द्र यादव	0
57.	श्री मानवेन्द्र सिंह	5
58.	श्री मोहम्मद शाहिद	5
59.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	5
60.	श्री अशोक कुमार रावत	5
61.	श्री जय प्रकाश	5
62.	श्री शफीकुर रहमान बर्क	0
63.	श्री चौधरी मुनव्वर हसन	5
64.	श्री बालेश्वर यादव	5
65.	श्री अतीक अहमद	5
66.	श्रीमती मेनका गांधी	5
67.	श्री अक्षय प्रताप सिंह	5
68.	श्रीमती सोनिया गांधी	0
69.	श्रीमती पी. जया प्रदा नाहटा	3
70.	श्री लाल चन्द्र	4
71.	श्री रशीद मसूद	2
72.	श्री तुफानी सरोज	5
73.	श्री हरी केवल प्रसाद	5
74.	प्रो. राम गोपाल यादव	0
75.	श्री इलियास आजमी	5
76.	श्री जितीन प्रसाद	23
77.	श्री राजेश वर्मा	5
78.	श्री मोहम्मद ताहिर खान	5
79.	श्री बृजेश पाठक	5
80.	डा. राजेश कुमार मिश्रा	5
	सिक्किम	
1.	श्री नकुल दास राय	0
	तमिलनाडु	
1.	श्री रंगास्वामी वेलू	5
2.	श्री ए.के. मूर्ति	19
3.	श्री दयानिधि मारन	0
4.	श्री सी. कुप्पुसामी	7
5.	श्री टी.आर. बालु	0
6.	श्री ई. पुन्नुस्वामी	5
7.	श्री के. सुब्बारायन	5
8.	श्री कन्नूसामी वेंकटपति	0
9.	डा. रमण सेन्थिल	9
10.	श्री एन.एस.वी. चिट्ठन	7
11.	श्री ई.वी.के.एस. एलानगोवन	5
12.	श्री के.सी. पलानी सामी	10

1	2	3
13.	श्री इ.जी. सुगावनम	0
14.	श्री मोहन पुन्नुस्वामी	6
15.	श्री मणि शंकर अय्यर	5
16.	श्री ए.के.एस. विजयन	7
17.	श्री ए.वी. बेल्लारमीन	5
18.	श्री आर. प्रभु	6
19.	श्री सलारपट्टी कुप्पुस्वामी खारवेंथन	0
20.	श्री एंडीमुथु राजा	36
21.	श्री जे.एम. आरूण रशीद	5
22.	डा. सी. कृष्णन	5
23.	श्री सेवुगन रंगुपति	43
24.	श्रीमती एम.एस. भवानी राजेनधिरन	5
25.	श्रीमती के. रानी	7
26.	श्री के.वी. तंकबालू	20
27.	श्री पलानियप्पन चिदम्बरम	5
28.	श्री ए. रविचन्द्रन सिप्पिपराई	5
29.	श्री ए. कृष्णास्वामी	7
30.	श्री एम. अप्पादुरई	5
31.	श्री एस.एस. पलानिमणिकम	5
32.	डा. के. धनराज	5
33.	श्रीमती वी. राधिका सेल्वी	5
34.	श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	10
35.	श्री एल. गणेशन	1
36.	श्री धनुषकोडि अतिथन	11
37.	श्री दानापाल वेणुगोपाल	6
38.	श्री गिंजी एन. रामचन्द्रन	0
39.	श्री के.एम. कादर मोहिदीन	17

1	2	3
	त्रिपुरा	
1.	श्री बाजू बान रियान	0
2.	श्री खगेन दास	0
	उत्तरांचल	
1.	श्री बची सिंह रावत	5
2.	एवीएसएम मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडुरी	0
3.	श्री राजेन्द्र कुमार	5
4.	श्री के.सी. सिंह बाबा	5
5.	लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) महाराज मानवेन्द्र शाह	5
	पश्चिम बंगाल	
1.	श्री जोआचिम बक्सला	5
2.	श्री अनिल बसु	5
3.	श्री रानेन बर्मन	5
4.	श्री बासुदेव आचार्य	5
5.	श्री सुब्रत बोस	5
6.	श्री तरित बारान तोपदार	0
7.	श्री अजय चक्रवर्ती	5
8.	श्री अधीर रंजन चौधरी	5
9.	डा. राम चन्द्र चटर्जी	5
10.	श्री सोमनाथ चटर्जी	5
11.	श्री निखिलानन्द सर	5
12.	श्री मोहम्मद सलीम	0
13.	श्री सुधांशु सील	0
14.	कुमारी ममता बनर्जी	0
15.	श्री प्रशान्त प्रधान	5
16.	श्री हितेन बर्मन	5

1	2	3
17.	श्री दावा नरबुला	5
18.	श्री सलीम लाहिरी	5
19.	श्री अमित्व नन्दी	0
20.	श्री सुनील खान	5
21.	श्री रूपचन्द पाल	0
22.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	5
23.	डा. सुजान चक्रवर्ती	5
24.	श्रीमती मीनाती सेन	5
25.	श्री प्रणव मुखर्जी	11
26.	श्री रूपचन्द मुर्मू	10
27.	श्री सनत कुमार मंडल	5
28.	श्री महबूब जाहेदी	0
29.	श्रीमती ज्योतिर्मय सिकदर	5
30.	श्री ए.बी.ए. गनीखान चौधरी	5
31.	प्रो. बासुदेव बर्मन	5
32.	श्री प्रबोध पंडा	5
33.	श्री अब्दुल मन्नान हुसैन	5
34.	श्री अलकेश दास	0
35.	श्री गुरूदास दास गुप्ता	5
36.	श्री बीर सिंह महतो	5
37.	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	18
38.	श्री संतश्री चटर्जी	5
39.	श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ	5
40.	श्री हन्नान मोल्लाह	5
41.	श्रीमती सुष्मिता बसु	5
	अंडमान और निकोबार	
1.	श्री मनोरंजन भक्त	0
	चंडीगढ़	
1.	श्री पवन कुमार बंसल	10
	दादरा और नागर हवेली	
1.	श्री मोहनभाई देलकर	5
	दमन और दीव	
1.	श्री दह्या भाई वी. पटेल	0
	दिल्ली	
1.	श्री कपिल सिब्बल	9
2.	श्री जगदीश टाईटलर	0
3.	श्री संदीप दीक्षित	5
4.	श्रीमती कृष्णा तीरथ	7
5.	श्री अजय माकन	2
6.	श्री सज्जन कुमार	5
7.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	10
	लक्षद्वीप	
1.	डा. पी. पूकुन्ही कोया	5
	पांडिचेरी	
1.	प्रो. एम. रामदास	5
	मनोनीत सदस्य	
1.	श्री फ्रांसिस फैंटम	0
2.	श्रीमती इंग्रिड मैक्लोड	0
	आंध्र प्रदेश	
1.	श्री सुदर्शन अकरपु	0
2.	श्री राशिद अल्वी	0
3.	श्री एस.एम. लालजन बाशा	0
4.	श्रीमती एन.पी. दुर्गा	5
5.	श्री पेनुमल्ली मधु	5
6.	श्री नंदी येल्लैया	6

1	2	3
7.	डा. अलादी पी. राजकुमार	5
8.	श्री सी. रामाचन्द्रैया	5
9.	श्री जयराम रमेश	0
10.	डा. दसारी नारायण राव	5
11.	श्री के. राम मोहन राव	5
12.	श्री वी. हनुमंत राव	4
13.	श्री रावुला चंद्रशेखर	8
14.	डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	16
15.	श्री गिरीश कुमार संघी	5
16.	श्री जेसुदासु सीलम	0
17.	श्री रामा मुनी रेड्डी	5
18.	श्रीमती वंगा गीता	5
	अरुणाचल प्रदेश	
1.	श्री नाबम रेबिया	6
	असम	
1.	श्री करनेंदू भट्टाचार्य	6
2.	श्री इंद्रमणी बोरा	5
3.	श्री उरखाव गौड़ा ब्रह्मा	5
4.	श्री सिलवियस कोंडपन	5
5.	श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा	5
6.	डा. मनमोहन सिंह	0
7.	श्रीमती सईदा अनवारा तैमूर	5
	बिहार	
1.	प्रो. रामदेव भंडारी	5
2.	श्री आर.के. धवन	5
3.	डा. फगुनी राम	5
4.	श्री प्रेम चंद गुप्ता	5
5.	डा. महेंद्र प्रसाद	5

1	2	3
6.	श्री मंगनी लाल मंडल	5
7.	श्री जय नारायण प्रसाद निषाद	5
8.	श्री विद्या सागर निषाद	5
9.	श्री रवि शंकर प्रसाद	5
10.	श्री मोतिउर रहमान	5
11.	श्रीमती कुमकुम राय	5
12.	श्री वशिष्ठ नारायण सिंह	6
13.	श्री शत्रुघ्न सिंहा	5
14.	श्री शरद यादव	0
15.	श्री सुभाष प्रसाद यादव	5
16.	श्री विजय सिंह यादव	5
	छत्तीसगढ़	
1.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	1
2.	श्री रामाधार कश्यप	5
3.	श्रीमती मोहसिना किदवई	5
4.	श्रीमती कमला मनहर	5
5.	श्री मोतीलाल वोरा	5
	गोवा	
1.	श्री शांताराम लक्ष्मण नायक	0
	गुजरात	
1.	श्री लेखराज बचनी	5
2.	श्री जयंति लाल बरोत	5
3.	श्री अरूण जेटली	0
4.	श्री जना कृष्णमूर्ति के.	5
5.	प्रो. अल्का बलराम क्षत्रिय	5
6.	श्री ललित भाई मेहता	5
7.	श्री राज परमार	10
8.	डा. ए.के. पटेल	5

1	2	3
9.	श्री अहमद पटेल	142
10.	श्री केशुभाई एस. पटेल	5
11.	श्रीमती सविता शारदा	0
	हरियाणा	
1.	श्री अजय सिंह चौटाला	0
2.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	5
3.	श्री हरेन्द्र सिंह मलिक	6
4.	श्री फकीर चंद्र मुलाना	5
5.	श्री तरलोचन सिंह	0
	हिमाचल प्रदेश	
1.	श्री आनंद शर्मा	5
2.	श्री सुरेश भारद्वाज	5
3.	श्री कृपाल परमार	5
	जम्मू और कश्मीर	
1.	डा. फारूक अब्दुल्ला	4
2.	श्री गुलाम नबी आजाद	0
3.	श्री टी. एस. बाजवा	5
4.	प्रो. सैफुद्दीन सोज	0
	झारखंड	
1.	श्री एस.एस. अहलुवालिया	0
2.	श्री आर.के. आनंद	0
3.	श्री देवदास आप्टे	0
4.	श्री अजय मारू	4
5.	श्री दिग्विजय सिंह	0
6.	श्री यशवंत सिंहा	3
	कर्नाटक	
1.	श्रीमती प्रेमा करिअप्पा	5
2.	श्री ऑस्कर फर्नान्डिस	4
3.	श्री बी.के. हरिप्रसाद	5
4.	श्री के. रहमान खान	6
5.	डा. विजय माल्या	0
6.	श्री के. बी. कृष्णा मूर्ति	5
7.	श्री एम. राजशेखर मूर्ति	5
8.	श्री एम. वेन्कैय्या नायडू	5
9.	श्री जर्नादन पूजारी	5
10.	श्रीमती बिंबा रायकर	5
11.	श्री एम.वी. राजशेखरन	5
12.	डा. एम.ए.एम. रामास्वामी	0
	केरल	
1.	श्री अब्दुल वहाब पीवी	0
2.	श्री ए.के. एंटोनी	0
3.	प्रो. पी.जे. कूरियन	5
4.	श्री के. चन्द्रन पिल्लई	0
5.	श्री तेन्नाला जी. बालकृष्णा पिल्लई	5
6.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	5
7.	श्री व्यालर रवि	5
8.	श्री एम.पी. अब्दुस्समद समादानी	0
9.	श्री ए. विजयराघवन	10
	मध्य प्रदेश	
1.	मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी	3
2.	श्री हंसराज भारद्वाज	0
3.	श्री नारायण सिंह केसरी	5
4.	श्री प्यारेलाल खंडेलवाल	5
5.	श्री पी.के. महेश्वरी	5
6.	श्री सुरेश पचौरी	39
7.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	4

1	2	3
8.	श्री अर्जुन सिंह	78
9.	श्रीमती माया सिंह	5
10.	श्री सु. तिरूनवुक्करसर	5
11.	श्री विक्रम वर्मा	5
	महाराष्ट्र	
1.	डा. पी.सी. अलेक्जेंडर	1
2.	श्री बलवंत उर्फ बाल आप्टे	5
3.	श्री पृथ्वीराज चौहान	4
4.	श्री वसंत चौहान	0
5.	श्री विजय जे. दर्डा	7
6.	श्री मुरली देवड़ा	5
7.	श्री राजकुमार धूत	0
8.	श्री युसुफ सरवर खान उर्फ दिलीप कुमार	0
9.	श्री आर.एस. गवई	5
10.	श्री वेदप्रकाश पी. गोयल	0
11.	श्री राम जेठमलानी	0
12.	श्री शरद अनन्तराव जोशी	5
13.	श्री प्रमोद महाजन	5
14.	श्री दत्ता मेघे	5
15.	श्री प्रफुल्ल पटेल	5
16.	श्री शिवराज विश्वनाथ पाटील	5
17.	श्री संजय राउत	5
18.	श्री तारिक अनवर	5
19.	श्री एकनाथ के. ठाकुर	0
	मणिपुर	
1.	श्री रिशांग कीशिंग	1
	मेघालय	
1.	श्री राबर्ट खारशिंग	5
	मिजोरम	
1.	श्री लाल मिंग लिआना	5
	नागालैण्ड	
1.	श्री टी.आर. जेलिआंग	0
	दिल्ली	
1.	श्री जनार्दन द्विवेदी	5
2.	श्री पी.एम. सईद	24
3.	डा. कर्ण सिंह	5
	नामित	
1.	श्री नाना देशमुख	5
2.	कुमारी निर्मला देशपांडे	0
3.	श्रीमती हेमा मालिनी	2
4.	डा. बिमल जालान	0
5.	डा. के. कस्तूरीरंगन	0
6.	डा. नारायण सिंह मानकलाओ	0
7.	सुश्री लता मंगेशकर	0
8.	डा. चंदन मित्रा	1
9.	डा. फाली एस. नरीमन	1
10.	श्री चो. एस. रामास्वामी	0
11.	श्री दारा सिंह	5
	उड़ीसा	
1.	सुश्री प्रमिला बोहिदर	5
2.	श्री सुरेन्द्र लाठ	5
3.	डा. छत्रपाल सिंह लोढ़ा	1
4.	श्री प्यारीमोहन महापात्र	3
5.	डा. राधाकान्त नायक	1
6.	डा. बी.जे. पांडा	5
7.	श्री रूद्र नारायण पानी	5

1	2	3
8.	श्री दिलीप रे	5
9.	श्री बीरभद्र सिंह	0
10.	श्रीमती सुश्री देवी	5
	पांडिचेरी	
1.	श्री. वी. नारायणसामी	5
	पंजाब	
1.	श्री अश्वनी कुमार	5
2.	श्री वरिन्द्र सिंह बाजवा	5
3.	डा. एम. एस. गिल	1
4.	श्री राज महिन्द्र सिंह मजीठा	5
5.	श्री धर्मपाल सभ्रवाल	0
6.	श्रीमती अम्बिका सोनी	0
7.	श्रीमती सुखबंस कौर	4
	राजस्थान	
1.	श्री संतोष बागड़ोदिया	5
2.	श्रीमती जमना देवी बारूपाल	5
3.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	5
4.	श्री आर.पी. गोयनका	4
5.	डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला	5
6.	श्री मूलचन्द्र मीणा	5
7.	श्री के. नटवर सिंह	30
8.	डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया	5
9.	श्री जसवंत सिंह	5
10.	डा. प्रभा ठाकुर	5
	सिक्किम	
1.	श्री पाल्देन शेरिंग ग्यामत्सु	5
	तमिलनाडु	
1.	श्री एस. अनबालागन	5
2.	श्री एस.एस. चन्द्रन	5
3.	श्री टी.टी.वी. धिनाकरन	5
4.	श्री बी.एस. ज्ञानदेसिकन	5
5.	श्री एन.आर. गोविंदराजर	5
6.	श्रीमती एस.जी. इंदिरा	5
7.	श्री एन. जोती	5
8.	श्री आर. कामराज	5
9.	श्री एस.पी.एम. सैयद खान	5
10.	डा. के. मलैसामी	6
11.	श्री पी.जी. नारायणन	5
12.	श्री ई.एम. सुदर्शन नाचियप्पन	5
13.	श्री सी. पेरूमल	1
14.	डा. अंबुमणि रामदास	5
15.	श्री आर. शरत कुमार	5
16.	श्री तांग तमिल सेलवन	5
17.	श्री आर. षणमुगासुन्दरम	8
18.	श्री जी.के. वासन	1
	त्रिपुरा	
1.	श्री मतिलाल सरकार	0
	उत्तर प्रदेश	
1.	प्रो. एम.एम. अग्रवाल	5
2.	डा. अखिलेश दास	5
3.	श्री कमल अख्तर	2
4.	श्री अनिल धीरूभाई अंबानी	0
5.	श्री गांधी आजाद	6
6.	श्री अबू आसिम आज्मी	5
7.	श्रीमती जया बच्चन	0
8.	श्री दारा सिंह चौहान	5
9.	डा. मुरली मनोहर जोशी	5

1	2	3
10.	श्री घनश्याम चंद्र खरवार	5
11.	श्री रामनाथ कोविंद	5
12.	डा. स्वामी साक्षी जी महाराज	5
13.	कुमारी मायावती	0
14.	श्री जानेश्वर मिश्र	0
15.	श्री कलराज मिश्र	5
16.	श्री सतीश चंद्र मिश्रा	0
17.	श्री मुख्तार अब्बास नकवी	1
18.	श्री बलबीर के. पुंज	0
19.	श्री राम नारायण साहू	5
20.	श्री अरूण शौरी	0
21.	श्री राजीव शुक्ला	5
22.	श्री शाहिद सिद्दीकी	1
23.	श्री अमर सिंह	0
24.	श्री भगवती सिंह	5
25.	श्री इसाम सिंह	5
26.	श्री राजनाथ सिंह	1
27.	श्री उदय प्रताप सिंह	5
28.	श्री वीर सिंह	5
29.	श्री ललित सूरी	0
30.	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	5
31.	श्री नंद किशोर यादव	7
	उत्तरांचल	
1.	श्री हरीश रावत	6
2.	श्री सतीश कुमार शर्मा	5
3.	श्रीमती सुषमा स्वराज	0
	पश्चिम बंगाल	
1.	श्री एस.के. खाबिर उद्दिन अहमद	0
2.	श्री नीलोत्पल बसु	0
3.	श्री जयंत भट्टाचार्य	1
4.	श्री मनोज भट्टाचार्य	5
5.	श्री देवव्रत बिस्वास	6
6.	श्री प्रशांत चटर्जी	5
7.	श्रीमती सरला महेश्वरी	0
8.	श्री चितव्रत मजूमदार	0
9.	श्री दिपांकर मुखर्जी	0
10.	श्रीमती चंद्रकला पांडे	0
11.	श्री अम्बानी राय	5
12.	श्री जिबन राय	0
13.	श्री तारिणी कांता राय	5
14.	श्री शंकर राय चौधरी	4
15.	श्री दिनेश त्रिवेदी	0

[हिन्दी]

राजसहायता जारी करना

3091. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 के बजट में यथा घोषित नव सृजित निधि में से पिछड़े इलाकों के लिए आज की तिथि तक कोई राजसहायता जारी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निधि में से राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं। तथापि, मौजूदा राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिए निधियां जारी की जा रही हैं।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान आज की तारीख तक राष्ट्रीय सम विकास योजना के तीन घटकों के लिए जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं : बिहार के लिए विशेष योजना-269.96 करोड़

रुपये, उड़ीसा के कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना-166.66 करोड़ रुपये, पिछड़े जिले पहल-510.00 करोड़ रुपये।

(ग) पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि और निधि प्रदान करने संबंधी मानदण्डों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

असम में खेलकूद कार्यक्रम/योजनाएं

3092. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय कल्याण कोष से असम के कितने खिलाड़ियों को खेलकूद छात्रवृत्ति और सहातया मिली है;

(ख) खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय कल्याण कोष द्वारा राज्य में शुरू किए गए खेलकूद कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलकूद कोष से पेंशन प्राप्त हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खेलकूद अवसंरचना के सृजन हेतु असम को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) असम में कितने विद्यालयों को खेलकूद सामग्री की खरीद और खेल के मैदानों के विकास हेतु ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान दिए जाने की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान असम को प्रदान की गई खेल छात्रवृत्तियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	छात्रवृत्तियों की सख्या
2002-03	201
2003-04	465
2004-05	344

असम का कोई भी खिलाड़ी "खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष" की योजना के तहत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है।

(ख) खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि का गठन मुख्यत: विगत समय के ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायतार्थ किया गया था जो धनाभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं। वित्तीय सहायता निम्नलिखित रूप से प्रदान की जाती है:

(1) 2500 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन।

(2) घायल होने की स्थिति में चिकित्सकीय उपचार के लिए 40,000 रुपये तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता।

(3) खिलाड़ियों के लिए जो खेल स्पर्धाओं अथवा प्रशिक्षण के दौरान, भाग लेते समय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, 1.00 लाख रुपये तक की अधिकतम वित्तीय सहायता।

(ग) 1994 में प्रारंभ की गई "उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि" योजना के अंतर्गत, जिसके तहत ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैपियनशिपों, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन प्रदान की जाती है, असम के दो खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) "खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान" योजना के तहत पिछली तीन वर्षों के दौरान, असम में खेल अवस्थापना के सृजन के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के विवरण निम्नलिखित हैं-

(लाख रुपयों में)

2002-03	2003-04	2004-05
73.50	17.00	188.09

(ङ) असम के स्कूलों, जिन्हें खेल उपस्करों की खरीद और खेल मैदान विकसित करने के लिए अनुदानों की योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी, की संख्या निम्नलिखित है-

	2002-03	2003-04	2004-05
स्कूलों की संख्या	14	41	38

एक्सेस डेफिसिट चार्ज

3093. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का विचार वर्तमान प्रति कॉल लेवी के स्थान पर राजस्व अर्जन पर आधारित एक्सेस डेफिसिट चार्ज शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परिवर्तन लाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेलुलर ऑपरेटर उपर्युक्त परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) यह मौजूदा अभिगम घाटा प्रभार व्यवस्था की उन विसंगतियों का समाधान करता है जिनकी वजह से कुछेक मौजूदा उपभोक्ता श्रेणियों से अपेक्षाकृत कम प्रभार प्राप्त होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फिक्स्ड वायरलेस फोन

3094. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायरलाइन नेटवर्क की तुलना में फिक्स्ड वायरलेस फोन (एफ.डब्ल्यू.पी.) की प्रत्येक लाइन लगाने की लागत कितनी है;

(ख) क्या वायरलाइन नेटवर्क की तुलना में फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क को स्थापित करने में लगने वाले समय में कोई अंतर है;

(ग) वायरलाइन नेटवर्क के स्थान पर यदि एफ.डब्ल्यू.पी. नेटवर्क लगाया जाए तो लागत में लगभग कितनी बचत होगी;

(घ) क्या सरकार यदि एफ.डब्ल्यू.पी. अधिक किफायती हो तो वायरलाइन नेटवर्क के स्थान पर एफ.डब्ल्यू.पी. फोन लगाने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बीएसएनएल से प्राप्त सूचना के अनुसार, फिक्स्ड वायरलैस फोनों की प्रति लाइन की अनुमानित लागत 9000 रु. है जबकि वायरलाईन नेटवर्क की लागत 26000 रु. है।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसा कि उपरोक्त पैरा (क) में निर्दिष्ट है, प्रति लाईन लागत बचत लगभग 17000 रु. है।

(घ) और (ङ) लाइसेंस प्रौद्योगिकी तटस्थ हैं। उनके प्रचालक तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करते हुए प्रौद्योगिकी का चयन करते हैं।

टीसीआईएल द्वारा शुरू की गयी सड़क परियोजनाएं

3095. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और विदेश में भारतीय दूरसंचार विशेषज्ञता में सहभागिता के लिए गठित टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ने सड़क निर्माण परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सड़क निर्माण परियोजनाएं शुरू करके टीसीआईएल द्वारा कितना लाभ कमाया गया है/कमाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। टीसीआईएल ने सड़क निर्माण परियोजनाओं संबंधी कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) टीसीआईएल शुरू में सिविल कार्यों सहित, स्थिर लाइन दूरसंचार नेटवर्क हेतु अपेक्षित बाह्य संयंत्र नेटवर्क निर्माण कार्य में लगा हुआ था। प्रौद्योगिकी में बदलाव आने से भारत सहित विश्वभर में बाह्य संयंत्र नेटवर्कों में काफी कमी हुई है। अपनी सुविज्ञता का उपयोग करने और सिविल अभियंताओं की उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ कारोबार को बढ़ाने के लिए, इसने सड़क निर्माण क्षेत्र (जो कि इस समय एक फलता-फूलता क्षेत्र है) तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को करना शुरू कर दिया है। टीसीआईएल, सऊदी अरब और जिम्बाबवे में अपने अनुभव के आधार पर, बीना-गुना-सिरौंज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश राज्य में सड़क निर्माण निविदाओं के लिए पूर्व-अर्हता प्राप्त कर ली है। कंपनी ने विशेषत: साइबर पार्क के निर्माण हेतु अन्य सिविल और वास्तुकला संबंधी परामर्श परियोजनाओं को भी हाथ में लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अन्तत: टीसीआईएल को नेटवर्क संबंधी परियोजनाएं सौंपी जाएंगी। अति प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य पर अपनी कार्य-गुणवत्ता के बलबूते पर टीसीआईएल ने अन्य पूर्णत: सिविल इंजीनियरी निर्माण कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है।

(ग) सड़क निर्माण और सिविल तथा वास्तुकला संबंधी परामर्श परियोजनाओं से वर्ष 2004-05 के दौरान अर्जित लाभ 3.64 करोड़ रु. है तथा वर्ष 2005-06 में अनुमानित लाभ 3.34 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पीसीओ बूथ

3096. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के परभनी और जालना जिलों में पीसीओ बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त जिलों में पीसीओ बूथों की स्वीकृति देने हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त आवेदनों के लम्बित रहने का कारण संबद्ध अधिकारियों की निष्क्रियता है; और

(घ) यदि हां, तो सभी आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, परभनी और जालना जिले में कार्यरत सार्वजनिक काल घरों (पीसीओ) की संख्या क्रमश: 2785 तथा 2696 है।

(ख) 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, परभनी और जालना जिले में पीसीओ के लिए अनुमोदन हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या क्रमश: 72 तथा 13 है।

(ग) अनुमोदन हेतु लम्बित आवेदनों में से अधिकतर नए आवेदन हैं। आवेदनों के लम्बित होने के कारण निम्नानुसार हैं:

(1) आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करना

(2) "एक्सचेंज हार्डवेयर" (पीसीओ हेतु "इन्टर-फेस कार्ड") की अनुपलब्धता।

(घ) लम्बित आवेदनों को दिनांक 31 मार्च, 2006 तक निपटाए जाने की संभावना है, बशर्ते कि आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी की जाएं।

आप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान

3097. मो. मुकीम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क निर्माण के दौरान ओएफसी को नुकसान के कारण उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के ठेकामा बाजार क्षेत्र और आस-पास के गांवों का पूरे देश और दुनिया से संपर्क कट गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामत: भारत संचार निगम लिमिटेड को कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या ठेकामा बाजार का बीटीएस टावर बार-बार खराब या कम शक्ति वाला हो जाता है जिसके कारण लोगों को मोबाइल टेलीफोनों में सिग्नल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा को बहाल करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) आजमगढ़ जिले के ठेकामा बाजार क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य होने की वजह से कई स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) क्षतिग्रस्त हो गए थे। माह नवम्बर, 2005 के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

ओएफसी के क्षतिग्रस्त होने की तिथि एवं समय	बहाली की तारीख एवं समय	व्यवधान/खराबी की अवधि
7.11.05 : 20.00 बजे	8.11.05 : 17.00 बजे	21.00 घण्टे
8.11.05 : 19.00 बजे	9.11.05 : 15.00 बजे	20.00 घण्टे
11.11.05 : 20.30 बजे	12.11.05 : 15.00 बजे	18.30 घण्टे
15.11.05 : 21.00 बजे	16.11.05 : 14.00 बजे	17.00 घण्टे
17.11.05 : 19.30 बजे	18.11.05 : 14.30 बजे	19.00 घण्टे

(ग) केबल की मरम्मत की वजह से हुई अनुमानित हानि लगभग दो लाख रुपए है, जिसके लिए राज्य पीडब्ल्यूडी से दावा करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ठेकमा बाजार में बीटीएस टॉवर का कार्यकरण एवं पॉवर-रेडिएशन संतोषप्रद है। इस क्षेत्र में सेवाएं दिनांक 18.11.2005 के अपराह्न 2.30 बजे से बहाल की जा चुकी हैं।

निगरानी योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु समेकित प्रणाली

3098. श्री कैलाश मेघवाल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी कम करने और विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर में सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कई कल्याण योजनाएं और विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कल्याण और विकास कार्यक्रमों हेतु विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग बजटीय प्रावधान किए जाने के बाद धनराशि उपलब्ध करायी जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या विभागों द्वारा निगरानी भी की जाती है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार धनराशि का दुर्विनियोजन रोकने और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी हेतु एक समेकित प्रणाली तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त प्रणाली के कब से काम शुरू करने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कई कल्याणकारी स्कीमें और विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बजट प्रावधानों के बाद इन स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए अलग से निधियां मुहैया कराई जाती हैं। इसके ब्यौरे संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(घ) से (छ) केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के भाग के रूप में मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणलियों का सृजन किया गया है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन वितरण प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का आकलन करने हेतु मूल्यांकन करता है। प्रमुख कार्यक्रमों/स्कीमों के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग में एक कार्यक्रम परिणाम और अनुक्रिया निगरानी प्रभाग बनाया गया है।

प्रधानमंत्री के निदेशों और बजट भाषण 2005-06 में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता से सुधार के लिए प्रमुख कार्यक्रमों के परिणामों के महत्व पर बल देने के लिए की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में सरकार ने प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष 'आउटकम बजट' प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। योजन व्यय संबंधी आउटकम बजट 2005-06 दिनांक 25 अगस्त, 2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

डाक विभाग की कालोनियों का निर्माण

3099. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक कर्मचारियों हेतु पूरे देश में डाक विभाग की कालोनियों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें किस वर्ग के कर्मचारी रहने के पात्र हैं;

(घ) उक्त सरकारी आवास नहीं पाने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा क्या सुविधा दी गयी है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में सरकारी पोस्टल कॉलोनी बनाने के लिए भूमि अर्जन भी किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या पोस्टल कॉलोनी बनाने के लिए पंजाब के होशियारपुर में भूमि अर्जित की गयी है;

(ज) यदि हां, तो क्या डाक विभाग निर्माण में विलम्ब के कारण कोई जुर्माना भर रहा है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार का विचार कब तक उक्त कालोनी का निर्माण करने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। डाक कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) डाक कर्मचारियों के सभी वर्गों की पात्रता के अनुसार डाक स्टाफ क्वार्टर आबंटित करने पर विचार किया जाता है।

(घ) नियमानुसार आवासीय भत्ता उन कर्मचारियों को देय है जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया जाता।

(ङ) और (च) जी हां। सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(छ)जी हां। पंजाब के होशियारपुर में डाक कॉलोनी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है।

(ज) जी नहीं।

(झ) उपर्युक्त (ज) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्रवार और राज्यवार डाक कालोनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र	डाक कालोनियों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	1. गुवाहटी	3
		2. डिब्रूगढ़	1
		3. तिनसुकिया	1
		4. जोरहाट	1
		5. नोगांव	1
		6. धूबरी	1
		7. सिलचर	1
		8. डिपू	1
		9. हाफलोंग	1
		10. तेजपुर	1
		11. करीमगंज	1
		कुल	13
2.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद सिटी	9
		2. आदिलाबाद	1
		3. मेडक	1
		4. नालगोंडा	1
		5. सांगारेड्डी	1
		6. सूर्यपेट	1
		7. बानापारथी	1
		8. हानमकोंडा	1
		9. विशाखापटनम	5
		10. काकीनाडा	1
		11. पार्वतीपुरम	1
		12. राजामुन्दरी	2
		13. विजयनगरम	1
		14. राकू वैली	1
		15. शामलकोटा	1
		16. चिपुरापल्ली	1
		17. विजयवाड़ा	1
		18. गुंटूर	1
		19. मछलीपट्टनम	1
		20. खम्माम	1
		21. एलूरू	1
		22. नैल्लोर	1
		23. तेनाली	1
		24. गुडूर	1
		25. मंगलागिरी	1
		26. कोथागुंडम	1
		27. पलांचा	1
		28. भद्राचलम	1

1	2	3	4
		29. वेंकटपुरम	1
		30. जंगारेड्डीगुडम	1
		31. करनूल	2
		32. कुडप्पा	1
		33. अनंतपुर	1
		34. हिंदुपुर	1
		35. नानदयाल	1
		36. तिरूपति	1
		37. गुंटकल	1
		कुल	51
3.	अरुणाचल प्रदेश	1. ईटानगर	1
		2. पासीघाट	1
		3. तवांग	1
		4. तेजू	1
		5. अलांग	1
		6. बामडिला	1
		कुल	6
4.	अंडमान निकोबार	1. शादीपोर	1
		2. दिलथामनर्टैक	1
		3. मिडल प्लांइट	1
		4. कार-निकोबार	1
		5. जंगलीघाट	1
		6. रंगाघाट	1
		7. विमरलीगंज	1
		8. हटवे	1
		कुल	8
5.	बिहार	1. पटना	5
		2. भागलपुर	1
		3. औरंगाबाद	1
		4. भोजपुर	2
		5. नालन्दा	1
		6. रोहतास	शून्य
		7. वैशाली	1
		8. मुंगेर	1
		9. नवादा	शून्य
		10. गया	2
		11. सारन	3
		12. सीवान	शून्य
		13. पश्चिम चंपारन	1
		14. पूर्वी चंपारन	4
		15. पूर्णिया	6
		16. सहरसा	1
		17. मधुबनी	1
		18. दरभंगा	1
		19. समस्तीपुर	2
		20. सीतामढ़ी	2
		21. मुजफ्फरपुर	1
		22. बेगूसराय	शून्य
		कुल	38
6.	चंडीगढ़	1. चंडीगढ़	3
		कुल	3
7.	छत्तीसगढ़	1. रायपुर	3
		2. भिलाई	2
		3. कांकेर	1
		4. जगदलपुर	1
		5. कोरबा	1

1	2	3	4
		6. बिलासपुर	1
		7. दुर्ग	1
		8. रायगढ़	1
		कुल	11
8.	दिल्ली	1. आर.के. पुरम सेक्टर-6	1
		2. सरोजनी नगर	1
		3. मोती नगर	1
		4. सेवा नगर	1
		5. अतुल ग्रोव रोड	1
		6. काली बाडी	1
		7. देव नगर	1
		8. खुर्शीद स्क्वेयर	1
		9. पंखा रोड (जनकपुरी)	1
		10. टेलीकाम कालोनी (जनकपुरी)	1
		11. विवेक विहार (टेलीकॉम कालोनी)	1
		12. दिल्ली जनरल पोस्ट आफिस कम्पाउन्ड	1
		13. गोपीनाथ बाजार (दिल्ली कैन्ट)	1
		कुल	13
9.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य
		कुल	शून्य
10.	गुजरात*	1. अहमदाबाद	4
		2. मेहसाणा	1
		3. गांधीनगर	1
		4. हिम्मतनगर	1
		5. मोडसा	1
		6. आनन्द	1
		7. वी वी नगर	1
		8. आहवा डांग	1
		9. फोर्ट सोनगढ़	1
		10. वाघी	1
		11. गोधरा	1
		12. कपाडवंज	1
		13. जम्बूसर	1
		14. पालेज	1
		15. जीआईडीसी कबिलपोर	1
		16. खरेगाम	1
		17. मरोली बाजार	1
		18. किम	1
		19. कोशम्बा	1
		20. वलसाड	1
		21. उदवादा आर.एस.	1
		22. उमरगाम	1
		23. सिलवसा	1
		24. वापी आई.ई.	1
		25. नानापोंडा	1
		26. अतुल	1
		27. सनजन	1
		28. नानीवहीयाल	1
		29. सनखेडा	1

1	2	3	4
		30. वडोदरा	2
		31. वुन्काकाव	1
		32. तालाजा	1
		33. बटोड	1
		34. जैतपुर	1
		35. जामनगर	1
		36. द्वारका	1
		37. जूनागढ़	1
		38. वेरावल	1
		39. ऊना	1
		40. मैनदारदा	1
		41. केशोद	1
		42. गांधीधाम	1
		43. कान्डला	1
		44. अदिपुर	1
		45. माडवी	1
		46. राजकोट	1
		47. वाकनेर	1
		48. सुन्दरनगर	1
		कुल	52
11.	गोवा	1. आल्टो परवोरिम	1
		2. डीकारपाले मडगांव	1
		3. सादा	1
		कुल	3
12.	हरियाणा	1. अम्बाला	4
		2. यमुनानगर	1
		3. कालका	1
		4. फरीदाबाद	4
		5. रिवाड़ी	1
		6. नारनौल	1
		7. हिसार	3
		8. सिरसा	1
		9. कुरूक्षेत्र	1
		10. कैथल	1
		11. करनाल	2
		12. पानीपत	1
		13. जीन्द	1
		14. रोहतक	2
		15. झज्जर	1
		16. सोनीपत	2
		कुल	27
13.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला	20
		2. बिलासपुर	1
		3. हमीरपुर	1
		4. कांगड़ा	1
		5. देहरा	1
		6. रामपुर	1
		7. रेकांग पियो	1
		8. काजा	1
		9. कुल्लू	1
		10. सरकाघाट	1
		11. चूनतरा	1
		12. केलोंग	1
		13. भांगरोटू	1
		14. सुन्दरनगर	2
		15. बाकलोह	1

1	2	3	4
		16. डलहौजी	1
		17. धर्मशाला	2
		18. पालमपुर	1
		19. बैजनाथ	1
		20. शाहपुर	1
		21. ऊना	1
		22. चैल	1
		23. दागशाही	1
		24. सुबाथू	1
		25. कसौली	1
		26. परवानू	1
		27. नाहन	2
		28. सोलन	2
		29. पोन्टा साहिब	1
		30. सानाबार	1
		31. रूहारू	1
		32. ध्योग	1
		कुल	55
14.	जम्मू व कश्मीर	1. श्रीनगर	2
		2. जम्मू	4
		3. ऊधमपुर	1
		4. लेह	1
		5. राजौरी	1
		कुल	9
15.	झारखंड	1. रांची	1
		2. धनबाद	1
		3. बी.एस. सिटी	1
		4. हजारीबाग	1
		5. गिरीडीह	1
		6. डाल्टनगंज	1
		7. गोलमुरी	1
		8. बिस्तुपुर	1
		9. टाटानगर	1
		कुल	9
16.	कर्नाटक	1. बेंगलूर	3
		2. डोडबल्लापुर	1
		3. चिकमगलूर	1
		4. बीरूर	1
		5. चित्रदुर्ग	1
		6. हिरियूर	1
		7. देवनगेरे	2
		8. हसन	1
		9. आरसीकेरे	1
		10. बेलूर-हसन	1
		11. सकलेशपुरा	1
		12. माडीकेरी	3
		13. वीराजपेट	1
		14. कोलार	1
		15. मुलबागल	1
		16. मेंगलूर	2
		17. मैसूर	1
		18. नजनगुडा	2
		19. पुत्तूर	1
		20. करकाला	1
		21. शिमोगा	1
		22. सागर	1

1	2	3	4
		23. भद्रावती	1
		24. तुमकुर	1
		25. उदीपी	1
		26. कुंडापुरा (तल्लुर)	1
		27. बदामी	1
		28. बेलगाम	1
		29. बेलारी	1
		30. बीदर	1
		31. हूमनाबाद	1
		32. बीजापुर	1
		33. इन्डी	1
		34. सिन्दगी	1
		35. अथनी	1
		36. चिकोडी	1
		37. निप्पानी	1
		38. धारवाड़	1
		39. हुबली	1
		40. गडग	1
		41. गोकाक	1
		42. हुक्केरी	1
		43. गुलबर्गा	1
		44. शाहबाद	1
		45. वाडी	1
		46. हावेरी	1
		47. रानेबेन्नूर	1
		48. करवाड़	1
		49. रायचूर	1
		50. कोप्पल	1
		51. गंगावती	1
		52. कुशतागी	1
		53. लिंगसुपुर	1
		54. सिरसी	1
		55. डांडेली	1
		56. हेलीयाल	1
		कुल	63
17.	केरल**	1. कासरगोड	2
		2. कानहनगढ़	1
		3. कन्नूर	2
		4. तलीपरंबा	1
		5. मनन्थावाडी	1
		6. टेम्पलगेट	1
		7. वडकारा	1
		8. कोइलांडी	1
		9. कोषिकोड	3
		10. मेपडी	1
		11. वैतिरी	1
		12. ओट्टपालम	1
		13. शोरनूर	1
		14. आगली	1
		15. पालकाड	1
		16. आलापुषा	1
		17. आलूआ	1
		18. कोतमंगलम	1
		19. कांजिरापल्ली	1
		20. देवीकुलम	1
		21. एलप्परा	1

1	2	3	4
		22. कुमली	1
		23. मरायूर	1
		24. मून्नार	1
		25. पिरामेड	1
		26. शांतनपारा	1
		27. तोडुपुषा	1
		28. बांदनमेट्टू	1
		29. फेयरफील्ड	1
		30. वंडिपेरियार	1
		31. पुतुक्काड	1
		32. कोट्टयम	1
		33. ऐराटूपेट्टा	1
		34. त्रिशुर	1
		35. एर्णाकुलम	1
		36. कोल्लम	1
		37. चावरा	1
		38. रात्री	1
		39. तेनमला	1
		40. त्रिवेन्द्रम	4
		41. बलरामपुरम	1
		कुल	48
18.	मध्य प्रदेश	1. कृषि उपज मंडी, जबलपुर	1
		2. जबलपुर फैक्टरी जबलपुर	1
		3. कटनी	1
		4. बालाघाट	1
		5. सियोनी	1
		6. सिद्धि	1
		7. सिंगरोली कोलियरी, सिंगरोली	1
		8. वायधान	1
		9. अमरकंटक	1
		10. धनपुरी	1
		11. रीवा	1
		12. सतना	1
		13. बेतुल	1
		14. परासिया	1
		15. भोपाल	7
		16. सागर	1
		17. दमोह	1
		18. होशंगाबाद	1
		19. नरसिंहपुर	1
		20. पंचमढ़ी	1
		21. छत्तरपुर	1
		22. खजुराहो	1
		23. पन्ना	1
		24. नवगांव	1
		25. गुना	1
		26. ग्वालियर	1
		27. इंदौर	4
		28. खांडवा	1
		29. मंदसौर	1
		30. मोरैना	1
		31. शिवपुरी	1
		32. देवास	1
		33. महाउल	1

1	2	3	4
		34. खरगोने	1
		35. बरहमपुर	1
		36. रतलाम	1
		37. सेहोर	1
		38. उज्जैन	1
		कुल	47
19.	महाराष्ट्र	1. मुंबई	12
		2. पुणे सिटी	5
		3. अहमद नगर	1
		4. श्रीरामपुर	1
		5. पंढरपुर	1
		6. बारामती	1
		7. जुन्नार	1
		8. लौनावाला	1
		9. करमला	1
		10. महाबलेश्वर	1
		11. सोलापुर	1
		12. पिंपरी चिंचवाड न्यू टाउनशिप	1
		13. खड़की	1
		14. रत्नागिरी	1
		15. कोल्हापुर	1
		16. इचालकरंनजी	1
		17. फुलेवाडी	1
		18. औरंगाबाद	1
		19. जालना	1
		20. अष्टी	1
		21. भुसावल	1
		22. सिरपुर	1
		23. जलगांव	1
		24. मालेगांव	1
		25. नासिक	1
		26. उदगीर	1
		27. हिंगोली	1
		28. परभनी	1
		29. अकोला	1
		30. अकोट	1
		31. वाशिम	1
		32. अमरावती	1
		33. बाढनेरा	1
		34. बुलधाना	1
		35. खामगांव	1
		36. शेगांव	1
		37. वरोरा	1
		38. गादचिरौली	1
		39. नागपुर	1
		40. वर्धा	1
		41. आरवी	1
		42. सेवाग्राम	1
		43. वाणी	1
		44. नंदुरा	1
		45. जलगांव जमोद (बुलधाना)	1
		46. धामनगांव	1
		47. सावनेर	1
		48. सकोली	1
		कुल	63

1	2	3	4
20.	मेघालय	1. शिलांग	5
		2. अखोंनगिरी	2
		कुल	7
21.	मणिपुर	1. इम्फाल	2
		2. चर्चानपुर	1
		कुल	3
22.	त्रिपुरा	1. अगरतला	1
		2. धरमानगर	1
		कुल	2
23.	मिजोरम	1. चम्फई	1
		कुल	1
24.	नागालैण्ड	1. कोहिमा	1
		2. दीमापुर	1
		कुल	2
25.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर	3
		2. कटक	3
		3. पुरी	3
		4. बालसोर	2
		5. भद्रक	1
		6. मयूरभंज	2
		7. सुन्दरगढ़	1
		8. सम्बलपुर	2
		9. राउरकेला	1
		10. बोलांगीर	1
		11. क्योंझर	1
		12. झारसुगुदा	1
		13. बरहामपुर (जीएम)	1
		14. चतरपुर	1
		15. कोरापेट	1
		16. धवानी पटना	1
		17. फुलभनी (औ)	1
		कुल	26
26.	पंजाब	1. अमृतसर	1
		2. भटिंडा	1
		3. रोपड़	1
		4. फिरोजपुर	1
		5. गुरदासपुर	1
		6. जालंधर	1
		7. लुधियाना सिटी	1
		8. जबरौन	1
		9. खन्ना	1
		10. पटियाला	1
		कुल	10
27.	राजस्थान	1. सवाईमाधोपुर	1
		2. गंगापुर	1
		3. हिंदोन	1
		4. अलवर	3
		5. बहरोड	1
		6. भिवाडी आई.ए	1
		7. चोमु	1
		8. फलेरा	1
		9. दौसा	1
		10. बांदीकुई	1
		11. जोबनेर	1
		12. भरतपुर	1
		13. धोलपुर	1

1	2	3	4
		14. जयपुर	4
		15. बाड़मेर	1
		16. चोहटन	1
		17. पचपाडरा	1
		18. बीकानेर	2
		19. लंकरंसार	1
		20. चुरू	1
		.21. रतनगढ़	1
		22. सादुलपुर	1
		23. झुनझुनु	1
		24. खेतरी नगर	1
		25. पिलानी	1
		26. जोधपुर	2
		27. फलोडी	1
		28. जैसलमेर	1
		29. नागोर	1
		30. डिडवाना	1
		31. मकराना	1
		32. पालीमारवाड	1
		33. मारवाड़ जंक्शन	1
		34. सुमेरपुर	1
		35. सीकर	1
		36. श्रीमाधोपुर	1
		37. सिरोही	1
		38. जालौर	1
		39. शिवगंज	1
		40. आबूरोड	1
		41. माउंटआबू	1
		42. श्रीगंगानगर	1
		43. हनुमानगढ़	1
		44. भद्रा	1
		45. सांगरिया	1
		46. श्रीकरणपुर	1
		47. अजमेर	3
		48. ब्यावर	1
		49. भीलवाड़ा	1
		50. चित्तौड़गढ़	1
		51. डूंगरपुर	1
		52. बांसवाड़ा	1
		53. कोटा	2
		54. झालावाड़	1
		55. टोंक	1
		56. बूंदी	1
		57. उदयपुर	2
		58. मावली जंक्शन	1
		59. नसीराबाद	1
		60. गुलाबपुरा	1
		61. कंकरोली	1
		कुल	72
28.	सिक्किम	1. सिक्किम	1
		कुल	1
29.	तमिलनाडु***	1. कोडइकनार	1
		2. करईकुडी	1
		3. कोविलपट्टी	1
		4. टूटीकरम	1
		5. विरुधुनगर	1

1	2	3	4
		6. रामेश्वर	1
		7. उडनकुडी क्रिश्चियन नगरम	1
		8. अरूमुंगनेरी	1
		9. नागरकोइल	1
		10. कोडानूर	1
		11. गोबीचेट्टीपलापयम	1
		12. उडगमंडलम	1
		13. कन्नूर	1
		14. वेलिंगटन	1
		15. अरवांगडू	1
		16. कोट्टागिरी	1
		17. मक्कीनेकेनपट्टी	1
		18. वलपरई	1
		19. चित्रातिरूपति	1
		20. मेट्टूरडेम	1
		21. मेट्टूपलायम	1
		22. भवानीसागर	1
		23. तालाबाडी	1
		24. तिरूपत्तूर	1
		25. त्रिची	1
		26. पुडुकोट्टइ	1
		27. पेरमबलूर	1
		28. बॉयलर प्रोजेक्ट	1
		29. मन्नापुरम	1
		30. नेवेली	1
		31. चेन्नई	6
		32. वेल्लूर	2
		कुल	38

1	2	3	4
30.	उत्तर प्रदेश	1. आजमगढ़	1
		2. आगरा	1
		3. अलीगढ़	2
		4. इलाहाबाद	3
		5. बहराइच	1
		6. बलिया	1
		7. बुलंदशहर	1
		8. भरथाना (इटावा)	1
		9. बिजनौर	1
		10. बरेली	3
		11. बाराबंकी	1
		12. देवरिया	1
		13. एटा	1
		14. इटावा	1
		15. फतेहपुर	1
		16. फैजाबाद	1
		17. गोरखपुर	1
		18. गोंडा	1
		19. गाजीपुर	1
		20. गाजियाबाद	2
		21. हाथरस	1
		22. हरदोई	1
		23. हापुड	1
		24. झांसी	2
		25. जसवंत नगर (इटावा)	1
		26. जौनपुर	1
		27. कानपुर	4

1	2	3	4
		28. खीरी	1
		29. लखनऊ	3
		30. मऊ	1
		31. मथुरा	1
		32. मैनपुरी	1
		33. मिर्जापुर	1
		34. मुरादाबाद	1
		35. मोदीनगर	1
		36. मेरठ	3
		37. नोएडा	2
		38. उरई (जालोन)	1
		39. प्रतापगढ़	1
		40. पीलीभीत	1
		41. पुरानपुर (पीलीभीत)	1
		42. रामपुर	1
		43. रायबरेली	1
		44. शिकोहाबाद	1
		45. शाहजहांपुर	1
		46. सीतापुर	1
		47. टुंडला (फिरोजाबाद)	2
		48. वाराणसी	1
		49. फतेहगढ़	1
		कुल	65
31.	उत्तरांचल	1. अल्मोड़ा	1
		2. थपलिया	1
		3. रानीखेत	1
		4. गोपेश्वर	1
		5. पपरीयाना	1
		6. पी एंड टी कालोनी देहरादून	1
		7. देहरादून कैंट	1
		8. वीरभद्र	1
		9. देहरादून प्रधान डाकघर कैंपस	1
		10. चकराता	1
		11. कलसी	1
		12. इंदरापुरम	1
		13. हरिद्वार	1
		14. रूड़की	1
		15. डिवीजनल कार्यालय कम्पाउंड नैनीताल	1
		16. प्रधान डाकघर कंपाउंड नैनीताल	1
		17. टेलीफोन एक्सचेंज कम्पाउंड नैनीताल	1
		18. रूद्रपुर कम्पाउंड	1
		19. रामनगर डाकघर कम्पाउंड	1
		20. पी एंड टी कालोनी पौड़ी	1
		21. सतपुली	1
		22. डुगड्डा	1
		23. कोंडोलिया	1
		24. पिथौरागढ़	1

1	2	3	4
		25. चम्पावत	1
		26. दीदीहट	1
		27. नरेन्द्र नगर	1
		28. उत्तर काशी	1
		कुल	28
32.	पश्चिम बंगाल	1. पानीहटी	1
		2. कोस्सिम बाजार	1
		3. जियागंज	1
		4. कांडी	1
		5. खागडा	1
		6. लालगोला	1
		7. मधुपुर	1
		8. रघुनाथगंज	1
		9. बरूइपुर	1
		10. डायमंड हारबर	1
		11. विष्णुपुर	1
		12. बज बज	1
		13. कल्याणी	1
		14. आर आर टेगोर रोड	1
		15. कृष्णानगर	1
		16. आनन्दपुर	1
		17. भूबन्दनगाह	1
		18. साइथिया	1
		19. कोलकाता	6
		20. आसनसोल	2
		21. दुर्गापुर	2
		22. बिधान नगर	1
		23. बहीरसरबामंगल	1
		24. बर्दवान	1
		25. तेलीनीपाडा	1
		26. मिदनापुर	1
		27. खड़गपुर	1
		28. मोगरा	1
		29. पंडुवा	1
		30. देशबंधु नगर	1
		31. हल्दिया	1
		32. दर्जीलिंग	1
		33. मालदा	1
		34. दिनाजपुर	1
		35. कूचबिहार	1
		36. जलपाइगुड़ी	1
		कुल	43

*दादरा एवं नगर हवेली शामिल है।

**लक्षद्वीप शामिल है।

***पांडिचेरी शामिल है।

बाढ़ में पुरातात्विक अवशेषों का नष्ट होना

3100. श्री वी. के. थुम्मर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेतरून्जी नदी में बाढ़ के कारण अमरेली जिला के कई पुरातात्विक अवशेष बह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, नहीं। सेतरून्जी नदी में बाढ़ के कारण, अमरेली जिला के कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं बहे हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में संरक्षित धार्मिक स्थल/मंदिर

3101. श्री सनत कुमार मंडल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में उन प्राचीन धार्मिक स्थलों और मंदिरों का ब्यौरा क्या है जिनका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या इन स्थलों/मंदिरों के संरक्षण और विकास की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन स्थलों/मंदिरों के विकास के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पश्चिम बंगाल में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले संरक्षित धार्मिक स्थानों/मन्दिरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव तथा उनके आस-पास का पर्यावरण संबंधी विकास एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, वर्ष 2005-06 के दौरान, पूजा-अर्चना वाले 41 स्मारकों/स्थलों की पुनरुद्धार एवं विकास हेतु पहचान की गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इन स्मारकों के रखरखाव तथा विकास पर निम्नलिखित व्यय हुआ है:

2002-03	रुपए 40,23,229
2003-04	रुपए 94,79,716
2004-05	रुपए 1,56,29,555

विवरण

पश्चिम बंगाल में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले संरक्षित धार्मिक स्थानों/मंदिरों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	जोर मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
2.	जोर बंगला मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
3.	कालाचांद मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
4.	लालजी मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
5.	मदन गोपाल मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
6.	मदन मोहन मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
7.	मल्लेश्वरा मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
8.	मुरली मोहन मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
9.	नन्द लाल मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
10.	पटपुर मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
11.	राधा विनोद मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
12.	राधा गोविन्द मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
13.	राधा माधव मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा

1	2	3	4
14.	राधा श्याम मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
15.	रसमंच	विष्णुपुर	बांकुरा
16.	श्यामराय मंदिर	विष्णुपुर	बांकुरा
17.	प्रस्तररत	विष्णुपुर	बांकुरा
18.	सैलेश्वरा मंदिर	दीहार	बांकुरा
19.	सरेश्वरा मंदिर	दीहार	बांकुरा
20.	राधा दामोदर जू मंदिर	घुटगरिया	बांकुरा
21.	गोकुल चन्द मंदिर	गोकुल नगर	बांकुरा
22.	रत्नेश्वरा मंदिर	जगन्नाथ पुर	बांकुरा
23.	श्याम सुन्दर मंदिर	मदनमोहन पुर	बांकुरा
24.	धर्मराज का मंदिर	कविलास पुर	बांकुरा
25.	बासुली का मंदिर तथा टीला जिसके पास 14 अन्य मंदिर हैं जिसमें शिव की लिंग मूर्तियां रखी हैं	नानूर	बीरभूम
26.	दामोदर मंदिर	सूरी	बीरभूम
27.	दो प्राचीन मंदिर (आपस में जुड़े हुए)	बैद्यपुर	बर्धमान
28.	चार प्राचीन मंदिरों का समूह	बेगुनियां	बर्धमान
29.	प्रस्तर मंदिर	गरूई	बर्धमान
30.	इचाई घोष का मंदिर	गौरंगपुर	बर्धमान
31.	सत देउल नाम से प्रसिद्ध, जैन ईंट मंदिर	देउलिया	बर्धमान
32.	मंदिर समूह (बारह मंदिर)	कलना	बर्धमान
33.	हंसेश्वरी तथा बासुदेव मंदिर	बांसबेरिया	हुगली
34.	बृन्दाबन चन्द्र का मठ नामक मंदिर समूह	गुप्तीपारा	हुगली
35.	मस्जिद	पांडुआ	हुगली
36.	मस्जिद तथा मकबरे	सतगांव	हुगली
37.	जफरखान गाजी की दरगाह नाम से प्रसिद्ध बेदी तथा मस्जिद	त्रिवेणी	हुगली
38.	श्री मयेर घाट	बेलुर	हाओरा
39.	अधीना मस्जिद	पांडुआ	मालदाह

1	2	3	4
40.	बारादुआरी मस्जिद अथवा बड़ी सुनहरी मस्जिद	गौर	मालदाह
41.	चमकनी मस्जिद	गौर	मालदाह
42.	चिका मस्जिद	गौर	मालदाह
43.	गुनामन्त मस्जिद	गौर	मालदाह
44.	लोटन मस्जिद	गौर	मालदाह
45.	कदम रसूल मस्जिद	गौर	मालदाह
46.	तान्तिपारा मस्जिद	गौर	मालदाह
47.	तान्तिपारा मस्जिद के सामने दो मकबरे	गौर	मालदाह
48.	एक लखी मकबरा	पांडुआ	मालदाह
49.	कुतुबशाही मकबरा	पांडुआ	मालदाह
50.	भवानीश्वर मंदिर	बारानगर	मुर्शिदाबाद
51.	चार शिव मंदिरों का चार बंगला समूह	बारानगर	मुर्शिदाबाद
52.	मस्जिद	खेरौल	मुर्शिदाबाद
53.	मुर्शीद कुली खान का मकबरा तथा मस्जिद	सब्जीकटरा	मुर्शिदाबाद
54.	हजारदुआरी महल तथा इमामबाड़ा एवं इसमें लगा क्षेत्र	किला निजामत	मुर्शिदाबाद
55.	संत जॉन चर्च	काउंसिल हाउस स्ट्रीट	कोलकाता
56.	मंदिर	पल्पारा	नादिया
57.	पुराना मंदिर, बान्दा	बांदा	पुरूलिया
58.	जटर देउल	जाटा	24 परगना (दक्षिण)
59.	मैथेन डेविड सिनागॉग	बी बार बी वोस रोड़	कोलकाता
60.	बेत-एल-सिनागॉग	पोलॉक स्ट्रीट	कोलकाता
61.	श्वेत मस्जिद, किला निजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद
62.	पीली मस्जिद, किला निजामत	लालबाग	मुर्शिदाबाद
63.	26 शिव मंदिर	खारडीह	24 परगना (उत्तर)
64.	बन्दोपाध्याय परिवार के मंदिर	पाथरा	पश्चिम मेदिनीपुर
65.	नवरत्न मंदिर परिसर तथा कलाचंद मंदिर परिसर	पाथरा	पश्चिम मेदिनीपुर
66.	सीतला मंदिर	पाथरा	पश्चिम मेदिनीपुर
67.	धर्मराज मंदिर	पाथरा	पश्चिम मेदिनीपुर
68.	दुब्दी मठ	खेओचोड फालरी, युकसाम	पश्चिम सिक्किम

कर्नाटक में संरक्षित स्मारक

3102. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के केन्द्र सरकार को राज्य में संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण और संरक्षण हेतु कोई योजना सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) कर्नाटक में प्रत्येक विशिष्ट राजवंश के एक प्राचीन स्मारक, विभिन्न जिलों में पांच जैन स्मारकों के संरक्षण, बासवा कल्याण स्थित किला एवं स्मारकों के संरक्षण तथा गुलबर्ग जिला में मारतुर गांव में संरक्षण कार्यों के लिए 19.75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगने संबंधी प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से दिसम्बर, 2003 में प्राप्त हुआ था।

(ग) क्योंकि जिन स्मारकों के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है वे केन्द्रीय संरक्षित नहीं हैं, अत: इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सीजीएचएस का निजीकरण

3103. श्री महबूब जाहेदी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के निजीकरण की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नए शहरों का विकास

3104. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत नए शहरों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए शहरों के विकास हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं सहित विकसित शहरों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) के अंतर्गत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कस्बों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत शामिल कस्बों की राज्यवार संख्या (2002-03 से 2004-05)

क्र.सं.	राज्य	2002-03 कस्बे	2003-04 कस्बे	2004-05 कस्बे	कुल कस्बे
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7	13	17	37
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	8	0	8
3.	असम	7	0	21	28
4.	बिहार	1	8	7	16

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	5	5	10	20
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	4	25	15	44
8.	हरियाणा	2	8	6	16
9.	हिमाचल प्रदेश	5	2	2	9
10.	जम्मू-कश्मीर	1	7	6	14
11.	झारखंड	1	0	0	1
12.	कर्नाटक	19	29	28	76
13.	केरल	3	7	25	35
14.	मध्य प्रदेश	19	24	34	77
15.	महाराष्ट्र	23	13	0	36
16.	मणिपुर	9	0	0	9
17.	मेघालय	0	0	3	3
18.	मिजोरम	1	0	4	5
19.	नागालैण्ड	0	1	0	1
20.	उड़ीसा	6	1	1	8
21.	पंजाब	2	2	16	20
22.	राजस्थान	5	6	0	11
23.	सिक्किम	0	0	22	22
24.	तमिलनाडु	13	18	4	35
25.	त्रिपुरा	0	1	3	4
26.	उत्तरांचल	0	3	45	48
27.	उत्तर प्रदेश	25	26	22	73
28.	पश्चिम बंगाल	10	7	0	17
29.	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0
30.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0
31.	दमन और दीव	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
33.	पांडिचेरी	0	1	0	1
	कुल	168	215	299	682

खर्च नहीं किए गए अनुदान की वसूली

3105. श्री पी. करूणाकरन: क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 में आयोजित प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल की आयोजन समिति से खर्च नहीं किए गए अनुदान की वसूली में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ख) आयोजन समिति से कितनी राशि वसूली जानी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 14 जून, 2001 को प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल 2001 की आयोजन समिति (ओ.सी.) के लिए 10.00 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी थी। खेल 11 सितंबर, 2001 को स्थगित कर दिए गए थे। 22 अक्टूबर, 2001 को आयोजन समिति से लेखाओं, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा खर्च से बची शेष राशि इस मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया था जिसके बाद स्मारक भेजे गए। तथापि, लेखाओं इत्यादि का निपटान न होने, और खेलों के आयोजन के पुन: निर्धारण के लंबित होने के कारण, आयोजन समिति खर्च से बचे अधिशेष को वापिस नहीं कर सकी। 2003 में हैदराबाद में प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल आयोजित किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप, आयोजन समिति ने सरकार को 6.70 करोड़ रुपये वापिस कर दिए हैं। आयोजन समिति द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र और 3.43 करोड़ रुपये की राशि के व्यय जो उसके द्वारा खर्च की गई दर्शाई गई है, के लेखे अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। आयोजन समिति ने सोयायटी के विघटन के अंगीकरण तथा अनुमोदन के लिए आयोजन समिति की पिछली बैठक के आयोजन और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेखा परीक्षा शुल्क के व्यय की पूर्ति के लिए रखे गए खर्च से बचे 35.31 लाख रुपये की शेष राशि की रिपोर्ट भेजी है। आयोजन समिति को अपने लेखाओं को अंतिम रूप देने और अपने सामान्य निकाय से उसे यथा-शीघ्र अनुमोदित कराने के लिए कहा गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का हस्तांतरण

3106. श्री सीताराम यादव: क्या प्रधानमंत्री 2 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को हस्तांतरित किए जाने के लिए पहचानी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आगे कदम उठाए जाने के लिए कौन से मंत्रालय/विभाग जिम्मेदार हैं; और

(ग) यह हस्तांतरण कब तक होगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) राज्यों को केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अन्तरण के मुद्दे पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की एक समिति जांच कर रही है। योजना आयोग ने अपनी सामान्य प्रक्रिया के एक भाग के रूप में चालू केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तरण/युक्तिकरण/समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया अपनाई थी और कुछ स्कीमों की राज्यों को अंतरित करने के लिए पहचान की गई थी। इसी बीच, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 27 से 28 जून, 2005 को आयोजित अपनी 51वीं बैठक में योजना आयोग को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की पुन: संरचना के लिए ठोस प्रस्तावों को विकसित करने हेतु एक विशेषज्ञ दल के गठन पर विचार करने का निदेश दिया था। तदनुसार योजना आयोग ने 13 अक्टूबर, 2005 को एक विशेषज्ञ दल का गठन कर दिया है और दल के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र प्रयोजित स्कीमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित करने की संभाव्यता और उसके तरीके की जांच करना शामिल हैं। विशेषज्ञ दल द्वारा योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट छ: माह के भीतर प्रस्तुत करने की आशा है।

रक्ताधान द्वारा एच आई वी संक्रमण

3107. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने सरकारी और निजी रक्त बैंक कार्यरत हैं;

(ख) एच आई वी परीक्षण करने की सुविधा उनमें से कितनों के पास है;

(ग) रक्ताधान के कारण कितने लोग एच आई वी संक्रमण का शिकार हुए हैं;

(घ) रक्ताधान से पहले रक्त परीक्षण की औसत लागत कितनी है; और

(ङ) रक्ताधान के माध्यम से एच आई वी को फैलने से रोकने तथा गरीब लोगों को किफायती दर पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में 2177 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक हैं जिसमें 855 रक्त बैंक सरकारी क्षेत्र में, 288 रक्त बैंक पूर्त (चैरिटेबल) क्षेत्र में तथा 1034 रक्त बैंक निजी क्षेत्र में हैं।

(ख) लाइसेंस प्राप्त सभी 2177 रक्त बैंकों में एचआईवी जांच करने की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) नाको की निगरानी रिपोर्ट में 1986 से 30 नवंबर, 2005 तक रक्त आधान के कारण देश में सभी एचआईवी संक्रमणों में से 2322 रोगियों (1.99%) का पता लगाया गया है।

(घ) रक्त की प्रोसेसिंग लागत का अनुमान लगभग पांच सौ रुपए (500 रुपए) प्रति यूनिट है, जो रोगी से सेवा प्रभार के रूप में लिया जाता है।

(ङ) देश में सभी लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे दान किए गए प्रत्येक रक्त की यूनिट की रोगी को रुधिर आधान करने से पहले एचआईवी, हेपाटाइटिस-बी एवं सी, सिफलिस तथा मलेरिया के संबंध में अनिवार्यत: जांच करें।

इसके अतिरिक्त, सभी रक्त बैंकों से स्वास्थ्य तथा सुरक्षित दाताओं मुख्यतया नियमित स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्त लेने का आग्रह किया जाता है।

इसके अलावा, रक्त बैंकों में मानदंडों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए रक्त बैंकों के लाइसेंसों का नवीनीकरण औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली में यथानिर्धारित रक्त बैंकों की अपेक्षित अवसंरचना की उपलब्धता के उचित सत्यापन के पश्चात ही किया जाता है।

प्रत्येक रक्त यूनिट के लिए 500 रुपए का सेवा प्रभार लिया जाता है। तथापि, थैलासीमिया, हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों तथा गरीब रोगियों से कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जाता है।

[हिन्दी]

चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना

3108. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए निजी संगठनों को अनुमोदन प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान महाराष्ट्र में स्थान-वार स्थापित ऐसे नए चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 तथा दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के उपबंध एवं उनके अंतर्गत बने विनियमों के तहत नए मेडिकल तथा दंत चिकित्सा कालेजों को अनुमति दे रही है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान अहमदनगर में 100 छात्रों के दाखिले के साथ नए मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है। वर्ष 2004-05 के दौरान किसी भी दंत चिकित्सा कालेज को अनुमति नहीं दी गई।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु मानदण्डों में शिथिलीकरण

3109. श्री तथागत सत्पथी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं विशेषकर सड़क क्षेत्र के मानदण्डों में शिथिलीकरण के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन

3110. श्री वाई. जी. महाजन:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की गई धनराशि का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) योजना आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय को निर्धारित करता है। वार्षिक योजना में राज्यों के स्वयं के संसाधन तथा केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता मोटे तौर पर तीन उप-शीर्षों के अंतर्गत आबंटित की जाती है: (क) सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए), (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ईएपी के लिए एसीए) और (ग) विशेष एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। राज्य योजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर राज्य सरकारों को आबंटित की जाती है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग द्वारा परिचालित किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर उन राज्यों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता में समानुपातिक कमी कर दी जाती है जो संशोधित अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में कम खर्च करते हैं और निर्धारित परिव्ययों में कमी होने के कारण भी यह कमी की जाती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना परियोजनाएं परिकल्पित समय सीमा के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

हन्टा वायरस

3111. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वयस्कों में तीव्र श्वास संबंधी रोग हन्टा वायरस पल्मोनरी सिन्ड्रोम रोग पैदा करने वाला जान लेवा हन्टा वायरस भारत में उभर सकता है जैसा कि 4 नवम्बर, 2005 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत में कहीं भी हन्टा वायरस का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रिश्चियन मेडिकल कालेज (सी एम सी) द्वारा किए गए अध्ययन तथा इण्डियन जर्नल आफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित रिपोर्ट भारत में मनुष्यों में हांटा वाइरस संक्रमण की मौजूदगी की प्रथम रिपोर्ट है। 'दक्षिण भारत में मानवीय जनसंख्या में हांटा वाइरस के संक्रमण के सीरम विज्ञानी साक्ष्य के लिए अध्ययन' डेंगू तथा लेप्टोस्पाइरोसिस के लक्षण दर्शाने वाले ज्वर के 152 रोगियों से प्राप्त सीरम नमूनों पर किया गया। इन रोगियों में से 23 को हांटा रोधी वाइरस आई जी एम के लिए पोजिटिव पाया गया। इसके अतिरिक्त, 87 रक्तदाताओं पर भी अध्ययन किया गया जिनमें से 5.7% को हांटा रोधी वाइरस आई जी एम के लिए पोजिटिव पाया गया।

(ग) और (घ) जैसा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा सूचना दी गई है, थोट्टापलायम वाइरस (टीपीएमवी), देशी हांटा वाइरस को जुलाई, 1964 के दौरान वेल्लोर में एक छछूंदर की प्लीहा से अलग किया गया था। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने यह भी सूचना दी है कि 1988 में तीव्र ज्वर, हीमोप्टाइसिस तथा पल्मोनरी ओडीमा के प्रकोप के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों से एकत्रित एक सीरे नमूने को हांटा वाइरस के लिए पोजिटिव पाया गया।

(ङ) भारत में मानवीय जनसंख्या के संक्रमण के लिए हांटा वाइरस संबंधी सभी अध्ययनों से प्राप्त साक्ष्य पूर्णतया सीरमविज्ञानी है। इस वाइरस की रोकथाम कृन्तकों (रोडेन्ट) तथा उनके उत्सर्जित पदार्थ से संपर्क सीमित करके की जा सकती है। एनआईसीडी हांटा वाइरस से होने वाले संक्रमण संबंधी प्रयोगशाला निदान के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान करता है।

कार्डियोवास्कुलर रोगों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

3112. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कार्डियो वास्कुलर रोगों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त किए जाने की अपेक्षा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार का प्रस्ताव हृदय रोग, आघात तथा मधुमेह के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कार्डियो वास्कुलर रोग (सी वी डी) तथा मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू करने तथा क्रियान्वित करने का है। प्रारूप राष्ट्रीय सी वी डी, मधुमेह तथा आघात नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे पहले योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, को अद्यतन बनाया जा रहा है ताकि इसे व्यापक बनाया जा सके।

इन रोगों के लिए उत्तरदायी आम व्यावहारिक तथा जैविक जोखिम घटक इन तीनों मुख्य बीमारियों को जोड़ते हैं तथा उनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक जैसा मार्ग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, नए कार्यक्रम, जिसे रोकथाम तथा उपचार के संबंध में अनेक गतिविधियों के लिए शुरू किया जाएगा, को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली में राज्यों तथा केन्द्र द्वारा चलाया जा रहा है। साधारण मामलों, जैसे हाइपरटेंशन, जटिलता रहित मधुमेह इत्यादि का उपचार पी एच सी/सी एच सी स्तर पर किया जाता है जबकि जटिलतम मामलों में चिकित्सा कालेजों और जिला अस्पतालों तथा उच्चतर केन्द्रों जैसे एम्स, पी जी आई, चंडीगढ़ और एस जी पी जी आई, लखनऊ इत्यादि में तृतीयक स्तरीय परिचर्या की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के अनुमोदन सहित प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात ही प्रचालनात्मक होगा। इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले लाभों में हृदय रोगों, मधुमेह रोगियों के मामले में कमी तथा और ज्यादा जटिलताओं से बचने के लिए उनका समयपूर्वक उपचार शामिल है।

ताजमहल की मीनारों का झुकना

3113. डा. आर. सेनथिल: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताजमहल की मीनारें झुक रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) त्रिभुजन, आड़े-तिरछे तथा समकरण आंकड़ों से भारतीय सर्वेक्षण ने निष्कर्ष निकाला है कि 1940 तक ताजमहल का गुम्बद तथा चार मीनारें विन्यास तथा साथ ही उत्थापन रूप में काफी स्थिर रहीं। अभी हाल ही में, मार्च 2005 में, भारतीय सर्वेक्षण की भूगणितीय तथा अनुसंधान शाखा ने और अध्ययन किए हैं तथा मीनारों की अनुलम्बता का अवलोकन किया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

स्टेम सेल थेरेपी

3114. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ निजी अस्पतालों ने स्टेम सेल थेरेपी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अस्पतालों द्वारा यह थेरेपी शुरू करने से पहले फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ डी ए) से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति ले ली थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार के दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने सूचना दी है कि देश में कुछ निजी अस्पतालों ने स्टेम कोशिका थेरेपी शुरू की है। भारत में स्टेम कोशिका अनुसंधान तथा थेरेपी में शामिल मुख्य निजी संस्थान एल.वी. प्रसाद संस्थान है जो हैदराबाद में स्थित है। इसके डाक्टरों ने 200 से ज्यादा रोगियों में अंग संबंधी स्टेम कोशिका के प्रतिरोपण में सफलता प्राप्त की है। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में न्यूटेक मेडीवर्ल्ड, नई दिल्ली ने भ्रूण स्टेम कोशिका थेरेपी द्वारा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 100 रोगियों का उपचार करने का दावा किया है।

भारत में इस तरह की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए यू एस एफ डी ए का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। सांस्थानिक नीतिशास्त्र समिति का अनुमोदन अपेक्षित होता है और यदि शीर्ष समिति

कार्यरत होती है तो स्टेम कोशिका अनुसंधान तथा थेरेपी के लिए राष्ट्रीय शीर्ष समिति से पंजीकरण तथा अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

वर्ष 2002 में स्टेम कोशिका अनुसंधान के विनियम तथा इसके अनुप्रयोग में सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और इन्हें सुझाव तथा टिप्पणियों के लिए आई सी एम आर की वेबसाइट पर डाला गया था। प्रारूप दिशानिर्देश स्टेम कोशिका अनुसंधान तथा थेरेपी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हैं।

माजुली द्वीप की सांस्कृतिक रूप से संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषणा

3115. श्री मणीकुमार सुब्बा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माजुली द्वीप को यूनेस्को द्वारा विश्व संपदा के रूप में मान्यता दिए जाने की ओर एक कदम के रूप में इसे सांस्कृतिक रूप से संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितना व्यय किया गया है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 2005 के लिए विश्वदाय सूची में शामिल करने के विचारार्थ इस स्थल का नामांकन किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिशनों/पोस्टों के पास धनराशि

3116. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश में विभिन्न मिशन/पोस्ट आधिकारिक रूप से निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मिशनों/पोस्टों को बार-बार निर्धारित आवश्यकता से अधिक धनराशि न रखने के निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) अप्रैल, 2000 तथा जुलाई, 2005 के बीच आवश्यकता से अधिक धनराशि रखने वाले मिशनों/पोस्टों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही अपने पास नकद राशि रखते हैं। तथापि, इनमें से कुछ मिशनों से कतिपय अवसरों पर छह सप्ताह की अपनी आवश्यकता से अधिक नकद राशि रखी।

(ख) मिशनों/केन्द्रों द्वारा कतिपय महीनों के दौरान छह सप्ताह की आवश्यकता से अधिक नकद राशि रखने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. कोंसली प्राप्तियों में हुई अचानक वृद्धि;
2. माह के अंत में उन्हें विशेष अथवा अतिरिक्त राशि प्राप्त होना;
3. अंतिम समय में अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की यात्राएं स्थगित हो जाना;
4. प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए प्राप्त दान;
5. कारों की बिक्री से हुई आय;
6. स्थानीय सरकारों द्वारा वैट की वापसी स्थानीय मुद्रा में करना जो अपरिवर्तनीय होते हैं और जिनका उपयोग तत्काल नहीं किया जा सकता;
7. निर्माण/नवीनीकरण परियोजना के लिए भुगतान हेतु निधियों की आवश्यकता;
8. स्थानीय बैंकिंग विनियमों के कारण लेन-देन में विलम्ब।

(ग) विदेश मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों को अनुदेश जारी करके नकदी संबंधी अपनी आवश्यकताओं का इस प्रकार प्रबंधन करने की आवश्यकता को दोहराया है कि उनके पास नकद राशि छह माह की आवश्यकता से अधिक की न हो और वे अतिरिक्त राशि वापस भेज दें अथवा उनको भेजी जाने वाली रकम को रद्द करने/उसमें कमी करने के लिए समय पर मंत्रालय से संपर्क करें।

(घ) मिशनों द्वारा रखी जाने वाली नकदी पर नजर रखने के उद्देश्य से मंत्रालय उनसे प्राप्त होने वाली मासिक नकदी रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा करता है। जिन मिशनों/केन्द्रों के पास

अधिक नकदी पायी गयी उनसे अतिरिक्त राशि वापस भेजने के लिए कहा गया।

(ङ) अप्रैल, 2000 से जुलाई, 2005 के दौरान जिन मिशनों/केन्द्रों के पास अधिक नकद राशि थी उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

अप्रैल, 2000 से जुलाई, 2005 की अवधि के दौरान एक माह और इससे अधिक के लिए नकद राशि रखने वाले मिशन/केन्द्र

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र का नाम
1	2
1.	अकरा
2.	आदिस अबाबा
3.	अत्माती
4.	अन्तानानारिवो
5.	बाकु
6.	बेलग्रेड
7.	बार्मिंघम
8.	बुखारेस्ट
9.	बुडापेस्ट
10.	केप टाउन
11.	कोपनहेगन
12.	ढाका
13.	डरबन
14.	दुबई
15.	गेबोरोन
16.	हरारे
17.	हेलसिंकी
18.	जोहानसबर्ग
19.	कम्पाला
20.	लुआंडा
21.	काव
22.	मैड्रिड
23.	मनीला
24.	मिलान
25.	मास्को
26.	मस्कट
27.	नोम पेन्ह
28.	प्रीटोरिया
29.	रियाद
30.	सेंट पीटर्सबर्ग
31.	तेहरान
32.	व्लादिवोडतक
33.	जंजीबार
34.	थिम्पु
35.	लागोस
36.	बैंकाक
37.	तेल अवीव
38.	विंडहोक
39.	साना
40.	हो ची मिन्ह सिटी
41.	डकार
42.	अम्मान
43.	हांगकांग
44.	ट्यूनिश
45.	रबात
46.	आबिदजान
47.	बहरीन

[हिन्दी]

पनामा द्वारा वीजा में रियायत

3117. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनामा ने भारतीयों के लिए वीजा में रियायत देने की घोषणा की है जैसा कि 19 नवम्बर, 2005 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रियायत के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) जी हां।

(ख) पनामा के विदेश मंत्री और भारत के विदेश राज्य मंत्री के बीच 18 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षरित पत्रों के आदान-प्रदान के तहत पनामा भारतीयों के लिए एक-वर्षीय बहुप्रविष्टि व्यापारिक वीसा जारी करने के लिए सहमत है। वीसा में प्रत्येक यात्रा के दौरान अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक ठहरने का प्रावधान है।

(ग) व्यापारिक वीसा के आवेदक को पनामा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। पनामा का राजदूतावास कंपनी की विश्वसनीयता और यात्रा के प्रयोजन के संबंध में अपनी संतुष्टि के बाद वीसा जारी करेगा।

(घ) पनामा के साथ व्यापार में रुचि रखने वाले भारतीय व्यापारियों को इससे लाभ होगा।

[अनुवाद]

तमिल भाषा उन्नयन बोर्ड का सृजन

3118. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिल भाषा के विकास हेतु एक तमिल भाषा उन्नयन बोर्ड के सृजन की काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उक्त बोर्ड के कब तक गठित होने की संभावना?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारत सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति के संबंध में अनुसंधान के क्षेत्रों जैसे ऐतिहासिक तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, पांडुलिपि-विज्ञान, पुरालेख-शास्त्र, साहित्य, दक्षिण-शास्त्र, कला और वास्तुशिल्प आदि सहित तमिल भाषा के विकास से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से पहले ही एक "तमिल भाषा संवर्धन बोर्ड" गठित किया है।

[हिन्दी]

डाकघरों में कम्प्यूटर लगाना

3119. श्री एम. अंजन कुमार यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक के पंजीकरण हेतु आंध्र प्रदेश के डाकघरों में लगाए गए कंप्यूटरों की संख्या का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य में स्थान-वार किन-किन स्थानों पर कम्प्यूटर लगाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के जिन डाकघरों में कंप्यूटर लगाए गए हैं उनकी संख्या निम्नानुसार है:

2002-03	: शून्य
2003-04	: शून्य
2004-05	: 170

डाकघरों के नाम, उनके स्थान तथा हर डाकघर में लगाए गए कंप्यूटरों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) आंध्र प्रदेश में वर्ष 2005-06 के दौरान 282 डाकघरों को कंप्यूटर प्रदान किए गए। इन डाकघरों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2004-2005 के दौरान आंध्र प्रदेश में उन डाकघरों के नाम जहां कम्प्यूटर लगाए गए हैं। (2002-2003 तथा 2003-04 में कम्प्यूटरों की आपूर्ति नहीं की गई)

क्र.सं.	डाकघर का नाम	उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या
1	2	3
1.	अम्लापुरम प्रधान डाकघर	5
2.	अनंतपुर प्रधान डाकघर	18
3.	अंकालपल्ली प्रधान डाकघर	5
4.	अरूणदालपेट गुंटूर प्रधान डाकघर	17
5.	अत्तिली प्रधान डाकघर	5
6.	भद्राचलम प्रधान डाकघर	5
7.	भोगनीर प्रधान डाकघर	5
8.	बुकिंगघमपेट प्रधान डाकघर	8
9.	चिराला प्रधान डाकघर	5
10.	चित्तुर प्रधान डाकघर	16
11.	कुड्डापा प्रधान डाकघर	20
12.	एलूरू प्रधान डाकघर	15
13.	गडवाल प्रधान डाकघर	5
14.	गुडूर प्रधान डाकघर	5
15.	गुन्टाकल प्रधान डाकघर	6
16.	हनमकोंडा प्रधान डाकघर	15
17.	हिन्दूपुर प्रधान डाकघर	5
18.	हुजूराबाद प्रधान डाकघर	5
19.	हैदराबाद जीपीओ	39
20.	हैदराबाद जुबली प्रधान डाकघर	24
21.	काकीनाडा प्रधान डाकघर	15
22.	करीमनगर प्रधान डाकघर	12
23.	खैरताबाद प्रधान डाकघर	31
24.	खम्माम प्रधान डाकघर	6
25.	कोट्टागुडेम कोल्लरी प्रधान डाकघर	5
26.	कुरनूल प्रधान डाकघर	23
27.	मच्छलीपट्टनम प्रधान डाकघर	5
28.	मदनापल्ली प्रधान डाकघर	6
29.	महबूबनगर प्रधान डाकघर	9
30.	मनछेरियल प्रधान डाकघर	8
31.	मरकापुर प्रधान डाकघर	8
32.	मेडक प्रधान डाकघर	5
33.	मेरयालगुडा प्रधान डाकघर	5
34.	नालगोंडा प्रधान डाकघर	5
35.	नंदियाल प्रधान डाकघर	19
36.	नेल्लोर प्रधान डाकघर	17
37.	निजामाबाद प्रधान डाकघर	12
38.	ओनगोल प्रधान डाकघर	5
39.	पार्वतीपुरम प्रधान डाकघर	5
40.	पेड्डापल्ली प्रधान डाकघर	9
41.	प्रोदत्तूर प्रधान डाकघर	8
42.	राजमुन्द्री प्रधान डाकघर	25
43.	राजमपेट प्रधान डाकघर	5
44.	रामचन्द्रपुरम प्रधान डाकघर	11
45.	सामलकोट प्रधान डाकघर	5
46.	संगारेड्डी प्रधान डाकघर	6
47.	सत्तेनापल्ली प्रधान डाकघर	5
48.	सिकन्दराबाद प्रधान डाकघर	41
49.	श्रीकाकुलम प्रधान डाकघर	16
50.	श्रीकालाअस्ती प्रधान डाकघर	5

1	2	3
51.	स्टेशन काचीगुड्डा प्रधान डाकघर	9
52.	सूर्यपेट प्रधान डाकघर	5
53.	टेक्काली प्रधान डाकघर	5
54.	तेनाली प्रधान डाकघर	18
55.	तिरूपति प्रधान डाकघर	23
56.	त्रिमूलचेरी प्रधान डाकघर	11
57.	विजयवाडा प्रधान डाकघर	18
58.	विशाखापट्टनम प्रधान डाकघर	31
59.	विजयानगर प्रधान डाकघर	12
60.	वालतेर आरएस प्रधान डाकघर	13
61.	वानापत्थी प्रधान डाकघर	5
62.	वारंगल प्रधान डाकघर	17
63.	अदिलाबाद प्रधान डाकघर	11
64.	अदोनी प्रधान डाकघर	11
65.	अलागड्डा प्रधान डाकघर	11
66.	अम्छालावालासा प्रधान डाकघर	11
67.	अरनूर प्रधान डाकघर	11
68.	अवनीगड्डा प्रधान डाकघर	11
69.	बापटला प्रधान डाकघर	11
70.	भीमावरम प्रधान डाकघर	11
71.	बोब्बीली प्रधान डाकघर	11
72.	चन्द्रागिरी प्रधान डाकघर	11
73.	चिलाकलूरीपेट प्रधान डाकघर	11
74.	चोदावरम प्रधान डाकघर	11
75.	दारगामिट्टा प्रधान डाकघर	11
76.	धरमावरम प्रधान डाकघर	11
77.	गुडीवाडा प्रधान डाकघर	11
78.	जगतीयाल प्रधान डाकघर	11
79.	जनगांव प्रधान डाकघर	11
80.	जंगारेड्डीगुडेम प्रधान डाकघर	11
81.	कामारेड्डी प्रधान डाकघर	11
82.	कंडूकूर प्रधान डाकघर	11
83.	कानीगीर प्रधान डाकघर	11
84.	कावली प्रधान डाकघर	11
85.	कोठापेट प्रधान डाकघर	11
86.	कोव्वूर प्रधान डाकघर	11
87.	महबूबाबाद प्रधान डाकघर	11
88.	मनबापेट प्रधान डाकघर	11
89.	मंगलागिरी प्रधान डाकघर	11
90.	नरासारावपेट प्रधान डाकघर	11
91.	नरसीपट्नम प्रधान डाकघर	11
92.	नूजविड प्रधान डाकघर	11
93.	पल्लाकोल प्रधान डाकघर	11
94.	पालमनेर प्रधान डाकघर	11
95.	पराकल प्रधान डाकघर	11
96.	पुलीवेंडला प्रधान डाकघर	11
97.	राजोल प्रधान डाकघर	11
98.	रेपल्ले प्रधान डाकघर	11
99.	सिद्धीपेट प्रधान डाकघर	11
100.	जडचेरलव प्रधान डाकघर	11
101.	ताडेपल्लीगुडेम प्रधान डाकघर	11
102.	तनुकू प्रधान डाकघर	11
103.	विकाराबाद प्रधान डाकघर	11
104.	जहिराबाद प्रधान डाकघर	11
105.	आंध्रकेशरीनगर उप डाकघर	4
106.	बेगमपेट उप डाकघर	4

1	2	3
107.	डी.एच. शुतून उप डाकघर	4
108.	दानावईपेट उप डाकघर	4
109.	पत्तनचेरू उप डाकघर	4
110.	हिमायतनगर उप डाकघर	4
111.	हुमायूंनगर उप डाकघर	4
112.	जगननाईकपुर उप डाकघर	4
113.	कोठापेट उप डाकघर	4
114.	कुरनूलकैंप उप डाकघर	4
115.	महारानीपेट उप डाकघर	4
116.	मलकपेट कालोनी उप डाकघर	4
117.	मुशीराबाद उप डाकघर	4
118.	मेदेकूर उप डाकघर	4
119.	निजामाबाद आर.एस. उप डाकघर	4
120.	पी एण्ड टी कालोनी उप डाकघर	4
121.	संतनगर उप डाकघर	4
122.	विजयवाडा पालिटेक्नीक उप डाकघर	4
123.	लालगुडा उप डाकघर	4
124.	कुकटपल्ली उप डाकघर	4
125.	बालनगर टाऊनशिप उप डाकघर	4
126.	आईडीए जीडिमेटला उप डाकघर	4
127.	बोल्लारम उप डाकघर	4
128.	ईएमई (रिकार्ड) उप डाकघर	4
129.	ईसीआईएल उप डाकघर	4
130.	हिम्मतनगर उप डाकघर	4
131.	रेलनिलयाम उप डाकघर	4
132.	नेहरूनगर उप डाकघर	4
133.	सीताफलमंडी उप डाकघर	4
134.	अम्बरपेट उप डाकघर	4
135.	बहादुरपुरा उप डाकघर	4
136.	फकनुमा उप डाकघर	4
137.	हाईकोर्ट उप डाकघर	4
138.	आई.ई. नचारम उप डाकघर	4
139.	कंचनबाग उप डाकघर	4
140.	केशोगिरी उप डाकघर	4
141.	न्यू नालकुंटा उप डाकघर	4
142.	राजेन्द्रनगर उप डाकघर	4
143.	सैदाबाद उप डाकघर	4
144.	साहिफा उप डाकघर	4
145.	सरूरनगर उप डाकघर	4
146.	शालीबांदा उप डाकघर	4
147.	उप्पल उप डाकघर	4
148.	वनस्थलीपुरम उप डाकघर	4
149.	यकूटपुरा उप डाकघर	4
150.	एलआईसी डिवीजन उप डाकघर	4
151.	पुतलीबोवली उप डाकघर	4
152.	एस.आर. नगर उप डाकघर	4
153.	सोमाजीगुडा उप डाकघर	4
154.	सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट उप डाकघर	4
155.	गोलकोंडा उप डाकघर	4
156.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उप डाकघर	4
157.	श्रीनगर कालोनी उप डाकघर	4
158.	विजयनगर कालोनी उप डाकघर	4
159.	जुबली हिल्स उप डाकघर	4
160.	ए.जी.ऑफिस उप डाकघर	4
161.	गांधीभवन उप डाकघर	4
162.	आईबी लाइन्स उप डाकघर	4

1	2	3
163.	करवनसाहू उप डाकघर	4
164.	नारायणगुडा उप डाकघर	4
165.	परिश्रम भवन उप डाकघर	4
166.	एपीएसईबी उप डाकघर	4
167.	यूसुफगुडा उप डाकघर	4
168.	बंजारा हिल्स उप डाकघर, हैदराबाद	4
169.	बेगल बाजार उप डाकघर, हैदराबाद	4
170.	जामा-ई-उस्मानियां उप डाकघर, हैदराबाद	4

विवरण II

2005-06 के दौरान आंध्र प्रदेश में उन डाकघरों के नाम जहां कम्प्यूटर संस्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं

क्र.सं.	डाकघर का नाम
1	2
1.	ए.पी.एस.पी. कैम्प उप डाकघर
2.	अचन्ता उप डाकघर
3.	अहितीगला उप डाकघर
4.	एडमन बिल्डिंग उप डाकघर
5.	अकिबिदू उप डाकघर
6.	अक्केयापलेम उप डाकघर
7.	अल्लूर उप डाकघर
8.	अम्बाजीपेट उप डाकघर
9.	अनपार्थी उप डाकघर
10.	आंध्र यूनिवर्सिटी उप डाकघर
11.	अन्नवरम उप डाकघर
12.	अंतेरवेदीपलेम उप डाकघर
13.	आर्यपुरम उप डाकघर
14.	अतमाकूर (के) उप डाकघर
15.	अतमाकूर उप डाकघर
16.	आटोनगर उप डाकघर
17.	बी. कोठाकोटे उप डाकघर
18.	बी आर. पालेम उप डाकघर
19.	बदवेल उप डाकघर
20.	बनगनापल्ले उप डाकघर
21.	बांसवाड़ा उप डाकघर
22.	बन्तमाल्ली उप डाकघर
23.	बेल्लामपल्ली उप डाकघर
24.	बेतामचेरला उप डाकघर
25.	भेंसा उप डाकघर
26.	भट्टीपरोल उप डाकघर
27.	भीमूनीपतनम उप डाकघर
28.	भीमदोले उप डाकघर
29.	बी.एच.पी.वी. उप डाकघर
30.	बितरागुंटा उप डाकघर
31.	बोधान उप डाकघर
32.	सीमेंट नगर उप डाकघर
33.	चल्लापल्ली उप डाकघर
34.	चन्द्रामौली नगर उप डाकघर
35.	चेबरोल उप डाकघर
36.	चेन्नूर उप डाकघर
37.	चिल्लाकलापूडी उप डाकघर
38.	चीमाकुर्थी उप डाकघर
39.	चीनातपल्ले उप डाकघर
40.	चिन्नूर उप डाकघर
41.	चिन्तालापुडु उप डाकघर
42.	चिपूरूपल्ले उप डाकघर

1	2
43.	चित्तिवलासा उप डाकघर
44.	चौदेपल्ली उप डाकघर
45.	कलेक्टरेट (के एम एम) उप डाकघर
46.	सीटीआर कलेक्टरेट उप डाकघर
47.	कुमबुम उप डाकघर
48.	दाबा गार्डन उप डाकघर
49.	दचेपल्ले उप डाकघर
50.	दारसी उप डाकघर
51.	देवरकोंडा उप डाकघर
52.	धोने उप डाकघर
53.	दोनाकोंडा उप डाकघर
54.	दोरनाकल उप डाकघर
55.	दोवलाइसवरम उप डाकघर
56.	दराक्षरमस उप डाकघर
57.	दुबबाक उप डाकघर
58.	दुगगिराला उप डाकघर
59.	दुववूर उप डाकघर
60.	द्वारका नगर उप डाकघर
61.	इलुरू कलेक्टरेट उप डाकघर
62.	इलूरू आर एस उप डाकघर
63.	इंजीनियरिंग कालेज उप डाक घर
64.	फर्टीलाइजर सिटी उप डाकघर
65.	जी.एल. पुरम उप डाकघर
66.	जी.वी. खानी उप डाकघर
67.	गजपति नगर उप डाकघर
68.	गजुवाका उप डाकघर
69.	गनापावरम उप डाकघर
70.	गांधी ग्राम उप डाकघर
71.	गांधी नगर उप डाकघर
72.	गांधी चौक उप डाकघर
73.	गन्नावरम उप डाकघर
74.	जार्जपेट उप डाकघर
75.	गिद्दालूर उप डाकघर
76.	गोकावरम उप डाकघर
77.	गूटी आर.एफ. उप डाकघर
78.	गुटी उप डाकघर
79.	गोपालपतनम उप डाकघर
80.	गुडीवाडा आर एस टी उप डाकघर
81.	गुदलावल्लुरू उप डाकघर
82.	गुजवेल उप डाकघर
83.	गुरजल्ला उप डाकघर
84.	हनुमान जंक्शन उप डाकघर
85.	हिल कॉलोनी उप डाकघर
86.	हीरामंडलम उप डाकघर
87.	होलमेसपेट उप डाकघर
88.	हुजूरनगर उप डाकघर
89.	इंद्राप्लेम उप डाकघर
90.	इंडस्ट्रियल इस्टेट उप डाकघर
91.	इंडस्ट्रियल इस्टेट उप डाकघर
92.	इतचापुरम उप डाकघर
93.	जगइहापेट उप डाकघर
94.	जगमपेटा उप डाकघर
95.	जम्मलामाडूगू उप डाकघर
96.	जमाईकुंता उप डाकघर
97.	जोगीपेट विभागीय उप डाकघर
98.	ज्योथिनगर उप डाकघर

1	2
99.	के. एम. कॉलेज उप डाकघर
100.	कादीरी उप डाकघर
101.	कदियाम उप डाकघर
102.	कैकालूर उप डाकघर
103.	काकीनाडा कलैक्टरेट उप डाकघर
104.	कालीकिरी उप डाकघर
105.	कल्लूबोया उप डाकघर
106.	कलवाकुर्थी उप डाकघर
107.	कल्याणदुर्ग उप डाकघर
108.	कल्याणीखानी उप डाकघर
109.	कामकोटीनगर उप डाकघर
110.	कमलापुरम उप डाकघर
111.	कंचाराप्लेम उप डाकघर
112.	कंचीकचेरला उप डाकघर
113.	कंचीली उप डाकघर
114.	कंकीपाडू उप डाकघर
115.	कन्नेकल उप डाकघर
116.	कपिलेश्वरपुरम उप डाकघर
117.	करवेतीनगर उप डाकघर
118.	काशीबुगा उप डाकघर
119.	काजीपेट उप डाकघर
120.	खाजीपेट उप डाकघर
121.	कोदाद उप डाकघर
122.	कोदानगल उप डाकघर
123.	कोदूर उप डाकघर
124.	कोईकुंटला उप डाकघर
125.	कोलापुर उप डाकघर
126.	कोलूर उप डाकघर
127.	कोंडापल्ली उप डाकघर
128.	कोरतला उप डाकघर
129.	कोरूकोंडा उप डाकघर
130.	कोटबोमिल्ली उप डाकघर
131.	कोटनंदूर उप डाकघर
132.	कोवूर उप डाकघर
133.	कोय्यलगुडम उप डाकघर
134.	कुप्पम उप डाकघर
135.	कुरिचेडु उप डाकघर
136.	एलबी कॉलोनी उप डाकघर
137.	लॉयर उप डाकघर
138.	मचेरला उप डाकघर
139.	मदकासिरा उप डाकघर
140.	मधीरा उप डाकघर
141.	मख्तल उप डाकघर
142.	मलकापुरम उप डाकघर
143.	मंडासा उप डाकघर
144.	मंथानी उप डाकघर
145.	मंत्रालयम उप डाकघर
146.	मनुगुरू कोलियरी उप डाकघर
147.	मरीपलेम उप डाकघर
148.	मारूतेरू उप डाकघर
149.	मोरिसपेट उप डाकघर
150.	मोठकोर उप डाकघर
151.	मुडिनेपल्लि उप डाकघर
152.	मुम्मिदिवरम उप डाकघर
153.	एनआर पेटा (के) उप डाकघर
154.	एनएडी उप डाकघर

1	2
155.	नगरम एलएसजी उप डाकघर
156.	नागरी उप डाकघर
157.	नागरकुरनूल उप डाकघर
158.	नागयलंका उप डाकघर
159.	नकरीकल उप डाकघर
160.	नंदलूर उप डाकघर
161.	नंदीगामा उप डाकघर
162.	नंदीकोटकूर उप डाकघर
163.	नंदीपेट उप डाकघर
164.	नंदयाल आरएस
165.	नरसमपेट उप डाकघर
166.	नरसन्नापेट उप डाकघर
167.	नरसिंहारावपेट उप डाकघर
168.	नारायणखेड विभागीय उप डाकघर
169.	नारायणपेट उप डाकघर
170.	नरसापुर विभागीय उप डाकघर
171.	नरसापुर उप डाकघर
172.	निर्मल उप डाकघर
173.	ओएफ येहुमैलारम उप डाकघर
174.	ओल्ड टाउन अनंतपुर उप डाकघर
175.	ऊटनूर उप डाकघर
176.	पी एंड टी कॉलोनी उप डाकघर
177.	पादेरू उप डाकघर
178.	पकाला उप डाकघर
179.	पालाकोंडा उप डाकघर
180.	पालासा उप डाकघर
181.	पमारू उप डाकघर
182.	पामिडी उप डाकघर

1	2
183.	पारचूरू उप डाकघर
184.	पथापटनम उप डाकघर
185.	पाटीकोंडा उप डाकघर
186.	पेदाकुरापडु उप डाकघर
187.	पेदना उप डाकघर
188.	पेदनानदिपडु उप डाकघर
189.	पेदापडुउप उप डाकघर
190.	पेदापुरम उप डाकघर
191.	पेंदुरथी उप डाकघर
192.	पेंटापडु उप डाकघर
193.	पेनूगोंडा उप डाकघर
194.	पेनूकोंडा उप डाकघर
195.	पेरोला उप डाकघर
196.	पिडुगुरैला उप डाकघर
197.	पिलेर उप डाकघर
198.	पिथापुरम उप डाकघर
199.	पोदालकूर उप डाकघर
200.	पोडिली उप डाकघर
201.	पोलावरम उप डाकघर
202.	पोंदुरू उप डाकघर
203.	पोनूर उप डाकघर
204.	पोरूममिला उप डाकघर
205.	प्रशांतिनिलायम उप डाकघर
206.	पराथीपडु उप डाकघर
207.	पुनगानूर उप डाकघर
208.	पुतूर उप डाकघर
209.	आर.सी. पुरम उप डाकघर
210.	आर. ई. कॉलेज उप डाकघर

1	2
211.	रजाम उप डाकघर
212.	राजानगरम उप डाकघर
213.	रामागुंडम उप डाकघर
214.	रामाकृष्णापुरम उप डाकघर
215.	रामगिरी टी एस ओ
216.	रामपाचोदावरम उप डाकघर
217.	रविन्द्रनगर उप डाकघर
218.	रवुलापलेम उप डाकघर
219.	रायचोटी उप डाकघर
220.	रायदुर्ग उप डाकघर
221.	रायवरम उप डाकघर
222.	रेनीगुंडा उप डाकघर
223.	रेलवे डब्ल्यू डब्ल्यू शॉप उप डाकघर
224.	एस. के. नगर उप डाकघर
225.	एस. आर. एस. प्रोजेक्ट उप डाकघर
226.	एस. एस. डैम ईस्ट उप डाकघर
227.	एस. वी. यूनीवर्सिटी उप डाकघर
228.	सदाशिवपेट उप डाकघर
229.	सलूर उप डाकघर
230.	संकरापुरम उप डाकघर
231.	सतूपाली उप डाकघर
232.	सत्यनारायणपुरम उप डाकघर
233.	सत्यवीदु उप डाकघर
234.	शादनगर उप डाकघर
235.	शकारानगर उप डाकघर
236.	सिगारायकोंडा उप डाकघर
237.	सिरसिला उप डाकघर
238.	सिवरावपेट उप डाकघर
239.	सोमपेटा उप डाकघर
240.	श्रीराम नगर उप डाकघर
241.	श्रीराम नगर उप डाकघर
242.	स्टोनहाउसपेट उप डाकघर
243.	सूबेदारी उप डाकघर
244.	सुभाष नगर उप डाकघर
245.	सुलूरपेट उप डाकघर
246.	टाडेपल्लि उप डाकघर
247.	टाडपत्री उप डाकघर
248.	टंगुटूरू उप डाकघर
249.	तिरूमला उप डाकघर
250.	तिरूपति उत्तर उप डाकघर
251.	तिरूवुरू उप डाकघर
252.	ट्रंक रोड (नेल्लोर) उप डाकघर
253.	तूनी उप डाकघर
254.	उदयगिरी उप डाकघर
255.	उकुनगरम उप डाकघर
256.	उल्लिथोटा उप डाकघर
257.	उन्डी उप डाकघर
258.	उरवाकोंडा उप डाकघर
259.	वी.ए. पुरी उप डाकघर
260.	वयलपडू उप डाकघर
261.	वीरघट्टम उप डाकघर
262.	वेंकटरावपेट उप डाकघर
263.	वेटापलेम उप डाकघर
264.	विंजामूर उप डाकघर
265.	विणुकोंडा उप डाकघर
266.	विशाखापट्टनम बस स्टैंड उप डाकघर

1	2
267.	विजयनगरम कैंट उप डाकघर
268.	विजयनगरम सिटी उप डाकघर
269.	वी जे पॉलीटेक्नीक उप डाकघर
270.	वीएसपी नेवल बेस उप डाकघर
271.	वीएसपी पोर्ट उप डाकघर
272.	वीएसपी स्टील प्रोजेक्ट उप डाकघर
273.	वीटीपीएसओ इब्राहिमपट्टनम उप डाकघर
274.	वुयूरू उप डाकघर
275.	यानम उप डाकघर
276.	येलामनचिली उप डाकघर
277.	येलेस्वरम उप डाकघर
278.	येलांडू उप डाकघर
279.	येलारेड्डी उप डाकघर
280.	येम्मिगानूर उप डाकघर
281.	येराम्मुक्कापले उप डाकघर

[अनुवाद]

फार्मासिस्टों के रिक्त पद

3120. श्री निहाल चन्द: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 11 मई, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6864 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि, केन्द्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों को प्रायोजित किया गया था, उक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को सरकार द्वारा आयुष सी जी एच एस औषधालयों/एककों के लिए एस आई यू रिपोर्ट में निहित सिफारिश के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर निर्णय किए जाने तक आस्थगित रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण संचार सेवा योजना

3121. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण संचार सेवा योजना किन राज्यों में शुरू की गई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया;

(ग) क्या सरकार का शेष राज्यों में भी इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) ग्रामीण संचार सेवा (जीएसएस) योजना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू की गई।

(ख) ग्रामीण संचार सेवा योजना के अंतर्गत (31.10.2005 तक की स्थिति के अनुसार) देश भर के 12,604 गांवों को कवर किया गया। इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों का राज्य/सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं। पंजाब, हरियाणा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में और विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में यह योजना शुरू नहीं की जाएगी क्योंकि इस राज्य में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ग्रामीण संचार सेवा योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	ग्रामीण संचार सेवा योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	153
2.	असम	402
3.	बिहार	2465

1	2	3
4.	झारखंड	856
5.	गुजरात	172
6.	हिमाचल प्रदेश	163
7.	जम्मू-कश्मीर	32
8.	कर्नाटक	529
9.	केरल	105
10.	मध्य प्रदेश	778
11.	छत्तीसगढ़	709
12.	महाराष्ट्र	256
13.	उत्तर पूर्व-1	146
14.	उत्तर पूर्व-2	25
15.	उड़ीसा	925
16.	राजस्थान	132
17.	तमिलनाडु	671
18.	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	2084
19.	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम)	499
20.	उत्तरांचल	726
21.	पश्चिम बंगाल	236
	कुल	12064

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

3122. श्री सुरेश चन्देल: क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कितने गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान की गई हैं तथा 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2002 तक वर्षवार तथा गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी धनराशि दी गई तथा ये निधियां किसी प्रयोजन से प्रदान की गई थीं;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन से किया गया है जिसके लिए यह प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में तीन गैर-सरकारी संगठन हैं जिन्हें मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2002 तक धनराशियां उपलब्ध कराई/उपयोग में लाई जा रही हैं। गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें निधि उपलब्ध कराई गई, के वर्ष-वार, गैर-सरकारी संगठन-वार विवरण निम्नलिखित हैं:

योजना/उद्देश्य	वर्ष	गैर-सरकारी संगठन का नाम	संस्वीकृत राशि
1	2	3	4
राष्ट्रीय एकीकरण	1998-99		
	1999-2000	फ्रैन्ड्स स्पोर्टस एण्ड सोशल वेलफेयर क्लब, कांगड़ा	80,625 रुपये (दिनांक 27.5.1999 को 60,469 रुपये की प्रथम किश्त जारी की गई)
	2001-02		

1	2	3	4
साहस योजना	1998-99	-	-
	1999-2000	बाबा मनिन्दर पाल, कुल्लू	दिनांक 11.6.1999 को 1,87,500 रुपये जारी किए गए
		-वही-	दिनांक 4.1.2000 को 62,500 रुपये जारी किए गए
	2000-2001	मनाली क्लाइम्बर एसोसिएशन, मनाली	90,000 रुपये (दिनांक 23.10.2000 को 67,500 रुपये जारी किए गए)
	2001-2002	-	-

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार

3123. श्री ए.के. मूर्ति: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कांचीपुरम के प्राचीन एवं प्रसिद्ध मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि संस्वीकृति किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, चेन्नई मंडल, चेन्नई कांचीपुरम स्थित निम्नलिखित सात केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण कर रहा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्मारकों के सभी संरक्षण तथा रखरखाव कार्य शुरू किए गए हैं:

1. इरावतनेश्वर मंदिर
2. पीरावतेश्वर मंदिर
3. ज्वाराहरेश्वर मंदिर
4. मतंगेश्वर मंदिर
5. वैकुंठपेरूमल मंदिर
6. कैलाशनाथ मंदिर
7. मुक्तेश्वर मंदिर।

उपरोक्त सात केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2003-2004 में 32.62 लाख रुपए, तथा 2004-05 में 54.79 लाख रुपए का कुल व्यय किया तथा 2005-06 के लिए 35 लाख रुपए आवंटित किए हैं।

मकानों के आवंटन हेतु नीति में परिवर्तन

3124. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का विचार मकानों के आबंटन की अपनी नीति में परिवर्तन करने का है जैसा कि 2 दिसम्बर, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पूर्व में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां डीडीए द्वारा दो बार आबंटन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों पर डीडीए द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) संशोधित नीति के अनुसार डीडीए फ्लैट के आबंटन के लिए एक व्यक्ति या परिवार एक ही आवेदन कर सकता है। यदि एक व्यक्ति या परिवार द्वारा एक से अधिक आवेदन किया हुआ पाया जाता है तो संबंधित आवेदक के सभी आवेदन तथा उन आवेदनों के आधार पर किए गए सभी आबंटनों, यदि कोई हों, को रद्द किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फेस्टिवल हाउसिंग स्कीम, 2004 के अंतर्गत बहु-आबंटन के दो मामले उनकी जानकारी में आए हैं। दोनों मामलों में, आवेदक को अंतिम रूप से केवल एक फ्लैट आबंटित किया गया था तथा अन्य आबंटनों को उस समय प्रचलित डीडीए की नीति के तहत रद्द कर दिया गया था।

बकाया राशि की वसूली

3125. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी टेलीकॉम आपरेटरों तथा संबंधित सर्विस प्रोवाइडरों से सरकार द्वारा भारी राशि लेना लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन संबंध में उन्हें कोई रियायत दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) निजी दूरसंचार प्रचालकों की ओर बकाया देय राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बकाया देय लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अनुस्मारक भेजना, उपलब्ध बैंक गारंटी भुनाना और मध्यस्थ कार्यवाही करना शामिल है। उपयुक्त मामलों में लाइसेंस करार में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी दूरसंचार प्रचालकों की ओर बकाया देय लाइसेंस शुल्क (31.10.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	लाइसेंसधरक का नाम	सेवा	बकाया देय राशि
1	2	3	4
1.	मै. कोशिका टेलीकॉम	सीएमटीएस	4,530,000,000
2.	एयरसैल डिजिलिंक इंडिया लि.	सीएमटीएस	65,138,873
3.	एयरसैल लि.	सीएमटीएस	7,302,375
4.	बीपीएल मोबाइल्स कम्यू. लि.	सीएमटीएस	290,000,000
5.	एस्कॉर्ट्स लि.	सीएमटीएस	164,926
6.	आइडिया मोबाइल्स लि.	सीएमटीएस	9,715,325
7.	हच साठथ लि.	सीएमटीएस	4,808,350
8.	आइडिया सेल्यूलर लि.	सीएमटीएस	985,377
9.	भारती सेल्युलर लि.	सीएमटीएस	90,900,000

1	2	3	4
10.	रिलायंस लि.	सीएमटीएस	840,547
11.	मै. आईसीएनईटी लि.	ई-मेल	3,025,000
12.	मै. डाटालाइन	ई-मेल	2,064,549
13.	मै. डाटाप्रो	ई-मेल	1,550,000
14.	मै. अर्चना	ई-मेल	2,073,333
15.	मै. एलनेट टेक्नोलॉजी लि.	ई-मेल	756,666
16.	मै. बिजनेस इंडिया	ई-मेल	1,000,000
17.	वीएसएनएल	आईएलडी	490,000,000
18.	डाटा एक्सेस लि.	आईएलडी	156,356,575
19.	रिलायंस इन्फोकॉम लि.	आईएलडी	31,600,000
20.	रेल टेल	आईपी-2	32,325,940
21.	गेल	आईपी-2	1,413,597
22.	टाटा पॉवर कंपनी लि.	आईपी-2	1,302,282
23.	रिलायंस इन्फोकॉम लि.	एनएलडी	31,755,603
24.	वीएसएनएल	एनएलडी	8,627,172
25.	मोबाइलकॉम लि.	पीएमआरटीएस	319,286
26.	क्विक कॉल	पीएमआरटीएस	849,753
27.	स्मार्ट टॉक	पीएमआरटीएस	206,840
28.	अरविन्द मिल्स लि.	पीएमआरटीएस	2,818,347
29.	जर्मन एक्स. शिप. एजेन्सी (आई) प्रा. लि.	पीएमआरटीएस	119,807
30.	आईटीआई लि.	पीएमआरटीएस	155,544
31.	यूनाईटिड लाइनर	पीएमआरटीएस	1,864,000
32.	मै. एबीसी कम्युनिकेशन इंडिया प्रा. लि.	रेडियो पेंजिंग	193,890,861
33.	मै. डीएसएस मोबाइल कॉम लि.	रेडियो पेंजिंग	103,824,000
34.	मै. एल्डर पीडब्ल्यूआई कम्यु. लि.	रेडियो पेंजिंग	86,874,483
35.	मै. एल्डर पीडब्ल्यूआई पेजिंग सर्विस लि.	रेडियो पेंजिंग	173,250,000
36.	मै. इजीकॉल कम्यु. (इंडिया) प्रा. लि.	रेडियो पेंजिंग	48,109,834
37.	मै. मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्रा. लि.	रेडिया पेंजिंग	104,195,583

1	2	3	4
38.	मै. मोदी कोरिया टेलीकॉम लि.	रेडिया पेंजिंग	245,747,755
39.	मै. नीदरलैण्ड इंडिया कम्यु. इन्टरप्राइजिज	रेडिया पेंजिंग	109,056,985
40.	मै. आरपीजी पेंजिंग सर्विसेज लि.	रेडिया पेंजिंग	160,648,661
41.	मै. टेलीसिस्टम (इंडिया) प्रा. लि.	रेडिया पेंजिंग	21,980,000
42.	मै. पुनवायर मोबाइल कम्युनिकेनशन्स	रेडिया पेंजिंग	4,609,757,711
43.	मै. पुनवायर पेंजिंग सर्विस	रेडिया पेंजिंग	818,990,450
44.	मै. बीपीएल सिस्टम एंड प्रोजेक्ट लि.	रेडिया पेंजिंग	3,156,630
45.	मै. बेलट्रॉन टेलीकॉकम लि.	रेडिया पेंजिंग	197,818
46.	मै. माइक्रोवेव कम्यु. लि.	रेडिया पेंजिंग	232,475,537
47.	टाटा टेली सर्विसेज	यूएएसएल	5,604,783
48.	रिलायंस इन्फोकॉम लि.	यूएएसएल	5,577,674
49.	रिलायंस इन्फोकॉम लि.	बेसिक	740,200,000
50.	मै. माइक्रोवेव	वी.-मेल	18,439,433
51.	मै. डाटा लाइन एंड रिसर्च	वीसैट	10,000,000
52.	मार्कसैट	वीसैट	17,400,000
53.	सैटनेट टेलीकॉम	वीसैट	11,100,000
54.	ह्यूजेज एस्कॉर्ट्स कम्यु. लि.	वीसैट	245,275,705
55.	एरसल श्याम लि.	वीसैट	7,127,649
56.	गुजरात नर्मदा लि.	वीसैट	691,552
	कुल देय राशि		13,742,913,171

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़ों में ब्याज की राशि शामिल की गई है।

नि:शुल्क रोमिंग सुविधाएं

3126. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की सभी सेल फोन कंपनियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों के उपभोक्ताओं को नि:शुल्क रोमिंग सुविधाएं दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन सी आर के कुछ नगरों के उपभोक्ता इस सुविधा से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से बहादुरगढ़ तथा सोनीपत नगरों के उपभोक्ताओं के लिए एकरूपता लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) अन्य महानगरों तथा महत्वपूर्ण शहरों जैसे हैदराबाद में रह रहे लोगों के लिए यह सुविधा देने के संबंध में क्या स्थिति है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) एवं एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसों के प्रयोजनार्थ, दिल्ली महानगर सेवा क्षेत्र में दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा एवं गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेजों द्वारा सेवित स्थानीय क्षेत्र शामिल हैं। इस सेवा क्षेत्र में कोई रोमिंग प्रभार लागू नहीं है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे कुछ शहर दिल्ली महानगर सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं। बहादुरगढ़ और सोनीपत हरियाणा दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के भाग हैं। इन सेवा क्षेत्रों की परिसीमा में परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

(च) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं के लिए कोलकाता महानगर एवं प. बंगाल दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों तथा चेन्नई महानगर एवं तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों के बीच रोमिंग की सुविधा प्रदान की है।

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा एवं एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसों के अनुसार, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र का भाग है तथा इस सेवा क्षेत्र के भीतर कोई रोमिंग प्रभार लागू नहीं है।

[हिन्दी]

प्रतिनियुक्ति पर आई.ए.एस. अधिकारी

3127. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र-सरकार में राज्य-वार कितने आई.ए.एस. अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ख) वर्तमान में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में राजस्थान-संवर्ग के कितने आई.ए.एस. अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) अपेक्षित जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान-संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।

विवरण

8 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या

संवर्ग	अधिकारियों की संख्या
ए.जी.एम.यू.	32
आंध्र प्रदेश	35
असम-मेघालय	41
बिहार	44
छत्तीसगढ़	8
गुजरात	37
हरियाणा	23
हिमाचल प्रदेश	25
जम्मू-कश्मीर	14
झारखण्ड	14
कर्नाटक	33
केरल	37
मध्य प्रदेश	57
महाराष्ट्र	40
मणिपुर-त्रिपुरा	44
नागालैण्ड	9
उड़ीसा	30
पंजाब	11
राजस्थान	23
सिक्किम	2
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	81
उत्तरांचल	8
पश्चिम बंगाल	33
कुल योग	706

इंडियन हॉकी फेडरेशन की आय और व्यय

3128. **श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन हॉकी फेडरेशन की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर खर्च की जा रही राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही के वर्षों में इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) भारतीय हॉकी परिसंघ से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय हॉकी परिसंघ की आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2002-03	272.77	255.63
2003-04	362.86	376.80
2004-05	548.00	532.32

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय हॉकी परिसंघ द्वारा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2002-03	14.59
2003-04	21.90
2004-05	100.08

(ग) भारतीय हॉकी परिसंघ ने सूचित किया है कि भारतीय हॉकी परिसंघ में अध्यक्ष का पद अवैतनिक पद है तथा उन पर कोई व्यय नहीं किया गया है। किया गया व्यय आई.एच.एफ. (अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ), ए.एच.एफ. (एशियाई हॉकी परिसंघ) चयन समिति की बैठकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों तथा अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए उनकी सरकारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से संबंधित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके आधिकारिक दौरों पर किया गया खर्च निम्नानुसार है:

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2002-03	7.51
2003-04	2.28
2004-05	6.32

[अनुवाद]

आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.आर.एस. अधिकारियों पर सी.बी.आई. के छापे

3129. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.आर.एस. अधिकारियों पर छापे मारे गए;

(ख) इन छापों के आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) उपर्युक्त मामलों में से कितने अधिकारियों पर आरोप निर्धारित किए गए;

(घ) आरोप निर्धारित मामलों में से कितने अधिकारी दोषी पाए गए;

(ङ) उच्च श्रेणी की सेवाओं में भ्रष्टाचार के बारे में सरकार द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2000 से 2005

(31.10.2005 तक) के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के जिन अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तलाशियां ली और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए, की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा		भारतीय पुलिस सेवा		भारतीय राजस्व सेवा	
	मामलों की संख्या	अधिकारियों की संख्या	मामलों की संख्या	अधिकारियों की संख्या	मामलों की संख्या	अधिकारियों की संख्या
2000	14	14	1	1	9	9
2001	3	4	1	1	18	23
2002	1	1	1	1	15	15
2003	8	6	1	1	21	19
2004	2	2	3	2	25	27
2005	2	2	1	1	21	21
कुल	30	29	8	7	109	114

(ग) और (घ) 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त में से एक अथवा एक से अधिक मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9, भारतीय पुलिस सेवा के 3 तथा भारतीय राजस्व सेवा के 31 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं तथा भारतीय राजस्व सेवा के 3 अधिकारी दोष सिद्ध ठहराए गए हैं।

(ङ) से (छ) इसमें उपलब्ध सीमित आंकड़ों के आधार पर भ्रष्टाचार के परिदृश्य के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, सरकार के 'भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं' के लक्ष्य के मद्देनजर प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधी नीतियों और प्रणालियों का निर्माण और कार्यान्वयन, निवारक भ्रष्टाचार निरोधी निकायों (केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) का गठन, सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक वित्त के प्रबन्धन में पारदर्शिता, प्रतियोगिता और युक्तिसंगत मानदण्डों पर आधारित प्रणालियां स्थापित करना और सूचना तक आम जनता की पहुंच बढ़ाते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित करना जैसे भ्रष्टाचार निरोधी विभिन्न उपाय किए गए हैं।

हड्डी के कैंसर का उपचार

3130. श्री अर्जुन सेठी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाक्टरों ने हाल ही में भारत में एक अस्पताल में एक सकल आपरेशन द्वारा कैंसर प्रभावित हड्डी को बदल कर हड्डी के कैंसर का उपचार करने में सफलता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रोफेसर मायिलवाहनन नटराजन, अस्थि विज्ञान के प्रोफेसर, मद्रास मेडिकल कालेज और सरकारी जनरल अस्पताल, चेन्नई (तमिलनाडु) ने आर्क बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के सहयोग से एक प्रोस्थेसिस विकसित की है और वह इसका इस्तेमाल अस्थि कैंसर पर कर रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अस्थि बैंक संबंधी नोट

(संदर्भ: द हिन्दू, रविवार, 5 सितम्बर, 2004)

* डा. मायिलवाहनन ने 1988 में ही अस्थि के ट्यूमरों में "कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस" की प्रौद्योगिकी शुरू कर के अस्थि कैंसर से पीड़ित रोगियों का उपचार करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस विशेषज्ञता तकनीक द्वारा शल्य चिकित्सा से ट्यूमर से प्रभावित अस्थि को हटाकर और इसके स्थान पर एक धातु का प्रोस्थेसिस, जो रोगी की व्यक्तिगत अपेक्षा के अनुसार बनाया जाता है, स्थापित करके रोगियों में अंगच्छेदन से बचा जा सकता

है। यह प्रोस्थेसिस हाथों और टांगों दोनों के लिए किया जा सकता है।

* कस्टम मेगा प्रोस्थेसिस को पेटेंट कराने हेतु पेटेंट महानिदेशक को प्रस्तुत किया गया है।

* भारत में इसकी लागत लगभग 3000 रुपए होगी यदि अस्थि शव में से निकाली जाए और उसे अस्थि बैंक में प्रोसेस किया जाए।

लैंडलाइन/मोबाइल फोन कनेक्शन

3131. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के अंत तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग कुल कितने लैंडलाइन कनेक्शन हैं;

(ख) देश में ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों दोनों में कितने सेल्यूलर उपभोक्ता हैं;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संयुक्त टेली-घनत्व कितना है;

(घ) वर्ष 2005 और 2010 हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों से टेली घनत्व हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार लैण्डलाइन कनेक्शनों की कुल संख्या 41484257 थी, जिसमें ग्रामीण एवं शहरों क्षेत्रों में लैण्डलाइन कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 12437065 एवं 29047192 थी। इसी अवधि के दौरान, सेल्यूलर कनेक्शनों की कुल सख्या 41025940 थी।

(ग) 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, समग्र टेलीघनत्व 10.53 प्रतिशत था।

(घ) और (ङ) 2005 एवं 2010 तक टेलीघनत्व के निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 7 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) अप्रैल 2005 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान लगभग 150 मिलियन अतिरिक्त फोन प्रदान करने की योजना है।

(2) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि प्रशासक ने ग्रामीण फोन प्रदान करने के लिए चार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ करारों को अंतिम रूप दिया है, और

(3) भारत संचार निगम लि. ने लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए आउटडोर केबलों को बिछाने हेतु निर्धारित दूरी को 2.5 कि.मी. से बढ़ाकर 5.0 कि.मी. पर दिया है। इससे, मौजूदा एक्सचजों से ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकाधिक कवरेज सुकर होगा।

पाकिस्तान को स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु सहायता

3132. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 अक्टूबर, 2005 को एशियाई देशों को हिला देने वाले हाल ही में आए भूकंप में पाकिस्तान में लगभग 1000 अस्पतालों के ध्वस्त होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान को स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने में कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत ने पाकिस्तान को पर्याप्त राहत सामग्री मुहैया कराई है। अभी तक 1,300 टन राहत सामग्री पाकिस्तानी प्राधिकारियों को हस्तांतरित की गई है, जिसमें दवाइयां, टीके और एक्स-रे मशीनें शामिल हैं। 26 अक्टूबर, 2005 को इस्लामाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने 25 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की। 19 नवम्बर को इस्लामाबाद में आयोजित डोनर्स सम्मेलन में भारत ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा जो भारत द्वारा प्रतिभूत 25 मिलियन अमरीकी डालर में से ही वित्त पोषित की जा सकती हैं। भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति

3133. श्री पी. मोहन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सेवानिवृत्त अधिकारियों को मुख्य आयुक्त, सूचना का अधिकार के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) सेवानिवृत्त अधिकारियों को मुख्य आयुक्त सूचना का अधिकार के रूप में चयन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवानिवृत्त होने वाले कई अधिकारियों को भी मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सेवानिवृत्त अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्यों में, मुख्य सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों से संबंधित ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

जोनल सांस्कृतिक केन्द्र

3134. श्री एल. गणेशन: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित किए गए जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और कला संबंधी परम्परा का विदेशों में प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ कलाकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत इन जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों में कितने विदेशी युवकों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(घ) क्या इन केन्द्रों में सिलमबट्टनम और कलारी जैसी गैर-प्रतिस्पर्धात्मक मार्शल आर्ट्स को भी संरक्षण दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय हैं। मुख्यालयों सहित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र इस प्रकार हैं:

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला,

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद,

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर

पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता

उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर, और

दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों में किसी विदेशी युवा को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर 'सीलामबट्टम्' के तहत 30 विद्यालय छात्रों को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वे केरल के एक मार्शल आर्ट रूप, 'काकरीपायट' में भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला में गतका (पंजाब) और थोडू (हिमाचल प्रदेश) के मार्शल आर्ट रूपों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के दौरान, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर गैर-प्रतियोगी मार्शल आर्ट रूप जैसे मणिपुर के थांग-टा को सहायता प्रदान करता है। राबेंशे नृत्य (पश्चिम बंगाल) और थांग-टा नृत्य (मणिपुर) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र में गुरू-शिष्य परंपरा स्कीम में शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे मार्शल आर्ट रूपों, नामत:, पालका (झारखंड, ठड़ीसा), रूकमार नाच (ठड़ीसा), धाली (पश्चिम बंगाल) इत्यादि भी आयोजित करते हैं। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस बाल दस्ते 2003 में प्रदर्शन करने के लिए गुजरात के मेर रास को आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा कलारीपयाट्टू, थांग-टा, धाली नृत्य और ब्रताचारी को प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया था। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, अखाड़ा (मध्य प्रदेश), अखंड डंडपट्टा (महाराष्ट्र), लेजिम (महाराष्ट्र) और कामसाले की देख-रेख करता है ।

विवरण

दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर ने अक्टूबर, 2004 में भरतनाट्यम के 5 व्यक्तियों तथा कड़गम के 15 व्यक्तियों की मण्डलियों को श्रीलंका भेजा। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर, 2005 के दौरान भरतनाट्यम के 8 व्यक्तियों तथा लोक गीतों के 13 व्यक्तियों की एक मण्डली को श्रीलंका भेजा गया।

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं कला परंपराओं के प्रदर्शन हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्त्ताओं को मस्कट भेजा:

2003-04 श्रीमती सुनीता भट्टी, श्रीमती डॉली गुलरेजा, श्री सुखविंदर सुखी तथा श्री गुरपाल मुटलार (पंजाबी लोक गायक)

2004-05 श्री हंस राज हंस, सुश्री सरजीत भसीन (पंजाबी लोक गायक)

उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र ने जुलाई-अगस्त 2004 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडिनबर्ग सैन्य परेड में भाग लिया। मिजोरम के चेराओ नर्तकों ने एडिनबर्ग में परेड में भाग लिया। सांस्कृतिक मण्डली में उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केन्द्र के 35 चेराओं नृत्य कलाकार तथा 3 अधिकारी शामिल थे।

जनवरी-फरवरी, 2005 के दौरान पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, पोर्ट लुईस, मॉरीशस के स्फिंक्स प्रेक्षागृह तथा ग्राम विद्यालय रिवेयर-डू-रेम्पोर्ट, मॉरीशस में भाग लेने के लिए 10 सदस्यीय भोजपुरी लोक नृत्य और गीत मण्डली को प्रायोजित किया। सितम्बर-अक्टूबर, 2005 के दौरान पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र ने रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, त्वेर और क्लूगा में आयोजित 'रूस में भारतीय संस्कृति के दिन' में भी सांस्कृतिक मण्डलियों के साथ भाग लिया।

पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र ने जून 2003 में 'भूटान में भारत महोत्सव' में राजस्थान के कालबेलिया नर्तकों तथा गुजरात के गरबा, रास नर्तकों को प्रायोजित किया। भापांग वादन, रावन हट्टा तथा कठपुतली शो प्रदर्शित करने वाली, उदयपुर के 5 कलाकारों की एक मण्डली ने एडिनबर्ग मेला 2003 में भाग लिया। राजस्थान के तीन कलाकारों ने यूनाइटेड किंगडम में एडिनबर्ग मेला 2004 में भाग लिया। राजस्थान के कालबेलिया, तेराताला नर्तकों तथा मांगनियार गायकों की एक मण्डली ने अक्टूबर 2004 में 'ढाका में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव (भारत उत्सव)' में भाग लिया। नवम्बर, 2004 में वेल्स में राजस्थान के दो संगीतकारों ने वेल्स के बी बी सी राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के साथ विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यशालाओं और प्रदर्शनों में भाग लिया।

दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र ने वर्ष 2003-2004 में महाराष्ट्र की 'लावणी मण्डली' को भेजा। कर्नाटक की 'ढोलू कुनीठा'' मण्डली ने रूस में भारतीय सांस्कृतिक विरासत महोत्सव में भाग लिया।

सितम्बर-अक्टूबर, 2005 के दौरान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, त्वेर और कलूगा में 'रूस में भारतीय संस्कृति के दिन' आयोजित किया गया। पूरे देश के लोक एवं शास्त्रीय कलाकारों सहित 95 कलाकारों ने इस 10-दिवसीय महोत्सव में भाग लिया। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला इस महोत्सव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी था। रूसी मीडिया ने इस कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना की।

'हेरिटेज विलेजों' का संरक्षण

3135. श्री एन. एन. कृष्णदास: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी किसी विशेष परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को 'हेरिटेज विलेजों' के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को उसकी 'द हेरिटेज विलेज' नामक योजना को लागू करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय अपनी स्कीमों तथा संस्थानों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण में सहायता करता है। राष्ट्रीय अकादमियां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल; राष्ट्रीय संग्रहालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र विरासत के परिरक्षण में कार्यरत हैं। उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने देश की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन, प्रलेखन और उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई जी एन सी ए) को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में ऐतिहासिक स्थान

3136. श्री रामदास आठवले: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन पुरातात्विक महत्व के कितने स्थान हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उनके रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्थानों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में संरक्षित स्मारक

3137. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में वर्तमान में संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों/विरासत स्थलों/ऐतिहासिक स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके रख-रखाव हेतु कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्मारकों के अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) इस समय, संलग्न विवरण के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय महत्व के 137 स्मारक/स्थल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इन स्मारकों/स्थलों के उचित रखरखाव तथा संरक्षण पर निम्नलिखित धनराशि खर्च की गई है:

2002-03	396.31 लाख रुपए
2003-04	350.00 लाख रुपए
2004-05	307.97 लाख रुपए

तथापि, चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान, 400.00 लाख रुपए के आवंटन में से नवम्बर, 2005 तक 234.00 लाख रुपए का उपयोग किया गया है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में, आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	तालुक/जिला
1	2	3	4
1.	पहाड़ी किला तथा उसके अंदर के भवन एवं पहाड़ी के नीचे किले की चहारदीवारी	गूटी गूटी मंडल	गूटी अनंतपुर जिला
2.	माधवराया मंदिर प्राचीन विष्णु मंदिर	गोरंतला गोरंतला मंडल	हिन्दुपुर अनंतपुर जिला
3.	महालक्ष्मी मंदिर की बाहरी दीवार	गोरीपल्ली टंकाल मंडल	कदीरी अनंतपुर जिला
4.	मूर्तियों का समूह	हेमावथी अमरापुरम मंडल	मडकासीरा अनंतपुर जिला
5.	प्राचीन मंदिरों का समूह	हेमावथी अमरापुरम मंडल	मडकासीरा अनंतपुर जिला

1	2	3	4
6.	चट्टानी छोटी पहाड़ी पर बड़ा डोल्मेन	कल्याण दुर्ग कल्याण दुर्ग मंडल	कल्याण दुर्ग अनंतपुर जिला
7.	मल्लिकार्जुन शिव मंदिर	कम्बाडुरू कम्बाडुरू मंडल	कम्बाडुरू अनंतपुर जिला
8.	बासावन्ना मंदिर	लेपाक्षी लेपाक्षी मंडल	हिन्दुपुर अनंतपुर जिला
9.	वीरभद्र मंदिर	लेपाक्षी लेपाक्षी मंडल	हिन्दुपुर अनंतपुर जिला
10.	पहाड़ी किला	मडकासीरा मडकासीरा मंडल	मडकासीरा अनंतपुर जिला
11.	बड़ा बुर्ज तथा एक प्राचीन प्रवेशद्वार	मडकासीरा मडकासीरा मंडल	मडकासीरा अनंतपुर जिला
12.	दुर्ग एवं पहाड़ी पर ध्वस्त भवन	पेनूकोंडा पेनूकोंडा मंडल	पेनूकोंडा अंनतपुर जिला
13.	पहाड़ी किला एवं शिलालेखों सहित उत्तरी प्रवेशद्वार	पेनूकोंडा पेनूकोंडा मंडल	पेनूकोंडा अंनतपुर जिला
14.	प्राचीन गोपुरम	पेनूकोंडा पेनूकोंडा मंडल	पेनूकोंडा अंनतपुर जिला
15.	सब कलैक्टर के कार्यालय परिसर में प्राचीन स्तंभ अथवा लैंप पिलर	पेनूकोंडा पेनूकोंडा मंडल	पेनूकोंडा अंनतपुर जिला
16.	सांड के रूप में प्रवेशद्वार सहित सीतातीर्थम सीढ़ीदार कुआं	पेनूकोंडा पेनूकोंडा मंडल	पेनूकोंडा अंनतपुर जिला
17.	छोटा मंडप तथा ध्वस्त पानी का टावर	पेनूकोंडा पेनूकोंडा मंडल	पेनूकोंडा अंनतपुर जिला
18.	राम के बुर्ज के नाम से प्रसिद्ध वाच टावर	पेनूकोंडा पेनूकोंडा मंडल	पेनूकोंडा अंनतपुर जिला
19.	पहाड़ी किला तथा एक बड़ा कुआं	रत्नागिरी रोल्ला मंडल	मडकासीरा अनंतपुर जिला
20.	बाहरी किलेबंदी सहित विस्तृत पहाड़ी किला	रायादुर्ग किला	रायादुर्ग रायादुर्ग मंडल अनंतपुर जिला
21.	महल एवं राम और कृष्ण के दो मंदिर	रायादुर्ग किला	रायादुर्ग रायादुर्ग मंडल अनंतपुर जिला

1	2	3	4
22.	चिंतालारायास्वामी मंदिर	ताडीपात्री ताडीपात्री मंडल	ताडीपात्री* अंनतपुर जिला
23.	रामेश्वरस्वामी मंदिर	ताडीपात्री ताडीपात्री मंडल	ताडीपात्री अंनतपुर जिला
24.	निचला किला	चन्द्रागिरी चन्द्रागिरी मंडल	चन्द्रागिरि चित्तूर जिला
25.	ऊपरी किला	चन्द्रागिरी चन्द्रागिरी मंडल	चन्द्रागिरि चित्तूर जिला
26.	परशुरामेश्वर मंदिर	गुडिमल्लम येरपेडु मंडल	थोटटामपेडु चित्तूर जिला
27.	किला	गुर्रमकोंडा गुर्रमकोंडा मंडल	वयालपाडु चित्तूर जिला
28.	निचला किला, किले की मध्य दीवार, खाई, प्राचीन किले का प्रवेशद्वार, प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन मंडल तथा प्राचीन मस्जिद	गुर्रमकोंडा गुर्रमकोंडा मंडल	वयालपाडु चित्तूर जिला
29.	महल	गुर्रमकोंडा गुर्रमकोंडा मंडल	वयालपाडु चित्तूर जिला
30.	पल्लीश्वर मुदैया महादेव मंदिर	कलाकाडा कलाकाला मंडल	वयालपाडु चित्तूर जिला
31.	वेंकटेश्वर विष्णु मंदिर	मंगापुरम चन्द्रगिरि मंडल	चन्द्रगिरि चित्तूर जिला
32.	चेन्नाकेशवास्वामी मंदिर	सोमपल्ली मुलाकलाचेरूवु मंडल	थम्बालापल्ली चित्तूर जिला
33.	अगस्तीश्वरस्वामी मंदिर	चिलमाकुरू येरागुंटला मंडल	येरागुंटला कमलापुरम कडप्पा जिला
34.	विघ्नेश्वरस्वामी मंदिर	चिलमाकुरू येरागुंटला मंडल	येरागुंटला कमलापुरम कडप्पा जिला
35.	दफन हुए जैन मंदिर के अवशेष	दानावुलापाडु जम्मालामाडुगु मंडल	जम्मालामाडुगु कडप्पा जिला
36.	साथ लगे प्राचीन भवनों सहित किला, माधवपेरूमल मंदिर, मदरसाला के नाम से प्रसिद्ध टावर	गंडीकोटा जम्मालामाडुगु मंडल	मुडडानुर कडप्पा जिला

1	2	3	4
37.	भीमेश्वरस्वामी मंदिर	पुष्पागिरी कोटलुरू का खेडा वाल्लुरू वेल्लुरू मंडल	कडप्पा तालुक कडप्पा जिला
38.	इन्द्रनाथेश्वरस्वामी मंदिर	पुष्पागिरि कोटलुरू का खेडा वाल्लुरू वेल्लुरू मंडल	कडप्पा तालुक कडप्पा जिला
39.	कमलासंभावेश्वरस्वामी मंदिर	पुष्पागिरी कोटलुरू का खेडा वाल्लुरू वेल्लुरू मंडल	कडप्पा तालुक कडप्पा जिला
40.	राघवेश्वरास्वामी मंदिर	पुष्पागिरी कोटलुरू का खेडा वाल्लुरू वेल्लुरू मंडल	कडप्पा तालुक कडप्पा जिला
41.	शिवकेशवास्वामी मंदिर	पुष्पागिरी कोटलुरू का खेडा वाल्लुरू वेल्लुरू मंडल	कडप्पा तालुक कडप्पा जिला
42.	त्रिकोटेश्वरस्वामी मंदिर	पुष्पागिरि कोटलुरू का खेडा वाल्लुरू वेल्लुरू मंडल	कडप्पा तालुक कडप्पा जिला
43.	वैदयनाथास्वामी मंदिर	पुष्पागिरि कोटलुरू का खेडा वाल्लुरू वेल्लुरू मंडल	कडप्पा तालुक कडप्पा जिला
44.	सौम्यनाथ मंदिर	नंदाललूर नंदाललूर मंडल	राजमपेट कडप्पा जिला
45.	प्राचीन ग्राम स्थल	पेड्डामुडियम पेड्डामुडियम मंडल	जम्मालामाडुगु कडप्पा जिला
46.	कोदंडरामा मंदिर	पेड्डामुडियम पेड्डामुडियम मंडल	जम्मालामाडुगु कडप्पा जिला
47.	शिलालेख सहित मुकुंदेश्वर मंदिर	पेड्डामुडियम पेड्डामुडियम मंडल	जम्मालामाडुगु कडप्पा जिला
48.	शिलालेख सहित प्राचीन विष्णु मंदिर	पेड्डामुडियम पेड्डामुडियम मंडल	जम्मालामाडुगु कडप्पा जिला
49.	नरसिम्हा मंदिर	पेड्डामुडियम पेड्डामुडियम मंडल	जम्मालामाडुगु कडप्पा जिला

1	2	3	4
50.	अत्तीराला परशुराम मंदिर	पोली राजमपेट मंडल	राजमपेट कडप्पा जिला
51.	किला तथा उसके अंदर के प्राचीन भवन	सिघोट सिघोट मंडल	सिघोट कडप्पा जिला
52.	विश्वनाथस्वामी मंदिर	सिवालपल्ली चेन्नूर मंडल	चेन्नूर कडप्पा जिला
53.	श्रीकोदंडारामास्वामी का मंदिर तथा उसके साथ के भवन	वोंटिमिट्टा वोंटिमिट्टा मंडल ओंटिमिट्टा	सिघोट कडप्पा जिला
54.	स्तूप जैसे टीले जिसमें बौद्ध अवशेष हैं	अदुरू मामीडिकुदुरू मंडल	गन्नावरम पूर्वी गोदावरी जिला
55.	गोलिंगेश्वर मंदिर समूह, नक्कालागुडी कांचगुडी वीरभद्र मंदिर	बिक्कावोलु कांचारागुडी, वीरभ्रद मंदिर	रायावरम बिक्कावोलु मंडल पूर्वी गोदावरी जिला
56.	गणेश की एकाश्मक मूर्ति	बिक्कावोलू बिक्कावोलु मंडल	रायावरम पूर्वी गोदावरी जिला
57.	भीमेश्वर मंदिर	द्राक्षारामा रामचन्द्रपुरम मंडल	रामाचन्द्रपुरम पूर्वी गोदावरी जिला
58.	शैलकृत गुफाएं तथा कुंड एवं बौद्ध स्तूप के अवशेष, पांडावुला अथवा पांडवाकोंडा पहाड़ी पर चैत्य एवं विहार	कपारावरम कोरूकोंडा मंडल	कोरूकोंडा पूर्वी गोदावरी जिला
59.	बौद्ध अवशेष	कोडावली गोल्लापरोलु मंडल	पीठापुरम पूर्वी गोदावरी जिला
60.	भीमेश्वर मंदिर	समालकोट भीमावरम समालकोट मंडल	काकीनाडा पूर्वी गोदावरी जिला
61.	धरनीकोटा के पश्चिम में उत्कीर्ण चट्टान	अमरावती अमरावती मंडल	टाडीकोंडा गुंटूर जिला
62.	ध्वस्त बौद्ध स्तूप तथा अन्य अवशेष	अवरावती अमरावती मंडल	टाडीकोंडा गुंटूर जिला
63.	शिलालेख सहित एक प्राचीन शिव मंदिर	अयंगारीपलेम दाचेपल्ली मंडल	पीडुगुरल्ला गुंटूर जिला
64.	श्री भावनारायणास्वामी मंदिर	बापतला बापतला मंडल	बापतला गुंटूर जिला

1	2	3	4
65.	ध्वस्त बौध स्तूप	भटटीपरोलु भटटीपरोलु मंडल	रीपल्ले गुंटूर जिला
66.	मूर्तियां, नक्काशी, आकृतियां, नक्काशी तथा ऐसे ही अन्य सामान जोकि राजस्व सीमा से प्राप्त हुए	बुडडाम कारलापालेम मंडल	बापतला गुंटूर जिला
67.	मंदिर स्थल में 5 उत्कीर्ण स्लैब सहित कोपोतेश्वर मंदिर	छेजरला नेकारीकल्लू मंडल	नरसारावपेट गुंटूर जिला
68.	जीर्णशीर्ण किला	धरनीकोटा अमरावती मंडल	टाडीकोंडा गुंटूर जिला
69.	प्राचीन अवशेषों सहित टीला	ग्रंधासीरी अटचमपेट मंडल	टाल्लुरू गुंटूर जिला
70.	गोपाल मंदिर के पास उत्कीर्ण संगमरमर का स्तंभ	इपुरू इपुरू मंडल	इपुरू गुंटूर जिला
71.	टीले पर ब्राहमी शिलालेख सहित प्राचीन बौद्ध अवेशष	मंचीकाल्लु रेंटाचिंटाला मंडल	पलनाड गुंटूर जिला
72.	टीला	नागुलावरम मछेरला मंडल	मछेरला गुंटूर जिला
73.	प्राचीन अवशेषों सहित नागार्जुनकोंडा की पहाड़ी	पुल्लारेड्डीगुडेम मछेरला मंडल	मछेरला गुंटूर जिला
74.	मूर्तियां, नक्काशी, आकृतियां, प्राचीन टीले पर नक्काशी	पुल्लारेड्डीगुडेम अग्रहारम मछेरला मंडल	मछेरला गुंटूर जिला
75.	प्राचीन अवशेषों सहित टीले प्राचीन बौद्ध स्थल	वेलपुर अटचमपेट मंडल	ताल्लुरू गुंटूर जिला
76.	चार मंज़िला शैलकृत हिन्दु मंदिर	उंडावल्ली टाडेपल्ली मंडल	मंगलागिरि गुंटूर जिला
77.	चारमीनार	चारमीनार चारमीनार मंडल	हैदराबाद नगर निगम जिला
78.	गोलकोंडा किला	हैदराबाद गोलकोंडा मंडल	हैदराबाद नगर निगम जिला
79.	प्रागैतिहासिक स्थल	जानमपेट पिनापाका मंडल	मनुगुर खम्माम जिला
80.	टीले सहित प्राचीन स्थल जिसमें कि बौद्ध स्तूप चिह्नित हैं	अल्लुरू वीरूल्लापाडु मंडल	कांचीकाछेरला कष्णा जिला

1	2	3	4
81.	एक टीले में बौद्ध अवशेष	घंटसाला घंटासाला मंडल	मोव्वा कृष्णा जिला
82.	बौद्ध अवशेषों सहित टीला तथा प्राचीन ग्राम स्थल	गुडीवाडा गुडीवाला मंडल	गुडीवाला कृष्णा जिला
83.	मूर्तियां, नक्काशी, आकृतियां, नक्काशी तथा ऐसे ही अन्य सामान जोकि प्राचीन मस्जिद के समीप से प्राप्त हुए	गुडूर गुडुर मंडल	बांदार कृष्णा जिला
84.	टीले सहित पहाड़ी जिसमें प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष चिह्नित हैं	गुम्माडिडुरू पेनूगनचिपरोलू मंडल	नंदीगांमा कृष्णा जिला
85.	पहाड़ी पर एक स्तूप के अवशेष	जग्गायापेटा जग्गायापेटा मंडल	जग्गायापेटा कृष्णा नगर निगम जिला
86.	बांदार किला 1. शस्त्रागार जोकि पोर्ट एवं कस्टम कार्यालय के नाम से प्रसिद्ध है 2. शस्त्रागार	मसूलीपटनम बांदार मसूलीपटनम मंडल बांदार	मसूलीपटनम बांदार कृष्णा जिला
87.	डच कब्रिस्तान	मसूलीपटनम बांदार मसूलीपटनम मंडल बांदार	मसूलीपटनम बांदार कृष्णा जिला
88.	पहाड़ी पर शैलकृत गुफा मंदिर	मोगलराजापुरम विजयवाडा शहर नगर निगम	विजयवाडा कृष्णा जिला
89.	प्राचीन स्थल एवं अवशेष	मुनागाछेरला नंदीगांमा मंडल	नंदीगांमा कृष्णा जिला
90.	जम्मीडोडडि में ध्वस्त मंडल के चार स्तंभ	विजयवाड्य विजयवाडा शहर नगर निगम	विजयवाडा कृष्णा जिला
91.	मल्लेश्वरस्वामी मंदिर में उत्कीर्ण स्तंभ व स्लैब	विजयवाडा विजयवाडा शहर नगर निगम	विजयवाडा कृष्णा जिला
92.	इन्द्रकिला पहाड़ी पर किरातार्जुन स्तंभ	विजयवाडा विजयवाडा शहर नगर निगम	विजयवाडा कृष्णा जिला

1	2	3	4
93.	इन्द्रकिला पहाड़ी पर दो शैल कृत गुफा मंदिर जिन्हें अक्कान्ना मादन्ना गुफाओं के नाम से जाना जाता है के साथ-1. पूर्व की ओर मुख वाली एक दो कोठरी वाली गुफा एवं 2. सामने स्तंभों वाला बरामदा एवं मध्य की कोठरी में लिंग वाला एक तीन कोठरी वाला मंदिर	विजयवाडा विजयवाडा शहर नगर निगम	विजयवाडा कृष्णा जिला
94.	रमजान मस्जिद को छोड़कर ध्वस्त किला एवं उसके अंदर के भवन	अदोनी अदोनी मंडल	अदोनी कुरनूल जिला
95.	150 ए डी के आंध्र अभिलेखों का उत्कीर्ण शिलाखंड	चिन्नाकाडाबुरू पेड्डकाडाबुरू मंडल	अदोनी कुरनूल जिला
96.	अशोक शिलालेख की एक प्रसिद्ध ग्रेनाइट पहाड़ी	जोन्नागिरी तुग्गाली मंडल	पाठीकोंठा कुरनूल जिला
97.	मकबरा जिसे अब्दुल वहाब खान के मकबरे के नाम से जाना जाता है तथा उसके पास के भवन	कुरनूल कुरनूल शहर नगर निगम	कुरनूल कुरनूल जिला
98.	प्राचीन किले के प्रवेशद्वार तथा बुर्ज, जैसे 1. बीच घंटकी बुरूजु 2. बुर्जी नं. 2 लाल बंगला बुरूजु 3. गोपाल दरवाजा का प्रवेश द्वार 4. प्रवेश द्वार पानीकिड्डी	कुरनूल कुरनूल शहर नगर निगम	कुरनूल कुरनूल जिला
99.	सुब्रमण्यम की मूर्ति सहित नंदावरम मंदिर	नंदावरम बानागनापल्ले मंडल	बानागनापल्ले कुरनूल जिला
100.	अशोक शिलालेख, दो चालुक्य के पहले के व एक बाद के शिलालेख	राजुलामंडागिरी जुटुर का खेडा पटटीकोंडा मंडल	पटटीकोंडा पाठीकोंडा कुरनूल जिला
101.	शिव मंदिर के पूर्व में पडे उत्कीर्ण पत्थर	रायाचोटी नंदावरम मंडल	येम्मीगानुर कुरनूल जिला
102.	प्राचीन गुफा मंदिर	यगन्ती बानागनापल्ले मंडल	बानागनापल्ले कुरनूल जिला
103.	उमा महेश्वरस्वामी मंदिर	यगन्ती बानागनापल्ले मंडल	बानागनापल्ले कुरनूल जिला
104.	प्राचीन टीला	कोंडापुर कोंडापुर मंडल	सदाशिवपेट तालुक मेडक जिला
105.	आलमपुर मंदिर	आलमपुर आलमपुर मंडल	आलमपुर महबूबनगर जिला

1	2	3	4
106.	टीला जिसे बोडीपती डिब्बा भी जाना जाता है	रामातीर्थम वारिनी का खेडा विडावलुर मंडल	कोवुर नेल्लोर जिला
107.	प्राचीन टीला	रामातीर्थम वारिनि का खेडा विडावलुर मंडल	कोवुर नेल्लोर जिला
108.	पहाड़ी किला अंदर के भवनों सहित	उदयगिरि उदयगिरि मंडल	उदयगिरि नेल्लोर जिला
109.	डोंका के एक भाग में गोपुरम, कल्याणमंडपम तथा पत्थरों का टैंक सहित कृष्ण मंदिर	उदयगिरि उदयगिरि मंडल	उदयगिरि नेल्लोर जिला
110.	रंगनायाकुला मंदिर	उदयगिरि उदयगिरि मंडल	उदयगिरि नेल्लोर जिला
111.	प्राचीन टीले	कानुपारती नागालुप्पालापाडु मंडल	चिराला प्रकाशम जिला
112.	भैरवकोंडा पहाड़ी पर आठ शैलकृत मंदिरों का एक समूह	कोटटापल्ली चन्द्रशेखरपुरम मंडल	चन्द्रशेखरपुरम प्रकाशम जिला
113.	चोल मंदिर	मोटुपल्ले चिनागंजम मंडल	चिराला प्रकाशम जिला
114.	प्राचीन टीला	पेडागंजम चिनागंजम मंडल	चिराला प्रकाशम जिला
115.	एप्रोच मार्ग सहित पीतीकेश्वर मंदिर समूह	पिट्टीकायागुल्ला बेस्टावारीपेटा मंडल	बेस्टावारीपेटा प्रकाशम जिला
116.	प्राचीन स्थल	पुंसुलापाडु बेस्टावारीपेटा मंडल	बेस्टावारीपेटा प्रकाशम जिला
117.	रामलिंगेश्वर मंदिर समूह	सतियावेल गिडडालुर मंडल	गिडडालुर प्रकाशम जिला
118.	प्राचीन बौद्ध स्थल	कलिंगापटनम गारा मंडल	श्रीकाकुलम तालुक श्रीकाकुलम जिला
119.	श्री सोमेश्वर मंदिर	मुखलिंगम जालुमुरू मंडल	पथापटनम श्रीकाकुलम जिला
120.	भीमेश्वर मंदिर, मुखलिंगेश्वर मंदिर	मुखालिंगम जालुमुरू मंडल	पाथापटनम श्रीकाकुलम जिला

1	2	3	4
121.	बौद्ध अवशेष-1. छः आकृति 2. तीन आकृतियां तथा पहाड़ी पर कुछ और आकृतियां 3. एक आकृति 4. तीन आकृतियां	सालीहुंडम गारा मंडल	श्रीकाकुलम तालुक श्रीकाकुलम जिला
122.	बौद्ध अवशेषों सहित सालीहुंडम पहाड़ी का पूर्वी भाग एक चैत्य तथा चार स्तूप	सालीहुंडम गारा मंडल	श्रीकाकुलम तालुक श्रीकाकुलम जिला
123.	प्राचीन बौद्ध टीले जिन्हें स्थानीय रूप से धाना डिब्बालुम्हा जाता है	कोटटुरू गोकीवाडा जंगल के पास रामबिल्ली मंडल	येल्लामनचिली विशाखापटनम जिला
124.	बौद्ध शैलकृत स्तूप, डागाबास तथा गुफाएं एवं चैत्य के संरचनात्मक अवशेष तथा इसके बाहरी भवन व अन्य दो लगी हुई पहाड़ियां जिन्हें बोज्जानकोंडा भी कहा जाता है	संकारम अनाकानपल्ली मंडल	शब्दावरम विशाखापटनम जिला
125.	दुर्ग भैरवकोंडा जिसके साथ दुर्ग के नाम से प्राचीन स्मारक है	नीलावती गंत्यादा मंडल	गंत्यादा विजियानगरम जिला
126.	गुरूभक्तुलाकोंडा स्थित ध्वस्त बौद्ध विहार	रामातीर्थालु रामातीर्थम नेल्लीमारला मंडल	नेल्लीमारला विजियानगरम जिला
127.	प्राचीन डिब्बेस्वरस्वामीवारी मंदिर	सारापल्ली नेल्लीमारला मंडल	नेल्लीमारला विजियानगरम जिला
128.	सहस्त्र स्तंभ मंदिर	हनमकोंडा हनमकोंडा मंडल	हनमकोंडा वारंगल जिला
129.	रामप्पा मंदिर	पालमपेट वेंकटपुर मंडल	मुलुगु वारंगल जिला
130.	वारंगल किला, चहारदीवारी एवं प्रवेशद्वार	वारंगल हनमकोंडा मंडल	हनमकोंडा वारंगल जिला
131.	बौद्ध अवशेषों के टीले	अरूगालोनू टाडेपल्लीगडम मंडल	टाडेपल्लीगुडम पश्चिमी गोदावरी जिला
132.	टीले जिन्हें स्थानीय रूप से भीमालिंगाडिब्बा के नाम से जाना जाता है	डेंडुलुरू डेंडुलुरू मंडल	बीमाडोल पश्चिमी गोदावरी जिला
133.	बौद्ध स्मारक 1. शैलकत मंदिर 2. बड़ा विहार 3. छोटा विहार 4. ईटों का चैत्य 5. ध्वस्त मंडप 6. पत्थरों का बना स्तूप 7. बड़े स्तूपों के समूह	गुंटापल्ले कामावारापुकोटा मंडल	चिंतालापुडी पश्चिमी गोदावरी जिला

1	2	3	4
134.	गुफाएं तथा धर्मलिंगेश्वरस्वामी पहाड़ी पर पुरातत्वीय महत्व के संचरनात्मक स्तूप	जिलाकारागुडेम गुंटापल्ले का खेडा कामावारापुकोटा मंडल	चिंतालापुडी पश्चिमी गोदावरी जिला
135.	पेडावेगी के टीले डिब्बा नं. 1, डिब्बा नं. 2, डिब्बा नं. 3, डिब्बा नं. 4, डिब्बा नं. 5	पेडावेगी पेडावेगी मंडल	एलुरू पश्चिमी गोदावरी जिला
136.	प्राचीन टीले	पेडावेगी पेडावेगी मंडल	एलुरू पश्चिमी गोदावरी जिला
137.	अनुपु तथा नागार्जुनकोंडा पहाड़ी के शिखर पर पुननिर्मित स्मारक	नागार्जनकोंडा अनुपु मछेरला मंडल	मछेरला गुंटूर जिला

[हिन्दी]

टाटा स्टील द्वारा बीसीसीएल को अपने अधिकार में लेना

3138. श्री मित्रसेन यादव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा स्टील लिमिटेड ने भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की कुछ खानों को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बीसीसीएल की कुछ खानों में घाटा लगातार बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान हुए घाटे का खान-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। टाटा स्टील लि. ने बीसीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम में ब्लाक का खनन करने हेतु बीसीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्र में कपूरिया ब्लाक के आबंटन का अनुरोध किया है।

(ख) मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लि. ने भी इसी प्रकार की रुचि, व्यक्त की है। कोल इंडिया लि./भारत कोकिंग कोल लि. के परामर्श से विचार किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वित्त वर्ष (सितम्बर, 2005 तक) के दौरान खान-वार हुए घाटे के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

खान का नाम (ओपनकास्ट)	घाटा (लाख रु. में)
गोधुर	-343.56
ई. बसुरिया	-166.69
गोंडूडीह	-82.50
भावंरा साउथ ओसी	-59.59
कुल	-652.34

खान का नाम (भूमिगत)	घाटा (लाख रु. में)
1	2
मूनीडीह	-1889.85
सुदामडीहशाफ्ट	-1494.18
तेतूलमार	-1328.78
लोदना	-1134.44
लोयाबाद	-1040.83
भावंरा नार्थ	-1031.40
जोयरामपुर	-964.42
अमलाबाद	-920.38

1	2
बरारी	-877.83
पुटकी	-807.40
जोगीडीह	-783.99
सेन्द्रा बन्सजोरा	-774.10
बसंतीमाता	-765.50
मुडिडीह	-750.73
सुदामडीह इन्कलाइन	-739.18
भलगोरा प्रोजेक्ट	-732.38
बुर्रागढ़	-697.64
5/) पिट जीओपी (एचएमपी)	-658.88
कनकनी	-614.98
गोविन्दपुर	-610.37
बस्ताकोला	-597.25
सालनपुर	-587.28
भोवरा साउथ	-565.62
रामकनाली	-558.68
फुलारीटान्ड	-529.46
कुसुन्डा	-507.92
अकाशकिनारी कोलियरी	-501.10
भाटडीह	-482.43
गमदा	-477.38
दोबारी	-473.01
खास कुसुन्डा	-464.90
ई. बसुरिया	-463.84
पाथेरडीह	-459.33
ई. भगतडीह	-440.12
अलकुसा	-431.30
कटरास चेतुडीह	-403.66
गोधुर	-396.99
कुईया	-383.21
ब्लाक IV	-371.31
बलिहारी	-345.92
खरखरी	-303.53
एस.सी. गोविन्दपुर	-279.01
बेरा	-270.83
तेतुरिया	270.73
विक्टोरिया वेस्ट	-240.10
केन्डुआडीह	-232.71
ससडीउर	-190.70
महेशपुर	189.74
मधुबंद	-179.17
कुजामा	-721.98
कुल	-30270.47

[अनुवाद]

जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की सहायता

3139. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से चल रही जलापूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त चालू जल आपूर्ति परियोजनाओं के विवरण

विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से चार जल आपूर्ति परियोजनाएं चल रही हैं। इनके विवरण इस प्रकार हैं:-

1.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना		
	परियोजना लागत	:	211.59 करोड़ रु.
	ऋण सहायता	:	39.5 मिलियन अमेरिकी डालर
	प्रारंभ की तारीख	:	अप्रैल, 2004
	ऋण देने की अंतिम तारीख	:	मार्च, 2007
	अक्तूबर, 2005 तक कुल वितरण	:	2.478 मिलियन अमेरिकी डालर
	परियोजना क्षेत्र	:	तीन नगर निगम-हुबली-धारवाड़, बेलगाम और गुलबर्गा
2.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना		
	परियोजना लागत	:	89.8 मिलियन अमेरिकी डालर
	ऋण सहायता	:	55.50 मिलियन अमेरिकी डालर
	प्रारंभ की तारीख	:	जनवरी, 2001
	ऋण देने की अंतिम तारीख	:	दिसम्बर, 2006
	अक्तूबर, 2005 तक कुल वितरण	:	31.093 मिलियन अमेरिकी डालर
	परियोजना क्षेत्र	:	प्रारंभ में चार जिलों नामत: कोझीकोडे, मल्लापुरम, पालाक्कड़ और त्रिसूर में 89 ग्राम पंचायतें। बाद में राज्य के शेष 10 जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्य का विस्तार करते हुए 20 अन्य ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया।
3.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना		
	परियोजना लागत	:	193.44 मिलियन अमेरिकी डालर
	ऋण सहायता	:	136.6 मिलियन अमेरिकी डालर
	प्रारंभ की तारीख	:	अप्रैल, 2002
	ऋण देने की अंतिम तारीख	:	दिसम्बर, 2007
	अक्तूबर, 2005 तक कुल वितरण	:	51.615 मिलियन अमेरिकी डालर
	परियोजना क्षेत्र	:	11 जिलों नामत: उत्तर कन्नडा, बेलगाम, बीजापुर, बागलकोट, धारवाड़, गडाग, हवेरी, बिदर, गुलबर्गा, रायचूर और कोप्पल में 2100 गांवों सहित 700 ग्राम पंचायतें।

4. महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना

परियोजना लागत	:	268.65 मिलियन अमेरिकी डालर
ऋण सहायता	:	181.00 मिलियन अमेरिकी डालर
प्रारंभ की तारीख	:	सितम्बर, 2003
ऋण देने की अंतिम तारीख	:	सितम्बर, 2009
अक्तूबर, 2005 तक कुल वितरण	:	13.729 मिलियन अमेरिकी डालर
परियोजना क्षेत्र	:	26 जिलों में 2800 ग्राम पंचायतें।

[हिन्दी]

भारत-इस्राइल सहयोग

3140. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्राइल कई क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों द्वारा किन-किन क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (घ) भारत और इजराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी लाभकारी सहयोग चल रहा है।

इजराइल के उप-प्रधान मंत्री और उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री श्री इहुद ओलमर्ट ने दिसम्बर, 2004 में भारत का दौरा किया और हमारे अनेक मंत्रियों के साथ बातचीत की। द्विपक्षीय वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन करने पर सहमति हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने 9-11 नवम्बर, 2005 तक इजराइल का दौरा किया जिसके दौरान दोनों देशों के मंत्रियों द्वारा भारत और इजराइल संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट जारी की गयी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने मई, 2005 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग संवर्द्धित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री कुमारी शैलजा ने "सहस्राब्दि लक्ष्यों के अंतर्गत लिंग और उत्प्रवास से संबद्ध महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन" में भाग लेने के लिए 24-27 सितम्बर, 2005 तक इजराइल का दौरा किया।

कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता यित्जाक राबिन की दसवीं बरसी के अवसर पर होने वाले समारोहों में भाग लेने के लिए 13-17 नवम्बर, तक इजराइल का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने कृषि और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक और गहन बनाने के संबंध में इजराइल में अपने समकक्ष के साथ बातचीत भी की।

कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा देना

3141. श्री एम. शिवन्ना: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार के अभ्यावेदन सहित कई अभ्यावेदन इस संबंध में प्राप्त हुए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार किसी भाषा के प्राचीन भाषा के रूप में वर्गीकरण हेतु मानदंड इस प्रकार हैं:-

(1) इसके प्रारंभिक पाठों/अभिलेखित इतिहास का 1500-2000 वर्षों की अवधि में अति प्राचीन होना।

(2) प्राचीन साहित्य/पाठों का ऐसा एक समूह, जिसे इसके वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक बहुमूल्य विरासत माना जाता है।

(3) साहित्यिक परम्परा मौलिक हो और इसे किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लिया गया हो।

(4) प्राचीन भाषा और साहित्य, आधुनिक साहित्य से पृथक हो, प्राचीन भाषा और इसके बाद के स्वरूपों तथा इससे उत्पन्न होने वाली भाषाओं के बीच अंतर हो।

इस मामले की जांच करने के लिए भाषा-विज्ञान विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। कन्नड़ को एक प्राचीन भाषा घोषित करने के मुद्दे को इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पासपोर्ट और वीजा स्कीमों को सरल बनाना/सुधार करना

3142. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट और वीजा स्कीमों को सरल बनाने/उनमें सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) पासपोर्ट और वीजा प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने वाले लोगों की सुविधा के लिए पासपोर्ट और वीजा जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली में कई परिवर्तन किए गए हैं। इनमें पासपोर्ट आवेदन-पत्र को जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ तथा स्पीड-पोस्ट केंद्रों पर जमा किया जाना शामिल हैं। प्रक्रिया पुनर्गठन की प्रणाली शुरू कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रपत्रों पर शीघ्र कार्रवाई हो रही है। तत्काल सेवा के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने की समयावधि को भी संशोधित करके 11 से 20 दिन के स्थान पर 1 से 10 दिन कर दिया गया। पासपोर्ट कार्यालय तत्काल सेवा के अंतर्गत 10 वर्ष के लिए पूर्ण वैध पासपोर्ट और चेहरे, नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, हस्ताक्षर में बदलाव के मामले में अथवा पुस्तिका के पृष्ठ पूरे भर जाने की स्थिति में वर्तमान पासपोर्ट की वैधता अवधि शेष होने पर भी डुप्लीकेट पासपोर्ट अथवा पासपोर्ट पुस्तिकाएं जारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है कि वह राज्य पुलिस प्राधिकारियों को पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को दो सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा करने के निदेश दें।

'चिकित्सा वीजा' के नाम से वीजा की एक नई श्रेणी प्रारंभ की गई है। यह वीजा इसके धारक को भारतीय चिकित्सालयों में चिकित्सा कराने की अनुमति प्रदान करता है। छात्र वीजा को उदार बनाया गया है। इस उदारीकरण से यदि कोई विदेशी भारत में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सुनिश्चित प्रवेश के प्रमाण प्रस्तुत किए बिना ही उसे अस्थायी छात्र वीजा प्रदान किया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रीपेड सिम कार्डों की कमी

3143. श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री अजीत जोगी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रीपेड सिम कार्डों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन कार्डों को कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड में, अत्यधिक मांग में कारण, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त क्षमता की खपत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप भारत संचार निगम लिमिटेड को इन राज्यों में सेल्युलर नेटवर्क क्षमता संबंधी बाध्यताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, सिम कार्डों की उपलब्धता के बावजूद कनैक्शन जारी करने पर अस्थायी रूप से नियंत्रण लगाया जा रहा है।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने आगामी वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में 4.5 लाख लाइनों और छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता से अपने सेल्युलर नेटवर्क में विस्तार करने की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों में कार्यरत सेवानिवृत्त नौकरशाह

3144. श्री जुएल ओराम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. और आई.आर.एस. अधिकारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) विद्यमान नियमों के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी, निजी कम्पनियों में सेवानिवृत्ति के बाद अपने वाणिज्यिक रोजगार के लिए सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे। पेंशनभोगियों के मामले में सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पश्चात् सरकार की मंजूरी अपेक्षित नहीं है। ऐसे अधिकारियों के बारे में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

नरेला में डी.डी.ए. फ्लैट्स

3145. श्री अजीत कुमार सिंह:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नरेला में डी.डी.ए. फ्लैट्स का आवंटन बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का मूलभूत सुविधाएं कब तक प्रदान करने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि जल आपूर्ति, बरसाती पानी की नालियां, सीवरेज, सड़क व बिजली जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के बाद नरेला में फ्लैटों का आबंटन किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रमिकों के पासपोर्टों का अपने पास रखा जाना

3146. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में रोजगार हेतु भर्ती कर लिए जाने के पश्चात कर्मचारियों के पासपोर्ट नियोजक/प्रायोजक रख लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खाड़ी-देशों में निरीह कर्मचारियों को इससे भारी असुविधाएं हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) से (ग) जी, हां। खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना के अनुसार जब कर्मचारी गन्तव्य देशों में पहुंच जाते हैं तब प्रायोजक सामान्यत: उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं ताकि कार्य के लिए परमिट लिया जा सके/कार्य की अवधि बढ़ाई जा सके अथवा वीजा का नवीकरण कराया जा सके तथा सुरक्षा कारणों के साथ-साथ आंशिक रूप से उत्प्रवासी कामगारों को अन्य नियोक्ताओं के पास जाने को निरुत्साहित किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कि विदेश यात्रा अथवा भारत वापस आने के लिए, प्रायोजक द्वारा कर्मचारियों को उक्त पासपोर्ट वास लौटा दिए जाते हैं। किसी प्रकार की असुविधा की रिपोर्ट मिलने पर संबंधित मिशन तत्काल सीधा प्रायोजक के साथ और स्थानीय विदेश कार्यालय के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाते हैं।

[हिन्दी]

निजी दूरसंचार कंपनियों को राजसहायता देना

3147. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मो. ताहिर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्टर कनेक्शन पर टी.डी.एस. भुगतान से छूट के रूप में राजसहायता की मांग की है जैसाकि दिनांक 20 नवम्बर, 2005 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निजी सेल्यूलर कंपनियां अपने नेटवर्क विस्तार हेतु संसाधनों की कमी का सामना कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथा क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निजी कंपनियों को राजसहायता देने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) निजी क्षेत्र को राजसहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। इंटर कनेक्शन प्रभारों पर टीडीएस के भुगतान से छूट के लिए भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ ने बजट की सिफारिशों के एक भाग के रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बजट तैयार करने संबंधी कार्य के भाग के रूप में गुण-दोष के आधार पर, ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, प्राइवेट सेल्युलर कम्पनियों को लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों/शहरों में सेवा प्रदान करनी होती है। ऐसे नेटवर्कों का विस्तार उनकी वाणिज्यिक योजनाओं पर निर्भर करता है।

(ङ) जी, हां।

(च) सार्वजनिक सेवा दायित्व निधि से वित्तीय सहायता, बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक, सेल्युलर मोबाइल सेवा लाइसेंसधारक तथा एकीकृत अभिगम्यता सेवा लाइसेंसधारक को अथवा सरकार की ओर से समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य हस्ती को प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता, प्रक्रिया के अनुसार विनिर्दिष्ट सार्वभौमिक सेवा दायित्व प्रदान करने संबंधी निवल लागत की पूर्ति करने के लिए प्रदान की जाती है।

(छ) और (ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा सहायता प्राप्त गतिविधियों में 5025.23 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का रखरखाव करने, पूर्व में मल्टी एक्सेस रेडियो रिले प्रौद्योगिकी पर कार्यरत तथा 1.4.2002 से पहले संस्थापित वीपीटी बदलने, 100 से कम आबादी वाले तथा उपद्रवग्रस्त गावों को छोड़कर 66822 टेलीफोन सुविधा रहित गांवों को वीपीटी प्रदान करने, पात्र 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में अलग-अलग ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने और 46253 ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन प्रदान करने हेतु सहायता देना शामिल है।

फैस्टिवल हाउसिंग स्कीम

3148. श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':
डा. चिन्ता मोहन:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री निखिल कुमार:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004 में ''फैस्टिवल हाउसिंग स्कीम'' के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में कोई पारदर्शिता नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि कोई अनियमितताएं नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता है और गड़बड़ी की किसी भी संभावना से बचने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न संगठनों से स्वतंत्र जजों और मीडिया की उपस्थिति में फ्लैटों का कंप्यूटरीकृत ड्रा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी दिखाया जाता है। ड्रा के परिणामों को तत्काल रिसेप्सन क्षेत्र में

नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर दिया जाता है और समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है; इन सभी व्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार की शिकायत की संभावना काफी कम हो गई है। इन प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि जहां कहीं संभावना हो वहां और सुधार किए जा सकें।

देशों के साथ राजनयिक संबंध

3149. श्री बीर सिंह महतो:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सफलता हासिल की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (घ) भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 191 सदस्य राज्यों के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं।

भारत का सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम

3150. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक देश भारत के साथ इसके सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में कितनी प्रगति हासिल की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) हमारे प्रधानमंत्री के संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे के दौरान हाल ही में जारी किए गए भारत-अमरीका के संयुक्त वक्तव्य का लक्ष्य भारतीय सिविल परमाणु विद्युत कार्यक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय सहकार का मार्ग खोलना है। इस कार्य में निहित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, इस चरण पर समय संबंधी कार्यक्रम और किए जाने वाले व्यय के ब्यौरेवार अनुमानों के बारे में बताना कठिन है।

बीजा/कांसुलर सेवाओं में संशोधन

3151. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने द्विपक्षीय वीजा और कांसुलर सेवाओं में व्यापक संशोधनों के बारे में पाकिस्तान से प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों द्वारा किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन समझौतों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (च) भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को प्रोत्साहित करने की हमारी नीति को ध्यान में रखते हुए पूर्व विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह ने 2 से 5 अक्तूबर, 2005 तक पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान वर्तमान भारत-पाकिस्तान वीजा करार में संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए एक प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप में दोनों देशों के लोगों के लिए अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि के वीजा का उल्लेख है तथा सीमा के पार लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए छात्र, तीर्थयात्री और व्यवसायी जैसी अतिरिक्त नई श्रेणियों के वीजा का प्रस्ताव है। दोनों पक्ष संयुक्त वार्ता रूपरेखा के अंतर्गत इस मामले को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। भारत-पाकिस्तान संयुक्त वार्ता का तीसरा दौर जनवरी से जुलाई, 2006 तक होगा।

[हिन्दी]

राज्य खेल अकादमी की स्थापना

3152. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में राज्य खेल अकादमी की स्थापना करने की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षी योजना के दौरान किन-किन राज्यों में ऐसी अकादमियां स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को उन राज्यों में ऐसी अकादमियों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जहां ऐसी एक भी अकादमी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान इन राज्यों में ऐसी अकादमियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, अब तक ऐसी कोई अकादमी स्थापित नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा खेल परिषद, कटक द्वारा भुवनेश्वर में एक अकादमी स्थापित करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दे दिया गया है बशर्ते वह औपचारिकताएं पूरी करें। दसवीं पंचवर्षीय योजना की बकाया अवधि के दौरान खेल अकादमियों की स्थापना राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य पर एसेटिक एसिड का प्रभाव

3153. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपलब्ध पेप्सी और कोक जैसे विभिन्न शीतल पेयों में सामान्य रूप से जीवाणुनाशी के रूप में शौचालयों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एसेटिक एसिड निहित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के आकलन हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) एसीटिक एसिड कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमीशन द्वारा अनुमोदित एक खाद्य सहयोज्य है। खाद्य वर्ग के एसीटिक एसिड की संस्तुति खाद्य उत्पादों में परिरक्षक और अम्लता विनियामक के रूप में प्रयुक्त किए जाने हेतु की गई है। खाद्य सहयोज्यों संबंधी संयुक्त एफ ए ओ/डब्ल्यू एच ओ विशेषज्ञ समिति (जे ई सी एफ ए) ने 1965 में एसीटिक एसिड के प्रयोग तथा निरापदता संबंधी रूपरेखा का मूल्यांकन किया जिसकी समय-समय पर समीक्षा की गई है, और इसकी अन्तिम समीक्षा 2002 में की गई।

सिरका (विनेगर) जो एक खाद्य पदार्थ है और जिसका उपभोग सामान्य लोगों द्वारा किया जाता है, मूलत: एसीटिक एमिड है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत, एसीटिक एसिड (खाद्य वर्गीय) के कार्बोनेटेड जल सहित कुछ खाद्य उत्पादों में युक्त किए जाने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

नेपाली मंत्री द्वारा कथित टिप्पणी

3154. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाली मंत्री ने नेपाल के आन्तरिक मामले में भारत के अनुचित हस्तक्षेप के बारे में हाल ही में कथित टिप्पणी की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हाल ही में भारत की यात्रा की है;

(ङ) यदि हां, तो इस अवसर पर की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन दलों में कौन-कौन से नेपाली नेता शामिल थे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) सरकार ने नेपाल के आन्तरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार की आलोचना से सम्बद्ध नेपाल की शाही सरकार में नेपाली मंत्री के तथाकथित आरोप के संबंध में मीडिया की रिपोर्ट देखी है। सरकार का यह विचार है कि ऐसी टिप्पणियां और वक्तव्य भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में सहायता नहीं देंगी।

(घ) से (च) जी हां। नेपाल के साम्यवादी दल के अध्यक्ष, श्री जी.पी. कोइराला और महासचिव श्री माधव कुमार नेपाल उन नेताओं में से थे जिन्होंने अपने दल के सहयोगियों के साथ पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान अभी हाल ही में भारत की यात्रा की थी। दोनों नेताओं ने भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्यों के सात ही राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की, जिसके दौरान उन्हें नेपाल की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

[अनुवाद]

छोटे और मझौले नगरों का समेकित विकास

3155. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोटे और मझौले नगरों के समेकित विकास हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को धनराशि स्वीकृत किए जाने के निर्णय हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत निर्धारित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे और मझौले नगरों के समेकित विकास हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

2002-03	10.35
2003-04	9.85
2004-05	19.85

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर गत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र को जारी की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) छोटे और मझौले नगरों के समेकत विकास स्कीम के तहत सभी राज्यों को किए जाने वाले कुल आवंटन का 10% सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटित किया जाता है।

(ग) छोटे और मंझौले नगरों के समेकत विकास स्कीम के तहत वर्तमान वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 9.85 करोड़ रु. अंतरिम रूप से निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोटे और मंझौले नगरों के समेकित विकास स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(2002-03 से 2004-05)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2002-03	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	71.00	192.00	0.0	263.00
2.	असम	168.00	40.0	344.84	552.84

1	2	3	4	5	6
3.	मणिपुर	207.00	0.00	6.00	213.00
4.	मेघालय	123.60	0.00	0.00	123.60
5.	मिजोरम	24.00	0.00	80.00	104.00
6.	नागालैंड	16.00	163.00	0.00	179.00
7.	त्रिपुरा	45.60	88.12	94.00	227.72
8.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल योग	655.20	483.12	524.84	1663.16

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक सहायता

3156. श्री हितेन बर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का अनुदान और ऋण के रूप में अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में विश्व बैंक की निबंधन और शर्तें, यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वास्तविक रूप से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्राथमिकता पाने वाली मदों सहित कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित होने वाली मदों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्तमान राज्यवार स्थिति क्या है; और

(च) रक्त परीक्षण केन्द्रों की स्थापना सहित ब्लड बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उदार ऋण के रूप में विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-1 (1992-1997) को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाया गया। 84 मिलियन अमरीकी डालर (325 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-1 के दौरान खर्च की गई।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 (1999-2004) को 31 मार्च, 2006 तक बढाया गया। परियोजना (1999-2004) की कुल लागत 1155 करोड रुपए है। इसमें से विश्व बैंक से ऋण के रूप में 959 करोड रुपए की प्रतिपूर्ति की जानी है और बकाया 196 करोड रुपए भारत सरकार से घरेलू बजटीय सहायता के रूप में हैं। 800.06 करोड रुपए पहले ही खर्च कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-1 और 2 का उद्देश्य भारत में एच आई वी के फैलाव को धीमा करना था, ताकि संभावित रूग्णता दर, मृत्यु दर और एड्स से जुड़े सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सके। प्रमुख मदें हैं:-

* अत्यधिक जोखिम व्यवहार वाले समूहों (यौनकर्मी, इंजेक्शन द्वारा औषधों के प्रयोगकर्ता, ट्रक चालक) के बीच लक्षित कार्यकलाप और इस नीति को बहु-क्षेत्रों तक व्यापक बनाना;
* एच आई वी नियंत्रण के लिए प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना;
* जन जागरूकता का संवर्धन और आम जनसंख्या में कंडोम को बढावा देना;
* रक्त निरापदता और इसके युक्तिसंगत इस्तेमाल में सुधार करना;
* निगरानी और क्लिनिकल प्रबंधन क्षमता का सृजन;
* यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करना; और
* कम लागत वाली एड्स परिचर्या और सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण।

(ङ) सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में एच आई वी/एड्स जागरूकता कार्यकलाप चलाए जाते हैं तथा कंडोम के इस्तेमाल को बढ़ावा

दिया जाता है। सभी सरकारी मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों के माध्यम से अवसरवादी संक्रमणों का उपचार तथा प्रभावोत्तर (पोस्ट एक्सपोजर) रोगनिरोधन प्रदान किया जा रहा है। स्वैच्छिक परामर्श और जांच की सुविधा, एस टी आई/आर टी आई का उपचार तथा रक्त बैंक सभी राज्यों के अधिकांश जिलों में उपलब्ध हैं। एच आई वी की राज्यवार अनुमानित व्याप्तता संलग्न विवरण-I में दी गई है तथा सेवाएं प्रदान कर रही राज्यवार भौतिक अवसंरचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम परियोजनाओं के अधीन 255 रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया गया, 683 जिला स्तरीय रक्त बैंकों और 82 रक्त घटक पृथक्करण एककों की स्थापना की गई। अल्पसेवित राज्यों में 10 अत्याधुनिक माडल रक्त बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं जिन में से 7 को चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, देश में 200 और रक्त बैंकों को आधुनिक बनाने की योजना भी बनाई गई है।

विवरण I

राज्यवार अनुमानित एच आई वी संक्रमण-2004

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एच आई वी अनुमान
1	2	3
उच्च व्याप्तता वाले राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	1394738.54
2.	कर्नाटक	604135.37
3.	महाराष्ट्र	1105082.52
4.	मणिपुर	30653.24
5.	नागालैंड	20803.13
6.	तमिलनाडु	360425.89
मध्यम व्याप्तता वाले राज्य		
7.	गोवा	15081.64
8.	गुजरात	86212.40
9.	पांडिचेरी	2727.64
कम व्याप्तता वाले राज्य		
10.	अरुणाचल प्रदेश	2093.48
11.	असम	27943.21
12.	बिहार	114837.47
13.	छत्तीसगढ़	40705.40
14.	दिल्ली	99243.97
15.	हरियाणा	43020.60
16.	हिमाचल प्रदेश	5648.54
17.	जम्मू-कश्मीर	8621.49
18.	झारखंड	39505.59
19.	केरल	107618.26
20.	मध्य प्रदेश	109887.15
21.	मेघालय	3931.89
22.	मिजोरम	12065.48
23.	उड़ीसा	121909.72
24.	पंजाब	49263.92
25.	राजस्थान	96805.69
26.	सिक्किम	961.83
27.	त्रिपुरा	5144.83
28.	उत्तर प्रदेश	266608.44
29.	उत्तरांचल	13881.38
30.	पश्चिम बंगाल	279124.52
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	873.11
32.	चंडीगढ	6165.98
33.	दादरा व नगर हवेली	603.05
34.	दमन व दीव	624.80
35.	लक्षद्वीप	126.35
	कुल (वयस्क)	5077076.52
	सभी राज्यों के संक्रमित बच्चे	56786.74
	कुल	5133863.25

विवरण II

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सेवाएं प्रदान कर रही राज्यवार भौतिक अवसंरचना

अक्तूबर, 2005 तक राज्यों में एककों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वी सी टी सी (1)	पी पी टी सी टी (2)	सामुदायिक परिचर्या केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद एम ए सी एस	4	–	1
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	9	–	0
3.	आंध्र प्रदेश	109	37	17
4.	अरुणाचल प्रदेश	10	0	1
5.	असम	23	3	1
6.	बिहार	45	6	0
7.	चंडीगढ़	3	3	1
8.	चेन्नई एम ए सी एस	11	–	1
9.	छत्तीसगढ़	9	–	0
10.	दादरा व नगर हवेली	1	–	0
11.	दमन व दीव	1	–	0
12.	दिल्ली	20	10	3
13.	गोवा	2	1	2
14.	गुजरात	33	10	1
15.	हरियाणा	15	2	1
16.	हिमाचल प्रदेश	9	0	1
17.	जम्मू-कश्मीर	3	0	0
18.	झारखंड	7	0	0
19.	कर्नाटक	46	45	10
20.	केरल	15	5	1
21.	लक्षद्वीप	0	–	0
22.	मध्य प्रदेश	31	2	1
23.	महाराष्ट्र	56	55	2
24.	मणिपुर	9	9	5

1	2	3	4	5
25.	मेघालय	1	0	0
26.	मिजोरम	9	0	0
27.	मुम्बई एम ए सी एस	26	18	2
28.	नागालैण्ड	12	9	4
29.	उड़ीसा	20	3	1
30.	पांडिचेरी	3	2	1
31.	पंजाब	17	6	0
32.	राजस्थान	32	6	1
33.	सिक्किम	3	1	0
34.	तमिलनाडु	117	133	5
35.	त्रिपुरा	1	0	0
36.	उत्तर प्रदेश	70	0	0
37.	उत्तरांचल	16	1	0
38.	पश्चिम बंगाल	27	10	1
	कुल	825	377	64

1. स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केन्द्र (वीसीटीसी)
2. माता-पिता से बच्चे को होने वाले संक्रमण की रोकथाम (पीपीटीसीटी)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यकलापों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	लक्षित कार्यकलाप	द्वारा इन केन्द्र
1	2	3	4
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	4	0
2.	अहमदाबाद	25	1
3.	आंध्र प्रदेश	117	3
4.	अरुणाचल प्रदेश	7	0
5.	असम	33	1
6.	बिहार	21	1
7.	चंडीगढ़	12	1
8.	छत्तीसगढ़	12	0
9.	चेन्नई	20	2
10.	दादरा व नगर हवेली	1	0
11.	दमन व दीव	1	0
12.	दिल्ली	30	0
13.	गोवा	8	1
14.	गुजरात	97	0
15.	हरियाणा	17	1
16.	हिमाचल प्रदेश	9	1
17.	जम्मू-कश्मीर	6	0

1	2	3	4
18.	झारखण्ड	9	1
19.	कर्नाटक	31	2
20.	केरल	56	1
21.	लक्षद्वीप	0	0
22.	मध्य प्रदेश	12	0
23.	महाराष्ट्र	40	0
24.	मुम्बई (एम सी)	22	3
ए वी ई आर टी		36	0
25.	मणिपुर	42	1
26.	मेघालय	6	0
27.	मिजोरम	27	1
28.	नागालैंड	42	4
29.	उड़ीसा	10	0
30.	पांडिचेरी	1	0
31.	पंजाब	0	0
32.	राजस्थान	17	1
33.	सिक्किम	3	1
34.	तमिलनाडु	64	7
ए पी ए सी		44	0
35.	त्रिपुरा	19	0
36.	उत्तरांचल	8	0
37.	उत्तर प्रदेश	21	0
38.	पश्चिम बंगाल	35	3
	कुल	965	37

नाको द्वारा आधुनिक बनाए गए रक्त बैंकों की राज्यवार संख्या

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला स्तर के रक्त बैंक	प्रमुख रक्त बैंक	रक्त घटक पृथक्करण एकक	आधुनिक माडल रक्त बैंक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40	22	4	–
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	1	1	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	1	–	–
4.	असम	23	4	2	2
5.	बिहार	38	5	1	1
6.	चंडीगढ़	1	3	1	1
7.	छत्तीसगढ़	14	2	1	1
8.	दिल्ली	2	13	4	–
9.	दादर व नगर हवेली	2	–	–	–
10.	दमन व दीव	3	–	–	–
11.	गोवा	1	2	1	–
12.	गुजरात	42	15	6	–
13.	हरियाणा	17	4	2	–

1	2	3	4	5	6
14.	हिमाचल प्रदेश	6	3	1	–
15.	जम्मू-कश्मीर	7	8	3	–
16.	झारखण्ड	18	4	3	1
17.	लक्षद्वीप	1	–	–	–
18.	कर्नाटक	43	14	4	–
19.	केरल	22	15	6	–
20.	मध्य प्रदेश	42	8	5	1
21.	महाराष्ट्र	42	31	9	–
22.	मणिपुर	7	2	1	–
23.	मेघालय	7	2	1	–
24.	मिजोरम	5	2	1	–
25.	नागालैंड	7	1	–	–
26.	उड़ीसा	43	7	1	–
27.	पांडिचेरी	4	1	1	–
28.	पंजाब	25	8	2	–
29.	राजस्थान	18	8	2	2
30.	सिक्किम	1	1	–	–
31.	तमिलनाडु	66	28	6	–
32.	त्रिपुरा	3	3	1	–
33.	उत्तर प्रदेश	46	20	7	1
34.	उत्तरांचल	10	2	–	1
35.	पश्चिम बंगाल	61	15	5	–
	कुल	683	255	82	10

31 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार ए आर टी शुरू किए गए रोगियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र का नाम	रोगियों की संख्या				
			पुरुष	महिला	बच्चे	नपुंसक	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु (7)	जीएचटीएम ताम्बरम, तमिलनाडु	895	642	146	7	1690
2.		मद्रास मेडिकल कालेज, चैन्नई	172	83	3	0	258
3.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मदुरै	299	180	12	0	491

1	2	3	4	5	6	7	8
4.		गवर्नमेंट हास्पीटल, नामक्कल	266	214	27	1	508
5.		किलपोक मेडीकल कालेज, चैन्नई	2	0	0	0	2
6.		मेडिकल कालेज, सलेम	5	0	0	0	5
7.		मेडिकल कालेज, तिरूनेलवेली	3	0	0	0	3
8.	महाराष्ट्र (8)	जे.जे. हास्पीटल, मुम्बई	1484	679	28	1	2192
9.		केईएम हास्पीटल, मुम्बई	19	16	2	0	37
10.		नायर हास्पीटल, मुम्बई	7	6	0	0	13
11.		सियोन हास्पीटल, मुम्बई	31	14	7	2	54
12.		गवर्नमेंट मेडिकल नालेज, सांगली	310	214	17	4	545
13.		बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे	385	219	27	0	631
14.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर	314	108	28	0	450
		एन ए आर आई, पुणे	8	5	0	0	13
15.	मणिपुर (2)	आर.आई.एम.एस., इम्फाल	159	63	4	0	226
16.		जवाहर लाल नेहरू हास्पीटल, इम्फाल	67	92	33	1	193
17.	आन्ध्र प्रदेश (3)	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद	592	226	11	0	829
18.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, गुन्टूर	320	145	4	0	469
19.		गवर्नमेंट, मेडिकल कालेज, विजाग	114	61	0	0	175
20.	कर्नाटक (3)	बोरिंग एण्ड लेडी कर्जन हास्पीटल, बंगलौर	420	211	35	0	666
21.		मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर	156	81	2	0	239
22.		के.आई.एम.एस., हुबली	331	167	19	0	517
23.	नागालैंड (1)	नागा डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल, कोहिमा	70	35	5	0	110
24.	दिल्ली (3)	आर एम एल हास्पीटल, नई दिल्ली	615	230	104	3	952
25.		एंस एन बे पी. हास्पीटल, नई दिल्ली	329	117	9	0	455
26.		एम्स, नई दिल्ली	318	102	25	3	448
27.	चण्डीगढ़ (1)	पी जी आई एम ई आर, चण्डीगढ़	276	144	67	0	487
28.	राजस्थान (1)	एस एम एस हास्पीटल, जयपुर	73	30	3	0	106
29.	गुजरात (1)	बी जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	338	130	13	2	483

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	पश्चिम बंगाल (1)	स्कूल आफ ट्रापीकल मेडिसिन, कोलकाता	361	113	16	0	490
31.	उत्तर प्रदेश (2)	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	467	132	13	0	612
32.		के जी एम सी, लखनऊ	49	17	1	0	67
33.	गोवा (1)	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, बम्बोलियम	123	54	5	0	182
34.	केरल (3)	मेडिकल कालेज, तिरूवनन्तपुरम	178	108	18	0	303
35.		मेडिकल कालेज, कोट्टायम	108	54	7	0	169
36.		मेडिकल कालेज, कालीकट	124	66	15	0	226
37.	हिमाचल प्रदेश (1)	आई जी एम सी, शिमला	17	8	0	0	12
38.	पांडिचेरी (1)	जी जी एच, पांडिचेरी	5	5	0	0	10
39.	मध्य प्रदेश (1)	मेडिकल कालेज, इन्दौर	12	6	0	0	18
40.	असम (1)	मेडिकल कालेज, गुवाहाटी	23	10	0	0	33
		जोड़:	9845	4787	706	24	15362

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सेवाएं प्रदान कर रहे राज्य-वार यौन संचारित रोग क्लिनिक

क्र.सं.	एड्स नियंत्रण सोसायटी का नाम	कुल जिले	यौन संचारित रोग क्लिनिक मार्च, 2005 तक
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	04
2.	असम	23	23
3.	आंध्र प्रदेश	23	61
4.	अरुणाचल प्रदेश	16	07
5.	अहमदाबाद एम सी	0	04
6.	बिहार	37	33
7.	चंडीगढ़	1	04
8.	चेन्नई एम सी	0	14
9.	छत्तीसगढ़	16	17
10.	दिल्ली	9	16
11.	दमन व दीव	2	2
12.	दादरा व नगर हवेली	1	1
13.	गोवा	2	4
14.	गुजरात	25	29
15.	हरियाणा	21	16
16.	हिमाचल प्रदेश	12	20
17.	जम्मू-कश्मीर	14	17
18.	झारखंड	18	21
19.	कर्नाटक	27	40
20.	केरल	14	20
21.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	1	2
22.	मध्य प्रदेश	45	45
23.	महाराष्ट्र	35	61
24.	मणिपुर	9	10
25.	मेघालय	7	6

1	2	3	4
26.	मिजोरम	8	8
27.	मुम्बई डीएसीएस	0	15
28.	नागलैण्ड	13	13
29.	उड़ीसा	30	17
30.	पांडिचेरी	4	5
31.	पंजाब	17	17
32.	राजस्थान	32	33
33.	सिक्किम	4	3
34.	तमिलनाडु	30	61
35.	त्रिपुरा	4	4
36.	उत्तर प्रदेश	70	83
37.	उत्तरांचल	13	9
38.	पश्चिम बंगाल	18	30
	कुल	603	775

राष्ट्रीय युवा आयोग

3157. श्रीमती अर्चना नायक: क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय युवा आयोग के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसकी अब तक क्या उपलब्धियां हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय युवा आयोग ने अपनी विद्यमान युवा संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की पुनर्समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय युवा आयोग द्वारा युवा संबंधी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और समन्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) राष्ट्रीय युवा आयोग द्वारा सिफारिश की गई 25 सिफारिशों में से इस मंत्रालय से संबंधित चौदह सिफारिशें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। शेष सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। संदर्भित शर्त के अनुसार, राष्ट्रीय युवा आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख विद्यमान युवाओं से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की है:

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

(2) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.)

(3) युवा विकास के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान (आर.जी.एन.आई.वाई.डी.)

(4) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना

(5) युवा संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना

(6) राष्ट्रीय एकीकरण की योजना

(7) साहस के संवर्धन की योजना

(8) युवा छात्रावास योजना

(9) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार की योजना

(10) ग्रामीण युवाओं और युवा क्लबों को सहायता की योजना और

(11) स्काउटिंग और गाईडिंग के संवर्धन की योजना।

(ङ) विद्यमान युवाओं से संबंधित योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग द्वारा सुझाए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का विलयन

(2) युवा कार्यों पर अंतर-विभागीय समिति की स्थापना

(3) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) का सुदृढ़ीकरण और पुनर्जीवित करना

(4) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) का विस्तार; और

(5) युवा विकास के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान को पुनर्जीवित करना।

ईरान के परमाणु मुद्दे पर भारत का रुख

3158. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने ईरान के परमाणु मुद्दे के संबंध में मतदान में भाग न लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देश भारत को बीच का रास्ता अपनाने में सहायता कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो भारत के निर्णय पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या ईरान की भारत के प्रति विदेश नीति में विशेषकर तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी शासक मंडल ने 24 नवम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। इस मुद्दे पर बोर्ड को कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही कोई मतदान हुआ। सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे पारदर्शितापूर्ण ढंग से आई.ए.ई.ए. के दायरे के अंदर तथा बातचीत के जरिए निपटाए जाने का विचार रखती है।

(घ) से (च) पूर्व विदेश मंत्री ने 26 अक्टूबर, 2005 को मास्को में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक पर ईरान के उप राष्ट्रपति परविज दाऊदी के साथ मूलाकात की थी। ईरान के उप राष्ट्रपति ने सूचित किया कि ईरान भारत के साथ न सिर्फ अपने आर्थिक सहयोग को बल्कि सभ्यता और संस्कृति के संपर्कों को भी काफी महत्व देता है जो कि दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़ती है। पूर्व विदेश-मंत्री ने भी इन्हीं भावनाओं को दुहराते हुए ईरान के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ रहे सहयोग पर संतोष प्रकट किया।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का उन्नयन

3159. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री रविन्दर कुमार राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बायो प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना को सरल बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के उन्नयन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक उन्नयन किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अलग मेडिकल अनुसंधान विभाग बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे देश में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। विभिन्न नोडल मंत्रालयों के साथ परामर्श पूरा होने के पश्चात इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम

3160. **श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री नारायण चन्द्र वरकटकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गांवों में सेवा करने में सक्षम और ऐसी इच्छा रखने वाले चिकित्सकों का एक विशेष कैडर तैयार करने के लिए तीन वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों से विचार मांगे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकार ने ग्रामीण/अल्पसेवित क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित कार्रवाईयों की जांच करने के लिए पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सा

शिक्षा संबंधी एक कार्यदल गठित किया है। राज्य सरकारों से इस मामले में अपनी टिप्पणियां देने का भी अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

मेट्रो के समय को बढ़ाना

3161. **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा के वर्तमान समय को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए समय के कब तक शुरू होने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) इस समय, शाहदरा-रिठाला और विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय कोरीडोर प्रचालन में हैं। बाराखम्भा रोड-द्वारका कोरीडोर को भी दिसंबर, 2005 में चालू किए जाने का लक्ष्य है। यदि यात्रियों की संख्या अपेक्षित स्तर तक बढ़ जाती है तथा प्रचालन समय बढ़ाना उचित प्रतीत होता है तो मेट्रो अवस्थापना के रखरखाव के लिए रात्रि में अपेक्षित न्यूनतम समय को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ा दिया जायेगा।

[अनुवाद]

खाली दुकानें

3162. **श्री अब्दुल्लाकुट्टी**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में संपदा निदेशालय से संबंधित आज की तिथि तक आबंटित न की गई दुकानों का ब्यौरा क्या है और इनका आरक्षित मूल्य कितना है और ये दुकानें किस तिथि से खाली पड़ी हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन दुकानों को रियायती दरों पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आबंटित करने संबंधी कोई नीति है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक तैयार और लागू होने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) फिलहाल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में करीब 119 दुकानें बिना आवंटन के पड़ी हैं। इन दुकानों के विवरण, उनका न्यूनतम आरक्षित मूल्य और ये दुकानें जिस तारीख से खाली पड़ी हैं, वह तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

ये दुकानें अलग-अलग कारणों से खाली पड़ी है जिनमें बार-बार आमंत्रित निविदाओं का पर्याप्त प्रत्युत्तर न मिलना। आवंटियों द्वारा स्वयं दुकानें खाली करना, लायसेंस की शर्तों का उल्लंघ होने पर नियमों के तहत बेदखली निविदाएं मंगाने की नीति पर पुनर्विचार करना, अधिक पारदर्शी ढंग से दुकानों का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए नीलामी करना शामिल है।

(ख) से (ङ) निविदा में उल्लिखित न्यूनतम आरक्षित मूल्य वाणिज्यिक भूमि दरों के स्थान पर सांस्थानिक भूमि दरों के आधार पर तय किया जाता है जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली एक रियायत ही है ताकि जिन सरकारी कालोनियों में ये दुकानें हैं, उनके निवासियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इन दुकानों को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने की फिलहाल कोई नीति अथवा विचार नहीं है। तथापि, सरकारी कर्मचारी इस प्रयोजनार्थ आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं।

विवरण

खाली दुकानों की सूची

क्र.सं.	दुकान/स्टाल संख्या	इलाका	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रुपए में)	खाली करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	दुकान संख्या 1	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	12.4.2001
2.	दुकान संख्या 2	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	3.4.2002

1	2	3	4	5
3.	दुकान संख्या 3	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	29.1.2004
4.	दुकान संख्या 4	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	29.1.2004
5.	दुकान संख्या 5	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	29.5.2003
6.	दुकान संख्या 6	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	29.1.2004
7.	दुकान संख्या 7	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	*
8.	दुकान संख्या 8	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	*
9.	दुकान संख्या 9	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	20.7.2005
10.	दुकान संख्या 10	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	20.7.2005
11.	दुकान संख्या 11	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	20.11.1998
12.	दुकान संख्या 12	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	23.5.2001
13.	दुकान संख्या 13	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	2.12.2000
14.	दुकान संख्या 14	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2936	1.12.2000
15.	दुकान संख्या 15	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	5.4.2000
16.	दुकान संख्या 16	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	31.5.2001
17.	दुकान संख्या 17	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	9.7.2001
18.	दुकान संख्या 18	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	9.5.2001
19.	दुकान संख्या 19	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	28.7.2000
20.	दुकान संख्या 21	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	*
21.	दुकान संख्या 22	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	21.4.2003
22.	दुकान संख्या 23	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	*
23.	दुकान संख्या 25	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	2.1.2001
24.	दुकान संख्या 26	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	1004	13.11.2003
25.	दुकान संख्या 27	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (प्रथम तल)	2590	29.5.2003
26.	दुकान संख्या 28	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
27.	दुकान संख्या 29	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
28.	दुकान संख्या 30	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
29.	दुकान संख्या 31	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	4.11.2000
30.	दुकान संख्या 32	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*

1	2	3	4	5
31.	दुकान संख्या 33	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
32.	दुकान संख्या 34	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
33.	दुकान संख्या 35	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
34.	दुकान संख्या 36	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
35.	दुकान संख्या 37	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
36.	दुकान संख्या 38	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
37.	दुकान संख्या 39	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
38.	दुकान संख्या 40	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
39.	दुकान संख्या 41	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
40.	दुकान संख्या 42	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
41.	दुकान संख्या 43	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
42.	दुकान संख्या 44	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
43.	दुकान संख्या 45	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
44.	दुकान संख्या 46	वसंत विहार शॉपिंग कम्पलैक्स (भूतल)	2590	*
45.	दुकान संख्या 2	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	1179	*
46.	दुकान संख्या 3	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	1179	31.5.2003
47.	दुकान संख्या 7	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (प्रथम तल)	913	*
48.	दुकान संख्या 8	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	913	*
49.	दुकान संख्या 9	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	913	*
50.	दुकान संख्या 10	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	913	28.2.2002
51.	दुकान संख्या 11	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	913	*
52.	दुकान संख्या 12	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	913	*
53.	दुकान संख्या 13	सेक्टर-1 एम.बी. रोड (भूतल)	913	*
54.	दुकान संख्या 3	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (भूतल)	1700	7.9.2005
55.	दुकान संख्या 24	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (भूतल)	1700	7.9.2005
56.	दुकान संख्या 25	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (भूतल)	1700	7.9.2005
57.	दुकान संख्या 26	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (भूतल)	1700	7.9.2005
58.	दुकान संख्या 27	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (भूतल)	1700	7.9.2005

1	2	3	4	5
59.	दुकान संख्या 47	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	3189	*
60.	दुकान संख्या 60	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	1451	*
61.	दुकान संख्या 61	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	3189	*
62.	दुकान संख्या 62	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	393	*
63.	दुकान संख्या 63	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	1193	*
64.	दुकान संख्या 64	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	1422	*
65.	दुकान संख्या 65	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
66.	दुकान संख्या 66	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	3269	*
67.	कवर्ड स्टाल नं. 42	सेक्टर-3, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	14.1.2003
68.	कवर्ड स्टाल नं. 4	सेक्टर-3-ए, एम.बी. रोड	2154	*
69.	दुकान संख्या 1	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
70.	दुकान संख्या 2	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
71.	दुकान संख्या 3	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
72.	दुकान संख्या 4	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
73.	दुकान संख्या 5	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
74.	दुकान संख्या 6	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	24.2.2005
75.	दुकान संख्या 7	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
76.	दुकान संख्या 8	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
77.	दुकान संख्या 9	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
78.	दुकान संख्या 10	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
79.	दुकान संख्या 11	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
80.	दुकान संख्या 12	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	2154	*
81.	दुकान संख्या 17 (भूतल)	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	3187	*
82.	दुकान संख्या 20 (भूतल)	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	1387	3.12.2004
83.	दुकान संख्या 21 (भूतल)	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	1387	3.12.2004
84.	दुकान संख्या 28 (भूतल)	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	1387	18.6.2005
85.	दुकान संख्या 29 (भूतल)	सेक्टर-4, मार्किट एम.बी. रोड (प्रथम तल)	1387	24.2.2005
86.	कवर्ड स्टाल सं. 2	सेक्टर-5, एम.बी.रोड	1079	*

1	2	3	4	5
87.	कवर्ड स्टाल सं. 3	सेक्टर-5, एम.बी.रोड	1079	*
88.	कवर्ड स्टाल सं. 4	सेक्टर-5, एम.बी.रोड	1070	*
89.	कवर्ड स्टाल सं. 5	सेक्टर-5, एम.बी.रोड	1079	*
90.	दुकान संख्या 2	सादिक नगर	4002	18.6.2003
91.	दुकान संख्या 1	मोहम्मदपुर	1246	6.4.2005
92.	दुकान संख्या 2	मोहम्मदपुर	1246	29.5.2003
93.	दुकान संख्या 4	मोहम्मदपुर	1246	26.6.2003
94.	दुकान संख्या 5	मोहम्मदपुर	1246	642005
95.	दुकान संख्या 6	मोहम्मदपुर	1246	19.5.2004
96.	दुकान संख्या 7	मोहम्मदपुर	1246	28.2.2005
97.	दुकान संख्या 7	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	1243	23.5.2003
98.	दुकान संख्या 10	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	1192	28.6.2003
99.	दुकान संख्या 11	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	1192	30.6.2005
100.	दुकान संख्या 12	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	1192	25.6.2003
101.	स्टाल सं. 8	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	301	14.9.2004
102.	स्टाल सं. 10	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	301	2.7.2003
103.	स्टाल सं. 12	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	301	13.1.2004
104.	स्टाल सं. 14	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	301	31.8.2004
105.	स्टाल सं. 16	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	301	23.5.2003
106.	स्टाल सं. 18	लोदी रोड कम्पलैक्स-1	301	25.7.2005
107.	दुकान संख्या 1	लोदी रोड कम्पलैक्स सेंटर-2	1732	26.3.2005
108.	दुकान संख्या 2	लोदी रोड कम्पलैक्स सेंटर-2	1732	26.3.2005
109.	स्टाल सं. 1	लोदी रोड कम्पलैक्स सेंटर-2	611	6.7.2004
110.	स्टाल सं. 4	हनुमान रोड मार्किट	414	1.5.2003
111.	दुकान संख्या 15	कमला मार्किट	590	4.2.2004
112.	फ्लैट सं. 6	सेक्टर-8, आर.के. पुरम	932	15.11.2003
113.	प्लेटफार्म सं. 17	साइट-डी मार्किट, सेक्टर-6 आर.के. पुरम	147	15.3.2004

1	2	3	4	5
114.	दुकान संख्या 15	लांसर रोड मार्किट	683	1.12.2004
115.	दुकान संख्या 1	हडको प्लेस	2530	रिक्ति सूचना 2004 में प्राप्त हुई
116.	दुकान संख्या 2	हडको प्लेस	2356	रिक्ति सूचना 2004 में प्राप्त हुई
117.	दुकान संख्या 3	हडको प्लेस	2530	रिक्ति सूचना 2004 में प्राप्त हुई
118.	दुकान संख्या 4	हडको प्लेस	2530	रिक्ति सूचना 2004 में प्राप्त हुई
119.	प्लेटफार्म संख्या 148	रिंग रोड मार्किट	146	25.8.2005

*बार-बार निविदा करने के बावजूद ये दुकानें 1997 से खाली पड़ी हैं।

[हिन्दी]

सी जी एच एस के नए भवनों का निर्माण

3163. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के राजौरी गार्डन में सी जी एच एस के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस तिथि को आरंभ हुआ था और इस कार्य के पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्या है; और

(ग) औषधालय के नए भवन में कब तक स्थानांतरित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित की गई निर्माण कार्य आरंभ करने की तारीख 20.8.2004 और निर्माण कार्य के पूरा होने की लक्षित तारीख 31.12.2005 है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरे किए गए भवन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ योजना को सौंपने के शीघ्र बाद औषधालय को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

नौकरशाहों को प्रशिक्षण

3164. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस स्कूलों के माध्यम से भारतीय नौकरशाहों को प्रबन्धन और शासन का प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रशिक्षण के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कैरिअर के मध्य में उनके कैरिअर के तीन विभिन्न स्तरों पर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय किया है। ये कार्यक्रम उनकी सेवा के 7वें और 9वें वर्ष के बीच 8 सप्ताह का, उनकी सेवा के 14वें और 16वें वर्ष के बीच 8 सप्ताह का और उसकी सेवा के 24वें और 28वें वर्ष के बीच 4 सप्ताह के होंगे।

यह प्रस्ताव है कि कैरिअर के मध्य में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण की रूपरेखा तैयार करने और प्रशिक्षण

प्रदान करने सम्बंधी कार्य, देश में स्थित/अंतर्राष्ट्रीय विख्यात संस्था को सौंपा जाएगा। यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2006-07 की प्रथम तिमाही में प्राम्भ किया जाना नियत किया गया है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षित अनुदेशकों की सेवाएं

3165. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा केन्द्र और राज्यों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थानों से प्रशिक्षित अनुदेशकों की सेवाएं प्रदान की जाती थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन सेवाओं को पुन: शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इन सेवाओं के पुन: कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस संबंध में वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों को राज्य प्राशिक्षण केन्द्रों (एस.सी.सी.) तथा जिला प्रशिक्षण केन्द्रों (डी.सी.सी.) में तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही सभी खेल संवर्धनकारी योजनाओं में नियुक्त किया गया था।

(ग) जिला प्रशिक्षण केन्द्रों (डी.सी.सी.) के प्रशिक्षकों को पुन: तैनात किया गया है, तथापि, राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों (एस.सी.सी.) की योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक अभी भी कार्य कर रहे हैं।

(घ) वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.) ने, अन्य बातों के साथ-साथ जिला प्रशिक्षण केन्द्रों (डी.सी.सी.) से भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों की पुन: तैनाती की सिफारिश की थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं तथा इसके कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए, प्रशिक्षकों को पुन: तैनात किया गया है। राज्यो में खेलों का संवर्धन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार उनके प्रयासों का समर्थन करती है तथा उन्हें बढ़ावा देती है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों में अपने प्रशिक्षकों की तैनाती को जारी रखा है।

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा उठाया गया घाटा

3166. **मोहम्मद शाहिद:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या **संचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो महीनों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा उठाया गया है जैसाकि दिनांक 22 नवम्बर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या शुरू की गई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उठाए जाने वाले घाटे के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) भारत संचार निगम लि./महानगर

टेलीफोन निगम लि. दोनों ने कहा है कि ऐसी कोई हानि नहीं हुई है जैसा कि दिनांक 22 नवम्बर, 2005 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है। यह सूचना भारतीय दूरसंचार सेवा संघ (आईटीएसए) के अध्यक्ष तथा महासचिव द्वारा सम्बोधित "प्रेस कॉन्फ्रेंस" पर आधारित है। आईटीएसए ने कथित रूप से लगभग 1300 आईटीएस अधिकारियों की बीएसएनएल/एमटीएनएल में सम-प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उन्हें सरकारी सेवा में प्रत्यावर्तित करने का उल्लेख किया है।

दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण के बारे में सरकार द्वारा पहले से लिए गए निर्णय के अनुसार ही आमेलन की प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसके मुताबिक मार्च, 2005 में आईटीएस अधिकारियों के सामने आमेलन की शर्तें रखी गई थी। समय-समय पर कतिपय स्पष्टीकरण दिए गए थे।

तथापि, भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के समूह "क" अधिकारियों ने दिनांक 24.3.2005 और/या 18.10.2005 के विकल्प-पत्र को चुनौती देते हुए अलग-अलग तथा अपनी एसोशिएशनों के माध्यम से कई मामले दायर किए जिन पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) और उच्च-न्यायालयों की भिन्न-भिन्न पीठों द्वारा निर्णय किया जाना है। आज तक की स्थिति के अनुसार, लम्बित मामलों का अंतिम निपटान होने तक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्च न्यायालयों की विभिन्न पीठों के अंतरिम आदेश, अन्य पत्रों के साथ-साथ दिनांक 24.3.2005 और/या 18.10.2005 के पत्रों को स्थगित रखते हुए, लागू हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कई पीठों ने 18.10.2005 से पूर्व की यथा-स्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश दिए। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 2.11.2005 के आदेश के तहत बीएसएनएल/एमटीएनएल को निदेश दिया है कि वे सभी अदालती आदेश का सम्मान करें और उन्हें कार्यान्वित करें। बीएसएनएल/एमटीएनएल ने सूचित किया है कि उन्होंने न्यायिक प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन किया है और यह कि संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए ड्यूटी पर वापस आने की अनुमति दे दी गई है।

अत: दिनांक 24.3.2005 और/या 18.10.2005 के पत्र के अनुसरण में, बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन तथा भारतीय दूरसंचार सेवा के समूह "क" अधिकारियों के प्रत्यावर्तन संबंधी मामला न्यायालयों में अधिनिर्णयनाधीन होने के कारण इस समय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

मामलों का निपटारा

3167. **श्री वीरचन्द्र पासवान:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल सैक्रिटेरियट मेनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर (सी एस एम ओ पी) के अनुसार मामले के निपटान के लिए समय-सीमा निश्चित की जानी अनिवार्य है लेकिन मंत्रालयों; विभागों और सरकारी कार्यालयों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सचिवों की समिति ने 2 जून, 2004 को एक निर्णय लिया था कि सरकारी कार्यालयों द्वारा 10,000 रुपए तक की स्टेशनरी को केन्द्रीय भंडार से खरीदा जाएगा और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अपने अनुदेशों में संशोधन करेगा;

(घ) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने अनुदेशों में संशोधन न किए जाने और मामलों के निपटान में निश्चित समय-सीमा का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने अनुदेशों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा 121 के अनुसार विभागीय निदेशों के जरिये विभाग में कार्यवाही किये जाने वाले जितने हो सके उतने प्रकार के मामलों के निपटान के लिये समय-सीमा निश्चित की जाएगी। सभी मंत्रालयों/विभागों के लिये यह अनिवार्य है कि वे इस संबंध में बनाए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

(ग) से (ङ) सचिवों की समिति ने केन्द्रीय भंडार/राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से खरीदारी की वरीयता के प्रश्न पर विचार किया एवं कुछ सिफारिशें की। वित्त मंत्रालय ने, विस्तृत पुनरावलोकन के पश्चात सामान्य वित्तीय नियमावली (जी एफ आर) 1963 के प्रावधानों का संशोधन करके, नई सामान्य वित्तीय नियमावली (जी एफ आर) 2005 जारी की। तदनुसार, निदेश जारी किए गए कि केन्द्रीय भंडार एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को प्रदान की गई टेंडरों/कोटेशनों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया की विशेष पद्धति अब मान्य नहीं है और अब भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की सभी खरीदारी/प्राप्ति जी एफ आर 2005 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।

[हिन्दी]

खान का बन्द होना

3168. श्री टेक लाल महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड में स्वांग कोलियरी में कोयले का उत्पादन बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. ने खास महल के वन विभाग के पास इस कोलियरी में उत्पादन शुरू करने के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए जमा किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्पादन के पुन: कब तक शुरू होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए स्टेज-1 अनुमोदन के अनुपालन में सी.सी.एल. ने जुलाई, 2004 में खास महल ओपनकास्ट परियोजना के लिए जिला वन अधिकारी, बोकारो के पास 18.47 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं।

(ङ) वन भूमि के अधिग्रहण न होने के कारण खान में उत्पादन सीमित स्तर पर हो रहा है।

[अनुवाद]

हीमोफिलिया की दवाइयों की किफायती दर

3169. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हीमोफिलिया एक खतरनाक बीमारी है जिसके लिए आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों में रोगियों की किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) हीमोफीलिया एक बहुत ही आम स्कंदन विकृति है जिसमें मादा वाहक होती हैं तथा नर पीड़ित होते हैं। ऐसे रोग का उपचार रक्ताधान तथा रक्त घटकों और स्कंदन घटक सांद्रता के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है ऐसे अंतरंग रोगियों को स्कंदन घटक तथा रक्ताधान नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र

3170. श्री गिरिधारी यादव:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र सहित देश में इस समय कितने खेल प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के पटना स्थित प्रशिक्षण केन्द्र को बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई नया प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानावार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) "खेल" राज्य का विषय है तथा राज्य स्तर पर उसका संवर्धन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के जरिए जूनियर, सब-जूनियर तथा सीनियर स्तर पर खेलों के संवर्धन में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए गए भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों (एस.टी.सी.) विशेष क्षेत्रीय खेलों (एस.ए.जी.) तथा उत्कृष्टता केन्द्रों (सी.ओ.एक्स.) की संख्या निम्नलिखित है:

केन्द्र	संख्या
एस.टी.सी.	57
एस.ए.जी.	18
सी.ओ.एक्स.	08

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

आई एस एस स्टाफ हेतु परिवीक्षा

3171. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि आई एस एस स्टॉफ जो अनेक वर्षों तक तदर्थ आधार पर पद पर बने रहते हैं, की नियमित पद पर नियुक्ति के समय उन्हें दोबारा परिवीक्षा पर न रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की है;

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है विशेषकर ग्रेड-IV के आई एस एस अधिकारियों के मामले में इसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) से (घ) इस वर्ष के दौरान ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 1961 के अनुसार इस सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों का चयन या तो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होता है या फिर पदोन्नति द्वारा, और उन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है। सक्षम प्राधिकारी को उस ग्रेड में सेवा देने की किसी भी अवधि को काउंट करने का विवेकाधिकार होता है। किन्तु सक्षम प्राधिकारी ने 2003 तथा 2004 में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इस प्रावधान का प्रयोग नहीं किया है।

हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना

3172. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) इस समय, भारत सरकार का देश के प्रत्येक राज्य में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चण्डीगढ़ में सरकारी आवास

3173. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र शासित चंडीगढ़ में कुल कितने सरकारी आवासों का निर्माण किया गया है और कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को वर्ग-वार कितने आवास आबंटित किये गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ग-वार इनकी मरम्मत, नवीकरण और उन्नयन पर कुल कितना खर्च किया गया?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) चंडीगढ़ में उपलब्ध सामान्य पुल रिहायशी आवासों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ग	बनाए गए आवासों की संख्या	आबंटित आवासों की संख्या
टाइप-1	672	650
टाइप-2	1070	1044
टाइप-3	542	526
टाइप-4	109	109
टाइप-5	32	32
टाइप-6	02	02
कुल	2427	2363

टाइप-1 वर्ग के 22 आवास, टाइप-2 वर्ग के 26 आवास तथा टाइप-3 वर्ग के 16 आवासों के वर्गीकरण में उन्नयन के कारण वर्तमान में पुनरुद्धार का काम चल रहा है।

(लाखों में)

(ख)	वर्ग	2002-03	2003-04	2004-05
	टाइप-1	15.40	19.16	26.20
	टाइप-2	24.42	30.37	30.14
	टाइप-3	12.42	15.45	30.00
	टाइप-4	5.00	6.24	15.00
	टाइप-5	2.15	2.67	8.00
	टाइप-6	0.23	0.28	1.00

कैंसर की नई औषधि

3174. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कैंसर के प्रभावी उपचार के लिए कोई नई औषधि ईजाद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और यथास्थिति क्या है; और

(ग) नई औषधि आम आदमी को खुले बाजार में सस्ते मूल्यों पर कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

असम में मोबाइल फोन

3175. श्री ए. एफ. जी. ओसमानी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम के विभिन्न जिलों में विशेषकर बोंगाइगांव में केन्द्र-वार कितने मोबाइल फोन काम कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक केन्द्र के दायरे में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और आज की तिथि तक वी.पी.टी. कनेक्शनों सहित कितने मोबाइल टेलिफोन जारी किये गए हैं;

(ग) मोबाइल नेटवर्क के दायरे में कितने गांव आते हैं;

(घ) बोंगाइगांव जिले में कितने वी.पी.टी. कनेक्शन जारी किये गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मोबाइल कनेक्शन के आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(च) सभी आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, असम में प्रदान किए गए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या 4,76,778 है जिनमें से 2,12,914 कनेक्शन भारत संचार निगम लि. द्वारा प्रदान किए गए हैं। बीएसएनएल ने 26 जिला मुख्यालयों में सुविधा प्रदान की है। बोंगाइगांव जिले में, बीएसएनएल अभी तक 30,884 मोबाइल कनेक्शन प्रदान कर चुका है। मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत, सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र को स्थानीय क्षेत्र के रूप में माना जाता है तथा उपभोक्ताओं के आंकड़े सेवा क्षेत्र-वार रखे जाते हैं।

(ख) असम में, बीएसएनएल ने वायरलैस-इन-लोकल-लूप (डब्ल्यूएलएल), बहुअभिगम ग्रामीण रेडियो (एमएआरआर) और लैण्डलाईन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए 2403 ग्राम पंचायत सार्वजनिक टेलीफोन (जीपीपीटी) सहित 22147 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए हैं।

(ग) असम में, लगभग 2576 गांवों को बीएसएनएल की सेल्यूलर सेवा का अनुषंगिक कवरेज प्राप्त हो रहा है।

(घ) बोंगाइगांव जिले में बीएसएनएल द्वारा 891 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(ङ) असम दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में बीएसएनएल के मोबाइल कनेक्शनों हेतु 68279 आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बीएसएनएल की असम में 2.5 लाख लाइनों से क्षमता में वृद्धि करने की योजना है।

एन.ए.सी.ओ. का कार्यकरण

3176. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) का निरीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.ए.सी.ओ. का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एन.ए.सी.ओ. की कार्यशैली की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) जी, हां। कार्यक्रम की संरचना, कार्यकरण तथा तकनीकी पहलुओं का निर्धारण करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया को शुरू करने में 4 से 6 माह का समय लगेगा।

टी.सी.आई.एल. के निष्पादन में सुधार

3177. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान टेलिकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) के परियोजना कारोबार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अंशकालिक परामर्शदाता/सलाहकारों की नियुक्ति का आधार क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान आज की तिथि तक कितने सेवानिवृत्त टी.सी.आई.एल. कर्मचरियों को परामर्शदाता के रूप में रखा गया है तथा उनके नाम पारिश्रमिक और विशेषज्ञता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नये नियमित कर्मचारियों की भर्ती की गई है; और

(च) टी.सी.आई.एल. के निष्पादन में सुधार के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। टीसीआईएल का टर्नओवर वर्ष 2004-05 के दौरान 449.14 करोड़ रु. है, जबकि पिछले वर्ष 2003-04 के दौरान यह 544.43 करोड़ रु. था।

(ख) टर्नओवर में कमी फिक्स्ड लाइनों के बाह्य संयंत्र नेटवर्क के निर्माण में विश्व-स्तर पर कमी आने की वजह से हुई। बाह्य संयंत्र नेटवर्क का निर्माण कंपनी की स्थापना के समय से ही इसका मुख्य व्यवसाय था। ''हाई-टेक'' व्यवसाय क्षेत्रों के लिए वर्ष 2004-05 एक संक्रमण काल था।

(ग) परामर्शदाताओं/सलाहकारों के व्यापक अनुभव का लाभ उठाने के लिए उनकी नियुक्ति अल्पावधि के लिए की जाती है, क्योंकि अक्टूबर, 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन होने तक दूरसंचार विभाग से जो मानवशक्ति पारंपरिक रूप से उपलब्ध होती थी, अब उसकी कमी हो गई है।

(घ) टीसीआईएल ने गत दो वर्षों के दौरान 14 सेवानिवृत्त टीसीआईएल कर्मचारियों को परामर्शदाता/सलाहकार के रूप में रखा है, जिनमें से 5 कर्मचारियों ने कार्य करना छोड़ दिया है तथा 9 अभी भी काम कर रहे हैं। उनके नाम, पारिश्रमिक एवं सुवज्ञता-स्तर से संबंधित ब्यौरे ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, टीसीआईएल ने कुल 105 कर्मचारियों की भर्ती की है जबकि 115 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं/इस्तीफा दे दिये हैं।

(च) टीसीआईएल के कार्य-निष्पादन की समीक्षा नियमित अंतराल पर की जाती है। टर्नओवर में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से, व्यवसाय के नये क्षेत्रों में प्रवेश करने एवं नये ग्राहकों से व्यवसाय प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2004-05 के टर्नओवर से अधिक टर्नओवर होने की आशा है। परियोजना की

विशिष्टि जरूरत को ध्यान में रखते हुए, टीसीआईएल अपने ही स्टाफ में से कर्मचारियों को तैनात करती है और बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के आमेलित कर्मचारियों में से कुछ प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं परामर्शदाताओं/सलाहकारों को नियुक्त करती है।

विवरण

पिछले दो वर्षों से अब तक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी

क्र. सं.	नाम	अधिवर्षिता के पूर्व पदनाम	नियुक्ति/कार्य पर लगाए जाने की तारीख	समेकित पारिश्रमिक (प्रति) माह रु.	विशेषज्ञता (निपुणता) का क्षेत्र	अभियुक्तियां
1.	एस.एन. भट्ट	वरिष्ठ, प्रबंधक, टीसीआईएल	7.1.2004	7600	दूरसंचार प्रेषण	सेवा छोड़ दी
2.	एस.एस. चौहान	संयुक्त महाप्रबंधक, टीसीआईएल	1.7.2004	8000	दूरसंचार स्विचन एवं नेटवर्किंग	-
3.	आर.डी. चतुर्वेदी	संयुक्त महाप्रबंधक, टीसीआईएल	30.9.2004	8000	स्विचन एवं नेटवर्क योजना	-
4.	वाई.आर. भसिन	महाप्रबंधक, टीसीआईएल	1.10.2004	10,500	बाह्य नेटवर्क पुनर्वास	सेवा छोड़ दी
5.	जरनैल सिंह	सं. महाप्रबंधक, टीसीआईएल	1.12.2004	10.500	ओएसपी एवं सामग्री प्रबंधन	
6.	जे.सी. आजमानी	व. प्रबंधक, टीसीआईएल	7.12.2004	7600	वाणिज्यिक इंजीनियर	
7.	जे.पी. सिंह	संयुक्त महाप्रबंधक, टीसीआईएल	13.12.2004	28 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन	प्रेषण	अफगानिस्तान में तैनात (सेवा छोड़ दी)
8.	ए.के. भार्गव	ईडी, टीसीआईएल	1.3.2005	13,500	टॉवर, माइक्रोवेव एवं विदेशी परियोजना	-
9.	बी.एल.अरोड़ा	ईडी, टीसीआईएल	2.5.2005	13,500	निगम कार्यनीति, सामग्री प्रबंधन	सेवा छोड़ दी
10.	एफ.सी. सिकरी	प्रबंधक, टीसीआईएल	2.5.2005	6,600	एच.एफ.आर.सी. उपस्कर की मरम्मती	सेवा छोड़ दी
11.	वी.बी. माथुर	महाप्रबंधक, टी.सी.आई.एल.	2.5.2005	10,500	वित्त	-
12.	वी. वेंकट सुब्बु	उप प्रबंधक, टी.सी.आई.एल.	1.6.2005	एस.आर. 2200	उपग्रह प्रचालन एवं अनुरक्षण	के.एस.एस. में तैनात
13.	ओ.पी. शर्मा	महा प्रबंधक टी.सी.आई.एल.	1.9.2005	10,500	प्रेषण, माइक्रोवेव एवं जी.एस.एम. परियोजनाएं	-
14.	मोहम्मद	सहायक प्रबंधक, टी.सी.आई.एल.	28.9.2005	23 अमरीकी डालर प्रति दिन	कोएक्सिल ओ. एण्ड एम.	इथियोपिया में तैनात

[हिन्दी]

मेट्रो रेल के कारण जलस्तर में कमी

3178. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो रेल के आरंभ से होने से दिल्ली में जलस्तर में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, नहीं। निर्माण के समय निर्माण कार्यों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से जलस्तर को कम किया जाता है। तथापि, निर्माण कार्य के दौरान बाहर निकाले गये जल को भूमि पर वापस छोड़ दिया जाता है।

[अनुवाद]

संरक्षित स्मारकों का जीर्णोद्धार

3179. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में बेलूर और हेलबिड के संरक्षित स्मारकों के घटिया रख-रखाव और इनमें अतिक्रमण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन स्मारकों से अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) जी, नहीं। कर्नाटक में बेलूर तथा हेलबिड स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव उन्हें बहुत ही प्रस्तुत-क्षम दशा में रखने की दृष्टि से किया जाता है और संरक्षित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।

इन स्मारकों का रखरखाव एवं संरक्षण कार्य नियमित आधार पर किया जाता है और इन दोनों स्मारकों में प्रसाधन कक्ष, पीने के पानी की सुविधाएं और अन्तर्राष्ट्रीय मानक सूचना पट्ट प्रदान किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने हेलबिड मंदिर के प्रदीपन हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 61.04 लाख रुपए जमा कराए हैं। कार्य प्रगति पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंदिर के चारों ओर एक सुन्दर उद्यान का रखरखाव भी कर रहा है।

बेलूर में मंदिर एक गांव से घिरा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, भूदृश्य निर्माण तथा पार्किंग स्थल को स्मारक से दूर स्थानांतरित करने के लिए मंदिर के आस-पास की भूमि की आवश्यकता है। जिला प्राधिकारियों, विशेष रूप से धर्मदाय विभाग से उन मंडपों जिनका लम्बी अवधि से, स्थल कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है, में से एक मंडप को खाली करने का अनुरोध किया गया है।

अफगानिस्तान में सड़क परियोजना

3180. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अफगानिस्तान की जारंज-देलाराम सड़क परियोजना हेतु 377.47 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए टक्त धनराशि सीमा सड़क संगठन को अभी तक जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सड़क परियोजना हेतु धनराशि समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) 30 नवम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार निष्पादन प्रगति 10% थी और वित्तीय प्रगति खरीदे गए उपस्कर की पूंजीगत लागत सहित 25.5% थी।

(ग) और (घ) निधियां, सीमा सड़क संगठन की आवश्यकता के अनुसार जारी की जाती हैं। अद्यतन स्थिति के अनुसार सीमा सड़क संगठन को 125 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है जिसमें से सीमा सड़क संगठन द्वारा 96.29 करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है जिसमें निश्चित और आकस्मिक देयता शामिल है।

(ङ) विदेश मंत्रालय इस परियोजना के लिए प्रतिवर्ष अपेक्षित बजटीय आवंटन करता है। सीमा सड़क संगठन को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप भुगतान किए जाते हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग

3181. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुए सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के अन्तर्गत "केन्द्रीय सूचना आयोग" (सी.आई.सी.) का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और चार सूचना आयुक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आयोग के कार्य-किसी भी व्यक्ति से शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच-पड़ताल करना, अपीलों के मामले में निर्णय करना और अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और इस बारे में सरकार को रिपोर्ट देना है।

[हिन्दी]

उप/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरम्भ करने के लक्ष्य

3182. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उप/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य अभी भी 1991 की जनगणना पर आधारित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए लक्ष्यों को 2001 की जनगणना के अनुसार कब तक संशोधित किये जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। दसवीं योजना (2002-2007) के लक्ष्य 1991 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। योजना आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया था कि अवसंरचना में अंतरालों को पहले 1991 की जनगणना के आधार पर भरा जाए।

(ग) हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत यह प्रस्तावित है कि उप केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संबंध में अंतरालों को 2001 की जनणगना के अनुसार भरा जाए।

[अनुवाद]

अंग दान

3183. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है और सरकार को अंग दान पर दिशा-निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री कुलदीप सिंह और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका में अपने दिनांक 31.3.2005 के फैसले में राय दी है कि अंगों के दान में वाणिज्यिक लेन-देन को नियमविरुद्ध घोषित करने के लिए दाता और प्राप्तकर्ता से यह अपेक्षा करना वांछनीय होगा कि वे अपने पिछले तीन वर्षों की वित्तीय आय और व्यवसाय का ब्यौरा दें। इससे प्राधिकार समितियों को इस बात का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी कि क्या कोई वाणिज्यिक लेन-देन शामिल हैं या नहीं। यह उपयुक्त होगा यदि नियमों और फार्म-1 में तद्नुसार संशोधन किया जाए। माननीय न्यायालय ने यह भी पाया है कि सभी राज्यों के लिए इस अधिनियम को अपनाना उपयुक्त होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय

के दिनांक 31.3.2005 के फैसले की एक प्रति मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीकृत संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अस्पतालों/संस्थाओं तथा सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को उनके सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की गई है।

(घ) और (ङ) मानव अंगों के दान संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

विश्व विरासत स्थल

3184. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में राज्य-वार विश्व विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में विश्व विरासत स्थलों की सूची में और अधिक स्थलों को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) अब तक, यूनेस्को की विश्व दाय सूची में, भारत से 21 सांस्कृतिक तथा 5 प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने, वर्ष 2006 के लिए विश्व दाय सूची में शामिल किए जाने के लिए असम स्थित मजुली द्वीप समूह का नामांकन किया है। सरकार का वर्ष 2007 में, लाल किला के नामांकन डोजियरों को, विचारार्थ प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव है।

विश्व दाय केन्द्र द्वारा सम्पोषित अनन्तिम सूची में 14 सांस्कृतिक स्थल हैं (सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है) जिनके लिए यथासमय नामांकन प्रस्तुत किए जाएंगे।

विवरण I

विश्व दाय सूची में दर्ज भारत के सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
सांस्कृतिक स्थल		
1.	अजन्ता गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
3.	आगरा किला (1983)	उत्तर प्रदेश
4.	ताजमहल (1983)	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)	उड़ीसा
6.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम (1984)	तमिलनाडु
7.	गिरजाघर तथा कान्वेंट, गोवा (1986)	गोवा
8.	मंदिर समूह, खजुराहो (1986)	मध्य प्रदेश
9.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	कर्नाटक
10.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी (1986)	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)	कर्नाटक
12.	एलिफैन्टा गुफाएं (1987)	महाराष्ट्र

1	2	3
13.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलपुरम तथा दारासुरम स्थित महान चोल मंदिर (1987 तथा 2004)	तमिलनाडु
14.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	मध्य प्रदेश
15.	हुमायूं मकबरा, दिल्ली (1993)	दिल्ली
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली	दिल्ली
17.	माउंटेन रेलवे आफ इंडिया (1999, 2005)	पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु
18.	महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002)	बिहार
19.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)	मध्य प्रदेश
20.	चम्पानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क (2004)	गुजरात
21.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस) (2004)	महाराष्ट्र
प्राकृतिक स्थल		
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क (1985)	असम
2.	मानस वन्यजीव अभ्यारण्य (1985)	असम
3.	केवलादेव राष्ट्रीय पार्क (1985)	राजस्थान
4.	सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क (1987)	पश्चिम बंगाल
5.	नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क तथा फूलों की घाटी (1988, 2005)	उत्तरांचल

विवरण II

यूनेस्को विश्व दाय समिति द्वारा अनुमोदित अनन्तिम सूची में दर्ज भारत के सांस्कृतिक स्थलों की सूची (2005 तक)

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ (वाराणसी)	उत्तर प्रदेश
2.	अलची स्थित अलची चोस-कोर नाम से प्रसिद्ध बौद्ध मठ परिसर (लेह)	जम्मू-कश्मीर
3.	हडप्पाकालीन नगर, धौलावीरा, जिला कच्छ	गुजरात
4.	गोलकोण्डा किला, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
5.	स्मारक समूह, मान्डु, जिला धार	मध्य प्रदेश
6.	हेमिस गोम्फा	जम्मू-कश्मीर

1	2	3
7.	मत्तनचेरी महल, एर्णाकुलम	केरल
8.	रानी की वाव, (रानी का सीढ़ी कुआं), पाटन, जिला मेहसाना	गुजरात
9.	ब्रह्मपुत्र नदी की मध्य धारा में मजुली का नदी द्वीप	असम
10.	विष्णुपुर का मंदिर	पश्चिम बंगाल
11.	शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम	बिहार
12.	श्री हरिमंदिर साहिब, अमृतसर	पाजब
13.	कालका शिमला रेलवे	हरियाणा/हिमाचल प्रदेश
14.	लाल किला, दिल्ली	दिल्ली

[हिन्दी]

एड्स नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना

3185. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और बिल क्लिंटन के ट्रस्ट के बीच सितम्बर, 2004 में हुए समझौते के अन्तर्गत देश में एड्स नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त ट्रस्ट एड्स नियंत्रण हेतु धनराशि और प्रशिक्षण प्रदान करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) क्लिंटन फाउन्डेशन एच.आई.वी./एड्स अभिक्रम (सी.एफ.) ने भारत में एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों की परिचर्या तथा उपचार प्रक्रिया में वृद्धि करने में नाको को सहायता देने हेतु सितम्बर, 2004 में भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। फिलहाल क्लिंटन फाउण्डेशन तथा नाको निम्नलिखित क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं:

चिकित्सक प्रशिक्षण संस्थान

भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (आई.एम.ए.), अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के सहयोग से भारत में एच.आई.वी./एड्स परिचर्या तथा उपचार में लगे निजी क्षेत्र के 150,000 डाक्टरों को प्रशिक्षित करना प्रस्तावित है।

प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण

क्लिंटन फाउंडेशन नाको की भारत में इसके आरटी केंद्रों में प्रयोगशाला क्षमताओं में सुदृढ़ीकरण में सहायता कर रहा है तथा इसने 13 सीडी 4 मशीनों, अभिकर्मकों की लागत को 50% से ज्यादा तक कम करने और सीडी 4 जांच संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने का वचन दिया है।

प्रत्यायन

क्लिंटन फाउंडेशन राष्ट्रीय दिशानिदेश सेट तैयार करने तथा एच.आई.वी./एड्स की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक प्रणाली की स्थापना करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

क्षमता निर्माण

फिलहाल क्लिंटन फाउंडेशन, कार्यक्रम की मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण का उन्नयन करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में कतिपय स्टाफ की सहायता कर रहा है।

कोयले की ई-आक्शन

3186. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई-आक्शन के माध्यम से जारी कोयले की काला बाजार में खुले तौर पर बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई-आक्शन के माध्यम से कोयले को जारी करते हुए कोयले के खरीदारों और खपत के बारे में विस्तृत सूचना मांगी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कौन-सी कोयला कम्पनियों ने ई-आक्शन के माध्यम से कोयले की बिक्री की और उसकी मात्रा कितनी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयले की कालाबाजारी को रोकने और जिन उपभोक्ताओं को लिंकेज के अभाव में अथवा एक पारदर्शी पद्धति में लिंकेज के अन्तर्गत अपर्याप्त मात्रा के कारण कोयला प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उन्हें कोयला प्रदान करने के लिए कोयला कम्पनियों ने ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री की एक नवीकृत योजना लागू की है। ई-नीलामी के अंतर्गत बेचे गए कोयले की कालाबाजारी की संभावना समाप्त हो जाती है और अब तक इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ई-नीलामी के अन्तर्गत कोयले का कोई भी उपभोक्ता कोयला खरीदने के इस अवसर का लाभ उठा सकता है और इस प्रकार कोयले की खपत के बारे में सूचना आवश्यक नहीं है।

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान नवम्बर, 2005 तक ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री करने वाली कम्पनियों के नाम तथा आबंटित मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े टनों में)

क्र.सं.	कोयला कम्पनी का नाम	मात्रा
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.)	844348
2.	भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.)	2349188
3.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.)	1839030
4.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.)	249740
5.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.)	1372930
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.)	1225086
7.	महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.)	1996310
8.	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन.ई.सी.)	335640
	कुल कोल इंडिया लि.	10212272

[अनुवाद]

कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार

3187. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार हेतु 60 करोड़ रुपये मंजूर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गुजरात हेतु कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बजटीय आबंटन 266 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 के लिए 69 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 139 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान राज्यवार नहीं किए जाते हैं तथा राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद प्रस्तावों पर रोगीवार आधार पर विचार किया जाता है।

सुनामी प्रभावित राज्यों के विद्यार्थियों को वरीयता

3188. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सुनामी प्रभावित राज्यों में विद्यार्थियों को वरीयता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकारी मेडिकल कालेज में (1) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों के 15% तथा स्नातकोत्तर सीटों के 50% के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं तथा (2) शेष सीटों के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्रक्रियाओं के जरिए दाखिला दिया जाता है। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के

लिए, सीटों को पूर्णतया मेरिट के आधार पर भरा जाता है और किसी वर्ग के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। राज्य सरकार के कोटा के अन्तर्गत सीटों को राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्रक्रिया के अनुसार भरा जाता है।

तथापि, एक बारगी कार्रवाई के रूप में, वर्ष 2005-2006 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुरक्षित एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. के केन्द्रीय पूल से सुनामी पीड़ित राज्यों के छात्रों के लिए 6 एम.बी.बी.एस. सीटें आरक्षित रखी गई।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई धनराशि

3189. श्री सुरेश चन्देल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के योजना/परियोजना-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश द्वारा धनराशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए धनराशि प्रदान की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

गोवा में स्काई बस परियोजना

3190. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''स्काई बस'' का प्रयोग परिवहन प्रणाली में करने के लिए गोवा में ''स्काई बस'' परियोजना शुरू कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ङ) उक्त परियोजना कब तक पूरी होने तथा चालू होने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) ''स्काई बस'' कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन की नई प्रौद्योगिकी है और यह गाइडेड व्हील प्रणालियों से निलंबित डिब्बों की अवधारणा पर आधारित है। चूंकि यह प्रणाली नई है, इसके प्रचालन के सुरक्षा पहलुओं को प्रमाणित किए जाने की जरूरत है। इस परियोजना को गोवा में 1.6 किमी. के परीक्षण ट्रैक में शुरु किया गया था और इसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में प्रयोग करने का प्रयोजन नहीं था।

इस परियोजना के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। परीक्षण ट्रैक पर परीक्षण चालन सितंबर, 2004 में शुरू हुआ।

प्रणाली के मूल्यांकन और इसकी व्यवहार्यता तथा तकनीकी-आर्थिक पहलुओं की जांच के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा डा. पी.वी. इन्दरेसन, सेवानिवृत्त निदेशक, आई.आई.टी. चैन्नई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। विशेषज्ञ समिति ने 29 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रणाली को और विकसित करने और इसके और परीक्षण करने की सिफारिश की है ताकि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इसकी उपयुक्तता साबित हो सके।

इस नई प्रणाली के सफल प्रदर्शन के बाद ही शहरी परिवहन के विकल्प के रूप में इसे चलाने की अनुमति दी जाएगी। चूंकि यह नई संकल्पना है और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इसे अभी सिद्ध किया जाना बाकी है इसलिए किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश टेलीकॉम सर्किल में तथाकथित भ्रष्टाचार

3191. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल (पूर्व), लखनऊ में तथाकथित व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जन प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की गहन जांच करायी है या कराये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) गत ढाई वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल में कथित भ्रष्टाचार की 69 शिकायतें जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में से 58 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। 11 मामलों में प्रथम दृष्टया दुराचरण देखा गया। इन मामलों में देखे गए प्रथम दृष्टया दुराचरण के आधार पर 5 राजपत्रित अधिकारियों को प्रशासनिक चेतावनी जारी की जानी है। एक गैर-राजपत्रित अधिकारी पर लघु शास्ति अधिरोपित की गई है। 2 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध लघु शास्ति संबंधी कार्यवाही चल रही है। 2 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध दीर्घ शास्ति कार्यवाहियां दर्ज की जा रही हैं। 5 मामलों में जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। 43 मामलों में शामिल आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके। 11 मामलों में शिकायतों की अभी भी जांच चल रही है।

(ग) से (ङ) इन शिकायतों की जांच करने के लिए इस समय कोई उच्च स्तरीय समिति नहीं है। इसके अलावा, ऐसी उच्चस्तरीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि जांच की वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त संतोषजनक पाया गया है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ

3192. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री काशीराम राणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों में भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ गठित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कार्य हैं;

(ग) क्या यह प्रकोष्ठ आम आदमी द्वारा सरकारी कर्मचारियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में शिकायतें दर्ज करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आम आदमी द्वारा लगाए गए ऐसे आरोपों की जांच के लिए कोई संस्थागत प्रणाली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस प्रकोष्ठ द्वारा आज की तिथि तक मंत्रालय-वार प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ज) शिकायतों के आधार पर कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का अपना-अपना सतर्कता तंत्र है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव को उस विभाग में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया गया है जिन्हें, इस कार्य में मुख्य सतर्कता अधिकारी सहायता करते हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय/विभाग का संबंधित सतर्कता एकक, सरकारी कर्मचारियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध मिली शिकायत पर नियमों के अनुसार समुचित कार्रवाई करता है।

(ङ) और (च) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, जैसा भी उचित समझे, शिकायतों की जांच अपने तंत्र के माध्यम से अथवा अन्य अभिकरणों के माध्यम से करवाने के लिए सक्षम है।

(छ) और (ज) यह जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

चिकित्सा देखभाल उपलब्ध न होना

3193. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक गर्भवती महिला जिसने संस्थान के परिसर में बच्चे को जन्म दिया था उसे संस्थान में भर्ती करने से मना कर दिया गया तथा उसके बाद चिकित्सा देखभाल उपलब्ध न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई

जैसा कि दिनांक 8 अक्तूबर, 2005 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 8.10.2005 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कैजुल्टी में एक गर्भवती महिला आई थी। ड्यूटी पर उपस्थित डाक्टरों ने उसकी हिस्ट्री प्राप्त की तथा उसकी जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि रोगी को प्रसव की प्रथम अवस्था थी, चूंकि रोगी स्थिर थी और डिलीवरी भी शीघ्र होती हुई प्रतीत नहीं हुई इसलिए गर्भवती महिला को और उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। तथापि, बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नियंत्रण कक्ष द्वारा यह सूचना दी गई कि रोगी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के आपातकालीन विंग के बाहर एक बच्चे को जन्म दिया है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स) द्वारा इस मामले की जांच भी कराई गई थी और सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात जांच समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया कि कैजुअल्टी में रोगियों के पंजीकरण और रोगी को अन्य अस्पतालों में रेफर करते समय की जाने वाली अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति संबंधी वर्तमान परिपाटी में परिवर्तन किया जाए।

[हिन्दी]

अवैध व्यापार

3194. श्री रशीद मसूद: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ कंपनियों द्वारा किये जा रहे अवैध संचार तथा सूचना व्यापार के संबंध में संसद सदस्यों से कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या दोषी कंपनियों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) दूरसंचार विभाग को हाल ही में एटी एंड टी, एमसीआई, इक्वेंट एंड बीटी नामक विदेशी दूरसंचार कंपनियों द्वारा दूरसंचार विभाग के लाइसेंस के मानदंडों की प्रवंचना के संबंध में कुछ माननीय संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और तदनुसार इन कंपनियों को भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण टेलीफोनी दायित्व

3195. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकाम कंपनियों द्वारा वर्ष 2002 के अंत तक ग्रामीण दूरभाष सेवा प्रदान किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरभाष सेवा प्रदाताओं द्वारा उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने दूरभाष सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्रामीण टेलीफोनी दायित्वों को पूरा करने के लिए अब कोई नई समय-सीमा निर्धारित की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) ग्रामीण टेलीफोनी दायित्वों को पूरा करने में दूरभाष सेवा प्रदाताओं द्वारा असफल रहने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ज) 1997-98 में छह निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों को दिए गए लाइसेंस में लाइसेंस की प्रभावी तारीख से पहले तीन वर्षों के भीतर 97806 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

प्रदान करने की शर्त रखी गई थी। निजी प्रचालकों से प्राप्त सूचना के अनुसार निजी प्रचालकों द्वारा 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 348 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, आंध्र प्रदेश में 1314 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, महाराष्ट्र में 1140 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, गुजरात में 2894 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन, राजस्थान में 693 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन तथा पंजाब में 734 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए गए थे। इसके अतिरिक्त, 2001 में बुनियादी सेवाओं के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के अंतर्गत शहरी, अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में समान अनुपात में लाइसेंस की प्रभावी तारीख के दो वर्षों के भीतर 15% अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में प्वाइंट आफ प्रेजेन्स की स्थापना किया जाना निर्धारित है। दो वर्षों की यह अवधि 2002 में समाप्त नहीं हुई। छः निजी बुनियादी प्रचालकों ने अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की और सेवा शुरू करने में विलंब एवं सीधी एक्सचेंज लाईनों तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण 53.75 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली की गई थी। नवंबर, 2003 में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था घोषित किए जाने पर सभी निजी बुनियादी प्रचालकों ने चौथे सेल्युलर सेवा लाइसेंस के समतुल्य निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करके एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था को अपना लिया और तदनुसार राल आउट दायित्व बदल कर चौथे सेल्युलर सेवा लाइसेंस के राल आउट दायित्व के समकक्ष हो गया अर्थात् तीन वर्षों के भीतर जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालयों के बदले जिले के किसी अन्य शहर के 50% भाग को कवरेज प्रदान करना। इस समय निजी प्रचालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अनिवार्य राल आउट दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

मोबाइल सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाना

3196. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने देश में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार को कितने निजी आपरेटरों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसी शिकायतों में से कितनों के विरुद्ध सरकार तथा ट्राई (टी.आर.ए.आई.) द्वारा कार्रवाई की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करता है। हाल ही में, ट्राई ने मोबाइल सेवा प्रदाताओं को सेवा गुणवत्ता विनियमन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) सभी निजी प्रचालकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निजी प्रचालक द्वारा शिकायत का संतोषप्रद रूप से समाधान न करने की स्थिति में, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता-निवारण मंच में व्यक्तिगत रूप से जाने की छूट है। तथापि, बिलिंग इत्यादि जैसे विभिन्न मुद्दों पर सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं से प्राप्त सामान्य शिकायतों के मद्देनजर, ट्राई ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, सोलह निदेश जारी करने सहित उपभोक्ताओं के हित की रक्षा हेतु कई उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच

3197. श्री गणेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) में अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 तक कितने मामलों की जांच की गई/जांच शुरू की गई तथा कितने मामलों की जांच बंद कर दी गई;

(ग) कितने मामलों में निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितने मामले जांच के लिए विचाराधीन हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 4754 अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी तैनात थे।

(ख) दिनांक 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार, 1354 मामले जांच/पूछताछ के विभिन्न स्तरों पर थे। दिनांक 1.1.2005 से 31.3.2005 तक, 328 और मामले दर्ज किए गए और उनकी जांच/पूछताछ प्रारम्भ की गई। जांच/पूछताछ पूरी किए जाने के बाद, 240 मामलों को निपटा दिया गया जिनमें उसी अवधि (दिनांक 1.1.2005 से 31.3.2005 तक) के दौरान बंद किए जाने के 31 मामले शामिल थे। इस प्रकार, 1 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार, 1442 मामलों में जांच/पूछताछ की जा रही थी।

(ग) 1 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार जांच/पूछताछ में चल रहे 1442 मामलों में से 767 मामले दिनांक 1.4.2005 से 31.10.2005 तक की अवधि के दौरान दर्ज किए गए। उसी अवधि के दौरान जांच/पूछताछ पूरी कर लिए जाने के पश्चात् 705 मामलों को निपटा दिया गया।

(घ) दिनांक 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, 1504 मामले जांच/पूछताछ के विभिन्न स्तरों पर थे।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम

3198. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में कोई जन-चेतना अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अभियान के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को जनता द्वारा अच्छी तरह समझ लेने हेतु कई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस अधिनियम का व्यापक प्रचार, इस अधिनियम के अंतर्गत जनता द्वारा कैसे अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाए से संबंधित उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन, रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से साक्षात्कारों का प्रसारण, पारस्परिक (इंटरऐक्टिव) कार्यक्रम तथा चर्चा-परिचर्या तथा इस अधिनियम के भिन्न पहलुओं पर कई लेख जारी करना शामिल है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए कोई विशिष्ट बजटीय आबंटन नहीं किया गया है तथा इन कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को मौजूदा निधियों से पूरा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

"मदन महल" को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाना

3199. श्री राकेश सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर स्थित गौंडवाणा की रानी दुर्गावती के "मदन महल", ग्रीष्मकालीन महल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किये जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जबलपुर में "मदन महल" राष्ट्रीय महत्व का एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है जिसे 28.10.1922 को प्रकाशित सी.पी. संख्या 1219, डी.ए.बी. दिनांक 26.10.1922 के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था।

लघु उद्योग इकाइयों को भूमि का आबंटन

3200. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में बन्द की जाने वाली लघु उद्योग इकाइयों को भूमि आबंटन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को लघु उद्योग इकाई परिसंघ, दिल्ली के पदाधिकारियों से कोई प्रतिवेदन या अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) नए औद्योगिक क्षेत्रों में इन लघु उद्योग इकाइयों को भूमि कब तक आबंटित कर दिये जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1996 में आरंभ की गई स्कीम के अंतर्गत अभी तक 27,750 औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक भूखंडों/फ्लैटों के आबंटन के लिए पात्र घोषित की गई है और इस स्कीम के अंतर्गत 31.10.05 तक 22,387 इकाईयों को भूखंड/फ्लैट आबंटित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह भी बताया है कि उन्हें लघु उद्योग परिसंघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी में भारत-जापान सहयोग

3201. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा जापान ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग के लिए संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-जापान सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालयीन फोरम की प्रथम बैठक अगस्त, 2005 में हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) भारत तथा जापान में परियोजना स्थापित करने के लिए दोनों देश किस सीमा तक सहमत हुए हैं; और

(च) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा जापान के आन्तरिक मामले एवं संचार मंत्री ने दिनांक 18 जनवरी, 2005 को टोक्यो, जापान में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।

संयुक्त विवरण में दोनों मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि दीर्घकालीन आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, जीवन स्तर में सुधार लाने, लोगों को उनकी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करने में सहायता करने तथा सांस्कृतिक विविधताओं को बनाए रखने ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक प्रमुख प्रेरक बल है। यह भी बताया गया कि एशिया ब्राडबैण्ड कार्यक्रम दोनों देशों के सूचना समाज का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में जापान तथा भारत के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता की पुष्टि की गई।

दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सहयोगात्मक कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएं:

* ब्राडबैण्ड नेटवर्क के लिए कम कीमत वाली प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना;
* ई-शासन, ई-शिक्षा तथा ई-स्वास्थ्य जैसी ई-सेवाओं को बढ़ावा देना;
* नीतिगत मुद्दों पर बातचीत करना तथा आई.सी.टी. नीतियों, कानूनों एवं विनियमों पर सहयोग करना;
* संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा मानकीकरण को बढ़ावा देना जैसा कि सर्वव्यापी सेवा तथा नेटवर्क प्रौद्योगिकी;
* संयुक्त व्यवसाय समारोहों तथा कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना;
* दोनों देशों के बीच व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समुचित स्तर पर बातचीत आरंभ करना। संबंधित विषय के मंत्रालयों द्वारा विशिष्ट सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी;
* दोनों देशों की सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्षमताओं में सहक्रियाशीलता लाने के उद्देश्य से एक सहयोग तंत्र की स्थापना करना जिसमें प्रत्येक देश में पूंजीनिवेश की सुविधा शामिल है; तथा
* दोनों देशों की प्रतिभागिता से आयोजित सहयोग के अन्य स्वरूप।

(ग) जी, हां। भारत-जापान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय फोरम की पहली बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(घ) से (च) भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा जापान के आन्तरिक मामले एवं संचार मंत्री ने भारत-जापान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय फोरम की पहली बैठक के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त विकास, सहयोग तथा उद्यमों का संभावनाओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यकारी दलों का गठन करने का निर्माण किया गया :

* ब्रॉडलैण्ड प्रणालियां तथा संपर्क
* मोबाइल संचार
* ई-शासन

* सूचना सुरक्षा

* अनुसंधान एवं विकास

* सर्वव्यापी अभिकलन

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

3202. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस शर्तों को पूरा नहीं किया है तथा उक्त कंपनियां बार-बार परिवर्तित हो रही ग्रामीण फोन नीति का लाभ तथाकथित रूप से प्राप्त कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरभाष प्रदान करने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सेवा प्रदान करने के लिए निर्धारित निबंधन शर्तों का पालन न करने वाली निजी कंपनियों के नाम क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) 1997-1998 में छह निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों नामत: मै. श्याम टेलिलिंक लि., मै. भारती टेलीनेट लि., मै. रिलायंस टेलीकॉम लि., मैं एचएफसीएल इंफोटेल लि., मै टाटा टेलीसर्विसेज लि. और मै. टाटा टेलीसर्विस (महाराष्ट्र) लि. को दिए गए लाइसेंस में लाइसेंस की प्रभावी तारीख से पहले तीन वर्षों के भीतर 97806 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की शर्त रखी गई थी। निजी बुनियादी प्रचालकों ने अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की और सेवा शुरू करने में विलंब एवं सीधी एक्सचेंज लाईनों तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण 53.75 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानों की वसूली की गई थी। नवंबर, 2003 में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था घोषित किए जाने पर सभी निजी बुनियादी प्रचालकों ने चौथे सेल्युलर सेवा लाइसेंस के समतुल्य निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करके एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था को अपना लिया और तदनुसार रॉल आउट दायित्व बदल कर चौथे सेल्युलर सेवा लाइसेंस के रॉल आउट दायित्व के समकक्ष हो गया अर्थात तीन वर्षों के भीतर जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालयों के बदले जिले के किसी अन्य शहर के 50% भाग को कवरेज प्रदान करना। इस समय निजी प्रचालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अनिवार्य रॉल आउट दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है। यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि उक्त कंपनियां कथित रूप से ग्रामीण नीति को बार-बार बदलवाने का प्रयास कर रही हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक वहनीय और उचित मूल्यों पर बुनियादी तार सेवाएं पहुंचाने के लिए 1.4.2002 से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना की गई।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की कैडर समीक्षा

3203. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के गठन के बाद इसकी कोई कैडर समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सेवा कैडर की समीक्षा कब तक शुरू हो जाने तथा पूरी हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संवर्ग समीक्षा पिछली बार 2005 में की गई जिसमें 6 पदों का उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड स्तर (एचएजी) तथा 48 पदों का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर पर सृजन/उन्नयन किया गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की पूर्ण संवर्ग समीक्षा को लागू करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से सुझाव/टिप्पणियां मांगी गई हैं।

मेट्रो द्वारा सड़कों की खुदाई

3204. श्री रेवती रमन सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो को राजधानी में अपनी मेट्रो संक्रियाओं के लिए कई सड़कों की खुदाई करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य पूरा होने के बाद सड़कों की उचित मरम्मत कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सड़कों की मरम्मत कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) दिल्ली मेट्रो के लिए संरचनाओं के निर्माण हेतु कुछ सड़कों की खुदाई की गई है। कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद सड़कों की समुचित मरम्मत कर दी जाती है।

गुजरात में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाना

3205. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में गुजरात में कार्यरत सरकारी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(घ) इन चिकित्सा महाविद्यालयों में कितनी एमबीबीएस तथा स्नातकोत्तर सीटें उपलब्ध हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य में कितने नए चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई;

(च) क्या गुजरात में सरकारी तथ निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटें बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत नए मेडिकल कालेजों की स्थापना की अनुमति प्रदान कर रही है। नए मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए गुजरात से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) गुजरात में कुल 13 मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं जिनमें से 8 सरकारी क्षेत्र में तथा 5 निजी क्षेत्र में है।

(घ) इन मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की कुल 1625 तथा स्नातकोत्तर की कुल 235 सीटें हैं।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा एमबीबीएस की डिग्री प्रदान करने के लिए दो नए मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान की गई है।

(च) से (ज) भावनगर, राजकोट और सूरत में 3 सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस में बढ़ोत्तरी के लिए अगस्त, 2004 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सभी मामलों में एमसीआई ने विभिन्न कमियों का उल्लेख किया है। इन कमियों को कालेज प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है। प्रस्तावों पर स्वीकृति सुविधाओं की उपलब्धता तथा उसके संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

अनुमत्य मात्रा से अधिक कोयला

3206. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन निजी खरीदारों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुए हैं जो अपने द्वारा अग्रिम जमा कराए गए ड्राफ्टों के बदले कथित रूप से अनुमत्य मात्रा से अधिक कोयला प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला कंपनियों द्वारा जारी किए गए कोयले की वास्तविक मात्रा के बिल जारी करने तथा अतिरिक्त धनराशि को वापस करने में कितना समय लिया जाता है;

(घ) क्या कोयला जारी करने में कथित विलम्ब के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोयला जारी करने तथा देय धनराशि वापस करने में हो रहे विलंब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रचलन के अनुसार, बिल या तो कोयले की डिलीवरी के समय पेश किए जाते हैं अथवा डिलीवरी के माह के दौरान

या उसके बाद वाले माह के अंत में समेकित प्रस्तुत किए जाते हैं। राशि आधिक्य, यदि कोई हो, तो, उसकी वापसी की समयावधि, कोयले की डिलीवरी की वैध समयावधि के समाप्त हो जाने के बाद उपभोक्ताओं से वापसी के आवेदन प्राप्त होने पर निर्भर करते हुए 2 सप्ताह से 3 माह के बीच होती है।

(घ) से (च) जी, हां। तथापि ऐसी शिकायतें बहुत कम होती हैं और अनेक बार ऐसी परिस्थितियों के कारण पैदा होती हैं, जो कोयला कंपनियों के नियंत्रण के बाहर होती हैं। कोल इंडिया लि. ने अपनी अनुषंगियों को समय पर कोयले की डिलीवरी करने और ऐसी पद्धति अपनाने का निदेश दिया है जिसके अंतर्गत ऐसी वापसियां, उपभोक्ताओं से वापसी का आवेदन प्राप्त हुए बिना वैधता आदेश समाप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर कर दी जाएं।

मोबाइल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना

3207. श्री जुएल ओराम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मोबाइल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्यवार नियत लक्ष्य क्या है; और

(ग) देश में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के संबंध में अभी तक हासिल उपलब्धियों का क्या ब्यौरा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दसवीं योजना में, बीएसएनएल ने अपने प्रचालन के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में 223.84 लाख मोबाइल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। इनमें से, बीएसएनएल ने 31.3.2005 तक 94,47,357 लाख सेल्युलर कनेक्शन प्रदान कर दिए हैं। सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, बीएसएनएल ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 65 लाख सेल्युलर कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है और अनंतिम रूप से वर्ष 2006-07 के दौरान 75 लाख सेल्युलर कनेक्शन दिए जाने की योजना है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लक्ष्यों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30.11.05 तक की उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए सेल्युलर फोनों के संबंध में राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां (31.10.2005 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2005-06 के लिए लक्ष्य	वर्ष 2006-07 के लिए लक्ष्य (अनंतिम)	उपलब्धियां 2005-06 (31.10.2005 तक)
1	2	3	4	5
	पूर्वी क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार	6000	8000	7037
2.	असम	130000	150000	60898
3.	बिहार	380000	420000	63699
4.	झारखंड	150000	170000	47597
5.	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम त्रिपुरा)	45000	51000	10736
6.	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर)	45000	51000	42059
7.	उड़ीसा	224000	250000	75064
8.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	420000	500000	183474

1	2	3	4	5
	दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	450000	520000	39733
2.	कर्नाटक	500000	580000	169557
3.	केरल	450000	500000	56598
4.	तमिलनाडु	600000	700000	193731
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	170000	195000	164286
2.	हिमाचल प्रदेश	80000	94000	79165
3.	जम्मू व कश्मीर	120000	140000	186504
4.	पंजाब	220000	254000	24728
5.	राजस्थान	410000	475000	336575
6.	उत्तर प्रदेश	820000	950000	790240
7.	उत्तरांचल	80000	92000	99799
	पश्चिमी क्षेत्र			
1.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	500000	580000	203327
2.	गुजरात	400000	465000	154301
3.	मध्य प्रदेश	200000	240000	46814
4.	छत्तीसगढ़	100000	115000	29694
	कुल योग	6500000	7500000	3065616

[हिन्दी]

अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति

3208. डा. राम लखन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों को अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के अभाव में राज्य के ताप विद्युत केन्द्रों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार निर्धारित आबंटन और आवश्यकता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य को कब तक अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति कर दी जाएगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ङ) मध्य प्रदेश के तापीय विद्युत स्टेशनों में कोयला कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जा रहे कोयले के लिए संयुक्त प्रतिदर्श विश्लेषण प्रबंध है। यह तंत्र तापीय विद्युत स्टेशनों को की गई आपूर्तियों की नियमित गुणवत्ता आडिट को सुनिश्चित करता है। इस तंत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश

के विद्युत स्टेशनों को कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाता है। सी.आई.एल. ने यह सूचित किया है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से कोयले की गुणवत्ता के बारे में दो शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा उनके संबंध में उपचारात्मक उपाय कर दिए गए हैं और उसके बाद आगे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली-काठमांडू बस सेवा

3209. योगी आदित्यनाथ: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा की तर्ज पर दिल्ली और काठमांडू के बीच बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) दिल्ली-काठमांडू बस सेवा का प्रस्ताव भारत और नेपाल के बीच मोटर-वाहन करार का एक भाग है जिस पर दोनों सरकारों के आद्यक्षर हैं। नेपाल की शाही सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात इस करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे लागू किया जाएगा।

(ग) लागू नहीं।

जिला स्वास्थ्य मिशन

3210. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल एन. पाटले:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का जिला स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसे 'आशा' के नाम से शुरू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मिशन पर होने वाले वार्षिक खर्च का आकलन किया गया है;

(च) यदि हां, तो उक्त मिशन की कितनी अवधि की योजना बनाई गई है;

(छ) क्या इसे सभी राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अध्यक्ष जिला परिषद की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य मिशन स्थापित किया जा रहा है। जिलाधिकारी/जिलाधीश, जिला स्वास्थ्य मिशन के सह-अध्यक्ष और सी.ई.ओ. जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं। जिला स्वास्थ्य मिशन के सदस्यों में जिले के सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, जिला परिषद की स्थाई समितियों के अध्यक्ष, परियोजना अधिकारी (डी.आर.डी.ए.), पंचायत समितियों और अस्पताल प्रबंधन सोसाइटियों के अध्यक्ष, पी.एच.ई.डी., आई.सी.डी.एस., आयुष, शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य प्रतिनिधि, एम.एन.जी.ओ./एस.एन.जी.ओ. इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

राज्यों को चयन किए जाने वाले मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ए.एस.एच.ए.) की संख्या, चयन क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को चरणवार ढंग से शामिल करके दस राज्यों में 2.5 लाख मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगाए जाने का प्रस्ताव है। मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्ता व्यापक रोग प्रतिरक्षण, सुरक्षित/संस्थागत प्रसव, अन्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं, नवजात परिचर्या, जल-जन्य और अन्य संचारी रोगों के निवारण, पोषण और सफाई हेतु सामुदायिक कार्य को सुदृढ़ बनाएंगे। पंचायत, मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन करेगी और वे पंचायत के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होंगे। यद्यपि उनको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, तथापि वे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य-निष्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन पाने की हकदार होंगी।

(ग) मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के संपूर्ण सप्तक पर ध्यान देकर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में संरचनात्मक सुधार शुरू करने के लिए एक कार्यनीति है। स्वास्थ्य के उन प्रभावित क्षेत्रों जिन पर इस मिशन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिया जाता, उनमें बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन, उपलब्ध जन-शक्ति का उन्नयन और गांव के निवासी स्वास्थ्य प्रदायक को लाना तथा नियोजक प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण शामिल है।

(ङ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का बजटीय परिव्यय इस मंत्रालय के समग्र बजट का एक भाग है। वित्तीय वर्ष 2005-06 का परिव्यय 6,731 करोड़ रुपए है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मिशन अवधि वर्ष 2005-2012 है।

(छ) और (ज) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 18 राज्यों अर्थात 8 अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले राज्य (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, और राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा) हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सम्पूर्ण देश में चल रहा है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत-चीन समझौता ज्ञापन

3211. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:
श्री एल. गणेशन:
श्री निखिल कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बर्ड-फ्लू से निपटने हेतु तामीफ्लू वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु चीन से अनुरोध किया है;

(घ) क्या सरकार का अस्पतालों में प्रयोग हेतु चीन से मशीनें आदि आयात करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत और चीन के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते पर दिनांक 3.9.1994 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस सहयोग (भागीदारी) के क्षेत्र में योग तथा एक्युपंक्चर, गुणवत्ता नियंत्रण विधियों और अच्छी विनिर्माण पद्धतियों समेत फार्माकोलॉजी और फार्मास्युटीक्स, संक्रामक रोग तथा परजीवी विज्ञान, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या एवं परिवार नियोजन तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा उष्णकटिबंधीय चिकित्सा सहित पारस्परिक चिकित्सा शामिल हैं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्र

3212. **मो. मुकीम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, सुलतानपुर, गोरखपुर जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां टेलीफोन के लिए आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) उक्त जिलों में नए कनैक्शन प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिलों में उन कनैक्शनों/आवेदकों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ससंद सदस्यों या मंत्रालय/दूरसंचार मंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर कनैक्शन प्रदान करने के लिए सिफारिश की है; और

(घ) सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा,

फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, सुलतानपुर और गोरखपुर जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों में 30.11.2005 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची लंबित है उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	जिला	शहरी क्षेत्र में एक्सचेंजों की संख्या	जिले में कुल प्रतीक्षा सूची	ग्रामीण क्षेत्र में एक्सचेंजों की संख्या	जिले में कुल प्रतीक्षा सूची
1.	सिद्धार्थनगर	4	157	25	427
2.	बस्ती	4	200	24	476
3.	गोंडा	3	374	37	1294
4.	फैजाबाद	10	2764	31	1045
5.	जौनपुर	13	1959	56	7297
6.	आजमगढ़	15	2200	60	5102
7.	सुलतानपुर	8	144	69	4850
8.	गोरखपुर	21	1007	34	2241

(ख) उक्त जिलों में नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रतीक्षा सूची को लैंडलाइन पर निपटाने की योजना है।

(2) एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र से बाहर की प्रतीक्षा सूची को वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) पर निपटाने की योजना है जिसके लिए दिसम्बर, 2007 तक अतिरिक्त 961 डब्ल्यूएलएल बीटीएस की योजना बनाई गई है।

(ग) उक्त जिलों में जिन टेलीफोन आवेदकों को बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों अथवा दूरसंचार मंत्री/मंत्रालय के कोटे के अंतर्गत सिफारिश की गई है उन कनेक्शनों/आवेदकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) चूंकि अधिकांश प्रतीक्षा सूची दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की है जहां इस समय नेटवर्क की पहुंच नहीं है अत: वहां पर डब्ल्यूएलएल की संस्थापना के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार करके दिसंबर 2007 तक चरणबद्ध रूप से लंबित कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है। ऐसे क्षेत्रों को केवल वायरलैस की संस्थापना के जरिए ही किफायती ढंग से कवर किया जा सकता है।

विवरण

वर्ष 2004 और 2005 के संसद सदस्य/मंत्री कोटे से संस्वीकृत/लंबित कनेक्शनों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	संसद सदस्य कोटा			मंत्री कोटा			कुल		
		संस्वीकृत कनेक्शनों की कुल संख्या	प्रदान किए गए कनेक्शन	लंबित	संस्वीकृत कनेक्शनों की कुल संख्या	प्रदान किए गए कनेक्शन	लंबित	संस्वीकृत कनेक्शनों की कुल संख्या	प्रदान किए गए कनेक्शन	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आजमगढ़	201	172	29	23	17	6	224	189	35
2.	बस्ती और सिद्धार्थनगर	37	28	9	4	1	3	41	29	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	फैजाबाद	14	13	1	57	46	11	71	59	12
4.	गोंडा	2	0	2	5	0	5	7	0	7
5.	गोरखपुर	13	6	7	5	3	2	18	9	9
6.	जौनपुर	560	245	315	32	8	24	592	253	339
7.	सुलतानपुर	658	455	203	30	12	18	688	467	221
	कुल	1485	919	566	156	87	69	1641	1006	635

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

3213. श्री मुन्शी राम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन बीमारियों से सबसे अधिक संख्या में मौतें होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के घटते योगदान के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में 2005 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में पोलियो, याज और कुष्ठ का उन्मूलन तथा निगरानी और स्वास्थ्य खातों और सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली स्थापित करना है। इन लक्ष्यों के अनुसार याज और कुष्ठ का समापन किया जा रहा है। पोलियो के संचारण को रोकने में भी प्रगति हुई है। सरकार द्वारा नवम्बर, 2004 में संचारी रोगों की निगरानी तथा असंचारी रोगों के खतरे के कारणों पर निगरानी कार्य को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

सरकारी संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है जिनमें वैक्टर जनित रोग, क्षय रोग, कुष्ठ और एड्स शामिल हैं जिनमें उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं। जहां इन रोगों से अभी भी मौतें होती हैं, वहीं चिरकारी रोग के खतरे के कारकों और मौतों में तेजी से वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए सी.ई.ई.

3214. डा. आर. सेनथिल:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संपूर्ण भारत में विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परीक्षा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययनरत ग्रामीण छात्रों को इससे नुकसान होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक योजना तैयार और अनुमोदित की थी जिसके तहत सभी राज्यों के (आंध्र प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) सरकारी चिकित्सा/दंत महाविद्यालय में 15 प्रतिशत एम बी बी एस/ बीडीएस सीटें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर भरी जानी हैं। इस योजना को अनुमोदित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा लेने के प्रश्न पर विचार किया था। तथापि, विभिन्न तथ्यों एवं विषयों जैसे एमबीबीएस/

बीडीएस परीक्षा देश भर में अंग्रेजी में आयोजित की जाती है, पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

एम.ए.आर.आर. आधारित वीपीटी के स्थान पर डब्ल्यूएलएल

3215. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मोहम्मद शाहिद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी गांवों में मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम.ए.आर.आर.) आधारित वीपीटी के स्थान पर डब्ल्यूएलएल आधारित प्रणाली शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य में से अभी तक कितने गांवों को कवर किया गया है;

(घ) क्या चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(च) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं देने की अपनी योजना में पिछड़ गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के प्रशासक और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के बीच हुए करार के अनुसार मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को जून 2006 तक क्रमिक रूप से बदले जाने का लक्ष्य है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 1,86,872 एमएआरआर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 1,30,915 एमएआरआर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन बदले जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 2,381 एमएआरआर आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन बदले गए हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) सरकार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की आर्थिक सहायता से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के प्रशासक तथा भारत संचार निगम लिमिटेड और निजी सेवा प्रदाताओं के बीच देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए करार किए गए हैं:

* देश के दूरसंचार सुविधा रहित शेष 66,822 गांवों में नवंबर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करना। इसमें घने वनक्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित गांव शामिल नहीं हैं।
* 2000 से अधिक की आबादी वाले जिन गांवों में पीसीओ नहीं है उन 46,253 गांवों में सितम्बर, 2007 तक ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करना।
* वर्ष 2006 की पहली तिमाही के दौरान वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी 1,685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में मांग पर ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

गर्भ निरोधक गोलियों को लोकप्रिय बनाना

3216. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की काउंटर से बिक्री की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके सुरक्षा पहलू के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। इसकी सुरक्षा संबंधी एक विशेषज्ञ समूह के विचारों के आधार पर लेवोनोरगैस्ट्रल 0.7 एम जी गोली (इमरजेंसी कन्ट्रासेप्टिव पिल्स) को खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक के प्रैस्क्रिप्शन की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। इससे महिलाओं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच उसकी पहुंच में सुधार होगा।

(घ) गर्भ निरोधक गोलियों को लोकप्रिय बनाने हेतु किए गए प्रयासों में वितरण हेतु राज्यों को नि:शुल्क आपूर्ति करना, बहुत ही कम मूल्यों पर सामाजिक विपणन संगठनों के माध्यम से आपूर्ति करना एवं देश भर में इलैक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार करना शामिल है।

एफ.आर.एफ.आर.पी. का दूसरा चरण

3217. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा फास्ट रिएक्टर फ्यूल री-प्रौसेसिंग प्लांट (एफ.आर.एफ.आर.पी.) का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एफ.आर.एफ.आर.पी. के दूसरे चरण पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र (एफ.आर.एफ.आर.पी.) के दूसरे चरण में मिश्रित कारबाइड ईंधन को नियमित आधार पर और फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर (एफ.बी.टी.आर.) से निकले गए डिजायन के मिश्रित आक्साइड ईंधन को संसाधित किया जाएगा तथा 500 मेगावाट-ई क्षमता के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के मिश्रित आक्साइड ईंधन की कुछ उप-असैम्बलियों को भी संसाधित किया जाएगा।

(ग) 30 नवम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार, फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र के दूसरे चरण पर 1524.00 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

(घ) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस परियोजना को मार्च, 2007 के अंत तक कमीशन किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं

3218. **डा. अरूण कुमार शर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का कोई विशेष कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का दृष्टिकोण 18 राज्यों जिनके जन-स्वास्थ्य सूचक कम हैं अथवा जिनमें बुनियादी सुविधाएं कमजोर हैं, पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में ग्रामीण आबादी को प्रभावकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इन 18 राज्यों में 8 पूर्वोत्तर राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।

यह मिशन सरकार की स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत तक करने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। इस मिशन का उद्देश्य बढ़े हुए आबंटन को कारगर ढंग से संभालने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली का संरचनात्मक सुधार करना, देश में जन-स्वास्थ्य प्रबंधन और जन-स्वास्थ्य प्रदानगी को सुदृढ़ करने से संबंधित नीतियों को बढ़ावा देना है। इस मिशन में स्वास्थ्य के अन्य निर्धारकों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रभावकारी एकीकरण, स्वास्थ्य के जिला प्रबंधन हेतु कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण करने की भी व्यवस्था है। इसके साथ-साथ इस मिशन का उद्देश्य अन्तरराज्यीय और अन्तर जिला असमानताओं को दूर करना तथा ग्रामीणों विशेषतौर से गरीब महिलाओं और बच्चों की वहनीय और प्रभावकारी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच बढ़ाना शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में, नवम्बर, 2005 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल 253.91 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के लिए विदेशी सहायता

3219. श्री एम. शिवन्ना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक ने 9 दिसम्बर, 2002 को अपने मेडिकल कालेजों और संबद्ध अस्पतालों में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्त पोषित करने वाली विदेशी एजेन्सियों से वित्तीय सहायता के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मानव अंग बैंकों की स्थापना

3220. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मानव अंगों के प्रत्यारोपण के प्रयोजनार्थ मानव अंग बैंकों की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अंग दान को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई प्रौद्योगिकी आयात की गई है और इस संबंध में डाक्टरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) दि आर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गनाइजेशन ओ.आर.बी.ओ., जो देश में राष्ट्रीय सुविधा एवं नोडल केन्द्र है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पहले ही कार्य कर रहा है जिसका उद्देश्य अंग दान को प्रोत्साहित करना, मानव अंगों के उचित और समान वितरण करना मानव अंगों का इष्टतम उपयोग करना है। दिल्ली में अंग दान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के सुचारू कार्यकरण और समन्वय के लिए ओ.आर.बी.ओ. के साथ 15 अस्पतालों (सरकारी, सार्वजनिक और धर्मादा) का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग प्रत्यारोपण नियम, 1995 के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की गई थी और इस समिति ने अंग दान को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों की संस्तुति की है। समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सार मुख्य रूप से इस प्रकार है–

(1) यह अनिवार्य किया जाए कि नजदीकी रिश्तेदारों के सभी मामले प्राधिकृत समिति के माध्यम से आएं,

(2) प्राधिकृत करने वाली समिति के कार्य से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए है,

(3) आनुवंशिकी संबंध और हिस्टोकाम्पेबिलिटी स्थापित करने के वास्ते स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में जांच की जानी चाहिए,

(4) ओ.आर.बी.ओ. कार्यकलापों का विस्तार किया जाना चाहिए,

(5) एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिसमें शव दान पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए,

(6) प्रत्येक अस्पताल को अपने आई.सी.यू. और मेडिकल स्टाफ के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे मस्तिष्क से मृत रोगी के संबंध से अंग दान के लिए अनुरोध करें और मस्तिष्क से मृत रोगी के संबंधी से अंग दान के लिए अनुरोध करें और मस्तिष्क से मृत व्यक्ति के अंग दान की संभावना के बारे में ओ.आर.बी.ओ. को सूचित किया जाना चाहिए,

(7) शव का अंग दान करने वाले परिवार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए,

(8) अंग दान से संबंधित प्रक्रिया नियमों को सरल बनाने की सलाह दी गई है।

सरकार, समीक्षा समिति की रिपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए रिपोर्ट की जांच कर रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

कलपाक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता बढ़ाना

3221. **श्री एल. गणेशन:**
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलपाक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितने विस्तार की संभावना है और इसमें शामिल चरणों का ब्यौरा क्या है, कितना व्यय किए जाने की संभावना है और इसके कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) तमिलनाडु, कलपाक्कम में स्थित मद्रास परमाणु बिजलीघर (एम.ए.पी.ए.) के दो यूनिट अर्थात् एम.ए.पी.एस.-1 तथा 2 क्रमश: जनवरी, 1984 और मार्च, 1986 से प्रचालनरत हैं और इनमें से प्रत्येक यूनिट की स्थापित क्षमता 220 मेगावाट-ई है। कैलण्ड्रिया में भारी पानी के प्रवाह के लिए स्थापित मैनीफोल्ड के खराब हो जाने की वजह से, इन रिएक्टरों की क्षमता को प्रत्येक के मामले में सन् 1995 से घटाकर 170 मेगावाट-ई कर दिया गया है। इन यूनिटों में उन्नयन कार्य करने के लिए शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने (ई.एम.सी.सी.आर.) संबंधी कार्य हाथ में लिया गया है ताकि इन यूनिटों में से प्रत्येक में 50 मेगावाट-ई क्षमता बढ़ाकर, प्रत्येक की मूल क्षमता 220 मेगावाट-ई बहाल की जा सके। मद्रास परमाणु बिजलीघर-2 के मामले में शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने संबंधी कार्य सन् 2003 में पहले ही पूरा किया जा चुका है और इसकी क्षमता में 50 मेगावाट-ई की वृद्धि की जा चुकी है। मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 के मामले में शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने संबंधी कार्य किया जा रहा है और आशा है कि मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 की क्षमता में दिसंबर, 2005 के दौरान 50 मेगावाट-ई की वृद्धि कर दी जाएगी। दोनों यूनिटों के शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने संबंधी कार्य पर आने वाली लागत 490 करोड़ रुपए है।

सी.जी.एच.एस. कर्मचारियों की हड़ताल

3222. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2005 के महीने में सी.जी.एच.एस. कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या थीं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सी.जी.एच.एस. कर्मचारी तिथि-वार कितनी बार हड़ताल पर गये; और

(घ) सरकार की उनकी मांगों पर क्या प्रतिक्रिया रही?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी नवम्बर, 2005 में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर गए।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी निम्नलिखित तारीखों को हड़ताल पर रहे-

(1) 7.6.2005

(2) 29.8.2005 और 30.8.2005

(3) 18.11.2005

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी परिसंघ की मांगों पर सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) द्वारा 1.8.2005 को ली गई बैठक में चर्चा की गई। इन मांगों पर उसी दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा ली गई बैठक में चर्चा की गई। मांग पत्र पर की गई कार्रवाई की प्रगति पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा 11.11.2005 को ली गई बैठक में चर्चा की गई।

विवरण

1. स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाओं का निजीकरण और संविदाकरण बंद करना।
2. समूह 'ग' और 'घ' स्टाफ के सभी रिक्त पदों को भरना।
3. ऐसे संघों/यूनियनों को मान्यता प्रदान करना जिनके आवेदन लंबित हैं।
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विसंगति समिति में लंबित सभी विसंगतियों को दूर करना।
5. सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को कम से कम 4 सेट यूनिफार्म दिए जाने चाहिए और सिलाई की दर बाजार दर के अनुसार होनी चाहिए।
6. छूटे हुए सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को रोगी परिचर्या भत्ता प्रदान करना।

7. विभाग परिषद/कार्यालय परिषद का शीघ्र गठन।

8. केन्द्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए एक समान भर्ती नियम।

9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों को अविलम्ब निपटाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत का प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए।

10. सभी स्वास्थ्य कार्मिकों को कम से कम तीन पदोन्नतियां।

11. एसीपी स्कीम को इसकी सही भावना से लागू किया जाना चाहिए।

12. विभिन्न श्रेणियों की विशिष्ट पुनर्संरचना केन्द्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी परिसंघ के साथ परामर्श करके की जानी चाहिए।

13. आपरेशन थिएटर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

14. आकस्मिक छुट्टियां पहले की तरह 12 और 15 दिन की, की जानी चाहिए।

15. समान भर्ती नियमों वाले पदों का वेतन भी समान होना चाहिए।

शांति सेना की तैनाती

3223. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत जैसे सैन्य सहायता प्रदान करने वाले देश अपनी शांति सेना की तैनाती से संबंधित निर्णयों के मामले में आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ से परामर्श नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत ने भागीदारी के अपने अधिकारों और ऐसे मामलों में सक्रिय सहयोग को दृढ़ता से रखा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति मिशन को तैनात करने, नवीकरण करने तथा हटा लेने के लिए उत्तरादायी है। फिर भी जब कभी शांति सेना के लिए सहयोग देने का संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों द्वारा भारत से अनुरोध किया जाता है, निर्णय पारस्परिक परामर्श के लिए जाते हैं।

कैंसर के लिए स्वदेशी दवाएं

3224. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कैंसर को नियंत्रित करने के लिए स्वदेशी दवाओं के प्रयोग से निवारात्मक उपाय ढूंढ़ने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) कैंसर नियंत्रण के लिए देशी दवाइयों का इस्तेमाल करके उपचारी उपायों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 7 से 9 लाख नए कैंसर रोगियों का पता लगाया जाता है। किसी भी समय में देश में 2 से 2.5 मिलियन कैंसर रोगी होते हैं। इन आंकड़ों से सभी स्थानों में कुल मिलाकर कैंसर की घटना दर में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि का पता नहीं चलता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीतियों के लिए कार्यबल गठित किया गया है। इस कार्य बल द्वारा निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

डाकघरों का आधुनिकीकरण

3225. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में डाकघरों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए डाक कर्मचारियों हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

प्रौद्योगिकी की शुरुआत और एर्गोनामिक्स में सुधार के माध्यम से डाक विभाग डाकघरों की कार्यप्रणाली के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विभाग को आबंटित 1350 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय में से 1062 करोड़ रुपए 10वीं पंचवर्षीय योजा के दौरान आधुनिकीकरण संबंधी कार्यकलापों के लिए रखे गए हैं।

(ख) मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाएं आवश्यकतानुसार पर्याप्त हैं। विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 7 प्रशिक्षण संस्थानों और 60 कार्यस्थल कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से इन-हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) 10वीं योजना के अंतर्गत विभाग की 1,50,000 कर्मचारियों को कंप्यूटर और विविध विभागीय साफ्टवेयरों पर काम करने का प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमोदित योजना है। अब तक 1,09,893 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षण का यह लक्ष्य विविध डाक परिचालनों व प्रबंधन संबंधी विषयों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त है।

किशोर स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना को सहायता

3226. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान किशोर स्वास्थ्य एवं विकास परियोजना की सहायता के अंतर्गत क्या-क्या विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) यू.एन.एफ.पी.ए. के छठे देश कार्यक्रम, जिसमें गुजरात भी शामिल है के एक हिस्से के रूप में इस मंत्रालय ने यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से एक परियोजना आरंभ की है जिसका शीर्षक है, किशोर स्वास्थ्य और विकास को सहायता (2004-2007)। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को अपने राज्य प्रजनन शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में शामिल कर लिया है।

(ख) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में किशोर स्वास्थ्य के लिए एक विशेष सैल स्थापित किया है और किशोर स्वास्थ्य और विकास पर वितरण के लिए संसाधन सामग्री विकसित की गई है।

चिकित्सा विश्वविद्यालय

3227. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों के नाम क्या है;

(ख) इन विश्वविद्यालयों पर पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन विश्वविद्यालयों से कितने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्र वर्ष-वार पास हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार देश में छः चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

(1) एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।

(2) राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, कर्नाटक।

(3) महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मुम्बई, महाराष्ट्र।

(4) बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट, पंजाब।

(5) डा. एम.जी.आर. चिकित्सा विश्वविद्यालय, मद्रास, तमिलनाडु।

(6) प. बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प. बंगाल।

(ख) राज्य विधि प्रणाली के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों के गठन होने के संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) इन विश्वविद्यालयों से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं वर्ष-वार उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का केन्द्रीय स्तर पर कोई डाटा नहीं रखा जाता।

तमिलनाडु नागरिक सुविधाओं संबंधी प्रस्ताव

3228. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक तमिलनाडु से विभिन्न शहरों तथा कस्बों में पानी, सीवेज तथा कूड़ा निस्तारण प्रणाली में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी हां। सरकार को विभिन्न शहरों और कस्बों में जल और सीवेज प्रणाली में सुधार के लिए तमिलनाडु से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए जल आपूर्ति में सुधार के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) नाम एक स्कीम है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्य कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत प्राप्त 58 प्रस्तावों में से 57 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत 47.3334 करोड़ रु. है और शेष एक स्कीम, जो त्रिची जिले में मुसीरी कस्बे के लिए है, राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली गई थी। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम को छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) में सम्मिलित कर दिया गया है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक से सहायता के लिए और भारत सरकार से वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित जल आपूर्ति परियोजनाएं भेजी हैं:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1.	चेन्नई में III चेन्नई जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	750.00
2.	चेन्नई शहर के लिए डिसेलीनेशन प्लांट	1750.00

इसके अलावा, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एजेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत जल आपूर्ति और सीवरेज के संबंध में 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने यह सूचित किया है कि वर्तमान राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सीवरेज के लिए 4 प्रस्ताव भेजे गए थे। ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नियतन की गई तथा उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित है:

वर्ष	धनराशि का अंतिम नियतन (लाख रु.)	जारी धनराशि (लाख रुपये में)
2002-03	813.16	813.16
2003-04	823.48	653.41
2004-05	880.90	808.19
2005-06*	–	106.90 (दिनांक 9.12.2005 तक)

* वर्ष 2005-06 के लिए राज्यवार कोई नियतन नहीं किया गया है क्योंकि इस स्कीम को नई यूआईडीएसएसएमटी स्कीम के साथ मिला दिया गया है। वर्तमान में चल रही स्कीमों के लिए केन्द्रीय अंश की प्रतिबद्ध देयता तभी जारी की जाएगी बशर्ते कि पहले आओ पहले पाओ आधार पर जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए। तमिलनाडु के लिए 411.94 लाख रुपये की बाकी प्रतिबद्ध देयता की तुलना में अभी तक 106.90 लाख रु. जारी किए गए हैं तथा अन्य चल रही परियोजनाओं के लिए बाकी धनराशि जारी की जाएगी बशर्ते कि अगली किस्त जारी करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड को पूरा किया जाए।

विवरण I

केन्द्र प्रायोजित त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) 2002-2003 से आज की तारीख तक प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति

राज्य : तमिलनाडु

क. स्वीकृत परियोजनायें

क्र.सं.	नगर का नाम	जिला	लाख रुपए
1	2	3	4
1.	अदुथुरै	थंजावुर	103.87
2.	थिरुबुवनम	थंजावुर	105.00

1	2	3	4
3.	थिरुविदैमरुथुर	थंजावुर	88.76
4.	ओरथनदु	थंजावुर	35.53
5.	अंदिपत्ति	थेनी	200.62
6.	पेरैयुर	मदुअरै	226.99
7.	कयथर	तुतिकोरिन	120.51
8.	कलुगुमलै	तुतिकोरिन	306.06
9.	एतयपुराम	तुतिकोरिन	294.82
10.	नाथम	डिंडिगुल	490.36
11.	निल्लकोतै	डिंडिगुल	63.92
12.	कीरनौर	डिंडिगुल	17.23
13.	अन्नुर	चोइम्बतोरे	221.59
14.	मुगसिपिदरियुर	इरोड	97.51
15.	ओअतपरै	इरोड	63.95
16.	सिंगम्पुनेरि	सिवांगै	17.48
17.	नन्दीवरम् गुटुवंचेरि	कांचीपुरम	108.72
18.	अरकंडनल्लुर	विल्लुपुरम	20.96
19.	मल्लुर	सालेम	29.77
20.	वेन्नदुर	नमक्काल	14.35
21.	पिलनल्लुर	नमक्काल	27.29
22.	अलंगुदि	पदुकोतै	13.28
23.	अल्वर्थिरूनगरि	थूथुकुदि	17.12
24.	एरल	थूथुकुदि	26.29
25.	कीरनुर	पुदुकोतै	41.76
26.	मुधुकुलथुर	रामनाथपुरम	331.82
27.	कवेरिपक्कम	उत्तर अर्कोत	64 92
28.	कुत्तुप्पुथुर	त्रिची	51.40
29.	चेत्तियर्पति	विरूधुनगर	33.00
30.	पनपक्कम	वेल्लौर	44.00
31.	ओमलुर	सालेम	7.82
32.	जलकंदपुरम	सालेम	9.56
33.	थरमंगलम	सालेम	19.52
34.	नदुवत्तम	नीलगिरि	8.18
35.	पर्मकुरिचि	थूथुकुदि	147.78
36.	थिरूवैयरू	थंजावुर	106.81
37.	अम्मैयर्कूप्पम	तिरूवेल्लोर	22.18
38.	थिरूकतुपल्लि	थंजावुर	27.00
39.	थोंदि (यू.ए.)	रम्नद	204.14
40.	पपनसम	थंजावुर	112.70
41.	वलंगैमन	थिरूवरूर	16.09
42.	पुदुकोतै	पुदुकोतै	45.95
43.	इलुपपुर	पुदुकोतै	26.33
44.	कमुथि	रामनाथपुरम	73.05
45.	थोरपदि	वेल्लौर	15.49
46.	नेइक्करपत्य	डिंडिगुल	75.04
47.	पन्नैकदु	डिंडिगुल	96.75
48.	हुब्बथलै	नीलगिरि	37.28
49.	शोलुर	नीलगिरि	24.98
50.	पुदुपलयम	नमकल	11.88
51.	पल्लिपलयम	नमकल	53.02
52.	बलसमुंदराम	डिंडिगुल	21.90
53.	अनंथपुराम	विल्लुपुरम	82.07
54.	कद्पदि	वेल्लौर	94.50
55.	उदयेंदिरूम	वेल्लौर	30.98
56.	नत्रम्पल्लि	वेल्लौर	35.37
57.	वीपंदि	थेनी	48.09
	कुल		4733.34

ख. राज्य को लौटायी गयी परियोजनायें

क्र.सं.	नगर का नाम	जिला	परियोजना लागत	अभ्युक्ति
1.	मुसिरी	त्रिची	131.00	राज्य द्वारा वापिस ली गई

विवरण II

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत जल आपूर्ति और सीवरेज पर प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	टिप्पणी
1.	चेन्नई जल आपूर्ति और सफाई स्कीम में निम्नलिखित पैकेज शामिल हैं: (1) चेन्नई जल आपूर्ति वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, शीर्ष कार्यों के सुधार और रिवास का पता लगाने हेतु 13 पैकेज (2) सीवरेज पम्पिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाने, के इन्टरसेप्टर सिस्टम और चेन्नई शहर के बकाया क्षेत्रों में कन्वेयेन्स मैन्स के लिए 2 पैकेज	413.35	परियोजना प्रस्ताव नवंबर, 2005 के पहले सप्ताह में इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। परियोजना की तकनीकी दृष्टि से जांच की गई है। चेन्नई महानगर जल आपूर्ति एंड सीवरेज बोर्ड से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।
2.	कोइम्बटूर शहर के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	106.28	परियोजना रिपोर्ट नवंबर, 2005 के पहले सप्ताह में इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। परियोजना की तकनीकी दृष्टि से जांच की गई है। कोइम्बटूर नगर निगम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।
3.	मदुरै शहर में जल आपूर्ति सुधार स्कीम	67.53	नवंबर, 2005 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी दृष्टि से जांच की गई है तथा मदुरै नगर निगम से परियोजना को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया था। तदनुसार संशोधित रिपोर्ट 21.11.2005 को इस कार्यालय में प्राप्त हुए है। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सीपीएचईओ में जाच की जा रही है।

विवरण III

चालू राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास सीवरेज के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा

नगर/स्कीमों का नाम	वर्ष	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4
तिरूचेन्दूर यूजीएसएस	2002-03	तमिलनाडु सरकार (पर्यावरण एवं वन विभाग) द्वारा दिनांक 9.4.2001 की एल आर सं. 9335/ईसी-1/2001-02 में 900.00 लाख रुपये की लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन के लिए एनआरसीडी, भारत सरकार को भेजी गई। बाद में उपर्युक्त डीपीआर को संशोधित करके 893.00 लाख किया गया और 2.12.04 को एनआरसीडी, भारत सरकार को भेजा गया। अनुमोदन अपेक्षित है।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 17.5.05 के एनआरसीडी पत्र में उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार के लिए कार्य की कोर और गैर कोर मदों में ''7 अतिरिक्त नगरों में चालू एनआरसीपी परियोजनाओं में अंतिम वचनबद्धता और प्रत्याशित बचतों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
रामेश्वरम यूजीएसएस	2002-03	तमिलनाडु सरकार (पर्यावरण एवं वन विभाग) द्वारा दिनांक 9.4.2001 की एल आर सं. 9335/ईसी-1/2001-02 में 900.00 लाख रुपये की लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन के लिए एनआरसीडी, भारत सरकार को भेजी गई। बाद में उपर्युक्त डीपीआर को संशोधित करके 893.00 लाख किया गया और 2.12.04 को एनआरसीडी, भारत सरकार को भेजा गया। अनुमोदन अपेक्षित है।	राज्य सरकार द्वारा ''7 अतिरिक्त नगरों ''में चालू एनआरसीपी परियोजनाओं में अंतिम बचनबद्धता और 6964.15 लाख रुपए की प्रत्याशित बचतें एनआरसीडी को विशेष सचिव, एमएएण्डएमएस, तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु एलआर सं. 22407/एमए3/2005-/ दिनांक 23.9.2005 के तहत भेजी गई थी।
अम्बर यूजीएसएस	2002-03	तमिलनाडु सरकार (पर्यावरण एवं वन विभाग) द्वारा दिनांक 27.8.2002 की एल आर सं. 30163/ईसी-1/2001-5 में 2500.00 लाख रुपये की लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन के लिए एनआरसीडी, भारत सरकार को भेजी गई। एनआरसीडी द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त ब्यौरे एनआरसीडी, नई दिल्ली को दिनांक 3.3.04 की एमडी/टीडब्ल्यूएडी बोर्ड एलआर सं. एफ अम्बूर यूजीएसएस/एई9/2003 द्वारा भेज दिया गया है। अनुमोदन अपेक्षित है।	
रानीपेट एवं वालाजापेट यूजीएसएस	2002-03	तमिलनाडु सरकार (पर्यावरण एवं वन विभाग) द्वारा दिनांक 13.3 की एल आर सं. 6187/ईसी-1/2003-15 में 2500.00 लाख रुपये की लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन के लिए एनआरसीडी, भारत सरकार को भेजी गई। एनआर सीडी द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त ब्यौरे एनआरसीडी, नई दिल्ली को दिनांक 3.3.04 की एमडी/टीडब्ल्यूएडी बोर्ड एलआर सं. एफ अम्बूर यूजीएसएस/एई9/2003 द्वारा भेज दिया गया है। अनुमोदन अपेक्षित है।	

फीडर सेवा में वृद्धि

3229. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली सरकार से फीडर सेवा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर दिल्ली सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा शाहदरा-रिठाला और विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय के लिए 23 अतिरिक्त फीडर मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। बाराखम्भा रोड-द्वारका मार्ग पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा 9 अतिरिक्त मार्गों पर भी फीडर सेवा का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्रचालित 40 मार्गों, जो कि पहले से ही मेट्रो स्टेशनों से जुड़े हैं के अतिरिक्त फीडर सेवाओं के प्रचालन हेतु कुल 29 डेडीकेटिड फीडर मार्ग अनुमोदित किए गए हैं। 29 डेडीकेटिड मार्गों में से 12 मार्गों पर कुल 80 परमिट दिए गए हैं।

वर्षा से प्रभावित कर्नाटक को सहायता

3230. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्टूबर, 2005 के दौरान कर्नाटक के बारह जिले लगातार हुई वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुए;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने विशेषकर शहरों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कर्नाटक को तत्काल कितनी सहायता प्रदान की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक मीनारों की दयनीय स्थिति

3231. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फरकंडे गांव में प्राचीन ऐतिहासिक मीनारों की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन दयनीय स्थिति वाली मीनारों के पुनरुद्धार के लिए संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) महाराष्ट्र के जलगांव जिला में फरकंदे गांव स्थित प्राचीन ऐतिहासिक मीनारें केन्द्रीय संरक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) फरकंदे गांव स्थित इन प्राचीन ऐतिहासिक मीनारों के पुनरुद्धार के लिए संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राप्त नहीं हुआ है।

आईटीएस अधिकारियों की समस्याएं

3232. श्री रशीद मसूद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संचार विभाग के आईटीएस अधिकारियों के संबंध में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) आईटीएस अधिकारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को आईटीएस अधिकारियों के बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन के संबंध में पिछले कुछ महीनों के दौरान अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें संसद सदस्यों से प्राप्त लगभग 100 पत्र भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण के संबंध में पहले लिए गए निर्णय के अनुसार आईटीएस अधिकारियों के सामने मार्च, 2005 में आमेलन की शर्तें प्रस्तुत की गई थीं। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न स्पष्टीकरण भी जारी किए गए। सरकार ने इस संबंध में आईटीएस अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया। आमेलन हेतु विकल्प देने की अंतिम तारीख जो आरंभ में 16.05.2005 निर्धारित की गई थी, समय-समय पर बढ़ाकर 09.12.2005 कर दी गई। तथापि, आईटीएस अधिकारियों द्वारा अलग-अलग और उनके एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों और उच्च न्यायालयों की विभिन्न पीठों में अनेक मामले दायर किए गए हैं जो अभी लंबित हैं। मामला अभी न्यायाधीन है।

संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव

3233. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बहुत से संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक दयनीय स्थिति में हैं, जैसा कि दिनांक 27 सितंबर, 2005 के हिन्दी दैनिक 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों के उचित रखरखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दिनांक 27.09.2005 के हिन्दी दैनिक 'दैनिक जागरण' में उल्लिखित लाल किला, सफदरजंग मकबरा, पुराना किला तथा जंतर-मंतर सहित दिल्ली के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है तथा इन संरक्षित स्मारकों में से कोई भी स्मारक जीण-शीर्ण दशा में नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा रखरखाव पर किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2002-03	-	8,88,13,896 रुपए
2003-04	-	9,90,61,930 रुपए
2004-05	-	8,00,00,000 रुपए

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान 42 महत्वपूर्ण संरक्षित स्मारकों में विशेष प्रकार की संरचनात्मक मरम्मतें शुरू की गई हैं तथा कार्य प्रगति पर हैं। संरक्षण तथा दैनंदिन के रखरखाव के लिए 8.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। स्मारकों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है तथा इसे स्मारक की आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

कोयले के लाइसेंसों को रद्द करना

3234. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले की खोज तथा उत्पादन के लिए सरकारी तथा निजी विद्युत कम्पनियों को जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा एनटीपीसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) देश में कोयले की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान कितनी मात्रा में कोयले का आयात किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में कोयले की कमी को दूर करने तथा इसका आयात कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने एक मामले को छोड़कर, जहां एक निजी कम्पनी, नामत: मैसर्स सेन्ट्रल कोलियरीज कम्पनी लि. को तकली-जेना-बेलोरा (साउथ) ब्लाक पर दिया गया खनन पट्टा, उनके विद्युत संयंत्र में पट्टाधारी क्षेत्र से खनित कोयले के गृहीत उपयोग की शर्त का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया था, किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी विद्युत उपयोगिता को प्रदत्त खनन पट्टे अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को रद्द नहीं किया है। पट्टे का रद्द किया जाना एनटीपीसी के साथ नहीं जुड़ा है और इसलिए एनटीपीसी पर उसके किसी भी प्रकार के प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अखिल भारतीय आधार पर 2005-06 में 445.65 मिलियन टन के कच्चे कोयले की कुल अनुमानित मांग को 406.48 मिलियन टन की घरेलू आपूर्ति से पूरा किए जाने की योजना है जिसमें 405.38 मिलियन टन का घरेलू उत्पादन तथा सीआईएल स्रोतों से 1.10 मिलियन टन का स्टाक परिसमापन शामिल है। इसमें 39.17 मिलियन टन का अन्तर रह जाता है। 31.39 मिलियन टन कोयले (23.89 मिलयिन टन कोकिंग और 7.50 मिलियन टन नान-कोकिंग कोयला) के प्रस्तावित आयात से 7.73 मिलियन टन का अन्तर अभी भी बचता है। देशीय कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को देखते हुए, सरकार ने 2005-06 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं द्वारा 13.45 मिलियन टन कोयले का आयात किए जाने का निर्णय पहले ही लिया है।

(घ) योजना आयोग के आकलन के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान 46.62 मिलियन टन कोयले का आयात किए जाने की संभावना है।

(ङ) योजना आयोग ने वर्ष 2006-07 हेतु 473.18 मिलियन टन कोयले की मांग का आकलन किया है। इस मांग की तुलना में, देशीय स्रोतों से 426.56 मिलियन टन की एक आपूर्ति योजना बनाई गई है, जिससे 46.62 मिलियन टन का अन्तर रह जाता है। कोयले की कमी को पूरा करने के लिए योजना में इस्पात क्षेत्र हेतु 24.19 मिलियन टन कोकिंग कोयले और विद्युत, सीमेंट तथा अन्य क्षेत्रों हेतु 22.43 मिलियन टन नान-कोकिंग कोयले का आयात करने की अभिकल्पना की गई है।

नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं

3235. श्री गणेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के मन्द गति से चलने के कारण चालू वित्त वर्ष के अंत तक विद्युत के और अधिक मेगावाट जोड़ने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं। वर्ष 2006-07 के लिए परमाणु विद्युत परियोजनाओं से 540 मेगावाट-ई अतिरिक्त क्षमता हासिल करने के लक्ष्य रखा गया है। इसे तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिट-4, जिसने 12.9.2005 से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन करना शुरू कर दिया था, के निर्धारित कार्यक्रम से सात माह पूर्व पूरा कर लिए जाने के साथ ही हासिल किया जा चुका है। अन्य सभी परियोजनाओं का कार्य भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गर्भनिरोध के साधन

3236. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गर्भनिरोधकों के प्रचार के बावजूद देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गर्भनिरोधकों के उपयोग का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवार नियोजन के प्रति लोगों की घटती रुचि को ध्यान में रखते हुए गर्भनिरोधकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जनसंख्या की राज्य-वार दशकीय दर वृद्धि (%) को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गर्भनिरोधक उपकरणों के प्रयोग का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II, III और IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) जनसंख्या वृद्धि को कई कारक प्रभावित करते हैं जैसे-जन स्वास्थ्य प्रणाली में परिवार कल्याण सुविधाओं की उपलब्धता, गरीबी, असाक्षरता, परिवार नियोजन हेतु अपूरित आवश्यकताएं आदि। सरकार ने निम्न जनांकिकी सूचकों एवं कमजोर बुनियादी ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सभी राज्यों में जन-स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए ग्रामीण जनता को प्रभावशाली स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन से परिवार कल्याण सेवाओं समेत सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता परिचर्या सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन के तहत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार नियोजन आवश्यकताओं समेत जनसंख्या की अपूरित मांग

को पूरा करने हेतु विविध प्रकार की प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

सरकार ने परिवार नियोजन पद्धतियों के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है। इस कार्यनीति में प्रिंट इलैक्ट्रोनिक मीडिया में मल्टीमीडिया प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी समय पर सूचना का प्रचार-प्रसार करने एवं जागरूकता फैलाने के लिए अन्तर्वैयक्तिक/आचरण बदलाव सम्प्रेषण माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है। यह मंत्रालय परिवार नियोजन उपायों से संबंधित संदेश का प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल, निजी सैटेलाइट चैनलों एवं अखिल भारतीय रेडियों के माध्यम से नियमित रूप से वीडियो एवं आडियो झलकियों का प्रस्तुतीकरण/प्रसारण करता है। परिवार नियोजन उपायों पर पोस्टरों, पत्रिकाओं को प्रिंट किया जाता है तथा जनता में वितरण करने हेतु राज्यों में भेज दिया जाता है। इस संबंध में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है।

विवरण I

जनसंख्या की वृद्धि दर

दशकीय वृद्धि दर (%)

क्र.सं.	भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1971-81	1981-91	1991-2001
1	2	3	4	5
	भारत	25.00	23.87	21.54
1.	आंध्र प्रदेश	23.10	24.20	14.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	35.15	36.83	27.00
3.	असम	36.05	24.24	18.92
4.	बिहार	24.06	23.38	28.62
5.	छत्तीसगढ़	अनुपलब्ध	25.73	18.27
6.	गोवा	26.69*	16.08	15.21
7.	गुजरात	27.67	21.19	22.66
8.	हरियाणा	28.75	27.41	28.43
9.	हिमाचल प्रदेश	23.71	20.79	17.54
10.	जम्मू एवं कश्मीर	29.69	30.89	29.43
11.	झारखण्ड	अनुपलब्ध	24.03	23.36
12.	कर्नाटक	26.75	21.12	17.51
13.	केरल	19.24	14.32	9.43
14.	मध्य प्रदेश	25.27	27.24	24.26
15.	महाराष्ट्र	24.54	25.73	22.73
16.	मणिपुर	32.46	29.29	24.86

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	32.04	32.86	30.65
18.	मिजोरम	48.55	39.70	28.82
19.	नागालैण्ड	50.05	56.08	64.53
20.	उड़ीसा	20.17	20.06	16.25
21.	पंजाब	23.89	20.81	20.10
22.	राजस्थान	32.97	28.44	28.41
23.	सिक्किम	50.77	28.47	33.06
24.	तमिलनाडु	17.50	15.39	11.72
25.	त्रिपुरा	31.92	34.30	16.03
26.	उत्तर प्रदेश	25.49	25.61	25.85
27.	उत्तरांचल	अनुपलब्ध	23.13	20.41
28.	प. बंगाल	23.17	24.73	17.77
29.	अ.व.नि. द्वीपसमूह	63.93	48.70	26.90
30.	चंडीगढ़	75.55	42.16	40.28
31.	दादर व नगर हवेली	39.78	33.57	59.22
32.	दमन एवं दीव	अनुपलब्ध	28.62	55.73
33.	दिल्ली	53.00	51.45	47.02
34.	लक्षद्वीप	26.53	28.47	17.30
35.	पांडिचेरी	28.15	33.64	20.62

स्रोत: जनसंख्या जनगणना, भारत महापंजीयक

*दमन एवं दीव शामिल है

अनुपलब्ध, चूंकि ये बड़े राज्यों में मिल गए हैं।

विवरण II

आई यू डी निवेशन के संबंध में राज्य-वार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंन्सी	2002-03	2003-04	2004-05*
1	2	3	4	5
I.	**बड़े राज्य (जनसंख्या >20 मिलियन)**			
1.	आंध्र प्रदेश	320,889	333,723	374,566
2.	असम	41,023	42,128	39,966

1	2	3	4	5
3.	बिहार	158,996	126,882	107,792
4.	छत्तीसगढ़	102,347	99,136	103,483
5.	गुजरात	422,336	413,632	426,390
6.	हरियाणा	155,171	152,700	154,694
7.	झारखंड	57,193	52,175	52,447
8.	कर्नाटक	307,026	297,778	298,618
9.	केरल	80,654	77,853	74,009
10.	मध्य प्रदेश	464,871	459,971	452,291
11.	महाराष्ट्र	452,724	449,972	550,000
12.	उड़ीसा	144,417	144,787	160,836
13.	पंजाब	338,876	318,946	337,880
14.	राजस्थान	242,230	265,779	275,333
15.	तमिलनाडु	423,575	440,924	398,704
16.	उत्तर प्रदेश	2,064,479	2,081,254	2,094,369
17.	प. बंगाल	92,624	76,635	72,655
II.	छोटे राज्य			
1.	अरुणाचल प्रदेश	2,818	2,599	2,766
2.	दिल्ली	65,304	62,528	53,702
3.	गोवा	2,777	2,767	2,947
4.	हिमाचल प्रदेश	32,920	32,265	30,941
5.	जम्मू एवं कश्मीर	22,434	27,364	29,734
6.	मणिपुर	7,464	5,787	6,693
7.	मेघालय	2,590	3,226	2,606
8.	मिजोरम	2,434	2,334	2,430
9.	नागालैण्ड	6,792	3,654	1,844
10.	सिक्किम	893	835	1,252
11.	त्रिपुरा	3,685	3,149	2,908
12.	उत्तरांचल	103,911	103,873	118,960

1	2	3	4	5
III.	**संघ क्षेत्र**			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,502	1,715	1,065
2.	चंडीगढ़	5,028	5,601	5,069
3.	दादर व नगर हवेली	343	200	294
4.	दमन व दीव	286	276	278
5.	लक्षद्वीप	49	36	53
6.	पांडिचेरी	4,075	3,737	3,150
IV.	**अन्य एजेन्सियां**			
1.	रक्षा मंत्रालय	7,133	6,653	8,183
2.	रेल मंत्रालय	6,657	6,170	5,487
	अखिल भारत	6,148,036	6,114,639	6,249,319

*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण III

खाने वाली गोली के उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्य-वार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंन्सी	2002-03	2003-04	2004-05*
1	2	3	4	5
I.	**बड़े राज्य (जनसंख्या >10 मिलियन)**			
1.	आंध्र प्रदेश	296,820	307,475	330694
2.	असम	29,883	31,926	32841
3.	बिहार	67,930	51,051	असूचित
4.	छत्तीसगढ़	234,179	176,923	158,166
5.	गुजरात	208,914	228,878	223,941
6.	हरियाणा	68,823	66,559	72971
7.	झारखंड	35,460	35,291	43782
8.	कर्नाटक	161,455	154,906	161650
9.	केरल	22,000	24,580	27462
10.	मध्य प्रदेश	554,784	566,653	514855
11.	महाराष्ट्र	355,014	358,613	34615
12.	उड़ीसा	136,776	144,185	170414
13.	पंजाब	117,495	104,205	109400

1	2	3	4	5
14.	राजस्थान	597,141	713,715	832806
15.	तमिलनाडु	155,850	172,616	152565
16.	उत्तर प्रदेश	787,002	824,525	786417
17.	प. बंगाल	423.625	442,889	440666
II.	**छोटे राज्य**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	2,093	1,349	1431
2.	दिल्ली	17,093	12,096	10582
3.	गोवा	6.213	3,557	3774
4.	हिमाचल प्रदेश	20,136	34,750	28036
5.	जम्मू एवं कश्मीर	7,995	9,401	9715
6.	मणिपुर	580	1,502	1279.00
7.	मेघालय	3,497	3,361	3824.00
8.	मिजोरेम	3,280	4,441	5761.00
9.	नागालैण्ड	2,881	1,167	847.00
10.	सिक्किम	4,776	5,393	6417.00
11.	त्रिपुरा	26,674	39,676	17224
12.	उत्तरांचल	43,588	43,189	43711
III.	**संघ क्षेत्र**			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,570	1,616	1911
2.	चंडीगढ़	676	613	539
3.	दादर व नगर हवेली	325	322	4090
4.	दमन व दीव	424	467	436
5.	लक्षद्वीप	85	110	254
6.	पांडिचेरी	1,791	1,758	1584
IV.	**अन्य एजेन्सियां**			
1.	रक्षा मंत्रालय	3,905	4,319	4943
2.	रेल मंत्रालय	4,000	3,854	5342
	कुल नि:शुल्क वितरण	4,410,641	4,561,933	4,244,945
	वाणिज्यिक वितरण	5,002,258[$]	5,353,878[&]	3.359,169
	अखिल भारत	9,412,899[$]	9,915,811[&]	7,684,114

*आंकड़े अनंतिम है।

[&]पूर्ण लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 1131692 खाने वाली गोली उपयोगकर्ता तथा 233919 साप्ताहिक गोली उपयोगकर्ता शामिल हैं (2003-04)

[$]पूर्ण लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 1120538 खाने वाली गोली उपयोगकर्ता तथा 208758 साप्ताहिक गोली उपयोगकर्ता शामिल हैं (2002-03)

[@]पूर्ण लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 1147339 खाने वाली गोली उपयोगकर्ता तथा 199383 साप्ताहिक गोली उपयोगकर्ता शामिल हैं (2001-02)

[#]पूर्ण लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 9930665 खाने वाली गोली उपयोगकर्ता तथा 8556 साप्ताहिक गोली उपयोगकर्ता शामिल हैं (2000-01)

विवरण IV

कन्डोम उपयोगकर्ताओं के संबंध में राज्य-वार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंन्सी	2002-03	2003-04	2004-05*
1	2	3	4	5
I.	**बड़े राज्य (जनसंख्या >10 मिलियन)**			
1.	आंध्र प्रदेश	666,396	709,032	818,979
2.	असम	35,516	31,779	38,025
3.	बिहार	63,043	37,329	असूचित
4.	छत्तीसगढ़	383,073	340,460	267,617
5.	गुजरात	1,008,365	1,125,196	1,156,165
6.	हरियाणा	333,325	350,044	341,290
7.	झारखंड	465,276	49,888	70,236
8.	कर्नाटक	286,952	277,990	292,910
9.	केरल	155,231	153,203	138,714
10.	मध्य प्रदेश	1,309,089	1,385,153	1,213,801
11.	महाराष्ट्र	396,858	473,635	521,146
12.	उड़ीसा	285,648	295,393	331,377
13.	पंजाब	380,056	368,171	407,402
14.	राजस्थान	1,277,805	1,459,849	1,541,071
15.	तमिलनाडु	201,170	224,253	200,966
16.	उत्तर प्रदेश	1,760,517	1,747,635	1,572,665
17.	प. बंगाल	428,861	371,060	511,061
II.	**छोटे राज्य**			
1.	अरुणाचल प्रदेश	1,227	1,076	987
2.	दिल्ली	196,088	185,608	135,868
3.	गोवा	9,328	14,073	8,928
4.	हिमाचल प्रदेश	71,580	79,481	88,313

1	2	3	4	5
5.	जम्मू-कश्मीर	15,501	18,107	22,088
6.	मणिपुर	4,261	4,646	5,680
7.	मेघालय	1,808	2,031	2,315
8.	मिजोरेम	1,363	1,570	1,904
9.	नागालैण्ड	313	294	358
10.	सिक्किम	610	1,297	1,656
11.	त्रिपुरा	15,885	6,661	14,656
12.	उत्तरांचल	96,865	404,104	114,216
III.	संघ क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,525	2,181	2,268
2.	चंडीगढ़	11,377	10,416	12,415
3.	दादर व नगर हवेली	18	46	5,490
4.	दमन व दीव	1,282	1,437	1,610
5.	लक्षद्वीप	738	246	211
6.	पांडिचेरी	11,547	10,522	10,376
IV.	अन्य एजेन्सियां			
1.	रक्षा मंत्रालय	23,621	26,085	5,838
2.	रेल मंत्रालय	39,689	32,492	31,482
	कुल निःशुल्क वितरण	9,941,807	9,902,443	9,880,092
	वाणिज्यिक वितरण	12,661,944@	13,931,806&	8,404,028
	अखिल भारत	22,603,753#	23,834,249&	18,284,120

* आंकड़े अनंतिम है।

& कुल लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 5187639 कन्डोम उपयोगकर्ता शामिल हैं (2003-04)

पूर्ण लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 5365833 कन्डोम उपयोगकर्ता शामिल हैं (2002-03)

$ पूर्ण लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 3051389 कन्डोम उपयोगकर्ता शामिल हैं (2001-02)

@ पूर्ण लागत वाणिज्य बिक्रियों के तहत 2834167 कन्डोम उपयोगकर्ता शामिल हैं (2000-01)

[अनुवाद]

निजी स्कूलों को भूमि का आवंटन

3237. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री रघुनाथ झा:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी स्कूलों जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी, उन्होंने स्कूलों के नियमित कार्य समय के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) स्कूल के नियमित कार्य समय के दौरान वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) स्कूलों की स्थापना के लिए प्रायवेट संगठनों को नजूल नियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटित करता है। भूमि के आवंटन की शर्तों में से एक शर्त कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देनी है। भू-आवंटन के समय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए आरक्षण के संबंध में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

नि:शुल्क शिक्षा देने की शर्त को पूरा न करने वाले चूककर्ता स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने पर डीडीए ने भू-आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसके पास सिविल रिट याचिका संख्या 2002 का 3156 (सोशल ज्यूरिस्ट बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य) में प्रायवेट स्कूलों द्वारा नि:शुल्क शिक्षा की शर्त का अनुपालन करने संबंधी मामला लंबित था, ने रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत चूककर्ता स्कूलों की सूची का संज्ञान लिया तथा यह निर्देश दिया कि नि:शुल्क शिक्षा की शर्त का अनुपालन करने के लिए परस्पर सहमति वाले समाधान की संभावना तलाश करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में दिल्ली की मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई जिसमें प्रायवेट स्कूलों की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया कि नि:शुल्क शिक्षा संबंधी दायित्व का पालन करने के लिए स्कूल शाम की पाली चला सकते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव की जांच कर रही है। मामला न्यायाधीन है और नि:शुल्क शिक्षा की शर्त का पालन न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निर्णय से जुड़ी हुई है।

एम्स का कैंसर अस्पताल

3238. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स का डा. बी. आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल ने अभी तक पूरी तरह कार्य करना आरंभ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके पूरी तरह कब तक कार्य आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान का सिविल एवं इलैक्ट्रिकल कार्य पूरे हो गए हैं। इस भवन के 96 बिस्तर वाले पहले चार तलों का पहले से उपयोग किया जा रहा है। ज्योंही सक्षम अधिकारी द्वारा 98.41 करोड़ रुपए के संशोधन लागत अनुदान अनुमोदित हो जाते हैं इस केन्द्र के शेष तीन तलों का भी उपयोग होने लगेगा।

आवर्ती जमा योजनाएं

3239. **डा. वल्लभभाई कथीरिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभागों द्वारा नियुक्त उनके एजेंटों के माध्यम से आवर्ती जमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए एजेंटों को कमीशन मिलता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निवेशकों की पास बुक एजेंट अपने पास रखते हैं तथा जमाकर्ताओं द्वारा उन्हें किस्तों का भुगतान किया जाता है;

(च) यदि किस्तों को सीधे डाक घरों में जमा कराया जाए तो निवेशकों को लाभ होगा; और

(छ) यदि हां, तो निवेशकों को अपनी राशि सीधे डाक घरों में जमा कराने तथा डाक कार्यालयों द्वारा निवेशकों को एजेंटों के माध्यम के स्थान पर सीधे लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) आवर्ती जमा खातों में रकम राज्य सरकार द्वारा "महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना" (एमपीकेबीवाई) और "पे रोल सेविंग ग्रुप लीडर्स" (पीआरएसजीएल) के अंतर्गत नियुक्त एजेंट के जरिए जमा की जा सकती है। ये एजेंट लघु बचतकर्ताओं से निजी संपर्क करते हैं एवं डाकघर के लिए निवेश जुटाते हैं और महिलाओं को विशेष रूप से मितव्ययता की आदत डालने के लिए शिक्षित करते हैं। निवेशक खुद भी सीधे डाकघर में आवर्ती जमा खातों में रकम जमा कर सकते हैं।

(ग) और (घ) एमपीकेबीवाई और पीआरएसजीएल एजेंटों को जमाराशियों पर क्रमश: 4% और 2.5% की दर से कमीशन प्राप्त होता है।

(ङ) जी हां। महिला एजेंटों को फार्म एएसएलएएएस-5 में क्रम संख्या आधारित कार्डों का इस्तेमाल करना होता है। एजेंट जमाकर्ता कार्ड में रसीद देकर पास बुक और धन एकत्र करते हैं, जमाकर्ता से धन प्राप्ति के पांच से दस दिनों के भीतर धन को डाकघर में जमा करते हैं और डाकघर से पासबुक वापस मिलने के दस दिनों के भीतर जमाकर्ता को लौटा देते हैं।

(च) और (छ) जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए उन्हें दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के तहत जमाकर्ता डाकघर काउंटर पर उपलब्ध एसबी-13 (ए) आवेदन फार्म भरकर आवर्ती जमा योजनाओं के अंतर्गत सीधे डाकघरों में धन जमा करा सकते हैं। दूसरा विकल्प भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत निवेशक अधिकृत एजेंटों के माध्यम से डाकघरों में रकम जमा करा सकते हैं। यह खासकर उन निवेशकों की सुविधा के लिए किया गया है, जो रकम जमा करने के लिए खुद डाकघर तक नहीं आ सकते।

दूरसंचार नीति में शिथिलता

3240. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार नीति में शिथिलता के कारण गांवों में फोनों का प्रावधान प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण भारत में कनैक्टिविटी प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों को राजी करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निजी आपरेटरों ने ग्रामीण भारत में कनैक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुछ विशेष नहीं किया;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कनैक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रत्येक निजी कंपनी के लिए कोटा निर्धारित करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) 1997-98 में छह निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों को दिए गए लाइसेंस में लाइसेंस की प्रभावी तारीख से पहले तीन वर्षों के भीतर 97806 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की शर्त रखी गई थी। निजी बुनियादी सेवा प्रचालक लाइसेंस की इस शर्त को पूरा करने में विफल रहे और सेवा आरंभ करने में विलंब तथा सीधी एक्सचेंज लाइनें और ग्रामीण सार्वजनिक फोन प्रदान नहीं करने के एवज में उनसे 53.75 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी वसूल की गई। नवंबर, 2003 में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था घोषित किए जाने पर सभी निजी बुनियादी प्रचालकों ने चौथे सेल्युलर सेवा लाइसेंस के समतुल्य

निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करके एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस व्यवस्था को अपना लिया और तदनुसार रॉल आउट दायित्व बदल कर चौथे सेल्युलर सेवा लाइसेंस के रॉल आउट दायित्व के समकक्ष हो गया अर्थात तीन वर्षों के भीतर जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालय के बदले जिले के किसी अन्य शहर के 50% भाग को कवरेज प्रदान करना। इस समय निजी प्रचालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अनिवार्य रॉल आउट दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

(छ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) उपर्युक्त (छ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(झ) ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों को वहनीय और उचित मूल्य पर बुनियादी तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 1.4.2002 से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि संस्थापित की गई है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान के गांवों को गोद लेना

3241. श्री सुरेश चन्देल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अफगानिस्तान के कुछ गांवों को गोद लेकर उसकी सहायता करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 28-29 अगस्त, 2005 के बीच अफगानिस्तान में अपनी यात्रा के दौरान यह घोषणा की कि भारत में विकसित और सफलतापूर्वक प्रदर्शित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए सौर विद्युतीकरण और वर्षा जल एकत्र करने के माध्यम से एकीकृत ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान के 100 गांवों को अपनाएगा। इन प्रस्तावों को अफगानिस्तान सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

खाली गेस्ट हाउस

3242. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अपने नौ खाली पड़े गेस्ट हाउसों की वजह से करोड़ों रुपये की हानि हो रही है जैसा कि दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 के "द एशियन ऐज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवासों के उपयोग के लिए सरकार की क्या योजना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) हडको द्वारा एंड्रयूज गंज परियोजना के एक भाग के रूप में बारह गेस्ट हाउस ब्लॉकों का निर्माण किया गया। प्रारम्भ में हडको द्वारा इन गेस्ट हाउसों की नीलामी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को की गई। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को केवल तीन गेस्ट हाउस आवंटित किए गए क्योंकि शेष के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। शेष नौ गेस्ट हाउस बाद में निजी संगठनों के समक्ष नीलामी के लिए रखे गए और इन ब्लॉकों का आवंटन मैसर्स एम.एस. शूज लि. को किया गया।

तथापि मैसर्स एम.एस. शूज लि. ने दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान नहीं किया जिसके कारण जनवरी, 1996 में आवंटन रद्द करते हुए मैसर्स एम.एस. शूज लि. द्वारा पहली किश्त के रूप में दी गई राशि आवंटन की शर्तों के अनुसार जब्त कर ली गई थी।

मैसर्स एम.एस. शूज लि. ने आवंटन रद्द करने के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की और तब से यह मामला अदालत में चल रहा है। न्यायालय ने इन गेस्ट हाउस ब्लॉकों के पुन: आवंटन/पुन: निविदा मंगाने पर रोक लगा दी है। तथापि, उच्च न्यायालय ने हडको द्वारा इन गेस्ट हाउस ब्लॉकों का उपयोग करने अथवा कम अवधि के लिए सरकारी एजेंसियों को इनका लायसेंस देने की अनुमति दे दी है परन्तु न्यायालय द्वारा मुकदमें का निर्णय देने तक पुन: निविदा तथा पुन: आवंटन की अनुमति नहीं दी है। मामला न्यायाधीन है।

खाली गेस्ट हाउस ब्लॉकों का सामान्य पूल कार्यालय आवास के लिए उपयोग करने का निर्णय किया गया है।

पार्किंग स्थलों की नीलामी

3243. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कई पार्किंग स्थलों की नीलामी नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थानवार इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को 2000 से कितने राजस्व की हानि हुई;

(घ) क्या आरक्षित मूल्यों से संबंधित समिति ने 2001 के दौरान आरक्षित मूल्य में कमी करने की सिफारिश की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पार्किंग स्थलों के आबंटन हेतु निविदाओं की प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा किसी पार्किंग स्थल की नीलामी नहीं की गई थी। एनडीएमसी ने भी यह सूचित किया है कि आबंटित नहीं किए गए पार्किंग स्थल एनडीएमसी द्वारा स्वयं चलाये जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी यह बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी पार्किंग स्थल नीलामी हेतु शेष नहीं था तथा सभी पार्किंग स्थलों हेतु समय-समय पर निविदा दी जाती है।

(घ) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि आरक्षित मूल्य संबंधी समिति ने पूर्व निविदाओं के लिए नियत आरक्षित मूल्य के प्रति धीमी प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने के कारण वर्ष 2001 के दौरान कुछ मामलों में आरक्षित मूल्य कम करने की सिफारिश की थी। 8 पार्किंग स्थलों के मामले में आरक्षित मूल्य कम किया गया था, इसके बाद जिनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा निविदा दी गई थी।

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

3244. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के सौदे पर बातचीत करने के लिए अमेरिका (यू.एस.) में कोई शिष्टमंडल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका का ऊर्जा विभाग किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए वचनबद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशों में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा

3245. **श्री रामदास आठवले:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षवार और तीर्थ स्थानवार कुल कितने तीर्थ यात्रियों ने विदेशों में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्राएं की; और

(ख) उनके चयन के लिए तीर्थ स्थानवार क्या मानदंड अपनाया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तीर्थयात्राओं के एक भाग के रूप में विदेशी तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या वर्ष-वार तथा तीर्थस्थलवार और उनके चयन के लिए अपनाए गए मानदंड, तीर्थस्थलवार निम्नलिखित हैं;

कैलाश मानसरोवर

वर्ष	तीर्थयात्रियों की संख्या
2002	469
2003	316 (चीन में सार्स महामारी के कारण यात्रा की अवधि कम कर दी गई थी।)
2004	537

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन पत्र विदेश मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष जनवरी में सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया में विज्ञापन के जरिए आमंत्रित किए जाते हैं। चूंकि यात्रा के उपलब्ध स्थानों के मुकाबले आवेदकों की संख्या हमेशा ही अधिक होती है इसलिए यात्रियों का चयन कंप्यूटर-जनित, स्त्री-पुरुषों की समान संख्या में यादृचिछक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

पाकिस्तान स्थित तीर्थ स्थल

ननकाना साहिब एवं अन्य सिख तीर्थ स्थल

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
2002	50
2003	1000
2004	7500

कटासराज

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
2002	शून्य
2003	शून्य
2004	163

हयात पिताफी

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
2002	शून्य
2003	83
2004	121

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली तीर्थयात्राएं द्विपक्षीय ''धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर प्रोतोकोल-1974 द्वारा शासित होती हैं। यह दोनों देशों के बीच तीर्थ स्थलों, अवसरों और साथ ही साथ तीर्थयात्रियों की संख्या को भी निर्धारित करता है। पाकिस्तान में सिख तीर्थ-स्थानों की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का चयन राज्यवार कोटे के आधार पर किया जाता है जिसका निर्धारण संबंधित सरकारों और एस जी पी सी, डी एस जी एम सी इत्यादि जैसी गुरूद्वारा प्रबंधक समितियों के साथ समन्वय करके गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अन्य के मामले में, तीर्थयात्रियों के नाम नामित धार्मिक संगठनों द्वारा सीधे विदेश मंत्रालय को उपलब्ध कराये जाते हैं क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या कम होती है।

सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। उपर्युक्त प्रोतोकोल के अंतर्गत पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को वीजा दिलाने में मंत्रालय पाकिस्तानी उच्चायोग के साथ समन्वय करता है। अनुरोध प्राप्त होने पर, रेल मंत्रालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लागत आधार पर विशेष गाड़ियों की व्यवस्था करता है। पाकिस्तान में व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता संगठनों द्वारा की जाती है।

हज

वर्ष	तीर्थयात्रियों की संख्या
2002	118759
2003	116078
2004	117490

भारतीय हज समिति के जरिए हज करने वाले हजयात्रियों का चयन भारत की जनगणना द्वारा निर्धारित अलग-अलग राज्यों की मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को आबंटित हजयात्री कोटे के आधार पर किया जाता है। यदि किसी राज्य से प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित हजयात्री कोटे से अधिक होती है तो कूरा (लाटरी) द्वारा चयन किया जाता है। अन्य हजयात्री पंजीकृत निजी टूर आपरेटरों के द्वारा हज करने के लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

गुवाहाटी में राष्ट्रीय खेल

3246. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.सी.आर.) में साहसिक खेलों सहित खेलों के विभिन्न घटकों के लिए खेलकूद के विकास और युवक कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गयी संस्थागत सहायता और अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुवाहाटी में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं लायी जा रही हैं और इस प्रयोजनार्थ अवसंरचनात्मक और अन्य सुविधाओं के विकास में क्या प्रगति हुई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) राज्य में खेल अवस्थापना के विकास की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। गुवाहाटी में राष्ट्रीय खेलों के लिए अवस्थापना विकास हेतु 139.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में से भारत सरकार ने पूर्वोत्तर विभाग और योजना आयोग के माध्यम से 119.11 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त असम सरकार को खेलों के आयोजन और राष्ट्रीय खेलों के लिए उपस्कर खरीदने हेतु 5.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

विवरण

2004-05 के दौरान युवा गतिविधियों के विकास के लिए संगठनात्मक सहायता और दिए गए अन्य प्रोत्साहन पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	योजना/संगठन का नाम	व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	5.5500
2.	राष्ट्रीय एकीकरण का विकास	0.5500
3.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना	0.6000
4.	मूल्यांकन सहित ग्रामीण युवा/खेल क्लब	0.7500
5.	साहस का संवर्धन	0.2530
6.	युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण	0.7358
7.	युवा छात्रावास	1.4571
8.	राजीव गांधी युवा विकास संस्थान	0.200
9.	किशोरों के कल्याण और विकास की योजना	2.5000
10.	राष्ट्रीय सेवा योजना	2.3400
	कुल-युवा कल्याण योजना	14.9359

2004-05 के दौरान खेल गतिविधियों के विकास के लिए संगठनात्मक सहायता और दिए गए अन्य प्रोत्साहन पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	योजना/संगठन का नाम	व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान	4.3800
2.	खेल मैदान के विकास और खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	0.4500
3.	विश्वविद्यालय एवं कालेजों में खेल संवर्धन के लिए अनुदान	1.7400
5.	भारतीय खेल प्राधिकरण	13.30
6.	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार	0.2250
7.	खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन (स्कूलों में खेल कूद का संवर्धन)	0.06
8.	खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन (खेल छात्रवृत्ति योजना)	0.9697
9.	खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन (ग्रामीण खेल कार्यक्रम)	1.30
	कुल-खेल और शारीरिक शिक्षा	22.4247

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा पर राहत कार्य

3247. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राहत कार्यों के लिए नियंत्रण रेखा पर सीमा खोले जाने के बाद प्रतिदिन सीमा पार करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पासपोर्ट की आवश्यकता के बिना ही यह सुविधा प्रदान कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है; और

(घ) भारत में राहत पाने के बहाने प्रवेश करने वाले आतंकवादियों को रोकने के लिए कौन-कौन से निवारात्मक कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) 7 नवम्बर, 2005 से अभी तक 106 भारतीय तथा 11 पाकिस्तानी नागरिकों ने नियंत्रण रेखा पर आवाजाही के पांच स्थानों का उपयोग किया है।

(ख) से (घ) दोनों देशों के बीच सहमत अनुसूची के अनुसार, नियंत्रण रेखा पर यातायात के लिए आवाजाही के प्रत्येक स्थान को विनिर्दिष्ट दिवसों को खोला गया है। व्यक्तियों के ब्यौरे प्राप्त करने तथा उनकी पहचान और अन्य सूचना के सत्यापन के पश्चात, जैसे कि सामान्यत: पासपोर्ट एवं वीजा के लिए किया जाता है, जारी प्रवेश-परमिट के आधार पर आवाजाही के इन स्थानों के जरिए लोगों की आवाजाही होती है। सरकार ने आवाजाही के इन स्थानों को खोलने से पड़ने वाले सुरक्षा प्रभावों को ध्यान में रखा है तथा अपेक्षित प्रक्रिया और जांच के पूरा कर लिये जाने के पश्चात ही लोगों तथा साामान की आवाजाही हो सकती है।

[अनुवाद]

'साइट म्यूजियम' खोले जाना

3248. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने 'साइट म्यूजियम' है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर तमिलनाडु में और 'साइट म्यूजियम' खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन 'म्यूजियमों' को कब तक खोले जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 41 स्थल संग्रहालय है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां। इस समय, तमिलनाडु में कोई स्थल संग्रहालय खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित नए स्थल संग्रहालय प्रस्तावित हैं जो विकास के विभिन्न स्तरों पर है तथा इनके शीघ्र ही खोले जाने की संभावना है:

(1) धौलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात

(2) डीग पैलेस, जिला भरतपुर, राजस्थान

(3) फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण तथा देखरेख वाले स्थल संग्रहालयों की राज्य-वार सूची

राज्य	जिला	संग्रहालय का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	जिला गुन्टूर	1. पुरातत्वीय संग्रहालय, अमरावती
	जिला चित्तूर	2. पुरातत्वीय संग्रहालय, चन्द्रगिरि
	जिला मेडाक	3. पुरातत्वीय संग्रहालय, कोंडापुर
	जिला गुन्टूर	4. पुरातत्वीय संग्रहालय, नागार्जुनकोंडा
असम	जिला गोलपाडा	5. पुरातत्वीय संग्रहालय, श्री सूर्य पहाड़
बिहार	जिला भागलपुर	6. पुरातत्वीय संग्रहालय, विक्रमशिला, अन्तीचाक

1	2	3
	जिला गया	7. पुरातत्वीय संग्रहालय, बोधगया
	जिला नालन्दा	8. पुरातत्वीय संग्रहालय, नालंदा
	जिला वैशाली	9. पुरातत्वीय संग्रहालय, वैशाली
दिल्ली	दिल्ली	10. पुरातत्वीय संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली
	दिल्ली	11. भारतीय युद्ध स्मारक, संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली
	नई दिल्ली	12. पुरातत्वीय संग्रहालय, पुराना किला, नई दिल्ली
	दिल्ली	13. स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लालकिला, दिल्ली
	दिल्ली	14. स्वतंत्रता संग्राम सैनानी स्मारक, सलीमगढ़, लाल किला, दिल्ली
गुजरात	जिला अहमदाबाद	15. पुरातत्वीय संग्रहालय, लोथल
गोवा	उत्तरी गोवा	16. पुरातत्वीय वेल्हा गोवा, संग्रहालय, पुराना गोवा
हरियाणा	जिला कुरुक्षेत्र	17. पुरातत्वीय संग्रहालय, शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर
हिमाचल प्रदेश	जिला कांगड़ा	18. पुरातत्वीय संग्रहालय, कांगड़ा किला, कांगड़ा
कर्नाटक	जिला बागलकोट	19. पुरातत्वीय संग्रहालय, एहोल
	जिला बीजापुर	20. पुरातत्वीय संग्रहालय, बीजापुर
	जिला बागलकोट	21. पुरातत्वीय संग्रहालय, बादामी
	जिला हसन	22. पुरातत्वीय संग्रहालय, हेलेबिडु
	जिला होसपेट	23. पुरातत्वीय संग्रहालय, हम्पी, कमलापुर
	जिला मांड्य	24. पुरातत्वीय संग्रहालय, टीपू सुल्तान महल
केरल	जिला कोचि	25. पुरातत्वीय संग्रहालय, मत्तनचेरी, महल, एर्णाकुलम्
मध्य प्रदेश	जिला रायसेन	26. पुरातत्वीय संग्रहालय, सांची
	जिला अशोक नगर	27. पुरातत्वीय संग्रहालय, चंदेरी
	जिला ग्वालियर	28. पुरातत्वीय संग्रहालय, ग्वालियर
	जिला छत्तरपुर	29. पुरातत्वीय संग्रहालय, खजुराहो
उड़ीसा	जिला पुरी	30. पुरातत्वीय संग्रहालय, कोणार्क
	जिला जाजपुर	31. पुरातत्वीय संग्रहालय, रत्नागिरी
पंजाब	जिला रूप नगर	32. पुरातत्वीय संग्रहालय, रोपड़
राजस्थान	जिला हनुमानगढ़	33. पुरातत्वीय संग्रहालय, कालीबंगन
तमिलनाडु	जिला चेन्नई	34. पुरातत्वीय संग्रहालय, फोर्ट सेंट जार्ज, चेन्नई
उत्तर प्रदेश	जिला वाराणसी	35. पुरातत्वीय संग्रहालय, सारनाथ
	जिला लखनऊ	36. पुरातत्वीय संग्रहालय, रेजीडेंसी, लखनऊ

1	2	3
	जिला आगरा	37. पुरातत्वीय संग्रहालय, ताजमहल, आगरा
उत्तरांचल	जिला अल्मोड़ा	38. पुरातत्वीय संग्रहालय, जागेश्वर
पश्चिम बंगाल	जिला मुर्शिदाबाद	39. पुरातत्वीय संग्रहालय, हजारदुआरी पैलेस, मुर्शिदाबाद
	जिला कूच बिहार	40. पुरातत्वीय संग्रहालय, कूच बिहार पैलेस
	जिला पूर्व मिदनापुर	41. पुरातत्वीय संग्रहालय, तामलुक

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

3249. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग संबंधी समझौता किए हैं;

(ख) क्या दक्षिण कोरिया ने राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) यदि हां, तो सभी हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समझौता को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 4-6 अक्टूबर, 2004 तक कोरिया के राष्ट्रपति श्री रोह मू-ह्युन की भारत यात्रा के दौरान प्रत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध संधि पर हस्ताक्षर किये गये। हाल में संपन्न किये गये अन्य महत्वपूर्ण करारों में शामिल है; अगस्त, 2005 में राजनयिक और सरकारी पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की अनिवार्यता से छूट पर एक करार, सितम्बर, 2005 में रक्षा उद्योग और संभारतंत्रों पर एक समझौता ज्ञापन और नवम्बर, 2005 में तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन

प्रत्यर्पण संधि में वैसे किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण का प्रावधान किया गया है जो उस देश में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अभियोजन/विचारण अथवा अधिरोपण तथा सजा काटने के लिए वांछित है।

आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध संधि में अपराधों का मुकाबला करने, जिसमें साक्ष्य की वस्तुएं उपलब्ध कराना, तलाशी और जब्ती के अनुरोधों को निष्पादित करना, दस्तावेजों की तामील करना तथा गिरफ्तार किये गये और अन्य व्यक्तियों से साक्ष्य दिलाना अथवा जांच में सहायता करना शामिल है, के लिए आपस में सहयोग करने का प्रावधान किया गया है।

राजनयिक और सरकारी पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की अनिवार्यता से छूट पर करार में भारत और कोरिया गणराज्य के उन राष्ट्रिकों को संबंधित वीजा प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट दी गयी है जिनके पास वैध राजनयिक अथवा सरकारी पासपोर्ट हैं।

रक्षा उद्योग और संभारतंत्रों से संबद्ध समझौता ज्ञापन का उद्देश्य रक्षा उद्योग, उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा सामग्रियों की प्राप्ति के लिए भारत और कोरिया गणराज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन का एक समग्र करार है जो सहयोगी संस्थागत संबंधों के लिए आधार बनायेगा और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच व्यापार 1974 में संपन्न किये गये व्यापार, संवर्द्धन आर्थिक और तकनीकी सहयोग से संबद्ध करार के आधार पर संचालित होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों द्वारा एक दूसरे को अनुकूलतम राष्ट्र का दर्जा दिया जाना शामिल है।

(घ) प्रत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध संधि 8 जून, 2005 से लागू हो गयी। राजनयिक और सरकारी पासपोर्टधारकों के लिए वीजा की अनिवार्यता से छूट पर करार का क्रियान्वयन 3 अक्टूबर, 2005 से किया गया। रक्षा उद्योग और संभारतंत्रों से संबद्ध समझौता ज्ञापन और तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किये जाने के तुरंत बाद लागू हो गये और ये क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

वर्धमान मेडिकल कॉलेज में आरक्षण कोटा

3250. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार वर्धमान मेडिकल कालेज (सफदरजंग अस्पताल) नई दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र और छात्राओं दोनों को मिलाकर अलग-अलग कितनी संख्या है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह संख्या निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राओं और छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे को भरने के लिए कोई कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) 238 लड़के तथा 130 लड़कियां।

(ख) अनुसूचित जाति 40 तथा अनुसूचित जनजाति 19

(ग) से (च) यद्यपि यह संख्या निर्धारित आरक्षण कोटा से कम है तथापि वर्धमान चिकित्सा महाविद्यालय (सफदरजंग अस्पताल) दिल्ली के अपर चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए गुरू गोविन्द सिंह विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों का चयन किया जाता है तथा उस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूची के आधार पर एडमीशन किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि

3251. श्री गणेश सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पासपोर्ट जारी किये जाने की प्रक्रिया में कोई स्पष्ट सुधार आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पासपोर्ट प्रक्रिया को और सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रक्रिया को पुन: निर्धारित करने की प्रणाली शुरू की गई और जिसके परिणामस्वरूप आवेदन-पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई संभव हुई है। तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट जारी करने की समय सीमा संशोधित कर 1 से 10 दिन तथा 11 से 20 दिन कर दिया गया है। पासपोर्ट कार्यालय तत्काल स्कीम के तहत अब 10 वर्षों के लिए पूर्ण वैधता का पासपोर्ट जारी कर रहे हैं तथा उन मामलों में भी जारी कर रहे हैं जिसमें रंग-रूप, नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, हस्ताक्षर में बदलाव आने के कारण अथवा पासपोर्ट पुस्तिका के सभी पृष्ठ भर जाने के कारण डुप्लीकेट पासपोर्ट या पासपोर्ट पुस्तिका जारी की गई हो चाहे मौजूदा पासपोर्टों की वैधता अवधि कुछ भी रही हो।

(ङ) और (च) जी हां। सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए कदम उठाया है। गृह मंत्रालय से भी राज्य के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दो सप्ताह के अंदर पुलिस-सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा कर लेने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाएं

3252. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कार्यान्वित की गयी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में खोले गये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नये औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात ने राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और विस्तार के लिए अधिक धनराशि के आबंटन की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में अलग-अलग स्वास्थ्य योजनाओं पर किए गए व्यय का स्थानवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कोई भी सी.जी.एच.एस. औषधालय नहीं खोला गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रमुख स्वास्थ्य स्कीमों पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(रु. लाखों में)

स्कीम का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
क्षय रोग	536.22	506.28	551.38
एड्स	1259.19	1477.62	1997.30
एन वी बी डी सी पी	882.21	771.41	655.72
दृष्टिहीनता	231.45	377.45	477.75
कुष्ठ	99.65	88.21	139.77
सी जी एच एस	34.91	44.67	40.42

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट

3253. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का दोहन करने के लिए 75 देशों की क्षमता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है;

(ग) रैंक निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या रिपोर्ट ने भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी कुछ अड़चनों की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) विश्व आर्थिक फोरम ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2004-05 जारी की है जिसमें 102 देशों को दर्जा प्रदान किया गया है। इस रिपोर्ट में नेटवर्क तैयारी सूचकांक की दृष्टि से भारत का स्थान 39 पर है।

(ग) ई-तैयारी सूचकांक निम्नलिखित तीन व्यापक श्रेणियों पर आधारित है:

* संबंधित देश अथवा समुदाय द्वारा आईसीटी के लिए प्रदान किया गया परिवेश-बाजार, राजनैतिक/विनियामक, मूलसंरचना;
* आईसीटी का प्रयोग करने के लिए समुदाय के प्रमुख पणधारियों की तैयारी-वैयक्तिक तैयारी, व्यावसायिक तैयारी, सरकारी तैयारी;
* इन पणधारियों के बीच आईसीटी का प्रयोग-वैयक्तिक प्रयोग, व्यावसायिक प्रयोग तथा सरकारी प्रयोग।

(घ) और (ङ) भारत को मूलसंरचना परिवेश तथा वैयक्तिक प्रयोग की श्रेणी में नीचे का दर्जा दिया गया है। किन्तु, स्थिति में

सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ब्राडबैण्ड नीतियों का उदारीकरण, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, जिससे, इन डोमेन का पंजीकरण तथा प्रशासन तीव्र एवं आसान हो गया है, शामिल हैं।

2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्यों में ई-तैयारी के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य मूलसंरचनात्मक परियोजनाएं तैयार की हैं;

(क) सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)

(ख) राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क (स्वॉन)

(ग) राज्य डेटा केन्द्र (एसडीसी)

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-शासन परियोजनाओं का कार्यान्वयन तेजी से करने के उद्देश्य से मानव संसाधन की कुशलताओं में सुधार करने तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III

3254. श्री रसीद मसूद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एच.आई.वी./एड्स की फैलने से रोकने और इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के चरण-III के दौरान कौन-कौन से राज्यों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-III के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में सम्मिलन और परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें सभी विकास भागीदारों, सरकारी विभागों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और साथ ही एच आई वी/एड्स से पीड़ित लोगों को सहभागी बनाया गया है।

14 विषयक कार्य दलों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज और एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के नेटवर्क से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतिक ढांचा विकसित किया गया है। इस समय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय कार्यनीतिक ढाँचे के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना को राज्य योजनाओं के आधार पर अनंतिम रूप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का चरण-II 31 मार्च, 2006 को समाप्त हो जाएगा। आशा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का चरण-III पहली जुलाई, 2006 से कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) इस कार्यक्रम के चरण-III के दौरान उच्च व्याप्तता वाले राज्यों और संवेदनशील राज्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(घ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

* राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एड्स परिषद गठित की गई है जिसमें 31 केन्द्रीय मंत्री और 7 मुख्य मंत्री सदस्य हैं।
* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एच आई वी/एड्स संबंधी सेवाएं जिला स्तर के नीचे स्तर पर एक ही जगह प्रदान की जा रही हैं।
* एच आई वी/एड्स को सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या और अन्य मंत्रालयों/विभाग की मुख्य धारा में लाना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III का एक प्रमुख घटक होगा।
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III दल द्वारा राज्य विशिष्ट परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार की जा रही है।
* निवारक परिचर्या सहायता और उपचार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और वर्ष 2004-05 से इस कार्यक्रम के लिए निधियां बढ़ाई जा रही हैं। सुविधाओं और आबंटन में और अधिक वृद्धि करने की योजना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III के अंतर्गत बनाई गई है।
* राज्यों में एच आई वी/एड्स संबंधी राज्य स्तरीय विधायी फोरम बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दूरभाष सुविधाएं

3255. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में दूरभाष सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और आज तक कितने गांवों में अभी दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी है;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गुलबर्गा जिले में कितने दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं और आज की स्थिति के अनुसार उनकी दूरभाष केन्द्र-वार क्षमता कितनी है;

(च) क्या सरकार का मौजूदा दूरभाष केन्द्रों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) गुलबर्गा में प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को दूरभाष प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(झ) गुलबर्गा में गत तीन वर्षों के दौरान कितने दूरभाष केन्द्रों को इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में बदला गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार समस्त 27066 गांवों में वर्ष 2003-04 के दौरान ही ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा प्रदान की जा चुकी है। कर्नाटक में उपलब्ध टेलीफोन सुविधाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	पैरामीटर	ग्रामीण
1.	वायरलाइन कनेक्शन (शहरी)	1816241
2.	वायरलाइन कनेक्शन (ग्रामीण)	842068
3.	वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शन (शहरी)	38732
4.	वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शन (ग्रामीण)	69967
5.	सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन	878919
6.	इंटरनेट कनेक्शन	55643
7.	सार्वजनिक टेलीफोन (30.9.2005 की स्थिति के अनुसार)	246223
8.	ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज सीकेटीएस.	419500
9.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)	27066

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। नए क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) के जरिए कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

(ज) फिलहाल गुलबर्गा गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में कोर डेक्ट/सीडीएमए डब्ल्यूएलएल प्रणाली पहले से कार्य कर रही है। प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए सीडीएमए डब्ल्यूएलएल द्वारा आगे विस्तार करने की योजना है।

(झ) गुलबर्गा एसएसए में सभी एक्सचेजों को इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेजों में परिवर्तित कर दिया गया है।

विवरण

गुलबर्गा जिले में एक्सचेजों की सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	अब्बेतुमकुर	256
2.	आदित्यनगर	616

1	2	3
3.	अदकी	256
4.	अफजलपुर	1520
5.	ऐनोली	184
6.	अलाहल्ली	256
7.	अलंद	2024
8.	आलूर	248
9.	अम्बलगा	248
10.	अंदोला	248
11.	अंकलगा	248
12.	अतानूर	248
13.	औरद (बी)	256
14.	बी. गुडी	744
15.	बदादल	248
16.	बागोदी	256
17.	बलीचकरा	256
18.	बंदरवाड़	248
19.	भिमाल्ली	256
20.	भोपाल-तेगनूर	256
21.	भुसनूर	496
22.	चामनल	256
23.	चंदनकेरा	152
24.	चिगराहल्ली क्रॉस (गंवार)	248
25.	चिम्मनछोड़	152
26.	चिन्चन्सुर	248
27.	चिन्चोली	968
28.	चितापुर	896
29.	चौदापुर	248
30.	दंदोती	256
31.	देवापुर	256
32.	दोरनहल्ली	256
33.	फस्ताबाद	512
34.	फिरोजाबाद	256
35.	गादीकेश्वर	248
36.	गंगापुर (टी)	872
37.	गंगापुर (आरएस)	488
38.	जीजीए ए.एस. आरएलयू	2900
38. क	जीजीए ए.एस. आरएसयू	2500
39.	जीजीए अलंद रोड आरएसयू	2050
40.	जीजीए एचबीएन आरएसयू	2000
41.	जीजीए मेन ई-10बी	8750
41. क	जीजीए मेन ओसीबी	7250
42.	जीजीए पीएंडटी आरएसयू	2000
43.	जीजीए आरएलयू बीस्टैंड	4000
44.	जीजीए आरएलयू गंज	3900
43. क	जीजीए आरएसयू बी. स्टैंड	4750
44. क	जीजीए आरएसयू गंज	2750
45.	जीजीए आरएसयू एस रोड	6500
46.	घरमपल्ली	152
47.	गोबुर (बी)	248
48.	गोगी	488
49.	गुंडागुर्ती	256
50.	गुंजानूर	256

1	2	3
51.	गुरमीतकल	744
52.	हदगील हरूती	256
53.	हल्लीसलगर	248
54.	हंदारकी	256
55.	हरसुर	256
56.	हरवाल	248
57.	हतीगुदूर	256
58.	हत्तीकुनी	256
59.	हवानूर	248
60.	हय्याल	256
61.	हेबल	256
62.	हेबल (बी)	248
63.	हिप्परगा (बी)	248
64.	हिरेनंदुर	256
65.	हिरोली	248
66.	होनागुंटा	256
67.	हुनास्गी	616
68.	इब्राहिमपुर	256
69.	इजेरी	248
70.	जम्बागा-जे	248
71.	जीवांगी	256
72.	जेवार्गी	1384
73.	जेवार्गी (बी)	248
74.	कदागांची	496
75.	काक्केरा	248
76.	कालाहंगार्गा	256
77.	कालगी	496
78.	कल्लूर डी	248
79.	कमलानगर	248
80.	कमलापुर	1028
81.	काराजगाजी एंड मैश	496
82.	केम्बावी	862
83.	खजूरी	496
84.	खानादल	256
85.	खानापुर	384
86.	किरानगा	256
87.	कोदादुर	256
88.	कोदेकल	256
89.	कोदला	256
90.	कोदली	184
91.	कोलकुंडा	256
92.	कोल्लूर	152
93.	कांचुर	152
94.	कांकल	256
95.	कृष्णापुर	256
96.	कुकुंडा	256
97.	कुरकुडा	256
98.	कुरकुंता	256
99.	एम. हिप्पर्गा	248
100.	मददार्की	256
101.	मदियाल	496
102.	महाद्वारा	256
103.	महागांव	512

1	2	3
104.	मालगट्टी	256
105.	मालखेद	384
106.	मल्ला (बी)	256
107.	माल्ली	248
108.	मांडेवाल	248
109.	मन्नुर	248
110.	मर्गुट्टी	256
111.	मरतुर	256
112.	मिरियान	152
113.	मोटक्कापल्ली	256
114.	मडबूल	256
115.	मुढोल	384
116.	मुदनूर	256
117.	मुगलानागांव	256
118.	नगनूर	256
119.	नलवार	336
120.	नारायणापुर	304
121.	नारीबोल	248
122.	नरोणा	496
123.	नेलोगी	248
124.	निदागुडा	184
125.	निम्बल	248
126.	निमबार्गा	360
127.	पदासवी	248
128.	पेथा-अम्मापुर	256
129.	पेथसिरूर	256
130.	राजनकोल्लूर	248
131.	रामासमुद्र	256
132.	रतकल	184
133.	रेवूल (बी)	248
134.	रूद्रावादी	496
135.	एस. सरदगी	256
136.	सागर	512
137.	सैदापुर	512
138.	सेल बरन हल्ली	152
139.	सरसांबा	248
140.	सावलगी	256
141.	सेदम	2500
142.	शाहबाद	2656
143.	शहापुर	2000
144.	शिरवाल	256
145.	शोरापुर	1888
146.	सोंठ	256
147.	सुलेपेथ	496
148.	टडकल	496
149.	ताजसुल्तानपुर	512
150.	तेंगली	256
151.	उड़चन	248
152.	वी.के. साल्गर	248
153.	वडागेरा	256
154.	वडी	2000
155.	वानादुर्गा	256
156.	यादागिरी	3548
157.	यादरामी	384
158.	याल्गी	248
159.	येलहेरी	256
160.	येरगोल	256
		114088

स्मारकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

3256. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के अंतर्गत स्मारकों से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके रखरखाव पर कितना व्यय हुआ है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) विदेशी पर्यटक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों पर रुपए या अमरीकी डालर में प्रवेश शुल्क दे सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा (डालर में) संल्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों/स्थलों की देखभाल तथा संरचनात्मक रखरखाव पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों/स्थलों से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा

(अमरीकी डालर में)

मंडल का नाम	टिकट वाले स्मारकों की संख्या (केन्द्रीय संरक्षित स्मारक)	टिकट वाले स्मारकों/स्थलों से अर्जित विदेशी मुद्रा		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
आगरा	8	53524	1452885	2357515
औरंगाबाद	6	88382	173568	204684
मुम्बई	10	–	1.12.2004 से	44840
बंगलौर	7	49088	14670	40992
भोपाल	10	117625	232298	345771
भुवनेश्वर	6	4844	9706	12498
चंडीगढ़	2	4	4	26
चेन्नई	8	17032	28116	62346
धारवाड़	6	7605	11769	16388
दिल्ली	10	147379	546467	1021346
गुवाहाटी	5	2	13	–
हैदराबाद	8	966	1604	2056
जयपुर	3	1554	3936	7276
कोलकाता	2	20	40	50

1	2	3	4	5
लखनऊ	4	15826	22022	27780
पटना	9	54004	131037	179962
श्रीनगर	4	138	650	636
शिमला	2	8	54	34
त्रिसूर	2	–	–	–
वड़ोदरा	6	130	164	996
कुल	118	1038131	2629003	4325196

विवरण II

केन्द्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों के रखरखाव एवं संरचनात्मक अनुरक्षण पर हुए व्यय का ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

मंडल का नाम	टिकट वाले स्मारकों की संख्या (केन्द्रीय संरक्षित स्मारक)	पिछले तीन वर्षों के दौरान टिकट वाले स्मारकों पर हुआ व्यय		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
आगरा	8	218.58	240.00	489.58
औरंगाबाद	16	185.97	484.77	212.12
बंगलौर	7	9.97	11.78	15.09
भोपाल	10	238.42	42.84	33.87
भुवनेश्वर	6	25.62	36.35	105.45
चंडीगढ़	4	48.09	28.21	14.41
चेन्नई	8	30.87	54.61	72.11
धारवाड़	6	11.72	13.58	13.45
दिल्ली	10	207.24	277.23	271.25
गुवाहाटी	5	19.01	13.91	15.64
हैदराबाद	8	77.30	89.73	146.59
जयपुर	3	28.07	78.91	59.60
कोलकाता	2	24.03	26.94	38.89

1	2	3	4	5
लखनऊ	4	47.61	70.09	92.67
पटना	9	79.63	108.39	152.82
श्रीनगर	4	23.60	52.83	46.62
त्रिसूर	2	01.25	09.07	10.09
वड़ोदरा	6	122.19	31.09	31.48
कुल	118	1399.16	1670.33	1821.73

डीडीए द्वारा आदेशों का उल्लंघन

3257. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) डीएवीपी की बजाय स्वयं के बनाए गए एजेंसी के पैनल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान डीडीए द्वारा इस संबंध में कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या डीडीए ने इस संबंध में सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है;

(ङ) यदि हां, तो विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में अक्टूबर, 2001 से फरवरी, 2002 के दौरान सरकार द्वारा जारी आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उनके विज्ञापनों को प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में प्रदर्शित करना अपेक्षित होता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) ने डीडीए के विज्ञापनों को डीएवीपी दरों पर प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित कराने में अपनी असमर्थता जताई है। डीडीए अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों के मार्फत प्रमुख अखबारों में अपने विज्ञापन देता है, जिसमें कोई अतिरिक्त व्यय अपेक्षित नहीं होता और साथ ही डीडीए को बेहतर डिजाइनिंग और समय पर प्रकाशन/परिवर्तन इत्यादि में मदद का लाभ भी नि:शुल्क प्राप्त होता है। डीएवीपी दरों पर वैकल्पिक मीडिया में विज्ञापन देता है।

(ग) डीडीए ने गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों पर निम्नलिखित व्यय होने की सूचना दी है:

वर्ष	विज्ञापनों पर व्यय (रु.)
2002-03	7,92,78,780
2003-04	7,18,30,110
2004-05	4,48,46,353

(घ) से (च) इस मंत्रालय द्वारा डीडीएवी से प्राप्त एक परिपत्र दिनांक 22.10.2001 को डीडीए को भेजा गया था, जिसमें यह सुझाया गया था कि सभी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की प्रकाशन संबंधी जरूरतें उनके मार्फत भेजी जाए। तथापि, जैसा कि डीडीए ने सूचित किया है, डीएवीपी ने डीडीए के विज्ञापनों को डीएवीपी दरों पर प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित कराने में अपनी असमर्थता जताई है। अत: सरकारी आदेशों के उल्लंघन के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का खोला जाना

3258. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले गए हैं और चालू वर्ष के दौरान स्थानवार कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन राज्यों में कितने गांवों में अभी तक कोई डाकघर नहीं खोला गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों में अधिक डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है; और

(ङ) इन डाकघरों में कम्प्यूटरीकरण का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए तथा चालू वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ख) और (ग) इन राज्यों में डाकघर रहित गांवों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्यों का नाम	डाकघर रहित गांवों की संख्या
तमिलनाडु	6551
गुजरात	9574
उत्तर प्रदेश	83821

डाकघर विभाग द्वारा निर्धारित जनसंख्या, दूरी और वित्तीय मानदंडों के पूरा होने और योजना के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हालांकि पोस्टमैन के माध्यम से डाक के रोजाना वितरण और डाक-टिकटों व डाक लेखन सामग्री के वितरण की सुविधा सभी गांवों में उपलब्ध है।

(घ) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

	2002-03	2003-04	2004-05
तमिलनाडु	शून्य	शून्य	225
गुजरात	शून्य	शून्य	131
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	114

(ङ) इन राज्यों में डाकघरों का काम मौजूदा कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है।

विवरण I

तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 के दौरान खोले गए और वर्ष 2005-06 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	डाकघर का नाम	डाकघर का प्रकार	जिले का नाम
1	2	3	4
	2002-2003		
1.	सेन्नावरम	अति. विभागीय शाखा डाकघर	तिरूवन्नमलै
2.	पूथीचेरी	अति. विभागीय शाखा डाकघर	थंजावूर
3.	पोट्टापलायम	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सिवगंगा
4.	कामराज नगर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सेलम
5.	कत्रापड़ी	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सेलम
6.	फ्राइडे मार्किट	विभागीय शाखा डाकघर	कन्याकुमारी
	2003-04		
1.	पथमपत्ती	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पुडुक्कोट्टी
2.	अमरपुन्डी	अति. विभागीय शाखा डाकघर	विल्लुपुरम
3.	कीरथूर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पुडुक्कोट्टी

1	2	3	4
4.	श्री रंगानाथपुरम	अति. विभागीय शाखा डाकघर	तिरूनेलवेली
5.	वाथलमलै	अति. विभागीय शाखा डाकघर	धर्मपुरी
6.	संगुपुरम	अति. विभागीय शाखा डाकघर	तिरूनेलवेली
7.	मुल्लूकुरिची	विभागीय उप डाकघर	सेलम
	2004-05		
	शून्य		
	2005-06 में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाक घर		
	शून्य		

विवरण II

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 के दौरान खोले गए और वर्ष 2005-06 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	डाकघर का नाम	डाकघर का प्रकार	जिले का नाम
1	2	3	4
	2002-2003		
1.	बाबदा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	भरूच
2.	नन्दपुर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सूरत
3.	मीयापुर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सूरत
4.	उमरकई	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सूरत
5.	फूलपुरा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
6.	जफरापुरा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
7.	सिंहपुर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
8.	पीपोदरा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
9.	जबन	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
10.	फतेपुर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	वडोदरा
11.	खानडाली	अति. विभागीय शाखा डाकघर	वलसाद
12.	नानी वान्कल	अति. विभागीय शाखा डाकघर	वलसाद
13.	पंछ	अति. विभागीय शाखा डाकघर	बनासकंठा
14.	बसाना	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सावरकंठा
15.	बनकादा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सावरकंठा

1	2	3	4
	2003-04		
1.	धीन्गलवाडा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
2.	तारवाडियावाजा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
3.	दीवसी	अति. विभागीय शाखा डाकघर	वलसाद
4.	समरवरूज	अति. विभागीय शाखा डाकघर	वलसाद
5.	घोदवानी	अति. विभागीय शाखा डाकघर	नवसारी
6.	पनसर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	भरूच
7.	सेगवासिम II	अति. विभागीय शाखा डाकघर	वडोदरा
8.	सदादवेल	अति. विभागीय शाखा डाकघर	सूरत
9.	बलून्द्रा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	बनासकंठा
10.	दादरा	अति. विभागीय शाखा डाकघर	बलसाद
	2004-05		
1.	सचिन जीआईडीसी	उप डाकघर	सूरत
2.	जीआईपीसीएल टाउनशिप	उप डाकघर	सूरत
3.	दंतिया	अति. विभागीय शाखा डाकघर	पंचमहल
4.	गणेश नगर	अति. विभागीय शाखा डाकघर	कच्छ
5.	नंदग्राम	अति. विभागीय शाखा डाकघर	कच्छ
6.	अल्ट्रा टेक सीमिओ लिमिटेड जीसीडब्लयू	अति. विभागीय शाखा डाकघर	अमरेली
	2005-06 में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर		
	शून्य		

विवरण III

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 के दौरान खोले गए और वर्ष 2005-06 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र.सं.	डाकघर का नाम	डाकघर का प्रकार	जिले का नाम
1	2	3	4
	2002-2003		
1.	साब दीयाकला	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बस्ती
2.	महाराजपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	गोरखपुर

1	2	3	4
3.	उमारी	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बहराइच
4.	मुहालजलकर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	गोरखपुर
5.	उतरेझार	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	मऊ
6.	जेवारा	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	वाराणसी
7.	अमेथा	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	गाजीपुर
8.	सुल्तानपुर घूघोरी	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	जौनपुर
9.	इस्माइलपुर ताहपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	अम्बेडकरनगर
10.	पेलाकिसा	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	सीतापुर
11.	सोनिक	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कानपुर (एम)
12.	पदारथपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कानपुर (एम)
13.	मजीरपुरा दीयोली	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	सहारनपुर
14.	करनपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	पीलीभीत
15.	विचित्रानगर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	खीरी
16.	जहानीखेड़ा	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	हरदोई
17.	बीजौली	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	इटावा
18.	पालीपहाड़ी (डिले)	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	झांसी
	2003-04		
1.	जलीलपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	इलाहाबाद
2.	ए डेस मेडिकल तिरहा	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	इलाहाबाद
3.	मोहबतगंज ठपारहर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	इलाहाबाद
4.	कोनी	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बस्ती
5.	देओकली	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बस्ती
6.	बरसानिया	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुशीनगर
7.	रावतपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	गोरखपुर
8.	बहनोली	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बलिया
9.	बीरूप	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बलिया
10.	हरदोली	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	चित्रकूट
11.	देवीपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कानपुर (पश्चिम)

1	2	3	4
12.	रूपनगर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	फतेहगढ़
13.	बहरोजपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	एटा
14.	टाकीपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	अलीगढ़
15.	गजौरा	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	आगरा
16.	मथनाजाप्ती	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बरेली
17.	बंसी	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	खीरी
18.	बकरूदापुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	सहारनपुर
19.	सुलेमाबाद	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बाराबंकी
20.	करनाईपुर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	सुल्तानपुर
	2004-05		
	शून्य		
	2005-06 में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर		
	शून्य		

[हिन्दी]

सफदरजंग अस्पताल में श्रेणीवार स्टाफ

3259. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ डाक्टरों, विशेषज्ञों, विभागाध्यक्षों, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षकों तथा चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के स्टाफ का भी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्टाफ का वर्ग-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यमान स्टाफ संख्या आरक्षण मानदंडों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में आरक्षित पदों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) स्वीकृत पदों की श्रेणी-वार संख्या भरे हुए पदों की संख्या और भरे हुए पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जहां तक डाक्टरों के पदों का संबंध है। इन पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल किया जाता है और इन पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र भेजते समय आरक्षण से संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। समूह 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में यह अस्पताल भर्ती अपने आप करता है तथा कोई और भर्ती करते समय भी आरक्षण से संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

विवरण

सफदरजंग अस्पताल में श्रेणी-वार कर्मचारियों की स्थिति

क्र.सं.	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	निम्नलिखित से संबंधित अधिकारियों की संख्या	
				अनु.जा.	अनु.जनजाति
1.	समूह क	410	303	31	11
2.	समूह ख	35	13	5	1
3.	समूह ग	978	792	166	117
4.	समूह घ	1436	1155	654	50

[अनुवाद]

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता

3260. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को विदेशों से कोई वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के दौरान देश में और कैंसर संस्थान खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों से सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने के बाद सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

यौन कर्मियों के माध्यम से एच आई वी/एड्स का फैलना

3261. श्री रशीद मसूद: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से यौनकर्मी पर्यटक वीजा पर हमारे देश में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005 में अभी तक विदेशों से आए कितने यौनकर्मी पकड़े गए हैं;

(घ) क्या विदेशी यौनकर्मियों द्वारा इस देश में एच आई वी/एड्स जैसी प्राणघातक बीमारियों का संक्रमण हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारत सरकार ऐसी कोई सूचना नहीं रखती है।

(घ) और (ङ) अभी तक विदेशी सेक्स वर्कर से किसी को एच.आई.वी. संक्रमण होने की कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

3262. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में स्थानवार कितने नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान ऐसे और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक में स्थानवार ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को अभी तक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज में परिवर्तित नहीं किया गया है;

(ङ) कर्नाटक राज्य में शारीरिक रूप से विकलांग कोटे के अंतर्गत एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ के आबंटन हेतु सरकार के पास अभी तक स्थानवार कितने आवेदन लंबित है और ये आवेदन कब से लंबित है; और

(च) इन लंबित मामलों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या तथा ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2005-06 के दौरान कोलार जिले के तमाका में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने की योजना बनाई है।

(घ) कर्नाटक में कार्यरत सभी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं।

(ङ) और (च) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ कोटे के अंतर्गत आबंटन हेतु बेंगलूर जिले में 14 आवेदन पत्र लम्बित हैं और ये आवेदन पत्र 11.7.2005 से लम्बित हैं। इन मामलों को निपटाने का लक्ष्य 31.3.2006 है। कर्नाटक के किसी अन्य जिले में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अंतर्गत एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

विवरण

कर्नाटक में गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या	अवस्थिति
1	2	3	4
	2002-03	66	
1.	करवार	11	मुदालगेरा, हिरियाल, हुंसेट्टीकोपा, बलूर, नॅनीकट्टा, केलागिनसासी, याना, देवेनहल्ली काड़गोद, कांचिकाई, रामाबायलू
2.	मंगलूर	7	कोकरेडी, सवानल, कोय्युर, मोगरू, काद्या कोनाजे, इचिलामपेडी, मुचुर
3.	गुलबर्गा	10	गरमपल्ली, चिंचोसुर, कमलानगर, गुलबर्गा, हंगार्की, कोलाकुंड मोताकप्पातु, अंकालगा, पेथम्मपुर, माधवर
4.	चिकमगलूर	7	कानिंब, हंथुवानी, हलेहल्ली, कट्टीनामाने, बुकदी बाईल, नोम्मलपुरा, मैसिज
5.	टुमकूर	1	डोम बारानहल्ली
6.	बेलगाम	4	काब्बुर, बासापुर, हलगा, बड़गांव
7.	बेलारी	1	बांदरी
8.	बीदर	2	चंगलेर, खेनिरांजोल
9.	शिमोगा	4	गुब्बिगा, शकुनावल्ली, उद्री, कादासुर

1	2	3	4
10.	बेंगलूर	5	एम केंचनहल्ली, होलागोंडनल्ली, बागुर राग हल्ली, होरालगल्लू
11.	मैसूर	3	हरादनहालू, दादड़हल्ली, मदपुरा
12.	चामराजनगर	2	सोमनहल्ली, तलमारी
13.	रायचूर	2	येग्गासनाहल्ली, तेलेमारी
14.	कोप्पल	1	सानापुर
15.	बीजापुर	1	जाम्बगी
16.	बगलकोट	1	अनवल
17.	कोलार	1	पुलुगुरूकोट
18.	दावणगिरी	2	तोरानाघट्टा, मेडिकेयर
19.	हवेरी	1	हंगल
	2003-04	5	
1.	बेलगाम	1	हंडिगुंड
2.	चिकमंगलूर	1	जागरा
3.	शिमोगा	1	सिदूर
4.	मंगलूर	1	पटरेम
5.	बेलगाम	1	औराडी
	2004-05	2	
	उडुपी	1	केराडी
	चिकमंगलूर	1	कादावंथी

बुनियादी कनेक्शनों को वापस किया जाना

3263. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में बुनियादी टेलीफोन उपभोक्ताओं ने अपने फोन वापस कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक वर्षवार कितने बुनियादी टेलीफोन वापस किए गए हैं;

(घ) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का विचार निजी संचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए बुनियादी टेलीफोन इन्सट्रूमेंट में और इनबिल्ट सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) लैंडलाइन टेलीफोनी में निवल वृद्धि प्रभावित हुई है क्योंकि ग्राहक बेतार सेवाओं को अधिक

वरीयता देते हैं इसलिए पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि लैंडलाइन फोनों को वापिस किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 31.10.2005 तक वापिस किए गए लैंडलाइन टेलीफोनों की संख्या नीचे दी गई है।

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (31.10.2005 तक)
बीएसएनएल	1793536	3260125	3417052	2302324
एमटीएनएल	171238	377242	292438	157530

(घ) जी, हां।

(ङ) बीएसएनएल लैंडलाइन उपकरणों पर एसएमएस सुविधा प्रदान करने के लिए अपने नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रहा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने लैंडलाइन पर वॉयस ओर इंटरनेट जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी हैं। एमटीएनएल ने इसमें वीडियो सुविधा शामिल करने की भी योजना बनाई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों में लैंडलाइन पर कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवार्डिंग, क्लिप जैसी अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

मध्य प्रदेश में टेलीग्राफ कार्यालयों को स्थापित करना

3264. श्री गणेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में नए टेलीग्राफ कार्यालयों को खोलने और विद्यमान टेलीग्राफ कार्यालयों को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) मध्य प्रदेश में कोई नया तार घर प्रस्तावित नहीं है और मौजूदा तार सेवाओं का आधुनिकीकरण पूरा कर दिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

भूमि विस्थापितों को रोजगार

3265. श्री सुनिल कुमार महतो:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन हेतु भूमि के अर्जन के बदले ऐसे परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने तथा मुआवजा भी देने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति का कड़ाई से पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. की एक सुपरिभाषित पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास नीति (आर. एण्ड आर. नीति) है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भू-चंचितों की उपयुक्तता की शर्त पर रिक्तियों को भरने के लिए केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। संबंधित राज्य सरकारों की पुनर्वास नीति के अंतर्गत या तो रोजगार अथवा रोजगार के बदले नकद मुआवजा निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार प्रदान किया जाता है:

(1) न्यूनतम केवल 25,000 रु. की शर्त के अधीन यथानुपात के आधार पर प्रथम एकड़ भूमि के लिए एक लाख रुपए मात्र।

(2) दो तथा तीन एकड़ भूमि के लिए यथानुपात के आधार पर 75,000 रु. मात्र।

(3) तीन एकड़ से अधिक भूमि के लिए यथानुपात के आधार पर 50,000 रु. मात्र।

कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि हेतु मुआवजा निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार प्रदान किया जाता है:

(1) अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख को बाजार मूल्य;

(2) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त 30% की दर से सांत्वना राशि;

(3) अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख तक धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की तारीख को शुरू होने वाली अवधि अथवा अधिकतम 3 वर्षों की अवधि जो भी पहले हो, हेतु भूमि के बाजार मूल्य का वार्षिक 12% की दर से वृद्धि।

(4) धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख के पश्चात प्रथम वर्ष हेतु वार्षिक 9% की दर से तथा भुगतान किए जाने तक सांत्वना राशि सहित मुआवजे की राशि पर तत्पश्चात वार्षिक 15% की दर से ब्याज यदि कहीं उचित बाजार मूल्य से अधिक 30% सांत्वना राशि की अनुमति प्रदान करके सी.बी.ए. अधिनियम, 1957 की धारा 14(1) के प्रावधान के अनुसार विचार-विमर्श के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है तो वृद्धि अथवा ब्याज हेतु कोई भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि प्रदान किया जा रहा मूल्य धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख को बाजार मूल्य नहीं होता है बल्कि विचार-विमर्श की तारीख को बाजार मूल्य होता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि हेतु मुआवजे का आकलन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण विभाग द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हां। कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि अब वे उक्त नीति का कड़ाई से पालन कर रहे हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

इसरो का कार्य-निष्पादन

3266. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) वाणिज्यिक दृष्टि से सफल नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसरो द्वारा छोड़े गए उपग्रहों के वाणिज्यिक उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रांसपोंडरों का उपग्रहवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केवल एक उपग्रह छोड़ चुके अर्जेंटिना, तुर्की और मलेशिया जैसे देश इसरो की तुलना में उपग्रह सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिक व्यवसाय कर रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इसरो की वाणिज्यिक उपयोगिता में सुधार करने हेतु प्रभावी उपाय करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.), यूरोप, चीन, रूस, ताईवान, म्यांमार, कजाकिस्तान और मध्य पूर्वी देशों को बेचे जाते हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान सुदूर संवेदन उपग्रह से संबंधित आंकड़े और इसकी बिक्री से संबंधित राजस्व का कुल मूल्य 66.83 करोड़ रुपये है, जोकि इस खंड में विश्व बाजार के कुल मूल्य का लगभग 15% है। सामाजिक और सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उपग्रह संचार के क्षेत्र में इन्सैट उपग्रहों की क्षमता का प्रभावी रूप में वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में उपलब्ध अन्य वाणिज्यिक उपग्रहों के लिए 70% के औसत की तुलना में इन्सैट पर ट्रांसपोंडरों के लिए भारण कारक 91% है।

(घ) इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रांसपोंडरों का उपग्रहवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

उपग्रह का नाम	उपलब्ध कराए गए ट्रांसपोंडरों की संख्या
इन्सैट-3ए	24
इन्सैट-3बी	15
इन्सैट-3सी	33
इन्सैट-2ई	17
जीसैट-2	7
इन्सैट-3ई	36
जीसैट-3	12

(ङ) जी, नहीं। वर्ष 2004-05 के दौरान अंतरिक्ष विभाग के वाणिज्यिक अंग, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड का राजस्व 83.59 मिलियन अमरीकी डालर है जबकि वर्ष 2004 में अर्जेंटिना के नेहुलसैट का राजस्व 18.2 मिलियन अमरीकी डालर, तुर्की के तुर्कसैट का 21 मिलियन अमरीकी डालर और मलेशिया के मियासैट द्वारा अर्जित राजस्व 34.2 मिलियन अमरीकी डालर है।

(च) और (छ) सरकार ने सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद और एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा ग्लोबल अंतरिक्ष उद्योग के अग्रणियों के बीच समुचित विपणन संबंधों के माध्यम से एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपनी क्षमता प्रदान करने हेतु उपाय किए है।

[अनुवाद]

प्लेग का फैलना

3267. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इन रिपोर्टों की जानकारी है कि बदलती जलवायु से प्लेग फैल सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्लेग एक तीव्र संचारी रोग है जो येरसिनिया पेस्टिस बेक्टिरिया से होता है और संक्रमित चूहे पिस्सू के काटने से मनुष्य में फैलता है। यह कृतक (रोडेन्ट) रोग होने के कारण जूनोसिस है और मनुष्य आकस्मिक रूप से इससे प्रभावित होता है। भौगोलिक, मौसमी और जलवायु संबंधी कारणों आदि का कृन्तकों और कीड़ों के प्रसार पर गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है जो कि येरसिनिया पेस्टिस के सक्षम स्रोत और वाहक है।

प्लेग को फैलने से रोकने के लिए एक बहु-स्तरीय नीति अपनाई गई है जिसमें पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार लाना तथा कीटनाशकों को उपयोग करके और लोगों में जागरूकता बढ़ाकर कृन्तक और रोगाणुनियंत्रण करना शामिल है। प्लेग की निरंतर निगरानी रखने से इसको फैलने से रोकने में मदद मिली है। विभिन्न रोगों, जिनमें प्लेग भी शामिल है, पर निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए नवम्बर, 2004 में निगरानी परियोजना आरंभ की गई है।

गुरू गोपीनाथ नताना ग्रामन सोसाइटी को वित्तीय सहायता

3268. डा. के. एस. मनोज: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुरू गोपीनाथ नताना ग्रामन सोसाइटी, केरल की ओर से वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) केरल सरकार ने पहले मुक्त आकाश रंगमंच, राष्ट्रीय नृत्य संग्रहालय एवं कला विधि, भारतीय संस्कृति पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र के निर्माण के लिए गुरू गोपीनाथ नताना ग्रामन सोसायटी से एक प्रस्ताव की सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव को अनुदान के लिए मंजूर नहीं किया गया था क्योंकि इस मंत्रालय ने तिरूवनंतपुरम, केरल में बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए पहले ही 2.00 करोड़ रुपए प्रदान कर दिए हैं।

''क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण'' की स्कीम के तहत गुरू गोपीनाथ नताना ग्रामन सोसायटी से प्राप्त एक अन्य प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2003-2004 में 5.00 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है और पहली किस्त के रूप में 3.75 लाख रु. की राशि जारी कर दी गई है।

दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र ने गुरू गोपीनाथ नताना ग्रामन सोसायटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले नाट्योत्सव-2005 के लिए 1.00 लाख रु. की राशि भी आबंटित की है। जैसे ही दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को उक्त सोसायटी से कार्यक्रमों के ब्यौरे प्राप्त होंगे, निधियां जारी कर दी जाएंगी।

एलिफैन्टा/अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खोज

3269. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग ने वर्ष 2003-05 में अरब सागर के एलिफैन्टा द्वीप में खोजें की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तथा इसके आस-पास ऐसे अध्ययन करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अंतर्जलीय पुरातत्व स्कंध ने 2003-2004 में, अरब सागर में ऐलीफेंटा द्वीप में और अन्वेषण किए हैं। अन्वेषण के दौरान प्राप्त मृदभाण्डों में, अच्छी मात्रा में लाल मृण्पात्र, कुछ काले तथा धूसर ठीकरे तथा अम्फोरा टुकड़े शामिल हैं। कुछ अम्फोरा टुकड़ों की परवर्ती रोमन अम्फोरा के साथ पहचान की जा सकती है, जिससे इस स्थल से समुद्री व्यापार संपर्कों का संकेत मिलता है।

(ग) और (घ) इस समय, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में और इसके आस-पास इस प्रकार का अध्ययन करने का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

बिहार के विकास हेतु कृतक बल

3270. श्री रामकृपाल यादव: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के समग्र विकास हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय प्रकोष्ट के अंतर्गत किसी कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कृतक बल के कौन-कौन सदस्य हैं;

(घ) क्या इस कृतक बल के सदस्यों ने बिहार का दौरा किया है और बिहार सरकार के कर्मचारियों से कोई चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन): (क) से (ग) कृतक बल अभी गठित किया जाना है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरी निकायों को अत्याधुनिक बनाने हेतु कार्यक्रम

3271. श्री शिशुपाल एन. पाटले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में एक लाख से अधिक की आबादी वाले स्थानीय शहरी निकायों की पहचान उन्हें अत्याधुनिक बनाने के कार्यक्रम के मद्देनजर की है जैसाकि दिनांक 27 नवम्बर, 2005 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु पहचान किए गए ऐसे शहरी इलाकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय आने की संभावना है;

(ङ) क्या चालू वर्ष के लिए नगर निगमों की पहचान की गयी है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शर्तों की जानकारी दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ज) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरपालिकाओं में ई-गवरनेंस पर एक 'नेशनल मिशन मोड परियोजना" तैयार की जा रही है। परियोजना के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपण संबंधी समझौते

3272. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका अभी भी प्रतिबंधाधीन अंतरिक्ष संस्थानों की समीक्षा कर रहा है जैसा कि दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) क्या भारत और अमरीका व्यावसायिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के संबंध में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर भी काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं सहित भारतीय संगठनों को प्रतिबंधित सूची से हटाने की दृष्टि से दिसंबर 1, 2005 को आयोजित उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल की बैठक के दौरान अमरीकी सरकार के साथ संस्था सूची की समीक्षा की है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, ऐसे समझौतों को आसान बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से एक प्रौद्योगिकी सुरक्षा समझौते का प्रारूप प्राप्त किया गया है।

यूरेनियम के भंडार

3273. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के सीकर जिले के घटेश्वर क्षेत्र में पाए जाने वाले यूरेनियम की 'सब सरफेस कन्फीगरेशन' की रूपरेखा बनाने तथा अयस्क की विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए विस्तृत फील्ड/प्रयोगशाला जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन यूरेनियम भंडारों के वाणिज्यिक/आर्थिक इस्तेमाल हेतु कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी), हैदराबाद, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, ने राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल-घटेश्वर क्षेत्र में यूरेनियम की विद्यमानता का पता लगाया है। अयस्क पिंड के अधस्तल विन्यास को निरूपित करने और अयस्क की विशिष्टताओं का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत क्षेत्रीय/प्रयोगशाला अन्वेषण कार्य किए जा रहे है। अभी तक कोई संभाव्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

असम में कोयला खान भविष्य निधि कल्याण संगठन

3274. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के कोयला क्षेत्र में कोयला खान भविष्य निधि संगठन कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कितने कर्मचारी पंजीकृत हैं;

(ग) क्या असम के कोयला क्षेत्र में कोयला खान कल्याण संगठन भी कार्य कर रहा हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत कितने कर्मचारी पंजीकृत है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। असम के कोयला क्षेत्र में कोयला खान भविष्य निधि संगठन कार्य कर रहा है। दिनांक 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार, इसके अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 3684 है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तत्कालीन कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन का 1986 में कोल इंडिया लि. के साथ विलय कर दिया गया है।

स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

3275. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में कुछ स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए सहायता मांगी है जहां बड़ी संख्या में लोग जापानी एनसेफेलाइटिस से मारे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक भारत को कितनी सहायता प्रदान कर रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक सहायता-प्राप्त स्वास्थ्य परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विश्व बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश, एक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार कर रहा है जिसे अप्रैल, 2006 में शुरू किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जापानी ऐन्सेफेलाइटिस का निदान समय पर हो, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत नैदानिक किटों की अधिप्राप्ति/खरीद के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) विश्व बैंक की सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रभावी होने/हस्ताक्षर की तिथि	समाप्ति तिथि	कार्यान्वयन का क्षेत्र	मिलियन यूएस डॉलर में ऋण की राशि	मिलियन यू एस डालर में 31.10.2004 तक आबंटन
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	ट्यूबरक्लोसिस नियंत्रण परियोजना	14.3.97 8.5.97	3.9.05 31.3.06	राष्ट्रव्यापी	129.36	110.75
2.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	30.7.97 30.9.97	31.12.05	7 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान	128.30	96.44
3.	एच आई वी/एड्स-II	14.9.99 9.11.99	31.3.06	राष्ट्रव्यापी	191.00	178.78
4.	खाद्य एवं क्षमता निर्माण परियोजना	29.9.03 17.10.03	31.7.08	राष्ट्रव्यापी	54.03	4.75
5.	प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम	19.5.00 18.8.00	31.12.05	राष्ट्रव्यापी	230.80	230.80
6.	एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	23.9.04 28.10.04	30.9.09	राष्ट्रव्यापी	68.00	6.80
	राज्य क्षेत्र					
7.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	14.1.99 24.2.99	30.11.05	महाराष्ट्र	116.90	83.92
8.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	19.5.00 26.7.00	31.12.05	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	110.00	45.63
9.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	13.8.98 8.9.98	31.3.06	उड़ीसा	76.40	66.70
10.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	3.6.04 21.7.04	30.9.09	राजस्थान	89.00	4.87
11.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	5.1.05 27.1.05	31.3.2010	तमिलनाडु	110.83	7.51

[हिन्दी]

भारत के प्रथम स्वाधीनता युद्ध की 150वीं जयंती

3276. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के प्रथम स्वाधीनता युद्ध की 150वीं जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समारोह के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने मंत्रियों का एक समूह गठित किया है, जो इस मामले पर विचार कर रहा है।

प्रति व्यक्ति व्यय

3277. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. चिंता मोहन:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 59वें दौर के अनुसार वर्ष 2003 में एक कृषक परिवार का प्रति व्यक्ति व्यय 503 रुपये था जो कि बीपीएल मानदंडों से 75 रुपये अधिक था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रति व्यक्ति व्यय देश में अलग-अलग राज्यों में भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में बीपीएल मानदंडों से कम आय वाले लोगों की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन एस एस) 59वां दौर (जनवरी-दिसम्बर, 2003) के अनुसार वर्ष 2003 के दौरान समस्त भारत स्तर पर एक कृषक परिवार का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एम पी सी ई) 502.83 रुपये थे। रा.प्र. सर्वे. 55वां दौर, 1999-2000 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से अनुमानित राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण गरीबी रेखा 327.56 रुपये है। कृषकों का औसत मासिक कुल उपभोग व्यय अर्थात् 502.83 रुपये 1999-2000 मूल्यों पर घटकर 487.97 रुपये आंका गया। अत: 1999-2000 के मूल्यों पर इन दोनों के बीच 160.41 रुपये का अंतर है।

(ग) और (घ) जी, हां। देश में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (एम पी सी ई) में राज्य दर राज्य अंतर है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित रा.प्र. सर्वे. 59वां दौर जनवरी-दिसम्बर, 2003 पर आधारित "कृषक जनसंख्या के संबंध में प्रत्येक राज्य और समस्त भारत में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय" वाला विवरण-I में संलग्न है।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए "राज्यों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 1999-2000" वाला विवरण-II में संलग्न है।

विवरण I

कृषक जनसंख्या के संबंध में प्रत्येक राज्य और समस्त भारत में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एम पी सी ई)-2003

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	औसत एमपीसीई (रु.)
1	2
आंध्र प्रदेश	512.56
अरुणाचल प्रदेश	582.65
असम	479.42
बिहार	403.60
छत्तीसगढ़	378.89
गुजरात	562.86
हरियाणा	741.10
हिमाचल प्रदेश	708.47
जम्मू और कश्मीर	711.82
झारखंड	352.85
कर्नाटक	491.19
केरल	900.59
मध्य प्रदेश	406.30
महाराष्ट्र	524.12
मणिपुर	592.27
मेघालय	592.73
मिजोरम	656.60

1	2
नागालैण्ड	882.93
उड़ीसा	341.75
पंजाब	828.01
राजस्थान	557.45
सिक्किम	548.02
तमिलनाडु	572.81
त्रिपुरा	561.89
उत्तर प्रदेश	474.89
उत्तरांचल	566.60
पश्चिम बंगाल	507.74
संघ शासित क्षेत्र समूह	
समस्त भारत	502.83

विवरण II

राज्यों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)-1999-2000

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध प्रदेश	11.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.04
3.	असम	40.04
4.	बिहार	44.30
5.	गोवा	1.35
6.	गुजरात	13.17
7.	हरियाणा	8.27
8.	हिमाचल प्रदेश	7.94
9.	जम्मू और कश्मीर	3.97
10.	कर्नाटक	17.38
11.	केरल	9.38
12.	मध्य प्रदेश	37.06
13.	महाराष्ट्र	23.72
14.	मणिपुर	40.04
15	मेघालय	40.04
16.	मिजोरम	40.04
17.	नागालैण्ड	40.04
18.	उड़ीसा	48.01
19.	पंजाब	6.35
20.	राजस्थान	13.74
21.	सिक्किम	40.04
22.	तमिलनाडु	20.55
23.	त्रिपुरा	40.04
24.	उत्तर प्रदेश	31.22
25.	पश्चिम बंगाल	31.85
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.55
27.	चंडीगढ़	5.75
28.	दादर और नगर हवेली	17.57
29.	दमन और दीव	1.35
30.	दिल्ली	0.40
31.	लक्षद्वीप	9.38
32.	पांडिचेरी	20.55
	समस्त भारत	27.09

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा हेतु प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा का व्यय वितरण गोवा की गरीबी अनुपात के आकलन के लिए प्रयोग किया गया है;
3. हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा और जम्मू और कश्मीर का व्यय वितरण जम्मू और कश्मीर की गरीबी अनुपात के आकलन के लिए प्रयोग किया गया है।
4. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग किया गया है।
5. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के लिए प्रयोग किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादर एवं नगर हवेली का व्यय वितरण दादर एवं नगर हवेली के गरीबी अनुपात के आकलन में प्रयोग किया गया है।
7. गोवा का गरीबी अनुपात दमन एवं दीव हेतु प्रयोग किया गया है।
8. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप हेतु प्रयोग किया गया है।

बेसिक टेलीफोन सिस्टम (बीटीएस) स्थापित किया जाना

3278. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में विशेषकर झारखण्ड में बेसिक टेलीफोन सिस्टम या अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार कुल कितने बेसिक टेलीफोन सिस्टम तथा अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किये गए;

(घ) क्या सरकार को देश में नेटवर्क जाम तथा असंतोषजनक मोबाइल सेवाओं के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) झारखंड राज्य सहित देश के सभी राज्यों में ग्राहकों की संतुष्टि तथा अन्य दूरसंचार प्रचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले दूरसंचार उपकरण संस्थापित कर रहा है।

(ग) 19 अक्टूबर, 2002 को देश भर में बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं शुरू होने के बाद से चालू बेस ट्रान्सीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या 12,756 है जिसमें झारखंड राज्य में संस्थापित 214 बीटीएस शामिल हैं। झारखंड में 290 स्टेशनों सहित बेस स्टेशनों की संख्या में 18,095 की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (छ) रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, पाकुर और बोकारों के कुछ हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क संकुलन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में संकुलन समाप्त करने, मोबाइल सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और नए मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान झारखंड में मोबाइल नेटवर्क क्षमता से 2.5 लाख लाइनों की वृद्धि करने के लिए बीएसएनएल द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क के कार्य-निष्पादन को निरंतर इष्टतम बनाया जा रहा है तथा नेटवर्क की मॉनीटरिंग को बीएसएनएल द्वारा सुदृढ़ किया गया है ताकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा यथानिर्धारित सेवा गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों के अनुसार कार्य-निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

बीएसएनएल के मोबाइल बीटीएस की स्थिति और योजना

क्र.सं.	राज्य	मौजूदा बीटीएस की संख्या	वर्ष 2005 में नियोजित अतिरिक्त बीटीएस (लगभग)
1	2	3	4
पूर्वी जोन			
1.	अंडमान और निकोबार	17	33
2.	असम	695	330
3.	बिहार	398	534
4.	झारखंड	214	290
5.	उत्तर पूर्व	190	264
6.	उड़ीसा	319	505
7.	पश्चिम बंगाल	529	1576
	कुल	2362	3532
दक्षिणी जोन			
1.	आंध्र प्रदेश	910	1180
2.	कर्नाटक	1003	1059
3.	केरल	908	1292
4.	तमिलनाडु	1402	1698
	कुल	4223	5229
पश्चिम जोन			
1.	गुजरात	796	1612
2.	मध्य प्रदेश	393	760
3.	छत्तीसगढ़	111	224

1	2	3	4
4.	महाराष्ट्र	1028	2016
	कुल	2328	4612
उत्तरी जोन			
1.	हरियाणा	511	517
2.	हिमाचल प्रदेश	259	270
3.	जम्मू और कश्मीर	322	284
4.	पंजाब	415	1076
5.	राजस्थान	387	955
6.	उत्तरांचल	189	214
7.	उत्तर प्रदेश	1760	1406
	कुल	3843	4722
	जोड़	12756	18095

[अनुवाद]

प्राचीन/जनजातीय कलाकृतियों का संरक्षण

3279. श्री रूपचंद मुर्मू: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी प्राचीन, लोक तथा जनजातीय कलाकृतियां उपेक्षा की शिकार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) सरकार ने प्राचीन, लोक तथा जनजातीय कलाकृतियों की देख-रेख और उनके संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं।

जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन और प्रसार की स्कीम के तहत निम्नलिखित के संबंध में परियोजनाएं शुरू करने के लिए अनुदान और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-(1) जनजातीय कला के कलात्मक रूपों का प्रलेखन, अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा छायाचित्र अभिलेख; (2) जनजातीय संस्कृति एवं जनजीवन की समृद्धि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की प्रणालियों का पता लगाना; और (3) जनजातीय तथा ग्रामीण संस्कृति की जनजातीय कला, शिल्पों, मौखिक परम्पराओं तथा अन्य रूपों का परिरक्षण और प्रचार-प्रसार।

सरकार द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना, कलावस्तुओं सहित विभिन्न कला रूपों और विशेषत: लोक कला रूपों के परिरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी। ये केन्द्र शिल्प मेलों तथा कार्यशाला-सह-प्रदर्शनियों के माध्यम से लोक/जनजातीय कलावस्तुओं के परिरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठाते रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र दो स्कीमें चलाता है: लोक/जनजातीय कला के परिरक्षण और संवर्धन के लिए ''लुप्तप्राय कला रूपों का प्रलेखन'' तथा ''गुरू-शिष्य परम्परा''।

''क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण'' की वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत अन्य बातों के साथ-साथ पुरावस्तुओं, मुद्राशास्त्र, चित्रों, नृजातीय संग्रहों, लोक कला आदि सहित कलावस्तुओं के संवर्धन और परिरक्षण के लिए संग्रहालयों के व्यावसायिक विकास हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक मानव विज्ञान अनुभाग है जिसमें लगभग 4500 जनजातीय कलावस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह है और इसमें पूर्वोत्तर की जनजातीय जीवनशैली को चित्रित करने वाली एक स्थायी विधि है।

''सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम'' के तहत सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र ने जनजातीय शिल्प तथा कलावस्तुओं को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए है। श्रीमंत शंकर देव कलाक्षेत्र, गुवाहाटी पूर्वोत्तर के कला रूपों की विभिन्न शाखाओं पर कार्यशालाएं आयोजित करता है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोक तथा जनजातीय कलावस्तुओं में अनुसंधान, प्रलेखन तथा परिरक्षण करने और लोक तथा जनजातीय जीवनशैली के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, सेमिनार/कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा संग्रहालयों, जिसमें जनजातीय कलावस्तुओं की प्रदर्शनी तथा परिरक्षण/संरक्षण शामिल है, के संबंध में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करता है।

इन स्कीमों के अलावा, प्रमुख संग्रहालय भी अपने पास उपलब्ध कलावस्तुओं का परिरक्षण और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

[हिन्दी]

व्यापक मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

3280. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक भागों में व्यापक मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में मलेरिया का उन्मूलन नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में द्वितीय चरण का कार्यक्रम चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कब तक चलाये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारत सरकार, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में मलेरिया, फायलेरिया, कालाजार, डेंगू और जापानी इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए देश में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य मलेरिया से होने वाली मौतों को कम करना और मलेरिया संबंधी रूग्णता को प्रभावी रूप से रोकना है।

(ख) विश्व बैंक की सहायता वाली व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना सितम्बर 1991 में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों के 1045 आदिवासी खंडों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) मध्य प्रदेश के 90 आदिवासी खंडों में व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना सितम्बर, 1997 से कार्यान्वित की जा रही है। इन आदिवासी खंडों में मलेरिया रोगियों की संख्या वर्ष 2004 के दौरान घटकर प्रति हजार 5.25 रोगी हो गई है जबकि वर्ष 1998 के दौरान इसकी संख्या प्रति हजार 10.04 थी।

(घ) और (ङ) भारत सरकार, मध्य प्रदेश सहित अधिक प्रभावित राज्यों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। विश्व बैंक द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसका अनुमोदन कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

'एम्स' में अभिघात केन्द्र

3281. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अभिघात केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त केन्द्र की स्थापना किस तारीख को की गई है;

(ग) इसके निर्माण पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या उपर्युक्त केन्द्र एमआरआई, सीटी स्कैन और कैट स्कैन जैसी अत्याधुनिक सेवाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) 138.53 करोड़ रुपए के परिव्यय से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जय प्रकाश नारायण शीर्ष अभिघात केन्द्र के द्वारा रोगियों को व्यापक अभिघात परिचर्या प्रदान करने की योजना है। एक बार सिविल निर्माण कार्य पूरा और उपकरण संस्थापित हो जाने पर इस केन्द्र के कार्य करने लग जाने की आशा है।

(ग) अब तक 46.00 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) से (च) इस केन्द्र की एम.आर.आई. और सी. टी. स्कैन जैसे सभी अनिवार्य उपकरणों से सेवाएं प्रदान करने की योजना है। इस अभिघात केन्द्र के लिए अलग से किसी पी.ई.टी. स्कैन का प्रस्ताव नहीं किया गया है क्योंकि इस संस्थान में पी.ई.टी. स्कैन का उपयोग किया जा सकता है।

कोकिंग कोल का उत्पादन

3282. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोकिंग कोल के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 और 2005-06 में कोकिंग कोल के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) देश में कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ाने और कोकिंग कोल की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां तथापि, कोल इंडिया लि. के कमांड क्षेत्र में उच्च ग्रेड कोकिंग कोयले के भंडारों के अभाव के कारण उत्पादन अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में कोकिंग कोयला का उत्पादन नीचे दिए अनुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

2002-03	2003-04	2004-05
23.83	22.64	22.81

(ग) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान सीआईएल द्वारा कोकिंग कोयले के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 20.51 मिलियन टन और 19.49 मिलियन टन है।

(घ) कोकिंग कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए सी.आई.एल. ने निम्नलिखित उपाय किए है:

* झरिया तथा उसके निकटस्थ क्षेत्रों के निवासियों को पुनर्स्थापित करके भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के बंद पड़े कोयला भंडारों का उपयोग करने के लिए योजना तैयार की गई है।

* कोकिंग कोयला भंडारों वाली सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) की टोपा आर.ओ. परियोजना को शुरू कर दिया गया है।

* सीसीएल ने रेलवे लाइन तथा दामोदर नदी की दिशा में परिवर्तन करके कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनायी है।

* अल्पावधि उपाय के रूप में बी.सी.सी.एल. में धनबाद-पाथरडीह रेलवे लाइन के अंतर्गत कोकिंग कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

* एक दीर्घावधिक उपाय के रूप में बी.सी.सी.एल. के कपूरिया ब्लॉक में उच्च ग्रेड के कोकिंग कोयले के निष्कर्षण की योजना बनायी गई है।

राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया धनराशि

3283. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राज्य विद्युत बोर्डों पर विभिन्न कोयला कंपनियों की बहुत बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है राज्य विद्युत बोर्डों पर वर्तमान में कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों और राज्य विद्युत बोर्डों के बीच विवाद को निपटाने हेतु कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जांच योजना के अंतर्गत अभी तक कितने मामलों का निपटान किया गया है; और

(च) कोयला कंपनियों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। 30.11.2005 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. की कुल बकाया राशि 1655.80 करोड़ रु. (अनन्तिम) है। 30.11.2005 की स्थिति के अनुसार, राज्य विद्युत बोर्डों से कुल बकाया राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्डों के नाम	30.11.05 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
1	2	3
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी)	196.26
2.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	72.20

1	2	3
3.	उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीयूएनएल)	35.35
4.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी)	235.62
5.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड (टीएनईबी)	163.70
6.	राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल)	25.76
7.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी)	78.36
8.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एमपीईबी)	604.43
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी)	48.72
10.	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. (जीईबी)	27.07
11.	वेस्ट बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी)	2.69
12.	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	150.17
13.	आंध्र प्रदेश पावर जेन कारपोरेशन कंपनी (एपीजीईएनसीओ)	2.44
14.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल)	11.02
15.	दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी)	2.01
	कुल	1655.80

(ग) और (घ) कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय राज्य विद्युत बोर्डों और कोल इंडिया लि. की कोयला कंपनियों के बीच विवादों को निपटाने हेतु संयुक्त रूप से मध्यस्थों की नियुक्ति करते हैं। 31.3.1995 तक संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों के सभी विवादित बकायों को निपटाने के लिए मध्यस्थों को भेजा गया था। मध्यस्थों ने डीवीबी/टीएनईबी/आरएसईबी/केपीसीएल/एपीजीईएनसीओ/एमएसईबी/एमपीईबी/सीएसईबी/यूपीएसईबी तथा बीटीपीएस के मामले में अवार्डों की घोषणा कर दी है। इन मामलों में कोयला कंपनियों के पक्ष में अवार्ड की कुल राशि 1189.61 करोड़ रु. है।

(ङ) 30.9.2003 तक कोयला बिक्री की देयराशि के प्रति कोयला कंपनियों के पक्ष में राज्य सरकारों द्वारा 2244.52 करोड़ रु. की राशि के बाण्ड जारी किए गए हैं।

(च) यदि राज्य विद्युत बोर्ड कोयले की अदायगी नहीं करते हैं तो कोयला कंपनियों द्वारा कोयला आपूर्तियों के विनियम बनाए जाते हैं। कोयले की बिक्री की देयराशि की अदायगी के लिए राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रत्याभूतिकरण योजना के प्रावधान में अप्राप्य साख-पत्र को खोले जाने के लिए भी जोर दिया गया है।

सरकारी मकानों का रखरखाव

3284. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन सं. 7 (2004-05) में यह बताया है कि रहने के लिए आवास का अनुरक्षण और उनका रखरखाव निवासियों के संतोष के अनुरूप नहीं रहा है और सड़कों को अच्छी हालत में नहीं रखा जा रहा है और बिजली तथा टेलीफोन के खंभों को व्यापक सर्विस लेनों को जगह देने के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ठेकेदारों को इंक्वायरी क्लर्क द्वारा दिए गए सरकारी मकानों में सफेदी नहीं कराई जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है

(ङ) क्या सरकार भी सरकारी मकानों में 10 प्रतिशत आधार पर कार्य नहीं करवा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 की अपनी 7वीं रिपोर्ट में "दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित रिहायशी आवास के रखरखाव में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम करने के शिथिल ढंग पर चिंता व्यक्त की है।

रिहायशी आवास के रखरखाव में संतोषजनक स्तर तक सुधार करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(1) टेलीफोन/इंटरनेट पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्राप्ति और मानीटरिंग प्रणाली शुरू की गई है।

(2) उपलबध बजट का पूर्णतया उपयोग करने के लिए वार्षिक अनुरक्षण योजनाएं तैयार की जाती हैं।

(3) लोगों के विचार जानने और शिकायतों के समाधान के उपाय करने के लिए रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।

(ग) और (घ) नियत तारीखों को सफेदी करवाने के सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कई बार ठेकेदार को क्वार्टर संख्या देने की तारीख और सफेदी करने की वास्तविक तारीख में विभिन्न कारणों से अंतर हो जाता है जैसा कि श्रम/सामग्री उपलब्ध न होना अथवा पहले का काम पूरा करने में विलंब आदि।

(ङ) और (च) आवंटियों द्वारा लागत में भागीदारी करने तथा धनराशि उपलब्ध होने के अध्ययधीन परिवर्द्धन/परिवर्तन के कार्य किए जाते हैं।

डीएमआरसी को धनराशि का आबंटन

3285. श्री वीरचन्द्र पासवान: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट सं. 5 (2004-05) में डीएमआरसी को परियोजना का समय से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तथा समय से आबंटन प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अन्य शहरों से दिल्ली में जनसंख्या के अंतप्रर्वाह के कारण डीएमआरसी को पानीपत, रेवाड़ी, पलवल और मेरठ आदि जैसे पड़ोसी शहरों तक ले जाना आवश्यक हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि समयबद्ध तरीके से मुहैया करायी जा रही है।

(ग) और (घ) द्रुत जन परिवहन प्रणाली के विस्तार के लिए निर्णय यात्रियों की संख्या, लागत, भीड़-भाड़ पर प्रभाव, वायु की गुणवत्ता इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो को पानीपत, रेवाड़ी, पलवल, मेरठ इत्यादि तक विस्तार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संस्कृति मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3201/2005]

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3202/2005]

(5) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3203/2005]

(7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3204/2005]

(9) (एक) नार्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2003-04 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेन्टर, इलाहाबाद के वर्ष 2003-04 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3205/2005]

(11) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2003-04 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3206/2005]

(13) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3207/2005]

(15) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3208/2005]

(17) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3209/2005]

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडिस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3210/2005]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2005 जो 8 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 349 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3211/2005]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2004 जो 3 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छटा संशोधन नियम, 2004 जो 3 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2005 जो 30 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 253 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2005 जो 9 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2004 जो 30 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2005 जो 9 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2005 जो 9 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2005 जो 9 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 223 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2004 जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2003 जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 425 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2003 जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2004 जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2004 जो 31 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 845 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2004 जो 31 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 846 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (तेरह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3212/2005]

(4) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3213/2005]

(5) (एक) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3214/2005]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3215/2005]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल काऊंसिल आफ रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (दो) सेंट्रल काऊंसिल आफ रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काऊंसिल आफ रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3216/2005]

(2) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3217/2005]

(3) (एक) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट आफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी डिजीजिज, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट आफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी डिजीजिज, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3218/2005]

(4) (एक) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3219/2005]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं भारत संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3220/2005]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3221/2005]

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2005-2006 के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2005-2006 के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा में सदस्यों के आचरण के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, कल मेरे दल के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा जो कुछ भी आसन के

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

प्रति व्यवहार हुआ, उनकी आसन के प्रति किसी प्रकार की अवमानना या अपमान की नीयत नहीं थी बल्कि बिहार में घटित खास घटना के प्रति आक्रोश था। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप माननीय सदस्यों के कल के व्यवहार से आहत हुए हैं, इसलिए मैं अपनी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दुख और खेद व्यक्त करता हूं तथा क्षमा चाहता हूं। आसन सर्वोपरि है। आप सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक भी हैं। हम आपके और आसन के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं और भविष्य में भी सम्मान करते रहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, यह आपकी अत्यधिक शालीनता है। देखिए, एक व्यक्ति के तौर पर मैं इससे इतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूं। यह सभा-लोक सभा-एक महान सदन है। हमें इसका सदस्य होने का गर्व है और हम उत्तरदायित्व से जुड़े हैं। अतएव, कृपया इस सभा के प्रति आदर और गरिमा बनाए रखिए। मैं आप सभी से अपील करता हूं। जिस तरीके से आपने आज प्रतिक्रिया की, मैं उससे बुरी तरह आहत हूं। मुझे विश्वास है कि हम सभी इस संस्थान की गरिमा और अपने गणतंत्र की गरिमा के लिए एक साथ कार्य करने में सक्षम हैं।

मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य का आभारी हूं। मेरे मन में आपके लिए पूरा सम्मान है। कृपया अपना सम्मान स्वीकार कीजिए। अतएव, हम इस महान देश के किए; उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें यहां बड़ी उम्मीदों और आशाओं के साथ भेजा है, हम एक साथ कार्य कर सकते हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में महिलाओं के अवैध व्यापार की बढ़ रही घटनाओं जिससे देश के सामाजिक ढांचे को खतरा उत्पन्न हो गया है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"देश में महिलाओं के अवैध व्यापार की बढ़ रही घटनाओं, जिससे देश के सामाजिक ढांचे को खतरा उत्पन्न हो गया है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

[हिन्दी]

***मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):** अध्यक्ष महोदय, मानवों, विशेषकर महिलाओं, लड़कियों और बच्चों का अवैध देह व्यापार राष्ट्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इन कमजोर महिलाओं और बच्चों का व्यावसायिक शोषण करना एक व्यापक संगठित अपराध है, डालर का व्यवसाय बन गया है। इस व्यापक समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अनेक सम्मेलन आयोजित किए। भारत से भी विधायी, कार्यकारी, न्यायिक तथा सामाजिक कार्रवाई के माध्यम से मानव व्यापार की इस समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 2000 के अनुसार अवैध देह व्यापार की परिभाषा इस प्रकार है:

"शोषण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों की भर्ती, लाना-ले जाना, स्थानांतरण, शरण देना अथवा लेना-चाहे ऐसा बल प्रयोग अथवा धमकी देकर अथवा किसी प्रकार का दबाव डालकर या भगा ले जा कर, धोखे से, शक्तियों का दुरुपयोग करके या रकम अथवा फायदा ले-देकर नियंत्रणाधीन व्यक्ति की रजामंदी प्राप्त करना। शोषण में वेश्यावृत्ति कराना अथवा अन्य प्रकार का यौन-शोषण करना, बलपूर्वक श्रम सेवाएं लेना, गुलामी अथवा गुलामी की तरह के अन्य कार्य कराना अथवा शरीर के अंग काटना शामिल हैं।"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानवों के अवैध व्यापार, जो उक्त सभी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और जिससे कमजोर लोगों की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, की कुप्रथा की निंदा करता है। अवैध देह व्यापार से उत्पन्न पहली समस्या इसकी शिकार महिलाओं और लड़कियों में एच.आई.वी. एड्स फैल जाना है। शोध से पता चला है कि एच.आई.वी. एड्स तथा अवैध देह व्यापार और यौन क्रियाओं के कारण होने वाली बीमारियों का परस्पर संबंध होता है। इस वर्ग की और उनके पूरे परिवारों को इस तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है। इन बीमारियों के इलाज पर बहुत अधिक खर्च आता है और दवाएं भी आसानी से नहीं मिलती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पूरे परिवारों का जीवन प्रभावित होता है। इस महामारी के कारण अनाथ होने वाले बच्चों की बढ़ती हुई संख्या के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर रूप ले लेती है। समाज भी ऐसे बच्चों को हेय दृष्टि से देखता

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3222/2005।

है और अक्सर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में परिवार प्रणाली का भी ह्रास हो रहा है।

शोध से पता चला है कि अवैध देह व्यापार की यह समस्या नए-नए क्षेत्रों में फैल रही है और इससे प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। अवैध देह व्यापार की शिकार महिलाओं और बच्चों के न केवल स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो जाता है बल्कि उन्हें शिक्षा के अवसर भी नहीं मिलते और ऐसे लोग कष्टदायी जीवन व्यतीत करते हैं जो आत्मसम्मान और गरिमा रहित होता है।

अवैध देह व्यापार की मांग एवं आपूर्ति के अनेक कारण हैं। मांग के कारण हैं-बढ़ता हुआ पर्यटन और औद्योगीकरण, गांव से शहरों की ओर पलायन, संगठित आपराधिक नेटवर्क तथा व्यावसायिक यौन कर्मियों की बढ़ती मांग, सस्ते श्रम की मांग और पुरुष प्रधान मूल्य प्रणाली। आपूर्ति अथवा शोषण के मुख्य कारण हैं-सर्व प्रथम निर्धनता, परम्परागत पारिवारिक प्रणालियों और मूल्यों का ह्रास, महिला-पुरुष भेदभाव तथा निर्धनता का महिलाओं पर प्रभाव आदि।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है तथा मानवों का अवैध देह व्यापार और बलात् श्रम निषिद्ध है। भारतीय दण्ड संहिता में अवैध देह व्यापार के बारे में 25 उपबंध हैं और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के मुद्दे से ही संबंधित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं और बच्चों के अवैध देह व्यापार की रोकथाम पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और इस कार्य योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है।

विभाग ने हाल ही में अवैध देह व्यापार के शिकार बच्चों के बचाव-पूर्व, बचाव और बचावोपरांत एक प्रोटोकोट प्रकाशित किया है। विभाग इस कुप्रथा के बारे में समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के भी प्रयास कर रहा है और इस समस्या से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के बचाव एवं पुनर्वास के लिये अनेक स्कीमें चला रहा है, जैसे अल्पावास गृह, स्वाधार तथा अवैध देह व्यापार की रोकथाम के लिए प्रायोगिक परियोजना। यह विभाग महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये भी अनेक स्कीमें चला रहा है, जैसे किशोरी शक्ति योजना, स्वशक्ति, स्वयंसिद्धा, स्वावलम्बन तथा स्टेप। तथापि, अवैध व्यापार से छुड़ाये व्यक्तियों का पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा में उनकी वापसी बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि समाज आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप ऐसी महिलाओं और बच्चों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों और नागरिक समाज द्वारा समन्वित प्रयास किया जाना जरूरी है।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 'महिला अवैध व्यापार' विषय पर एक अति महत्वपूर्ण गंभीर व हृदयस्पर्शी चर्चा शुरू करने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि महिलाओं का अवैध व्यापार एक भूमंडलीय समस्या है। किन्तु मैं अपने विचार भारत की सीमा में रखूंगी।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वैंशन, 2000 के अनुसार देह व्यापार की परिभाषा स्पष्ट की। मैं पहले विदेशों की दो रिपोर्टों की मदद लेती हूं। संयुक्त राज्य ने अपनी ''व्यक्तियों का अवैध व्यापार'' नामक रिपोर्ट में सभी देशों को तीन विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारत को श्रेणी-2 निगरानी में रखा गया है। किंतु संयुक्त राष्ट्र ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में कहा है। ''भारत मानव अवैध व्यापार का प्रमुख केन्द्र है। प्रति वर्ष 20,000 महिलाएं देह व्यापार में धकेली जाती हैं।''

25 अक्तूबर 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 61 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं 18 वर्ष से कम आयु की हैं और पीड़ित महिलाओं में से 45 प्रतिशत 16 वर्ष से कम आयु की हैं। मानव अवैध व्यापार में शामिल लोग 1.5 करोड़ रु. प्रतिवर्ष कमाते हैं और इस प्रकार यह नशीली दवाओं और हथियारों के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है।

एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि नेपाल, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल से महिलाएं दिल्ली, मुंबई, बैंगलौर लाई जाती हैं। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा महिलाओं और बच्चों के व्यापार पर हाल ही के एक अध्ययन पढ़कर स्तब्ध रह गए। रिपोर्ट बताती है कि पीड़ित महिलाओं में से 39.6 प्रतिशत ने अपनी परिस्थितियों के लिए परिवार के सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया। यह स्तब्ध करने वाली बात है। अध्ययन यह सिद्ध करता है कि 41.35 प्रतिशत पीड़ितों ने अपना कौमार्य मुझे 7 से 15 वर्ष के बीच गवांया था।

मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। महिला और बाल विकास विभाग की कार्यवाही हेतु केन्द्रीय सलाहकार समिति रिपोर्ट, एक राष्ट्रीय योजना भी है अध्ययन किए गए हैं। मैं यह

[श्रीमती मिनाती सेन]

भी जानती हूं कि भारत सरकार ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं के अवैध देह व्यापार का निवारण और रोकथाम संबंधी दक्षेस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और उसकी पुष्टि की है।

महोदय, मैं सोचती हूं कि इसका कुल नतीजा क्या है? अवैध व्यापार करने वालों के हाथों से कितनी लड़कियों और बच्चों को बचाया जा सका है? 26 अप्रैल 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्री ने तारांकित प्रश्न सं. 426 के अपने उत्तर में सदन को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा "भारत में महिलाओं और बच्चों का देह व्यापार संबंधी एक कार्यवाही अनुसंधान" किया गया है। अब तक किए गए अध्ययन की मुख्य सिफारिशें यह हैं:

(एक) देह व्यापार का शिकार बनने के मुख्य कारण आर्थिक व लिंग भेद हैं जो महिलाओं की विकास प्रक्रिया तक पहुंच को सीमित करते हैं।

(दो) लिंग, महिला अधिकार और बाल अधिकार के विषयों के प्रति समुदाय और परिवार को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

(तीन) मानवाधिकारों के अनुकूल बचाव और बचावोत्तर क्रियाकलापों में देखभाल और ध्यान देने का न्यूनतम स्तर तय किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, क्या मैं सरकार से जान सकती हूं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में हम कितना सफल रहे हैं? पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को छोड़कर जहां पंचायत में 33 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, क्या महिलाओं की विकास प्रक्रिया में कोई भागीदारी है? क्या संसद और विधान सभा में महिला आरक्षण विधेयक की वर्तमान स्थिति एक ज्वलंत उदाहरण नहीं है कि महिलाओं की विकास प्रक्रिया तक पहुंच को सीमित करने वाले लिंग भेद को समाप्त करने के प्रति हम कितने गंभीर हैं?

श्री अर्जुन सेठी: उड़ीसा में भी पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है।

श्रीमती मिनाती सेन: महोदय, स्थानीय लोगों की गरीबी की हालत का फायदा उठाकर प्लेसमेंट एजेंसियों के तथाकथित दलाल खासकर महिलाओं और बच्चों को अधिक तनख्वाह के साथ आरामदेह जीवन का झांसा देकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, बंगलोर और इन जैसे महानगरों में ला रहे हैं। भर्ती किए गए लोगों में से अधिकतर को वस्तुत: वेश्यालय चलाने वालों को बेच दिया जाता है। शेष लोगों को घरेलू नौकर के रूप में काम करने को बाध्य किया जाता है इन गरीब बच्चों की प्रतिदिन 16-18 घंटे काम करना पड़ता है, अपने मालिकों द्वारा छोड़े गए खाने को खाते हैं, खुले में सोते हैं ताले में बंद रखा जाता है शारीरिक और यौन शोषण किया जाता है। महोदय, आश्चर्यजनक बात है कि सरकार का इन प्लेसमेंट एजेन्सियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नहीं जानता की ये गरीब लड़कियां कहां काम कर रही हैं और उनकी सेवा-शर्तें क्या हैं। कई मामलों में, यदि लड़की दासता से छुटकारा पा लेती है तो उसे की गयी सेवाओं के बदले में शायद ही मालिक से कोई पैसा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न क्या हैं?

श्रीमती मिनाती सेन: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि गत दस वर्षों के दौरान कितने देह व्यापार करने वालों को गिरफ्तार किया गया?

दूसरे, कितनी महिलाएं और लड़कियां अपने परिवारों के पास वापस गयी हैं? तीसरे, सरकार ने वेश्यालयों के अंधेरे कमरों में रह रही गरीब लड़कियों को पुन: जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है? चौथे, भारत में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

देह व्यापार के कारण ऐसी महिलाओं और लड़कियों के बीच एचआईवी/एड्स और अन्य स्वास्थ्य संकट फैलता है। महोदय, हमारे समाज में इस सामाजिक-आर्थिक समस्या से निपटने और उनका उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैंने कल घोषणा की थी कि जिन माननीय सदस्यों के नाम यहां नहीं है, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है क्योंकि यही नियम है। किन्तु मैं विषय के कारण और जो अनुरोध मुझे श्रीमती सुमित्रा महाजन से प्राप्त हुआ है उसके कारण अपवाद स्वरूप मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन को अपना प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय है मगर मैं केवल दो-तीन पाइंटेड प्रश्न की माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी।

यह मंत्रालय बहुत सालों से बहुत कुछ काम कर रहा है, लेकिन काम इस प्रकार का है कि एकदम इस पर कंट्रोल पाना कठिन है। महिला आयोग से भी इस संबंध में कुछ सुझाव आए थे और उसमें एक बात बहुत अच्छी थी कि छोटे गांवों के एक्जिट पाइंट्स या बड़े शहरों के एंट्री पाइंट्स, जैसे रेलवे स्टेशन और बस अड्डों आदि जगहों पर एंटी ट्रैफिकिंग मैसेजज की दृष्टि से

सोशल आर्गनाइजेशन्स की मदद लेते हुए कुछ काम किया जाए, जहां पर ऐसी लड़कियां लाई जाती हैं और फिर वे शहरों में फैल जाती हैं। इस संबंध में मंत्रालय की क्या सोच है?

दूसरा प्रश्न यह है कि विक्टिम रीहैबिलिटेशन बोर्ड की दृष्टि से क्या आप कुछ सोच रहे हैं? तीसरा प्रश्न जो इसी से जुड़ा हुआ है, वह यह है कि इम्मारल ट्रैफिकिंग एक्ट में जिन रेस्क्यू आफिसर्स की बात कही गई है, वे कितने सक्रिय हैं? आज तक इन रैस्क्यू आफिसर्स द्वारा ऐसी कितनी लड़कियां छुड़ाई गईं या रीहैबिलिटेशन की दृष्टि से उन्होंने इसके लिए कितने प्रयास किये?

महोदय, मुझे मालूम है कि प्रास्टीट्यूशन को हम किसी भी हालत में कतई भी रिकाग्नीशन नहीं दे सकते लेकिन यह हो रहा है। बांग्लादेश से छोटी-छोटी बच्चियां तक यहां लाई जाती हैं और समाज में इसका बहुत अलग तरह का प्रभाव होता है। गृह मंत्रालय को बार-बार यह निवेदन किया जाता है कि बार्डर पर चैकिंग की जाए और अब तो यह बार्डर फैन्सिंग भी की जा रही है। इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से बात करके यदि कोई विशिष्ट योजना बनाने के लिए सुझाव दिये हैं तो इसके संबंध में भी मंत्री जी बताएं।

महोदय, डोमैस्टिक वाइलैन्स बिल पर बात करते हुए भी मैंने कहा था कि छोटी-छोटी लड़कियां विशेषकर आदिवासी बहुल राज्यों से शहरों में काम करने के लिए भेजी जाती हैं। झारखंड में अभी-अभी एक प्रयास के तहत करीब 200 ऐसी लड़कियों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों से छुड़ाया गया और उनकी रीहैबिलिटेशन के लिए प्रयास किया गया। इस संबंध में क्या केन्द्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कुछ योजना बनाने की सोच रही है? यह काम इस छोटे से मंत्रालय से होने वाला नहीं है, इसलिए इस पर व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं। जब इस प्रकार की क्रिया में महिलाएं लिप्त रहती हैं तो यह भी सोशल आर्गनाइजेशन्स द्वारा देखने में आया है कि छोटे-छोटे बच्चे खटिया के नीचे सोये रहते हैं और उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चों की शिक्षा पर भी उसका प्रभाव होता है। उसके लिए भी कुछ सुझाव आए थे कि रात के समय छोटे बच्चों के लिए क्रैच तैयार की जाएं। उन बच्चों की शिक्षा और तरक्की के लिए क्या आपका मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कोई सर्वव्यापी योजना बना रहा है?

श्रीमती कान्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज ट्रैफिकिंग एक गंभीर समस्या बना हुआ है चाहे वह लड़कों में हो या लड़कियों में हो। यह काफी संवेदनशील मामला है। आये दिन हम समाचार-पत्रों में और दूसरी जगह देखते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है। उसकी रोकथाम के लिए मैंने पहले भी इस सदन में बताया था। माननीय सदस्य मिनाती सेन जी ने भ्रूण हत्या के बारे में कहा है। उसके लिए भी एक पीएनडीटी एक्ट बना है। यह कानून हर जगह पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक पहुंचे, इसके लिए प्रचार किया जाता है कि यह कानून क्या है। बालिका समृद्धि योजना के तहत हमने बहुत सारे गांवों में जहां दो बच्चियां पैदा होती हैं, उनके लिए 500 रुपये देने की योजना बनाई है ताकि भ्रूण हत्याओं से बचाव हो सके। समय-समय पर लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कीम में राशि देने का प्रावधान भी रखा गया है।

हम लोगों ने बालिका समृद्धि योजना को, चूंकि राज्य सरकार इस योजना को क्रियान्वित करती है, इसलिए राज्य सरकार को देने के लिए प्रयास जारी रखा है। इसके साथ ही इस संबंध में कितने केस दायर हुए हैं, कितनों का छुटकारा हुआ है, मैं माननीय सदस्य महोदया को इसकी डिटेल बाद में भिजवा दूंगी, क्योंकि यह होम डिपार्टमेंट से भी संबंधित है। कितनों को पकड़ा गया और कितनों को सजा दी गई, इसकी डिटेल भी भिजवा दूंगी।

आईटीपीए एक्ट में भी हम लोग काफी संशोधन करने जा रहे हैं। कैबिनेट से अप्रूवल लेने की बात है, इस संबंध में भी हमारे प्रयास जारी हैं। कैबिनेट से अप्रूवल आने के बाद सदन में भी डिस्कशन के लिए लाएंगे। जैसा कि महिलाओं के पुनर्वास के लिए हमने बताया कि बहुत-सी योजनाएं चल रही है। एक स्वधार स्कीम है, जिसके तहत परित्यक्ता महिलाएं और जो रेस्क्यू करके लाई जाती हैं, उन्हें रखा जाता है। फिर हमारा एक प्रोग्राम स्वशक्ति है, जिसके सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर उन महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष से भी धनराशि दिलाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा बैंकों से लिंक करके उन लोगों की आर्थिक सशक्तीकरण की व्यवस्था की गई है। स्वयंसिद्धा स्कीम के तहत स्वावलंबी बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। और भी बहुत-से कार्यक्रम हैं।

माननीय पूर्व मंत्री महोदया जानती हैं, वह इस विभाग का दायित्व संभाल रही थीं, वह जानती हैं कि इसमें एक विभाग का नहीं, बल्कि बहुत-से विभागों को जोड़ कर जैसे स्वास्थ्य विभाग, होम डिपार्टमेंट आदि हैं, इन सारे विभागों का समन्वय करके इस विभाग को चलाया जाता है, इसलिए हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर विभाग का समन्वय लेकर हम चलें।

माननीय सदस्या ने रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में कहा है। इस तरह की व्यवस्था हमने अभी तक नहीं की है, लेकिन रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से हम उसका प्रचार-प्रसार कराने का काम करते हैं। इसके लिए हमें स्वयंसेवी संगठनों का और समाज का सहयोग चाहिए। हमें समाज की सोच

[श्रीमती कांति सिंह]

में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम इस उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। यह बात सही है कि इसके पीछे आर्थिक मजबूरी सबसे बड़ा कारण है। गरीबी के कारण ही आज इस पेशे में या जबरदस्ती भी लोग लाए जाते हैं। ट्रैफीकिंग में लोग न चाहते हुए भी फंस जाते हैं और उससे छुटकारा कैसे दिलाया जाए, इसके लिए बहुत-सी योजनाएं चल रही हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि राज्यों से तालमेल रखा जाए।

कुछ काम हम एनजीओज के द्वारा कराते हैं और राज्यों से कहते हैं कि आपकी एनजीओज जो इस काम को करना चाहती हैं, उनको यह काम दिया जाए। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम राज्यों को योजनाएं देते हैं। हम अलग से कोई योजना नहीं देते हैं, क्योंकि मानिटरिंग नहीं हो पाती है और पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हमारी पूरी कोशिश है कि आईटीपीए बिल लाकर हम जो संशोधन करेंगे, निश्चित तौर पर उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते है। अगर कोई और विशेष बात है तो हम बैठकर, मीटिंग बुलाएंगे, महिलाओं के साथ कुछ पुरुषों को भी बुलाएंगे क्योंकि दोनों के सामंजस्य से ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं केवल महिलाओं की बात नहीं कही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रही हैं। इस पुरुष प्रधान विश्व में महिलाओं के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। पुरुषों की मानसिकता बदलने की भी जरूरत है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: हम पुरुषों के सहयोग की भी कामना करते हैं। साथ-ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री जी स्वयं डीजी के साथ मीटिंग करते हैं या हमारे मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं। ट्रैफीकिंग की कैसे रोकथाम की जाए, इस बारे में उनका ज्यादा ध्यान रहता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरी समझ से यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं प्रसन्न हूं कि यह मुद्दा उठाया गया है। मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इस बात से सहमत है कि यह एक गंभीर संकट व परिस्थिति है। हम सभी में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश का नाम बदनाम न हो और महिलाएं सुरक्षित हो सकें जैसा कि उनका हक है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय भी है।

अध्यक्ष महोदय: किस बारे में है?

श्री रवि प्रकाश वर्मा: इसी बारे में है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है क्योंकि आपका नाम सूची में नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को स्वीकार करें।

अब हम विशेष उल्लेखों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने देश के अत्यन्त पिछड़े जिलों, जो नक्सलवाद के कारण या आतंकवाद के कारण पिछड़े हैं अथवा भौगोलिक दृष्टि से बड़े हैं, उनमें राष्ट्रीय सम-विकास योजना तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ की थी। उस योजना के प्रथम चरण के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन उन जिलों का आज तक पूरा और समग्र विकास नहीं हो सका है। आज भी वे जिले नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। वहां रोजाना इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं। वहां अभी तक आवागमन के मार्ग पूरे नहीं बने हैं जिसके काण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियां अथवा जो लोग वनांचल में रहते हैं, वे आज तक देश के विकास की अधोसंरचना के समकक्ष नहीं आ सके हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि राष्ट्रीय सम-विकास योजना को और तीन साल के लिए उन जिलों में एक्सटेंड किया जाए, जिन्हें प्रथम चरण में लिया गया था।

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 का मूल उद्देश्य देश के सामान्य लोगों में उत्तम स्वास्थ्य का मानदंड हासिल करना है। इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो सच्चाई केवल कागज के पन्नों पर ही है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में मलेरिया से 943 मौतें हुईं और करीब 16.50 लाख मलेरिया के मरीज सिर्फ झारखंड में पाए गए। कालाजार के मरीज 3000 और मौतें 5 हुईं। इसी प्रकार क्षय रोग से देश में हर वर्ष 4.25 लाख

लोगों की मौत हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे राज्य जो आदिवासी एवं दलित बहुल राज्य हैं, जैसे-झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा आदि में मलेरिया का प्रकोप भीषण है। उड़ीसा में वर्ष 2000 में 5 लाख से ज्यादा मरीज, झारखंड में करीब 1.50 लाख मरीज और छत्तीसगढ़ में करीब 3.60 लाख मरीज थे।

महोदय, हम लोगों ने झारखंड में अपने क्षेत्र में एन.जी.ओ. द्वारा सर्वेक्षण कराया, तो हमें पता लगा कि वहां 43 प्रतिशत फैलसी-फीरम, जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, उसके मरीज मिले थे। इस संख्या में अगर कालाजार और ट्यूबरकुलोसिस को शामिल कर लिया जाए, तो झारखंड के सुदूर जिलों में 92 प्रतिशत लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसीलिए वहां मृत्यु दर भी काफी बढ़ी हुई है।

महोदय, चूंकि झारखंड प्रदेश में अभी मलेरिया निदेशालय का गठन नहीं हुआ है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कालाजार, यक्ष्मा और फलेरिया जैसे रोगों को रोकने के लिए एक टीम भेजें और झारखंड सहित अन्य गरीब एवं दलित बहुल इलाकों में इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रभावित कदम उठाते हुए, झारखंड में मलेरिया निदेशालय को गठित करने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): हाल ही में मांट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रीनहाउस उत्सर्जन के मामले में निवारक कदम उठाने का था। हम सभी को पता है कि वातावरणीय प्रदूषण फैलाने में अमरीका का विश्व में प्रथम स्थान है तथा यह भावी पीढ़ी के लिए संकट है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि विश्व के देशों द्वारा राजी करने की कोशिशों के बावजूद अमरीका ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कम से कम 10 प्रतिशत कटौती करने पर भी सहमत नहीं हुआ।

हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हाल ही में तमिलनाडु में बाढ़ आयी थी। यहां तक कि दिल्ली में जलवायु बदल रही है।

ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर की वजह से लोगों की मौते हुई हैं। यह बात गौर करने योग्य है कि पूरे विश्व में भूकंप की अनेक घटनाएं हो रही हैं। पूरे विश्व में महासागरों का तापमान 2 प्रतिशत बढ़ रहा हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो भावी पीढ़ी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार इन मामलों में सकारात्मक रुख अपनाएं और ग्रीनहाउस उत्सर्जन कम करने हेतु अमरीका पर दबाव डालें। परन्तु वे कहते हैं कि वे प्रगति करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा करने से अमरीका का औद्योगिक विकास प्रतिकूलतः प्रभावित होगा। परन्तु हम ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत सहित सभी राष्ट्रों को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए ताकि ग्रीनहाउस उत्सर्जन की वजह से हो रहे जलवायु संबंधी परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं न हों। मुझे पता नहीं है कि क्या भारत सरकार ने मांट्रियल में लिए गए इस निर्णय को गम्भीरता से लिया है अथवा नहीं। यदि नहीं लिया है तो मैं केन्द्र सरकार से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि तमिलनाडु में आने वाली इस प्रकार की बाढ़ तथा भारत में हो रहे जलवायु संबंधी अन्य परिवर्तनों को रोका जा सके। यह मानव जाति और पूरे विश्व के लिए एक भावी संकट है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, हमने जो विषय उठाया है, यह अत्यंत गंभीर है। दिल्ली में हजारों लीटर अडल्ट्रेटेड, मतलब आर्टीफिशल दूध, इस तरह के केमिकल्स उसमें मिलाते हैं, जो इतने हानिकारक हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, चाहे एडल्ट हों या ओल्ड हों, सब उससे प्रभावित होते हैं। यह धंधा पिछले कई सालों से चल रहा है। ये उसमें फैट, एसिड एवं सोडा आदि कई तरह के केमिकल्स मिला देते हैं, जिसे पीने से स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान होता है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एवं कई प्रदेशों से इस तरह का दूध आ रहा है। यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और लाखों लीटर दूध आ रहा है। इसके दो कारण हैं कि उसमें जो पनीशमेंट है, वह मात्र छः महीने की जेल की सजा या एक हजार रुपए जुर्माना है। इस तरह से यह धंधा कभी बंद होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो ऐसे हानिकारक तत्व उसमें मिलाते हैं, उन पर कार्यवाही करें और जो लोग पकड़े जाएं, उन्हें कम से कम दस साल की सजा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं आशा करता हूं कि सरकार ने इस गम्भीर मामले पर ध्यान दिया होगा। कृपया यह सुनिश्चित करें कि संबंधित मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देने का प्रयास करें।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): जी हां।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, मैं आपको यह मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करती हूं। महोदय, केरल का काजू उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा देश द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उद्योग प्रमुखत: केरल के तीन जिलों क्विलोन, अलाप्पुझा और तिरूवनंतपुरम में स्थित है। काजू के प्रसंस्करण में तीन लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। कुल श्रमिकों में से लगभग 98 प्रतिशत महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों से आती हैं।

राज्य में काजू का वर्तमान उत्पादन मात्र एक लाख टन है। जबकि इसकी मांग करीब पांच लाख टन है। मांग के इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। जब तक काजू की मात्रात्मक मांग के अनुरूप इसका स्वदेशी उत्पादन नहीं किया जाता तब तक निर्धन श्रमिकों को वर्ष में 200 कार्यदिवस का रोजगार मुहैय्या कराने हेतु काजू का आयात करना जारी रखना पड़ेगा। परन्तु अत्यंत वित्तीय अभाव की वजह से इस उद्योग के भविष्य को गम्भीर खतरा है। इसलिए वर्तमान संकट से उबारने के लिए, केन्द्र को अतिशीघ्र 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

केन्द्र को केरल में एक काजू विकास बोई की स्थापना करने हेतु अतिशीघ्र उपाय करना चाहिए जो काजू उत्पादन तथा राज्य में इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा।

अध्यक्ष महोदय: आपकी हिन्दी के बारे में क्या है?

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नये राज्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य को बने पांच वर्ष हुए हैं। अमीर धरती पर गरीब लोग इसलिए रहते हैं कि जब तक हम मध्य प्रदेश में शामिल थे, तब तक हमारे राज्य का भरपूर शोषण हुआ, पर नये राज्य के गठन के बाद भी उस शोषण में कमी नहीं आई। आज छत्तीसगढ़ में हमारे जो स्पंज आयरन के संयंत्र हैं, वे बन्द होने की कगार पर आ गये हैं। दिनांक 20.12.2005 से अनिश्चित काल के लिए वे संयंत्र बन्द हो रहे हैं।

इसके दो कारण हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे सैण्ट्रल पूल से जो 298 मैगावाट बिजली मिलती थी, हमारी वह बिजली बन्द कर दी गई, इससे हमारे संयंत्र प्रभावित हो रहे हैं। एन.एम.डी.सी. जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित है, वहां से जापान को कम दरों पर आयरन ओर उपलब्ध कराया जा रहा है और वहीं हमें महंगी दर पर आयरन ओर उपलब्ध हो रहा है और उचित मात्रा में भी नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ दो हजार टन आयरन ओर उपलब्ध हो रहा है। सिर्फ 52 वर्षों के लिए आयरन ओर छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है। अगर जापान को इसी तरह से कम दरों पर आयरन ओर सप्लाई हुआ तो अमीर धरती के गरीब लोग हमेशा के लिए गरीब हो जाएंगे।

मैं आपके माध्यम से यू.पी.ए. सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं करें। हमारी बिजली हमें मिले, हमारा कोयला जो छत्तीसगढ़ में ही सर्वाधिक उपलब्ध है, वह कोयले की मात्रा भी हमें भरपूर मिले और एन.एम.डी.सी. द्वारा जो आयरन ओर जापान को निर्यात कराया जा रहा है और जापान जो उससे इस्पात को बनाकर समुद्र में डम्प कर रहा है, आने वाले समय में वही हमें फिर से सप्लाई करेगा। इस तरह हमारी सम्पदा का दुरुपयोग न किया जाये और छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव को रोका जाये।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि जब कभी किसी राज्य द्वारा किसी अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया जाता है तो पड़ोसी राज्यों की सहमति अनिवार्य रूप से अपेक्षित होती है। परन्तु अब इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए अत्यधिक दु:ख होता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनसे अन्य राज्य के हितों को नुकसान पहुंचेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने इसके लिए कहा है, इसीलिए मैंने अनुमति दी है। परन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है?

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, व्यवस्था यह है कि जब कभी किसी सरकार विशेष द्वारा कोई अन्तर्राज्यीय परियोजना को शुरू किया जाता है, तो उस राज्य विशेष को पड़ोसी राज्यों से सहमति लेनी होती है। हाल में, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने पोलवरम परियोजना आरंभ की है। उन्होंने बंसधारा परियोजना को क्रियान्वित किया है जिससे उड़ीसा राज्य का एक बड़ा क्षेत्र, विशेषकर उड़ीसा के कोरापुट और मल्कानगिरि जिले, जहां जनजातीय लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जलप्लावित हो जाएंगे। मुझे इस परियोजना विशेष को शुरू करने पर आपत्ति नहीं है। परन्तु उन्होंने पड़ोसी राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से भी उनकी सहमति

नहीं प्राप्त की है। हमारे मुख्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है परन्तु अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें केन्द्र सरकार क्या कर सकती है?

श्री अर्जुन सेठी: मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि कृपया आप माननीय जल संसाधन मंत्री को यह निदेश दें कि उन्हें इस विषय विशेष पर वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि यह हमारे उड़ीसा राज्य से सम्बंधित है। पहले भी, जब हमारे विद्वान मित्र, श्री प्रिय रंजन दासमुंशी जल संसाधन मंत्री थे, हम उनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ मिले थे। परन्तु कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन दोनों राज्यों के संसद सदस्यों की बैठक होगी परन्तु कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित मंत्री को सभा में वक्तव्य देने का निदेश दें संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न हो। पड़ोसी राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी परियोजना विशेष को शुरू करने से पहले पड़ोसी राज्यों की सहमति ली जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक दूसरे पर आक्षेप न लगाएं। यदि किसी राज्य का कोई माननीय सदस्य पीड़ित हैं, तो हमें इस मामले का समुचित समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करने चाहिए। यदि केन्द्र सरकार की इसमें कोई भूमिका हो सकती है, तो मुझे विश्वास है कि वह इस पर गौर करेगी। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह एक आदर्श सदस्य हैं। मैं उन्हें हमेशा अवसर देता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में खरीफ फसल में देर से आई वर्षा के कारण ज्यादातर गांवों में हुई खराबी को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 जिलों के 15,878 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इसके अलावा कई जगह गिरदावरी की रिपोर्ट भी गलत दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां दुबारा गिरदावरी कराई जाए। प्रदेश में 6,877 गांव ऐसे हैं जहां 75 से 100 फीसदी तक फसल नष्ट हो गई है, बाकी 8,901 गांवों में 50 से 74 फीसदी खराबी हुई है। सबसे ज्यादा खराबी जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, डुंगुरपुर और जैसलमेर क्षेत्रों में हुई है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि अकाल राहत कार्यों के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, पीने का पानी और पशुओं के चारे आदि के लिए 2,323 करोड़ रुपये की सहायता राज्य सरकार को दी जाए। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी के कगार पर हैं, उनके लिए भी केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानीय सभा का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा विभाग को आंशिक रूप से कोलकाता से मुम्बई और दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अनुचित, गैर बुद्धिमतापूर्ण और गैर जरूरी है। पहले, भारतीय स्टेट बैंक का नाम इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। इसके बाद, इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया और इसका मुख्यालय मुम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग कोलकाता में कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है और आज की तारीख तक विदेशी मुद्रा विभाग कोलकता से अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर रहा है।

पूर्व में, राजग सरकार ने इस विदेशी मुद्रा विभाग को मुम्बई स्थनांतरित करने का निर्णय लिया था। परन्तु आपके और अन्य संसद सदस्यों तथा कर्मचारी संघों के हस्तक्षेप से इसे रोक दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं पूर्णत: शक्तिविहीन हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती: मैं जानता हूं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

महोदय, कर्मचारी संघों के हस्तक्षेप के कारण पूर्व सरकार द्वारा उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया था। दुखद स्थिति यह है कि संप्रग सरकार के शासन के दौरान एस बी आई अधिकारियों ने इस विदेशी मुद्रा विभाग को अन्य स्थानों पर आंशिक रूप से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, माननीय वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं. ...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, विदेशी मुद्रा विभाग कोलकाता में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। मैं आपके माध्यम से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने और पहले जैसी स्थिति को फिर से बहाल करने की मांग करता हूं ताकि विदेशी मुद्रा विभाग कोलकाता से ही कार्य कर सके। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। मैंने माननीय वित्त मंत्री को इसे ध्यान से सुनते हुए देखा है।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मैं माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु: महोदय, हम उनकी प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उनकी तत्काल प्रतिक्रिया को नहीं जानना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जवाब देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे सुन लिया है। वह बहुत ध्यान से सुन रहे थे।

श्री अनिल बसु: महोदय, वह इसका जवाब दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु: महोदय, कोलकाता में उनके द्वारा भाषण देने से दो दिन पहले जिसमें उन्होंने इसकी यह कहते हुए काफी प्रशंसा की थी कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनिल बसु: महोदय, वह अपना सिर हिला रहें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सहमति है या असहमति। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उनको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। फिर सभी माननीय सदस्य तत्काल जवाब चाहेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब चौधरी लाल सिंह बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जम्मू कश्मीर के एक चैनल ...*(व्यवधान)* आप हमारी बात भी सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सदन को बताना चाहता हूं कि रियासत जम्मू-कश्मीर के लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक चैनल 'कश्मीर' के नाम से शुरू किया था जिसका मकसद जम्मू-कश्मीर का कल्चर लोगों को दिखाना, पाकिस्तान से जो मिसलीडिंग न्यूज और प्रोवोकेशन टी.वी. में चलती हैं, उनको रोकना तथा टूरिज्म आदि को उभारना था। इस चैनल के लिए करोड़ों रुपये गवर्नमैंट आफ इंडिया ने भेजे थे। मुझे इस बात का इंतहाई दुख है कि रियासत जम्मू-कश्मीर का प्रोड्यूसर जो दो डिकेड से टरमोयल में था, उसका रोजगार खत्म हो चुका था, उस प्रोड्यूसर को यह काम करना था लेकिन नया काम किया गया। क्या हमारे जम्मू-कश्मीर का कल्चर बाहर का आदमी यानी महाराष्ट्र का प्रोड्यूसर दिखायेगा? क्या इसी तरह डोगरा कल्चर पूणे का प्रोड्यूसर दिखायेगा? वहां बाहर का प्रोड्यूसर लाने की साजिश है। मैं कहना चाहता हूं कि बाहर का प्रोड्यूसर लाकर जम्मू-कश्मीर के साथ, उसके कल्चर के साथ, उस प्रोड्यूसर के साथ नाइंसाफी है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि वहां जितना पैसा गवर्नमैंट आफ इंडिया ने भेजा है, उसे वहां के प्रोड्यूसरों को कार्यक्रम बनाने के लिए दिया जाये ताकि वे वहां काम करें और

रियासत जम्मू-कश्मीर की जो असली तस्वीर है, उसे लोगों को दिखाएं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय: वह भी है, नैशनल इंटीग्रेशन भी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अन्य मामलों को दिन के अंत में उठाया जाएगा।

अपराह्न 12.51 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

संविधान (एक सौ चार वां संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन को स्थगित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 11 माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने संविधान (एक सौ चार वां संशोधन) विधेयक, 2005 के पुर:स्थापन के संबंध में अनुरोध किया है। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अब सभा अगली मद को लेगी।

अपराह्न 12.52 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए। अगले सप्ताह से मैं उन्हें पढ़ें जाने की अनुमति दूंगा।

(एक) वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तीन विधान सभा क्षेत्रों क्रमश: कोलयला, गंगापुर एवं कैंट विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के किसानों की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिंचाई के साधनों के अभाव के चलते खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण अभी तक खेतों में बुवाई नहीं हो पायी है। ट्यूब वैल की संख्या सीमित होने के साथ-साथ किसानों को बिजली बराबर नहीं मिल रही है, जिस कारण ज्यादातर ट्यूब वैल काम नहीं कर रहे हैं। कम ट्यूब वैल और बिजली की पूर्ति बराबर न होने के कारण इस क्षेत्र का किसान बुरी तरह प्रभावित है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उक्त तीनों विधान सभा क्षेत्रों में नये ट्यूब वैल लगाने की व्यवस्था की जाये तथा इसके साथ ही साथ किसानों को बराबर बिजली की आपूर्ति की जाये ताकि वे समय पर अपनी फसल को बो सके।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित धन उपलब्ध करायें।

(दो) एडुसैट पायलट परियोजना के विस्तार तथा सी टी ई गुलबर्गा का आई ए एस ई के रूप में उन्नयन करने के बारे में कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुलबर्गा से संबंधित दो प्रस्ताव भेजे हैं:

(1) एस.एस.ए. के अन्तर्गत गुलबर्गा जिले में प्राथमिक विद्यालय में एडुसेट पायलट प्रोजेक्ट का विस्तारण; और

(2) सीटीई, गुलबर्गा का कर्नाटक राज्य में आई.ए.एस.ई. के रूप में उन्नयन।

कर्नाटक सरकार ने गुलबर्गा जिले में 2477 सरकारी और सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के बारे में एडुसेट परियोजना के अन्तर्गत 2234 लाख रुपये की लागत की एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है।

सी टी ई गुलबर्गा का आई.ए.एस.ई. के रूप में उन्नयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा है और राज्य सरकार ने मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण भेज दिए हैं।

उक्त तथ्यों के मद्देनजर, मैं माननीय मंत्री जी से कर्नाटक सरकार के उक्त दो प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(तीन) एंग्लो-इंडियन समुदाय की समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): महोदय, राष्ट्रीय आवार्ड अल्पसंख्यक आयोग की 42वीं रिपोर्ट में आंग्ल-भारतीय समुदाय-संविधान में परिभाषित भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता और समस्याओं को सम्मलित नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों की रिपोर्टों में इस समुदाय को निम्नलिखित चिंताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है:-

1. कतिपय राज्य अभ्यावेदनों के उत्तर राज्यों की राजभाषा में ही देते हैं जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को भारी असुविधा होती है।
2. राज्यों द्वारा स्थापित और प्रशासनित विद्यालय अल्पसंख्यकों की भाषा में पाठ्येत्तर गतिविधियों को नहीं दिया जाता है।
3. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषा संबंधी अधिमान्यता का पंजीकरण नहीं होता है।
4. आंग्ल-भारतीय समुदाय की चिंताओं की जांच और समाधान हेतु कोई भी अधिसूचित तंत्र नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप, आंग्ल-भारतीय समुदाय राज्यों में भारी असुविधा का सामना कर रहा है।

मैं सरकार से इस मामले की जांच करने के लिए अनुरोध करता हूं।

(चार) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने तथा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सी.सी.आई. के खरीद केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, देश में कपास की फसल बहुत अच्छी हुई है और मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली एवं सौराष्ट्र में अधिकतर किसान के परिवार कपास की खेती पर ही निर्भर हैं। अच्छी फसल होने के बाद पन्द्रह दिनों से फसल बाजार में ज्यादा मात्रा में आनी शुरू हो गयी है। कपास फसल बाजार में ज्यादा आने से कपास का मूल्य 1800 रुपये प्रति क्विंटल का भाव हो गया है जबकि इसकी लागत 2200 रुपये प्रति क्विंटल आती है। लागत से कम मूल्य मिलने पर किसान परेशान है। ऐसी स्थिति में वह कर्ज में डूब जायेगा और देश में कपास बोने वाला किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। अत: देश में कपास का समर्थन मूल्य कम से कम 2250 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के राजूला, साबरकुडला, बाबरा एवं अमरेली में काटन कारपोरेशन आफ इंडिया के क्रय केन्द्र भी खोले जाने चाहिए, जिससे किसान लोग अपनी कपास फसल को आसानी से बेच सकें।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कपास का समर्थन मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की जाये और सीसीआई के क्रय केन्द्र मेरे संसदीय क्षेत्र के अमरेली, राजूला, साबरकुडला, बाबरा एवं बगसरा में खोले जाये एवं कपास का आयात पूरी तरह से बंद किया जाये।

(पांच) मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुयी है। यहां पर उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जो पीने का पानी वितरित किया जाता है, वह एकदम खारा है एवं पीने योग्य नहीं है।

मथुरा एक पर्यटक स्थल है, यहां पर गोवर्द्धन पर्वत व अन्य स्थलों की परिक्रमा करने हेतु रोज अनेक पर्यटक आते हैं, परन्तु परिक्रमा स्थल पर भी कहीं पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह समस्या अत्यंत विकराल है। यहां पर ग्रामवासी कई कि.मी. दूर से पीने का पानी लाते हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम मथुरा को पीने का साफ पानी पिलाने में पूरी तरह से असफल रहा है, उसकी वित्तीय हालत अत्यंत खराब है, वह वित्तीय संकट से जूझ रहा है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए, यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था अतिशीघ्र करने की कृपा करें एवं उत्तर प्रदेश सरकार को इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

(छह) नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए 'नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996' के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाडा): भारत एक प्रबल वैश्विक अर्थव्यवस्था बन रहा है और सेवा प्रदाता अर्थव्यवस्था के

रूप में अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बनता जा रहा है। प्रगतिशील राष्ट्र के लिए यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि एक सभ्य राष्ट्र का सच्चा पैमाना यही है कि यह वंचित नागरिकों, विशेषत: जो शोषित एवं विशेष प्रकार की आवश्यकताओं वाले व्यक्ति जिन्हें हम नि:शक्त अथवा विकलांग कहते हैं, के लिए कैसे उपाय करता है। आज भारत में 70 मिलियन नि:शक्त व्यक्ति हैं।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996 में सार्वजनिक भवनों और परिवहन प्रणाली में भेदभाव न करने का प्रावधान है। असली प्रश्न यह है, क्या हम राष्ट्र के रूप में इन विशेष व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए अपनी योजना प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार कर चुके हैं अथवा करने जा रहे है। इसका उत्तर स्पष्ट है और यह महत्वपूर्ण है कि उदीयमान भारत इन आवश्यकताओं पर विचार करे।

प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकविद स्टीफन हांर्किज की 2001 की भारत यात्रा के बाद ही हमने भारत में ऐतिहासिक स्मारकों पर ब्हीलचेयर रैम्प की व्यवस्था करने के बारे में सोचना आरम्भ किया।

विकसित राष्ट्र जापान और विकासशील अर्थव्यवस्था चीन के हाल ही के दौरों पर मुझे सार्वजनिक मार्गों के किनारे, सरकारी भवनों में और मेट्रो में लेनों में विशेष पैदल पथ जिससे कि दृष्टिहीन व्यक्ति बिना किसी सहायता के चल सकें, देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। मेरे विचार में हमें राष्ट्र के रूप में नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में भारतीय कानूनों को तत्परता से लागू करने के लिए कार्य करना होगा जिसके लिए कार्यस्थलों एवं विद्यालयों में बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना तथा नि:शक्त व्यक्तियों हेतु अवर श्रेणी स्तर की सरकारी सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(सात) आंध्र प्रदेश में ओंगोले और दोनाकोंडा के बीच नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोले): मैं इस सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश में दक्षिण मध्य रेलवे में ओंगोले-दोनाकोंडा के बीच नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। ओंगोले उपनगर अत्यधिक पिछड़े प्रकासम जिले में स्थित है जहां इस जिले के सभी स्थानों तक पहुंचने की कोई संचार प्रणाली नहीं है। यह प्रकासम जिले की पूर्व तटीय सीमा है। दोनाकोंडा रेलवे स्टेशन घने जंगलों के बीच प्रकासम जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में शुष्क एवं उद्यानी फसलें अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं और कृषकों को समुचित परिवहन सुविधा के अभाव में अपने उत्पादों को विपणन केन्द्रों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में चीमाकुर्ती नामक स्थान पर हाल ही में दुर्लभ खनिज भण्डार, गैलेक्सी ग्रेनाइट पत्थर के खनन के बाद इसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता प्रदान होने लगी है और इस खनिज का प्रचुर मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। यहां समुचित परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण, इस लिए इस खनिज और कृषि उत्पादों की आवाजाही बहुत महंगी पड़ रही है।

मैं सरकार से बिना किसी विलम्ब के आंध्र प्रदेश के ओंगोले और दोनाकोंडा के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) गांवों में स्थायी अवसंरचना प्रदान करने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने 12वें वित्त आयोग में जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों में राशि आबंटित करने का प्रावधान रखा है, उससे उस ग्राम में विकास होना असंभव है और उस राशि से गांव में स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण भी असंभव है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जो राशि दी जायेगी वह 15000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक ही आबंटित होगी, जिससे उस ग्राम में कोई स्थायी विकास नहीं हो पायेगा। केन्द्र सरकार दिशा निर्देश में संशोधन कर 11वें वित्त योजना की तरह राशि का वितरण करे तथा 5 वर्ष की योजना बनाकर प्रत्येक पंचायत को शामिल कर 15 प्रतिशत अंशदान को शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की सूची बनायी जाये ताकि ग्राम पंचायत में स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे सामुदायिक भवन, स्वराज भवन, नालियां इत्यादि ग्रामीण विकास के कार्य हो सकें।

(नौ) बरेली, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच डिपो/स्क्रैप डिपो स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, बरेली शहर का रेल की दृष्टि से प्रमुख स्थान है। पूर्वोत्तर रेल के मंडल कार्यालय सहित यहां पूर्वोत्तर रेल का डिब्बा सुधार व क्रेन निर्माण का कारखाना है। पूर्व में कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु बरेली सर्वाधिक उपयुक्त स्थान माना गया था। रेल विभाग की भूमि व अन्य बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए बरेली में एक मुख्य

[श्री संतोष गंगवार]

कारखाना कोच डिबो/बड़ा स्क्रैप डिपो की स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश करें।

(दस) मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले सेवर घाट पर चम्बल नदी के ऊपर एक पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को जोड़ने हेतु चम्बल नदी के सेवर घाट पर पुल का कार्य शुरू किया गया था। उक्त पुल का निर्माण 50 प्रतिशत किया जा चुका है तथा मेरे संसदीय क्षेत्र मुरैना की तरफ अधूरा छोड़ दिया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इस तथ्य की जांच कराये की उक्त पुल को स्वीकृति होने के बाद काम को अधूरा क्यों छोड़ा गया क्योंकि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। अभी हाल में उक्त पुल के पास चम्बल नदी में नाव डूबने से 13 व्यक्तियों की जान भी गयी।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार इसकी जांच कराये कि उक्त पुल के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूरा कराया जाये।

(ग्यारह) गोदिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली माझी, मझवार जनजाति की तत्सम पर्यायवाची उपजातियां, भोई, कहार, केवट, मल्लाह, धीवर, निषाद को अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 15.01.03 तथा 17.02.04 को इस संबंध में अनुशंसा पत्र भारत सरकार को दिया जा चुका है। लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक इस संदर्भ में कोई उचित कार्यवाही नहीं हुयी है। गौडिया समाज को ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि गौडिया समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित कनरे हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(बारह) ग्वालियर-जयपुर इंटर सिटी एक्सप्रेस को राजस्थान में अजमेर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, अजमेर राजस्थान की हृदयस्थली है। यह नगर इतिहास, पर्यटन, शिक्षा एवं धर्म की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण यह नगर ब्रिटिशकाल में भी सीधा अंग्रेजी शासन के अधीन था और आजादी के बाद भी 1956 तक सी श्रेणी का केन्द्रशासित प्रदेश था। यहां पर सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह विद्यमान है जहां देश विदेश के लाखों व्यक्ति जियारत करने आते हैं। अजमेर के पास में ही पुष्कर नामक सुप्रसिद्ध हिन्दुओं का तीर्थ तथा पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र है, जहां भी हर साल लाखों व्यक्ति धार्मिक पुण्य अर्जित करने हेतु आते हैं। अजमेर रेलवे एवं सी.आर.पी.एफ. की दृष्टि से भी विशिष्ट महत्व रखता है।

पहले जब मीटर गेज प्रणाली थी, तक एक गाड़ी आगरा फोर्ट से वाया जयपुर-अजमेर-अहमदाबाद चलती थी, तो अत्यधिक लोकप्रिय थी तथा रास्ते की जनता के लिए भी अत्यंत उपयोगी थी। कई सालों के अंतराल के पश्चात अब आमान परिवर्तन हुआ तो ब्राडगेज पर आगरा फोर्ट-जयपुर इंटर सिटी का शुभारंभ हुआ। अब जनता की अत्यधिक मांग पर अब इस गाड़ी को ग्वालियर तक बढ़ाया गया है। जिस प्रकार से जनहित को दृष्टिगत रखकर आगरा-जयपुर को ग्वालियर तक बढ़ाया गया है उसी प्रकार अजमेर की महत्ता को देखते हुए तथा जनता जर्नादन की भारी मांग को दृष्टिगत रखते हुए इस गाड़ी को अजमेर तक अवश्य बढ़ाया जाये। अजमेर तक लाने में यह गाड़ी सब प्रकार से लाभप्रद रहेगी।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर की महत्ता को देखते हुए ग्वालियर-जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को अजमेर तक बढ़ाया जाये।

(तेरह) पश्चिम बंगाल में कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्ग परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): अर्थव्यवस्था का विकास सड़क, जलमार्ग और हवाई कनेक्टीविटी के सुधार पर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल इन सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन के औद्योगिकीकरण को संभाव्यता का कनेक्टीविटी की कमी के कारण दोहन नहीं किया जा रहा है।

अत:, मैं माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे यथाशीघ्र निम्नलिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कदम उठाएं:-

1. कुकाराहाटी राजमार्ग के बीच हुगली नदी पर पुल के निर्माण सहित एनएच-41 का एनएच-117 तक विस्तार।

2. नन्दाकुमार पर एन एच-41 से दीघा तक के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल वाले सड़क खंड की राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा।

3. वर्धमान, आरामबाग, घाटल, दासपुर और मेचोग्राम, पंसकुरा से होते हुए राधामणि में मोरग्राम से एनएच-41 तक के सड़क खंड की राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा।

4. ग्योंखाली में महामणि, महानन्दा, डेल्टा, रूपनारायण नदी के साथ-साथ पूर्वी तट नहर की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा।

5. आई टी डब्ल्यू और व्यापार सम्बंधी भारत बांग्लादेशी प्रोटोकाल के अंतर्गत आशुगंज को पोर्ट आफ काल के रूप में शामिल करना।

6. हल्दिया में अंतर्दशीय जलमार्ग टर्मिनल की स्थापना।

7. हल्दिया से इलाहाबाद तक नौवहन चैनल का तलकर्षण।

8. हुगली नदी की हल्दिया और रूपनारायण नदियों के मुहानों की गाद निकालना।

9. हल्दिया और दीघा के बीच कार्गो और यात्रियों के लिए डीप वाटर पोर्ट।

10. हल्दिया में कार्गो और यात्री विमानपत्तन।

(चौदह) असंगठित क्षेत्रों में कर्मकारों के लाभ के लिए एक व्यापक विधान पारित किए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में संकट गहरा गया है और इसने कामगारों पर असहनीय दबाव और विपत्तियां डाल दी हैं। लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित वस्तुओं के उत्पादन को अन्य क्षेत्रों के लिए खोले जाने के संबंध में सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई डब्ल्यूटीओ संबंधित नीतियों और इस क्षेत्र को संस्थागत ऋण से वंचित करने की वजह से व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर उद्योग बंद हो गए हैं और हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी संकट की वजह से श्रमिकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। नियोक्ताओं ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया है। केन्द्र में उत्तरोत्तर सरकारों ने कृषि और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पृथक विधान अधिनियमित नहीं किए हैं।

महोदय, हालांकि वर्तमान सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लाभार्थ एक व्यापक विधान पारित करने का आश्वासन दिया था, तथापि सरकार पूर्ववर्ती शासन के मूल प्रारूप में कोई व्यापक परिवर्तन किए बिना केवल प्रारूप विधेयक के विभिन्न संस्करणों का परिचालन करती रही है।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लाभार्थ एक व्यापक विधान पारित करने के अपने आश्वासन को पूरा करे।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भरवारी रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, नवसृजित जनपद कौशाम्बी उ.प्र., जो मेरे संसदीय क्षेत्र का एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जिला है। यहां हर साल लाखों की संख्या में विदेशी एवं देशी सैलानी आते हैं उक्त जनपद में बौद्ध गौतम बुद्ध ने 12 वर्ष वास किए थे। यहां जैन धर्म के मानने वालों का तीर्थस्थल है। जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया से हजारों सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं। यहां जी.टी. रोड एवं रेल मार्ग मुख्य साधन है। लेकिन परिवहन व संचार व्यवस्था से अछूता है। उक्त जनपद के नजदीक भरवारी रेलवे स्टेशन है। उक्त रेलवे स्टेशन के सौन्दीयकरण, कम्प्यूटर आरक्षण की सुविधा के साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव/स्टापेज 2 मिनट का होना आवश्यक है, जैसे महानंदा (कटिहार एक्सप्रेस) 4084 डाउन 5.20, 4083 अप 7.30, कालका मेल 2312 डाउन 5.30, 2311 अप 10.30, दिल्ली रीवा एक्सप्रेस 2428 डाउन 8.45, 2427 अप 4 बजे।

मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त ट्रेनों का स्टापेज 2 मिनट करने से व्यापारिक, सरकारी व पर्यटकों को विशेष सुविधा मिलेगी तथा रेल का राजस्व भी बढ़ेगा।

(सोलह) दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा पटना द्वारा दिनांक 31.12.2000 को केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाये। उनका अनुरोध केन्द्र सरकार के पास लंबित है।

मैं इस सदन के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ठोस कदम उठाकर दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया

[श्री राम कृपाल यादव]

जाये, जिससे कि दलित मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके और वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। हमें आशा है कि जिस तरह से दलित सिखों को 1956 में तथा दलित नव बौद्धिस्टों को 1990 में इस सूची में जोड़ा गया है, उसी प्रकार से दलित मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाये, जिससे कि देश में संविधान के अनुरूप सर्वधर्म दलितों को एक समान आरक्षण मिल सके।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश में गोला और शाहजहांपुर के बीच बरास्ता मोहम्मदी एक नई रेल लाइन बिछाए जाने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गोला गोकरण नाथ से मोहम्मदी होकर शाहजहांपुर तक नयी रेल लाइन बनाने के लिए काफी समय पहले पूर्व मंत्री स्व. बालगोविन्द वर्मा ने इसकी मांग उठायी थी।

फिर 11वीं लोक सभा में मैंने काफी संघर्ष किया और तत्कालीन रेल मंत्री ने बजट भाषण में सर्वेक्षण की घोषणा की।

67 कि.मी. लम्बी तथा 138 करोड़ रुपये लागत का सर्वेक्षण लंबे समय से लंबित है। यह बात मौजूदा रेल मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बतायी। तब से यह पता नहीं चल पा रहा है कि परियोजना किस हालत में और कहां लंबित है।

गोला-शाहजहांपुर मार्ग की घनी आबादी की जरूरत को देखते हुए, मेरी रेल मंत्री तथा भारत सरकार से मांग है कि इस परियोजना का अविलम्ब क्रियान्वयन आरंभ करें तथा 2006-007 के बजट में इस परियोजना को अवश्य आरंभ करें।

(अठारह) तमिलनाडु के अप्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए चेन्नई से संयुक्त अरब अमीरात के लिए "बजट एयरलाइन्स सेवा" शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर): यू.ए.ई. में कार्य कर रहे तमिलनाडु के अप्रवासी भारतीयों को 350 दीनार से 800 दीनार के बीच काफी कम वेतन मिलता है। जब वे अपनी मातृभूमि तमिलनाडु आते हैं तो उन्हें केवल विमान के टिकट खरीदने पर ही 4 से 6 माह का वेतन खर्च करना पड़ता है।

केरल और महाराष्ट्र राज्यों के अप्रवासी भारतीयों को 600 दीनार अथवा भारतीय मुद्रा में 7000/-रु. की लागत वाली अबुधाबी-मुम्बई-अबुधाबी तथा अबुधाबी-त्रिवेन्द्रम/कोचीन/कालीकट-अबुधाबी सेक्टरों में बजट एयरलाइन सेवा की सुविधा प्रदान की गई है।

इसी प्रकार से, तमिलनाडु के अप्रवासी भारतीयों के लाभ के लिए चेन्नई से अबुधाबी-दुबई/शारजाह, चेन्नई/तिरुचि-अबुधाबी/दुबई/शारजाह-चेन्नई/तिरुचि सेक्टरों में बजट एयरलाइन सेवा आरंभ की जानी चाहिए।

मैं सरकार से तमिलनाडु के अप्रवासी भारतीयों के लिए बजट एयरलाइन सेवाएं शुरू करने की व्यवस्था करने का आग्रह करता हूं।

(उन्नीस) छपरा-कप्तानगंज बरास्ता धावे-सिवान रेल लाइन का काम शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रांत के लिए स्वीकृत रेल परियोजनाओं में छपरा से कप्तानगंज वाया धावे, सिवान रेल लाइन प्रमुख है। इस वर्षों पुरानी मांग को स्वीकृति प्रदान कर छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने हेतु कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है। परन्तु, कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि यदि यही रफ्तार रही तो कार्य कितने सालों में पूरा होगा, कहना मुश्किल है।

इस रेल लाइन के बन जाने से इस रेल लाइन के आसपास के हजारों गांव के लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा। वहीं रेलवे लाइन से काफी राजस्व की वृद्धि होगी।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि छपरा से कप्तानगंज वाया धावे सिवान रेल लाइन जो स्वीकृत हो चुका है, का कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु निधि आबंटित की जाये और कार्य को यथाशीघ्र पूरा कराया जाये।

(बीस) पश्चिम बंगाल में कैनिंग रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा सोनारपुर और कैनिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): मैं, सोनारपुर और कैनिंग के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण तथा सियालदेह मंडल (पश्चिम

बंगाल) के अंतर्गत कैनिंग से सोनाखाली तक रेल लाइन के विस्तार के अतिरिक्त कैनिंग रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्य से संबंधित मामले का उल्लेख करना चाहता हूं।

दोहरी लाइन के अभाव में वहां उत्पादित सी-फूड, सब्जियों तथा डेयरी उत्पादों की भारी मात्रा में ढुलाई में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। परियोजना का प्रथम चरण (सोनारपुर से छोटीयारीशरीफ) पूरा होने वाला है। छोटीयारीशरीफ एक तीर्थ स्थल है, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। अत: प्रथम चरण के दोहरीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा दूसरे चरण (छोटीयारीशरीफ से कैनिंग) का कार्य तत्काल शुरू करने से इन वस्तुओं की ढुलाई में आसानी होगी, जिससे रेलवे को और अधिक राजस्व मिलेगा। इसके अतिरिक्त कैनिंग से सोनाखाली तक रेल लाइन का विस्तार कार्य भी शुरू किया जाना चाहिए।

कैनिंग, सुंदरबन का द्वार है, जहां प्रति वर्ष अक्तूबर में घरेलू तथा विदेशी पर्यटक आते हैं। जबकि इस स्टेशन पर विश्राम गृह, खान-पान की सुविधाएं नहीं हैं तथा इसका संपर्क मार्ग बहुत ही दयनीय स्थिति में है जिससे पर्यटकों को बहुत कठिनाई होती है। इसलिए कैनिंग स्टेशन हेतु प्रस्तावित विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से, जनहित में उपरिलिखित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.53 बजे

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 13 तथा 14 श्री रामजीलाल सुमन-उपस्थित नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 2005 को प्रख्यापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2005, जो अध्यादेश द्वारा लाये जाने का प्रस्ताव किया गया है, मैं इसका इस दृष्टि से विरोध करना चाहूंगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह सैशन 23 नवम्बर से शुरू हुआ है। अगर इस विधेयक को पास करने की इतनी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, तो जब मानसून सैशन समाप्त हुआ, उस समय इसे पारित किया जा सकता था, लेकिन एकदम बीच में, इस संशोधन को अध्यादेश के जरिये पारित किया जा रहा है क्योंकि बजट तो पहले ही पारित हो चुका है। उसके बाद बीच में समय था परन्तु जिस ढंग से अध्यादेश के द्वारा इस बिल को संसद में लाया गया है, मैं उस तरीके का विरोध करता हूं। चाहे यह तरीका कई कम्पनियों, विद्युत या अन्य कई दृष्टियों से उपयोगी हो, परन्तु जो तरीका अपनाया गया है, वह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा और आपसे पूर्व के अध्यक्ष महोदयों द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई विभागीय समितियों का गठन किया गया था। हरेक विभाग की स्टैंडिंग कमेटी है तो कोई भी बिल अगर संसद के अंदर आता है तो उसे स्टैंडिग कमेटी के माध्यम से आना चाहिए लेकिन यह बिल सीधे ही आर्डिनेंस के द्वारा लोक सभा में लिया जा रहा है, संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी का जो प्रावधान है, उस प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई है जो कि मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। अगर इतना ही आवश्यक था तो जो भी बिल में संशोधन करना था, आयकर संशोधन और टैक्सेशन ला अमेंडमेंट बिल लाना था तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज सकते थे, वह आप कर सकते थे और सब प्रकार के विचार करने के बाद फिर सदन के सामने आता तो शायद हम सबके लिए उचित होता लेकिन उस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।

मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि कम से कम स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का आदेश दिया जाए। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि टैक्सेशन ट्राईब्यूनल पेंशन आथोरिटी और रेगुलेटरी बिल आया था और वह बिल भी आर्डिनेंस के द्वारा आया था लेकिन उसको बाद में सरकार का साथ देने वाले लोगों के द्वारा दबाव देने के कारण

[प्रो. रासा सिंह रावत]

उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं और आपसे न्याय की अपेक्षा करेंगे कि यह जो सरपास किया गया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उपयोग करते हुए सदन में सीधे प्रस्तुत कर दिया गया है, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए आप आदेश प्रदान करें ताकि स्टैंडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के जो माननीय सदस्य हैं, उनके सभी प्रकार के विचार प्राप्त करके एक सहमति प्राप्त करके बिल आए तो ज्यादा उचित होता क्योंकि यह बड़ा प्रभाव पैदा करने वाला और सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने में सहायक होने वाला बिल है, हम इसमें रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम इस बात को मानते हैं कि देश को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए, सरकारी रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए, इंकम टैक्स के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स की प्राप्ति हो, या जहां पर छूट देने की आवश्यकता है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, यह आवश्यक है। हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते लेकिन जो प्रक्रिया और पद्धति अपनाई गई है, मैं समझता हूं कि उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार को निर्देश दें।

सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है, उसे मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि जैसे दूध से भरी हुई पूरी कढ़ाई हो और उसमें विष की एक बूंद भी गिर जाए तो सारी कढ़ाई के दूध को फेंकना पड़ता है, वह दूध फिर किसी काम का नहीं होता। इसके अंदर जितनी क्लाजेज बताई गई हैं, वे क्लाजेज चाहे विमान कंपनियों के पट्टों के बारे में आयकर छूट देने के बारे में हों अथवा दाभोल कंपनी के बारे में हो या दाभोल कंपनी को इंकम टैक्स में छूट देने के बारे में हो अथवा विद्युत पैदा करने वाली भारतीय कंपनियां हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हिन्दुस्तान के अंदर हों और उनसे प्राप्त होने वाली आय पर छूट देने वाली बात हो, ये सारी बातें तो मान्य हैं लेकिन इसमें एक पैराग्राफ ऐसा जोड़ा गया है जिस पर शायद ठीक से चर्चा नहीं हुई हो या फिर वह सुप्रीम कोर्ट में गया या नहीं गया या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई आदेश दिया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इस पर माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे लेकिन अंतिम जो जोड़ा गया है, छूट देने वाला जो मामला है, लघु उद्योगों के बारे में है, देश के लघु उद्योग बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि दस करोड़ रुपये की जो सीमा इसमें दी गई है और 1998 से रैट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू होगा। यदि उनको पता होता कि आगे जाकर दस करोड़ रुपये की लिमिट हो जाएगी तो पहले टैक्स का वे ध्यान रखते लेकिन रैट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से टैक्स देने वाली जो बात आई है, टैक्स में छूट प्राप्ति हो सकेगी अथवा सीमा को नहीं बढ़ाया गया। अब एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे पावर लूम का कपड़ा हो या हैंडलूम का कपड़ा हो या शीट का मामला हो या रेडीमेड कपड़े हों, हिन्दुस्तानी कुटीर उद्योगों के अंदर हो या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो उत्पादन होता है, उत्पादित सामग्रियों को विदेशों में निर्यात करने के लिए दस करोड़ रुपये की सीमा बहुत कम है। कम से कम 25-30 करोड़ या 35-50 करोड़ रुपये तक की सीमा होती तो लोगों को तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता। दस करोड़ रुपये की सीमा बहुत कम है क्योंकि एक-दो करोड़ रुपये की मशीनें ही होती हैं या चार-पांच करोड़ रुपये का इंफ्रैस्ट्रक्चर होता है। बाकी इंकम जो होती है, उस इंकम के ऊपर आयकर की छूट वाली जो बात है, यह जो लिमिट की गई है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 1.00 बजे

इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि इस बिल के अन्य सारे प्रावधान ठीक हैं, लेकिन इसमें अन्त में जो एक क्लाज डाल दिया गया है, उसके बारे में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। हालांकि यह बिल कल आने वाला था और माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ माननीय सदस्यों को बुलाकर समझाने का प्रयास भी किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, जहां-जहां भी कपड़े या शिल्प सामग्रियों का उत्पादन एवं एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, वे सभी इस क्लाज का विरोध कर रही हैं। यह देश के लघु उद्योगों को एक प्रकार से बर्बाद करने वाला होगा और उनके लिए बहुत अहितकारी होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। टैक्सेसन के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जितने कम टैक्स लगेंगे, लोग उतना ही ज्यादा टैक्स देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस सरकार के वित्त मंत्री जी बहुत चतुर हैं। वे कहते तो हैं कि हमने एक एक्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दिया है, यह बढ़ा दिया है, वह बढ़ा दिया है, लेकिन आज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसकी आमदनी बहुत कम होती है, वह भी आयकर के दायरे में आ गया है। इसमें मानक कटौती में छूट देने वाला कोई प्रावधान रखा नहीं गया और उसे ऐसा घुमा-फिरा दिया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आयकर के दायरे में आ गए हैं। यही नहीं, दुनिया भर के टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह लगा दिए गए जिनके कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इससे इन्सपेक्टर राज कायम हो जाएगा। व्यापारियों और इन्कम टैक्स देने वालों को इससे परेशानी होगी। नियमों के सरलीकरण के नाम पर नियमों को जटिल बना दिया गया है और इतनी जटिलता पैदा कर दी गयी है कि उनको फार्म भराने के लिए भी कई-कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके साथ ही इन्सपेक्टर्स को खुली छूट मिल गयी कि वे फैक्टरी पर आकर कहें कि यह कमी है, वह कमी है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और सरकार के खजाने में जितना टैक्स आना चाहिए, सरकार भी उससे वंचित रह जाती है।

आपने जिन विषयों के लिए छूट देने की बात कही है, जैसे विद्युत का उत्पादन और पारेषण करने वाली कम्पनियों के बारे में, ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जो हमारे देश में होती हैं उनसे प्राप्त होने वाली आय पर छूट आदि का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपने इसमें जो क्लाज जोड़ा है, वह ठीक नहीं है। इस क्लाज का आपने अपने अध्यादेश में जिक्र नहीं किया है। अध्यादेश में आपने केवल बैंक ट्रांजैक्शन्स और बैंकों के आपस में होने वाले नगद लेन-देन पर लगने वाले कर की चर्चा की थी।

राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपने यह जो लिखा है कि अगर हम यह अध्यादेश नहीं लाते तो उनको भी टैक्स देना पड़ता, यह तो अध्यादेश लाने के लिए एक बहाना बनाया गया है। पंजीकृत राजनीतिक दलों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 (क) के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों को भी अनुषंगी लाभ के लिए कर अदा करना पड़ता, लेकिन यह केन्द्र सरकार का आशय नहीं था। इस बिल को लाने के लिए और उस पर राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आपने बहाना बना दिया है। लेकिन जो असली चीज है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा कि इसमें समस्या क्या है। अगर इस समस्या का निराकरण सरकार करे तो यह बिल सर्वसम्मति से पास हो सकता है, अन्यथा मजबूर होकर शायद हमको विरोध का सहारा भी लेना पड़ सकता है।

[अनुवाद]

विधेयक का उद्देश्य आयकर अधिनियम की धारा 28 तथा धारा 80 एच एच सी में संशोधन करना है ताकि उन निर्यातकों को राहत मिल सके जो डी ई पी बी की बिक्री/हस्तांतरण पर आयकर लगाने के कारण प्रभावित हुए हैं।

पर विधेयक उन निर्यातकों को राहत प्रदान करता है, जिन्होंने ड्यूटी एनटाइटल में पास बुक (डी ई पी बी)/ड्यूटी रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट स्कीम (डी एफ आर सी) का प्रयोग किया है, बशर्ते कि उनकी कुल बिक्री 10 करोड़ रु. से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1998 से लागू है। निर्यातक समुदाय को हालांकि उस संशोधन से थोड़ी राहत मिलेगी, परन्तु आयकर लगाए जाने से बड़ी संख्या में निर्यातकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चूंकि डी ई पी बी तथा डी एफ आर सी ड्राबैक की तरह ही ड्यूटी फन्ड स्कीमें हैं। ड्राबैक पर आयकर नहीं लगता, डी ई पी बी पर भी आयकर नहीं लगना चाहिए।

इसके अतिरिक्त 10 करोड़ रु. की सीमा से बड़ी संख्या में लघु तथा मझौले उद्योग प्रभावित होंगे, जिन्होंने पिछले वर्षों में अपने निर्यात को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है।

[हिन्दी]

गत कुछ वर्षों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन उसका लाभ उन्हें भली प्रकार से इसके कारण नहीं मिल पाएगा।

[अनुवाद]

कर के कारण निर्यात क्षेत्र में रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में इकाइयां निर्धारण वर्ष 1998-99 से निर्धारण वर्ष 2004-05 में भारी कराधान के दायरे में आने के पश्चात् चल नहीं पाएंगी और बंद हो जाएंगी।

[हिन्दी]

1998 से लेकर 2004-2005 तक का जो असेसमेंट जोड़ा जाएगा, तो कितना हैवी टैक्सेशन हो जाएगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जो अधिकारी जाएंगे, वे मनमानी करेंगे और एक्सपोर्टर बेचारा परेशान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। चूंकि यह टेक्नीकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछेक आब्जेक्शन हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कितने पन्ने हैं?

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं करीब पांच मिनट लूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, ये तकनीकी प्रकृति के हैं। इसलिए, मैं आपकी अनुमति से इन्हें पढ़ना चाहता हूं।

10 करोड़ रु. की सीमा से मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा तथा निर्यातक उत्पादन तथा उत्पादों के विपणन के स्थान पर आपका अधिकतर समय परिहार्य मुकदमेबाजी में लगाएंगे।

[हिन्दी]

समझाने की आवश्यकता नहीं है, मंत्री जी खुद समझदार हैं। थोड़ा सा ध्यान दें कि उन्हें लिटिगेशन के लिए, सुपरविजन करने के स्थान पर, उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर, कोर्ट-कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे या इनकम टैक्स अधिकारियों की जी-हजूरी में रहना पड़ेगा।

[अनुवाद]

10 करोड़ रु. से अधिक का निर्यात करने वाले कई निर्यातक पहले ही अपने-अपने रिटर्न जमा करा चुके हैं और कुछ मामलों

[प्रो. रासा सिंह रावत]

में अपेक्षित जांच-पड़ताल के बाद कर प्राधिकारियों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

थोड़े-बहुत केस रह गए होंगे, जिनका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ होगा, अधिकतर तो पहले ही टैक्स अदा कर चुके हैं। 1998 के आधार पर करेंगे तो उन्हें कितनी परेशानी होगी, यह समझा जा सकता है।

[अनुवाद]

मसौदा विधेयक के अन्तर्गत निर्यातकों के लिए प्रस्तावित 10 करोड़ रुपये की सीमा से डी.ई.पी.बी. या कर भराई प्रमाण पत्र योजना (डी एफ आर सी) के अन्तर्गत निर्यात कर चुके निर्यातक के मामले पुनः खुल जाएंगे जिससे निर्यातकों की परेशानियां बढ़ेगी। यह भी बहुत बड़ी समस्या होगी।

10 करोड़ रुपये की सीमा को 1998 के भूतलक्षित प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए था। अन्यथा, उपरोक्त सीमा से अधिक वाले निर्यातक, जिन्होंने डी.ई.पी.बी. योजना के अन्तर्गत लाभ उठाते हुए लागत निकाली है, विपरीत रूप में प्रभावित होंगे और उन्हें एक बड़ी रकम अदा करनी होगी।

[हिन्दी]

1991 में जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे और आपके स्थान पर डा. मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

[अनुवाद]

जब से 1991 में आर्थिक सुधारों का प्रथम चरण शुरू हुआ था, तब से ही निर्यातकों के लिए वृद्धि दर निर्धारित कर दी गई थी। उसमें एक्सपोर्ट के लिए है कि इतनी वृद्धि दर होनी चाहिए।

बहुत से निर्यातक जिन्होंने अपनी उद्यमशीलता से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त कर लिया है तथा निर्यात की 10 करोड़ की सीमा को पार कर लिया है, वे दंडित होंगे। इससे गलत संदेश जाएगा क्योंकि अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले तथा विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजन करने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

परिणामस्वरूप अगर नहीं बढ़ाया तो उन्हें बढ़ा हुआ टैक्स देना पड़ेगा। इससे उन्हें बहुत परेशानी होगी, इप्लायमेंट भी कम करना होगा और काम भी रोकना पड़ेगा।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात नीति से निर्यातकों के लिए निर्धारित कतिपय लक्ष्य को प्राप्त करने वाले निर्यातकों को एक अच्छी पहचान मिली स्टार निर्यातक जिन्होंने लक्ष्य से अधिक निर्यात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनके दंडित हो जाने की संभावना है, यदि विधेयक में प्रस्तावित 10 करोड़ रुपये भी सीमा लागू कर दी जाती है।

[हिन्दी]

अगर ऐसे रहता है, जैसा, प्रपोज किया है, तो यह होगा कि उन्होंने बिना मतलब के मेहनत की और फिर भी पिनिलाइज होना पड़ा।

डी.एफ.आर.सी. के लिए सरकार ने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि ऋण की दरें किस हिसाब से निर्धारित की जाएंगी। इसलिए इस बारे में भी व्याख्या की जानी चाहिए कि इसका आकलन भी उसी तरह से होगा जैसा कि केन्द्र सरकार अधिसूचित करेगी। ऐसी व्याख्या से निर्यातकों में अनिश्चितता बढ़ेगी जिससे भविष्य में मुकदमेंबाजी और विलम्ब की संभावना बनेगी।

सारी समस्या की जड़ है कि प्रावधान न तो निर्यातकों और न ही आयकर प्राधिकरण को स्पष्ट हैं, सरकार को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार उदार दृष्टिकोण अपनाए ताकि उन सभी निर्यातकों को राहत दी जा सके जिन्होंने बिना किसी आरम्भिक सीमा के डी.ई.पी.बी. या डी.एफ.आर.सी. के अन्तर्गत निर्यात किया हो। ऐसा निर्णय न्याय संगत होगा तथा निर्यातकों को माल से निर्यात में हमारी हिस्सेदारी को दुगुने करने के दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना समग्र प्रयास करने में तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी एक सम्मेलन में कहा था कि डी.ई.पी.बी. से अर्जित लाभ पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य समाचार पत्रों में आ चुका है, इसलिए इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। आपसे प्रार्थना है कि इस पर उदारतापूर्वक दृष्टि अपनाकर, अधिकाधिक रोजगार पैदा करने के लिए, थोड़ी राहत बरतने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में कतिपय मामलों की स्थिति में अध्यादेश

जारी करने की व्यवस्था है, तथापि मुझे विश्वास है, कि-आज चाहे जो भी सरकार हो,-उसे इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब तक बहुत ही आवश्यक न हो जाए, एवं विशेषकर जब सभा का अधिवेशन बुला लिया गया हो तब अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस मामले में मुझे कतिपय छूटों का पता चला है-जो कि खिलाड़ियों एवं अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को जिन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, दी जाती थी। मैंने इस पर जोर नहीं दिया है। अन्यथा, इसका अर्थ होता कि एक नया अध्यादेश जारी किया जाए, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। मुझे विश्वास है, सभी सरकारें इस बात पर ध्यान देंगी कि-अध्यादेश तब तक जारी नहीं किए जाएं जब तक कि ऐसा करना पूर्णतया आवश्यक न हो। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बारे में पूर्णतया अवगत हैं। मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई दुरुपयोग हुआ है। चूंकि आप सिद्धान्त की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से टिप्पणी कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं आपकी टिप्पणी के लिए अत्यधिक आभारी हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष जी, मैं माननीय रासा सिंह रावत जी के विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैंने इस बारे में एक नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हर सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं है। केवल एक या दो सदस्य बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलना चाहते हैं, तो मैं आपका नाम पुकारूंगा। उस समय, आप इसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं आपकी टिप्पणी के समक्ष झुकता हूं कि कराधान मामलों में अध्यादेश इतनी आसानी एवं स्वतंत्रता से नहीं लाना चाहिए। लेकिन यहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्होंने अध्यादेश लाने पर बाध्य कर दिया। सर्वप्रथम, मैं सभा का ध्यान दाभोल की स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। दाभोल के संबंध में, काफी अधिक वार्ताओं के बाद समझौता किया गया और इस समझौते को कानूनी रूप प्रदान करना था। इस समझौते को हमारे द्वारा कानूनी रूप से निपटाये जाने के बाद ही विवादकारी पार्टियां, जिन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर मामला दायर किया था, विभिन्न मामलों में मामला वापस लेने को तैयार हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि अंततः हमने दाभोल मामले को कई महीनों तक दैनिक आधार पर निपटा दिया है। इस बात का अत्यधिक खतरा था कि हम इसे कानूनी रूप नहीं देते तो यह समझौता नाकामयाब हो जाता और इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष ऐसे मामले चलते।

इसलिए, अध्यादेश प्रख्यापित करना हमारे लिए अति आवश्यक हो गया था। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि एक और अनुरोध किया जा रहा था कि हमें अपने आश्वासन को कानूनी आधार देना होगा कि जब भी भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह आयोजित किया जाए तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आश्वासन दे दिया था और यदि यह आश्वासन कानून से पूरा नहीं किया जाता-तो धमकी नहीं दे रहे थे-तो वे विश्व कप किसी दूसरे देश को देने के लिए तत्पर थे। परन्तु ये दोनों अत्यंत संवेदनशील मामले थे।

तत्पश्चात, मुझे राजनैतिक दलों का यह अनुरोध मिला कि मैं एक जिज्ञासू व्याख्या जो व्याख्या मेरे विचार से सही व्याख्या नहीं थी पर फिर भी यह एक व्याख्या थी-के माध्यम से राजनैतिक दलों पर लाभ कर लगाया जा रहा था। मैं नहीं समझता कि कोई भी यह चाहता है कि राजनैतिक दलों पर फ्रिंज लाभ कर लगाया जा रहा है। मेरे विचार से कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि राजनैतिक दलों पर फ्रिंज लाभ कर लगाया जाए। अतः, मैंने कहा कि 'ठीक है, आइए स्पष्ट करें कि राजनैतिक दलों पर फ्रिंज लाभ कर न लगाया जाए' *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप इसके लिए एक अध्यादेश ला रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वरकला राधाकृष्णन जी, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। वह इसका खुलासा कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: अन्यथा यदि राजनैतिक दल फ्रिंज बैनेफिट टैक्स देना चाहेंगे, तो राजनैतिक दलों को फ्रिंज बैनेफिट टैक्स काटना भी होगा क्योंकि, उन्हें फ्रिंज बैनिफिट टैक्स का भुगतान भी करना होगा।

[श्री पी. चिदम्बरम]

चौथा कारण एयरक्राफ्ट की लीज के संबंध में प्रावधान था, जैसा कि सदन ने अनुमोदन किया है, जो कि 30 सितम्बर को समाप्त होने वाला था। अब हम इसे दो बार बढ़ा चुके हैं। पर फिर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने कहा है कि "हम लीज समझौते पूरे नहीं कर पाए हैं; अभी भी हमारे कई एयरक्राफ्ट लीज पर हैं।"

श्री वरकला राधाकृष्णन: बिना रूकावट मैं यह कहूंगा .....

श्री पी. चिदम्बरम: आप मेरी बात में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: माननीय मंत्री के वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया कि 31 मार्च, 2006 ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने अपनी टिप्पणियां की हैं। मैंने अपने विचार पेश किए हैं कि इस मामले में इसका दुरुपयोग नहीं किया गया है। कृपया इस पर प्रश्नचिह्न न लगाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्हें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि यह 31 मार्च, 2006 तक था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात कह ली है।

संविधान में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान निहित है। केवल इसकी आवश्यकता के औचित्य का ही प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम: लीज पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कुछ लीज समझौतों पर 30 सितम्बर से पहले हस्ताक्षर नहीं हो सके तथा कुछ पर बाद में हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अत:, एक अस्पष्ट स्थिति थी। लीज पर देने तथा लीज पर लेने वालों को यह विश्वास नहीं था कि उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा या नहीं। अत:, इसे स्पष्ट करने के लिए कानून में संशोधन करना जरूरी था।

ठीक है। अब हम इसे छ: महीनों के लिए बढ़ा रहे हैं ताकि जिन लीज समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं उन पर अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर महीनों में हस्ताक्षर किए जा सके। केवल पांच ऐसी मदें हैं जो अध्यादेश में की गई हैं।

अंतिम मद बैंकिंग नकद लेन-देन कर के संबंध में है। यहां फिर एक विशेष व्याख्या से लोगों ने महसूस किया कि यदि एक बैंक इसके बैंक से पैसा निकालता है तो यह बी सी सी टी के अंतर्गत आता है। मेरे हिसाब से यह खण्ड काफी स्पष्ट था। परन्तु मैं यह खतरा नहीं ले सकता कि एक खण्ड की व्याख्या किसी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अलग प्रकार से की जाए। सारे देश में कई मूल्यांकन अधिकारी हैं। बैंक यह स्पष्ट करने के लिए मुझ पर जोर डाल रहे थे कि यदि कोई बैंक किसी और बैंक में पैसे डालता है और उसे, विशेषत: कापरेटिव बैंक से, नकद के रूप में निकालता है तो यह बैंकिंग नकद लेन-देन कर के अंतर्गत नहीं आयेगा।

महोदय, ये पांच मदें है जिन पर अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। इस बारे में बड़ी विनम्रता से कहूंगा, जितना मैं कर मामलों में लाना पसन्द नहीं करता, इस मामले में यह कहूंगा कि इन कारणों से अध्यादेश को लाना पड़ा। डी ई पी बी के बारे में यह कि यह अध्यादेश से नहीं किया गया। वह विधेयक से किया जा रहा है। विधेयक लाते हुए तथा वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, मैं डी ई पी बी की स्थिति स्पष्ट करूंगा।

अत:, मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि सांविधिक संकल्प पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यादेश पांच परिस्थितियों के कारण लाया गया और इसके कारण बता दिए हैं। मैं सदन से विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि मेरे द्वारा दिए गए कारणों को स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 2005 को प्रख्यापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

"कि आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

धन्यवाद, हम अपने दोपहर के भोजन का और आनन्द उठा सकते हैं। भारत ने क्रिकेट टेस्ट में जीत हासिल कर ली है।

अपराह्न 1.19 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.18 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.18 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005

उपाध्यक्ष महोदय: हम कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005 पर चर्चा जारी रखेंगे अब श्री अरुण कुमार-भाषण देंगे।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली (राजामुन्दरी): महोदय, मैं तेलुगू में बोलना चाहता हूं लेकिन आप इसे नहीं समझ सकते क्योंकि यहां पर तेलुगू का कोई भाषान्तरकार नहीं है। बजट सत्र के अन्तिम दिन जब मैं बोला उसी दिन तेलुगू का भाषान्तरकार सेवानिवृत्त हुआ था ...*(व्यवधान)*। मैं यहीं बता रहा हूं। जबसे वह सेवानिवृत्त हुआ है तब से यहां पर तेलुगू का कोई अभाषान्तरकार नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि अब आप मुझे सुन सकते हैं। धन्यवाद।

अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं आपसे कम से कम आगामी सत्र तक किसी तेलुगू भाषान्तरकार की नियुक्ति का अनुरोध करता हूं ताकि आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य अपनी मातृभाषा में अपनी बात कह सकें।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: पंजाबी का भी इंटरप्रेटर नहीं है।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मेरे ख्याल से पंजाबी का है। तेलुगू का था लेकिन अभी नहीं है। मैं जिस दिन तेलुगू में बोला था, वह उसी दिन रिटायर हो गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुद्दे पर आएं।

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

उदारीकरण के बाद से अमीर तबके द्वारा उपयोग किए जाने वाली कार, एयर कंडीशनर, कम्प्यूटर, हवाई जहाजों के टिकट, के मूल्यों में कमी आई है जबकि गरीब तबके और मध्य वर्ग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली चीजों सब्जियों, चावल, दाल, बस और ट्रेन के टिकट के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है। अमीर लोगों के लिए जिंदगी आसान हो गई है जबकि गरीब लोगों के लिए जिन्दगी मुश्किल हो गई है। ऐसी स्थिति में हमें अपने कर लाभों में सुधार करना चाहिए और गरीब और मध्यवर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए इन करों को खर्च किया जाना है।

[हिन्दी]

लेकिन सौ करोड़ से ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी दो करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं। जबकि हम रोड्स पर देखते हैं कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगस हैं, लोग बड़ी-बड़ी कारों में जाते हैं और बड़े-बड़े स्टार होटलों में लोग ठहरते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बीस प्रतिशत लोग अमीर हो गए हैं, भारत बहुत बड़ी मार्किट बन गया है। फिर भी टैक्स पेयर्स दो करोड़ से भी कम हैं जिनमें ज्यादा सैलरीड एम्प्लाइज हैं जिनकी मर्जी नहीं होने से

भी टैक्स काटा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम राजनीतिज्ञ हैं। कई लोग हमसे पूछते रहते हैं। जब आयकर वालों का छापा पड़ता है तो वे तत्काल हमारे पास आते हैं और कहते हैं, इनकम टैक्स रेड हो रही है इसलिए कुछ तो कीजिए। हम कहते हैं कि क्या करना है, रेड होने दो, अगर आपका हिसाब ठीक है तो कुछ नहीं होगा। वे कहते हैं हिसाब की बात नहीं है, अगर एक बार पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप कुछ तो करें।

[अनुवाद]

आम आदमी और व्यापारियों के मन से इस प्रभाव को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। कोई भी व्यापारी कर अदा करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि यदि उसने एक बार कर अदा कर दिया तो वह हमेशा के लिए इस जाल में फंस जाएगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा करें। सरकार को इस प्रकार की परिस्थितियों का सृजन करना चाहिए जहां पर समाज द्वारा कर अदा करने वालों का सम्मान किया जाए। जब कर अदा करने वाला व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जाए तो जैसे रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षा कक्ष होता है, कर अदा करने वालों के लिए भी प्रथम प्रतीक्षा कक्ष होनी चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर कर अदा करने वाले व्यक्तियों की पृथक पंक्ति होनी चाहिए ताकि वह आसानी से टिकट ले सकें।

इसी प्रकार कर अदा करने वालों के लिए विमानपत्तनों पर भी पृथक पंक्ति होनी चाहिए। सबसे अधिक कर अदा करने वाले व्यक्ति के नाम की घोषणा की जानी चाहिए। जैसाकि सरकार द्वारा राष्ट्रीय, राज्य अथवा जिला स्तर पर पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मान दिए जा रहे हैं ठीक इसी प्रकार सबसे अधिक कर अदा करने वाले व्यक्ति को भी इसी प्रकार का सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि वह कर अदा करने पर गर्व कर सकें। मैं महसूस करता हूं कि सरकार कर नेटवर्क को इस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है। इसलिए छोटी और मध्यम आकार की मछलियों को पकड़ने के स्थान पर सरकार बड़ी मछलियों को पकड़ सकती है जो अपने आप आगे आकर कर को अदा करेंगे।

कर विधियां इतनी जटिल हैं कि एक स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्ति भी, यद्यपि यह कहा गया है कि कर विधियों को सरल से सरल बनाया गया है अपना विवरण तब तक जमा नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी कर सलाहकार से लेखाकार अथवा सनदी लेखाकार से सलाह-मशविरा न कर ले। वह सीधे आयकर विभाग में नहीं जा सकता। हाल ही में मेरे गृह स्थान राजामुन्दरी में आयकर अधिकारी आए और उन्होंने चेम्बर्स आफ कामर्स के

[श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली]

साथ एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मैं वहां पर गया और मैं व्यापारियों को लेकर समझाते-समझाते थक गया कि वे अपने खातों के साथ सीधे आयकर विभाग में सीधे जा सकते है। वहां पर उनकी मदद के लिए अधिकारी मौजूद है। वहां तो सभी ने मेरी प्रशंसा की लेकिन कर अधिकारियों के जाने के बाद इन्होंने कहा कि आयकर कार्यालय में कौन जाएगा वे सोचते हैं कि वहां पर जाना बहुत मुश्किल है। इसके अतिरिक्त वहां पर जाकर यह आभास होता है कि इस व्यक्ति के पास इतना धन है कि यह कर अदा कर सकता है। इसलिए वहां पर कोई भी नहीं जाना चाहता।

मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह लोगों को इस बात का एहसास कराए कि कर अदा करने से न केवल राष्ट्र की प्रगति होती है बल्कि कर अदा करने वाले को देश का उत्कृष्ट व्यक्तित्व समझा जाए। वह देश भक्त है, जो हमारे देश के लिए गरीबों के लिए पैसा दे रहा है। ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे हमारी कर प्रणाली और कर संग्रह में सुधार में सहायता मिल सके।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं अपने भाषण को दो पहलुओं तक सीमित रखूंगा और इसमें पहला है-अध्यादेश जारी करना।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है इसलिए आप कृपया विधेयक पर बोलें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, कल मुझे मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक से संबंधित शैक्षिक मामले पर अध्यादेश का विरोध करने का मौका मिला था। मुद्दा यह था कि संसद में मामला लम्बित रहने के बाद भी अध्यादेश जारी किया गया था। मामले को न केवल विचारार्थ लिया गया था अपितु इसे स्थायी समिति को भी भेज दिया गया था। समिति ने साक्ष्य लिए थे और रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई थी। किंतु सरकार ने अध्यादेश को उचित तरीके से प्रतिस्थापित करने की चिंता नहीं की और विधेयक लाया गया। यही नहीं, वक्तव्य में ही यह बता दिया गया है कि मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक पर अध्यादेश जारी करने के बारे में मामला काफी दिनों से लंबित है। आजकल यही परिपाटी बन गई है। मैंने इसका विरोध क्यों किया? इसके वैध तथा पर्याप्त आधार हैं। सामान्य तौर पर एक अध्यादेश एक प्रतिबद्ध विधान है। यह इस रूप में प्रतिबद्ध है कि इस तरफ के सदस्य बंधे हुए हैं। जब भी सदन में एक विधान पर चर्चा की जाती है, तब सरकार का समर्थन करने वाले लोगों सहित सभी दलों को चर्चा में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। इस विशेष मामले में, जो एक वित्त विधेयक है, संग्रह पहले ही किया जा चुका है या छूट दी जा चुकी है और समय समाप्त हो गया है।

उदाहरण के तौर पर मेरा मामला लीजिए। यह एक बहुदलीय सरकार है। क्या मैं अब इसका विरोध कर सकता हूं? चाहे यह लोकतांत्रिक रूप से गलत ही क्यों न हो परन्तु मुझे एक गलत चीज का विरोध करने का अवसर नहीं मिल सकता क्योंकि मैं अध्यादेश से बंधा हूं। अध्यादेश लागू हो गया है और संग्रह किए जा चुके हैं याा छूट दी जा चुकी हैं। अब पीछे जाना संभव नहीं है। यही कारण है कि मैंने इसे प्रतिबद्ध विधान कहा है। मैं सादर निवेदन करता हूं कि मैं संविधान की कार्याविधि से सुपरिचित हूं। मैं नगर निगम का अध्यक्ष था और तीन दशकों तक विधायक रहा हूं। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि वित्त विधेयक में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है। यह संसदीय प्रक्रिया में बिलकुल अनसुनी चीज है। किंतु बदकिस्मती से यू.पी.ए. सरकार ने यह निर्णय लिया। मैंने यह क्यों निवेदन किया? संविधान के उपबंधों के अनुसार सरकार का लेखा-जोखा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। सदन के समक्ष बजट रखा जाना चाहिए। सरकार इससे बच नहीं सकती है। यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रावधान है। सरकार के लेखे की वार्षिक विवरणी सदन के समक्ष रखी जाए और एक वित्त विधेयक भी लाया जाए जिसमें बजट प्रस्तावों में निहित कर सुझावों को शामिल किया जाए। जब सदन में बजट प्रस्तुत किया जाए उसके साथ एक वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कभी-कभी बजट को अंतिम रूप से पारित होने में कुछ समय लगता है क्योंकि प्रत्येक मंत्रालय के लिए मांगें रखी जाती हैं और इन सभी प्रस्तावों को संबंधित स्थायी समितियों को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् मान लीजिए एक स्थिति पैदा होती है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा बताया गया है कि यदि प्रधानमंत्री किसी देश से कुछ समझौता करते हैं, तब क्या होगा? यदि ऐसा हो कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिए सदन एक माह के लिए स्थगित होता है तो उन्हें अध्यादेश जारी करना होगा।

यदि इसकी अनुमति है तो वे वित्त विधेयक के लिए भी एक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह सदन एक रबर स्टांप मात्र है। इसने सदन को कार्यपालिका का स्पष्ट रूप से रबर स्टांप बना दिया गया है। क्या मैं गलत हूं? क्या यह संसदीय लोकतंत्र है? क्या संसद को रबर स्टांप में बदलना स्वस्थ परिपाटी है, क्योंकि बहुमत वाला दल शासन कर रहा है। अत: वे जो कुछ भी करें, वे उसे सदन से पारित करा सकते है। अतार्किक कानून भी पारित किए जा सकते हैं। यह मैंने विनम्र रूप से प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति को कौन न्यायोचित कह सकता है? अत: यदि इस प्रकार चीजें चलती रही और यदि श्री पी. चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वे वित्त

विधेयक को ही प्रतिस्थापित करने के लिए अध्यादेश ले आएंगे। इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह एक समयसाध्य कारक है। बजट पर आम चर्चा होनी चाहिए और इसके बाद इसे स्थायी समितियों को भेजा जाना चाहिए। स्थायी समितियां कम से कम तीन या चार सप्ताह का समय लेती हैं। उसके बाद प्रत्येक मांग सदन के समक्ष रखी जाए और समितियों की रिपोर्टों के साथ चर्चा की जाए। अत: यह एक समयसाध्य मामला है। इस दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल कुछ नीति संबंधी निर्णय लेता है और वे नीति निर्णय तत्काल लागू हों। तब वे क्या करेंगे? वे एक अध्यादेश प्रख्यापित करेंगे। इस मामले में भी श्री चिदम्बरम ने दावा किया कि सरकार ने कुछ नीति संबंधी निर्णय लिए हैं। मैं उस अंश विशेष को पढ़ूंगा। वित्त अधिनियम 2005 के संबंध में सरकार ने आयकर अधिनियम और बैंक लेन-देन के बारे में कुछ नीति संबंधी निर्णय लिए है अत: सरकार के नीति संबंधी निर्णयों को एक अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जा रहा है और वह भी वित्तीय मामले में। तब सदन के प्रति वित्तीय जवाबदेही का क्या अर्थ है? संविधान बिलकुल स्पष्ट है कि कर प्रस्तावों और वित्तीय मामलों को केवल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय ने अध्यादेश जारी करने के बारे में पहले ही उत्तर दे दिया है। कृपया आप विधेयक पर बोलिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जो आधार वे बता रहे हैं वह भी बहुत तर्कसंगत नहीं है।

वायुयानों को पट्टे पर लेने का मामला महीनों से लम्बित था और पिछले वर्ष भी हम उस मामले पर चर्चा कर रहे थे। क्या यह अविलंबनीय मामला है? वायुयानों की खरीद सदन के समक्ष है। विदेशी वायुयानों को पट्टे पर लेना सदन के समक्ष है। इस मामले की कोई तात्कालिता नहीं है। यह बिलकुल कहा जा सकता है कि विदेशी एजेंसी और भारत सरकार के बीच कोई सहमति होगी। तब यह बिलकुल सही है। इस उद्देश्य के लिए अध्यादेश की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी अध्यादेश के भी इस स्थिति से निपटा जा सकता है। संविधान में इसके लिए प्रावधान है। हमें इस सदन के अधिकार के अतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा राजनैतिक दलों को छूट सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला है? क्या यह अविलंबनीय है? राजनैतिक दलों को छूट के लिए वे एक अध्यादेश ला रहे हैं। क्या यह आपातकालीन स्थिति है? यह कहां बताया गया है कि यह आपातकालीन स्थिति है? राजनैतिक दल इंतजार कर सकते हैं। चाहे कोई भी परिणाम हो। राजनैतिक दल सरकार चला रहे हैं। तो उन्हें प्रधानता क्यों दी जाए? उन्हें अध्यादेश के माध्यम से छूट क्यों दी जानी चाहिए? यह छूट सदन के माध्यम से दी जा सकती थी। यही उचित प्रक्रिया है। यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक दलों को छूट देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा सकता है और वे इस बारे में निर्णय ले सकते हैं कि क्या कार्रवाई की जाए। वित्त मंत्री को अध्यादेश के माध्यम से यह नहीं करना चाहिए। क्या यह उचित है? क्या यह स्वस्थ परम्परा है? क्या भविष्य में इसे अपनाया जा सकता है? नहीं, इसलिए यह एक गलत परिपाटी की शुरूआत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप मुझे भाषण समाप्त करने को कह रहे हें। यदि मैं विस्तार में जाऊं तो इसमें बहुत समय लगेगा।

अगला मुद्दा विद्युत उत्पादन है। यह वर्षों से है। पिछली लोक सभा में भी हमने विद्युत उत्पादन पर चर्चा की थी। इस मामले पर सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया तथा तुरन्त ही एक अध्यादेश जारी किया। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विनियामक प्राधिकरण हैं। वे इस मामले पर ध्यान देंगे। हमारे वित्त मंत्री विद्युत उत्पादन के बारे में अध्यादेश जारी करने के लिए इतने उतावले क्यों हैं जबकि संवधिान के अंतर्गत अन्य प्रक्रियाएं मौजूद हैं? एक विद्युत अधिनियम है, विनियामक प्राधिकरण हैं तथा बिजली बोर्डों के विचार भी अलग-अलग हैं। इस तरह की स्थिति में क्या विद्युत उत्पादन हेतु एक अध्यादेश प्रख्यापित करना आवश्यक है?

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने अध्यादेश से संबंधित इस बात का उत्तर दे दिया है। यदि आप विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहते है तो मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं। अन्यथा भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार भी 1 अप्रैल 2006 की तारीख दी गई है। इस तारीख से पहले ही कुछ कार्रवाई की जानी है। मैं आपको वह भाग पढ़कर सुनाता हूं। ''...1 अप्रैल 2006 से पूर्व किए गए किसी करार के अधीन वायुयान के संचालन...''

इसका संबंध विमान को पट्टे पर देने से है। 1 अप्रैल 2006 की तारीख की गई थी। संविधान ने फरवरी में बजट पास कराने के लिए हमें बाध्य किया है। फरवरी में हमारी बैठक होती है और हम लेखाओं के वार्षिक ब्यौरे अर्थात बजट तथा वित्त विधेयक पर चर्चा करते हैं। फरवरी और मार्च में इस पर चर्चा होती है। यहां, 1 अप्रैल, 2006 की तारीख दी गई है। अध्यादेश जारी करने की जल्दी क्यों थी जबकि फरवरी और मार्च के महीनों के दौरान सभा चल रही होती है? विद्युत उत्पादन के लिए 31 दिसम्बर 2005 की तारीख दी गई है। अत: कम से कम दो चर्चा के लिए पर्याप्त

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

समय है। सरकार को प्रतीक्षा करनी चाहिए थी तथा सभा द्वारा कर प्रस्तावों की स्वीकृति तक एक सामान्य विधान लाना चाहिए था। अध्यादेश जारी करने की सरकार की नीति ठीक नहीं है।

अब, मैं छूट के मुद्दे पर आता हूं। उन निर्धारितियों को छूट दी जाती है जिनकी 10 करोड़ रु. की धनराशि का निर्धारण किया गया है। लोगों का लाभ प्रदान करने के लिए यही कर प्रस्ताव है। चाहे जो भी हो, मैं कर प्रस्तावों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। परन्तु इसे जिस तरीके से लाया गया, और जिस तरीके से मंत्री जी इस विधान को पारित कराने का प्रयास कर रहे है, वह अत्यंत खेदजनक है तथा उसे किसी भी आधार पर उचित नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं नहीं समझता। आज, हमसे कहा गया है कि एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए। आज, उन्होंने उसे वापस ले लिया। मुझे लगता है कि वे अध्यादेश जारी करने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इससे उनका उद्देश्य पूरा होगा और वह सब चलता रहेगा। इस संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, वे निजी कॉलेजों के आरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाएंगे। वहां भी, आरक्षण संभव है तो अध्यादेश क्यों नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय: इसका संबंध इस विधेयक से नहीं है। आप अपनी बात कहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सभा के समक्ष जिस तरीके से यह अध्यादेश लाया गया, मुझे उस पर कड़ी आपत्ति है। ऐसे प्रस्तावों के विवरण के बारे में भी हमारे अलग-अलग अथवा विरोधाभासी विचार हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। किसी न किसी प्रकार से मैं उनके साथ हूं। यही कारण है कि मैं बाध्य हूं। प्रारंभ में मैंने कहा था कि यह एक 'प्रतिबद्ध' विधान है। यह 'प्रतिबद्ध' इस तरह से है क्योंकि मेरे जैसे अलग-अलग विचारों वाले लोग इस प्रतिबद्ध विधान से जुड़े हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, परिपाटी है कि अध्यादेश और विधेयक दोनों पर एक साथ चर्चा होती है और अंत में पूरी बहस का माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं। लेकिन पीठ की ओर से निर्देश हुआ और माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दे दिया तथा पीठ ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि आर्डिनेंस लागू करने की जो प्रथा और विधान हैं, उनका अतिक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना जरूर चाहता था, क्योंकि मेरा स्टेटूटरी रिज्यूलेशन था। लेकिन जब पीठ का ही निर्देश हो गया, आब्जर्वेशन हो गया, तो मुझे उस पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मूल विधेयक में अपनी राय दे कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

बहुत-सी चीजें इस विधेयक में हैं, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। खास तौर से अध्याय दो की धारा (2) में 39 सबसेक्शन (क) खेल कूद की प्रतियोगिता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित है या दो से अधिक देशों ने उसमें भाग लिया है। इसका मतलब किसी भी खेल की कोई इंटरनेशनल कंट्रोलिंग बाडी हो और उसमें दो देशों की टीमें भाग लें तथा उस खेल में प्रतियोगी जो पुरस्कार पाएं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। लेकिन इसका दायरा बढ़ा कर राष्ट्रीय स्तर के खेलों तक पहुंचाया जाना चाहिए क्योंकि दो ऐसे खेल हैं जैसे क्रिकेट और टेनिस, जिनमें खिलाड़ियों को मुनाफा होता है। लेकिन जो जिमनास्टर हैं, अन्य खेल कूद वाले हैं उनको भी फायदा पहुंचना चाहिए। उनके सामने खाने-पीने की समस्या है। खास तौर से जो कबड्डी का खेल खेलते हैं, जिसमें हमारे देश को पुरस्कार मिलता है, जो कुश्ती में भाग लेने वाले जवान हैं, उनको पुरस्कार मिलता है। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय खेलों में भी टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। जो टेनिस और क्रिकेट के खेल खेलते हैं, खेल के अलावा भी काफी धन अर्जत करते हैं। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अम्बेसडर बन जाते हैं। उसके विज्ञापन का प्रचार करने का करार डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ रुपए का होता है। खेल के बाहर की जो उनकी गतिविधियां हैं, जिन पर उन्हें मोटी रकम मिलती है और भारी आमदनी होती है, किसी भी हालत में ऐसी आमदनी को, किसी भी आयकर से या किसी भी तरह से, किसी भी कर से छूट नहीं दी जानी चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत कंपनियों की उत्पादन करने वाली, सम्प्रेषण करने वाली और वितरण करने वाली जो पद्धति है, उसे उन्नत करने की आवश्यकता है। हमारे देश में विद्युत एक गंभीर समस्या है और हमारे देश की तरक्की की वह बुनियाद है। यदि हम बिजली के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते, तो मैं समझता हूं कि इस देश को आगे बढ़ाने का, भारत निर्माण का या दुनिया की महाशक्तियों में बने रहने का जो हमारा संकल्प है, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। इसलिए विद्युत कंपनियों को आपने जो छूट दी है, वह अच्छी बात है। आपने जो इस प्रकार की छूट दी है, वह एक सीमित समय के लिए है और कहा है कि ऐसी कंपनियां 5 नवम्बर, 2003 को रजिस्टर्ड हो जाएं और 31 दिसम्बर, 2005 तक पूरा रजिस्ट्रेशन विज्ञापित हो जाए और अपना उत्पादन वर्ष 2007

तक शुरू कर दें। मैं समझता हूं कि यह अल्पकालीन व्यवस्था है। मैं इस बात को यदि ठीक प्रकार से समझ रहा हूं, तो इस प्रकार की अल्पकालीन व्यवस्था करने के पीछे भारत सरकार की मंशा दाभोल विद्युत परियोजना को नए सिरे से, पुनर्जीवित करने की है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जो सीमित समय के लिए छूट दी जा रही है, इसमें कुछ इजाफा किया जाना चाहिए। भारतीय कंपनियों को उत्पादन, वितरण और सम्प्रेषण के काम में प्रोत्साहित करने के लिए जो भी अन्य सुविधाएं दी जा सकें, वे दी जानी चाहिए। ऐसा मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन, भारत सरकार की मंत्री परिषद और हम सब लोग महसूस करते हैं कि हमारे बुनियादी ढांचे का एक अंग वायुयान का है और हमारे देश में वायु-परिवहन दुनिया के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। इसलिए उसके बुनियादी ढांचे में जो कमजोरी है, उसे दूर किया जाना चाहिए। उस दृष्टि से मंत्री परिषद् ने इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को बाहर से विमान खरीदने और लीज पर लेने की छूट दी। उसके लिए पैसा दिया, अनुदान दिया और उन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जिससे कि ये कंपनियां दुनिया की दूसरी कंपनियां के मुकाबले में अपने को खड़ा रख सकें। इसके लिए आपने आयकर में छूट दी, यह अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसी अध्यादेश की धारा 3-4 में कुछ चीजें ऐसे भी जोड़ दी गई हैं, जो मैं समझता हूं कि अनावश्यक है, और इसे विधेयक का रूप देते समय उन धाराओं को इसमें जोड़ दिया गया है। इसका सीधा असर भारत में जो निर्यात संवर्धन की स्कीमें हैं, उन पर पड़ने वाला है और वे प्रभावित होने वाली हैं। भारत में निर्यात संवर्धन की तीन रियायतें मिलती थीं। एक थी ड्राबैक स्कीम, दूसरी डी.पी.ई.बी. और तीसरी डी.ई.पी.पी. है और ये तीनों स्कीमें हमारे देश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए थीं। हमारे देश की भावना है कि हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है, उसे हम निर्यात अभिमुख और आयात अभिमुख बनाकर हम ठीक कर सकते हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने से हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडारण भी बढ़ता है। इस बारे में भारत सगर्व कहता है कि आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का रिकॉर्ड भंडार है। इसमें जो निर्यात संवर्धन स्कीमें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मान लीजिए वित्त मंत्री जी, उन कंपनियों ने, जिन्होंने ड्राबैक स्कीम के अलावा जो दूसरी रिलीफ की स्कीमें थीं उन्हें ऑप्ट कर लिया, उन कंपनियों के लिए एक सीमा बना दी कि 10 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर जो कंपनियों थीं, उनका नए सिरे से टैक्सेशन होगा। लेकिन 1998 से जो 10 करोड़ रुपए से ऊपर की जो निर्यातक कंपनियां हैं, उनका नए सिरे से टैक्सेशन रिनुअल होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि उन कंपनियों को परेशानी में डालने का यह सबब है। भारत सरकार बार-बार कहती है कि हम आयकर के प्रावधानों में नए सिरे से मुक्कमल विधेयक लाएंगे। हम अधिक से अधिक टैक्स पेयर को सहूलियत से सरकारी खजाने में वह अपने कर को अदा कर सकें, इसका इंतजाम करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि यह वचन देने के बाद इस तरह का प्रावधान करना निर्यातक लोगों को खास तौर से, जो बड़े टैक्स पेयर्स की श्रेणी में आते हैं, उनके सामने नयी परेशानी खड़ी करना है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि इनके दिल, दिमाग में हो, कि बहुत बड़ा, क्योंकि बार-बार हम इनका व्याख्यान बाहर सुनते हैं कि हमें अपने टैक्स कलेक्शन के दायरे को बढ़ाना है। आपको टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ाना है, लेकिन यहां आप कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं के ऊपर नयी-नयी समस्याएं खड़ी करें। इसलिए यदि दस करोड़ से ऊपर की निर्यातक कंपनियों को नये सिरे से, यदि उन्होंने ड्रा-बैक-स्कीम के अलावा दूसरे रिलीस रूट्स को एडोप्ट किया है, उन्हें नये सिरे से उनका कराधान करना ही है तो आज की तारीख से होना चाहिए। यदि आज की तारीख से नहीं करते तो 1998 से करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम सामान्य रूप से आय कर कानूनों के ज्ञाता और उसके विशेषज्ञ तो नहीं हैं, लेकिन सामान्य तौर पर राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो समझ है, वह यह है कि तीन साल पुराने इंकम टैक्स दी हुई किसी भी फाइल की नये सिरे से री-ओपनिंग नहीं होती। इस तरह की प्रथा चालू करके आप 1998 से दस करोड़ से ऊपर के निर्यातकों के सारे खातों को नये सिरे से खोलेंगे और उन्हें फिर अदालतों और आय कर कार्यालयों में जाना पड़ेगा तथा नया भ्रष्टाचार का दरवाजा आय कर विभाग का खुलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसे आज की तारीख से, जिस तारीख से यह विधेयक पेश कर रहे हैं, उस तारीख से लागू करें और यदि उस तारीख से लागू नहीं करना चाहते तो यह जो दस करोड़ की सीमा है, इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। इस आग्रह के साथ मोटे तौर पर इसमें जो प्रावधान हैं, उनमें अधिकांश का मैं स्वागत करता हूं और उसमें कुछ संशोधन करने का सुझाव देते हुए, आपने मुझे जो बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री काशीराम राणा (सूरत): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहां जो विधेयक लाए हैं, उसके बारे में मैं अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं। वैसे पहले रेजोल्यूशन के डिसकशन में वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ चर्चाएं की हैं और क्लेरीफिकेशंस भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह अध्यादेश के बेस पर यह विधेयक बना है, यह एक बहुत ही गलत परम्परा यहां प्रस्थापित करने जा रहे हैं। इस विधेयक में जो बातें बताई गई हैं, क्लाज तीन एवं चार ऐसे क्लाज हैं, जो

[श्री काशीराम राणा]

अध्यादेश में है ही नहीं, लेकिन न जाने क्यों, किस वजह से ये क्लाज विधेयक में लाए गए, यह न तो एक अच्छी परम्परा पैदा की है, उसके अनुकूल है और एक्सपोर्ट के बारे में सरकार का जो ख्याल है, उसके बारे में भी यह गलत है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह एवं विनती करूंगा कि कम से कम यह गलत परम्परा न हो। आप उसका अलग विधेयक लाएं, हम दोनों के बारे में अलग से डिसकशन करेंगे और जो भी सदन उसके बारे में अपनी राय देगी, उसके आधार पर वह विधेयक पास होकर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, मैं उनमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन जो तीन एवं चार क्लाज है, उनके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। कल मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मिला और हमने इस मामले पर विचार विमर्श किया, फिर भी मैं सदन में कहना चाहूंगा कि जिस तरह भारत सरकार चाहती है कि देश में एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्टरों को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बनाई एवं और भी बनाएंगे, लेकिन इस विधेयक में जो प्रोविजन रखा गया है इससे तो देश भर के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें एक गलत मैसेज जाएगा कि आज हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो न जाने कल सरकार और भी विधेयक में क्लाज लाकर हमने जिस बात के आधार पर एक्सपोर्ट किया, उसमें आने वाले 5, 7 या 10 साल में हमें टैक्स देना पड़ेगा। यह एक गलत मैसेज पूरी एक्सपोर्ट कम्युनिटी में इस विधेयक के जरिये गया है, जो अच्छा नहीं है। इससे हमारे निर्यात करने वाले कोई प्रोत्साहित नहीं होते, बल्कि वे उससे अपना जो बिजनेस है, अपना एक्सपोर्ट वे कम करते जाएंगे। इसीजिए मेरा कहना है कि यह जो गलत मैसेज जा रहा है, वह न जाये, इसके लिए भी भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी, जिनको हमारे पूरे देश की ट्रेड, बिजनेज और एक्सपोर्ट की बड़ी ही चिंता है, वे इस बात को स्वीकार करके ऐसा मैसेज नहीं भेजें कि जिससे हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर कोई गलत या कोई प्रतिकूल असर हो।

मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, माननीय मोहन सिंह जी ने अभी जो बात बताई कि 1998 से अगर मान लीजिए, जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, क्यों किया? चाहे भारत सरकार हो, चाहे कामर्स मिनिस्ट्री हो, जब भी वे एग्जिम पालिसी डिक्लेयर करती है तो कहती हैं कि एक्सपोर्ट करो। किसी को स्टार हाउस बना दीजिए, किसी को न जाने क्या बना दिया, आपने ऐसी ग्रेडिंग कर दी, ऐसी ब्राण्डिंग कर दी कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाओ तो उसमें हमारा जो भी निर्यात करते हैं, उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है, आज उसके सामने जो सवाल इस विधेयक के जरिये आकर खड़ा है कि 1998 से आज तक हमने जो एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर चाहे डी.ई.पी.बी. लाइसेंस की सेलिंग का है, लेकिन आखिर एक्सपोर्ट तो हुआ है। इसलिए मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि छोटे-बड़े का ख्याल छोड़कर पूरी कम्युनिटी को एक ही तरीके से हम सोचें कि जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, उसके ऊपर यह जो भी टैक्स है, वह टैक्स नहीं लेना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डी.ई.पी.बी. हमारे वित्त मंत्री जी की देन है। जब वे पहले वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने डी.ई.पी.बी. की सहूलियत दी थी। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन उस समय कोई क्लैरीफिकेशन नहीं दिया था कि आने वाले समय में इसके ऊपर ऐसा टैक्स लगेगा। न तो सी.बी.डी.टी. ने कोई क्लैरीफिकेशन दिया था, न वित्त मंत्रालय ने दिया था कि आने वाले समय में आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आपको टैक्स लगेगा। टैक्सेबिलिटी का कोई मामला, कोई इंस्ट्रक्शन उस समय नहीं दी थी, जब वित्त मंत्री ने यह डी.ई.पी.बी. का जो मसला उठाया। आज डी.ई.पी.बी. के अंतर्गत हमारे सामने यह रखना चाहते हैं कि ये जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उन बड़े एक्सपोर्टर्स से हम टैक्स लेना चाहते हैं और जो छोटे हैं, इनके लिए हमने 10 करोड़ की सीमा रखी है, आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई लिटिगेशन हुआ है, क्या कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है? हां, ऐसा जरूर है कि जो भी लिटिगेशन में, न तो हाई कोर्ट और न जो भी हमारी टैक्स डिपार्टमेंट की एथारिटी है, इस एथॉरिटी ने ठीक ढंग से यह मामला सोल्व नहीं किया, क्योंकि सभी कन्फ्यूजन में थे, सभी एक दूसरे पर डालते रहते थे और आखिर में इस तरह से यह विधेयक का रास्ता आया है, लेकिन विधेयक हमारे सामने इस तरह से आया है कि इसमें जिन्होंने एक्सपोर्ट आज तक अच्छी तरह से, अच्छी नीयत से किया है, चाहे डी.ई.पी.बी. का लाइसेंस उन्होंने जहां भी सेल किया हो, लेकिन उसे टैक्स देना पड़ेगा।

जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा खींचना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी, आज इस मसले से देश में हजारों फैक्टरियां बन्द हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

हमारे हजारों कारीगर आज बेकार बैठे हुए हैं क्योंकि 1998 से सबकी रिकवरी के लिए वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स अथॉरिटी आगे बढ़ रही है। यह ठीक हुआ कि निर्यातक निर्यात करने के बजाए दिल्ली की सड़कों पर उतर आए, तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि कुछ न कुछ सौल्यूशन निकाला जाएगा। वे प्रधान मंत्री जी से मिले। अगर हमारे वित्त मंत्री जी भी उसी समय हमारे एक्सपोर्टरों से मिलते, तो हो सकता है कि इस बिल में जो प्रावधान रखा गया, वह नहीं होता। फिर भी मैं एक बात जरूर

कहना चाहूंगा कि 10 करोड़ रुपये की सीमा आप कहां से लाए, उसका बेस क्या है, एक्सपोर्ट 10 करोड़ रुपये की सीमा कैसे तय होती है, उसका क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या रेशनैलिटी है। क्या हम अपने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं जिससे छोटा-छोटा एक्सपोर्ट हो। आज चाहे गैट हो या मार्क स्पेन्सर हो, कोई और हो, बड़ी-बड़ी कंपनियां एक ही समय में 2 मिलियन, 5 मिलियन का आर्डर देती हैं जिन्हें करना पड़ता है। वे चाहे छोटे लोगों से लेते हो लेकिन जब तक हमारे एक्सपोर्टर बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक उनका धंधा चलने वाला नहीं है, हम वर्ल्ड मार्किट में टिक नहीं सकेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपये की सीमा क्यों है?

मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा, जब 1 जनवरी, 2005 से यह खत्म हो चुका है, तब हमारे एक्सपोर्टर्स जोर से आगे बढ़े, इसलिए ऐसा प्रावधान नहीं करें बल्कि उन्हें और इन्सैनटिव और बैनीफिट दें। 10 करोड़ रुपये की सीमा खत्म कर दी जाए ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स में आगे बढ़ने की हिम्मत आए।

कल भी वित्त मंत्री जी के साथ मेरी चर्चा हुई। अगर कोई सीमा तय करनी है तो रिट्रासपैक्टिव इफैक्ट से कलॉज लाना पड़ेगा, वह मैं जानता हूं। आप या तो 10 करोड़ रुपये की सीमा समाप्त कर दें, फिर रिट्रासपैक्टिव इफैक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। टैक्सटाइल मंत्रालय ने 2010 तक 50 बिलियन डालर का एक्सपोर्ट करने का संकल्प किया है, आज 12-13 बिलियन डालर है, अगर 50 बिलियन डालर तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। अगर ऐसा प्रावधान होगा, 1998 से निर्यात करने वाले को टैक्स देना पड़ेगा तो वह अपना धंधा बंद कर देगा।

मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 10 करोड़ रुपये की सीमा डी ई पी बी लाइसेंस को सीमा अतार्किक है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अगर उसमें बुरा लगता है कि इसमें सरकार ने जो किया है तो ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे सीमा भी रहे और सभी एक्सपोर्टर्स को बैनीफिट भी मिले। इसी तरह सीमा बढ़ाएं जिससे सबको लगे कि भारत सरकार ने हमारे साथ न्याय किया है। यदि सरकार के साथ रहकर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसे और आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। हमें एक्सपोर्ट में ऐसा माहौल पैदा करने की जरूरत है। अगर ऐसा माहौल पैदा करते हैं तो इस देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम कभी-कभी चाइना की बात करते हैं कि वह कितना आगे बढ़ गया है। मैं कहूंगा कि चाइना के एक्सपोर्टर्स को जो बेनीफिट मिलता है, उस बारे में सदन में बताना चाहिए कि वे किस तरह से अपने एक्सपोर्टर्स को बेनीफिट देकर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। हमारे यहां उन पर रिस्ट्रक्शन्स लगाये जाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि 10 करोड़ रुपये की सीमा को समाप्त किया जाये। अगर वह समाप्त नहीं की जा सकती तो इस तरह से इनक्रीज की जाये कि हमारे एक्सपोर्टरों को लगे कि भारत सरकार हमारे साथ है।

मुझे लगता है कि चाहे डीएफआरसी हो या डीईपीबी हो, यह तो उनका अधिकार है, लेकिन उस अधिकार पर टैक्स लेना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे बहुत गलत मैसेज जायेगा क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत परेशानी में हैं। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और उस पर स्टे कर दिया लेकिन उन लोगों पर इतनी रिकवरी थी कि बैंक वालों ने उनके घर ले लिए। इसके साथ-साथ कार या जो भी उनका बैंक बैलेंस था, वह सब सीज कर दिया। वे लोग ऐसी परेशानी में थे।

मुझे आशा है कि इस विधेयक के जरिये माननीय वित्त मंत्री जी की जो भी मंशा है, इच्छा है, वह एक्सपोर्टरों की मदद करने के लिए है। इसे मैं समझता हूं। मेरा कहना है कि उन्होंने जिस तरह से कई आइटमों में एग्जम्पशन दिया गया है, उसी तरह 3-4 आइटम्स में पूरा एग्जेम्पशन मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने वित्त अधिनियम, 2005 के अधिनियम के पश्चात आयकर और बैंक नकद संव्यवहार कर से संबंधित कतिपय नीतिगत विनिश्चिय किए हैं। इन निर्णयों के लिए संशोधन के रूप में तत्काल विधायी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि हम विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हैं तो हम पाते है कि विदेशी विमानन कंपनियां यहां हमारे देश में आ रही हैं। यदि हम अपनी विमानन कंपनियों को विदेशी कंपनियों को विमान पट्टे पर देने से प्राप्त भुगतान पर कर से छूट देकर प्रोत्साहित करते हैं तो मेरे विचार से यह सबसे बेहतर होगा और आज इसी की आवश्यकता है।

दूसरे, हमारे देश में कोई व्यक्ति या संगठन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हो जो एक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा स्वीकृत हो और उससे आय अर्जित कर रहा हो। यदि हम इस प्रकार की आय के संबंध में जो सरकार द्वारा अधिसूचित है, छूट देते हैं तो यह निश्चय ही स्वागत योग्य कदम होगा।

तीसरे, हम सब अपने देश में बिजली की कमी का सामना करते हैं। यदि हमारी अपनी कंपनियों द्वारा उत्पादन, पारेषण और वितरण के माध्यम से आय अर्जित करती है उसे छूट दी जाए तो यह स्वागत योग्य होगा। आज ऐसा करने की आवश्यकता भी है।

[श्री आनंदराव विठोबा अडसूल]

दूसरी बात यह है कि यदि राजनीतिक दल और कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों की फ्रिंज टैक्स भुगतान की देनदारियों से छूट मिलती है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा।

अन्त में, हमारे वित्त मंत्री ने वर्ष 2005-06 के बजट में वित्त अधिनियम में एक नया नकदी लेन देन कर आरंभ किया है जिसका उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना है। दुर्भाग्यवश, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बीच नकदी लेन देन पर कर लगाया था। यह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण था। रिजर्व बैंक ने इस पर विचार नहीं किया था और उसे वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी संकल्पना के बारे में सोचा नहीं था। मैं सामने आया। मैंने संघों और परिसंघों के अभ्यावेदन एकत्रित किए और अपने पत्र के साथ इसे मैंने माननीय वित्त मंत्री को सौंपा था।

सौभाग्यवश, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और एक बैठक रखी। तत्काल ही उन्हें उस कर से छूट मिल गयी। मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

एक बार पुन: मैं इस संशोधन जो आवश्यक है, का स्वागत करता हूं। इसका अध्यादेश के रूप में प्रख्यापन किया गया था। अब हम इसमें संशोधन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो कराधान विधि संशोधन विधेयक 2005 लाया गया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सरकार और वित्त मंत्री जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि इंकम टैक्स की धाराओं में और वित्त विधेयक की धारा में संशोधन करके कर में छूट देना है और कर में छूट भी वैसे सैक्टर में देनी है जहां पर व्यापार करने वाले लोगों को, खेलकूद में लगे हुए लोगों को तथा विद्युत उत्पादन करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले। मैं समझता हूं कि यह विधेयक काफी स्वागत योग्य है। इनकम टैक्स की धारा दस में मुख्यत: संशोधन किया गया है और उसमें कुछ खंड जोड़े गये हैं। उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वायुयान का कारोबार करते हैं, जो भारतीय कंपनी करती हैं और विदेश में जो इकरारनामा किया जाता है और उससे जो आय होती है, उसमें छूट देने की बात कही गई है। दूसरी छूट जो मैंने कही है कि जो विद्युत उत्पादन करने में या विद्युत का वितरण करने में या विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाने के लिए जो टैक्स हैं, उनमें भी छूट देने का काम किया है।

तीसरी छूट खेलकूद के बारे में है कि खेलकूद को भी प्रोत्साहित करना है। बाहर से या कई राष्ट्रों के जो खिलाड़ी आते हैं और उनको जो पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार में भी कर में छूट देना है। महोदय, मुख्यत: ऐसी ही बातों में छूट देकर इस विधेयक के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने सराहनीय काम किया है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मोहम्मद शाहिद (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने बताया कि वित्त मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं, कुछ बिन्दुओं पर स्वागत योग्य है और जो इन्होंने छूट दी है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं।

लेकिन इसके साथ-साथ ही इसमें बहुत ही गंभीर बिन्दु हैं, जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी बता रहे थे, जिन एक्सपोर्टर्स ने, जैसा कि धारा 3 में दिखाया है, डीईपीबी की जो सुविधा 1998 से पहले दी गई है, वह डीईपीबी सुविधा देने का मकसद यह था कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन मिले और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। हमारे देश के एक्सपोर्टर्स ने मेहनत करके अपने काम को आगे बढ़ाया है, देश के लोगों को उससे रोजगार उपलब्ध कराया है तथा उससे फौरेन एक्सचेंज मिला है। उसके बदले में अगर आज इसे पास किया जाता है तो इससे सीधा-सीधा उनके ऊपर असर पड़ता है। 1998 से डीईपीबी की जो छूट उनको मिली और उस छूट के माध्यम से जो उन्होंने अपनी बिक्री विदेशी में की, इंटरनेशनल मार्केट में अपना लोकल प्रोडक्ट बेचना कम्पीटीशन के माध्यम से बाहर माल बेचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए डीईपीबी सुविधा को लेते हुए 1998 से बैलेंस शीट के अंदर जो डीईपीबी का प्रॉफिट था, उसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट मानते हुए उन्होंने सबमिट किया जिसकी पूरे देश के अधिकरी ज्यादातर प्रशंसा करते रहे और वे उसे एक्सपोर्ट इनकम मानते रहे। लेकिन अगर आज दस करोड़ रुपये वाली सीमा लागू होती है, तो जिन एक्सपोर्टर्स ने दिन-रात, एक करके, अपनी मेहनत करके, देश के अंदर फौरेन एक्सचेंज लाने की नीयत से राष्ट्रीय हित में, एक्सपोर्ट किया कि हजारों लोगों को रोजगार दिया जाए तो इससे उनकी फैक्टरीज तो बिकेंगी ही, बल्कि मैं समझता हूं कि उनके घर भी नहीं बन पाएंगे। इतना बड़ा अन्याय किसी शासन में नहीं हुआ। अगर यह 10 करोड़ वाली सीमा लगायी जाती है तो यह उन एक्पोर्टर्स के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने मेहनत करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया और उसे 10 करोड़ के ऊपर पहुंचाया है। ऐसे सभी एक्सपोर्टर्स इस श्रेणी में आएंगे और उनको वर्ष 1998 के बाद के सारे केस खुलवाने पड़ेंगे और जो इंकम टैक्स अफसर हैं, वे दुकानें खोलकर बैठेंगे और एक्सपोर्टर्स अपनी फैक्ट्रियां बेचकर कोर्ट-कचहरियों के चक्कर काटते फिरेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है और लगभग सभी पर्टियों की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए। यह देश के सामने एक बहुत गंभीर विषय है। आज

एक्सपोर्टर्स का काम ऐसा है जिसके माध्यम से देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, अगर वही बंद हो जाएगी तो लोगों की इण्डस्ट्रीज बंद हो जाएगी। इससे देश का बहुत बड़ा राष्ट्रीय नुकसान होगा। अगर माननीय वित्त मंत्री जी यह समझते हैं कि यह गलत नहीं है तो 10 करोड़ से नीचे वालों को छूट क्यों दी जा रही है? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उनके दिल में यह बात है कि वर्ष 1998 से सभी केस खुलेंगे। डीईपीबी का लाभ होने वाले सभी एक्सपोर्टर ने उसे एक्सपोर्ट इंकम मानते हुए, यह मानते हुए कि हमारी सरकार की ओर एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ही यह छूट दी गयी है, अपना बिजनेस किया है। आज अगर इसे टैक्सेबल किया जाएगा तो उससे बहुत बड़ा राष्ट्रीय नुकसान होगा और लोग तथा देश बहुत बड़ी बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। इस सीमा में कोई कम संख्या में लोग नहीं आएंगे बल्कि इसमें लाखों की तादाद में एक्सपोर्टर्स आते हैं जो इस चीज से प्रभावित होंगे। डीईपीबी के अलावा दूसरी स्कीमें भी थीं जैसे डीएफआरसी आदि उनको टैक्स की श्रेणी में क्या नहीं लाया जा रहा है? डीईपीबी को ही क्यों टैक्स की श्रेणी में लाया जा रहा है? माननीय मंत्री जी ने इस बिल में जो छूट दी हैं, उनका स्वागत है, लेकिन 10 करोड़ की इस सीमा पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। किसी एक व्यापारी से, एक एक्सपोर्टर से हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं, हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी होती है। इससे देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित होगा। इसलिए मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए वित्तमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों से सहानुभूति रखते हुए दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाए जाने चाहिए। उसी श्रेणी में एक तबके को छूट दी जा रही है और दूसरे तबके को छूट नहीं दी जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह 10 करोड़ रुपए का धर्मकांटा किसलिए लगाया गया है? अगर वह गलत है तो सभी के लिए गलत है, अगर सही है तो सभी के लिए सही है। पिछले 10 सालों में ज्यादातर एक्सपोर्टर्स ने उसको एक्सपोर्ट इंकम माना, अपनी बैलेंस शीट्स में एक्सपोर्ट इंकम दिखाया। आज 10 साल बाद सरकार की आंख खुल रही है कि यह एक्सपोर्ट इंकम नहीं है। अगर यह होना था तो दस साल पहले वर्ष 1998 में होना चाहिए था।

इसी तरह का एक मामला टेक्सटाइल वालों का था जिसमें टेक्सटाइल वालों ने अपने एक्सपोर्ट कोटे दूसरों को सेल किए हैं। उसमें नोटीफिकेशन किया गया और नोटीफिकेशन में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह एक्सपोर्ट इंकम है, जबकि उनकी भी बिल्कुल डीईपीबी के लाइसेंस की तरह लोकल सेल थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि डीईपीबी पर टैक्स नहीं लगेगा और उसके बावजूद सभी चीजों को अनदेखा करके यह प्रावधान लाया गया है। जहां इस प्रावधान से बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, वहीं एक और तबका आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें भी कुछ रियायत मिलेगी। अगर उनका गला घोंटा जाता है तो वह किसी इण्डीविजुअल एक्सपोर्टर की बात नहीं है, उससे देश के लाखों एक्सपोर्टर्स और उनसे जुड़े हुए बहुत से गरीब एवं बेरोजगार लोग प्रभावित होंगे जिनकी मजदूरी उन फैक्टरियों से चलती है। मैं समझता हूं कि यह प्रावधान होने के बाद फैक्टरियां बंद करने और बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इतना टैक्स देने की स्थिति में आज का कोई एक्सपोर्टर नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 10 करोड़ की यह सीमा न लगाई जाए क्योंकि एक्सपोर्ट के मार्केट में 10 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक आम एक्सपोर्टर का भी सौ-पचास करोड़ का काम होता है। इसलिए यह सीमा हटाकर सभी को एक नजर से देखते हुए क्योंकि संभी लोग देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, सभी को रियायतें दी जानी चाहिए। जनता की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से कुछ तकलीफें महसूस की जा रही हैं जो हम यहां जाहिर कर रहे हैं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें रियायत दी जाए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बिना न बोलें।

श्री भर्तृहरि महताब बोलेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज मैं कराधान विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार कहती है कि वित्त अधिनियम 2005 के अधिनियम के पश्चात आयकर और बैंक नकद संव्यवहार कर से संबंधित कतिपय नीतिगत विनिश्चय किए गए थे और इन सब के लिए तत्काल विधान की आवश्यकता थी अत: एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। किन्तु मुझे खेद है कि हम न तो इस दृष्टिकोण का समर्थन कर सकते हैं और न ही कभी इस दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। इस विधेयक के दो पहलू हैं जैसा कि यहां इस सभा में चर्चा हुई है। एक पहलू है कि पांच ऐसे मामले हैं जहां छूट दी जाएगी और दो खण्ड हैं जिनमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं जहां कराधान के लिए कतिपय प्रावधान किए जा रहे हैं।

मैं पांच महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा जिन पर इस विधेयक के माध्यम से छूट दी गयी है। इस विधेयक का पहला उद्देश्य है कि विमानन के व्यवसाय में लगी भारतीय कंपनी से किसी अन्य देश द्वारा या विदेशी कंपनी द्वारा पट्टे पर विमान लेने से प्राप्त

[श्री भर्तृहरि महताब]

भुगतान पर आयकर से छूट देता है। भारतीय विमानन कंपनियों को पट्टे पर विमान प्राप्त करने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को जारी रखने देने के लिए कहा गया कि तारीख को आगे बढ़ाना आवश्यक था। विमान पट्टा प्रभार पर कर में छूट देने से भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा अगले एक वर्ष में मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ जोड़ा है कि लगभग 200 करोड़ रु. बचाए जाने की संभावना है।

माननीय वित्त मंत्री ने हमें एक हितैषी कर प्रशासन देने का आश्वासन दिया था। हम जानते हैं कि कर जीवन का एक भाग हैं। हम यह भी जानते हैं कि यह व्यवसाय का एक भाग है। किन्तु कर राजस्व बढ़ाने का बोझ पूरी तरह समूचे मध्यम वर्ग पर नहीं पड़ना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिया जा रहा कतिपय कर छूट आज हमारे कुल कर संग्रहण का लगभग सातवां भाग है। हाल ही में, एक दिल्ली स्थित संस्थान राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने अनुमान लगाया है कि 54,560 करोड़ रु. की कर छूट दी जा रही है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.6 प्रतिशत है जो कर संग्रहण में 1.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से कहीं अधिक है जिस लक्ष्य को बारहवां वित्त आयोग चाहता था कि कर विभाग 2009-2010 तक प्राप्त करे।

यहां बात यह है कि क्या करों में छूट के वांछित परिणाम मिल रहे हैं। इस बारे में सभा जानना चाहेगी, इसे मैं जानना चाहूंगा। क्या हम इनके दुरुपयोग के बारे में नहीं जानते हैं? विधेयक के दो खंड-खंड सं. 3 और खंड सं. 4 नए जोड़े गए हैं जो अध्यादेश से संबंधित हैं। आयकर अधिनियम की धारा 28 और धारा 80जजग में संशोधन से निश्चय ही निर्यात में बाधा पहुंचेगी। पहले ही गलत सदेश दिया जा चुका है। मैं निर्यात पर कर के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु जैसा उल्लेख किया गया है। 1 अप्रैल से, 1998 कुछ भी भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल अनुचित ही नहीं अवैध भी है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान तैयार वस्त्रों के अलावा समुद्री उत्पादों पर कर के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

वे भी आज दुविधा में हैं कि इस विधेयक से उनके व्यापार को बाधा पहुंचेगी। दूसरा मुद्दा यह है। सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति के किसी मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय निकाय से अनुमोदित कोई अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का भारत में आयोजन से प्राप्त विनिर्दिष्ट आय को छूट देना एक स्वागत योग्य कदम है। मेरी राय है कि ऐसा बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हमने मेरे विचार से पिछली लोक सभा, 13वीं लोक सभा में सभा के सदस्यगण के रूप में हमने इस पर विचार किया था और कुछ प्रयास किये जा रहे थे किन्तु इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा सही दिशा में प्रयास किया गया है। यह खेलकूद क्रियाकलापों और खिलाड़ियों के हित में किया गया अच्छा प्रयास है।

तीसरा, यह विधेयक दाभोल बिजली परियोजना के बारे में भी है और शिव सेना के एक सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि अब आयकर अधिनियम की धारा 80(1ए) के तहत रत्नागिरी गैस और विद्युत परियोजना को लाभ मिलेगा और मार्च 2007 के अंत तक दाभोल से विद्युत की बिक्री शुरू करनी होगी।

चौथा, पिछले बजट में लागू किये गए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से राजनैतिक दलों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। राजनैतिक दलों को प्रचार व्यय हेतु एफबीटी के रूप में भारी राशि का भुगतान करना पड़ता। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब राजनैतिक दलों की आय कराधान से पहले ही मुक्त है तो राजनैतिक दलों पर एफबीटी क्यों लगाया गया है? यही प्रश्न है। एफबीटी नियोक्ता द्वारा देय था और यहां मैं नहीं जानता कि यह विचार कैसे दिमाग में आया। सरकार या प्रत्यक्ष कर विभाग से किसी ने यह कैसे सोचा कि राजनैतिक दलों को इसमें लाया जा सकता है? वहां पर नियोक्ता और कर्मचारी कौन है? यह स्पष्ट किया गया है। इसे और स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

पांचवां, वित्त अधिनियम 2005 में लागू किया गया बैंक नकद लेनदेन कर अंतर बैंकीय लेनदेन पर भी लागू होता है। मंत्रालय ने यह पहले क्यों नहीं सोचा? बजट तैयार करते समय एक छोटे से स्पष्टीकरण से समस्या का समाधान हो गया होता। आज, कर कानून और अधिक जटिल बन गया है और इसे कार्यान्वयन करना मुश्किल हो गया है। इसे सरल करने का कोई भी प्रयास इसे और मुश्किल बना देता है।

शक्तिशाली लोगों के हाथ में छूट का ऐसा चुंबक है जो खींचता भी है और धकेलता भी है। मेरे विचार से कर में छूटों को हटाना होगा। इससे तीन चीजें होंगी। पहला, इससे कर का अधिक संग्रह होगा। दूसरा, इससे कुशलता बढ़ेगी। तीसरा, इससे भ्रष्टाचार कम होगा। इससे विशिष्ट लाबियां अस्थिर होंगी। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे? क्या मंत्री महोदय अधिकारियों और करदाताओं की ओर से कर में ईमानदारी को बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं श्री नवीन जिन्दल को बुलाऊं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत से राज्य हैं जो कि आर्थिक रूप से लघु उद्योगों पर मुख्य रूप से निर्भर हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन लघु उद्योगों को छूट देने के बारे में सोचें जिनका टर्नओवर 10 करोड़

रु. से अधिक है। मेरा ख्याल है कि आप भी इसके बारे में सोचेंगे।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का इन संशोधनों को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक के सभी प्रावधानों का खुले दिल से समर्थन करता हूं।

एक खिलाड़ी होने के नाते मैं माननीय वित्त मंत्री का, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों की भारत में आयोजित किसी अंतरराष्ट्रीय खेल जो कि इस खेल के नियमन के लिए उत्तरदायी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित हो, और जिसमें अनेक राष्ट्रों की भागीदारी हो, से हुई विशिष्ट आय में छूट देने के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं।

मैं इस कदम का स्वागत करता हूं किंतु मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ये छूट विदेशों में आयोजित खेलों के लिए क्यों नहीं? क्यों केवल भारत में आयोजित खेलों का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है? यदि कोई भारतीय खिलाड़ी खेलने के लिए विदेश जाता है और कुछ पुरस्कार राशि जीत कर वापस आता है तो उस खिलाड़ी को आयकर में छूट मिलनी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अभी इससे सिर्फ क्रिकेट की मदद होगी, क्योंकि अमूमन इस तरह की स्थिति में क्रिकेट के खिलाड़ी पाए जाते हैं। क्रिकेट के सभी खिलाड़ी अधिक पैसा कमाने के लिये जाने जाते हैं। वास्तव में, वे इस देश में अन्य किसी से अधिक पैसा कमाते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि अन्य खेलों को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर ओलम्पिक खेलों को। विश्व में 200 से भी अधिक देशों द्वारा ओलम्पिक खेल खेले जाते हैं जबकि विश्व में क्रिकेट 20 से भी कम देशों द्वारा खेला जाता है। किंतु हमारे देश में सभी नीतियां क्रिकेट के पक्ष में होती हैं। मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ओलम्पिक खेलों को भी अधिकाधिक प्रोत्साहित करने की ओर ध्यान दें।

मुझे स्वर्गीय श्री सुनील दत्त के साथ ओलम्पिक खेलों को देखने का एक मौका मिला था जो कि उस समय खेल मंत्री थे। मैं एथेन्स में था और मैंने विश्व के लाखों लोगों को भारतीय एथलीटों को देखने और हौसला बढ़ाते देखा। विशेष तौर पर जब हमारी महिला एथलीट दौड़ रही थी तो सारा स्टेडियम उत्साहवर्धन कर रहा था। यह व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय एथलीटों को अच्छा प्रदर्शन करते देख कोई कितना गर्व महसूस

करता है। उस समय मैंने मेजर राज्यवर्धन राठौड़ को रजत पदक जीतते देखा। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में मेडल जीतने पर कैसा महसूस होता है? प्रतिदिन मुझे कम से कम दस बार चीनी राष्ट्रगान बजते समय उठना पड़ता था क्योंकि चीनी एथलीट ओलम्पिक खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे।

हम भारतीय एथलीटों, विशेषकर ओलम्पिक एथलीटों के लिए क्या कर रहे हैं जिन्होंने उस समय इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। यह सब उनके खुद के गुणों की वजह से था। वर्तमान में भारत में प्रणाली हमें किसी भी मेडल को जीतने के लिए प्रेरित नहीं करती। अतएव, मैं माननीय मंत्री महोदय ने अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें किसी प्रकार की कर छूट दी जाए। पिछली सरकार ने ओलम्पिक खेलों पर 100 प्रतिशत कर छूट दी थी किंतु मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन कंपनियों को 150 प्रतिशत कर छूट दी जाए जो किसी ओलम्पिक खेल को प्रायोजित करती है, या ओलम्पिक खेलों के आयोजन में मदद करती है, या ओलम्पिक खेलों में लगे खिलाड़ियों को प्रायोजित करने में मदद करती है। मैं महसूस करता हूं कि इससे ओलम्पिक खेलों को प्रोत्साहित करने को बहुत मदद मिलेगी।

मैं विशेषतौर पर यह भी स्पष्ट करूंगा कि यह क्रिकेट के लिए नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ ओलम्पिक खेलों के लिए होना चाहिए क्योंकि हमें वास्तव में ओलम्पिक खेलों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हम यहां बैठकर यह महसूस नहीं कर सकते किंतु जब हम वास्तव में ओलम्पिक देखने जाते हैं या अन्य खेल प्रतिस्पर्धा को देखते हैं और उनमें भारत का बुरा प्रदर्शन देखते हैं तो वास्तव में बहुत कष्ट होता है। यही स्थिति 2008 के बीजिंग ओलम्पिक में होने जा रही है और यही स्थिति 2012 के ओलम्पिक में होने जा रही है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि हमने अपने देश में खेलों में सुधार के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

भारत में खेलों की वास्तव में बुरी तरह उपेक्षा की गई है। यदि हम चाहते हैं कि भारतीयों को भारतीय होने में गर्व हो तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता अति आवश्यक है। हमें खेलों के स्तर को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जिन्होंने कुछ उपलब्धि अर्जित की है, या जिन्होंने खेलों में पहले ही अच्छा प्रदर्शन किया है या जो पहले ही ओलम्पिक में मेडल जीत चुके हैं। हमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक धन खर्च करना होगा और बहुत प्रयास करना होगा। इस देश में सैकड़ों जसपाल राणा और राज्यवर्धन राठौड़ हो सकते हैं, जो हमारे देश के लिए काफी पदक जीत सकते हैं।

[श्री नवीन जिन्दल]

महोदय, एक अरब से ज्यादा जनसंख्या वाले देश के लिए केवल एक रजत ओलंपिक पदक या एक कांस्य ओलंपिक पदक जीतना बहुत ही शर्मनाक है। दुर्भाग्यवश, हम अभी भी सही दिशा में अग्रसर नहीं हैं। मेरे विचार से, यदि माननीय मंत्री ओलंपिक खेलों के एथलीटों को प्रायोजित कर ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने वाली किसी कंपनी को 150 प्रतिशत कर छूट देती है, तो पूरा देश उनका कृतज्ञ होगा। यह भी खेलकूद को बढ़ावा देने में एक दूरदर्शी कदम होगा।

दूसरे, मैं विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु माननीय वित्त मंत्री द्वारा उठाये गये कदमों का स्वागत करता हूं। पुनर्जीवित करने और पुनर्निर्माण हेतु धन प्राप्त करने वाली किसी कंपनी को किसी भी प्रकार के कर से छूट दी जानी चाहिए। यह बड़ा ही स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि इस देश में विद्युत की भारी कमी है।

मेरे विचार से यह कदम विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक दूरगामी कदम होगा। ऐसा प्रावधान है कि 31 मार्च, 2006 से पहले विद्युत उत्पादन आरंभ करने वाले किसी भी विद्युत संयंत्र को 10 वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष, पिछले पांच या छह वर्षों से मैंने देखा है कि इस छूट को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। इस प्रकार, अभी भी काफी कंपनियां हैं, खासकर वृहत विद्युत परियोजनाएं हैं, जो अब विद्युत उत्पादन कर रही हैं। 1,000 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाली विद्युत परियोजना को स्थापित करने में चार से छह वर्ष लगते हैं। इस प्रकार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस मांग को पूरा किया जाए। मेरे विचार से यह मांग विद्युत मंत्रालय द्वारा भी की गई है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक यानि 2011 तक उत्पादन आरंभ करने वाले किसी भी विद्युत संयंत्र को आयकर से छूट दी जानी चाहिए। इससे इन मुद्दों के संबंध में काफी स्पष्टता आएगी जिससे कि लोग इसके बारे में पूर्णत: जान सकें। ऐसा नहीं है कि वह प्रत्येक वर्ष इसको बढ़ाए जाने के लिए कार्य करते हैं परन्तु वे स्पष्टत: इस बात को जानते हैं कि यदि वे वर्ष 2011 तक विद्युत उत्पादन आरंभ करते हैं, तो उन्हें छूट मिलेगी। मैं भी वैसा ही महसूस करता हूं जैसाकि अन्य माननीय सदस्यगण महसूस करते हैं, जिन्होने डीईपीबी लाभों के बारे में और 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की निर्यात आय पर कर नहीं लगाने के बारे में कहा है। क्योंकि मेरे विचार से 10 करोड़ रुपये से कम और 10 करोड़ रुपये से ज्यादा को अलग-अलग दो आय मानना भेदभावपूर्ण होगा। मेरे विचार से यह उन कंपनियों को भी बड़ा ही भेदभावपूर्ण है, जो निर्यात करती रही हैं। वस्तुत:, हमें इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और हमें प्रसन्न होना चाहिए यदि यह 10 करोड़ रुपये के बजाय 100 करोड़ रुपये है। यदि 100 करोड़ रुपये के बजाय यह 1,000 करोड़ रुपये हो, हमें और भी प्रसन्न होना चाहिए। सभी के साथ यही व्यवहार करना चाहिए।

एक बार पुन: मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री से खेलकूद के लिए कुछ विशेष करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक-दो बातें शेयर करूंगा। टैक्स-पेयर्स के मन में आज एक कन्फ्यूजन है। पिछली बार आप जब वित्त मंत्री थे, आपने एक वीडीएस स्कीम निकाली थी। लोगों ने वॉलयन्टरी डिसक्लोजर स्कीम के तहत इतना टैक्स दिया, जिससे सरकार ने माना कि वह बहुत अच्छा कदम था। इससे सरकार को बहुत टैक्स मिला। अमृतसर से कई लोगों ने मुझे शिकायत की कि जिन लोगों ने टैक्स दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने उनके ऊपर दोबारा इनक्वायरी शुरू कर दी है कि यह पैसा कहां से आया और सोना कहां से आया? मैंने इसके बारे में आपको पत्र भी लिखा था लेकिन आपने उसका शायद गोल-मोल जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। दूसरा कनफ्यूजन तब पैदा हुआ जब वैट लगा। वैट लगाने से पहले कहा गया था कि हम धीरे-धीरे टैक्स को कम करेंगे, सैंट्रल टैक्स को कम करेंगे और सभी स्टेट्स में एक जैसा टैक्स लगायेंगे। आपने देखा कि कितने लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन वैट लगा। कुछ स्टेट्स ने लगाया और कुछ ने नहीं लगाया। मैं जिस स्टेट से आता हूं वहां टैक्स की रिकवरी साथ वाले स्टेट से कम है। कारण यह है कि टैक्स में डिफरेंस है। पंजाब में लोग बिजनेस छोड़ कर दूसरी स्टेट्स में चले गये हैं।

इस बिल में बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन सभी मैम्बर्स बार-बार कह रहे हैं कि चांद में काला दाग है और यह बिल भी उसी तरह का बन कर रह गया है। मैं चाहूंगा कि आप उस दाग को मिटाने की कोशिश करें। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए तीन इनसैंटिव्स दिये गये थे। पहला इनसैंटिव डीईपीबी, डीएफआरसी और डीआरएस था। पिछले 5-6 साल से एक्सपोर्टर्स ने मेहनत की, इम्प्लॉयमैंट दिया और फॉरेन एक्सचेंज आई। टैक्स इनसैंटिव के कारण लोगों ने बहुत जोर से काम किया और देश का नाम ऊंचा किया लेकिन करीब 2000 ब्यूरोक्रैट्स को लगा कि इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है क्यों नहीं इन पर भी टैक्स लगा दिया जाए। जब यह सोच चली तो इनकम टैक्स डिपार्टमैंट के ट्रिब्यूनल्स या कोर्ट्स ने भी कहा कि टैक्स दिया जाए। लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंहजी से भी मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कमेटी बनाकर इसका समाधान करेंगे। शायद एक कमेटी श्री रंगराजन की अध्यक्षता में बनी और उसके बाद एक आर्डिनेंस आया। लेकिन जो बातें आर्डिनेंस में नहीं थी वे बिल में

हैं। सैक्शन 80 एचएचसी में दो इन्सेन्टिव के ऊपर टैक्स लगाना और एक इन्सेन्टिव के ऊपर टैक्स न लगाना, यह इसे डिफरेन्शिएट करता है। यह नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अगर उन लोगों को मालूम होता कि हमें डी.ई.पी.बी. और डी.एफ.आर.सी. में इन्सेन्टिव टैक्स लगेगा तो वे तीसरे ऑप्शन को एडॉप्ट करते। यह तो वह बात हुई कि एक बार एक आदमी को अदालत ने बरी कर दिया और पांच साल के बाद फिर बुलाया और उसे कहा गया कि आपको सजा देनी है। जबकि वह आदमी बरी होने के बाद अपने बच्चों को सैट करने में लग गया, अपने काम में लग गया, अपने बिजनेस में लग गया, अपनी खेती-बाड़ी में लग गया। इसके बाद उससे कहा जाए कि आपको सजा करनी है तो उसका हाल क्या होगा? इसी तरह से जिन लोगों ने यह इन्सेन्टिव लिया और एक्जम्पशन लिया और उन्हें दोबारा कहा जाए कि आपको वर्ष 1998 से टैक्स देना होगा। यह बहुत बड़ा अन्याय है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप उन लोगों को बुलाएं, उनकी बात सुनें। सारा सदन के सदस्य, जो आपके पीछे बैठे हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि आप इसे सोचें। मैं समझता हूं जब आप अपना जवाब देंगे तो कम से कम कुछ न कुछ रिलीफ स्माल स्केल इंडस्ट्री को इसकी लिमिट बढ़ाकर देंगे या यह कहें कि इस बिल में यह बात कही गई है कि रिट्रोस्पेक्टरी इसको रिकवर किया जाए और उसे ड्रॉप करके जिस दिन से यह लागू होगा उस दिन से रिकवर करेंगे। मेरे ख्याल से इससे स्माल स्केल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि जिन एक्सपोर्टर्स ने दो स्कीम्स में इन्सेन्टिव लिया है या एक्जम्पशन ली है, अगर एक ने ड्रॉबैक में लिया है उस पर टैक्स नहीं है और जिसने पहली दो में लिया है उस पर टैक्स है। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यह बात समझ में नहीं आती। लोगों के मन में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आज इंडस्ट्री में एक्सपोर्टस कनफ्यूजन में हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप कुछ बातें अच्छी करें और साथ ही ऐसी बातें आ जाएं जिससे सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचे। उपाध्यक्ष महोदय ने भी आपको हिंट दिया है, लोग हमसे मिलते हैं और अपने दु:ख रोते हैं। मैं समझता हूं कि आप भी उनके दु:ख को समझेंगे और इस सदन में अच्छा निर्णय लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क। आपको सिर्फ दो मिनट मिलेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): माननीय वित्त मंत्री जी जो बिल लाए हैं, उसमें कुछ बातें ठीक हैं और हम उन्हें एप्रीशिएट करते हैं। लेकिन अभी दो बातों की तरफ अन्य सदस्यों ने भी इशारा किया है। पहली बात यह है कि ड्रॉबैक के जरिए जो छूट दी गई है उसी तरीके से डी.ई.पी.बी., डी.एफ.आर.सी. में नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब इस तरीके से नाइंसाफी होगी तो देश के एक्सपोर्टर्स का हश्र क्या होगा? मेरे संसदीय क्षेत्र मुरादबाद में पीतल उद्योग की बस्ती है। वहां स्माल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम है। आज हजारों एक्सपोर्टर्स तबाही की कगार पर खड़े हैं। अगर दस करोड़ की हदबंदी की गई और छूट नहीं दी गई तो लोग तबाह हो जाएंगे, उनके घर बिक जाएंगे। आज भी यह मेरे नोटिस में है कि वे कोई काम नहीं कर सकते बल्कि तबाही के कगार पर खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय फाइनैंस मिनिस्टर साहब दोहरी पॉलिसी को दूर करके हाउस को इस बात का यकीन दिलायें कि 10 करोड़ रुपये की जो हदबंदी लगाई गई है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। यह सही है कि टैक्स के बिना मुल्क नहीं चल सकता है लेकिन उन लोगों को, जो देश के लिए पैसा कमाकर देते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनके पीछे हजारों वर्कर्स लगे हुए हैं, अगर इंडस्ट्री तबाह हो जायेगी तो एक्सपोर्टर्स को बचा नहीं पायेंगे। इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस बिल को लाने से इसदेश के हजारों नहीं, लाखों लोग मुत्तासिर हुए हैं, उन पर बुरा असर पड़ा है। अगर 10 करोड़ रुपये की पॉलिसी खत्म नहीं की गई। डीईपीबी एवं डीएफआरबी—इन दोनों को वही दर्जा नहीं दिया गया जो ड्राबैक की ड्यूटी पर दिया गया है, उससे देश के सारे सूबों के अंदर खलबली मच जायेगी, लोग परेशान हो जायेंगे। इसलिए मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश है कि अपने जवाब में इसे वापस लेने का ऐलान करें।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): محترم وزیر خزانہ صاحب جو بل لائے ہیں، اس میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور ہم انھیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی دو باتوں کی طرف دیگر ممبران نے بھی اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈرابیک کے ذریعے جو چھوٹ دی گئی ہے اسی طریقے سے DEPB & DFRC ~~RDT~~ ڈیوٹی ڈرابیک میں نہیں ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ جب اس طریقے سے ناانصافی ہوگی تو ملک کے ایکسپورٹرس کا حشر کیا ہوگا؟ میرے پارلیمانی علاقے مراد آباد میں میٹل صنعت کی بستی ہے۔ وہاں اسمال اسکیل انڈسٹری کا بہت بڑا کام ہے۔ آج ہزاروں ایکسپورٹرس تباہی کی کگار پر کھڑے ہیں۔ اگر دس ~~کروڑ~~ کروڑ کی حد بندی کی گئی اور چھوٹ نہیں دی گئی تو لوگ تباہ ہو جائیں گے، ان کے گھر بک جائیں گے۔

آج بھی یہ میرے نوٹس میں ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے بلکہ تباہی کی کگار پر کھڑے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ محترم وزیر خزانہ صاحب دوہری پالیسی کو دور کر کے ہاؤس کو اس بات کا یقین دلائیں کہ 10 کروڑ روپے کی جو حد بندی لگائی گئی ہے، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سہی ہے کہ ٹیکس کے بنا ملک نہیں چل سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو، جو ملک کے لئے پیسہ کما کر دیتے ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جن کے پیچھے ہزاروں ورکرس لوگ لگے ہوئے ہیں، اگر انڈسٹری تباہ ہو جائے گی تو ایکسپورٹرس کو نہیں ~~کھوج~~ پائیں گے۔ اس سے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لئے میری گذارش ہے کہ اس بل کو لانے سے اس ملک کے ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان پر برا اثر پڑا ہے۔ اگر 10 کروڑ روپے کی پالیسی ختم نہیں کی گئی، اگر DEPB & DFRC ان دونوں کو وہی درجہ نہیں دیا گیا جو ڈرابیک کی ڈیوٹی پر دیا گیا ہے، اس سے ملک کے سارے صوبوں کے اندر کھلبلی مچ جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لئے میری وزیر خزانہ صاحب سے گذارش ہے کہ اپنے جواب میں اسے واپس لینے کا اعلان کریں۔

(ختم شد)

श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश के प्रौमलगेशन के बारे में डिसएप्रूवल पर बल देते हुए यह कहूंगा कि हाउस के चारों तरफ से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के क्लाज 3 और 4 के बारे में शंकायें व्यक्त की हैं। मेरे ख्याल से ये शंकायें निराधार नहीं हैं। माननीय अध्यक्षजी ने जो रूलिंग सुबह दी थी, उसमें कहा गया था कि चूंकि यह अध्यादेश 31 अक्तूबर को प्रमलगेट हुआ, उसे रिप्लेस करने के लिए यह बिल लाया गया है, इसलिए ड्यू टू कम्पलशन यह स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा जा सकता है। यह ठीक है लेकिन जब हम विधेयक को देखते हैं तो उसमें जो एफआरओ लगाया गया है, वह उसका हिस्सा नहीं है। इसके बारे में हर तरफ से आपत्तियां आई हैं। इस बिल के बारे में न केवल श्री मोहन सिंहजी ने बल्कि रूलिंग पार्टी की तरफ से भी शंकायें व्यक्त की गई हैं। जब हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी की व्यवस्था है। अगर उसे बाईपास करेंगे तो ठीक नहीं है। अगर हमने इसे आर्डिनैंस में क्लब कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आई कि 1998 से सारे मामले रैशनलाइज हो गये। यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है। हां, इतना हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री दोनों क्लाज को निगेटिव करने के बाद इसके लिए दुबारा एक विधेयक लायें तो सारा हाउस समर्थन करेगा। इस विधेयक में कहा गया है कि यह राशि 10 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रोस्पैक्टिव डेट से होगी या नहीं? इस बारे में सारे देश में, सदन के बाहर और भीतर चिन्ता है। क्या वित्त मंत्री जी इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे?

उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक में इनकम टैक्स एक्ट के सैक्शन-10 में क्लास 2 से 7 तक छोटा सा बिल है। इसके भीतर व्यवस्था दी गई है और साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यह अध्यादेश लेकर आना पड़ा, हमें खुशी होगी यदि माननीय सांसद इसके साथ होंगे। हमारे एक सांसद श्री शरद पवार जी बीसीसीआई के चेयरमैन हैं लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें इंटरनैशनल संस्थाएं भाग लेंगी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप समाप्त कीजिए।

श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': उपाध्यक्षजी, मैंने अभी दो-तीन पाइंट्स पर बोलना है। हर तरफ से इसका समर्थन किया जा रहा है और हम भी इसका समर्थन करते हैं लेकिन बीसीसीआई के लिए एक्जपशन की व्यवस्था की गई है जिसका असेट्स 300 करोड़ रुपये का है। अभी समाचार-पत्रों में सारा मामला हाईलाइट हुआ है। उन पर एक लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा है। कितनी-कितनी इसमें से उन्हें रॉयल्टी मिलेगी, इस तरह के सारे विज्ञापन इसमें आ रहे हैं। उनकी जो आय है, उसके बजाय अन्य संस्थाओं की आय कर में छूट की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के ट्रांसमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पर आपने दो प्रकार की व्यवस्था दी है। एक दाभोल परियोजना के लिए दी है। दूसरी अन्य परियोजनाओं को भी दे दी है, जिसे आने वाले समय में लागू होना है। आप टाइम बाउंड तरीके से नवम्बर, 2005 तक कंपनी को पंजीकृत करें और दिसम्बर, 2005 तक ऑथोराइज करें और उसके बाद 31 मार्च, 2007 तक उसका प्रोडक्शन चालू हो जाए। लेकिन बिजली की कंपनियों में भी कई प्रकार की कंपनियां है। एक कंपनी वह है जो न्यूक्लियर पावर सैक्टर में काम कर रही है, थर्मल पावर में काम कर रही है। उनका टैक्निकल विषय है। लेकिन जो देश के भीतर हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन है, सिविल और मैकेनिकल का बहुत काम है। नहीं तो जो हमारी कंसट्रक्शन की कंपनी हैं, मैट्रो की कंपनी है और सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी हैं, इन सबको सुविधा मिलनी चाहिए। स्पेसिफिकली सारी की सारी कंपनियों को फायदा मिले और उन्हें इंकम टैक्स में रिलीफ दिया जाए। इससे हम लोगों और माननीय सांसदों के मन में कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है कि किस प्रकार से यह विशेष छूट दी जा रही है। जहां तक नैशनल इंटरैस्ट की बात है, वहां सेफगार्ड होने चाहिए। लेकिन उसके लिए कहीं अपर लिमिट होनी चाहिए कि इंकम टैक्स में छूट देंगे तो कितनी देंगे और कितने सालों तक देंगे, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास प्वाइंट तो बहुत सारे थे, लेकिन लास्ट स्पीकर होने में यही दिक्कत हो जाती है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी आपने जो स्मॉल स्केल सैक्टर का विषय रखा है, पूरा सदन उससे सहमत है कि स्मॉल स्केल सैक्टर में हमारे कम से कम साढ़े पांच करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें भी हम विशेष सुविधा दे सकते हैं। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे और आने वाले समय में इस संबंध में एक विधेयक सदन में लायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, सबसे पहले माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दाभोल पावर कम्पनी की अनुवर्ती कम्पनी 31 मार्च, 2007 से पहले विद्युत उत्पादन आरम्भ कर दे। शायद, इसीलिए, एक शर्त रखने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लाभों को प्राप्त करने के लिए वे 31 मार्च, 2007 से पहले उत्पादन आरम्भ कर दे। किन्तु इसके शब्द इस प्रकार हैं कि या तो वह उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण आरम्भ कर देगी। शायद इस नये अनुबंध के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए कंपनी को बिना किसी विद्युत उत्पादन के विद्युत वितरण करना होगा। इसलिए, इस विशेष उपबन्ध का उद्देश्य जिसके लिए इसे रखा गया है वह समाप्त हो जायेगा यदि इसका विशेष रूप से उल्लेख न किया जाए क्योंकि इस कम्पनी के पास कोई वितरण

लाइसेंस नहीं है। इसलिए, यह कम्पनी उत्पादन तो आरम्भ करे किन्तु वितरण अथवा पारेषण नहीं करे। ऐसा ही होना चाहिए।

द्वितीय, इससे पहले के उपबंध में यह निर्धारित किया हुआ है कि किसी भी कम्पनी को या तो उत्पादन, पारेषण या वितरण करना होगा। विद्युत के मामले में, तार्किक प्रक्रियाओं की सम्पूर्ण श्रृंखला में उप पारेषण की भी भूमिका है। शायद यह शब्द पूरी तरह से लुप्त है। इसलिए, यदि आप वास्तव में यह लाभ सभी कम्पनियों को देना चाहते हैं तो पारेषण, वितरण अथवा उप पारेषण का उल्लेख करना ही चाहिए।

खेलकूद के मामले में, मंत्रीजी ने यह कहा है कि यदि कोई स्पर्धा दो देशों से अधिक के लिए आयोजित की जाती है तो छूट का लाभ लिया जा सकता है। शायद वास्तव में जरूरी यह है कि इसमें केवल कोई दो देश नहीं होने चाहिए क्योंकि तब शायद हम बांग्लादेश, भारत और नेपाल को आमंत्रित करके कोई स्पर्धा कर लेंगे तथा छूट के पात्र बन जाएंगे। इसलिए, वास्तव में यह दो देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा होनी चाहिए। इसलिए, वास्तव में यही बात विद्यमान नहीं है।

जहां तक फ्रिंज लाभ कर का संबंध है, तो राजनैतिक दलों को छूट दी जा रही है। शायद, वित्त मंत्री ने यह महसूस किया हो कि फ्रिंज लाभ कर कुछ ऐसा है जिसे राजनैतिक दलों को अदा करने की आवश्यकता नहीं है। तब इसके पीछे उनका तर्क क्या है कि उन्हें इसे अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु कार्पोरेट जगत को इसकी अदायगी करनी चाहिए? शायद, इसी तर्क के आधार पर राजनैतिक दलों के अलावा अन्य को भी इससे छूट देने पर भी वह विचार करेंगे किसी भी स्थिति में, राजनैतिक दल व्यापार संवर्धन में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि यदि वे व्यापार संवर्धन में शामिल हैं तो शायद वे भी किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। जिसे कि छूट दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अंतिम मुद्दा वायुयानों का है। हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि जब भी किसी विमान को पट्टे पर लेने का मामला आता है तो वित्त मंत्री एक वर्ष की और छूट प्रदान कर देते हैं। इसलिए मेरा अपसे यही अनुरोध है या तो आप इस कार्य व्यापार पर से कर की अदायगी को पूरी तरह से मुक्त कर दें अथवा इसे इस प्रकार किया जाए कि इसकी समयावधि बार-बार न बढ़ाई जाए।

निर्यात के बारे में, भी यही बात है। नियार्तों में बहुत कुछ स्थिति ऊहापोह वाली है। कुछ लाभ प्रदान किये गए और कुछ को समाप्त कर दिया गया अब एक भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए, ऐसा करने की बजाय हमें अगले दस वर्षों की नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट हो कि 2015 तक निर्यात क्षेत्र को कौन-कौन कर लाभ उपलब्ध होंगे। इनको स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाँए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं इन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस विधेयक का पूर्ण समर्थन किया है और जिन्होंने कुछ कमियों को दर्शाते हुए इसका समर्थन किया है। इस विधेयक में छह प्रावधान हैं। पांच प्रावधान इस अध्यादेश के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने वाले हैं और एक डी पी ई बी तथा डी एफ आर सी लाभ से संबंधित हैं।

मैं इस अध्यादेश में उल्लिखित पांच प्रावधानों को जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूं। पहला प्रावधान पट्टे पर विमान की पट्टा राशि में छूट देने के बारे में है। यह सत्य है कि मैंने इस सरकार के आरंभिक दिनों में यह घोषणा की थी कि विदहोल्डिंग कर लगाकर पट्टा धनराशि पर कर लगायेंगे क्योंकि यदि हम विद होल्डिंग कर नहीं लगाते हैं तो लाभ पट्टादाता कंपनी के कर प्राधिकरण को मिलेगा और हमें राजस्व की हानि होगी। किन्तु जैसा कि श्री सुरेश प्रभु ने सही ही कहा है, समय-समय पर विमान कंपनियां, विशेषकर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईन्स, यह अनुरोध करती हैं कि उनका पट्टे पर देने का कार्यक्रम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए हमें इसे बार-बार बढ़ाना पड़ता है। यह केवल यह दर्शाता है कि हम अनुनय के प्रति संवदेनशील हैं। अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2005 को समाप्त हो गई और हमसे इसे 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। हम यह आशा करते हैं कि पट्टे पर देने का कार्यक्रम समाप्त हो जायेगा और तब शायद हम इसे न बढ़ायें। किन्तु मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

दूसरा प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता के बारे में है। यह पूर्णत: गलत अवधारणा है कि इसे केवल क्रिकेट तक ही बढ़ाया गया है। कृपया इस प्रावधान को देखें। यह प्रावधान एकदम स्पष्ट है। यह भारत में होने वाली किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता से होने वाली आय के बारे में है। ऐसी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता को उस प्रतियोगिता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा उसमें दो से ज्यादा देशों की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए यह बहुउद्देशीय प्रतियोगिता होनी चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित होनी चाहिए। मैं एक दिन फुटबाल का विश्व कप भारत में होते देखना चाहता हूं। यदि विश्व कप फुटबाल भारत में होता है तो इसे लागू किया जायेगा। मान लीजिए भारत में शीतकालीन ओलम्पिक होते हैं तो यह लागू होगा। यह राष्ट्रकुल खेलों पर लागू होगा। इसलिए, मैं सोचता हूं कि यह केवल क्रिकेट पर ही नहीं बल्कि सभी खेलों पर लागू होगा।

[श्री पी. चिदम्बरम]

तीसरा, डाभोल विद्युत परियोजना से संबंधित संशोधनों का पुलिन्दा है। इसे अब उस नाम से नहीं जाना जाता है। अब हम इसे रत्नागिरी गैस और विद्युत कंपनी कहते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए इस सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए और मुझे आशा है कि सदस्य भी यही कहना चाहेंगे। यदि मुझे ठीक से स्मरण है, तो यह समस्या वर्ष 1996 में किसी दिन शुरू हुई थी और इसका समाधान ढूंढ़ने में सात वर्ष लग गए। इस समस्या को दूर किए जाने के पश्चात अब यह नितांत आवश्यक है कि इसे तुरंत एक कानूनी जामा पहनाया जाए ताकि सभी अंतर्राष्ट्रीय विवाचन और विभिन्न अदालतों में फाइल किए गए सभी मुकदमों को वापिस लिया जा सके। वे इब इन्हें एक-एक करके वापिस ले रहे हैं। इब हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसलिए, अनेक संशोधन किए गए हैं। हम धारा 10 में खंड 40 और धारा 10 में खंड 41 जोड़ रहे हैं और धारा 80(आई क) को संशोधित कर रहे हैं। इन्हें केवल यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है कि रत्नागिरी गैस और विद्युत कंपनी विद्युत का उत्पादन और वितरण शुरू कर सकें। वस्तुत: यदि और कोई ऐसा मामला हो, जो इसके अंतर्गत आता हो तो, उसे भी लाभ मिल सकता है। किन्तु अब ऐसा कोई अन्य मामला नहीं है। धारा को सामान्य तौर पर परिभाषित तो किया गया है, लेकिन यह धारा डाभोल विद्युत परियोजना से ही संबंधित है।

अपराह्न 4.00 बजे

अगला मुद्दा राजनीतिक दलों की छूट देने के बारे में है। मैं मानता हूं कि एफ बी टी प्रावधान की सुस्पष्ट व्याख्या के अनुसार, यदि कोई कंपनी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वह एफ बी टी का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। किन्तु इस देश में ऐसे निर्धारणकर्ता अधिकारी भी हैं; जो विभिन्न मत व्यक्त कर सकते हैं। मैं निर्धारणकर्ता अधिकारी नहीं हूं। कोई विशेष निर्धारणकर्ता अधिकारी अलग मत व्यक्त कर सकता है। इसीलिए, मामले को विवाद से दूर रखने के लिए हमने कहा कि राजनीतिक दल एफ बी टी देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि कोई और व्याख्या भी संभव है। किन्तु, विवाद के लिए कोई जगह क्यों रहने दें? अत:, हमने यह सुस्पष्ट कर दिया है कि चूंकि कोई राजनीतिक दल, जो आयकर अधिनियम अर्थात लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना, संबंधी शर्तों को पूरा करता है, आयकर नहीं देता। अत: इसे एक बी टी देने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसे किसी राजनीतिक दल के बारे में ज्ञात नहीं है, जो इसका विरोध कर रहा है। अत: मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा प्रावधान है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): राजनीतिक दलों के लेखाओं में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। इस बारे में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है कि उन्हें कितना पैसा मिल रहा है, वे जितना खर्च कर रहे हैं आदि।

श्री पी. चिदम्बरम: यदि कोई पारदर्शिता नहीं है, तो उनसे निपटने के लिए इस अधिनियम में एक पृथक धारा है। मैं अभी आपको वह धारा बताऊंगा। यह धारा 13(क) है।

यदि कोई पारदर्शिता नहीं है, यदि इस धारा के अंतर्गत लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो उस राजनीतिक दल को आयकर से छूट नहीं है। इसलिए, आपकी उस धारा के अंतर्गत शर्तों को पूरा करना होगा। अत:, जब राजनीतिक दल उस धारा का अनुपालन करे, केवल तभी उन्हें आयकर से छूट मिलेगी। बहस की खातिर मैं यह मानकर चल रहा हूं कि सभी राजनीतिक दल कानून का पालन कर रहे हैं। यदि वे कानून का अनुपालन करते हैं और आयकर नहीं देते। तो तर्कसंगत रूप से इसका कोई कारण नहीं है कि उन्हें फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देने के लिए क्यों कहा जाए। यही कारण है कि मैं यह संशोधन ला रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान धारा 13(क) की ओर आकृष्ट करता हूं।

अध्यादेश में पांचवां संशोधन बैंकिंग नकदी कारोबार कर के बारे में था। ऐसी किसी की मंशा नहीं थी कि यदि कोई सहकारिता बैंक किसी राष्ट्रीकृत बैंक में पैसा जमा कराता है और तत्पश्चात नकदी निकालता है, तो उसे बी सी टी टी देना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति ने इसकी इसी प्रकार व्याख्या की है। मैं व्याख्याकर्ता को दोष नहीं दे सकता। किसी ने सोचा कि जब तक विशिष्ट छूट नहीं मिलती, उस पर भी बी सी टी टी लग सकता है। यह मंशा नहीं है कि किसी बैंक पर तब कर लगाया जाए जब वह किसी दूसरे बैंक से नकदी निकाले। ज्यादातर छोटे बैंकों में तिजोरी नहीं है। इसलिए, उन्हें बड़े बैंकों के खाते में अपनी नकदी रखनी पड़ती है और जिसकी वे बाद में निकासी करते हैं। इसलिए, हमने सोचा कि हमें इसको स्पष्ट करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि श्री अडसूल इसे मेरी जानकारी में लेकर जाए और उन्होंने कहा कि इस पर कर नहीं होना चाहिए। ये सभी प्रावधान विवाद से परे हैं। मैं समझता हूं कि जिस किसी ने भी बोला, वह इससे सहमत था। इसलिए ये पांच प्रावधान गैर-विवादित हैं। वे अत्यावश्यक थे। मुझे खेद है कि मुझे अध्यादेश पारित करना पड़ा। लेकिन अध्यादेश वित्त मंत्री की कल्पना के आधार पर पारित नहीं किए जाते। इसे मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है; इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। हमारे पास इस अध्यादेश को पारित करने के ठोस कारण थे। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इन पांच संशोधनों का व्यापक समर्थन किया है।

अब मैं छठे संशोधन पर आता हूं। यह डी ई पी बी से संबंधित है। यह अध्यादेश के रूप में नहीं है। हम इसे अध्यादेश

के रूप में लेकर नहीं आए। हम इसे विधेयक के रूप में ला रहे हैं और माननीय सदस्य इसी प्रावधान पर चर्चा कर रहे हैं। यह अपेक्षाकृत एक जटिल कानूनी प्रश्न है। मैं इसे यथासंभव साधारण भाषा में समझने के लिए तीन या चार मिनट लूंगा। लेकिन कृपया यह समझने का प्रयास कीजिए कि यह एक जटिल कानूनी प्रश्न है। आपने एक माननीय सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन को कहते सुना कि ये धाराएं 3 और 4 नहीं होनी चाहिए क्योंकि निर्यातक इस लाभ के हकदार नहीं हैं। आपने श्री काशीराम राणा जैसे अन्य सदस्यों को भी यह कहते सुना कि धाराएं 3 और 4 आवश्यक हैं क्योंकि निर्यातक लाभ के हकदार हैं, लेकिन हम एक वर्ग को लाभ से वंचित कर रहे हैं और एक दूसरे वर्ग को लाभ दे रहे हैं। अत: दो प्रकार के मत मौजूद हैं। वस्तुत: यहां पर मेरे नोट यह बताते हैं कि श्री मोहन सिंह ने कहा कि यह प्रावधान एक कारण से अनावश्यक है और श्री काशीराम राणा ने कहा कि यह प्रावधान किसी दूसरे कारण से अनावश्यक है। श्री वरकला राधाकृष्णन ने कहा कि यह प्रावधान अनावश्यक है क्योंकि आप निर्यातकों को कुछ ज्यादा ही लाभ दे रहे हैं।

अत: ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक को लाभ पहुंचा रहा हूं और किसी दूसरे को लाभ नहीं पहुंचा रहा हूं। कृपया वस्तुपरक तथ्यों पर नजर डालें। डी ई पी बी वित्तीय वर्ष 1997-98 में लागू किया गया था।

किसी विवरणी के संबंध में पहला निर्धारण वर्ष, जिसमें डी ई पी बी क्रेडिट बिक्री का दावा किया जाता है, निर्धारण वर्ष 1998-99 है, जो 1 अप्रैल, 1998 से शुरू हुआ है। अत: 1 अप्रैल, 1998 से पूर्व, यह प्रश्न नहीं उठा। धारा 80-एचएचसी एक धारा है, जो कटौतीयोग्य लाभों से संबंधित है। यदि आप धारा 80-एच एच सी के अंतर्गत आते हैं, तो लाभ कर योग्य नहीं है। यह धारा पिछली सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी गई और इस धारा के लागू रहने की अंतिम तिथि 31.3.2005 थी। अत:, यह स्थिति 1.4.2005 के बाद नहीं उत्पन्न होती। मैं आशा करता हूं कि मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर पा रहा हूं। अब हम केवल 1.4.1998 से 31.3.2005 की अवधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह अवधि लगभग सात वर्षों की है।

यह समस्या 1.4.1998 से पहले नहीं आई। यह समस्या 1.4.2005 के बाद नहीं आई। इन सात वर्षों की अवधि में, संबंधित धाराएं हैं—मैं विधि की व्याख्या नहीं कर रहा हूं—धारा 28 तथा धारा 80-एच एच सी. है। ये दो धाराएं संबंधित है। अब विभाग की व्याख्या है कि डी ई पी बी उधार बिक्री—मैं बताऊंगा कि यह क्या है—निर्यात लाभ नहीं है। डी ई पी बी उधार बिक्री क्या है? डी ई पी बी उधार बिक्री वह है जो आपकी पास बुक में दर्ज है। यदि आपके पक्ष में कतिपय उधार हैं तो उस उधार

के बदले उपकर का भुगतान किये बिना आप वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। लेकिन आप उधार अन्य आयातक को भी बेच सकते हैं। यदि आप वास्तव में आयात करते हैं तो यह निर्यात आयात का एक भाग है। यदि आप इसे अन्य आयातक को बेच देते हैं और इससे लाभ अर्जित करते हैं तो यह लाभ, निर्यात लाभ नहीं है। यह साधारण व्यवसाय लाभ हैं क्योंकि जो आय आपने अर्जित की हैं वह विदेशी मुद्रा में नहीं है; यह भारतीय रूपयों में हैं। यह लाभ निर्यात गतिविधि या आयात गतिविधि से नहीं होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप "लाइसेंस में व्यापार कर रहे हैं", जिसका बाजार में मूल्य कम होना है। इसलिए विभाग ने सोचा कि यह मामला धारा 50-एचएचसी के साथ पाठक धारा 28 के अंतर्गत नहीं आता है। मैं उप धाराओं की बात नहीं करूंगा। इसलिए, इसकी निर्यात लाभ छूट में गणना नहीं किया जाना चाहिए। इसे आयोग लाभ में फिर से जोड़ा जाना चाहिए। कर निर्धारिती ने इसे अलग नजरिये से सोचा। हमें याद रखना चाहिए कि इससे संबंधित पहली बार कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 में ही किया गया था। कुछ निर्यातकों ने कर की आदायगी की, कुछ ने कर की अदायगी नहीं की। कुछ निर्यातकों ने कर की अदायगी की लेकिन विवाद पैदा कर दिया। कुछ कर निर्धारण अधिकारियों ने इसका निर्धारण कर योग्य लाभ के रूप में किया। कुछ कर निर्धारण अधिकारियों ने इसे छूट-लाभ के रूप में छूट दे दी। यह तो होना ही है। जब पूरे देश में बहुत सारे कर निर्धारण कार्य होते हैं तो आयकर या बिक्री कर या जो भी हो, का निर्धारण विभिन्न प्रकार से होना ही है। अन्तत: एक मामला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में गया। कर निर्धारण अधिकारी ने यह निर्णय लिया कि यह लाभ छूट योग नहीं है, यह लाभ कर योग्य है। कर निर्धारिता ने अपील की। अपील में, आई टी ए टी ने टिप्पणी की कि यह मामला धारा 28(iv) के अंतर्गत आता है न कि धारा 28(iii) (क), (iii) ख या (iii)ग के अंतर्गत यह धारा 28(iv) के अंतर्गत आता है। तब, न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया, जो मुझे लगता है कि एक वकील के लिए समझना भी मुश्किल है। न्यायाधिकरण, जिसे कि टिप्पणी करने का अधिकार है, के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि न्यायाधिकरण ने निर्णय सुनाया कि यद्यपि यह मामला धारा 28(iv) के अंतर्गत आता है, यह धारा 80 एच एच सी 'व्याख्या' (बीएए) के अंतर्गत नहीं आता है।

इसलिए यह निर्णय कानून की नई व्याख्या के अनुसार कर निर्धारता के पक्ष में गया तथा विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। अब मेरे लिए दो रास्ते खुले हैं। मैं कह सकता था कि "हमें दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनमें से एक जीतेगा तथा दूसरा हारेगा। वे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे ही। इसलिए, हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।" हमें याद रखना चाहिए कि 1.4.1998 एवं

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

31.3.2005 के बीच उठे मुद्दे के निपटान में कम से कम दस वर्ष लग जाएंगे। आज यह एक अकादमिक मुद्दा है। हम केवल सात कर निर्धारण वर्षों-की ही बात कर रहे हैं। मैं दस वर्ष प्रतीक्षा कर सकता था। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपीलीय आयुक्त के समक्ष, आई टी ए टी के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा लड़ने में प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पक्ष के हजारों रुपये खर्च हो जाते। इसलिए हमने कहा, ''ठीक है। हम मामले को देखेंगे। हम ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करेंगे जिसका राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जिससे निर्यातकों को कुछ राहत देने का प्रयास होता हो।''

यद्यपि निर्यातको ने तर्क दिया था जो कि—आज श्री काशीराम राणा ने बहुत-ही चतुराईपूर्ण कहते हुए तर्क दिया ''सभी निर्यातकों को छूट दे दी जाए।'' स्वाभाविक रूप से विभाग कहता है ''किसी भी निर्यातक को छूट मत दो। हमें राजस्व एकत्रित करना चाहिए।'' इसलिए हमने निर्णय लिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम राजस्व को पूर्णतया छोड़ दें। साथ ही साथ, हमें छोटे निर्यातकों के प्रति भी सहानुभूति दिखानी चाहिए। कोई बात नहीं, हमने निर्णय नहीं लिया। हमने इसे डा. रंगराजन आर्थिक सलाहकार परिषद के सुपुर्द कर दिया। आर्थिक सलाहकार परिषद ने निर्यातकों की बात सुनी, प्रत्येक पक्ष की बात सुनी तथा अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी।

आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो सिफारिशें की थी, मैं उन्हें केवल पढ़ रहा हूं:

(1) यदि निर्यातक की कुल बिक्री 10 करोड़ रुपये या उससे कम हैं तो डी ई पी बी क्रेडिट ट्रांसफर आय पर छूट की जाए।

(2) यदि निर्यातक की कुल बिक्री 10 करोड़ रुपये से अधिक थी, तो संबंधित आय पर छूट दी जा सकती है बशर्ते कि दो शर्तें पूरी होती हैं: एक, यदि किसी निर्यातक ने डी ई पी बी क्रेडिट का दावा किया है तथा ऐसी डी ई पी बी क्रेडिट के लिए कर में छूट का दावा किया है, तो आय पर बिना छूट के कर लगाया जाना चाहिए। आय पर कर छूट तभी मिलनी चाहिए यदि निर्यातक के पास प्रति-अदायगी तथा डी ई पी बी एवं सीमा शुल्क घटक की दर प्रति अदायगी के दर डी ई पी की दर से अधिक है।

(3) ब्याज या दंड ब्याज के रूप में दंड नहीं लिया जाए, तथा

(4) बकाया कर, यदि हो तो, उसे दो वर्ष की अवधि में वसूला जाए।

मैंने सभी चारों सिफारिशें सुनकर स्वीकार कर ली हैं कि बकाया कर, यदि हो तो, दो वर्षों की अवधि में नहीं बल्कि पांच वर्षों की अवधि में वसूला जाए। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या इस वसूली पर दंड या ब्याज लगाया जाएगा?

श्री पी. चिदम्बरम: इस पर कोई दंड या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। मैं इसे पढ़ता हूं। मैं पांच वर्षों की अवधि में केवल आधारभूत बकाया राशि की ही वसूली करूंगा।

श्री काशीराम राणा ने मुझसे दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न: 10 करोड़ रुपये का आधार क्या है? 10 करोड़ रुपये का आधार आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में है। उन्होंने आंकड़े देखे हैं। उन्होंने निर्यातकों के आकृति वितरण देखे हैं। उन्होंने पाया कि 65,000 निर्यातकों में से हालांकि, सभी निर्यातक डी ई पी बी क्रेडिट स्कीम में शामिल नहीं किये जाएंगे-यदि आप 10 करोड़ रुपये की सीमा रखते हैं तो, 60,000 निर्यातक छूट जाएंगे। इसलिए सभी छोटे निर्यातकों को छोड़ दिया गया है। मैं आज छूट दे रहा हूं। जैसी हमने व्याख्या की है वैसा कानून में नहीं है। लेकिन डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 60,000 निर्यातकों को छूट देने के लिए हम कानून में अब संशोधन कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपये का यह आधार है।

उन्होंने मुझे दूसरा प्रश्न पूछा। मैं समझता हूं कि यह अंतिम प्रश्न हैं। इसको 1.4.1998 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू क्यों किया गया? मेरे विभाग के अधिकारी गैलेरी में बैठे हैं? यदि मैं भूतलक्षी प्रभाव नहीं देता तो वे लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे क्योंकि तब प्रत्येक को कर देना पड़ेगा। हमें भूतलक्षी प्रभाव देना पड़ेगा क्योंकि अवधि 1.4.1998 से 31.3.2005 तक है। अब कानून बनाने का क्या मतलब है जबकि अवधि 31.3.2005 को समाप्त हो चुकी है? इसलिए हम 1.4.1998 से 31.3.2005 की अवधि को कवर करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव दे रहे हैं।

10 करोड़ रु. का आधार युक्तिसंगत आधार हैं। यह संपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है। यह विधि मंत्रालय की राय पर आधारित है। विधि मंत्रालय की राय है कि विभाग की व्याख्या सही है। इसके बावजूद आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा कि कानूनी स्थिति विभाग के पक्ष में हो सकती है परन्तु हमें छोटे निर्यातकों को लाभ प्रदान करना होगा और हमने उस सिफारिश को स्वीकार, कर लिया। प्रधानमंत्री जी ने केवल इतना कहा था कि ''मैं इसे एक समिति को रैफर करूंगा।'' समिति, डा. रंगराजन की समिति थी। यह वह रिपोर्ट है और मैंने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। मैंने यह कहकर कि बकाया को दो वर्षों में नहीं बल्कि पांच वर्षों

में वसूला जाएगा, रिपोर्ट में सुधार ही किया है। इसलिए हमें लगता है कि यदि कर देना भी पड़ा तो कुछ ही बड़े निर्यातकों को कुछ कर देना पड़ेगा क्योंकि यदि वे डी ई पी बी लाभ तथा ड्राबैक लाभ दर्शाएं जिसमें से एक, दूसरे से अधिक है तो उन्हें फिर भी छूट मिल सकती है। परन्तु मुझे लगता है कि हमने एक संतुलन बनाया है। हमें राजस्व के हितों की रक्षा करनी है। निर्यातकों के प्रति मैं सदस्यों की चिंता से सहमत हूं, परन्तु मैं आपसे अपील करता हूं कि राजस्व के प्रति भी थोड़ी चिंता दिखाइए। इसलिए, राजस्व के हितों तथा छोटे निर्यातकों में संतुलन स्थापित करते हुए हमने छोटे निर्यातकों को लाभ प्रदान किया है। हमने बड़े निर्यातकों को सीमित रूप से इससे वंचित किया है। यदि बड़ा निर्यातक दोनों शर्तों को पूरा करता है तो उसे भी छूट मिलेगी। परन्तु, यदि वह दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो उसे कुछ कर देना पड़ेगा। पांच वर्ष की अवधि तक कोई ब्याज, जुर्माना तथा भुगतान नहीं है। महोदय, मुझे लगता है कि हमने संतुलन बनाया है। हालांकि हम इस बात पर हमेशा ही असहमत हो सकते हैं कि संतुलन ठीक तरह से स्थापित किया गया है अथवा संतुलन ठीक तरह से नहीं बनाया गया है परन्तु सरकार ने यह निर्णय लिया है। मैं मानता हूं कि हमने समस्या का उचित समाधान ढूंढा है *...(व्यवधान)* मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे राजस्व के हितों का भी ध्यान रखना है। मैं राजस्व को नहीं छोड़ सकता। जब इतना अधिक खर्च होता हो, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम के लिए इतने बड़े दावे हों*...(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: राजस्व के लिए बहुत से स्रोत हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने अपने दृष्टिकोण की जानकारी दे दी है। वे इस बारे में असहमत हो सकते हैं परन्तु मैंने अपना दृष्टिकोण बता दिया है। हमने एक संतुलन बनाया है। हम छोटे निर्यातकों को लाभ प्रदान कर रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं बड़े निर्यातकों को लाभ प्रदान नहीं कर सका। हम पांच वर्ष की अवधि के दौरान इसकी वसूली करेंगे। इसलिए मैं सविनय कहूंगा कि यह उपबंध, मामले के पूर्ण अध्ययन इसके कानूनी तथा आर्थिक प्रभावों दोनों पर आधारित है और हमने एक संतुलन बनाया है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने की विनम्र अपील करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रावत जी, क्या आप विदड्रा करेंगे?

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से दो बातें कहने का अधिकार रखता हूं। रात भर रोए और सुबह उसका कोई परिणाम नहीं निकला। मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की दोमुंही नीति कैसे चलेगी। एक तरफ सरकार कहती है कि हम निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहते हैं निर्यात को सब प्रकार का बढ़ावा देने के लिए टैक्सेज से मुक्ति भी प्रदान करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हजारों की संख्या के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों के लोग यहां आए जो सब एक्सपोर्ट करने वाले थे। उन्होंने बड़े भारी प्रदर्शन किया था। वे उस समय आपसे मिले थे और मेमोरंडम दिया था। उस समय आपने आश्वस्त किया था कि इस संबंध में कुछ करेंगे। अब आप केवल ट्रिब्युनल जजमैंट का सहारा लेकर, आप सुप्रीम कोर्ट में दस साल बाद कर रहे हैं, ईएसी का नाम लेकर और रंगराजन जी का नाम लेकर एक प्रकार से देश के निर्यातकों और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को यूपीए सरकार खत्म करने पर तुली हुई है और उनके रोजगार के अवसरों को छीनना चाहते हैं। इस नाते मैं समझता हूं कि उनके हठ और दुराग्रह के कारण हमारे लिए यहां बैठना असंभव है और हम इसका विरोध करते हुए हाउस से बाहर जाना चाहेंगे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 4.19 बजे

(तत्पश्चात प्रो. रासा सिंह रावत और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्टूबर, 2005 को प्रस्थापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1-संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2005" के स्थान पर कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, में प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.22 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2005-2006

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा द्वारा मद संख्या 15 को लिया जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत का राष्ट्रपति को दी जाए:

मांग संख्या 1, 5, 7, 8, 10 से 12, 18, 20, 23 से 25, 29 से 32, 34, 36, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 56, से 60, 63, 65, 67, 70 से 72, 75, 79, 80, 82, 83, 92, 100, 101 और 103 से 105।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2005-2006 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	कृषि और सहकारिता विभाग	3,00,000	2,00,000
5	परमाणु ऊर्जा	1,00,000	1,00,000
7	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	10,17,00,000	1,00,000
8	उर्वरक विभाग	1000,00,00,000	...
10	कोयला विभाग	100,00,00,000	

1	2	3	
11	खान विभाग	1,00,000	1,00,000
12	वाणिज्य विभाग	103,50,00,000	
18	उपभोक्ता मामले विभाग		1,00,000
20	संस्कृति मंत्रालय	1,00,000	
23	रक्षा सेवा—थल सेना	1,00,000	
24	रक्षा सेवा—नौसेना	1,00,000	
25	रक्षा सेवा—वायु सेना	1,00,000	
29	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	...	22,33,00,000
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	3,00,000	10,40,00,000
31	विदेश मंत्रालय	40,00,00,000	42,00,00,000
32	आर्थिक कार्य विभाग	2,00,000	1,00,000
34	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	250,02,00,000	243,02,00,000
36	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	200,00,00,000	
41	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	1,00,000	
44	अप्रत्यक्ष कर	1,01,00,000	
47	स्वास्थ्य विभाग	2,00,000	
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,00,000	49,00,000
50	भारी उद्योग विभाग	82,64,00,000	210,02,00,000
51	सरकारी उद्यम विभाग	15,00,000	
54	पुलिस	1,00,000	
56	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण		1,00,000
57	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	2,00,000	
58	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	3,00,000	
59	महिला और बाल विकास विभाग	3,00,000	
60	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	...	1,00,000

1	2	3	
63	विधि एवं न्याय	1,00,000	...
65	गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय		5,00,00,000
67	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		1,48,00,000
71	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	5750,00,00,000	...
72	योजना मंत्रालय	1,00,000	...
75	लोक सभा	19,44,00,000	...
79	ग्रामीण विकास विभाग	3,00,000	...
80	भूमि संसाधन विभाग	1,00,000	...
82	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1,00,000	
83	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1,00,000	...
92	कपड़ा मंत्रालय	290,89,00,000	
100	शहरी विकास विभाग	2,00,000	695,01,00,000
101	लोक निर्माण विभाग		1,00,000
103	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1,00,000	
104	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	
105	युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय	2,00,000	...
	कुल जोड़	7848,24,00,000	1229,85,00,000

[हिन्दी]

श्री कैलाश जोशी (भोपाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष की दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं। ये अनुनूरक अनुदान मांगें कुल मिलाकर 9079 करोड़ रुपये की हैं, जिसमें से 1965 करोड़ रुपये की नकद राशि इसमें खर्च होगी। मंत्री जी ने कहा है कि बाकी राशि, यानी 7114 करोड़ रुपये बचतों में से पूरे किये जायेंगे। मैंने उनका अवलोकन किया है। इसमें से कई मांगें ऐसी हैं जो सहायक अनुदान, मुआवजा देने या कुछ विभागों में जो अधिक व्यय हुआ है, उसे चुकाने के लिए है। किन्तु मैं समझता हूं कि कुछ मांगें ऐसी भी हैं जो विचारणीय है और जिन पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

अपराह्न 4.23 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, मांग संख्या एक कृषि से संबंधित है। इसमें कई प्रकार की मांगें की गयी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो राशि मांगी गयी है, वह ग्रामीण गोदामों को बनाने के लिए मांगी गयी

है। पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण गोदाम बनाने का काम प्रारंभ हुआ है, लेकिन एक तो बहुत कम राशि रखने के कारण और दूसरा, समय पर उनके पूरा न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सदन में कई बार इस प्रकार की मांग भी उठी है। किसान के सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनी फसल को गोदाम में रखने की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं भी इतने वर्षों के बाद उन्हें नहीं मिल पाई।

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबंधित विभाग को इस बात का निर्देश दें कि वे लोग ऐसी व्यवस्था करें जिससे समय पर इनके गोदामों के निर्माण का काम पूरा हो जाये।

मैंने स्वयं देखा है कि राशि मंजूर हो जाती है किन्तु उनका निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पिछले बजट भाषण में कृषि के बारे में बहुत महत्वाकांक्षी बातें की थीं। हमें आशा थी कि बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके आधार पर किसानों की दशा को सुधारने के लिए तेजी से सरकार काम करेगी, किन्तु वह काम पूरे वर्ष भर में दिखाई नहीं दिया। अब तो तीन महीने बाद वर्ष समाप्त होने वाला है। लोगों को कृषि के मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं और किसानों को अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं, समय पर उर्वरक नहीं मिल रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो पिछले दिनों किसानों की आत्महत्या का मामला कई बार हमने सुना है, कहीं उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस ओर मैं वित्त मंत्री जी की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी मांग संख्या 4 है, जो गैस त्रासदी के बारे में है। वित्त मंत्री जी ने इसमें राशि इसलिए मांगी है, जिससे गैस पीड़ितों के केसेज का शीघ्र निपटान हो और उनके कर्मचारियों को जो वेतन मिलना चाहिए, उस वेतन का भुगतान उन्हें मिले। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज पूरे 21 वर्ष भोपाल गैस त्रासदी को हो गये हैं और अभी भी अजारों प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं। गैस पीड़ित चक्कर काट रहे हैं और उनको सुविधाएं देने के लिए जो काम किये गये थे, वे लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं। भोपाल में जो बड़े अस्पताल उनके लिए खोले गये थे, जो एक अस्पताल ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें पिछले 6 महीनों से डॉक्टरों और नर्सेज की हड़ताल चल रही है, दो महीने से ताला भी बंद था। इस कारण जिन गैस पीड़ितों को उपचार होता था, उनको अस्पताल से भगा दिया गया, यानी उनका पूरा इलाज नहीं हो रहा है। इतना समय बीत जाने के बाद भी गैस पीड़ितों की दशा सुधारने की दृष्टि से केन्द्र सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वह उसने ठीक तरह से पूरी नहीं की है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा।

उसके बाद मांग संख्या 8 आती है। उसमें वित्त मंत्री जी ने सदन से इसलिए राशि मांगी है कि हमें रासायनिक उर्वरक बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्हें सब्सिडी देनी है। सब्सिडी की राशि हम देंगे और उन्हें मिलेगी भी, लेकिन इस सदन में अनेक बार चर्चा उठी है जिसमें अनेक माननीय सदस्यों ने मांग की है कि सब्सिडी का लाभ उन किसानों तक पहुंचना चाहिए, जिनके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह होगा कि सब्सिडी का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था की जाए। किसान को तो मूल्य आज भी अधिक देना पड़ रहा है। सब्सिडी खाद निर्माता कंपनियों के पास जा रही है। किसान तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। इस संबंध में अनेक दिनों से किसानों ने मांग भी की है। इस बारे में जितने प्रदर्शन दिल्ली में किसानों ने पिछले चार महीनों में किये हैं और जब-जब किसानों ने इसकी मांग की है, इस मामले में उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया है। इसलिए इस ओर भी वित्त मंत्री जी कृपया ध्यान दें कि जो सब्सिडी आप मांग रहे हैं, हम स्वीकार करेंगे लेकिन कम से कम उस सब्सिडी का लाभ किसान तक अवश्य पहुंचे जिनके लिए आपने यह सब्सिडी देने की योजना प्रारंभ की है।

उसके बाद मैं मांग संख्या 18 की ओर जाता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें वित्त मंत्री जी इसलिए राशि मांग रहे हैं कि उन्हें सुपर बाजार के अल्प वेतन स्टॉफ को बकाया वेतन और मजदूरियां देने के लिए पैसा चाहिए। वित्त मंत्री जी, आपको मालूम होना चाहिए कि सुपर बाजार लगातार घाटे में चल रहा है और अगर कहा जाए कि यह दिवालिया होने वाला है, तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। कम से कम आप विभाग को यह निर्देश दें कि उसकी जांच करें। बीच में हमने सुना था कि सुपर बाजार की जांच करके उसकी व्यवस्था बदली जा रही है या उसे समाप्त किया जा रहा है। अभी तक उपभोक्ता मामले विभाग से उसका निराकरण नहीं किया गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कृपया आप सरकार को निर्देश दें कि सुपर बाजार में जो लगातार घाटा हो रहा है, उसकी ओर विभाग ध्यान दे और उसके घाटे को समाप्त करने की दिशा में क्या उपाय हो सकते हैं, उन पर विचार करें।

इसके बाद हम मांग संख्या 32 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें इन्होंने रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड योनजा, जो वर्ष 1980 की है, के लिए धन की मांग की है। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने वर्षों बाद राशि मांगने का क्या कारण है? यह वर्ष 1980 का मामला है। वर्ष 1980 में यह स्वर्ण बॉण्ड योजना बनी थी और इसकी योजना प्रारम्भ की गयी थी। उसके बाद आज वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि वर्ष 1980 के अंतर्गत गलती से सरकारी खाते में किए गए 494.50 ग्राम सोने की अतिरिक्त मात्रा के समतुल्य 60,956 रुपए की

[श्री कैलाश जोशी]

क्षतिपूर्ति हेतु यह मांग की गयी है। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें अतना विलम्ब क्यों हुआ? वर्ष 1980 के बाद, आज वर्ष 2005 तक लगभग 25 साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच में किसी ने इसकी खोजबीन नहीं की? वित्त विभाग और रिजर्व बैंक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? रिजर्व बैंक ने आपसे कब यह मांग की कि यह क्षतिपूर्ति हमें दी जाए? मैं समझता हूं कि यह विलम्ब क्षम्य नहीं है। इतना समय लगने का कारण मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए कृपया आप उत्तर देते समय स्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।

इसके बाद मैं आपका ध्यान मांग संख्या 41 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए राशि की मांग की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आज पांचवा वर्ष समाप्त होने वाला है और चार वर्षों की योजनाएं लगभग सभी प्रदेशों में पूरी हो गयी हैं। इसकी रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग से हमें मिल चुकी है। चार वर्षों के बाद सरकार को अब यह लग रहा है कि इसके बारे में फिर से सर्वे कराना चाहिए, फिर से यह पता लगाना चाहिए कि किस प्रकार सड़कें बन रही हैं? बीच में कितनी शिकायतें आई थीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क एक किलोमीटर बनती है, आगे बढ़ जाती है और पीछे की सड़क उखड़ जाती है। मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी की गयी, लेकिन वह इतनी आधी-अधूरी है कि कहीं भी समय पर उनकी देखभाल नहीं की जाती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो-तीन सड़कों के बारे में मैंने शिकायत की और उस चीफ इंजीनियर से इसकी शिकायत की जिसे यह काम सरकार की ओर से सौंपा गया था। महीनों तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं होते और यदि सात-आठ महीने में उत्तर आता भी है तो यह कह दिया जाता है कि हमने उसे ठीक करवा दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें अनावश्यक विलम्ब हुआ है। अभी तक यह व्यवस्था बन जानी चाहिए थी, पूरी व्यवस्था बनी भी थी, लेकिन अगर नयी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पड़ी है तो कृपया इसे देखिए कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चले और उसका लाभ ग्रामों में बनने वाली सड़कों के हितग्राहियों को प्राप्त हो सके। इस दिशा में आप विशेष ध्यान दें क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए आपने इसमें लिखा है। पिछले चार वर्षों बाद अब सरकार को ध्यान आया कि इन सड़कों की गुणवत्ता देखनी चाहिए। यह व्यवस्था पहले भी की जा सकती थी। इसमें लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए धनराशि मांगी जा रही है। अभी इसका सर्वेक्षण हुआ है। इस सर्वेक्षण के लिए आप दो करोड़ 34 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि इस दिशा में त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। जो सड़कें बन रही हैं, अगर उनकी शिकायतें आएं तो समय पर उनका निराकरण होना चाहिए। सड़कें गुणवत्ता वाली बने, इस दिशा में केन्द्र सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करेगी, ऐसी मुझे आशा है।

मैं अब मांग संख्या 48 के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। यह मांग "आयुष" के बारे में है। आयुष में आयुर्वेदिक, यूनानी योग, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां आती हैं। इन्हें मिलाकर एक नया आयुष विभाग बना है। इस मांग में रखी गई राशि का मैं विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां की चाहे आयुर्वेद हो, योग हो या यूनानी चिकित्सा प्रणाली हो, विश्व के अनेक देशों में उनका प्रचार हो रहा है। मैं पिछले दिनों जर्मनी गया था। वहां आयुर्वेद का बहुत बड़ा अस्पताल है, जिसमें करीब 250 रोगियों को रखा जा सकता है। इसके अलावा यूरोप में भी अनेक आयुर्वेद के अस्पताल खुल रहे है और चल रहे है। हमारे वैद्यों को वे लोग बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देकर अपने यहां बुला रहे हैं। हमारे यहां आयुर्वेद की प्रशंसा करने के लिए तो लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह से भारतीय चिकित्सा प्रणाली के जो दूसरे अंग हैं, उनका सही प्रकार से विकास करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

मैं खुद इतना भुक्तभोगी हूं कि आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। करीब 20 साल पहले मुझे एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा योग है, ऐसी पांच औषधियां हैं, जो हर गांव में ही मिल जाएंगी, उन जड़ी-बूटियों को लेने जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। मैंने उस बारे में दिल्ली में आयुर्वेद विभाग के एक बड़े अधिकारी को पत्र लिखा। इस पर उनका जवाब मुझे मिला कि आपने जिन पांच औषधियों के नाम लिखे हैं, वे चालू नाम हैं, कृपया इनके आयुर्वेदिक या संस्कृत में नाम लिख कर हमें दें। मैंने प्रयत्न करके, प्रदेश के वैद्यों से मिलकर उन औषधियों के संस्कृत और यूनानी नाम उन्हें भिजवाए। उन्होंने कहा कि हम प्रयत्न करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। लेकिन आज 20 साल हो गए, उनका कोई जवाब मुझे नहीं मिला कि इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही की गई। उस साधु ने मुझे ऐसा प्रयोग और दवा बताई थी कि जिस औरत को मासिक धर्म हो, उस समय वह तीन दिन तक इसे ले ले, तो परिवार नियोजन हो जाएगा। अगर वह संतान चाहती है तो उसका भी उपाय उन्होंने बताया था। यह स्थिति आज भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की है। हम अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य देशों में जाकर देखते हैं कि वहां योग की कक्षाएं चल रही हैं और भारतीय लोग योग सिखा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत विदेशों में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हम यहां आज भी एलोपैथी पर निर्भर हैं।

मैं एक अधिकारी से मिला था और उससे कहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि सुनवाई नहीं होती है। उसने कहा कि आप केवल केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलें, तो कुछ होगा, विभाग के लोगों से मिलने पर कुछ नहीं होगा। इसलिए कि जो बड़ी-

बडी एलोपैथी दवाओं की कम्पनीज हैं, वे सारे विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों को जमाकर रखती हैं, उन्हें पैसा देती हैं, इसीलिए देशी चिकित्सा पद्धति का प्रचार नहीं हो पाता है। यह स्थिति आज भी देश में बनी हुई है।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप जो राशि मांग रहे हैं, वह तो हम स्वीकृत करेंगे ही, अगर और राशि की मांग हो, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे, लेकिन सही मानों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार हो, इस पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मेरे दल के अन्य साथी भी बोलेंगे। इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जिन बिन्दुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है, वे उनका जवाब देंगे।

श्री सचिन पायलट (दौसा): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा जो सप्लमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स सदन में रखी गयी हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हूआ हूं। मेरी दृष्टि में इस साल का बजट चर्चा में इसीलिए आया, क्योंकि इस बजट के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी और वह इसलिए बढ़ी क्योंकि बहुत सालों के बाद, लगभग 7-8 सालों के बाद, पहली बार सरकार ने जब अपना बजट पेश किया, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र और किसान वर्ग की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित किया गया। पिछले 6-7-8 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के जो हालात थे, उसकी आवाज को दबाया गया था, जिस लाचारी से वे गुजर रहे थे, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए बहुत गंभीर कोशिश इस बजट के माध्यम से की गयी। इससे पहले की सरकार को मैं दोष नहीं देना चाहता हूं कि उन्होंने किसाने वर्ग और कृषि क्षेत्र की तरफ कम ध्यान दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि पिछली सरकार को लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, भारत उदय हो रहा है, लोगों को बहुत फील बुड हो रहा है, यात्राएं निकल रही थीं, बड़े-बड़े इश्तेहार छप रहे थे तथा लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गयी थी। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने जानबूझकर कृषि क्षेत्र की अनदेखी की या किसान वर्ग की अनदेखी की, मेरी दृष्टि में सरकार के ब्रौडर स्क्रीन पर कहीं गांव और गरीब था ही नहीं। यह कोई भूलवश किया गया कृत्य नहीं है बल्कि यह एक त्रुटिपूर्ण कृत्य है। इस देश में 638000 गांव हैं और दो तिहाई जनता आज कृषि क्षेत्र पर अपने जीवन व्यवसाय के लिए निर्भर करती है। आज हम सब को सोचने की जरूरत है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है जिसमें हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल, हर सरकार किसान की बात करते हैं, लेकिन आज ऐसा कौन सा किसान है, जो सार्वजनिक रूप से यह कह सकता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा-लिखाकर, बड़ा करके एक किसान बनाऊंगा। किसान की आर्थिक स्थिति तो दयनीय है ही, लेकिन उसकी जो सामाजिक पोजीशन है, उसमें भी बहुत गिरावट आयी है। उसे सजाने, संवारने तथा बेहतर करने की चेष्टा इस सरकार ने अपने बजट के माध्यम से की है। कुछ ऐसे कार्यक्रम सरकार ने शुरू किए हैं, जो अभूतपूर्व हैं और जो राशि आवंटित की गयी, मैं समझता हूं कि पिछले कई दशकों में नहीं की गयी थी और जिसकी इस पक्ष से, सरकार की, सभी पार्टियों ने प्रशंसा की है। यह विधि की विडंबना है कि जो सरकार अपनी भूल के चलते सत्ता से दूर हुयी थी, आज जब नयी सरकार राष्ट्र निर्माण में, ग्रामीण क्षेत्र में अपनी तरफ से कुछ योगदान करना चाहती है, अगर वह ज्यादा पैसे मांगती है, तो उस पर भी कहीं न कहीं आपत्ति दिखायी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, पिछले 6 सालों में किसान और कृषि की क्या दशा रही, मैं कुछ आंकड़े आप को देकर, इस बात को उजागर करूंगा।

वर्ष 1998 में प्रति टन यूरिया की कीमत 3680 रुपए थी। वर्ष 2004 में यूरिया की कीमत 31 प्रतिशत बढ़ गयी और 4830 रुपए प्रति टन हो गयी। मैं उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो कृषि में लगती हैं, जिसमें किसान की लागत आती है। डीएपी की प्रति टन कीमत वर्ष 1998 में 8300 रुपए थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 9350 रुपए प्रति टन हो गयी। मैं एक और आंकड़ा आपको दूंगा... (व्यवधान) मैं सिर्फ आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, किसान जो हल चलता है, ट्रैक्टर चलाता है, जमीन में मेहनत करता है, धरती का पेट फाड़कर हमारा और आपका पेट भरता है, उसको ट्रैक्टर की जरूरत होती है। एक विशेष आंकड़ा मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि वर्ष 1999 में इस देश में 276181 ट्रैक्टर बेचे गए थे और वर्ष 2002 में, 3 तीन साल बाद, सिर्फ 225280 ट्रैक्टर बेचे गए। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत इसलिए नहीं लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि कृषि से हम अपना पालन-पोषण नहीं कर सकते। उसे सहयोग की जरूरत थी, सहायता की जरूरत थी और मैं समझता हूं कि जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, उसने सच्चे मन से उनकी तरफ ध्यान केन्द्रित किया है। उनको मदद करने का जो वायदा हमारी सरकार के द्वारा, हमारी पार्टी और सहयोगी पार्टियों ने किया था, उसे हम पूरा कर रहे हैं।

मैं कुछ और आंकड़े दूंगा। मान्यवर, जिस एग्रीकल्चर क्रैडिट की सब दुहाई देते हैं, लेकिन सब को इस बात का भी दुख है कि आज हिन्दुस्तान का ऊर्जावान और गौरवान्वित किसान आत्महत्या के मार्ग पर पहुंच गया है। ऐसे प्रदेश, जहां बहुत भुखमरी और बेकारी है और ऐसे प्रदेश जो ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध थे जैसे पंजाब या दूसरे कई प्रदेश हैं, वहां इस सरकार ने एग्रीकल्चरल क्रैडिट को व्यापक बनाने के लिए 44 फीसदी की वृद्धि की है,

[श्री सचिन पायलट]

यानी 2004-2005 में 80 हजार करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1,15,242 करोड़ रुपए किए गए हैं। मार्किट इंटरवैंशन स्कीम, जो एनडीए के राज में मात्र 458 करोड़ रुपए की थी, इस सरकार ने उसे पिछले वर्ष आठ गुना करें 3612 करोड़ रुपए किया है। अगर सरकार पैसा मांगती है, माननीय वित्त मंत्री जी पैसा इसलिए मांगते हैं कि हमारा ध्यान गांवों और गरीब किसानों की तरफ है। उनकी सेवा करने के लिए हमने जो कार्यक्रम नीति और नियम बनाए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अधिक राशि मांगी है। कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में बैंक ऋण देने का जो टारगेट है, वह 50 लाख नए लोगों को जोड़ने का था। देखने वाली बात यह है कि जब सरकार बदलती हैं तो अफसर, बाबू, कर्मचारी वही रहते हैं, लेकिन उनसे गंवों के लिए कैसे काम कराया जाता है, वह सरकार पर निर्भर करता है। सरकार का काम करने वाले कार्यकर्ता वही थे। हमारा टारगेट 50 लाख किसानों तक लोन पहुंचाने का था लेकिन हमने इस टारगेट को लांघ कर 80 लाख नए किसानों को ऋण दिया है।

नैशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। गेहूं और चावल की प्रोक्योरमैंट में पिछले वर्ष की तुलना में 20 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, यूरिया की खपत में 5 परसेंट की वृद्धि हुई, डीएपी की खपत में 10 परसेंट की वृद्धि हुई है लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। उनकी 2002-03 में जो कीमतें थीं, वहीं सरकार ने कीमतें रखी हैं। मैं समझता हूं कि आपने वाले वर्षों और बजट में हमें निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में और बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमने अब तक जो किया, वह प्रशंसनीय है, हम उसमें सहयोग करते हैं। पूरा देश और बाकी दुनिया इस बात को मानती है कि यह सरकार सचमुच में बहुत गंभीर कदम किसानों की जिन्दगी को बेहतर करने के लिए उठा रही है लेकिन जब हम अपने देश के किसानों की बात करते हैं, हम सब जानते हैं, अगर चावल का उदाहरण लें, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा पैदावार अगर कहीं चावल की होती है तो हिन्दुस्तान में होती है। अगर प्रोडक्शन का मापदंड मापें तो सबसे ज्यादा चावल अगर कहीं होता है तो हिन्दुस्तान दुनिया में नम्बर दो पर आता है लेकिन यील्ड की रैंकिंग में भारत का नम्बर 52वां है। हम लोगों को आधुनिकीकरण करना है, कृषि के क्षेत्र में साइंटिफिक टैम्परामैंट को डेवलप करना है। गेहूं के उत्पादन के क्षेत्रफल में हम नम्बर वन पर हैं, प्रोक्शन में दुनिया में नम्बर दो पर हैं लेकिन यील्ड के मापदंड में फिर से हमारा नम्बर 38वां है। यहां हमें पैसों, रिसर्च ऐंड डेवलपमैंट का इनव्यूसमैंट करना है ताकि नए आधुनिक उपकरणों का उपयोग हमारे किसान पर सकें और लाभान्वित हो सकें। सरकार ने किसानों को जागरूक करने की कोशिश की है। उसमें बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम बनाने से, बजट पास करने से यह पैसा और उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच सकता है। हम समझते हैं कि व्यवस्था में बदलाव लाना है। जब से मानमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के मन और जहन में यह बात थी कि पूरे देश को यह संदेश देना है और वह संदेश यह है कि हमें किसानों, गरीब मजदूरों और ऐसे हर समाज के वर्ग को, जिसे सहायता की जरूरत है, उसमें यह सरकार आगे बढ़ेगी और पीछे नहीं हटेगी।

मान्यवर, बीमा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में सिर्फ 11 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो फसल बीमा का लाभ पाते हैं। सरकार ने बहुत मेहनत की है और ऐसे बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि इसमें वृद्धि हो। मेरा एक सुझाव मंत्री जी से है। जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो केन्द्र सरकार की तरफ से सहायता पहुंचती है और राज्य सरकार भी सहायता देती है। अगर लोकलाइज इन्स्ट्रक्शन्स तहसील, ब्लॉक, पंचायत लैवल पर होती है तो उसमें बीमा का लाभ छोटा और गरीब किसान नहीं उठा सकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा, राजस्थान में ओलावृष्टि हुई थी। वहां 90 गांव ऐसे थे जहां गेहूं की फसल बिल्कुल तबाह हो गई थी, तहस-नहस हो गई थी। उनमें बहुत कम लोग थे, जो बीमा योजना का फायदा उठा सके। जो छोटे किसान हैं, जो जागरूक नहीं हैं, जिनके पास कम जमीन है, जो रिस्क लेने से घबराते हैं, जिन्हें बीमा की जानकारी नहीं है, मेरा अनुरोध है कि उनके लिए कुछ कदम उठाए जाएं। जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनकी तरफ, उनके परिवारों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित है और सरकार ने उनकी मदद भी की है, लेकिन ऐसे बहुत से किसान हैं, जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है लेकिन आत्महत्या की कगार पर हैं। वे हमारी दृष्टि में नहीं आते हैं क्योंकि वहां ऐसा हादसा नहीं हुआ है। उनकी तरफ भी विशेष ध्यान हमें देना चाहिए।

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस देश में जितने भी किसानों के घर है, उनमें 48 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं से ऋण लिया हुआ है और कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। जब किसान को पैसा चाहिए, तो क्षेत्रीय, लोकल सेठ-साहूकार ऋण तो देते हैं लेकिन इन्टरस्ट का प्रतिशत चालीस, पचास या साठ तक चार्ज करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने और वित्त मंत्री महोदय ने कदम उठाए हैं और सरकार के इंस्टीट्यूशन्स को गांव-गांव तक पहुंचाने की चेष्टा की है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि बैंकों के माध्यम से सिर्फ 36 प्रतिशत लोग ऋण लेते हैं। आज भी इन्फार्मल सैटअप, जहां से सेठ-साहूकार लोगों को शोषित करते हैं, उसका हिस्सा बीस प्रतिशत है। हमें इस बीस प्रतिशत को घटाना होगा। पिछले सौ साल से इस देश में सहकारिता विभाग स्थापित है, जिसकी बहुत अच्छी पहुंच गांव-गांव तक है। यह गांव-गांव तक पहुंचा है। लेकिन

को-ओपरेटिव इंस्टीट्यूशन की पहुंच आज कम है, हमें इसे भी बढ़ाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): सहकारिता विभाग में ऋण...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले इन्हें बोलने दीजिए फिर आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: मैं आपकी मदद कर रहा हूं। सहकारिता में जो ऋण मिलता है उसका ब्याज बहुत ज्यादा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इन्टरप्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: मैं इन्टरप्ट नहीं कर रहा हूं। इसमें ऋण बहुत ज्यादा है। इसे कम कराने में मदद करें। ...*(व्यवधान)*

श्री सचिन पायलट: मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारा कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं, उन्होंने अगर गाड़ी या मकान लेना हो तो ऋण का ब्याज छः, सात या आठ परसेंट है लेकिन गरीब किसान को बारह, तेरह या चौदह परसेंट ब्याज देना पड़ता है। सरकार इस बात को जानती है और इस बारे में जागरूक है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई सरकार किसानों के ऋण को कम करेगी तो मौजूदा सरकार करेगी। मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, हमारे देश की कृषि भूमि का सिर्फ चालीस प्रतिशत भाग ऐसा है जो सिंचित है। इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। जहां तक मैक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स और मीडियम साइज इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की बात है, उनमें सरकार अपना योगदान देती है। माइक्रो प्रोजेक्ट्स में सरकार ज्यादा सहयोग नहीं कर पाती है। यहां अगर प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए तो यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को, संसद को और हम सबको मिलकर किसानों को मार्किट एक्सेस प्रदान करनी होगी। फ्रैश फ्रूट्स आदि नष्ट हो जाते हैं इसलिए आज कोल्ड चेन स्टोरेज की आवश्यकता है ताकि इन्हें नष्ट होने से रोकने में सहायता मिले। कोल्ड स्टोरेज की और ज्यादा सुविधा सरकार मुहैया कराएगी। मैं यह आशा सरकार से करता हूं कि जो मांगें वित्त मंत्री महोदय ने रखी हैं उनका समर्थन विपक्षी भाइयों को भी करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, मुझे इस सीट से ही बोलने की अनुमति दी जाए।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने इस सभा में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को रखा है। मेरा सोचना है कि कई बार और शायद हर समय सरकार चलाने के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा यहां पर प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करना चाहता हूं।

मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए इस सम्माननीय सभा में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आरंभ में हमें 2005-2006 के बजट को देखना होगा। इस बजट के दिशा और ध्येय क्या थे और माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभा में क्या बजट रखा गया था। 2005-2006 के बजट में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धारित सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस बजट में गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए तथा प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत की सतत आर्थिक विकास का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

सरकार की नीति कृषि में अधिक निवेश और अवसंरचना विकास पर केन्द्रित है। सरकार अर्थव्यवस्था के चहुंमुखी विकास हेतु उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के लिए सहायता का वातावरण बनाने वाली नीति को बनाए रखने हेतु उत्सुक है।

सबसे पहले हमें दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा पर विचार करना चाहिए। कृषि के संबंध में देश में क्या स्थिति है? सबसे पहले हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे देश में अप्रयुक्त क्षमता और बड़े पैमाने पर अनैच्छिक बेरोजगारी एक साथ मौजूद है। इस सभा में हम सभी को पता है कि कृषि क्षेत्र में कुछ बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। यह एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है और इस क्षेत्र में सरकार के कम निवेश के चलते बेरोजगारी की स्थिति बदतर बनी हुई है। ऐसा क्यों है?

अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान परिदृश्य में क्या समस्या है? मैं 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए सटीक आंकड़े बता सकता हूं। जिनमें यह बताया गया है कि 2004-2005 में 3.64 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। इसमें आगे कहा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कृषि जैसे क्षेत्र में 10वीं योजना के कुल परिव्यय की केवल 47.6 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा

[श्री बंसगोपाल चौधरी]

सकी है। जहां तक हमें जानकारी है, हम जानते हैं कि यह हमारी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख क्षेत्र है। पहले दो वर्षों में इस महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में क्या हो रहा था? मैं यह कहूंगा कि कृषि में कम वृद्धि दर घरेलू मांग में कमी दर्शाती है। यहां तक कि घरेलू बाजार आपूर्ति में भी खाद्य सामग्री की मांग कम रहती है। यह केवल हमारी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की क्रय शक्ति की कमी के कारण है और इसका कारण है बेरोजगारी और गरीबी यदि हम मध्यावधि मूल्यांकन देखें, तो यह पाते हैं कि 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए केवल 47.6 प्रतिशत निवेश किया जा सका। आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस मुद्दे पर भी ध्यान देंगे। इस अनुपूरक बजट का समर्थन करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख घटक होना चाहिए।

दूसरी बात, आय वितरण से जनसंख्या के एक बड़े भाग की क्रय शक्ति अपर्याप्त रह गई है। यह क्यों हो रहा है? मैं महसूस करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, हमारे बजट, तथा माननीय वित्त मंत्री के इस अनुपूरक अनुदान की मांग के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 55वें दौर में क्या कहा गया है? यह कहना है कि कुल 39.7 करोड़ की श्रम शक्ति में से—केवल 2.8 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र में हैं जो कि कुल श्रम शक्ति का केवल 7 प्रतिशत है।

अपराह्न 5.00 बजे

कुल श्रमशक्ति का केवल 7 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में हैं। अब प्रश्न सरकारी क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की कमी का है। हम स्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं जब हमारे कुल कार्यबल का केवल सात प्रतिशत संगठित क्षेत्र में है?

कुल श्रमशक्ति का 55 प्रतिशत से अधिक कृषि पर निर्भर है और कुल असंगठित कार्यबल का 64 प्रतिशत से अधिक भी कृषि और खनन में है। सम्भवत:, इस सम्मानित सभा में आपने सुना होगा कि असंगठित श्रमशक्ति की सुरक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस मामले की चर्चा की गई है। उचित कार्यवाही करने के लिए सभा में एक विधेयक की पहले ही मांग की गई है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमशक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। जहां तक मुझे याद है इस मुद्दे पर इस सम्मानित सभा में पिछले सप्ताह चर्चा की गई थी। इस सभा ने उग्रवादी बलों से मुकाबला करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। नक्सलियों पर चर्चा की गई और माननीय गृह मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। अर्थव्यवस्था का विकास किये बिना, आर्थिक परिदृश्य को बदले बिना हम नक्सलियों तथा अलगाववादी बलों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इससे देश को गम्भीर खतरा है। हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाभ बिना युवा पीड़ियों के विकास के बिना तथा बेरोजगार युवाओं के विकास के बिना हम देश के विकास के बारे में नहीं सोच सकते। हम अलगाववादी तथा नक्सली ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते।

मैं एक अन्य मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वह मुद्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रों नामत: सामाजिक क्षेत्र—शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश का है। दसवीं योजना के पहले दो वर्षों में उपयोग केवल 31 प्रतिशत और 29.5 प्रतिशत है। हम देश में अधिकतम साक्षरता चाहते हैं। गांवों में साक्षरता का प्रश्न विद्यमान है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसका ध्यान रख रहे होंगे। वह बजट में यह मुद्दा सामने लाये और उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इन सभी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए अनुपूरक बजट की मांग भी रखी है। अत:, मैं मानता हूं कि इस वर्ष के दौरान सरकार को अशिक्षा की समस्या तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र में समस्या का मुकाबला करने के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

हमारी मुख्य समस्या गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा की आवश्यकता है। गांव के गरीब लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मैं पृष्ठ 35 पर मध्यावधि समीक्षा की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहता हूं—सरकार ने बजट प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति दी है। कुछ प्रमुख बजट घोषणाओं तथा उनके कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 10वीं मद में यह बताया गया है कि सभी पेयजल योजनाएं अब राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत लाई गई हैं। मेरे विचार से यह एक अच्छा मिशन है। वर्ष 2005-06 के दौरान अधिक आबादी पर ध्यान देने तथा लगभग 2.16 लाख की आबादी में जल की गुणवत्ता ठीक करने पर जोर दिया जाएगा। मिशन का परिव्यय बढ़ाया गया है। कार्यान्वयन की स्थिति क्या है? कार्ययोजना तैयार कर ली गई है तथा वित्त के लिए आवश्यक स्रोत जुटाए जा रहे हैं। महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य से होने के नाते मेरा विचार यह है कि कई गांवों में आर्सेनिक की समस्या है। पश्चिम बंगाल के गांव के लोगों की मुख्य समस्या आर्सेनिक की समस्या है। यह आर्सेनिक की समस्या सरकार के सामने लाई गई है।

भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह केवल मेरे राज्य के लिए ही नहीं है। मैं केवल अपने राज्य की बात नहीं कर रहा। मैं केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा। यह

अन्य राज्यों के संबंध में भी सच है। यह अन्य राज्यों के लिए भी सत्य है जहां इसी तरह की समस्या है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं यहां बुनियादी ढांचे के विकास के प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं। सरकार अब उद्योग की बात कर ही है। हम अपने पश्चिम बंगाल राज्य में भी इसके बारे में सोचते हैं। हम अब कई परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं। राज्य में नये उद्योग उभर रहे हैं। हमें स्थिति की जानकारी है। सरकार राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी विकास परियोजनाओं पर अधिक जोर देने का प्रयास कर रही है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की जा रही हैं। इसे राज्य के अवसंरचनात्मक विकास हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सड़क अवसंरचना रेल नेटवर्क—जल आपूर्ति परियोजनाओं तथा अन्य नेटवर्कों के पूरा होने के बाद ही उद्योगों का विकास हो सकता है। ऐसी परियोजनाओं से उद्योगों को सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुछ परियोजनाएं हैं। सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबित परियोजनाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अनुपूरक बजट का अध्ययन किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की देखरेख भूतल परिवहन विभाग करता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से हमारे राज्य व अन्य राज्यों में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को पूरा कराने का अनुरोध करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह पूरे देश का प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में सावधान रहना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

मैं लघु उद्योगों के विकास की अन्य समस्या बताना चाहूंगा जोकि हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। विपणन और क्रेडिट लिंक का प्रश्न लघु उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वह क्षेत्र है जहां और रोजगार पैदा किया जा सकता है। यही वह क्षेत्र है जहां बहुत सारे बेरोजगार अपनी आय कमाने के लिए जा सकते हैं। यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने ऋण के उद्देश्य से इन व्यावसायिक बैंकों को जोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। वे लघु उद्योगों के विकास के लिए सिडबी को भी जोड़ना चाहते हैं। किन्तु निचले स्तर पर क्या हो रहा है? यह छोटा क्षेत्र समस्याओं का सामना कर रहा है। जो लोग उधार के उद्देश्य से व्यावसायिक बैंकों में जाते हैं। वे व्यावसायिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने व्यावसायिक बैंकों को बेरोजगार युवाओं को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए, छोटे क्षेत्र की सहायता करने के लिए देश में लघु उद्योगों की मदद के लिए न्यूनतम दिशा-निर्देश जारी किये जाने चाहिए। मुझे विश्वास है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक नीति होनी चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन क्यों है? माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमें अपने देश का विकास करने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में, कुछ राज्यों में हम इस समस्या का पिछले 30-40 सालों से सामना कर रहे हैं।

कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु के लोगों की समस्या के बारे में सुन रहा था। वे राष्ट्रीय आपदा के बारे में मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे। वे उन प्राकृतिक आपदाओं से बहुत चिंतित थे जिन्होंने तमिलनाडु को नुकसान पहुंचाया था। इस सम्माननीय सदन से हम सभी इसके बारे में बहुत चिंतित हैं।

मुझे माननीय वित्त मंत्री महोदय की उपस्थिति में एक बात कहनी है। हमारे राज्य, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कोयला खदान क्षेत्र में पिछले 30-40 वर्षों से गांवों में रहने वाले लाखों लोगों द्वारा सामना की जा रही धंसाव की समस्या से निपटने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है वे खतरे में हैं।

कोयला हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रीय खजिन है। यह अधिक राजस्व दे रहा है और यह कुल अर्थव्यवस्था में सहायता करता है। कोयला अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करता है। किंतु इसके बदले में उन लोगों को क्या मिल रहा है? वे वर्षों से धंसाव के खतरे में हैं। अत: मेरा मानीय वित्त मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि उन क्षेत्रों में धंसाव व भूकंप की समस्या से निपटने के लिए कुछ इंतजाम किया जाना चाहिए। बजट में कोयला विभाग के बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए जिसमें यह बताया गया है कि यह धंसाव की समस्या से निबटने के लिए है।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की छानबीन करें। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मुझे विश्वास है कि इस समस्या से निबटने के लिए कुछ प्रोत्साहन देंगे और उन गरीब ग्रामवासियों को जो कोयला खदान के लिए अपनी भूमि दे रहे हैं, कुछ धन प्रदान किया जाए। मुझे विश्वास है कि वे इस अध्याय को खोलेंगे जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

अंत में, मैं सारे देश के लिए एक बात कहना चाहूंगा: तेज विकास कार्य की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि इस सदन में अनुपूरक अनुदान की मांगों के पारित होने के पश्चात हमारे देश में तेजी से विकास होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: आपने अपना पहला भाषण बड़ा ही अच्छा दिया है।

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं किसान और खेती से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं। किसान इस देश की रीढ़ है। किसानों के लिए बजट में जो व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं है। किसानों के बारे में कहना चाहता हूं कि जो किसानों की आबादी है और उनकी जो हालत है और तब जबकि संसद में सबसे अधिक संख्या किसानों की है, मगर उनके सवालों पर, उनकी समस्याओं पर हम बहस करते हैं, इसके बावजूद उनकी भलाई और उनकी हालत को सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। यूपीए की सरकार ने कई ऐसे काम किये हैं जो सराहनीय हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो व्यवस्था की है, वह बहुत अच्छी है। फिर भी मैं किसानों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। किसान जिस लागत पर, जिस खर्च पर अपनी फसल या अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, उस फसल का सपोर्टिंग प्राइस उन्हें नहीं मिलता है। फसलों का मूल्य कम मिलता है और दुर्भाग्य यह है कि अनाज पैदा किसान करता है और उस अनाज की कीमत सरकार और बाजार में बैठे पूंजीपति तय करते हैं।

सभापति जी, आज इस देश की हालत यह है कि यहां एक छोटा सा दुकानदार भी, एक पान बेचने वाला दुकानदार भी, अपने 10 लोगों की मीटिंग करके, एक बैठक करके, अपने पान के दाम बढ़ा लेता है और वही रेट बाजार में लागू हो जाता है। मगर आज किसान की हालत इस देश में यह है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। किसान आज न केवल देश का भरण-पोषण कर रहा है, बल्कि इतना अनाज पदा कर रहा जो बाहर भी भेजा जा रहा है, लेकिन उसके अनाज की कीमत किसान के सहयोग और उसकी राय से तय नहीं होती। सरकार और बाजार में बैठे बड़े व्यापारी तय कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपनी कृषि नीति को किसान के हित की नीति बनाना चाहिए। जिससे उसकी हालत सुधर सके और इस हेतु बजट में किसान के हित के लिए बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति जी, यह ठीक है कि सरकार की, किसान को खाद पर सबसिडी और कम कीमत पर खाद व बीज देने की नीति है, लेकिन आप गांव में जाकर देखिए। जब किसान खाद खरीदता है, उससे साफ मालूम हो जाएगा कि उसे एक पैसे की भी सब्सिडी सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। सरकार द्वारा किसान को जो राहत देने का फैसला है, उसके अनुसार उसे कोई राहत नहीं मिल रही है। सब्सिडी का जितना भी फायदा है, वह बड़ी-बड़ी खाद फैक्ट्रियों को मिल रहा है। सरकार की अनुदान की नीति का कोई फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस बारे में साफ करे और यदि वह किसानों को अनुदान सहायता देना चाहती है, तो किसान को सीधे वह सहायता दे, या नहीं। किसी के माध्यम से नहीं बल्कि किसान को सब्सिडी का लाभ सीधे मिलना चाहिए। मैं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पर स्पष्ट निर्णय होना चाहिए।

महोदय, आज किसानों को सही खाद और बीज नहीं मिल रहा है। सरकार गांवों में विद्युत पहुंचाने के लिए बेचैन है, लेकिन किसान बहुत परेशान है। उसे बिल्कुल विद्युत नहीं मिल रही है। किसान को अपनी सिंचाई के लिए किसी प्रदेश में एक घंटे बिजली मिल रही है, किसी प्रदेश में आधे घंटे बिजली मिल रही है और किसी-किसी प्रदेश में तो उसे बिल्कुल बिजली नहीं मिलती है। यदि किसान डीजल पम्प सैट लगाकर सिंचाई करता है, तो आपको मालूम है कि डीजल के रेट बहुत ज्यादा हैं और पम्प सैंट का खर्चा भी ज्यादा है। इतना खर्चा छोटा और मीडियम किसान तो बिलकुल नहीं उठ पाता है। यदि कोई किसान हिम्मत करके डीजल पम्प सैट चलाकर सिंचाई करके, खेती कर ले, अनाज या सब्जी पैदा कर भी ले, तो उसे बाजार में उसकी मुनासिब कीमत नहीं मिलती और उसे अपनी उपज औने-पौने दाम में बेचनी पड़ती है।

महोदय, किसान को सहायता देने और उसकी खुशहाली के लिए सदन में, हमेशा चर्चा होती है, लेकिन इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता। किसान की फसल बर्बाद होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारी आपदा हो जाती है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बरसात हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो जिनका नुकसान होता है, उन्हें मुआवजा मिलता है, लेकिन सिर्फ किसान ही ऐसा है, जिसे कोई मुआवजा नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि आप किसान को उसकी फसल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने पर मुआवजा नहीं देना चाहते हैं, तो मत दीजिए, लेकिन इतना ऋण तो दीजिए जिससे वह आगे अपनी फसल बो सके।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान किसान को ऋण उपलब्ध कराने की ओर दिलाना चाहूंगा। देश के बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति है, वह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार में जो सिस्टम है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे मैं बताता हूं। बिहार में उद्योगपति को, दुकानदार को और बाकी सब लोगों को

ऋण मिल जाता है, लेकिन सिर्फ किसान ही एक ऐसा है, जिसे ऋण नहीं मिलता। बाकी लोगों से ऋण वसूली के लिए कोई कड़ाई भी नहीं की जाती है, लेकिन किसानों से वसूली करने के लिए बहुत कड़ाई बरती जाती है। उद्योगपतियों को करोड़ों रुपये ऋण देने के बाद भी जेल में बन्द नहीं किया जाता, लेकिन यदि किसान ने 5000 रुपये का ऋण ले लिया और समय पर नहीं दिया, तो उसे जेल में बन्द कर दिया जाता है और जेल में उसके रहने का खर्च भी उसी से लिया जाता है। इसे देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी क्या नीति है, आप किसान को किस प्रकार से सहायता पहुंचाना चाहते हैं, उसे स्पष्ट कीजिए?

महोदय, जहां तक नैशनलाइज्ड बैंकों से किसानों को बैंक ऋण देने की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि व्यावसायिक बैंकों से बिहार में किसानों को ऋण नहीं मिलता है। सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक किसानों को ऋण देने के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसे ऋण देने के नाम पर उसका शोषण किया जा रहा है। वह सीधे कंट्रोल करते हैं, किसान की कोई सुनवाई नहीं होती है और कुल मिलाकर कहा जाए, तो बिहार में किसानों को किसी भी प्रकार बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। आपने सहकारिता के माध्यम से किसानों की सहायता करने का प्रयास किया। आपने पूरे देश में किसानों के क्रैडिट कार्ड बनाए। बिहार में भी कार्ड बने, लेकिन किसान को बिहार में बैंकों से क्रैडिट नहीं मिल रहा है। मैं दूसरे राज्यों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से सहकारी बैंक चल रहे हैं, वे न चलने के बराबर हैं। गरीब किसानों को वे एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। गांवों में गोदाम बनाने की एक डिमांड आपने इस अनुदान की पूरक मांगों में रखी है, यह फैसला अच्छा है। आप गोदाम बना भी रहे हैं।

हम जानना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था क्या है, आप उसी गोदाम में कौन सी चीज रखेंगे और किस सिस्टम के तहत रखेंगे। वह गोदाम बन कर ऐसे ही पड़ा है, उसमें कुछ नहीं रखा जाता है। उसका ताला बंद है, गांव के एक आदमी के हाथ में उसकी चाबी है और वह वहां रह रहा है, उस गोदाम से कोई मतलब नहीं। आपने काम सही किया है, लेकिन उसे सिस्टम में लाइए, उसका रख-रखाव ठीक करिए ताकि किसानों को उस गोदाम से लाभ मिले। आपने जिस मंशा से काम किया है, उस काम को आप करिए।

महोदय, ग्रामीण सड़क के बारे में मैं कहना चाहता हूं, उस पर रोज बहस हो रही है। आपने व्यवस्था की है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पथ की चर्चा हुई। आप चाहते हैं कि गांवों में पंचायत के माध्यम से बेहतर रोड बनाएं। आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस सिस्टम के तहत करना चाहते हैं। आपकी समय-सीमा का कोई महत्व नहीं है, आप जिस पथ को एक साल के अंदर बनाना चाहते हैं, वह तीन वर्ष में भी नहीं बना। अगर पूछो तो कहते हैं कि वहां सर्वे हो रहा है, डीपीआर बन रहा है, इसमें रुपया कम मिला है, यह सिस्टम बिलकुल गलत है। आप जिस बारे में सोच रहे हैं, जिसकी व्यवस्था आप कर रहे हैं, जिसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जिस पैसे को आप बजट में पास कर रहे हैं, उसे समय-सीमा में सरजमीन पर नहीं ले जा रहे हैं, तो यहां बैठ कर सारे फैसले करने बेकार हैं। जिसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। मैं आपको इस पर सिर्फ इतना सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी पैसे आप दे रहे हैं, आप एक लोक सभा क्षेत्र में एक किलोमीटर ही बनाइए, लेकिन समय-सीमा के अंदर फैसला लेकर बनाइए और उसे चालू कराइए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। आप गांव में पंचायतों के द्वारा पैसा दे रहे हैं, खर्चा करवा रहे हैं, उसे कौन देख रहा है? स्टेट वाइस गवर्नमेंट को आपने अधिकार दिया है, लेकिन कुछ नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, पंचायत का प्रधान जो चाहता है, गलत या सही पास करके, उल्टा-पुल्टा करके, वह जिस रूप में चाहता है वैसे खर्च कर रहा है। आप गांव में जाकर देखें, जो पैसा सरकार का है और जनता के लिए है उसका वहां बहुत अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है। हम सुझाव देना चाहते हैं कि आप पैसा लीजिए और उस पैसे को खर्च कराइए, उसके रखरखाव के लिए भारत सरकार का रुपया है। आप अपनी भी एक एजेंसी और सिस्टम में, आपके जो अधिकारी एवं पदाधिकारी हैं, उनसे भी आप देखभाल कराइए, कंट्रोल कराइए, उसकी निगरानी कराइए। उससे आप रिपोर्ट, प्रतिवेदन मंगाइए ताकि सही ढंग से गरीबों का, गांव पर खर्च होने वाला पैसा गांव तक पहुंच जाए। इसकी आप व्यवस्था कराएं।

महोदय, एनएच के मामले में मेरा बोलना मुनासिब है। मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं, आप वहां जाकर देखें, वहां जितनी एनएच की सड़कें हैं, वे अच्छी नहीं हैं। वहां जो सड़क टूट गई है, उसके लिए क्या व्यवस्था है, बनी हुई सड़क टूट गई, उसका रिपेयर हो रहा है, लेकिन दो साल से वहां कुछ नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में एनएच-104 बना, 22 किलोमीटर का टैंडर हुआ और वह तीन वर्ष से बना है, लेकिन अभी तक उसमें मुश्किल से 16 किलोमीटर बन पाया और बाकी नहीं बना। उसके आगे जो एनएच है, वहां 26 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक बिल्कुल कच्ची है, चलने लायक नहीं है। सरकार की दृष्टि उस तरफ नहीं जाती है। हमारे बिहार का मुजफ्फरपुर शहर कितना महत्वपूर्ण है, सीतामढ़ी तक एनएच-77 जाती है, लेकिन वह वर्षों तक टूटी हुई है। वहां स्वयं सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहब गए थे, वे वहां देख कर आए हैं। डेढ़ साल हो चुका है, मगर आज तक वह रास्ता चालू नहीं हुआ है। वह रास्ता चार-चार महीने तक बंद हो जाता है, सड़क चलने लायक नहीं रहती। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी का निर्धारित समय खत्म हो चुका है।

श्री सीताराम सिंह: सभापति महोदय, मैं कम समय में कंक्लुड कर दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि एनएच के मामले में सरकार की दृष्टि ठीक दिखाई नहीं पड़ती। मेरा आग्रह है कि आपने जितने एनएच बनाए हैं या बनाने वाले हैं, उन्हें आप पहले ठीक से बनाइए, नये मत लीजिए। आपने जो काम हाथ में लिये हुए हैं, उन्हें आप दुरूस्त रखिए, चलने लायक बनाइए। आपने जो काम पहले अपने हाथ में लिए हुए हैं, उन्हें आप पहले पूरा करिए, यह मेरा सुझाव है।

हमारे बिहार का उत्तर का पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित इलाका है। जितनी संरचनाएं हैं, जितनी परिसम्पत्तियां बनती हैं, प्रतिवर्ष बाढ़ से टूट जाती हैं। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से आज तक यही हाल है। कितनी ही सरकारें आई और गई, लेकिन बाढ़ से मुक्ति के लिए स्थाई निदान नहीं निकला। कई बार इस सदन में चर्चा की गई, बिहार के तमाम मंत्री सहित सभी सदस्य लोगों ने जाकर माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया। कुछ प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन हमारा यह कहना है कि जब राज्यों की सम्पत्ति प्रतिवर्ष खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है तो क्यों बाढ़ के स्थाई निदान के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए स्थाई निदान निकालने के लिए भारत सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठा रही है? भारत सरकार नेपाल से बात करके इस दिशा में कदम उठाये तो मैं समझता हूं कि बिहार के बंटवारे के बाद जब बिहार बंटा तो झारखण्ड अलग हो गया, अब बिहार के पास पूंजी सिर्फ खेती है, कुछ बचा हुआ ही नहीं है। हमारी आधी खेती हर वर्ष बाढ़ में चली जाती है और हमारी आधी खेती सूखे से सूख जाती है। एक तरफ बाढ़ की परेशानी है, मैं उसका स्थाई निदान चाहता हूं। दूसरी तरफ हमारी स्थिति यह है कि हमारा आधा बिहार सूखा रह जाता है। सिंचाई की सुविधा राज्यों के जिम्मे है तो बिना भारत सरकार के संसाधन दिये वह काम पूरा नहीं हो सकता है। मैं उस दिशा में आग्रह करना चाहता हूं कि विशेष पैकेज की बात लगातार चली, जिस दिन बिहार बंटा, हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा से प्रस्ताव भेजा था और पार्लियामेंट में उस समय के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि इनको विशेष पैकेज दिया जायेगा, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। आज हमारी यू.पी.ए. की सरकार जरूर बनी है, थोड़ा सा पैसा मिला है, पैकेज तो मैं उसे नहीं मानता, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिल रहा है, अब उससे काम नहीं चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बाढ़ और सूखे से निदान के लिए विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। आगे सिंचाई की व्यवस्था में सरकार का सहयोग होना चाहिए।

बिजली के सवाल पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। बिहार में बिजली की भी परेशानी है। देश के स्तर पर मैं कहना चाहता हूं कि बिजली गांवों को देनी है, बिजली सारी जगहों पर जानी है, सरकार का यह प्रपोजल है कि लाखों गांवों को बिजली से जोड़ना है। इस साल दस हजार गांवों को जोड़ना है। इसमें मेरा यह साफ कहना है कि आप बिजली पैदा करिए, तब गांवों को और देहातों को बिजली से जोड़िए। मेरा साफ कहना है कि प्रपोजल पहले बिजली पैदा करने का होना चाहिए, फिर गांवों को जोड़ने का होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि पहले सरकार के नियम थे, कुछ कायदे थे, कुछ प्रोवीजेंस थे कि सभी स्टेट्स में स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसा जाता था। पिछले कई वर्षों से वह बन्द हो गया, अब न तो रैफरल हॉस्पिटल के लिए पैसा भारत सरकार दे रही है और न प्राइमरी हैल्थ सैण्टर्स के लिए भारत सरकार से कोई मदद मिल रही है। राज्यों के पास उतने संसाधन नहीं हैं, कुछ स्टेट्स के पास हो सकते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों के पास तो नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि बजट से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि आपको बिहार में स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्राइमरी स्तर पर हैल्थ सैण्टर्स बनाने के लिए और रैफरल हॉस्पीटल बनाने के लिए भारत सरकार को विचार करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज बिहार को देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, अब से दो माह पश्चात हम पूरे साल के बजट पर विचार कर रहे होंगे, जब हम देश की वित्तीय स्थिति पर दोबारा ध्यान दे रहे होंगे। राज वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम, जो कि संसद द्वारा पारित किया गया था, वित्त मंत्री को, मैं समझता हूं, प्रत्येक तिमाही में उस तिमाही के अंत की वित्तीय स्थिति सदन के समक्ष रखने के लिए बाध्य करता है। उनसे सदन को रिपोर्ट करने की उम्मीद की जाती है कि बजट में अनुमानों की तुलना में वित्तीय स्थिति कैसी रही है और क्या वित्तीय घाटा, जैसीकि संभावना बताई गई थी, उसी स्तर पर रह रहा है, जिस पर अनुमान लगाया गया था, या यह उससे कम या अधिक होने जा रहा है। उन्हें सरकार के लोक ऋण की स्थिति की रिपोर्ट भी देनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि अनुदान की अनुपूरक मांगों के साथ-साथ यह भी अत्यावश्यक है कि हमें इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री प्रभु, आप बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, क्या हम इस चर्चा को आज दोबारा जारी करेंगे, या आज यह इसका समापन है?

महोदय, आधे घंटे की चर्चा के पश्चात क्या आप 'शून्य काल' करेंगे या चर्चा जारी रहेगी?

सभापति महोदय: कोई 'शून्य काल' नहीं होगा। आधे घंटे की चर्चा के पश्चात 'अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य)' पर चर्चा जारी रहेगी।

अपराह्न 5.30 बजे

आधे घंटे की चर्चा

रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, दिनांक 24.11.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर में माननीय रेल मंत्री ने सभा में एक वक्तव्य दिया है। यह वक्तव्य दिनांक 1.7.2005 से 31.10.2005 की अवधि के दौरान रेलवे में हुई अनेक दुर्घटनाओं से संबधित था। इसका अर्थ यह हुआ कि यह वक्तव्य केवल तीन महीने का है।

अपराह्न 5.31 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

लेकिन जब हम इस वक्तव्य के विस्तार में जाते हैं तो हमें चौकाने वाली रिपोर्ट मिलती है।

इन तीन महीनों के भीतर 78 दुर्घटनाएं हुईं। इनमें से दो घटनाएं ट्रेनों के टकराने की थी, 48 घटनाएं पटरी से उतरने की थी, 22 घटनाएं समपार पर हुई दुर्घटनाओं की थी, चार घटनाएं आग के कारण हुई और दो घटनाएं अन्य कारणों से घटित हुई। इन दुर्घटनाओं में 176 निर्दोष लोग मारे गए और 271 लोग घायल हुए। ऐसा पता चला है कि इन लोगों को अभी तक किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। यद्यपि, जांच के आदेश दिये गये थे लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जब हम विगत में जाकर अनेक वर्षों में भारतीय रेलवे में हुई अनेक दुर्घटनाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि इन दुर्घटनाओं में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कितने लोग घायल हुए हैं। हम उनकी परेशानियों की कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्र और रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इन ट्रेन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं और हमें इनके वास्तविक कारणों का पता लगाना चाहिए।

यह कहा गया है कि भारतीय रेल में सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन यह महज एक वक्तव्य नहीं होना चाहिए क्योंकि रेलवे, रेलवे सुरक्षा निधि के रूप में यात्रियों से विशेष शुल्क वसूलती है। सभी यात्रियों को चाहे वे द्वितीय श्रेणी के यात्री हों, या प्रथम श्रेणी के यात्री हो या वातानुकूलित शयनयान के यात्री हो, को विशेष शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। ऐसा समझा जाता है कि इस विशेष निधि का उपयोग रेलवे की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

जब हम दुर्घटनाओं का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इन तीन महीनों के दौरान 22 दुर्घटनायें चौकीदारविहीन समपारों पर हुई।

रेल बजट और अनुपूरक मांगों हेतु अनुदानों पर चर्चा के दौरान हमने चौकीदार वाली और चौकीदारहीन समपारों पर आर.ओ.बी. तथा एफ.ओ.बी. के निर्माण की ओर संकेत दिया था। निस्संदेह भारतीय रेल बहुत बड़ा तन्त्र है। शायद विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। पिछले पांच-छह वर्षों में ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हुई है; ट्रेनों की बारम्बारता बढ़ी है और नये मार्गों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। नये रेल मार्गों तथा ट्रेनों में वृद्धि के अनुसार सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम है जो हमारे देश में होने वाली बार-बार दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है।

इसलिए, एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक सप्ताह भारतीय रेल में छह दुर्घटनाएं होती हैं। इसका यह अर्थ है प्रत्येक दिन एक दुर्घटना होती होती है। हम नहीं जानते यह पटरी से उतरने अथवा चौकीदार की वजह से अथवा चौकीदारहीन गेटों की वजह से अथवा रेलवे स्टाफ की लापरवाही की वजह से घटित होती हैं। सरकार ने इनकी जांच के लिए कई समितियां गठित की हैं। कई बार, कुछ कार्यवाही हुई है। किन्तु पुन: हम देखते हैं कि इस वर्ष में भी आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। केरल में 2 या 3 वर्ष पहले दुर्घटनाएं हुई। हमें लगभग इन सभी राज्यों में इन दुर्घटनाओं का पता लगा है। यद्यपि, हमने रेलवे सुरक्षा निधि एकत्र की है किन्तु हम इसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं कर पाए जिसके लिए यह एकत्र की गई। इसका क्या लाभ है जब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? रेलवे एक बहुत बड़ा उपक्रम है जिसमें लाखों लोग कार्य कर रहे हैं।

[श्री पी. करुणाकरन]

अधिकतर जनता इसका उपयोग परिवहन सुविधा के लिए करती है। किन्तु हम विफल हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता सम्पूर्ण विश्व में अथवा कहीं भी रेलवे की ऐसी दुर्घटनाएं होती हो। जब हमारे पास आधुनिक प्रौद्योगिकी है अथवा जब हम आधुनिक उपस्कर और अत्याधुनिक उपस्करों का उपयोग कर सकते हैं तो रेलवे इन दुर्घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही है? लगभग पूरे वर्ष, हम इन्हें देखते रहते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भारतीय रेल में कितने पद रिक्त हैं। मेरे विचार से हजारों पद रिक्त हैं। कई बार हम ड्राइवरों या स्टेशन मास्टरों या किसी अन्य व्यक्ति की असावधानी के बारे में बात करते हैं। रेलवे में भी निजीकरण की एक नई नीति चल रही है। हमने देखा है कि स्टाफ 18 से 24 घंटे तक निरंतर काम करता है। वह कैसे काम कर सकते हैं? ड्राइवरों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इतनी ज्यादा देर तक कार्य करना संभव नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री से रेलवे के सभी डिवीजनों में स्टाफ की संख्या की वर्तमान स्थिति जान सकता हूं? रेलवे में वास्तव में स्टाफ की कमी क्या है? यदि कमी है तो हम इन रिक्तियों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे?

चूंकि मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का सदस्य हूं, मैंने यह महसूस किया कि डाक एवं तार विभाग, रेलवे या किसी सरकारी उपक्रम जैसे लगभग सभी विभागों में कई पद रिक्त हैं क्योंकि हमने 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। हमने लगभग सभी विभागों के संबंध में निर्णय लिया है। परन्तु यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्टाफ की प्रतिशत-वार कुल संख्या कितनी है? रेलवे में स्टाफ की कुल कमी कितनी है?

एक महत्वपूर्ण मुद्दा दोहरीकरण के कार्य का करने का है। यह सच है कि हम और अधिक रेलगाड़ियों तथा रूटों की मांग करते हैं परन्तु दोहरीकरण कार्य पूरा किये बिना, हमारे देश में बेहतर रेल सेवा प्रदान करना संभव नहीं होगा। अत: इस मामले में रेलवे को एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाना होगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा आरओबी तथा एफओबी के निर्माण का है। पिछले बजट में कई रेलवे उपरिपुल न केवल मेरे राज्य में बल्कि सभी राज्यों में शामिल किये गये। परन्तु हम देखते हैं कि कई मामलों के कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है। इसके फलस्वरूप चौकीदार वाले या बिना चौकीदार वाले गेटों पर तीन महीनों में 22 दुर्घटनाएं हुई। आरओबी तथा एफओबी के निर्माण का प्रावधान है। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। मैं नहीं समझता कि निधियों की कमी के कारण है क्योंकि पिछले सत्र में रेल मंत्री ने बड़े गर्व से घोषणा की थी कि रेलवे लाभ में चल रहा है 10,000 करोड़ रु. के लाभ में। यदि ऐसा है तो यह विलम्ब क्यों?

इन आरओबी और एफओबी के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? मंत्रालय को इसे स्पष्ट करना चाहिए और इन आरओबी को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए। यह रेलवे स्टेशन, आरओबी और अन्य सिग्नल प्रणाली के बारे में सही है। कई रेलवे स्टेशनों में पुरानी प्रणाली चल रही है। कई रेलवे स्टेशनों पर हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी व अन्य सुविधाएं नहीं हैं। अत: जब हम दुर्घटना की बात करते हैं तो पहले हमारे रेलवे कर्मचारी की लापरवाही के बारे में सोचते हैं। यह सच है कि कई रेलवे कर्मचारियों की ओर से सुस्ती बरती जाती है। वे समय से नहीं आते और अपने लिए निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं रहते हैं। यह भी एक कारण है। रेलवे ने विशेषत: तीन महीने में क्या कार्रवाई की है? मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता। मेरे हाथों में ग्रंथालय से प्राप्त रिकार्ड है। ये रिकार्ड 1960 के बाद रेलवे में हुई दुर्घटनाओं के इतिहास के बारे में हैं। यह बहुत भारी-भरकम किताब है जो हम पा सकते हैं किन्तु हम इस पर विस्तार से बात नहीं कर सकते हैं। यह लोगों के जीवन का प्रश्न है। वे यात्रा के बदले पैसा देते हैं। जब यात्रीगण रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो वे पैसा खर्च करते हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ऐसा ही हुआ है। अत: मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हम दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? इस विषय में रेलवे द्वारा तत्काल कार्रवाई के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री करुणाकरन द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णत: सहमत हूं। किन्तु मैं यह अवश्य उल्लेख करूंगा कि रेल दुर्घटनाएं विभिन्न कारणों से बढ़ी हैं। माननीय रेल मंत्री यह स्वीकार करेंगे कि यह मानवीय भूल के कारण है। चाहे जो भी कारण हो सच्चाई यह है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। किन्तु ये बढ़ रही हैं। इसके लिए जैसा कि माननीय सदस्य श्री करुणाकरन ने उल्लेख किया दोहरीकरण प्रक्रिया को त्वरित किया जाना चाहिए। किन्तु यह अभी भी धीमी गति से चल रही है। एकल मार्ग के अत्यधिक उपयोग के कारण जब तब गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं हो रही हैं। अत: यदि हम केरल सहित कई स्थानों पर रेल मार्गों के दोहरीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करें तो इसे रोका जा सकता है।

यदि मैं यहां यह कह सकूं कि मंगलोर-शोरानुर रेलमार्ग के दोहरीकरण में वर्षों लग रहा है। अत: मैं अपने मित्र श्री वेलु से अनुरोध करूंगा जो इस विषय से सुपरिचित है, कि इस कार्य में तेजी लगाएं। मैं उन्हें सलेम मंडल प्राप्त करने के लिए भी बधाई देना चाहूंगा ...*(व्यवधान)* यह हमारे तमिल भाइयों की सुदीर्घ

आकांक्षा है। यह सही है। साथ ही मैं उन्हें यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि पलक्कड मंडल को नहीं छेड़ा जाए। किसी भी प्रकार, इसे वैसे ही बनाए रखा जाए। दोहरीकरण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): पलक्कड मंडल के बारे में कोई दुर्घटना नहीं होगी। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं आशा करता हूं कि सलेम मंडल के बन जाने से भविष्य में दुर्घटनाएं बन्द होंगी क्योंकि यह विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया है। अत: पलक्कड मंडल को भी बनाए रखा जाना चाहिए। जैसा यह अभी है वैसा ही रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में रेल दुर्घटनाओं से होने से रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): महोदय, जैसा कि इस चर्चा को आरंभ करने वाले ने कहा, हम सब जानते हैं कि कम से कम केरल राज्य में हाल में सभी बड़ी रेल दुर्घटनाएं कमजोर रेल पुलों पर हुई हैं। उदाहरणार्थ, क्विलोन में एक दुर्घटना हुई थी। अब मैं किसी हाल की दुर्घटना के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं कडलुंडी और पेरूमन दुर्घटनाओं के बारे में बोल रहा हूं।

बात यह है कि कमजोर पुल ढह जाते हैं और रेलगाड़ी नदी में गिर जाती है। सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार केरल में कई कमजोर पुल हैं। किन्तु केरल में इन कमजोर पुलों को सुदृढ़ करने के लिए शायद ही कोई कदम अब तक उठाया गया है। यदि आप पुन: स्मरण करें केरल में पिकनिक मनाने विद्यार्थी जा रहे थे या विवाह में शामिल होने लोग जा रहे थे जब वे समपारों को पार कर रहे थे तब एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मरे थे।

महोदय, एक दुर्घटना में 30-40 लोग मरे थे। तब रेल उपरिपुलों की मांग बढ़ती है। अभी केरल में रेल उपरिपुलों की स्थिति दयनीय है। मेरे विचार से मंत्री महोदय इस मलयालम कहावत को समझेंगे। वित्त मंत्री भी इसे समझेंगे।

'रामेश्वराक्षेक्षवरम पोले'

यह रामेश्वरम में नाई का काम करने जैसा है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भक्तगण बाल कटवाने आएंगे। नाई एक आदमी के बालों का एक हिस्सा काटेगा और उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति का भी उसी तरह बाल काटेगा। थोड़े-थोड़े बाल कटाकर सैकड़ों लोग वहां रहेंगे लेकिन वह कभी पूरा नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन: ऐसा केवल तिरुपति में होता है *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: इस बात पर नहीं झगड़ते हैं। मैं सहमत हूं कि ऐसा तिरुपति में होता है।

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आप नियम जानते हैं। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं नियम जानता हूं। मैं मात्र यह कह रहा हूं कि रेल उपरिपुलों को ऐसे नहीं बनाया जाना चाहिए। केरल में जिन रेल उपरिपुलों को पूरा किया जाना है उनके रेल लाइनों के ऊपर खम्भों के बीच के भाग का निर्माण किया जाना चाहिए। पूरे रेलवे में कई मामलों में रेलवे द्वारा दो खम्भों के बीच का भाग पूरा नहीं किया गया है और रेल उपरिपुल को पूरा किया जाना शेष है। यदि उन्हें एक के बाद एक निर्माण किया जाता है तो केरल में दर्जनों रेल उपरिपुल पूरे किये जा सकते हैं। क्या आप कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकें और कई रेल उपरिपुलों को पूरा किया जा सके?

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, दुर्घटनाओं के बारे में एक विचित्र बात है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हम केरल से बाहर निकलें।

सभापति महोदय: यह नियम नहीं है। बैलेट की प्रणाली है।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, हमारी जानकारी में कर्त्तव्य अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सभी दुर्घटनाओं में रेलवे ने इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की है?

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस लोको स्टाफ को अधिक काम करने हेतु मजबूर किया जाता है। हाल ही में, कोलकाता से एक रिपोर्ट मिली है। महोदय, दो इंजन ड्राइवरों को 14-15 घंटों के लिए काम करने हेतु मजबूर किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा: "हम काम जारी रखने योग्य नहीं हैं इसलिए हम बाहर जा रहे हैं।" इसके लिए उन इंजन ड्राइवरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोको स्टॉफ की कोई कमी है। क्या अनुरक्षण स्टाफ की कमी है जो इन दुर्घटनाओं का एक मूल कारण है?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): विशेषकर कोहरे वाली रातों में लालबत्ती पार करने की समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं? क्योंकि यह दुर्घटनाओं का एक कारण है। कोंकण रेलवे में, भू-स्खलन एक आम प्रक्रिया है जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। रेलवे ने इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या किया है? बाद के समय बहने वाले इन पुलों, जिसे गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए? गर्म धुरा (हॉट एक्सल) टूटी-फूटी रेल लाइनें भी दुर्घटना का एक तकनीकी कारण है। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूं। अधिकांश दुर्घटनाएं, जैसाकि केरल के माननीय सदस्य ने कहा है, समपारों विशेषकर बिना चौकीदार वाले समपारों पर होती हैं। इसलिए रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं? सरकार ने दुर्घटना सुरक्षा कोष का कैसे उपयोग किया है? राजग सरकार के समय में यह कोष बनाया गया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं केवल एक अंतिम बात और कहूंगा।

सभापति महोदय: कृपया सीधे प्रश्न पूछें।

श्री खारबेल स्वाईं: जी, श्रीमान में सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। इसके दो हल हैं। एक रूट रिले इंटरलाकिंग और दूसरा टक्कररोधी उपकरण है। इन्हें गाड़ियों में रेल इंजनों में लगाया जाना है। सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, श्री पी. करुणाकरन द्वारा रेल दुर्घटनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न के संदर्भ में आधे घंटे की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा में भाग लेने वाले सब माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को यहां रखा है और कहा है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं मानव रहित फाटकों पर होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फाटक हैं, जो आटोमैटिक हैं, वहां 20-20 मिनट या आधा-आधा घंटा तक जाम लगा रहता है। परिणामस्वरूप साइकिल वाले, स्कूटर या मोटरसाइकिल वाले फाटक के नीचे से जाने की कोशिश करते हैं और कई बार इससे भी दुर्घटना होती हैं, जिसमें लोग मारे भी जाते हैं। इसलिए ऐसी जगहों पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान किया गया है। मैंने रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि इस तरह के फ्लाईओवर ब्रिजेज की व्यवस्था राष्ट्रीय सम विकास योजना, अन्य योजना या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पैसे से शीघ्र की जाए, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदय, यह बताया गया है कि रेलवे में स्टाफ की कमी एक मुख्य मुद्दा है। ऐसे भी मामले हैं कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम स्टॉफ भी उपलब्ध नहीं है। उद्धृत करने के लिए मेरे पास एक उदाहरण है। केरल के एर्नाकुलम जिले में कांजीरामत्तोम नामक स्थान पर एक छोटा रेलवे स्टेशन है वहां पहले तीन लोग काम करते थे। अब, दो लोग वहां नहीं हैं और केवल एक व्यक्ति ही वहां बचा है। उस पर काम का काफी बोझ है। वह एक दिन में 16 घंटे काम कर रहा है। वह कहता है कि वह वहां पर काम नहीं करना चाहता है और वह भी जा रहा है। नए व्यक्ति को नियुक्त करने की बजाय रेलवे उस स्टेशन को बंद करने की योजना बना रहा है ताकि स्टॉफ की कमी को दूर किया जा सके। स्टेशन को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ेगी और इसी प्रकार एक दिन सभी छोटे स्टेशनों को बंद कर दिया जाएगा। मैंने रेल अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि उस स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा और वे इसे निजी लोगों को देने की योजना बना रहे हैं। यह भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न है। यदि वहां पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है, यदि वहां पर सिग्नल आदि दिखाने के लिए न्यूनतम संख्या में व्यक्ति नहीं हैं तो मैं समझता हूं तो इससे केवल छोटे स्टेशन प्रभावित होंगे बल्कि इससे भारतीय रेलवे भी समग्र रूप से प्रभावित होगी।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा?

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): माननीय सभापति महोदय, मैं रेलों की सुरक्षा के प्रश्न के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

महोदय, जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है, कि भारतीय रेल में परिचालन स्टॉफ की भारी कमी है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय रेल में पर्याप्त स्टॉफ में वृद्धि के साथ-साथ विकास के अनुपात को मानकीकृत करने हेतु कोई पर्याप्त अध्ययन किया है। वह काफी प्रासंगिक प्रश्न है। इसके साथ-साथ विकास क्षेत्र में कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने आरओबी का निर्माण करने और नई रेल लाईनों का दोहरीकरण करने के बारे में बताया है।

तत्पश्चात्, मैं माननीय मंत्री जी विशेष रूप से श्री वेलु जी को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि तमिलनाडु में सलेम में एक नया रेल मंडल बनने जा रहा है। हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि दक्षिण रेलवे में एक नया रेल मंडल बनाया जा रहा है और इससे

कुछ और लोगों को रोजगार देने के अवसर मिलेंगे। इन दिनों एक नया समाचार यह मिल रहा है कि वर्तमान पालघाट रेल मंडल को बंद किया जा रहा है। यह भी रेलवे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार सत्य है अथवा नहीं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह दो प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): धन्यवाद श्रीमान। मेरे जिन माननीय सहयोगियों ने रेलवे सुरक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं भी उनके साथ अपनी चिंता व्यक्त करता हूं। दुर्भाग्यवश, गत माह नालगोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 160 लोग मारे गए।

यह ठीक है कि ऐसे कई कारण हैं जैसे काफी पुराने पुल हैं और पुलिया काफी पुरानी हैं आदि। किंतु इस मामले में अभूतपूर्व वर्षा के कारण कई टैंक टूट गए, काफी पानी आया और रेलवे लाइन के साथ बनी सारी पुलिया बह गई और कई लोग मर गए। किंतु मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि दुर्घटना के गत दो दिनों पहले हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी ज्यादा पानी आ गया था और सारा यातायात रुक गया था। मीडिया में यह सब आया था। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग से केवल दस किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे को यह पूर्वानुमान क्यों नहीं था कि ऐसी आपदा आ सकती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि उन्हें इसकी जानकारी थी तो उन्होंने क्या निवारात्मक उपाय किये थे?

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नगरपालिका के अंदर छोटे-मोटे पुल को बड़ा करने के लिए संसद सदस्य अपनी ग्रांट में से पैसा देते हैं, लेकिन रेलवे की ओर से त्वरित काम न होने के कारण, जो एमपीलैड की ग्रांट है, वह यूज नहीं हो पाती है और स्टेट से सर्टीफिकेट यहां नहीं आ पाता है तथा सर्टीफिकेट न आने के कारण जो एक्सट्रा फंड रिलीज होना चाहिए, वह रिलीज नहीं हो पाता है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के बावला शहर के एक ब्रिज का 3 सालों से काम चल रहा है। वहां 15 लाख रुपए जमा हैं। दूसरे 15 लाख रुपये मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस ब्रिज के निर्माण की कार्यवाही शीघ्र ही पूरी की जाएगी अथवा कार्य शुरू किया जा सकेगा?

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो ऐसे प्वाइंट्स हैं, जहां आमतौर पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैंने कई बार सदन के माध्यम से भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है और पत्र लिखकर भी ध्यान आकृष्ट किया है। एक पुनपुन परसवा स्टेशन है, वहां क्वातपुर जगह है, जहां लगातार 4-5 एक्सीडेंट हुए हैं, इसलिए वहां फाटक लगाने की आवश्यकता है। दोनों तरफ गांव हैं, मगर वहां फाटक नहीं है। लोग आमतौर पर वहां से गुजरेंगे, क्योंकि वहां आवाम है। वहां फाटक लगाने के लिए आप कौन सी कार्यवाही करेंगे? उस जगह का नाम स्टेशन हितवापुर है।

दूसरी बात, मैं मीठापुर ओवरब्रिज के बारे में कहना चाहता हूं। पटना शहर में मीठापुर एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां रेलवे का काम हो रहा है। वहां अभी तक पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो मीठापुर में ओवरब्रिज का काम अधूरा है, उसे पूरा करने के लिए और एतमादपुर में जो क्रासिंग है, वहां फाटक लगाने के लिए, इन दोनों ही जगहों पर आवश्यक कार्यवाही हो, वह की जाए।

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि इस सभा में माननीय सदस्यगण रेलवे में विशेषकर रेल सुरक्षा के संबंध में काफी अभिरुचि दिखा रहे हैं ताकि रेल दुर्घटनाओं को यदि पूरी तरह रोका न जा सके तो कम से कम उनमें कमी लायी जा सके।

श्री करुणाकरन ने मुआवजा के संबंध में बहुत ही तर्कसंगत मुद्दे उठाए हैं। महोदय, मुआवजा अनुग्रह राशि से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा है कि "किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा लोगों को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।" माननीय सदस्य, श्री करुणाकरन की जानकारी के लिए यह बता दूं कि मारे गए 176 लोगों में से 30 लोगों का संबंध चौकीदार रहित समपारों से है जो यह धनराशि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि यह रेलवे की जिम्मेवारी नहीं है कारण कि वे सड़क पर चल रहे राहगीर थे जिन्होंने अपनी जान गवां दी। इस प्रकार, यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है।

दूसरी ओर 146 लोगों के संबंध में उनके निकट संबंधी अनुग्रह राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

[श्री आर. वेलु]

सायं 6.00 बजे

हमने 133 लोगों को 1,21,95,000 रुपये का भुगतान किया है। यह सच नहीं है कि कोई सहायता नहीं दी गयी है। मुआवजा बिल्कुल अलग चीज है। मुआवजा का अर्थ है कि आपको रेलवे दावा अधिकरण (आर.सी.टी.) के समक्ष आवश्यक रूप से दावा फाइल करना होगा जहां दावेदार को एक वर्ष तक की अनुमति होगी। दूसरी ओर रेलवे उनकी सहायता करती है ताकि दावेदारों द्वारा उनको आवेदन देना सुनिश्चित हो सके, रेलवे को संबंधित ब्यौरे प्राप्त हो सकें और वे उन्हें रेलवे दावा अधिकरण को भेज सकें। दावेदारों द्वारा दावा फाइल किये जाने के एक महीने के अंदर रेलवे संबंधित विवरण उनको दे देता है तथा हमारे पास इस संबंध में कोई नियंत्रण नहीं रह जाता क्योंकि यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। बाद में, निर्णय आ जाने पर हम 15 दिन के अंदर, एसोसिएट फाइनान्स को सम्पर्क किये बगैर धनराशि का भुगतान कर देते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हमें मारे गए अथवा घायल लोगों के लिए काफी चिन्ता है। मैं माननीय सदस्य श्री पी. करुणाकरन को इस बात से वाकिफ करवाना चाहता हूं।

ठीक इसी प्रकार, घायल 271 लोगों में से 31 का संबंध चौकीदार रहित समपार से है तथा शेष 240 लोग इस धनराशि के लिए अर्ह थे। हमने 223 लोगों को 16,34,000 रुपये दिये हैं। इसका अर्थ हुआ है कि हमने इन सभी मामलों में 1,38,29,000 रुपये वितरित किये हैं। वस्तुत: शेष 10 लोगों (मृत) के बारे में पहचान नहीं हो पायी है, जान गंवाने वाले तीन लोगों के मामले स्वीकार करने योग्य नहीं थे। शेष घायल लोगों में से 11 लोगों ने दावा पेश नहीं किया है, 2 लोगों को अधूरा पता होने की वजह से भुगतान नहीं किया जा सका तथा अन्य चार मामले स्वीकार करने योग्य नहीं थे। मात्र यही कुछ मामले शेष रह गए।

इन मामलों में, आर.सी.टी. के समक्ष मौत संबंधी मामलों और घायल हुए लोगों के मामलों में क्रमश: मात्र 50 लोगों और 22 लोगों ने दावा पेश किया है। आपने यह मुद्दा भी उठाया है कि दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2002-03 की 351 दुर्घटनाओं की तुलना में काफी घटकर वर्ष 2004-05 के दौरान 234 रह गयी है। इसका अर्थ है कि दुर्घटनाओं की संख्या में बिल्कुल बढ़ोत्तरी नहीं हुई है क्योंकि ये दुर्घटनाएं पुन: दैवसंयोग से हुई हैं। हमें मानवीय चूकवाली दुर्घटनाओं को छोड़कर अन्य दुर्घटनाओं पर कोई वश नहीं है। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। वस्तुत: 17,000 करोड़ रुपये का व्यपगत न होने वाला विशेष रेलवे सुरक्षा कोष उपलब्ध है। हम अगले और दो वर्षों तक इसे खर्च करने जा रहे हैं। हम पहले ही 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। हमने रेल पटरियों को उन्नत बनाया है तथा रेलपुलों की मरम्मत की है और उन्हें आवश्यकतानुरूप बनाया है क्योंकि किसी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि केरल में अधिकांश दुर्घटनाएं पुलों पर हुई हैं। हमने पुलों की स्थितियों पर गौर किया है, प्रत्येक पुल का पुनर्मूल्यांकन किया है तथा उनकी इस प्रकार की मरम्मत व पुनरुद्धार किया है। इस प्रकार, यह कोष हमारे लिये यह सुनिश्चित करने के लिए ईश्वर प्रदत्त कोष साबित हुआ है कि रॉलिंग स्टॉक और अवसंरचना उन्नत बनायी जा सके और इस प्रकार दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, वह उस ओर देखकर बोलकर रहे हैं, अध्यक्षपीठ को संबोधित नहीं कर रहे हैं। उन्हें अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए।

श्री आर. वेलु: मैं माननीय सदस्य के प्रति आभारी हूं। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अधिकांश प्रश्न उस तरफ से ही पूछे गए थे।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री आर. वेलु: आगे मैं सिर्फ आपको ही सम्बोधित करूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री आर. वेलु: यहां तक कि विकसित देशों में सुरक्षा सूचकांक 0.4 और 1 के बीच है। भारत में हमारी संबंधित स्थिति क्या है? हमारा सुरक्षा सूचकांक 0.4 है। इसका अर्थ है कि हम भी इस मामले में कम नहीं है। यदि हम परिस्थितियों और मानदंडों की तुलना करें तो पायेंगे कि हमारा सुरक्षा सूचकांक मात्र 0.4 है। इसका अर्थ हुआ कि मैं शेखी नहीं बघार रहा हूं—हमने दुर्घटनाओं की संख्या कम की है। परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम इस संबंध में अपनी उपलब्धि से आश्वस्त व संतुष्ट हो जाएं।

यहां तक कि एक दुर्घटना अथवा एक व्यक्ति की मौत भी चिन्ता का विषय है। किसी भी व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। क्या ऐसा नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा सूचकांक के मामले में विश्व मानदंडों की तुलना करने पर हमारी रेलवे-सुरक्षा बेहतर स्थिति में है?

जहां तक रेल चालकों की लापरवाही का सवाल है, जिसका उल्लेख हमारे मित्रों ने किया है, 50 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं

रेलकर्मियों की विफलता की वजह से होती है। मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु वर्तमान में देश में 300 प्रशिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। हमने इन संस्थाओं में दो लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें अधिकांशत: रेलवे सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, ताकि वे मनोयोग से अपना कार्य सम्पादित कर सकें। इन सब बातों पर इसलिए ध्यान दिया जा रहा है ताकि रेल चालकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे कि भविष्य में वे ऐसी दुर्घटनाएं न करें।

उन्होंने निजी भागीदारी के बारे में भी उल्लेख किया है। यह बात सही है। हमने पहली बार रेलवे हेतु सरकारी निजी भागीदारी आमंत्रित की है। वस्तुत: मैं इस विषय पर विस्तार से बोलना जरूरी नहीं समझता हूं। तथापि, मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि इससे हमारे माल ढुलाई में काफी सहायता मिली है क्योंकि हमने कहा है कि निजी क्षेत्र अपना वैगन प्रणाली रखे, अपनी साइडिंग, अपने भाण्डागार तथा रेलवे द्वारा घोषित मदों में से कुछ भी स्वयं अर्जित करे व रखे। यहां तक कि हमने बीओटी सुविधा भी दी है ताकि निजी भागीदारी से मात्र हमारी क्षमता में ही बढ़ोत्तरी न हो बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिले कि रेलवे प्रणाली में बेहतर प्रबंधन लाया जा सके।

कर्मचारियों की संख्या के संबंध में उन सभी के द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दोस्तों ने कहा था कि दो कर्मचारियों के मामले में एक कर्मचारी दिया जा रहा है। इसके बाद स्टेशन को बंद किया जा रहा है। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। हमने इस मामले के लिए किसी स्टेशन को कभी बंद नहीं किया है। कतिपय, हमने उस स्टेशन पर रेलवे स्टेशन की सुविधा प्रदान करते हुए हॉल्ट स्टेशन बनाया होता। अतएव, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम स्टेशनों को इस तरह कभी बंद नहीं करेंगे।

रेल ऊपरि पुलों के संबंध में इसका उल्लेख किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। रेल ऊपरि पुलों के संबंध में कतिपय पूर्व-शर्तें हैं और वह यह है कि राज्य सरकार को रेल ऊपरि पुल के बंद होते ही एलसी को बंद करने पर सहमत होना चाहिए। राज्य सरकार को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराने पर सहमत होना चाहिए। राज्य सरकार को इससे सहमत होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन: राज्य सरकार ने कार्य को पूरी तरह पूरा कर लिया है परन्तु साथ ही रेलवे की तरफ रेलवे लाइन के ऊपर का भाग अनेक जगह पूरा नहीं किया गया है। कैसरगौड़ के बेक्कल में ऐसा हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने अपना कार्य छह माह पूर्व पूरा कर लिया है। ऐसा केवल वहीं नहीं है बल्कि अन्य जगह भी है। यद्यपि, राज्य सरकार ने कार्य पूरा कर लिया है, रेलवे का कार्य पूरा किया जाना है।

श्री आर. वेलु: मैं इन विशेष मामलों पर गौर करूंगा।

श्री एन.एन. कृष्णदास: कुल मिला कर 20 रेल ऊपरि पुल के संपर्क मार्गों के दोनों तरफ के कार्य को पूरा कर लिया गया है और रेलवे का हिस्सा अभी पूरा किया जाना है। ऐसा रेलवे की तरफ से कुछ तकनीकी समस्या के कारण है। कुल मिलाकर 20 रेल ऊपरिपुल है। आप इन पर विचार कर सकते हैं।

श्री आर. वेलु: मैं इस पर विचार करूंगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह उचित तरीका नहीं है। नहीं, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री आर. वेलु: मैं आपके किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात का जवाब दूंगा कि राज्य सरकार को क्यों भाग लेना चाहिए। इसके अनेक कारण हैं क्योंकि भारत सरकार डीजल उपकर से कतिपय प्रतिशत उनको दे रही है। यह मेरा पहला तर्क है। फिर यह सभी ग्रामीण सड़कों को दिया जाता है। *...(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री एन.एन. कृष्णदास: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री आर. वेलु: उन्हें 50 प्रतिशत दिये जाने की आवश्यकता है जबकि 50 प्रतिशत हम दे रहे हैं। मैं यहां भी यह कहूंगा, लेकिन वित्त मंत्री इस पर बाद में रोक लगा सकते हैं जब हम प्रस्ताव भेजेंगे। आज मेरे पास 1099 करोड़ रुपए हैं, जोकि रेल ऊपरिपुल के निर्माण के लिए उपलब्ध राशि है। इसके अलावा इस वर्ष मेरे पास 711 करोड़ रुपए होंगे। इसका यह तात्पर्य है कि मेरे पास लगभग 1800 करोड़ रुपये होंगे। आज समस्या कहां है? समस्या कहां विद्यमान है? राज्य सरकार को इन छह या सात बातों का अनिवार्य रूप से अनुसरण करना चाहिए। पहला, जैसाकि मैंने कहा, उन्हें 50 प्रतिशत उपलब्ध कराना है। फिर, जैसा मैंने कहा, उन्हें रेल समपारों को बंद करने पर सहमत होना होगा। तीसरा दोनों तरफ भूमि अधिग्रहण करने के बारे में है और अतिक्रमण करने वाले लोगों को हटाने से भी है। फिर उन्हें उक्त निर्माण हेतु उक्त अपेक्षित धनराशि को वार्षिक बजट में उपलब्ध कराना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री, आपको इन प्रश्नों का जवाब नहीं देना है।

श्री आर. वेलु: उन्हें जनरल अरेंजमेंट ड्राईंग (जीएडी) का भी अनुमोदन करना है। उन्हें अनिवार्य रूप से अनुमोदन करना होगा। ऐसी बातें हैं जो इन रेल उपरि पुलों की प्रगति में अब बाधक हो रही हैं। ऐसा केवल किसी राज्य विशेष में ही नहीं है बल्कि पूरे देश में है। 13 वर्षों में, हम 208 रेल ऊपरि पुलों का कार्य पूरा कर सके। इस वर्ष, हमारे अधीन 443 रेल ऊपरि पुल निर्माणाधीन हैं। हमने 1,233 समपारों की पहचान की है, जहां से एक लाख से ज्यादा टीवीयू यानी 24 घंटे में गुजरने वाली रेलगाड़ियों और गाड़ियों को मिलाकर, वाहन गुजरते हैं। इसे संस्वीकृत किया जाएगा। रेलवे की तरफ संस्वीकृत करने अथवा उक्त परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में कोई समस्या नहीं है। सिर्फ राज्य सरकार की भागीदारी की जरूरत है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि अपने राज्यों में जाएं और राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं में सहयोग करने का आग्रह करें।

इसी प्रकार, यह ठीक ही कहा गया है कि अधिकतर लोग चौकीदार रहित समपारों पर मरते हैं। देश में लगभग 18,490 चौकीदार रहित समपार हैं। इनमें से मैंने 1,018 की पहचान की है जहां मैं चौकीदार उपलब्ध करा सकता हूं। इस वर्ष मैंने 365 चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार उपलब्ध कराए हैं।

गत दस वर्षों में, हमने 1087 चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार उपलब्ध कराए हैं। चौकीदार रहित सभी समपारों पर चौकीदार नहीं रखे जा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं क्योंकि समपारों पर एक चौकीदार रखने में मुझे पूंजी लागत के रूप में 12 लाख रुपये का निवेश करना होगा और इस पर आवर्ती लागत 3 लाख रुपये प्रति वर्ष आएगी क्योंकि यह काम दो या तीन शिफ्टों में करना होगा। इसलिए सभी समपारों पर चौकीदार रखना आसान काम नहीं होगा। इस संबंध में कई क्षेत्रों से लगातार मांग होती रही है।

दूसरा उठाया गया मुद्दा यह था कि यदि दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इस संबंध में, हमने समपारों पर चौकीदार रखने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं। इन मामलों में, हमने यह भी कहा है कि यदि तीन वर्षों में किसी चौकीदार रहित समपार पर तीन से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं तो हम उस मामले पर अवश्य विचार करेंगे। हम चौकीदार रहित उन समपारों को हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ सकते। हम इन मामलों पर अवश्य विचार करेंगे और चौकीदार रहित इन समपारों पर चौकीदार रखे जाएंगे।

दूसरा उठाया गया मुद्दा न कर्मचारियों की कमी के बारे में था। एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है या नहीं। कई समितियों ने इन पहलुओं पर गौर किया है। वे बार-बार यह कहते रहे हैं कि यहां कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। हमारे पास 20 से ज्यादा कर्मचारी थे। इसे घटाकर 14 लाख किया गया है।

अभी भी हमें कर्मचारियों की संख्या कम करनी होगी क्योंकि हम अपनी रेल प्रणाली में मशीनीकरण बढ़ा रहे हैं। हम इस पर रेलवे आरक्षण प्रणाली, सु-अनुरक्षण, सुरक्षा संबंधी मानदंडों आदि के कम्प्यूटरीकरण की दृष्टि से भी विचार कर रहे हैं ताकि इसमें सुचारू रूप से और वृद्धि हो सके। इस कारण अनुरक्षण में लगने वाला समय और कम हो जाएगा।

अब मैं कर्मचारियों की संख्या जो अनुरक्षण हेतु आवश्यक है, के बारे में उल्लेख करूंगा। सुरक्षा की दृष्टि से कुल 94,574 कर्मचारियों की आवश्यकता है और 13,299 रिक्तियां अभी भी बाकी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अभी भी 14 प्रतिशत रिक्तियां शेष हैं। कर्मचारियों में इस 14 प्रतिशत रिक्तियों को कुल मिलाकर 30 प्रतिशत आरक्षित उपलब्धि से पूरा किया जाएगा। इसमें अवकाश रिक्तियों, त्यागपत्र या ऐसे अन्य मामलों, सेवानिवृत्ति रिक्तियां आदि भी शामिल होंगी। जैसाकि मैंने कहा यह सब इस 30 प्रतिशत में शामिल हैं। बफर बनाया गया है। कर्मचारियों की संख्या में 14 प्रतिशत रिक्तियां बहुत अधिक प्रतीत होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा। इस कारण हमने कभी भी किसी रेलगाड़ी को रोका या निरुद्ध नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य ने रेलवे स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी के बारे में कहा है। यह बहुत ही कम हो सकता है। लेकिन हम सुरक्षा पहलू के संबंध में इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या के बारे में कोई समझौता नहीं करते हैं। एक माननीय सदस्य ने पूरे रेलवे में रिक्तियों की कुल संख्या के बारे में पूछा है। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि हमारे पास 14,11,000 की स्वीकृत कर्मचारी संख्या में से कुल 1,86,000 रिक्तियां हैं। इनमें सुरक्षा कर्मचारियों की कुल संख्या 6,46,000 है। जिसमें 87,000 रिक्तियां हैं। मैंने कार्यरत कर्मचारियों आदि की संख्या में कमी के ब्यौरे का उल्लेख किया है, इसलिए, देखिये हम किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, रेलवे में श्रम शक्ति आयोजन की स्थिति वास्तव में अच्छी है और इस बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

मेरे मित्र, माननीय सदस्य, श्री खारबेल स्वाईं ने बहुत ही उचित प्वाइंट का उल्लेख किया है, उन्होंने पूछा कि धुंध के कारण हुई प्रमुख रेल दुर्घटनाओं की दृष्टि से धुंध की स्थिति के संबंध में हम क्या कर रहे हैं। हम इसका कोई हल निकालने का प्रयास

कर रहे हैं, आरडीएसओ इस पर कार्य कर रहा है। मैं यहां कह सकता हूं कि अभी तक इस स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रौद्योगिकी नहीं है। उन्होंने अभी तक धुंध की स्थिति से निपटने का हल नहीं ढूंढा है। इस बारे में अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है। हमारे पास कई विधियां हैं। डिटोनेटर आदि का उपयोग कर अधिक से अधिक लाइनों का संरक्षण उनमें से एक है। इन सभी चीजों पर विचार किया जा रहा है।

केआरसीएल में दुर्घटनाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है। जब वहां दुर्घटना हुई माननीय रेल मंत्री, मैं और मेरे साथी जो यहां हैं, हम सभी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया। पिछली दुर्घटना स्थल का दौरा करने के पश्चात्, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ठोस व्यवस्था की है कि वोल्डर या बिछाई गई मिट्टी आदि न गिर पाए। हमने इन सभी बातों पर ध्यान दिया है चाहे इस पर कितनी ही लागत क्यों न लगे। हमें आशा है कि भविष्य में कम से कम ऐसा नहीं होगा।

यहां नए पुलों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं नालगोन्डा में हाल ही में क्या हुआ। हमारे मित्र ने इसके बारे में कहा है। अगस्त में भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। उस मामले में, अब हम भारी वर्षा से प्रभावित होने वाले स्थानों में लाइनों की जांच करने वाले दल को सुदृढ़ बना रहे हैं। मैं कुछ राज्यों को विशेषकर संयुक्त निरीक्षण के मामले में कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के बारे में लिख रहा हूं। ताकि इस प्रकार की घटना न होने पाए ताकि इस प्रकार की घटना न होने पाए।

समपारों पर दुर्घटनाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है। मैंने किए गए उपायों के बारे में कहा है। मानवीय भूल और अनुशासन आदि के बारे में। मैं अभी आंकड़े नहीं दे सकता हूं। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस मामले में किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाता है। हम जानते हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की भूल के कारण होती हैं। कई मामलों में कार्रवाई की गई है, उनमें से कर्ज को सेवा से हटा दिया गया है या सेवा से निलम्बित कर दिया गया है या पदवनत आदि किया गया है। रेलवे में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मैं उन माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं उन्हें उनके द्वारा वांछित सटीक आंकड़ों के बारे में बताऊंगा।

यहां चालकों के समयोपरि कार्य और काम के समय के बारे में भी उल्लेख किया गया है। सामान्यत: नियम यह है कि कार्य का समय मात्र 12 घंटे है जिनमें से 10 घंटे का समय वास्तविक कार्य समय है और 2 घंटे का समय तैयारी और अनुपूरक कार्यों के लिए है। जब कभी यह समय 13 घंटे या उससे अधिक हो जाता है हम उन्हें सूचना देते हैं, यदि यह कार्य के 13 घंटों से अधिक का होता है तब तो यह ब्रेकडाउन आदि के कारण ही होता है। लेकिन कार्यरत कर्मचारियों के समय का 93 प्रतिशत भाग 13 घंटे अन्दर ही रहता है। मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं। 93 प्रतिशत दौरों में कार्य का समय 13 घंटे से कम का होता है। हम उन्हें इससे अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं देते क्योंकि हम जानते हैं कि मानवीय थकावट असफलता में परिवर्तित हो सकती है।

महोदय, टक्कररोधी यंत्र के बारे में एक बात कही गई थी। हमने पहले ही इस पर ध्यान दिया है। पूर्वोत्तर में हमने लगभग 1700 किलोमीटर पर टक्कर रोधी यंत्र से संबंधित काम कर लिया है और जून तक यह ठीक-ठीक कर लिया गया है। लेकिन वहां कुछ और समस्याएं आ रही हैं। अब के.सी.आर.एल. में इसे किया जा रहा है, इस तरह से वे दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तरी रेलवे, चारों जोनों के समान किलोमीटर पर लागू कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि टक्कर रोधी यंत्र को पूर्णत: कार्यान्वित किया जाए हम हरसंभव कदम उठा रहे हैं जिससे आगे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो। हमने इसका मानदंडों पर भी ध्यान दिया है जैसा कि मैंने उल्लेख किया था और हमने बड़े पैमाने पर इसके बारे में कदम उठाए हैं।

मैं समझता हूं कि श्री वरकला राधाकृष्णन और अन्य सदस्यों में लाइनों के दोहरीकरण के बारे में बताया है। ये परियोजनाएं चल रही हैं, हम निश्चित रूप से वह कार्य करेंगे जिसे हम कर सकते हैं।

इसके पश्चात् तिरूपति का उदाहरण दिया गया था। मुझे 240 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ये सभी 47,000 करोड़ की लागत वाली स्वीकृत परियोजनाएं हैं लेकिन मुझे जो बजटीय या गैर-बजटीय समर्थन मिलता है बहुत ही कम है, इसलिए, मुझे इसे सभी परियोजनाओं पर समान रूप से बांटना है या मुझे कुछ विशेष परियोजनाओं पर ध्यान देना है यह नीतिगत मामला है जिस पर हमें निर्णय करना है। इसलिए, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जहां कहीं प्राथमिकता होती है और जहां कहीं यह अति आवश्यक परियोजना हों, मैं निश्चित रूप से सहायता करूंगा।

मैं समझता हूं, मैंने अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दे दिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री आर. वेलु: महोदय, मैं उत्तर दूंगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह आधे घंटे की चर्चा है। 50 मिनट से अधिक का समय हम ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री आर. वेलु: सरकार के पास पैसा है। मैं निश्चय ही देखूंगा कि ठीक-ठीक वहां क्या है क्योंकि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कुरूप, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह आधे घंटे की चर्चा है। हम 50 मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

श्री आर. वेलु: बिहार के मेरे मित्र ने जो सवाल पूछा हैं मैं उसका उत्तर देता हूं। यदि लाइन दस वर्षों से अधिक पुरानी है और आप एक नया समपार चाहते हैं तो ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि नीति यह है कि यदि लाइन दस वर्षों से कम पुरानी है तब मैं एक नया समपार बनाने पर विचार कर सकता हूं। यदि यह दस वर्षों, से अधिक पुराना है और आप बनवाना चाहते हैं तो आपको समस्त लागत उठानी पड़ेगी और तकनीकी व्यवहार्यता का भी मूल्यांकन किया जाना होगा। मैं इतना कहूंगा कि यदि यह दस वर्षों से अधिक पुराना रेलमार्ग है तो नया समपार नहीं बनाया जा सकता है। यदि आप पूरी राशि जमा कराते हैं तो निश्चय ही मैं विचार करूंगा।

दूसरी बात जो इन्होंने पूछी है कि रेल उपरिपुलों की कार्य प्रगति धीमी है। मैं इसकी समीक्षा करूंगा और देखूंगा कि क्या संभव *...(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास: पालघाट मंडल के बारे में क्या है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप माननीय मंत्री के चैम्बर में जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप नियमों से अवगत हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

श्री आर. वेलु: माननीय मंत्री जी ने कल अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर वाद-विवाद का जवाब देने के दौरान यह कहा कि सलेम मंडल का सृजन किया जाएगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि पालघाट मंडल को बंद किया जाएगा। यह तो मंडलों के पुनर्गठन का प्रश्न मात्र है। पालघाट मंडल बना रहेगा।

सायं 6.23 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2005-2006—जारी

सभापति महोदय: अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर पुन: चर्चा और मतदान करेंगे। चर्चा आज समाप्त होनी है और माननीय मंत्री का जवाब कल आएगा।

श्री सुरेश प्रभु बोल रहे थे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): हम सुबह से जीरो आवर के लिए बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम इस पर इस चर्चा के समाप्त होने के बाद विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: स्पीकर साहब ने छ: बजे जीरो आवर लेने की बात कही थी। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा को जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: हम तो सुबह से बैठे हैं जीरो आवर के लिए। पहले बता देते तो हम चले जाते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, जीरो आवर का क्या होगा? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप चाहते हैं तो आप इसे चर्चा के समाप्त होने के पश्चात उठा सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था, अनुदानों की इन अनुपूरक मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा संसद में राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में दिए वक्तव्य के साथ विचार किया जाना चाहिए क्योंकि राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम के अंतर्गत एक अनुमानित समयावधि में राजस्व घाटा कम करके उसे शून्य तक लाने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसलिए जब हम अनुदानों की अनुपूरक मागों पर विचार कर रहे हैं और अतिरिक्त व्यय पर मतदान करने जा रहे हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इससे सरकार का राजस्व घाटा, जो कि इसी संसद में पारित अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए, किस प्रकार से प्रभावित होने जा रहा है।

वस्तुत: उन्होंने इस सरकार का पहला बजट पेश करते समय सबसे पहले राजवित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम के क्रियान्वयन को अधिसूचित किया। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुदानों की इन अनुपूरक मांगों का कुल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, व्यय की गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण बात है। सामान्यत: हम अतिरिक्त व्यय हेतु इस संसद में मतदान करते रहे हैं। हमेशा से, बढ़ते रहने वाले व्यय के लिए, जिस पर कुल व्यय के साथ मतदान किया जाता है, स्वीकृति संसद के अंतिम सत्र के दौरान दी जाती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री और सरकार से इस संसद के समक्ष यह बताने का अनुरोध करता हूं कि क्या अनेक वर्षों से चल रही योजनाओं हेतु किसी व्यय की बचत करने की संभावना है। या तो पूर्व की सरकार ने इसे आरंभ किया था या उससे भी पहले की सरकार ने इसे आरंभ किया था। ऐसी योजनाएं जारी है और सरकार के समक्ष हमेशा ही एक नई योजना आरंभ करने की लालसा रहती है। इस प्रकार, नई और पुरानी योजनाएं दोनों ही जारी रहती हैं जिससे व्यय में वृद्धि रहती है। क्या सरकार द्वारा किये जा रहे व्यय की गुणवत्ता के बारे में सरकार द्वारा वक्तव्य दिये जाने की संभावना है। इससे हमें इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी प्राप्त होने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बहुत ही रुचिकर वक्तव्य दिया था कि वह खर्च के बजाय परिणामों की ओर उन्मुख है। जिस खर्च के लिए हम लेखानुदान करने जा रहे हैं उसके परिणामों का अनुमान कौन लगायेगा? इसलिए, उन्हें इस बारे में भी श्वेत पत्र लाना चाहिए। एक बार वह राजसहायता पर भी श्वेत पत्र लाये थे। मेरे विचार से खर्च और परिणाम वास्तव में कैसे कार्य करेंगे इस पर श्वेत पत्र लाये जाने की आवश्यकता है। वैसे आपको संसद को विश्वास में लेना चाहिए और इससे हमें यह ज्ञात होगा कि यह किस प्रकार कार्य करेगा।

पिछली तिमाही में वृद्धि दर 8 प्रतिशत रही। हमें प्रसन्नता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब वृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम शायद 8 प्रतिशत से वृद्धि कर रहे हैं किन्तु हमें 10 प्रतिशत वृद्धि दर को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। वह घटक जिसकी वजह से हम 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं वह बुनियादी सुविधाओं का कमजोर होना है। जहां तक बुनियादी सुविधाओं का संबंध है, हम वास्तव उस प्रकार से निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार हमें करना चाहिए। वास्तव में, भारत में लोग बुनियादी सुविधाओं के बावजूद आ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए यदि समुचित बुनियादी सुविधाएं हो तो हमारी वृद्धि दर कितनी होगी।

मेरी राय में, बुनियादी सुविधाओं के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सरकार को वास्तव में ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। सबसे पहले इसमें एक नीतिगत मुद्दा है। मैं सोचता हूं इस नीति में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह नीति बहुत स्पष्ट और स्थाई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब नई सरकार ने सत्ता सम्भाली थी तो इसने कहा था कि वे विद्युत अधिनियम की समीक्षा करना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप, कई निवेशकों ने अपनी तैयारी आरम्भ कर दी। अन्यथा, वे यहां निवेश करते किन्तु अब वे यह सोच रहे हैं कि उन्हें वास्तव में निवेश करना चाहिए अथवा नहीं। इसलिए, इसमें नीति बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

दूसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वह विनियमन है। वास्तव में, माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आरम्भिक सार्वजनिक वक्तव्य में यह कहा था कि बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विनियमन करना और भी महत्वपूर्ण है।'' इसलिए, उन्होंने यह कहा था कि: ''वे योजना आयोग को यह कार्य सौंप रहे हैं।'' मुझे नहीं पता बाद में इसका क्या रहा। योजना आयोग ने किस प्रकार का कार्य किया? उन्होंने किस प्रकार का नया वक्तव्य दिया? मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री हमें बुनियादी ढांचे जिसे क्रियान्वयन में कमजोर क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था, में विनियमन के संबंध में हुई प्रगति से अवगत करवायेगा।

तृतीय, मैं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में कहना चाहूंगा। हम देखते हैं कि सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान भारी लागत और समय अधिक्य होता है। मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए एक स्थाई समिति होती है। किन्तु अब तक वे इस प्रकार के हो रहे आधिक्य के कारणों के बारे में जिम्मेवारी निर्धारित के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। हमें या तो इस समिति को समाप्त कर देना चाहिए या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए जिससे बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना किसी लागत आधिक्य के निर्धारित समय सीमा में किया जा सके। मैं सोचता हूं कि यह बहुत कमजोर क्षेत्र है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रभाव हमारे राज्यों की वित्त पोषण व्यवस्था पर पड़ेगा।

बुनियादी सुविधाओं का वित्त पोषण अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि: ''भारत के विदेशी मुद्रा के भण्डार का एक अंश स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाकर इसके वित्त पोषण के उपयोग के लिए करना चाहिए।'' मैं माननीय वित्त मंत्री से इस विचार के क्रियान्वयन के बारे में भी जानना चाहूंगा। मैं इस बारे में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस विचार, इस सिद्धांत का कुछ अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया था। मैं ऐसे विचार का समर्थन करूंगा, मैं यह जानना चाहूंगा क्या इससे बुनियादी सुविधाओं का वित्त पोषण किया जा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मुद्दे पर भी कोई नई प्रगति हुई है।

बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकारी-निजी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ऊर्जा, पत्तन, विमानपत्तनों दूरसंचार आदि जैसे क्षेत्रों में सरकारी निजी भागीदारी के लिए कोई नीति नहीं है। यह मॉडल किस प्रकार कार्य कर पायेगा? हम माननीय वित्त मंत्री जी से इस बारे में भी जानना चाहेंगे।

अन्त में, मैं बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता के बारे में भी कहना चाहूंगा। किसी विशेष सुविधा की आपूर्ति को सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि सेवा का गुणवत्ता स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ लोगों के घरों में विद्युत की आपूर्ति है किन्तु इसमें गुणवत्ता होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, मेरे विचार में, सेवा का गुणवत्ता स्तर बहुत महत्वपूर्ण है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के आरम्भिक दिनों में उठाया था वह मुद्दा नौकरशाही में सुधार के बारे में है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी खर्च के लिए हम जो लेखानुदान करने वाले हैं अन्त में यह धनराशि उसी नौकरशाही द्वारा क्रियान्वयन प्रक्रिया पर खर्च की जायेगी जिसमें प्रधानमंत्री सुधार करना चाहते। इस संबंध में वास्तव में क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अवश्य ही इस बारे में जानना चाहूंगा।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों में उल्लिखित योजनाओं में से एक योजना ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम है। यह बहुत प्रशंसनीय कार्यक्रम है। अब इसके लिए 300 करोड़ रुपये का अनुदान कर रहे हैं। तथापि, इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि 300 करोड़ रुपये की धनराशि कितने जिलों पर खर्च की जायेगी? यह योजना कितने जिलों में क्रियान्वित की जायेगी? इसमें कितने श्रम दिवस सृजित किये जायेंगे? इस विधेयक को समर्थन देने के दौरान कुछ सदस्यों ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि इस कार्यक्रम पर होने वाला अंतिम व्यय ठोस उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण पर होना चाहिए। मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पहले सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान यह कहा गया था कि यहां से जारी एक रुपये में से केवल 22 पैसे अंतिम रूप से खर्च किये जाते हैं। मैं नहीं जानता इसमें से अब कितने पैसे व्यय किये जा रहे हैं। अब हम 300 करोड़ रुपये का अनुदान करने जा रहे हैं। जब तक हम ऐतिहाती उपाय नहीं करेंगे, जब तक हम सभी आवश्यक कदम नहीं उठा लेंगे तब तक वित्त मंत्री जी की यह इच्छा कि 300 करोड़ रुपये का यह खर्च परिपूर्ण होने की इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि 300 करोड़ रुपये की यह धनराशि कैसे खर्च की जायेगी।

हमने हाल ही में संसद में दूसरा विधेयक सूचना का अधिकार विधेयक पारित किया था। मुझे यह देखकर उत्सुकता हुई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के शीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक अनुदानों की मांगों में उसे लागू करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है। मुझे इस संबंध में खुशी है। यदि सरकार कोई

अतिरिक्त व्यय किए बिना इस विचार को कार्यान्वित कर सकती है तो यह बहुत अच्छी बात है। तथापि, इस विधेयक को पारित करते वक्त हम पहले ही वित्तीय प्रभाव की संभावना जता चुके थे और उसने कहा कि इतने धन की आवश्यकता होगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें वास्तव में विश्वास है कि इस कानून को कोई अतिरिक्त खर्चा किए बिना लागू किया जाएगा।

जल संबंधी एक ऐसी ही योजना शुरू की गई थी। यह कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत लगभग दस लाख जल निकायों के जलस्तर को बढ़ाया जाएगा। ऐसे छोटे जल निकाय हैं, जिनके जल स्तर को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि तब वे जल भंडार बन जाएंगे, जिसमें से सिंचाई, पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दस लाख कुओं, जिनका जलस्तर बढ़ाया जाना था, में से अब तक कितने कुओं का जलस्तर बढ़ाया जा चुका है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है। इसमें भी हमें उस व्यय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायता मिलेगी, जिसे हमें वास्तव में करने की आवश्यकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि केन्द्र सरकार की अब पूरे देश में सुधार लाने में एक सीमित भूमिका रह गई है। अनेक ऐसे राज्य हैं, जो कि यथा अपेक्षित तरीके से आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। जब तक कि वे केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों को भी साथ-साथ कार्यान्वित नहीं करते, तब तक आम लोगों और गरीब लोगों, जो कि ऐसे कार्यान्वयन के अभाव में वास्तव में परेशानी झेल रहे हैं, द्वारा परिवर्तन के वास्तविक परिणाम नहीं प्राप्त किये जा सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है कि सभी राज्य उसी प्रकार से आगे बढ़े जिस प्रकार से केन्द्र सरकार सोच रही है।

एक राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने के पश्चात्, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति है, जो वास्तविक रूप में इसका कार्यान्वयन देखती है। इसलिए राज्य कार्यान्वयन से जुड़े रहते हैं, जबकि पंचवर्षीय योजना पहली ही अनुमोदित हो चुकी होती है। जब तक हम उन्हें वास्तव में शामिल नहीं करते। तब तक इसका वास्तव में कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से वास्तव में इस बारे में जानने का इच्छुक हूं।

भारत में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 23 प्रतिशत के लगभग हो सकती है। यह परिभाषा उन लोगों के आधार पर तय की गई है जो एक दिन में एक डालर से भी कम अर्जित करते हैं। यदि आप उन लोगों को भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में शामिल करें। जो एक दिन में दो डालर से कम अर्जित करते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

सायं 6.34 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अत:, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्हें गरीबी से उठाए जाने की जरूरत है। इसके लिए ढांचात्मक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। उस पर ध्यान दिए बिना, यदि हम छुटमुट परिवर्तन करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा।

अत:, जबकि मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसी तर्ज पर खर्चा किया जाएगा। जिस प्रकार वित्त मंत्री उचित रूप से कहते रहे हैं, यानि कि परिव्यय और परिणामों में मेल होना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमें उन सभी बिंदुओं पर सुशिक्षित करें, जो मैंने उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): माननीय सभापति महोदय, सदन में अनुपूरक बजट पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है...*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह चर्चा अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर है। अध्यादेश से जुड़े मामले को हटा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: महोदय, अनुपूरक बजट के जरिये हमारे देश के संसाधनों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे ढांचे को खड़ा किया जाए और अपने देश की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर ये डिमांड्स यहां की गई हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल वित्तीय अनुशासन और वित्तीय प्रबंधन जितना अच्छा होता है, उससे हमारे देश की योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होती है और जनता पर बोझ भी नहीं बढ़ता है। हमारे देश में लगातार यह देखने में आता है कि हमारी जो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मित्रसेन यादव]

योजनाएं बंद हैं, उनका समय से पूरा न होने के कारण, चाहे वह सड़क, बिजली या दूसरे संसाधनों की हों, उनका अनावश्यक बजट बढ़ जाता है। जिन राज्यों में वित्तीय घाटे हैं, उन पर किसी प्रकार का अनुशासन लागू नहीं होता है। राज्य अपने घाटे को केन्द्र सरकार पर डालते रहते हैं और केन्द्र सरकार को मजबूरन उस घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं। हमारे देश की कुल मिलाकर आठ प्रतिशत आमदनी हुई है। हमारा मुख्य आमदनी का स्रोत खेती है, जिससे मात्र दो प्रतिशत की ही आमदनी होती है, बाकी उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों से होती है। हमारे देश की गाड़ी के दो पहियों की तरह उद्योग और कृषि का संबंध है। अगर देश में आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो इन दोनों के संतुलन को बनाए रखना पड़ेगा और जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनके जरिये देश में जो आर्थिक स्रोत पैदा होते हैं, उन्हें भी हमें बहुत कुछ संतुलित करना पड़ेगा। हमें देखने में आता है कि पानी देश की बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन पूरे देश में पानी का स्तर घटता जा रहा है। वर्षा के पानी को रोकने और उसके जरिये पानी के स्तर को उठाने के लिए देश के पास कोई योजना नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि पानी पर हमारा खर्च बढ़ता जाता है-चाहे कृषि क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हों। इसलिए बहुत से बुनियादी सवाल हैं, जिनके जरिये देश के दूसरे उत्पादनों और आमदनी के साधनों पर प्रभाव पड़ता है, जिनकी हम अनदेखी करते हैं। आदमी के शरीर में जैसे खून की आवश्यकता है, वैसे ही किसी देश के विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है। बिजली का उत्पादन आवश्यकता के अनुसार न होने पर हमारे तमाम उत्पादनों पर उसका असर पड़ता है-चाहे वह औद्योगिक उत्पादन हो, कृषि उत्पादन हो या अन्य किसी प्रकार के विकास के कार्य हों। बिजली के उत्पादन पर ध्यान न देने के कारण हमारे तमाम उत्पादन के स्रोतों पर असर पड़ता है जिसके कारण आमदनी में ह्रास और वित्तीय घाटा हमारे देश के ऊपर आता है। माननीय मंत्री जी विद्वान और वित्तीय व्यवस्था के बहुत जानकार हैं। आज नहीं, पिछली कई सरकारों में आप वित्त मंत्री रह चुके हैं और आपने हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था की अच्छी जानकारी रखते हुए बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। लेकिन इतने बड़े देश में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था के जरिये हिन्दुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, उसमें हमें बहुत सी चीजें अपने नियम और कानूनों के तहत प्रतिबंधित करनी पड़ेगी।

एक तो बेकारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस बेकारी के समाधान के लिए अगर सरकार ने कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की तो देश के अन्दर बहुत से हाथ खाली हो जाएंगे, जिनके जरिये देश का बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारे उद्योगों को चालू करने के लिए हमें कच्चे माल की जरूरत होती है, मजदूर की जरूरत होती है। हमारे देश में भरपूर मजदूरों की उपलब्धता है, इसके बावजूद भी हमारे उद्योग बन्द होते जा रहे हैं, उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है। कहीं बिजली की कमी के कारण बन्द हो रहे हैं तो एक तरफ चीजों की अनुपलब्धता है, दूसरी तरफ उनकी उपलब्धता के होते हुए भी कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है। वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो विसंगतियां हैं और जो असंतुलन है और जो उपलब्ध साधन हैं, उनका सदुपयोग, उनका सही तरीके से संचालन, वित्त व्यवस्था का सही तरीके से प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन न होने के कारण तरह-तरह से आमदनी को बढ़ाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। ...*(व्यवधान)* इसलिए माननीय मंत्री जी को बहुत गम्भीरता से इतने बड़े देश के पैमाने पर विचार करना होगा, क्योंकि राज्यों में आपस में कई प्रकार से आमदनी के स्रोतों में फर्क है। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब को देखा जाये तो लोगों की इन प्रदेशों में आदमनी के स्रोतों में काफी अन्तर है और इस असंतुलन को संतुलन में बदलने में हमें बहुत कुछ अर्थव्यवस्था पर सोचना पड़ेगा। इसलिए पूरे देश के अन्दर बढ़ती हुई गरीबी और बेरोजगारी को देखकर आपने जो ग्रामीण योजना चालू की है, जो रोजगार गारण्टी योजना चालू की है, उसके जरिये भी इस बेकारी का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए आपको कुछ औद्योगिक कारोबार की तरफ अपने आर्थिक स्रोतों को देना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के जरिये उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने आर्थिक स्रोतों से अर्थव्यवस्था को, देश के वित्तीय ढांचे को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि जो देश के सामने संकट है और विभिन्न समस्याओं के बारे में जो परेशानियां, दिक्कतें पैदा होने जा रही हैं, जो हमारी बेसिक आवश्यकताओं पर असर पड़ने जा रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य का हो, चाहे वह पानी का हो, चाहे वह बिजली का हो, चाहे उद्योग का हो या कृषि का क्षेत्र हो, इन सभी स्रोतों से जो देश की आमदनी की आवश्यकता है, उसमें बहुत कुछ नये तरीके से सोचने और उसको संतुलित करने की आवश्यकता है।

इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए उनसे चाहूंगा कि अपनी योग्यता और क्षमता को और वित्तीय व्यवस्था के बारे में उनकी अपनी सोच है, वे इस तरीके से उसको अमली जामा दें कि जो राज्यों का वित्तीय घाटा है, उसे रोका जा सके और देश की आमदनी को बढ़ाकर देश के सामने तमाम उत्पन्न समस्याओं का निराकरण हो सके।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मेरे पास बहुत लंबी सूची है। कृपया अपने संक्षिप्त सुझाव पेश करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2005-06 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। इसमें 48 अनुदान शामिल हैं जिनकी डिमांड यहां की गई है और कुल 9079.8 करोड़ रुपये के अनुमोदन की मांग की गई है। उनमें कई ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय हैं-जिसमें प्रधान मंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शामिल है, अगर इसमें स्वजलधारा योजना भी सम्मिलित करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में अभी बहुत कम जिलों को चयनित किया गया है। मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को हर जिले में लागू किया जाए, चाहे थोड़ा-बहुत काम शुरू किया जाए, लेकिन सभी को लेना चाहिए।

जहां तक प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात है, 500 की आबादी के छोटे-छोटे कस्बों को टेक-अप करके इसे लिया जाए। ऊर्जा स्रोतों में जो व्यवस्था की गई है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऊर्जा क्षेत्र में बहुत से ऐसे संयंत्र हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं। उनके नवीनीकरण की व्यवस्था भी इसमें होने की जरूरत है। गृह मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय सुरक्षा बल और सुरक्षा बलों की अधिक संख्या बढ़ाए जाने की बात एवं उनको नए-नए उपकरणों से सुसज्जित करने की भी व्यवस्था है। इसमें सुनामी को भी लिया गया है और कुछ योजना बनाई गई है। इसी तरह भूकम्प को भी इसमें लेने की जरूरत थी। स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। एम्स में बढ़े हुए शुल्क के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एम्स में जो शुल्क बढ़ाए गए हैं, बजट में प्रावधान बढ़ाकर कम से कम उसे माफ करें, ताकि सामान्य जनता को उससे लाभ मिल सके।

पेट्रोलियम विभाग से संबंधित, मिट्टी के तेल हेतु व्यवस्था इसमें की गई है। मिट्टी के तेल की जरूरत के संबंध में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राज्यों की आवश्यकता के अनुसार, बहुत से राज्य पिछड़े हुए हैं, जहां वनों की संख्या ज्यादा है, आदिवासी बहुत ज्यादा है, यह व्यवस्था अधिक से अधिक होनी चाहिए।

सर्वशिक्षा अभियान को शिक्षा विभाग में लिया गया है। मेरे ख्याल से सर्वशिक्षा अभियान में जो बजटीकरण हुआ है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम अपनी कौन्सटीट्यूएंसी में देखते हैं कि इससे कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरह के फिजूल बजटों पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

महिला एवं बाल विकास परियोजना में आपने केएसवाई योजना ली है। इसी सदन में कल या परसों एक प्रश्न आया था, जिसमें तमाम सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी थी। आज इतना कम मानदेय उसमें दिया जाता है, चाहे कार्यकत्री हों, सहायिका हो या आया हो, जिससे वे पुष्ट आहार बेचने के लिए मजबूर होती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उन्हें कम से कम तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानकर उसके बराबर वेतन दिया जाए, तभी यह व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है।

आपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा कि ग्रामीण स्तर पर सशक्तीकरण किया जाए। आपने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना को बढ़ावा देने की बात भी कही है। आज पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे निचली कड़ी पंचायती राज है, अगर हम इसे मजबूत करेंगे तभी गांवों का विकास हो सकता है। अगर गांवों का विकास हो गया तो मेरे ख्याल से पूरे देश का विकास हो सकता है।

शहरी रोजगार के नाम पर इसमें व्यवस्था की गई है। शहरों में जो स्लम बस्तियां हैं, जहां अनुसूचित जाति के गरीब लोग बसते हैं, उन्हें चिन्हित करके जहां कम से कम 20,000, 25,000 लोग स्लम बस्ती में रहते हैं, वहां उनके रोजगार, सफाई की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था, चाहे सड़क हो, नाली की व्यवस्था हो, सैनीटेशन की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे भी महसूस कर सकें कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं।

युवा कार्य और खेल में आपने कुछ व्यवस्था की है। यह बात सत्य है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय या कालेज स्तर पर, जिला स्तर या मंडल स्तर पर तमाम ऐसे खेल होते थे, जो आज बंद पड़े हैं, क्योंकि वहां बजट का प्रावधान बहुत कम है।

मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में बजट में थोड़ा सा बढ़ाकर प्रावधान करें ताकि हमारे देश में अच्छी-अच्छी प्रतिभायें आयें जिससे इस देश का नाम रोशन हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): वित्तीय संकेतांक अब अच्छे हैं। सेंसेक्स में तेजी है। माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अर्धवार्षिक समीक्षा में कहा है कि वित्तीय वर्ष के पहले आधे भाग में वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत रही है। मुझे याद है ऐसा ही मामला 2002 में था जब इंडिया टुडे पत्रिका में प्रकाशित "फील गुड फैक्टर हाऊ लांग विल इट लास्ट" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसी पत्रिका में पिछले 28 नवम्बर को "इंडियन इकोनॉमी-विद द पार्टी लोस्ट?" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जिन अच्छे आर्थिक संकेतांकों का उल्लेख कर रही हैं, वे पूर्व राजग सरकार की विरासत हैं तथा यह सरकार जिन उपलब्धियों का उल्लेख कर रही हैं वे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उठाये गये अच्छे वित्तीय उपायों से इस सरकार को वसीयत में मिली है। मैं ऐसा भारत की चीन के साथ तुलना करके कह रहा हूं। चीन एक निवेश आधारित अर्थव्यवस्था है लेकिन भारत एक उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था है तथा इसलिए मुझे कुछ चिन्ताएं हैं, डर है जिन्हें मैं अब माननीय वित्त मंत्री को बताऊंगा।

लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सात प्रतिशत रही है। मुझे कहना चाहिए कि लगातार चौथे वर्ष यह काफी अच्छी वृद्धि दर है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक समीक्षा में कहा गया है खनन क्षेत्र में वद्धि दर 1.3 प्रतिशत, विद्युत क्षेत्र में वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत हैं जो कि चिन्ताजनक है तथा फिर भी विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर में कमी नहीं आई है, वह उच्च एवं एक स्तर पर बनी रही है। यह चिंता का कारण है। अच्छी औद्योगिक दर को अपनी गति बनाए रखनी पड़ेंगे अन्यथा इस पर समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय घाटे का ही उदाहरण ले लीजिए।

कुछ सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि इस अर्धवार्षिक समीक्षा में माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि वित्तीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा 5 प्रतिशत से अधिक हो गया है तथा सरकारी खर्च अभी भी निरन्तर बढ़ रहा है। अब, सरकार कह रही है कि वह रोजगार गारंटी स्कीम लागू करने जा रही हैं। आपको इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। ऐसे ही, भारत निर्माण स्कीम के लिए भी धन की आवश्यकता है। वित्तीय घाटा पहले ही अनुमान से अधिक हो गया है तथा यदि आप इन अतिरिक्त खर्चों को शामिल करते हैं तो इससे वित्तीय स्थिति पर और दबाव बढ़ेगा। यह भी एक चिंता का विषय है कि वित्तीय घाटा इस सरकार की सीमाओं से अधिक हो सकता है।

हालांकि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है। ब्याज दरों में न केवल हमारे देश में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में वृद्धि हो रही है। अमेरिका में ब्याज दर एक प्रतिशत से बढ़कर चार प्रतिशत हो गई है। यह और भी बढ़ सकती है। यह भारत में भी हो सकता है जो कि अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए अच्छा नहीं है। यह पहले से ही चिन्ता का एक विषय है जिसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अर्ध-वार्षिक समीक्षा में किया है। यह कहा गया है कि हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

अर्धवार्षिक समीक्षा में माननीय मंत्री ने कहा कि वृद्धि दर पहले छह महीनों में 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस वर्ष रबी की फसल पिछले वर्ष से अच्छी हुई है। पिछले वर्ष रबी फसल का उत्पादन 71 मिलियन टन हुआ था तथा इस वर्ष 76 मिलियन टन हुआ। हालांकि पहले छह महीनों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, माननीय मंत्री ने इस वर्ष समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

इसलिए मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने स्वयं संकेत दिये हैं कि वृद्धि दर में गिरावट आएगी। वास्तव में, वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में ही अर्थव्यवस्था गति धीमी पड़ती है। जबकि माननीय मंत्री ने कहा है कि इसमें अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ेगी। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उनके औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि का क्या अनुमान है।

आधारिक संरचना का ही उदाहरण लीजिए। एक भी नई बड़ी आधारिक संरचना परियोजना शुरू नहीं की गई है। स्वर्णिम चतुर्भुज चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की हर जगह गति धीमी हुई है, इसके बावजूद भी मंत्री जी का कहना है कि इसमें तीव्र प्रगति हो रही है। सभी जानते हैं कि इसकी गति धीमी हुई है।

दूसरी बात कि वर्ष 1997 में जब माननीय मंत्री जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आधारिक संरचना विकास वित्त निगम का गठन किया था। अब इस वर्ष भी पुनः, वे एक और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम का गठन करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि और वित्तीय संस्थान गठन करने की क्या आवश्यकता है जब कोई नई आधारिक संरचना परियोजना शुरू नहीं की जा रही है? कोई नई परियोजना जैसे विमानपत्तन, सड़क आदि नहीं बन रहे हैं। इसलिए और वित्तीय संस्थानों का गठन करने की क्या आवश्यकता है?

भारत निर्माण का ही उदाहरण लीजिए। हमने सुना है कि इस वर्ष भारत निर्माण के लिए 6000 करोड़ रुपये आबंटित किये जायेंगे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वास्तविक आवंटन कितना है। विवादास्पद बात यह है कि इस सरकार को स्वयं ही अपने को बधाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि वास्तव में डर बहुत है। विवादास्पद बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में आठ प्रतिशत

की वार्षिक वद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें तीव्र आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन इस सरकार का आर्थिक सुधार रिकॉर्ड पूर्णतया निराशाजनक है। यह अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है कि भारत में आर्थिक सुधारों की गति धीमी पड़ गई है। यह केवल वामपंथियों के दबाव से हो रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इस सरकार पर वामपंथियों ने ऐसा शिकंजा जकड़ रखा है कि यह सरकार भेल के 10 प्रतिशत शेयर बेचकर विनिवेश करने के एक छोटे से मुद्दे पर निर्णय लेने में भी असक्षम है। अब सरकार ने इसे कम कर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है फिर भी वामपंथी सहमत नहीं हैं। माननीय मंत्री जी यहां हैं। आप पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण विधेयक का ही उदाहरण ले लीजिए। मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति का एक सदस्य हूं। माननीय मंत्री जी ने संदेश भेजा कि जितना जल्दी हो सके इसे निपटाया जाए। समिति ने मानसून सत्र के पहले लगातार बैठकें की एवं इसने इसका निपटान कर दिया। लेकिन अब तक यह सरकार इसे संसद में नहीं रख सकी है। क्योंकि वामपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। यह इस सभा का अपमान है कि वाम दलों के दो-तीन सदस्यों ने ही इस पर आपत्ति की है तथा अन्य सभी ने इसका समर्थन किया है, इसके बावजूद भी सरकार इसको सदन में रखने में असक्षम हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी। तब आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: कई बार बहुत से सदस्यों ने असहमति जताते हुए नोट भेजा है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि विधेयक इस सत्र में सभा पटल पर नहीं रखा जाएगा। वामपंथियों के डर से माननीय मंत्री या कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार इसे सभा पटल पर नहीं रख रही है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वामपंथी केवल भौंकिंगें तथा काटेंगे नहीं फिर भी वे उनसे डरे हुए हैं। मैं केवल इंडिया टुडे का उदाहरण दूंगा और बताऊंगा कि इस सरकार ने क्या प्रभाव छोड़ा है। इंडिया टुडे ने एक आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें शंकर आचार्य, अजीत राजा डे, सुबीर गोकारनो, जैसे भारत के महान अर्थशास्त्रियों, विवेक ओबराय जोकि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं तथा सिद्धार्थ राव ने भाग लिया था।

सायं 7.00 बजे

उनका क्या निष्कर्ष है? उनका निष्कर्ष है कि सरकार एक गैर निष्पादनकारी आस्ति है। इसका अर्थ है कि सुधार नहीं हो रहे हैं। यदि कोई प्रगति नहीं हो रही है तो भारत में सरकार सबसे बड़ी रुकावट है। यह उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि सरकार ने निराश किया है। इस सरकार के अतिरिक्त हर बात की सराहना की गई है। दिल्ली में प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। गति निराशाजनक रूप से धीमी है। देश की सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिका का यह कहना है।

2003 के बिजली अधिनियम को ही लीजिए। माना जा रहा था कि यह विद्युत सुधारों में नए युग का आरंभ करेगा। वित्त मंत्री को यह देखना चाहिए कि उड़ीसा और दिल्ली में विद्युत क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के संकेत हैं। इसका कारण यह है कि इन दो प्रमुख राज्यों ने बिजली सुधारों को शुरू किया और वे बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूं।

श्रम क्षेत्र के सुधारों तथा श्रम कानूनों का उदाहरण लीजिए। माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी तथा अन्य लोग चाहते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारी आगम होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि प्रत्येक श्रम कानून छंटनी से संबंधित नहीं हैं। श्रम कानून सदा यह नहीं कहते कि लोगों की छंटनी होनी चाहिए। जबकि अस्थायी छंटनी के मुद्दे पर राजनीतिक सर्वसम्मत्ति बनने की प्रतीक्षा की जा सकती है परन्तु इस कानून के प्रतिकूल उपबंधों का मामला उठाया जा सकता है। महोदय, वे वामपंथियों से इतने भयभीत हैं कि वे उनको छू भी नहीं रहे हैं। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जब तक आपके यहां श्रम कानून अथवा श्रम सुधार नहीं हैं तो आप भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं कर सकते जोकि 8 प्रतिशत की विकास दर के लिए बहुत आवश्यक है। यदि सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में तेजी से कदम उठाती है तो भारत में न केवल 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त होगी बल्कि विकास भी दो अंकों में होगा। मैं अपनी यही चिंता व्यक्त कर रहा हूं।

महोदय, वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में, मैं कुछ सुझाव दूंगा। आरआईडीएफ के बारे में, बैंक, आरआईडीएफ के माध्यम से अपनी धनराशि देने में अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें इससे केवल 3 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है और यदि वे बाहर खुदरा क्षेत्र जैसे मकानों तथा कारों के लिए ऋण देंगे तो उन्हें नौ प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अत: वे आरआईडीएफ के माध्यम से ऋण देने में बहुत अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में कुछ करना चाहिए।

प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने के लिए इसकी पुन: व्याख्या की जानी चाहिए। अब, कुल ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दिया जाना चाहिए। परन्तु शायद ही ऐसा कोई बैंक हो जो 18 प्रतिशत ऋण दे रहा है। उनका कहना है कि कॉरपोरेट क्षेत्र का अन्तर्ग्रहण काफी अधिक है और इसलिए वे कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत ऋण

[श्री खारबेल स्वाईं]

देने में असमर्थ हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र में वसूली का प्रतिशत काफी अधिक है। माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है। कॉरपोरेट क्षेत्र की ऋण वसूली से यह कहीं अधिक है। बैंकरों तक ने हमें बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र उनके लिए सोने की खानें हैं। मैं मंत्री महोदय से प्राथमिक क्षेत्र के ऋण की परिभाषा की पुन: व्याख्या करने की अपील करता हूं और वह यह देखें कि कुछ क्षेत्रों में यह तथा विशेषकर प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्य नहीं कर रही है। इस मामले में लाभभोगियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बैंकरों का कहना है कि प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात है और उसके बाद ही लाभभोगियों का चयन किया जाना चाहिए। अन्यथा, लोगों का चयन किया जा रहा है परन्तु बैंकर धन का संवितरण नहीं करते। यदि वे धन का संवितरण करते भी हैं तो उस धनराशि की वापसी की दर केवल 18 प्रतिशत होती है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

मेरा अगला मुद्दा स्व:सहायता समूहों के बारे में हैं, जिनका गठन महिलाएं करती हैं। यहां कई बार, वापसी की दर 90 प्रतिशत भी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रशिक्षण। वे नहीं जानते कि उस धनराशि का क्या किया जाए। उड़ीसा में कुछ मामलों में-मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानता-स्व:सहायता समूहों की महिलाएं बैंकों से धन लेती हैं और ऊंची ब्याज दर पर अन्य लोगों को वो धन दे देती हैं। वे गांवों में दूसरी ऋणदाता बन जाती हैं। यह करने में उनकी रुचि नहीं होती। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे जान सकें कि उन्हें किसका उत्पादन करना है, किस प्रकार उत्पादन करना है, उसका विपणन कैसे करना है तथा उन्हें कैसे पैकेज करना है। यह एक बहुत ही अच्छा विचार तथा योजना है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक लघु वित्त-पोषण का संबंध है, मैं माननीय मंत्री महोदय से ब्याज दरों को घटाने का अनुरोध करूंगा। स्व:सहायता समूहों को ऋण देने में लघु वित्तपोषण में ब्याज दर बहुत अधिक है। उद्योगपति पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। परन्तु लघु वित्तपोषण के मामले में यह नौ प्रतिशत होता है अथवा कई बार नौ प्रतिशत से अधिक होता है। माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए कि इसे कैसे कम किया जा सकता है।

कोलकाता के आय कर कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या अधिक है परन्तु कर वसूली कम है। परन्तु अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या कम है परन्तु कर वसूली अधिक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोलकाता आय कर कार्यालय में अनावश्यक रूप से इतने अधिक कर्मचारियों की तैनाती क्यों की गई।

सीमा-शुल्क के मामलों में, अपीलीय न्यायालय में यदि एक न्यायाधीश का स्थानांतरण होता है तथा एक नया न्यायाधीश आता है तो मामलों की सुनवाई नए सिरे से आरंभ होती है। वे मामला वहां से शुरू नहीं करते जहां पिछले न्यायाधीश ने मामला छोड़ा था। मामला दोबारा से चलाया जाता है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। सुनवाई नए सिरे से शुरू होती है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

जहां तक सीमा-शुल्क विभाग का संबंध है, वहां केवल 10 सेसटेट (सीईएसटीएटी) पीठ हैं। इसमें से तीन रिक्त हैं। अत: सीमा शुल्क के बहुत से मामले लंबित हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005-06 के लिए की गई अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और साथ में मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों के संबंध में टिप्पणी करना चाहता हूं जिनके बारे में मेरा अब भी मानना है कि इन क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

भारत आज विश्व में चीन के बाद तेजी से उभरती हुई दूसरी अर्थव्यवस्था है। आज हमारे सेवा क्षेत्र हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कर लगाया जाना चाहिए लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार देना चाहिए। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय की धीरे-धीरे अधिक से अधिक सेवा क्षेत्र को कर के दायरे में लाने संबधी रणनीति सही दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन साथ ही मैं इस बात से सावधान करना चाहता हूं कि बड़ी मछलियों का पीछा करते हुए और अधिक कर देने वाले केन्द्रों की पहचान करते हुए छोटे आपरेटरों विशेषकर कुछ छोटे कस्बों और बड़ी पंचायतों में कार्य कर रहे लोगों को सांस लेने की ज़गह देनी चाहिए।

हमें सेवा क्षेत्र की प्रगति के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करना चाहिए और मैं यह अनुभव करता हूं कि एक राष्ट्र होने के नाते हम विनिर्माण क्षेत्र की क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने आटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं से बढ़कर प्रदर्शन किया और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब हमें उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में भी अपनी विनिर्माण क्षमताओं को सिद्ध करना चाहिए। विशेषकर मैं सेमीकंडक्टर फैब की भलाई करने के लिए कहना चाहता हूं। देश को ऐसे अनेक

फैब्रो की आवश्यकता है। जबकि हमारे इंजीनियर हार्डवेयर के क्षेत्र के मूल्यवर्द्धन में योगदान दे रहे हैं जोकि अपरिहार्य रूप से कुछ विदेशी कंपनियों की (आईपी) बौद्धिक सम्पदा है हमें अत्याधुनिक साफ्टवेयर के सृजन के माध्यम से जो हार्डवेयर के इस पीस में नजर आता है, मैं समझता हूं कि यदि हम आधुनिक इलैक्ट्रानिक्स के इन मूल बिल्डिंग ब्लाकों का निर्माण कर सके तो हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सच्चा योगदान दे सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र को प्राथमिकता दें जिसकी हम बार-बार विभिन्न कारकों के कारण से लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि एक राष्ट्र होने के नाते हम आज सूचना प्रौद्योगिकी के बाजार में आवश्यक कुशल और दक्षप्रतिभा का पूल बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे है। आधुनिक दक्ष (हाई एंड स्किल्स) बाजार में जिस दर से तनख्वाहे मिल रही हैं। उससे मुझे डर है कि व्यवसाय कही दुनिया के दूसरे आकर्षक स्थानों की ओर न चला जाए यदि हमें अपने सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में विकास की इस गति को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल और दक्ष जनशक्ति को सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए। विकास के लिए अपनी जन्मजात कुशलता का तीव्रता से उपयोग करना और अपने प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और सामान्य रूप से इसके बढ़ते हुए उपयोग से भी हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हमें इसके बढ़ते हुए उपयोग के लिए स्थितियों का सृजन करना होगा।

मैं, हमारी सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लागू करने के संबंध में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वृद्धावस्था पेंशनों अन्य निशक्तता संबंधी योजनाओं और आवास योजनाओं इत्यादि जैसी वैयक्तिक लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त अनुदान मुहैया कराया जाए। ऐसी धनराशि की कमी से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है। हमें बजट को कई स्तरों पर बढ़ोत्तरी करनी होगी विशेषकर वृद्धों और निशक्त: व्यक्तियों संबंधी योजनाओं पर। आज भारत में 70 मिलियन निशक्त: लोग हैं।

अंत में, मैं इस देश की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस देश की जीवनरेखा कृषि के संबंध में बोलना चाहता हूं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि राष्ट्र की जीवन रेखा है। यह राष्ट्र में रक्तसंचार करने वाली धारा है जिसको सुरक्षा की जानी चाहिए जिससे कि उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहे ताकि हमारी ग्रामीण जनसंख्या की वास्तविक खुशहाली हमारे राष्ट्र का स्वास्थ्य परिलक्षित हो। कृषि एक ऐसा क्रियाकलाप है जो गांवों के जीवन को खुशहाली की ओर ले जाता है और इसके आस-पास का जीवन स्थानीय संस्कृति त्यौहारों और एक संतुष्ट समुदाय का संपूर्ण वातावरण में परिलक्षित होता है।

बापूजी ने ठीक ही कहा है कि भारत गांवों में बसता है इसलिए सभी गांवों की जीवनरेखा और राष्ट्र की जीवन रेखा कृषि है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का समुत्थान उसके गांवों में है। आज हमें अपने गांवों की स्थितियों का आकलन करना चाहिए। मुझे स्मरण है कि जब मैं पैतृक गांव में बड़ा हो रहा था हालांकि उस समय पैदावार उतनी नहीं थी। गांवों के लोग, किसान और विशेषकर गांव समुदाय एक खुशी परिवार था। हालांकि आज हमारी कृषि की अधिक पैदावार, बेहतर स्थितियां और जेब में अधिक धन होने के बावजूद स्थिति बहुत भिन्न है। अब ये इतनी भिन्न क्यों है? इस बात का उत्तर अंशत: इस तथ्य में है कि वहां पर बड़ी संभावनाएं हैं और जीवन जीने की स्थितियों में बड़ी विषमताएं हैं, अवसरों तक पहुंच का अभाव और हमारे गांवों में डीजीटल डीवाइड के कारक सहित जीवनशैली भी इसका एक कारण है।

प्रधानमंत्री ने अपने दृष्टिकोण में कहा है कि वह वर्ष 2009 तक हमारे गांवों में स्थितियों में अवसंरचना में कनेक्टिविटी, विद्युत विश्वसनीय आपूर्ति इत्यादि को बनाए रखने संबंधी सुधार करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ग्रामीण भारत की सामान्य स्थितियों में काफी सुधार होगा लेकिन मैं अब भी यही महसूस करता हूं कि इससे मूलभूत समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। मैं अब भी सोचता हूं कि हम गांवों के जीवन की आत्मा तक अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। तब वह मुद्दा क्या है जिसके बारे में बोल रहा हूं।

आज भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है एक ऐसा देश है जिसे ''सेवाएं'' अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी जा रही है एक ऐसा राष्ट्र है जोकि विश्व का ज्ञान केन्द्र है और विश्व की प्रयोगशाला है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सूर्य की चमक में नहा रहा है एक ऐसा राष्ट्र है जिसका समय आ गया है। एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर युवा जनशक्ति है जो विश्व आर्थिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कार्य कर रही है।

अब असली प्रश्न यह है कि ''एक ऐसे देश को, एक उभरती हुई सभ्यता को अपने आर्थिक समुत्थान की रीढ़, अर्थात कृषि समुदाय से कैसा व्यवहार करना चाहिए।'' क्या वे उपभोक्तावाद और उदारीकरण के फल उपयोग के अधिकारी नहीं है?

क्या इस राष्ट्र की यह जिम्मदारी नहीं है कि वह कृषि पर निर्भर अपने मिलियन लोगों को अच्छा जीवन स्तर मुहैया कराए? जब हम अपने किसानों की आत्महत्याओं संबंधी शर्मनाक आंकड़े देखते हैं तो उसके पश्चात सभी का उत्तर कैसा होगा। इसके

[श्री एम.एम. पल्लमराजू]

अतिरिक्त आंकड़े यह भी बताते हैं कि हमारे पचास प्रतिशत कृषि समुदाय इस बात से सहमत हैं कि कृषि अब एक अर्थक्षम पेशा नहीं है इसलिए किसान जीविकोपार्जन के लिए विकल्प खोज रहे हैं। मैं वित्त मंत्री को अपना धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में हमारे किसानों के लिए कृषि ऋण संसाधनों को सरल बनाया है लेकिन अभी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)* महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं समझता हूं कि इस राष्ट्र को अपने कृषि क्षेत्र पर नए सिरे से गौर करना चाहिए। इसको अपना समझते हुए और इसके बेहतर अस्तित्व के लिए नई प्रतिबद्धताओं के रूप में राष्ट्र को इस पर गर्व होना चाहिए। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि इस देश की आत्मा गांवों में बसती है और जब कभी गांव मुस्कुराते हैं तो राष्ट्र में वास्तव में ही सूर्य चमकता है, हमें इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि कृषक समुदाय और कृषि पर आश्रित लोग सुखी समुदाय नहीं है। इसके लिए क्या कारण हैं?

स्थिति की वास्तविकता यह है कि किसानों की उत्पादन लागत कई गुना बढ़ गयी है जबकि जो मुआवजा उसे मिलता है वह उतना नहीं मिलता है। मैं समझता हूं मुख्यत: न्यूनतम समर्थन मूल्य उतना नहीं होता। जितनी कि इस पर लागत आती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों के लिए एक स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए ताकि उनकी गतिविधि निरन्तर जारी रहें। कृषि का स्वास्थ्यपरक निरन्तरता के लिए यह जरूरी है।

मैं एक ऐसी स्थिति जो कृषि की सहायता करती है के लिए बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इसे एक ऐसी गतिविधि बनाती है जो कि किसानों के और उनके आश्रितों के न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखती है और उसका समर्थन करती है। कृषक समुदाय पहले ही उत्पादन की अनिश्चितता, मौसम की मार और कई अन्य अनिश्चित घटनाओं से ग्रस्त है, इसलिए, एक चीज ही यह है जिसे मैं समझता हूं कि सरकार ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस सीमा तक बढ़ा सकती है जिससे कि कृषि व्यवसाय किसानों के लिए लाभप्रद हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री तथागत सत्पथी बोलेंगे। आपके पास केवल पांच मिनट का समय है। आप अपनी पार्टी से एक मात्र सदस्य है और आपकी पार्टी के लिए पांच मिनट का समय निर्धारित है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो थोड़ा बहुत समय देने की इच्छा जाहिर की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

आज, हमारे समक्ष लगभग 9079 करोड़ रु. की अनुपूरक अनुदानों की मांगों संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत है। जैसाकि हम देखते हैं। हम आधी शताब्दी से ज्यादा समय से योजना दर योजना, अनुपूरक मांगों दर अनुपूरक मांगों के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। धनराशि खर्च की जा रही है। हजारों-हजारों करोड़ रुपये बर्बाद हो चुके हैं। भगवान जानता है कि कहां? लेकिन यदि हम इस राष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को देखें, तो हमें महसूस होगा कि हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने वास्तव में जो कहा कि बहुत ज्यादा संसाधन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। उसमें बहुत अधिक सच्चाई है।

महोदय, आप प्रमुख रूप से एक कृषि राज्य से आते हैं। मैं भी उड़ीसा से संबंध रखता हूं, जो कि एक कृषि राज्य है। हम आज एक चीज देखते हैं। मैं यूपीए सरकार अथवा एनडीए सरकार अथवा किसी राजनीतिक ''वाद'' अथवा विचार के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मगर आज भारत में एक परिदृश्य मौजूद है, जहां नौकरशाही का आधिपत्य बना हुआ है। ये मंत्री, ये बड़े-बड़े राजनेता, यहां अथवा वहां थोड़ा सा पैसा लेते हुए मीडिया द्वारा लताड़े जाते हैं, किंतु मोटी रकम तो कहीं और ही उगाही जाती है। वे निर्णय करते हैं कि बजट किस तरह का होगा। वे निर्णय करते हैं कि, वह मुंबई शेयर बाजार होगा जिसे खुश किया जाएगा अथवा कोई अन्य विदेशी निवेशक होंगे जिनका ध्यान रखा जाएगा।

यहां इस सभा में बैठे हुए, हम कानून में किये गये अनेक संशोधनों को पारित होता हुआ देखते हैं, जो कि ''और'' अथवा ''या'' अथवा कुछेक तारीखों तक सीमित रहते हैं। इसमें से ज्यादातर उन कुछेक शब्दों का उद्देश्य नहीं समझ पाते। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें, तो हम एक चीज पर नजर डाल सकते हैं। मैंने कुछेक मामलों में ऐसा देखा है कि किस प्रकार केवल कुछेक घटकों, कुछेक कंपनियों, कुछेक हितों को मदद पहुंचाने के लिए इन्हें विशिष्ट प्रकार से तैयार किया जाता है। कुछेक लोगों को बहुत ही सीमित, प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। ऐसा पिछली सरकार में हुआ। ऐसा अब भी हो रहा है। अत:, इससे एक चीज साबित होती है कि भारत में योजना के प्रावधान सदैव ही दोषपूर्ण रहे हैं। राजनीतिक विचार की कोई अधिक भूमिका नहीं रही है। यह एक सतत नौकरशाही घालमेल है, जो अभी तक हमारे बजट तैयार करने के पीछे रहा है।

उदाहरणार्थ, अधिकांश योजना आबंटनों में राज्यों को अपनी हिस्सेदारी के रूप में अधिक प्रतिशतता में धनराशि देनी पड़ती है। कई राज्यों जैसे उड़ीसा को ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजनाओं ने अपनी हिस्सेदारी देनी होती है जो कि उनकी पहुंच के बाहर है। इससे परिणामत: ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमारे सामने विरोधाभासी स्थिति पैदा हो जाती हैं जिसमें केन्द्र धनराशि भेजता है तथा आशा करता है राज्य भी अपने हिस्से की

धनराशि भेजेगा तथा राज्य यह धनराशि भेजने में असक्षम रहते हैं। इसलिए लाभ वास्तव में लोगों को नहीं मिल पाता है। मैं संक्षेप में कुछ उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि आपने समयावधि कम कर दी है। इसका उद्देश्य केवल यह बताना है कि इससे देश की योजना तथा बजट प्रक्रिया किस प्रकार निरन्तर बिगड़ती गई है। उदाहरण के लिए उड़ीसा को ही लीजिए। प्राकृतिक राष्ट्रीय जल संसाधनों का 10 प्रतिशत से थोड़ा अधिक, जो कि अधिकांश बहते जल संसाधन हैं, हमारी केवल 30 प्रतिशत भूमि पर ही पूरे वर्ष सिंचाई होती है। इसलिए महोदय क्या होता है कि सिंचाई के लिए हमारे पास निवेश नहीं है तथा हमारे सभी जल संसाधन समुद्र में चले जाते हैं तथा राज्य को लाभ नहीं मिलता है। इसी आलोक में, मैं दूसरे राज्य की तुलना करना चाहूंगा। मैं किसी अन्य राज्य को कमजोर नहीं बताना चाहता हूं लेकिन यह तुलनात्मक स्थिति है जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि देश के पूर्वी भाग में हमारी स्थिति क्या है। झारखंड जिसकी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल उड़ीसा से आधा है उसे वर्ष 2005-2006 में वार्षिक योजना आवंटन 5000 करोड़ रुपये किया गया है जबकि उसी अवधि के लिए उड़ीसा को 3000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उड़ीसा में खानें एवं खनिज है। इनका दोहन कीजिए। खनिज अधिनियम में कहा गया है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व है लेकिन खनिज जो कि उस भूमि में हैं वह केन्द्र का होता है। इसलिए, हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलता जो आपको भूमि के नीचे से मिल जाता है। हम केवल भूमि के मालिक हैं लेकिन राज्य को इसका लाभ नहीं मिलता है। यदि राज्य सरकार कोई उपकर प्रभारित करती है, खनन गतिविधियों पर विकास के लिए कोई कर अधिरोपित करती है, तो न्यायालय इस पर आपत्ति कर देता है। ऐसा उड़ीसा में हाल ही में हुआ है।

बिजली का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, उड़ीसा में कोयला प्रचुरता से पाया जाता है। एन.टी.पी.सी. तथा कई अन्य निजी कंपनियां-उड़ीसा राज्य का कोयला उपयोग कर राज्य में बिजली का उत्पादन करती हैं, जिससे नदियों में प्रदूषण बढ़ता है तथा जिससे अत्यधिक समपार्श्विक नुकसान होता है लेकिन विशेष प्रकार की प्रणालियों द्वारा बिजली कर्नाटक एवं अन्य कई राज्यों को स्थानान्तरित कर दी जाती है। वे वहां पर विद्युत शुल्क एकत्र करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। उपभोक्ता के तौर पर वे विद्युत का उपभोग कर रहे हैं। वे धन का लाभ उठा रहे हैं किंतु हम केवल वंचित हैं। हमें बहुतरफा नुकसान है। हम प्रदूषित हैं, हमारा राज्य प्रदूषित है। हमें उस किसी भी चीज का लाभ नहीं मिलता जो हमारी मिट्टी में पाई जाती है सिवाय तुच्छ रायल्टी के। हम कतिपय राजनैतिक षडयंत्रों के कारण हम राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान (एनआईएस) या आईआईएससीआर या एआईआईएमएस जो कोई भी नाम हो, से भी वंचित हैं। महोदय, मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

अपराह्न 4.15 बजे वित्त मंत्री ने कोई बहुत मजेदार बात कही। मैं सिर्फ उन्हें हल्के तौर पर उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा "सदस्यों की निर्यातकों के लिए चिंता समझ में आती है किंतु कृपया कुछ चिंता राजस्व के लिए भी दिखाइए।" महोदय, मैं सिर्फ उजागर करना चाहूंगा। ऐसे बहुत से उदाहरण है किंतु मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी किस तरह की विकृत व्यवस्था वित्त मंत्रालय में कार्य कर रही है। यह किसी सरकार विशेष की नहीं है। यह पिछली सरकार में थोड़े समय के लिए थी। यह सरकार इसे दोबारा ले आई है। इसे प्रतिदायी शुल्क (काउंटर वीलिंग ड्यूटी) (सीवीडी) कहा जाता है। यह विदेशों से आयातित मदों पर उत्पाद शुल्क के स्थान पर लगाया जाता है। महोदय, समाचार पत्र के लिए प्रिंटिंग मशीन जैसी सादी सी वस्तुएं को लीजिए, आपने उन प्रिंटिंग मशीनों को शुल्क विमुक्ति दे दी जो 70,000 प्रतियां इम्प्रैशन पर ऑवर (आईपीएच) प्रिंट कर सकती हैं। 70,000 से अधिक पर कोई प्रतिदायी शुल्क नहीं है किंतु इन बड़ी मशीनों से किसे लाभ होगा? थोड़े से समाचार-पत्रों को जबकि आप राज्य में उच्चतर साक्षरता के बारे में बात कर रहे हैं, आप भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। अब सभी भारतीय भाषायी समाचार पत्रों को भारत में बनी प्रिंटिंग मशीनों की जरूरत होगी, या वे खरीदेंगे। वहां उन्हें बिना किसी कारण के 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा। अत: हो यह रहा है कि आप बड़े खिलाड़ियों को अगर वे 70,000 इम्प्रेशन पर ऑवर उत्पादन के लिए पंजीकृत हों, तो सीवीडी मुक्त मशीनें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, चाहे वे प्रयोग की गई या अन्य किसी प्रकार की हों, किंतु आप भारत में छोटे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

किंतु आप भारत में छोटे खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसाकि मेरे एक साथी ने पहले कहा था कि यदि आप मोटी मछली पकड़ रहे हैं तो इसका स्वागत है किंतु आपको छोटे खिलाड़ियों को भी सांस लेने की जगह देनी होगी, जोकि इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस देश की योजनाएं और कार्यक्रम उन अनदेखी अनजानी ताकतों द्वारा संचालित होते हैं जोकि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में सत्ता के गलियारों में बैठी हैं।

महोदय, मैं उड़ीसा राज्य से संबंध रखता हूं। यह जानकर बहुत दुख होता है कि लगभग आठ राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज मिल रहा है, किंतु सरकार ने उड़ीसा को वंचित रखा है। इस सरकार और पिछली सरकारों ने बहुत समय से उड़ीसा को उस सूची से दूर रखा है। यह दूरदृष्टिता की कमी है। महोदय, जैसाकि हमने देखा और आपने भी देखा कि किस तरह पिछली

[श्री तथागत सत्पथी]

कांग्रेसी सरकारों को दूरदृष्टि की कमी ने पंजाब को 1980 और 1990 के दर्शकों में बहुत अशांत राज्य बना दिया था और आप जानते हैं कि राज्य में स्थिति सामान्य करने के लिए आपने कितने राजनैतिक प्रयास किये आपको कितने मानवोचित प्रयास करने पड़े। किंतु मैं इस सरकार को एक चेतावनी देना चाहूंगा कि उड़ीसा के लोग अशांत हो रहे हैं। यह गुस्सा ऊपर तक आ चुका है। लोगों को बिना प्रमाण के मान लेना ठीक नहीं है और उड़ीसा के साथ यही हो रहा है। आप हमें वंचित रख रहे हैं। यद्यपि आप हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं, तथापि आप हमें लाभों से वंचित कर रहे हैं। अत: यदि उनका गुस्सा भड़क गया तो हैरानी नहीं कि निकट भविष्य में उड़ीसा जिस स्तर पर आएगा वह इस राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होगा। हमें याद रखना चाहिए कि उड़ीसावासी विनम्र है किंतु यदि आपको बाईबिल की एक बात याद है कि लार्ड ने कहा था "विनम्र इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे।" जब विनम्र हिंसक होंगे और जब वे अशांत होंगे तो ईश्वर ही इस राष्ट्र को बचा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपमें से जो भी अपना भाषण सभा के पटल पर रखना चाहें रख सकते हैं। उनके भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

दूसरा, इस चर्चा के लिए चार घंटे नियत किये गये हैं।

[हिन्दी]

हमने 8.20 बजे तक का टाइम रखा हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आनरेबल मैम्बर्स बहुत ही ब्रीफ में बोलें। श्री सी.के. चन्द्रप्पन।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यथासंभव कम समय लेने का प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं असहाय हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं आपकी समस्या समझता हूं। कृपया मेरी समस्या भी समझें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भी समस्या को समझेंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय कम उत्तर देने जा रहे हों तो बेहतर होगा कि आप सभा को अब स्थगित कर दें और कल हरेक को मौका दें। हम प्रतिदिन 9 बजे तक बैठते हैं किंतु हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। अध्यक्षपीठ प्रतिदिन सदस्यों को दलों के सदस्यों की संख्या के अनुसार सदस्यों को बुलाती है। हमारी संख्या पांच है। हम 6 बजे से अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं और यह हर वाद-विवाद में हो रहा है। यह सही नहीं है। यही कारण है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि बेहतर होगा कि सभा को अब स्थगित कर दिया जाए और चर्चा को कल जारी रखा जाए ताकि जो कोई भी चर्चा में भाग लेना चाहे, उसे मौका मिल सके।

***श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य** (करीमगंज): महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2005-06 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, जैसाकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश मुख्यत: कृषि पर आश्रित है और यही कारण है कि ग्रामीण विकास और कृषि पर अधिकतम जोर दिया गया है। कृषि अब उद्योग से पीछे नहीं रही-कृषि उद्योग का बराबर का भागीदार बन गई है। कृषि तकनीकी और मशीनरी में नये आविष्कारों तथा भंडारण व्यवस्था से कृषि उद्योग बहुत ही लाभदायक उद्योग बन सका। हमारी आबादी का 80 प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता है और इससे उनको लाभ मिलेगा।

भारत अपनी विशाल श्रमशक्ति के लिए प्रसिद्ध है और इस श्रमशक्ति के गुणवत्ता विकास के लिए तकनीकी शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। उनके नियोजन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विस्तार, लघु तथा पारंपरिक उद्योगों आदि के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास तथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। ये सारी बातें इस क्षेत्र में व्यापक निवेश के औचित्य को दर्शाती हैं।

सरकार द्वारा किया गया प्रमुख वास्तविक प्रयास 100 दिन की रोजगार गारंटी का प्रावधान है जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की दशा में सुधार आएगा और उत्पादन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी से सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वस्तुत: वर्ष 2005-06 के प्रथम तिमाही में अर्थव्यवस्था की तस्वीर अच्छी होगी।

विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गया है। औद्योगिक गतिविधियों में और गति आई है और विनिर्माण क्षेत्र में यह गति बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत हुई है।

महोदय, किसी देश की सम्पन्नता इसके निर्यात पर निर्भर करती है। वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात दर 20.5 प्रतिशत होने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की सूचना है जो 16 प्रतिशत के लक्ष्य से ज्यादा है। बाह्य ऋण से थोड़ी कमी आई है जबकि दूसरी ओर विदेशी भंडार में 2 अरब डालर की वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति की दर 5.1 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत हो गई है। बिजली उत्पादन जिसका दर प्रथम तिमाही में 5.5 प्रतिशत था, अब यह बढ़ा है और जून में यह बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया।

चूंकि बजट प्रस्तावों को कार्यरूप दिया जा रहा है यातायात, संचार, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी विकास हुआ है।

समग्रतः, भारत में सम्पन्नता आ रही है और जिन तथ्यों की मैंने जानकारी दी है उनसे यह बात स्पष्ट होती है।

लेकिन महोदय, हम भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र से आते हैं, जो भारत के अन्य भागों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। बोगीबील, तिपाईमुख जैसी हमारी परियोजनाओं को शुरू किया जा सकता है। हमारी नदियों, जो ग्रीष्म काल में तबाही मचाती हैं, को नियंत्रित किया जा सकता है।

यदि हम अपनी पनबिजली की संभावनाओं का इस्तेमाल कर सकें, यदि हम अपनी संचार प्रणाली को आधुनिक बना सके, यदि कोलकाता को जाने वाले जलमार्गों को पुनः खोल सकें। तो हम काफी विकास कर सकते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रावधान करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं लेकिन विकास योजनाओं को अभी भी उचित रूप में क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। महोदय, पूर्वोत्तर भारत सभी मामलों में भारत के अन्य मार्गों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए अगले वर्ष और नई परियोजनाएं शुरू करेगी और उनके उचित क्रियान्वयन पर नजर रखेगी।

फिर भी मैं पूर्वोत्तर के राज्यों, विशेषकर असम और मेरे चुनाव क्षेत्र करीमगंज जिले के बार्क वैली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हाल ही के समय तक हमारा चाय उद्योग विश्व में विख्यात था और इससे बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती थी लेकिन आज हमारे चाय बागानों की स्थिति ठीक नहीं है और जीवित रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। असम के चाय उद्योग के लिए हमने विशेष पैकेज की मांग की थी और मेरा नम्र निवेदन है कि चाय उद्योग के लिए ऐसे पैकेज को क्रियान्वित किया जाए जिससे यह उद्योग अपनी ख्याति को पुनः प्राप्त कर सके। हमारी कृषि बहुत पिछड़ी हुई है क्योंकि हमारे उपकरण आधुनिक नहीं है-हम केवल पारंपरिक उपकरणों को उपयोग करते हैं, लोग बिजली और सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचे के अभाव में इन क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक बार खेती करते हैं। यहां तक की ई-ऊर्वरक आपूर्ति भी वास्तविक किसानों तक नहीं पहुंच पाता। किसानों, मछुआरों को उत्पादन के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित करने की जरूरत है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति के साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादकता में सुधार होगा।

एक बात और जिसे मैं बताना चाहूंगा और जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं वह उन चार हजार शिक्षकों के बारे में है जो बिना किसी वेतन के काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग वही काम करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो काम सरकारी विद्यालयों में उनके समकक्ष करते थे। असम सरकार के पास धन के अभाव के कारण वहां की सरकार इन शिक्षकों की सेवाओं का अधिग्रहण नहीं कर सकी। अभी हाल में उनमें केवल कुछ लोगों को कुछ निश्चित वेतन की मंजूरी दी गई। मेरा अनुरोध था कि भारत सरकार एक कोष उपलब्ध कराये जिससे कि इन लोगों जो लम्बे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, को पारिश्रमिक दी जा सके।

अंत में, माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखी गई अनुपूरक मांग का समर्थन करते हुए, सरकार द्वारा बदरपुर-लम्बडिंग कोमरघाट रेलवे को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अधिग्रहण के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस परियोजना को 2009 तक, जैसा कि घोषणा की गई है, पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठायेगी तथा इस परियोजना से बाराक घाटी, त्रिपुरा और मिजोरम के विकास की दिशा में बहुत योगदान मिलेगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पनः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र, श्री स्वाईं ने अनुपूरक अनुदानों की मांग पर बोलते हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर वामदल के प्रभावों के बारे में बहुत ही घुघली तस्वीर पेश करने की कोशिश की। उनका भाषण बड़ा ही मोहक था। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि संप्रग सरकार द्वारा क्या वचन दिए गए थे। वचन दिया गया था कि सुधार करते समय मानवीय पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन जब वे लोग सत्ता में थे तब क्या हो रहा था। वहां कोई वामदल नहीं था जो नाराजगी जताता, तर्क देता या कुछ करता। उन्होंने जो करना था पूरे मन से किया और कहा कि इंडिया वॉज साइनिंग। लोगों ने इसे नकार दिया। यह अच्छा हुआ कि आपने इससे शिक्षा ली। वस्तुतः, मैं उस पक्ष को भी कहना चाहूंगा कि यदि सुधार के कार्य दिये गये वचन के अनुरूप नहीं हुए, मानवीय पहलू का ध्यान नहीं रखा गया तो हम इसका विरोध करेंगे। यह समझा जा सकता है।

ऐसा नहीं है कि हम सरकार के सभी कार्यों, जैसे विदेशी निवेश आदि को आमंत्रित करने का विरोध कर रहे हैं। हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन यह उन क्षेत्रों के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए जहां ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों क्योंकि

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। यदि इसे ऐसे क्षेत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है जहां कृषि फले-फूले, तो हम इसका समर्थन करेंगे क्योंकि हमारी कृषि को अधिक धन की जरूरत है। यदि इसे बुनियादी ढांचा के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और हम इसका समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आंख मूंदकर इसका विरोध कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य श्री स्वाईं को यह बताना चाहूंगा। हम बिना सोचे-समझे इसका विरोध नहीं करते हैं। इसके पीछे कुछ और सोच है।

सभी कहते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसे सहायता की जानी चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो अर्थशास्त्री है, और जो पहले इस देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, ने अपने हाल के भाषण में कहा था कि कृषि क्षेत्र के विकास दर में गिरावट आई है। यह बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम सकल घरेलू उत्पाद में सात या आठ या नौ प्रतिशत का विकास दर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा जहां कम से कम चार प्रतिशत का दर सुनिश्चित किया जा सकता है। हम लोग उससे बहुत दूर है। जहां यदि आप विदेशी निवेश आमंत्रित करते हैं और देश के हित में इसे बढ़ावा देते हैं तो इसे इसी क्षेत्र में आमंत्रित करे।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री या इस संबंध में वित्त मंत्री के सभी बयानों में राज्यों के बजटों में कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च अर्थात कृषि क्षेत्र में निवेश में धीरे-धीरे कमी आ रही है। हमें कृषि के क्षेत्र ने निवेश को बढ़ाना ही होगा। महोदय आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश में अधिकतम रोजगार प्राप्त होते हैं। इस देश की पहली समस्या बेरोजगारी की है और वह भी ग्रामीण बेरोजगारी की। यदि इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाता है हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए यदि आप निवेश को आमंत्रित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है और आप कोशिश करें।

समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोग इससे कैसे जूझ रहे हैं। हमने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सुनामी की त्रासदी का सामना किया। सौभाग्य से हमारा पश्चिमी तट उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ यद्यपि वहां भी बहुत बुरा प्रभाव रहा था। केरल में यह हाल के भूतकाल की सबसे बड़ी आपदा थी। कुछ नई समस्याएं हैं जिसका सामना हम कर रहे हैं। एक नई प्रकार की मछली, जिसे आम भाषा में हम समुद्री मेढक कहते हैं, बड़ी संख्या में पाई जा रही है। मछुआरे समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और उसके साथ समुद्री मेढ़क भी पकड़ लाते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि वह समुद्री मेढक खाद्य है अथवा नहीं। समस्या दूसरी है। उस समुद्री मेढक के कारण जाल पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। एक नाव में लगी हुई जाल 5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये का होता है इससे कम से कम 40 लोगों को रोजगार मिलता है और यदि समुद्री मेढक द्वारा जाल बर्बाद हो जाता है तो इसके मरम्मत में 30 दिन लग जायेंगे और इसका मतलब होगा 30 दिन भूखा रहना, 30 दिन तक निराहार रहना और 30 दिन की बेरोजगारी।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास उन लोगों की मदद के लिए कोई योजना है। बीमा कम्पनियां जाल के बीमा करने से मना कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह लाभप्रद काम नहीं है। मैंने कन्याकुमारी से कासरगढ़ तक पश्चिमी तट के लोगों की दयनीय दशा को देखा है। मुझे वही पता इसके आगे भी ऐसा है। आप देख रहे हैं कि ये लोग प्रभावित हैं। इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए। यहां मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि केन्द्र में एक मत्स्य पालन मंत्रालय होना चाहिए। यह कृषि मंत्रालय के अधीन है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से इस समस्या पर विचार करने और कुछ करने का अनुरोध करना चाहूंगा। इसका कारण है कि इस समस्या से वह सीमांत आबादी प्रभावित हो रही है जो सर्वदा बेरोजगार रहते हैं और अधिकांश समय वे भूखों मरते रहते हैं। वे अब भुखमरी और बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं। क्या यह समस्या हल की जाएगी वे यही बात पूछ रहे हैं। इस संबंध में अनुदान का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

अब श्री स्वाईं की बात पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यदि पश्चिमी समुद्रतट पर त्रिवेन्द्रम स्थित विजनजम पत्तन को विकसित किया जाता है तो वह देश का सर्वोत्तम पत्तन साबित होगा, जहां बड़े-बड़े समुद्री जहाज लंगर डाल सकते हैं। देश भर में ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। इसमें लगातार बालू निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस भूभाग में कोई समस्या नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय नौवहन रेखा का निकटतम पत्तन है। यदि यह पत्तन विकसित किया जाता है तो-यह केरल की ही समस्या नहीं है, हमारे यहां केवल कोलम्बो, दुबई या सिंगापुर जाने वाले बड़े जहाज ही आते हैं तब सभी बड़े जहाजों को भारत में पारगमन की अनुमति होगी। यदि बड़े जहाज भारत आते हैं तो इससे देश की विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी जोकि अभी खर्च हो रही है। इससे देश को बहुत लाभ होगा।

श्री स्वाईं, यदि हम पर्याप्त विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी की सहायता से इस पत्तन का निर्माण कर सकें तो हम आपका समर्थन करेंगे। यदि पत्तन के रूप में इसे विकसित किया जा सका तो

इससे पर्यटन को बढ़ाने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। मंत्री महोदय ने तमिलनाडु को सेतुसमुद्रम परियोजना देकर बहुत अच्छा किया। परन्तु यदि यह पत्तन विकसित हो जाता है तो यह सेतुसमुद्रम की तुलना में देश को कहीं अधिक लाभ पहुंचाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम: वल्लारपदम भी दिया गया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: वल्लारपदम एक वाहनान्तरण पत्तन है जहां मध्यम आकार के जहाज आएंगे। वल्लारपदम में बड़े जहाज नहीं आयेंगे। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं-आपकी भाषा में मैंने 'स्नातक' का प्रयोग किया है-बड़े पत्तन जहां बड़े जहाज आयेंगे और उससे देश को लाभ होगा।

वल्लारपदम पत्तन देने के लिए आपका धन्यवाद। यदि विजानजम परियोजना को शुरू करके अगले बजट में इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाता है तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी 9079.81 करोड़ रुपये की मांगें लेकर सदन में आए हैं जिसमें 48 मांग संख्याएं हैं। बजट भाषण में ऐसा लगा था कि देश की सारी समस्याएं हल कर देंगे, बहुत सुनहरी तस्वीर उन्होंने पेश की थी लेकिन सरकार की मंशा उस वक्त उजागर होती है और इनके कार्यकलापों से परत दर परत तब खुलती है जब ये अनुदान की मांगें लेकर आते हैं। उससे पता चलता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है।

मैं चिदम्बरम जी को एक बहुत काबिल वित्त मंत्री मानता हूं। वे अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। बाकी सब साथी छोड़कर चले गए लेकिन वे यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने मांगों का पहला पन्ना पढ़ा तो मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की मांग संख्या 12 पढ़ी। उसमें बताया है कि 103 करोड़ रुपया आपको स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का घाटा पूरा करने के लिए देना है। यह घाटा क्यों हुआ, क्योंकि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने ऐसे ज्वायंट वेंचर्स किए, जिनमें पूरा का पूरा पैसा डूब गया। एक उदाहरण मेरे सामने है। सदन में उस विषय पर अतारांकित प्रश्न श्री रंगनाथ जी ने 10 मई को किया था। उसमें उन्होंने प्रश्न किया था कि एक्वा कल्चर प्रोजेक्ट के लिए एसटीसी ने तीन करोड़ रुपये दिये और वह पैसा तब दिया, जब उनके टेक्नीकल एडवाजरी बोर्ड के सदस्यों ने मना किया कि यह पैसा मत दीजिए। सारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन वह पैसा दिया और वह पैसा डूब गया, क्योंकि जो प्रमोटर्स थे उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। वह सारा पैसा खा गए। ऐसे कई घोटाले एसटीसी में हुए हैं। यह सिर्फ एक घोटाला है। उन घोटालों को ढकने के लिए 103 करोड़ रुपया, देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का रुपया दिया जा रहा है। यह देख कर मुझे बहुत दु:ख हो रहा है।

अब मांग संख्या 34 पर चलते हैं। आपने 250 करोड़ रुपया स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड के लिए दिया है। आप 9 हजार करोड़ रुपया इसके लिए आईडीबीआई को बजट में दे चुके हैं। आईडीबीआई से लोगों ने पैसा लिया और वापिस नहीं किया। वित्त मंत्री जी की भाषा में इसे 'स्टीकी फंड' कहते हैं-''स्टीकी'' यानी चिपकना और ''फंड'' मतलब पैसा। ऐसा पैसा जो बैंक से निकला और बाहर चिपक गया, वापिस बैंक में नहीं गया, वह ''स्टीकी फंड'' है। वित्त मंत्रीजी सरल भाषा में इसे गबन कहा जाता है। ऐसे गबन को ढकने के लिए आप 250 करोड़ रुपये स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड में दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मंत्री जी आपने आईडीबीआई का आईडीबीआई बैंक में समावेश किया है। आप विशेषज्ञ हैं, आप जानते होंगे कि यह सही है, लेकिन जिनके कारण, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आईडीबीआई को घाटा हुआ है, उनको आईडीबीआई का चेयरमैन बनाया गया, ऐसा क्यों किया गया है? इसका कारण है, मैं आपकी अनुमति से एक लेख, जो ''दि हिन्दू'' में छपा है, श्री जगन्नाथ जी का लेख है, पढ़ रहा हूं-

[अनुवाद]

अब तक वह आईडीबीआई में अपनी योग्यता को साबित नहीं करते तब तक सरकार उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नियुक्त नहीं करेगी। उनके के.आर. ए. (प्रमुख परिणाम क्षेत्र) में गैर-उत्पादनकारी आस्तियों (एनपीएज) की वसूली के क्षेत्र में बेहतर कार्यनिषपादन को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसे खुशी-खुशी स्ट्रैस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड (एस.ए.एस.एफ.) में अंतरित किया गया है।

वे लिखते हैं, ''आई.डी.बी.आई. को उबारना-पूरी तरह एक अयोग्य संस्थान-किसी वित्तीय संस्थान को निकृष्टतम तरीके से सहायता प्रदान करना है।''

वे ऐसा कहते हैं। कृपया इसकी जांच करें।

श्री पी. चिदम्बरम: यह विधेयक आपकी सरकार द्वारा पारित किया गया था यह विधेयक राजग सरकार द्वारा पारित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: मैंने कहा है कि मैं वित्त विशेषज्ञ नहीं हूं। आप जब उत्तर दें, तो बता दीजिएगा।

[हिन्दी]

अब मैं मांग संख्या 36 पर आता हूं। आपने नेचुरल कलैमिटी फंड के लिए दो सौ करोड़ रुपया राज्यों को दिया है, लेकिन राज्यों की मांग बहुत ज्यादा थी। उसमें आपने शर्त यह रखी कि 25 प्रतिशत राज्य भुगतान करेगा और 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार भुगतान करेगी, यह उचित नहीं है। जिस राज्य में बाढ़ आई हो, जिस राज्य में भूकंप आया हो, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे कि 25 प्रतिशत राशि दें। इसलिए राज्यों का जो हिस्सा है, उसे कम किया जाए, विशेष कर उन राज्यों का जो इन परिस्थितियों से प्रभावित हैं। जब आपने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और आपके राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए और उन्होंने मांग रखी कि केवल दस प्रतिशत हिस्सा जमा करवाया जाए। लेकिन उन सब की मांग को अलग रख कर आपने अपने तीन-चार चुनिंदा अधिकारियों की बात मानी और यह कह दिया कि 25 प्रतिशत राशि राज्य जमा करेंगे और 75 प्रतिशत राशि केन्द्र देगा, यह उचित नहीं है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं मांग संख्या 92 पर आता हूं। महोदय, 103 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया और जो भी आईडीबीआई को राशि दी है, वह राशि देने के बाद माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान हैंडलूम डवलपमेंट सैक्टर की ओर गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उन बुनकरों के लिए जो आज काम के अभाव में बैठे हुए हैं, उनके लिए वित्त मंत्री जी ने केवल 35 करोड़ रुपये दिये हैं। यानी देश के हैंडलूम बुनकर जो करोड़ों की संख्या में हैं और जो आज पॉवरलूम इंडस्ट्री के आने से बेकार हो गए हैं और बुनकर से मजदूर बन गए हैं। उनके लिए आपने केवल 35 करोड़ रुपये दिये हैं, यह उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह धनराशि बहुत कम है। उन्हें और देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी, चीन की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि चीन ने ऐसा किया, वैसा किया। मैं बताना चाहता हूं कि चीन ने अपने गलीचों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गलीचों पर से ड्यूटी वापस ले ली। ड्यूटी ड्रा बैक कर ली। आज हमारा गलीचा उद्योग बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। क्यों नहीं आप गलीचों पर लगने वाली ड्यूटी माफ कर देते? गलीचा उद्योग में आज 20 लाख बुनकर हैं जिनमें से आधे से ज्यादा फालतू बैठे हैं। उनके हैंडलूम बन्द हो गए हैं। वे आज मजदूरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और जहां भी गलीचा उद्योग है, वहां के सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो गलीचा उद्योग है, उसे कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और ड्यूटी माफ की जाए। उनकी न्यायोचित मांग आपने नहीं सुनी। आपने गलीचा उद्योग को अभी तक कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, जिसके कारण आज गलीचा बुनकर बेकार बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 105, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की है। इसमें मंत्री जी ने 3 करोड़ रुपये दिये हैं, और उनमें से 2 करोड़ रुपये एक बड़े शहर में, एक बड़े स्टेडियम में, सिंथेटिक सर्फेस लगाने के लिए दिये हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, आप सिंथेटिक सर्फेस लगाइए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑप यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को ज्यादा पैसा दें। अगर आप छोटे-छोटे शहरों में स्टेडियम बनाएंगे, तो उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। आप देखिये छोटे-छोटे शहरों से कैसे-कैसे खिलाड़ी निकल कर आए है। श्री मोहन सिंह धोनी, झारखंड से आए हैं। इरफान पठान हैं। एक लिम्बा राम हैं जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्र से हैं। उन्हें तीरंदाजी में एशियन मैडल मिला है। क्यों मिला, इसलिए कि उन्हें एशियन गेम्स में जाने का अवसर मिला। यदि हमें अच्छे टैलेंट ढूंढने हैं, तो हमें बड़े-बड़े शहरों से निकल कर, छोटे-छोटे शहरों में जाना पड़ेगा, जहां हमारे बहुत सारे माने हुए खिलाड़ी हैं। ऐसा करने से उन्हें आने का अवसर मिलेगा और हमारे देश की मैडल संख्या बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण मांग संख्या कृषि की है। मैं सिर्फ इसके ऊपर बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि समय का अभाव है। इस मांग के ऊपर सदन के सारे सदस्यों ने चिन्ता जताई है। यह मांग है कृषि एवं सहकारिता की। श्री शरद पवार, हमारे कृषि मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा, वह मैं बताना चाहता हूं।

उनका कहना है कि:

[अनुवाद]

> "अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि वस्तु भावी व्यापार की कुल मात्रा 1.29 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 5.71 लाख करोड़ रुपये हो गयी है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत है।"

[हिन्दी]

बहुत अच्छी बात है। वे जब कृषि मंत्री बने थे, तो सारे देश को बहुत उम्मीद थी कि अब कृषि क्षेत्र में विकास होगा, कृषि विकसित होगी, कृषि का निर्यात बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग लगेंगे। पूरे देश को उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि कृषि मंत्री का ध्यान अब कृषि मंत्रालय से हटकर क्रिकेट मैच की तरफ चला गया है,

बी.सी.सी.आई. की तरफ चला गया है। आज उन्हें यह चिन्ता है कि कल के टैस्ट मैच में युवराज सिंह खेलेगा या सौरव गांगुली। जब ऐसा है, तो कृषि विभाग और कृषि मंत्रालय कैसे चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, आपके अपने राज्य, पंजाब में कृषि की क्या हालत है, वह आप जानते ही हैं। वहां छोटे और मझोले किसान जमीन बेचने को मजबूर हैं और भूखों मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। वहां लोग जान दे रहे हैं। वे अपना कर्जा नहीं पटा पा रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री जी को इसकी चिन्ता नहीं है। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, वित्त मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब आपने बजट भाषण दिया था, तो कहा था कि "मैं हूं ना" मैं कहना चाहूंगा कि अगर अब आपकी दिशा गलत हो गई और आप सही दिशा में नहीं गए, तो आपको सही दिशा दिखाने के लिए "हम हैं ना" यही मुझे कहना है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, जो आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन में अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए दूसरी अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, हमारा देश यू.पी.ए. की अध्यक्षा, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी के योग्य दिशा-निर्देश में दिनोंदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। किसी देश की तरक्की का आधार वहां के मनुष्यों के उच्च चरित्र के साथ-साथ उस देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होती है। हमारे देश के वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम जी के कुशल आर्थिक नेतृत्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

महोदय, वर्ष 2005-06 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 48 अनुदान शामिल है। 9079.81 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 1965.13 करोड़ रुपये है और मंत्रालयों तथा विभागों की बचतों द्वारा अथवा बड़ी हुई प्राप्तियों और वसूलियों द्वारा पूरे किये गये सकल व्यय की राशि 7114.08 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 60 लाख रुपये के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है, जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए हैं, जिससे कि नयी सेवा अथवा सेवा के नये मामलों में बचतों का रीएप्रोप्रिएशन किया जा सके।

महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से चुन कर आई हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगिरी स्टेट है और जहां तक प्रदेश के विकास का प्रश्न है, जितने साधन उपलब्ध होते हैं, उनके अनुरूप प्रदेश बराबर वांछित विकास कर रहा है। प्रदेश में ऐसे तो सभी जाति, धर्म एवं वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन देश के अन्य भागों की तरह हिमाचल प्रदेश में जाति-भेद एवं ऊंच-नीच का भेद दिखाई नहीं देता। वहां समान भाव से सभी धर्मों और वर्गों के लोग रहते हैं।

महोदय, हिमाचल प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री, स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सदैव ऋणी रहेगा, जिनकी प्रेरणा से 25 जनवरी, 1971 को प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर सका। प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश के पहाड़ी, शीत मरूस्थल, वनाच्छादित एवं न्यून वाणिज्यिक व कृषि गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर सदैव सहयोग किया जाता रहा है। प्रदेश सरकार अपने पारम्परिक स्रोतों से जितनी आय हो सकती है, उसे प्रदेश के विकास में संलग्न करती रही है, जिसके कारण आज प्रदेश काफी तरक्की कर सका है, लेकिन प्रदेश की विकट भौगोलिक परिस्थितियों एवं अनूठी जलवायु है। प्रदेश की सरहदें एक तरफ तिब्बत से, दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश और चौथी तरफ पंजाब से लगती हैं। प्रदेश के ट्रायबल जिले किन्नौर, लाहौल-स्पीति एवं चम्बा के पांगी व भरमौर मंडलों का सम्पर्क भारी बर्फबारी के कारण वर्ष में छः महीने शेष देश से कटा रहता है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ों में जहां बर्फबारी से लोग परेशान रहते हैं, वहीं प्रदेश के मैदानी भागों में गर्मी से लोग बेहाल रहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश का अनूठा मौसम है।

महोदय, प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बराबर और समान रूप से विकास कार्यों में प्राणपन से जुटी हुई है, लेकिन प्रदेश की विचित्र एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी के मई, 2005 में हुए प्रवास के समय प्रदेश के विशेष विकास हेतु और प्रदेश को देश का सच्चा आदर्श पहाड़ी प्रदेश बनाने हेतु की गई घोषणाओं और प्रदेश की आवश्यकताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इनमें प्रमुख रूप इस प्रकार हैं-प्रदेश के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना, प्रदेश की 6000 छूटी हुई आबादियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, एक लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, चल रही रेल परियोजनाओं हेतु अधिक धन आबंटित करना और सर्वेक्षण की गई नई रेल परियोजनाओं को प्रारम्भ करना। इन सभी कार्यों हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से समय-समय पर बात करती रही है और समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त सभी कार्यों को पूरा करने की प्रार्थना करती रही है। लेकिन अभी तक वांछित परिणाम नहीं

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

निकले हैं, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को शीघ्र पूर्ण सहायता प्रदान करे।

उपर्युक्त के अलावा भी हिमाचल प्रदेश केन्द्र सरकार की ओर से कुछ क्षेत्रों में विशेष बजटीय एवं नीतिगत सपोर्ट एवं सहायता की उम्मीद रखता है। वे क्षेत्र हैं, नागर विमानन के अन्तर्गत कांगड़ा में गग्गल एवं कुल्लू में भुन्तर एयरपोर्ट की हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु नेशनल एयरपोर्ट एथॉरिटी द्वारा पूर्व में दिए गए 30 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त कम से कम 20 करोड़ रुपये और तत्काल स्वीकृति किये जाने की आवश्यकता है, ताकि इन हवाई पट्टियों पर ए.टी.आर. 50 विमान उतर सकें।

हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन को देखते हुए उसे जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर वर्ष 2007 से आगे भी एक्साइज कंसेशन जारी रखने की आवश्यकता है। बद्दी-चंडीगढ़ रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है, इसलिए इस पर आगे शीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे वर्ष 2008 तक यह रेलवे लाइन बनकर पूर्ण हो सके।

प्रधानमंत्री जी द्वारा 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा उनके प्रवास के समय मई, 2005 में की गई थी। उसे 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों के 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने के कारण प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है।

अन्त में मैं रेलवे, पेयजल प्रदाय, रोड कनैक्टिविटी, सिविल एविएशन, वित्त, मानव संसाधन, पर्यटन एवं संस्कृति, योजना, विद्युत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जल संसाधन आदि मंत्रालयों से सम्बन्धित जो अपेक्षाएं माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रदेश सरकार से की गई थीं, उनके सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का एक संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। मेरा आग्रह है कि वांछित कार्रवाई विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की ओर से शीघ्रातिशीघ्र की जाए, ताकि प्रदेश उन्नति कर सके। इसे मेरे भाषण का हिस्सा माना जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं।

*महोदय, राज्य सरकार ने भनुपती-विलासपुर-वेरी रेलवे लाइन को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का अनुरोध किया है तथा इस परियोजना का पूरा खर्चा केन्द्रीय सरकार को उठाना चाहिए। यह परियोजना प्रधान मंत्री जी के विशेष विकास पहल में शामिल है तथा चालू कीमत के अंतर्गत इस पर 1200 करोड़ रुपये कुल खर्चे का आकलन किया गया है। यह मुद्दा राज्यपाल महोदय ने केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री के शिमला के दौरे के दौरान भी उठाया था तथा इस परियोजना को शुरू करने के लिए स्पेशल परपज व्हीक्ल के गठन का अनुरोध किया गया था।

नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन के कार्य को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने चूरड़ टकराला से अम्ब अन्दौरा के भूमि अधिग्रहण कार्य को तेज करके सभी 13 गांवों के लिए धारा 4 की अधिसूचना जारी कर दी है तथा कुल 13 गांवों में से 11 गांवों के लिए धारा 6/7 की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। राज्य के महामहिम राज्यपाल ने केन्द्रीय रेलवे राज्य मंत्री श्री आर. वेलु से गत 22 अक्तूबर, 2005 को शिमला में मीटिंग के दौरान अम्ब तथा तलवाड़ा के बीच बाकी बची सैक्शन को एकमुश्त स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया था जिससे भूमि अधिग्रहण की लागत को कम किया जा सके। रेलवे राज्य मंत्री ने यह सकेत दिया था कि रेलवे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एकमुश्त स्वीकृति प्रदान कर देगा।

कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप आगामी दो सालों में 6030 आंशिक रूप से कवर की गयी बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की जानी है, जिसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि मुहैय्या करवायी जानी चाहिए। इस समय सरकार के पास 1800 बस्तियों को वार्षिक पेयजल उपलब्ध करवाने की मशीनरी तथा प्रशासनिक ढांचा है तथा अतिरिक्त बजट की अस्था में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया जाना है।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह जी की घोषणा के अनुरूप राज्य की 257 पंचायतों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 366 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी है। यह ऐसी पंचायतें हैं जो कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना या किसी भी अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के दायरे में कवर नहीं होती।

कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे को 400 फुट तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सड़क का रूख बदल दिया है तथा बाकी अन्य कठिनाइयों को भी सुलझा लिया गया है ताकि यहां 45 सीट क्षमता का ए.टी.आर. एटर क्राफ्ट उतर सके। भुंतर एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का खर्च आंका गया है तथा इसके लिए वैज्ञानिक शोध कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनायी जा रही है तथा संबंधित मंत्रालय को भेज दी जायेगी।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य के वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए केन्द्रीय मदद उपलब्ध करवायी जायेगी तथा इस पर विस्तृत योजना बनाने के लिए योजना आयोग ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए विस्तृत परियोजनायें मानक संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी हैं इनमें हिमाचल संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी है, डाक्टर वाइ.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन के लिए 13.23 करोड़ रुपये एवं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लिए 13.18 करोड़ रुपये की योजनायें तैयार की है।

राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 करोड़ रुपये लागत की 9 परियोजनायें केन्द्र सरकार को भेजी हैं, जिनमें से तीन परियोजनायें केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर ली हैं।

सतलुज जल विद्युत निगम में राज्य सरकार की हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत बढ़ाने की राज्य सरकार की मांग को केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है तथा सभी भावी परियोजनाओं में भी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

राज्य के जनजातीय लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिलों में दूरदर्शन सुविधा के लिए 20,000 डी.टी.एच. सैट बॉक्स प्रदान करने की केन्द्रीय स्वीकृति राज्य सरकार को प्राप्त हो गयी है।

***श्री मुन्शी राम** (बिजनौर): महोदय, मैं वर्ष 2005-2006 की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी एवं हमारे देश के प्रधान मंत्री देश से भ्रष्टाचार एवं काला धन मिटाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि हम जो भी अनुदान कृषि एवं मिट्टी के तेल के माध्यम से गरीब जनता को देना चाहते हैं, उसका 80 प्रतिशत धन अधिकारियों के माध्यम से काले धन के रूप में चला जाता है। यदि हम वास्तव में अपने देश की गरीब जनता की मदद करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे गरीब लोगों को गरीबी भत्ता एवं बेरोजगारी भत्ते के रूप में सीधे गरीब व्यक्ति को बैंक के माध्यम से देना चाहिए जिससे हमारे देश का धन जो काले धन के रूप में जाना जाता है, वह सीधा सरकुलेशन में आ जायेगा क्योंकि गरीब व्यक्ति उस धन को खर्च करेगा। वह उसे बैंकों में नहीं रखेगा।

किसानों को अनुदान के लिए 1000 करोड़ रुपये का धन जो इस अनुपूरक मांग में रखा गया है, इससे ज्यादा किसान को मजबूत यदि हम बनाना चाहते हैं तो हमें कम से कम ब्याज दर पर किसान को कर्ज देना चाहिए। उसको अपनी फसल बचाने के लिए जो खेती में बिजली का उपयोग किया जाता है, बिजली न मिलने के कारण 35 रुपए प्रति लिटर डीजल के द्वारा किसान अपनी फसल को बचाता है। भारी उद्योग विभाग, ब्रिज एंड रूफ इंडिया लि. की पुनर्संरचना बकाया ऋण एवं ब्याज दंड संबंधी ब्याज को 31.91+30.73 = 62.64 करोड़ रुपये माफ किया जा रहा है। इसी प्रकार बीबीजे कन्सट्रक्शन नि.लि. को पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप आप शून्य प्रतिशत पर ऋण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ऐसा क्यों हैं?।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को मिट्टी का तेल जो मिलावट में जा रहा है, उसके लिए 5750 करोड़ रुपये अनुदान में रखे गये हैं जिसका 80 प्रतिशत काला बाजारी एवं काले धन को उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास वित्त निगम लि. को ब्याज रहित ऋण का प्रावधान रखा गया। यह योजना पूरे देश में क्यों नहीं रखी। पुनः मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

***डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (खजुराहो): अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है, किन्तु देश की हालत ठीक नहीं है। जब धन खर्च होना चाहिए, उसकी प्राथमिकताएं ठीक से तय नहीं की गयीं, उसके परिणाम को काव्य रूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है:

आवाम महंगाई से परेशान है, किसान अपनी लूट से हैरान है,

नवजवानों पर बेरोजगारी मेहरबान है।

व्यापारी पर कानून की तलवार लटकती है और

आपकी अर्थव्यवस्था दलालों की चौखट पर सिर पटकती है।

चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इमानदार का मुंह काला है,

बताइए चिदम्बरम जी, इनका कौन रखवाला है।

जिन्हें रोटी की जरूरत है, रोटी न मिली, जिन्हें बोटी की जरूरत है, बोटी न मिली।

तुम्हारी सियासी तकदीरों को चाटें, नंगे को लंगोटी न मिली।

जोर और जुल्म के होने से शुरू होती है, किसी गरीब के रोने से शुरू होती है,

भस्म होते तख्ते ताउस, जब आग किसी कोने से शुरू होती है।

किसान बीमा की इकाई खेत होना चाहिए जहां नुकसान हुआ है। पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया गया है, खजुराहो में इण्डियन एयरलाइन्स की फ्लाइट बन्द है। सड़कें भी खराब हैं। बुन्देलखंड पिछड़ा हुआ और सुखाग्रस्त है। वहां पर विशेष पैकेज की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

आवश्यकता है। किसान को उसके फसल के लाभकारी मूल्य की व्यवस्था करना आवश्यक है। सब्सिडी फर्टिलाइजर कम्पनियों की जगह किसान को उपलब्ध कराएं तथा सहकारिता में कर्ज पर ब्याज घटायी जाए और राष्ट्रीय बैंकों की बहाली की जाए। 12वें वित्त आयोग की राशि 11वें वित्त आयोग की तरह दी जाए ताकि बड़े कार्य हो सकें।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2005-06 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) का समर्थन कर रहा हूं। मैं दो-तीन क्षेत्रों के संबंध में सुझाव दे रहा हूं। पहला क्षेत्र कृषि है। कृषक समुदाय का 70 प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता है। सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में इसका योगदान 25 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत लोग उद्योग और सेवा क्षेत्र पर निर्भर करते हैं और जीडीपी में इनका योगदान 70 प्रतिशत है। अत: कृषि क्षेत्र को और अधिक राजसहायता तथा बजट की आवश्यकता है। यह हमारी श्रमशक्ति का 65 प्रतिशत है। पिछले दो-तीन वर्षों से देश में हर जगह-यहां तक कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। गांवों में किसानों का आदर नहीं है। उनकी कोई बचत नहीं है। गांवों में विकास नहीं हो रहा। गांवों में कोई अवसंरचना भी नहीं है। शिक्षा या उनके बच्चों की शादी या परिवार में कोई बड़ी बीमारी होने पर उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। यह हमारे देश की स्थिति है। यही कारण है कि पिछले तीन वर्षों में कृषि विकास की दर 1.3 प्रतिशत से भी कम रही है। आप देख सकते है कि वर्ष 1980 से 1996 के दौरान कृषि विकास दर 3.2 प्रतिशत थी। नौंवी पंचवर्षीय योजना में यह घटकर 2 प्रतिशत हो गयी।

रात्रि 8.00 बजे

दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य 4 प्रतिशत था परन्तु पिछले तीन वर्षों में हम 1.5 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। यह बड़ी गंभीर स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कृषि विकास के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है। पर्याप्त वित्तपोषण के बिना और किसानों को राजसहायता दिये बिना हम कृषि विकास की यह दर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं।

दूसरे, मैं नयूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भारत सरकार कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। अत: यदि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं के लिए यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं हैं। पिछले वर्ष के दौरान मिर्च, कपास और तम्बाकू उगाने वाले किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। हमने वाणिज्य मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और सभी संबंधित मंत्रियों को अभ्यावेदन दिया परन्तु अभी तक भारत सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। मिर्च उत्पादकों की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। भारत सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना (एम आई एस) के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है परन्तु आंध्र प्रदेश में यह नहीं हो रहा है। कल तक वहां लगभग 3,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे।

तीसरे, मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसे मैं पहले भी कई अवसरों पर उठा चुका हूं। पिछले वर्ष से माननीय वित्त मंत्री जी प्रति वर्ष 30 प्रतिशत की दर से कर्ज की मात्रा बढ़ा रहे हैं। यह एक अच्छा कदम है लेकिन 20 से भी अधिक बैंकों ने 18 प्रतिशत तक के कर्ज देने के संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया और वित्त मंत्री जी ने इन बैंकरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की हैं। जो भी बैंक इन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिएँ इससे वे भय के कारण इन मार्गनिर्देशों का अनुपालन करेंगे, परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं किया जा रहा। यदि हम कृषि संबंधी स्थायी समिति और वित्तीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदन देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने स्पष्टत: बैंक-वार उन बैंकों की सूची दी है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है।

चौथे, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं। उनके विकास और वित्तीय समर्थन के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम को क्या आबंटन किया गया है? यह 100 करोड़ रुपये से भी कम है। इस सरकार और पिछली सरकार ने इसमें मात्र 5 करोड़ रुपये या 10 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। 50 करोड़ से अधिक की जनसंख्या के लिए मात्र 100 करोड़ रुपये का ही आबंटन किया गया है। देश में इस तरह अन्य पिछड़ा वर्गों का विकास करना कैसे संभव हैं मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है और उनका शिक्षा स्तर भी बहुत कम है। अत: राष्ट्र पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के आबंटन में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की जाए और इसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समतुल्य बनाया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए किया गया आवंटन भी उनकी आबादी के अनुसार है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी आबादी के अनुसार भी नहीं है। यदि शुरू में 1000 करोड़ रुपये

भी दिए जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को 50 करोड़ रुपये या 60 करोड़ रुपये से ज्यादा, नहीं मिलेगा। हर वर्ष हम इस लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे है लेकिन इसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन सुंदर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन पिछले दो वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। मेरे जिले में तथा मेरे जिले से लगे जिलों में भी बहुत से सड़क कार्य रोक दिए गए है। इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अच्छे कार्यक्रम हैं। आजादी के बाद राजग की सरकार ने प्रथम बार यह कार्यक्रम शुरू किया था। और इससे सभी खुश है। लक्ष्य यह था कि इसे उन गांवों में क्रियान्वित किया जाएगा जहां की आबादी 1000 से ज्यादा है तथा इसके दूसरे चरण में उन गांवों को सम्मिलित किया जाएगा जिनकी संख्या 500 से ठपर है। यह अच्छी योजना है और बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए हमें अधिक धन उपलब्ध कराना होगा।

इस बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत शामिल कर लिया है लेकिन यह योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है और दिसम्बर का महीना आ चुका है। भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं शुरू करती है लेकिन प्रक्रिया संबंधी बहुत सारी अल्पकालिक बाधाओं के कारण ये योजनाओं समय पर शुरू नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए कृषि के क्षेत्र में 10 योजनाएं 10वीं योजना के दौरान अनुमोदित की गई थी लेकिन केवल तीन का क्रियान्वयन हो रहा है।

किसी नई योजना को शुरू करने का अर्थ होता है एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना, ई.एफ.सी., अनुमोदन और मंत्रिमंडल को भेजे जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना। दसवीं योजना के लगभग 3 वर्ष समाप्त हो गए है। अब हमारे पास केवल दो वर्ष बचे है। कृषि मंत्रालय की 10 योजनाओं में से केवल तीन योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। ऐसा प्रत्येक मंत्रालय में हो रहा है। सदन में सरकार द्वारा योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है लेकिन उन्हें शुरू नहीं किया जाता और पैसा खर्च नहीं हो पाता है। प्रत्येक मंत्रालय में ऐसा हो रहा है। इन योजनाओं को ई.एफ.सी. समिति आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति आदि को भेजने के बदले माननीय मंत्री को प्रक्रिया के सरलीकरण पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप योजनाओं को अनुमोदन के लिए नई समितियों के पास भेजते है तो इसमें स्वाभाविक रूप से विलम्ब हो जाता है और योजना का अंतिम उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री को स्वयं इन योजनाओं के बारे में देखना होगा कि ये योजनाएं क्यों नहीं शुरू हो पा रही है। एक बार यदि सदन में योजना की घोषणा कर दी जाती है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका क्रियान्वयन उचित ढंग से हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हूं और इसका कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिए इन अनुदानों की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु पांच मिनट बोल चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी पांच मिनट से ज्यादा का समय न लें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय हम बहुत ही अनुशासित सदस्य हैं।

प्रो. एम. रामदास: कई सदस्यों ने, जिसमें श्री स्वाईं जी सम्मिलित हैं, बड़े-बड़े मुद्दे उठाये है और बाद में शिकायत की कि अनुपूरक बजट में उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। श्री स्वाईं द्वारा उठाये गए कई प्रश्नों में से एक बयान पर मैं आश्चर्य चकित रह गया जिसे उन्होंने 'इंडिया टुडे' नामक पत्रिका से उद्धृत किया था। उन्होंने कहा कि इस देश के पांच या छः महान अर्थशास्त्रियों ने कुछ कहा है और उन्होंने उनका नाम भी पढ़ा। मैं भी अर्थशास्त्र का प्राध्यापक हूं लेकिन जिन नामों का उन्होंने उल्लेख किया है, मैंने उन्हें कभी नहीं सुना।

उनके द्वारा कहा गया कि उन लोगों ने कहा है कि इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि एक राष्ट्रीय पत्रिका यह कैसे कहती है कि संप्रग सरकार के शासन काल में कुछ नहीं हो रहा है जबकि सरकार बजट के माध्यम से 5,14,344 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद कोई सरकार बिना किसी गतिविधि के बेकार कैसे बैठी रह सकती है? चूंकि वे स्वयं इस बात से सहमत है कि वर्ष 2005-06 के प्रथम अर्द्धवार्षिकी में भारत की अर्थव्यवस्था में 8.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। क्या ऐसा बिना किसी क्रियाकलाप को अंजाम दिए हो सकता है?

दूसरी बात उन्होंने कही कि आर्थिक सुधार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए थे और इसे वर्तमान सरकार ने नहीं किया है। सरकारें आती रहेगी और जाती रहेगी लेकिन आर्थिक नीतियां सदैव चलती रहेगी। केवल एक अंतर है। राजग के शासन काल में इन आर्थिक सुधारों में मानवीय पहलू नहीं था। विकास रहित एक प्रक्रिया शुरू की गई थी और यह एक अवास्तविक विकास था जो

[प्रो. एम. रामदास]

राजग सरकार द्वारा हुआ। लेकिन अब एक ऐसी सरकार है जिसने न केवल प्रथम चरण के सुधारों को पूरा किया है बल्कि दूसरे चरण के सुधारों को भी मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है।

यही कारण है कि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने कई सामाजिक नीतियों की घोषणा की है। उनमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, भारत निर्माण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। ये और अन्य बहुत सारी योजनाएं गरीब लोगों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। इसलिए सरकार को आर्थिक सुधारों तथा लोगों के बीच एक समझौता करना पड़ रहा है।

एक दूसरे सदस्य ने कहा कि इस सरकार में बजटीय प्रक्रिया एक नौकरशाही प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: इस चर्चा का जवाब माननीय मंत्री द्वारा दिया जाएगा। आपसे माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने की उपेक्षा नहीं की जाती है। आप अपने विषय पर ही बोलिए।

प्रो. एम. रामदास: जी हां।

बजटीय सुधार के संबंध में उन्होंने कहा कि यह मात्र नौकरशाहों का काम रह गया है। मैं नहीं जानता कि कैसे यह मात्र नौकरशाही कार्य रह गया है। ऐसा राजग के साथ में हुआ होगा जब एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो वित्त मंत्री थे, ने ऐसा किया होगा। लेकिन आज एक ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्हें वित्त के व्यावसायिक प्रबंधन की उत्तम जानकारी हैं। यही कारण है कि उन्होंने बजट बनाते समय कई नई बातों का समावेश किया है।

क्या आपने भारत के इतिहास में किसी ऐसे वित्त मंत्री का नाम सुना है जो परिणामों के बजट की बात करता है न कि परिव्यय बजट की? क्या आपने ऐसे वित्त मंत्री देखे है जिसने तुलना करके बताया हो कि हमने पूर्व वर्ष में क्या घोषणा की थी और कितना प्राप्त किया है? पिछले बजट में उन्होंने 64 घोषणाएं की थीं जिसमें से 28 का क्रियान्वयन किया गया है। 24 पर कार्रवाई शुरू की गई है और केवल 10 के मामले में कार्रवाई शुरू की जा रही है। बहुत-सी उपलब्धियां हासिल की जाएंगी।

आज ऐसे वित मंत्री हैं जिन्होंने मध्यावधि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। सामान्यत: आर्थिक सर्वेक्षण तब होता है जब एक पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आज हमारे सामने एक मध्यावधि आर्थिक सर्वेक्षण भी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग का मतलब लम्बी अवधि के उपायों पर चर्चा करने से नहीं है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों की बात तब होती है जब कुछ ऐसे मद पर खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है या कुछ क्रियाकलापों पर खर्च वहन के लिए पैसे की जरूरत होती होती जिनका बजट निर्माण के समय हम नहीं अनुमान कर पाते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से देखने पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि कुल 9,079 करोड़ रुपये में से मात्र 1965 करोड़ रुपये नकदी के रूप में दिया जाएगा जबकि शेष राशि मंत्रालय द्वारा स्वयं बचत करके पूरी की जाएगी जिसका मतलब है कि वित्त मंत्रालय अपनी निधियों से ज्यादा खर्च वहन कर रहा है और विभिन्न स्रोतों तथा निधियों को विभिन्न योजनाओं पर लगा रहा है। इसलिए, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसकी सराहना करनी चाहिए।

इसके साथ ही, मैं केवल दो या तीन बातें, जो मेरे दिमाग में हैं, वित्त मंत्री के समक्ष रखना चाहूंगा। प्रथम, कुल अनुपूरक बजट का 90 प्रतिशत गैर-योजना मद में खर्च होता है जबकि पिछले वर्ष ऐसा नहीं था और 60 प्रतिशत योजना व्यय पर तथा 40 प्रतिशत गैर-योजना मद पर खर्च किया गया था। यही अच्छी प्रवृति नहीं है। कुल 9080 करोड़ रुपये में से कुल राजसहायता तथा सहायता का हिस्सा 81.5 प्रतिशत था जो 7403 करोड़ रुपये होता है। मैं नहीं जानता कि यह उन आर्थिक सुधारों के अनुरूप है या नहीं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर ही 5750 करोड़ रुपये खर्च हो जायेगे, उर्वरक पर 1000 करोड़ रुपये, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के पुनरूद्धार पर 293 करोड़ रुपये, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन पर 104 करोड़ रुपये, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया पर, 256 करोड़ रुपये खर्च होगे। कुल मिलाकर 7403 करोड़ रुपये, अर्थात 81.5 प्रतिशत राजसहायता और सहायता पर खर्च हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन पर 685 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एस.ए.एस.एफ. के लिए आई.डी.बी.आई. पर 250 करोड़ रुपये, और आई.एम.एफ. के मूल्यांकन समायोजन पर 243 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसलिए, परिव्यय का ढांचा उन आर्थिक सुधारों के अनुरूप नहीं लगता जो आर्थिक सुधार हम कर रहे हैं।

इसलिए, पहली समस्या है कि इस वर्ष मिट्टी के तेल पर राजसहायता लगभग 15,182 करोड़ रुपये होगी।

यद्यपि इसमें वृद्धि तेल की अधिक कीमतों के कारण है, क्या सरकार तेल की कीमतों में विश्वव्यापी बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में आगामी वर्षों में कुल राजसहायता को कम करने की दिशा में कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है?

दूसरी बात यह कि, पुनरूद्धार, पुर्नगठन लेखा। समायोजन तथा प्रचलित ब्याज की माफी, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बकाया राशि

तथा इस वर्ष के लिए इन उद्यमों हेतु कुल सहायता, 293 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों सहित 1231 करोड़ रुपये है। क्या इसके लिए कोई ऐसी समय सीमा है, जिसके अंतर्गत सरकार यह अपेक्षा रखती है कि ये उद्यम अपना घाटा पूरा कर लेगें? इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी?

तीसरी बात यह कि सरकार ने गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया हैमैं नहीं समझता कि यह राशि पर्याप्त है। हाल में तमिलनाडु अत्यधिक बारिश, तूफान और दूसरी आपदाओं का शिकार हुआ है। पांडिचेरी की भी यही हालत है। अब, 200 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? इस राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अंत में, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने तथा अतिरिक्त अंशधारिता के लिए 694 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है। फरवरी से आज तक की स्थिति में ऐसा क्या अंतर आ गया है कि इन आवश्यकताओं को मूल बजट तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा गया? अनुपूरक बजट के बारे में मेरे यही विचार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: श्री सिद्धार्थ रे, टाटा ग्रुप के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इसी तरह राजीव गांधी संस्थान से विवेक देबराय तथा सी आर आई एस आई एल से श्री सुनील गोकर्ण प्रमुख अर्थशास्त्री है। मुझे अचम्भा है कि वह इन लोगों को नहीं मानते।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. करूणाकरण, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यद्यपि आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय पूरा हो गया है, मैं केवल इस शर्त पर बोलने का मौका दे सकता हूं कि आप दो मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस चर्चा को इतने अधिक धैर्य के साथ सुना इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे पास दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि आर्थिक पुनरीक्षा तथा मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट पहुंच चुकी हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। वित्त मंत्री द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें इस वर्ष की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत दिखायी गयी है। मैं आंकड़े वास्तव में देश की प्रगति की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन साथ ही, जब हम अलग-अलग क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कई क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन न तो संतोषजनक है और न ही वांछित स्तर का है।

वर्ष 2005-2006 के बजट में हमारा लक्ष्य 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाये रखना है। हमने गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी, औद्योगिक और कृषि संबंधी वृद्धि जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। मैं इस बात से सहमत हूं कि निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यह भी बताया जा रहा है कि मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में कमी आयी है। कुछ क्षेत्रों में, हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। जब हम यह कहते हैं कि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है तो यह बात आम आदमी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में सच नहीं दिख पड़ती। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर 5.7 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत रह गयी है। पर इसके विपरीत पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं अथवा परियोजनाओं और उसके द्वारा उठाये गये प्रशासनिक कदमों से लोगों के सकारात्मक कार्यक्रमों की अपेक्षाओं और अनुभवों के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

हम कृषि के बारे में बहुत बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि लगभग सभी सदस्यों ने कृषि के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि चावल का उत्पादन 88.28 मिलियन टन से घटकर 85.31 मिलियन टन पर आ गया है। चावल के उत्पादन में यह एक भारी कमी है। गेहूं तथा दूसरे कृषि उत्पादों का भी यही हाल है।

केरल तथा कई दूसरे राज्यों में हमने देखा है कि इस साल बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या की गयी है। मैं नहीं समझता कि ये आत्महत्याएं केवल खराब मौसम के कारण की गयी हैं। इनके पीछे प्रमुख कारण सरकार द्वारा अपनायी गयी आयात नीति है। मैंने स्वयं इस सभी के समक्ष केरल के उन किसानों की स्थिति को रखा है जो काली मिर्च, इलायची, रबड़, चाय तथा सुपारी की खेती करते हैं। अकेले केरल में ही 1300 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आंध्र प्रदेश में तो आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 7000 के आस पास है। यही बात कई दूसरे राज्यों के बारे में भी सच है। यही उचित समय है जब सरकार को अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए कि किस तरह इन नीतियों के चलते नुकसान पहुंचा है। लोगों की दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी में इन नीतियों की क्या भूमिका रही है?

एक और बात औद्योगिक पक्ष से संबंधित है मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। कैयर, काजू, हथकरघा बीड़ी तथा मत्स्यन जैसे उद्योगों में लगभग 40 लाख लोग कार्य कर रहे हैं। यह सच है कि इसके लिए राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ केन्द्र सरकार को भी इसे प्रोत्साहित करने तथा कार्यकारी पूंजी जुटाने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। यह कहा जाता है कि वस्त्र उद्योग में बहुत

[श्री पी. करुणाकरन]

तरक्की हुई है। यह सच भी है कि वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन इसके साथ ही, हमारे देश में हजारों मिल बंद हो गयी हैं। हजारों श्रमिकों को मिलों से निकाल दिया गया है। हमने जो नीति अपनायी है उसके बारे में यह देखना है कि कैसे यह नीति आम आदमी अर्थात कृषक श्रमिकों की जिन्दगी में खुशहाली लाती हैं।

एक और बात यह है कि हमने सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को महत्व नहीं दिया है। इसे केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि नागरिय उड्डयन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार को इस मुद्दे पर पुन: विचार करना चाहिए। अब केवल दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

जहां तक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का प्रश्न है, उसमें बताया गया है कि केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या केवल सात प्रतिशत है। यह बहुत ही गलत आकलन है। लेकिन केरल में किये गये इस तरह के दूसरे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या करीब 37 प्रतिशत है। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण की वजह से केरल को कोई ऐसी योजनाओं से वंचित होना पड़ता है जिन्हें दूसरे राज्यों में चलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, केरल में पीयूआरए (पूरा) योजना को शामिल नहीं किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम को केरल में नहीं चलाया जा रहा है। केरल के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए भी (पी आर वाई) निधियां बहुत कम रखी गयी हैं। अत: वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह केरल की वास्तविक स्थिति को देखे।

अपने पिछले बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में अब किसी भी छात्र को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक तथा दूसरे बैंक ऋण देने को तैयार हो गये हैं। मेरा अपना अनुभव है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गये पत्र के बावजूद बैंक किसी न किसी कारण के आधार पर निर्धन छात्रों को ऋण देने से मना कर देते है। इसी कारण त्रिवेन्द्रम की रजनी, कालीकट की फसीला, कर्नाटक की ममता तथा कई दूसरे छात्रों आत्महत्या कर ली।

कृषि क्षेत्र के बारे में भी यही बात सच है। मैं कृषकों को ऋण देने के बारे में वित्त मंत्री के रूख की सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही, हमारे किसान जब बैंक में ऋण के लिए जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी आधार पर ऋण देने से मना कर दिया जाता है।

मुझे केवल दो बातें कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी. करूणाकरन: ठीक है, मैं अंतिम बात का उल्लेख करना चाहूंगा। यह कानून बनाने से संबंधित है। जहां तक केरल का संबंध है-यह केवल केरल से ही नहीं अपितु पूरे देश से संबंधित है-लोग अप्रवासी भारतीय के रूप में बाहर जाते हैं। अत: सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा कानून बनाये जिससे इन लोगों को मतदान का अधिकार दिया जा सके। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में एक व्यापक कानून बनाये क्योंकि ये अप्रवासी भारतीय हमारे देश की प्रगति में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। अत: उनकी बात इस देश में सुनी जानी चाहिए। हमारे यहां के लोग वहां बेरोजगारी के कारण जाते हैं। यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दु:खद बात है। वे विदेशों में तो जाते ही हैं महिलाएं भी विदेशों में रोजी-रोटी की तलाश में जाती हैं। महिलाएं घरेलू नौकरानी के रूप में भी कार्य करने के लिए जाती है। हम आये दिन मीडिया में इस आशय की खबरें देखते रहते है कि कैसे इन महिलाओं के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं इन शब्दों को नहीं कहना चाहूंगा कि वहां उनकी अस्मिता ही दांव पर लग जाती है।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि फिलीस्तीन ने एक मॉडल कानून बनाया। यह एकमात्र देश है जिसने विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सख्त कानून बनाया है। अब श्रीलंका ने भी इसी तरह का कानून बनाया है। मेरा भारत सरकार से भी अनुरोध है कि वह भी इसी तरह का कानून बनाये ताकि प्रायोजक का नाम राजदूतावासों में रखे रजिस्टरों में दर्ज हो और वहां श्रमिकों से संबंधित पूरी जानकारी भी उपलब्ध हो ताकि हम विदेश में रहने वाले अपने श्रमिकों की रक्षा कर सकें। यह हमारा दायित्व है, हमारी सरकार का दायित्व है कि वह इस तरह का कानून बनाये। अत: मैं इस विषय को सरकार के समक्ष रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जनरल बजट की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, जब इन्होंने पिछला बजट पेश किया था तो बड़े

आत्मविश्वास से, बड़ी चतुराई से ऐसा बजट दिखाने की कोशिश की थी कि जैसे देश एक वर्ष में खुशहाल हो जाएगा। "भारत निर्माण" नाम इतना बड़ा है और ऐसा नाम चुनकर दिया कि जैसे भारत का नव निर्माण हो जाएगा। पता नहीं अधिकारी लोग एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर आंकड़े प्लस-माइनस करके, इधर से उधर करके किस प्रकार की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। यह ठीक है कि हमारा देश गांवों में बसता है। हमारी अर्थव्यवस्था गांवों पर निर्भर करती है। गांवों में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं, जिनमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और कारीगर भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी स्थिति में खासतौर पर आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? पिछले वर्ष किसानों को जो भाव मिला और उसके पिछले साल यानी दो साल पहले जो भाव मिला, क्या मंत्री जी को उसकी जानकारी है? आज धान की फसल बाजार में है। पिछले साल धान 1700-1800 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, क्या आज 600-700 रुपए में नहीं बिक रहा है। एक-एक क्विंटल पर एक-एक हजार-हजार रुपए का अंतर आ रहा है। किसान पिट रहा है और आप कह रहे हैं किसान बड़ा खुशहाल है। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइज की बात करते हैं कि पिछली बार की इस सरकार ने 15 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत में मिनिमम सपोर्ट प्राइज बढ़ा दिया, गेहूं पर 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। क्या 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर बड़ा तीर मार लिया और वह भी परमल किस्म के धान की कीमत आपने बढ़ायी । देश में 90 प्रतिशत उत्पादन दूसरे किस्म के धान को होता है। 13 रुपए बढ़ाकर हजार रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है और यह सरकार वाहवाही लूट रही है। जब किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान का जब तक भला नहीं होगा, जब तक किसान को न्यूनतम सपोर्ट मूल्य की बजाए उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, आपने नया न्यूनतम सपोर्ट प्राइज लिख दिया, वह भी बहुत लिमिटेड है, जब तक न्यूनतम लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। यहां जितने माननीय सदस्य हाउस में हैं, उनमें से कोई भी संसद सदस्य बगैर किसानों की मदद के चुनाव जीतकर इस हाउस में नहीं आ सकता। सब को किसानों से हमदर्दी हैं, सब अपनी-अपनी समस्याएं रखते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 50-60 सालों से हर आदमी, हर सरकार किसानों की बात करती है, लेकिन किसान पिसता जा रहा है। सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने इस विषय में कहा है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। पंजाब जैसे प्रांत में कितने सुसाइड हो रहे हैं? किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए-बिजली सस्ती मिले, किसान को पानी चाहिए, किसान को सस्ते बीज और पेस्टीसाइड चाहिए और बाजार में उसको अच्छा भाव चाहिए। इन चार चीजों को सरकार किसानों को नहीं दे सकी और यहां वाहवाही लूटते हैं कि हमने किसानों के लिए यह कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष आपने बजट पेश किया और आज तक क्या मंहगाई नहीं बढ़ी है? क्या गैस, डीजल, ईंट, कोयला, दवाइयों के दाम नहीं बढ़े हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 30 से 35 प्रतिशत के लगभग हर वस्तु के दाम बढ़े हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह गरीबों की सरकार है? गरीबों को नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अटल जी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा भी है, क्या उस पर काम कम नहीं हो गया है? सभी नदियों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट फ्लड के इलाज के लिए सूखे के इलाज के लिए बनाया गया था, क्या उस योजना को ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया गया है? तो कैसे यह भारत का निर्माण करेंगे? क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि गांवों में रहने वाले रूरल आर्टीजन जैसे-खाति, कुम्हार, लुहार, जुलाहे, चमार और धोबी आदि हैं, क्या वे बेरोजगार नहीं होते जा रहे हैं? उनके बारे में क्या किया जा रहा है? आंकड़ों का खेल चल रहा है। जरा, प्लस-माइनस कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को भूल जाते हैं। जब तक ग्राउंड रियलिटी पर नहीं जाएंगे, तब तक न किसान खुशहाल होगा, न गरीब खुशहाल होगा और न देश का विकास होगा और न भारत का निर्माण होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसानों के लिए, गांवों के लिए आमदनी का दूसरा साधन पशुधन का पालन होता है। माननीय मंत्री जी आंकड़े बता रहे हैं कि सन् 1952 में एक हजार व्यक्ति के पीछे 452 पशुधन था और अब सन् 2000 में एक हजार के पीछे केवल 188 की संख्या रह गयी है। साधारण लोगों की आमदनी कम हो गई है। पहले पशु धन से कुछ लोग गुजारा करते थे। आप किस दृष्टि से कह रहे हैं कि लोग खुशहाल हो रहे हैं? कृषि मूल्य आयोग में कितने किसानों के प्रतिनिधि हैं? अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठ कर उनके भाव तय करते हैं? उनको मालूम नहीं होता कि किसानों को किस मजबूरी में काम करना पड़ता है। उनका सारा परिवार इस काम में लग जाता है। वे अपनी फसलों को रात में पानी देते हैं। उन्हें बिजली और खाद मंहगी मिलती है। वे जब बीज खरीदते हैं तो वह मंहगा मिलता है। उसकी फसल मार्किट में आने पर उसके भाव गिर जाते हैं। कृषि मूल्य आयोग में गांव के किसानों के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो उन्हें इंसाफ मिलेगा? मेरा सुझाव है कि उसमें किसानों के प्रतिनिधि रखे जाएं।

आप जब सपोर्ट प्राइस तय करते हैं तो सब चीजों का ध्यान रखते हुए उसे तय करें। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाए। सपोर्ट प्राइस से किसी का पेट नहीं भरता है। फसल बोने से पहले उसके भाव तय किए जाएं। इससे न अर्थव्यवस्था जुड़ी है और न ही बजट जुड़ा है। अगर आप सारा हिसाब लगा कर किसान की फसल के भाव तय करेंगे कि फला-

[श्री किशन सिंह सांगवान]

फलां फसल का इतना रेट होगा तो किसान दिमागी तौर पर तैयार हो जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि उसे भाव ठीक मिलेगा या नहीं, वह उसकी काश्त करे या नहीं? वह अपनी मर्जी से काश्त करेगा। उससे फलों के डाइवर्सिफिकेशन का परपज भी हल हो जाएगा। इसलिए फसल बोने से पहले उनके प्राइस तय हो ताकि किसान लूटा न जाए। वही अपनी मन-मर्जी से मानसिकता बना कर अमल कर सके। इतना कहते हुए, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धंधुका): महोदय, 2005-2006 की अनुदानों की पूरक मांगों पर मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी जो धनराशि मांग रहे हैं, उसका उचित उपयोग होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा के लिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान एवं भाभा परमाणु अनुसंधान के लिए 1.10 करोड़ धनराशि की मांग की गयी है। हम सभी जानते हैं कि आज परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिक बढ़ गया है। पहले से उत्पन्न हो रही ऊर्जा हो या अन्य स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न की जाये वह अत्यधिक महंगी पड़ती है, इसलिए भिन्न-भिन्न खोजों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना एक महत्व का काम रहा है और उसके लिए मंत्री जी ने जो मांग की है, वह सराहनीय है।

उसी तरह उर्वरक सब्सिडी के लिए भी अनुदान की मांग की गयी है। लेकिन इस सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिलता है। लेकिन थोक व्यापारी एवं उद्योगों के लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। बड़े-बड़े मुनाफाखोर इसका लाभ ले लेते हैं और किसान वहीं का वहीं रहता है। कभी-कभी उचित दाम पर भी घटिया कक्षा का उर्वरक मिलता है। खेत भी बिगड़ता है, फसल भी बिगड़ती है और किसान का वर्ष भी बिगड़ता है। लेकिन आज तक किसी घटिया उर्वरक देने वाले को कोई सजा नहीं हुई है। मा. मंत्री जी स्वेदशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी, आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी, आयातित उर्वरक और नाइट्रोजन उर्वरक पर सब्सिडी देना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसका लाभ सही रूप में किसान को मिलेगा।

मा. मंत्री जी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन प्रत्येक राज्य में महत्व का स्थान रखता है, उसको मजबूत रखना होगा। उसके जो पेंडिंग केसिस हैं, उनको जल्दी निपटाकर जो धनराशि मांगी गयी है, उसके द्वारा राज्यों को भी दिया जायेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। मद 31 में संयुक्त राष्ट्र की प्रजातंत्र निधि को अंशदान देने हेतु 40 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का मौका मिला। भिन्न-भिन्न उद्देश्य के लिए जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, वूमैन डेवलपमेंट, रिव्हिलेशन, ह्यूमेन राइट्स, यूनीसेफ इत्यादि एकम को आर्थिक सहयोग देने के लिए जो धनराशि भारत सरकार की ओर से यूएनओ को प्रदान करनी है उसकी घोषणा करने का सबसे पहले मुझे प्रतिनिधि के नाते मौका मिला। जब मैंने घोषणा पूरी की तब अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भारत को अभिनंदन दिया एवं सराहना की।

मद 36 में राज्य सरकारों को कठोर किस्म की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता के लिए 200 करोड़ की मांग मा. मंत्री जी ने की है। सभापति महोदय, पूरा देश जानता है कि अंतिम 5 साल में गुजरात में कुदरती आपदा की चपेट में आता रहा है। पहले दरियायी तूफान बाद में भूकंप फिर अतिवृष्टि और नदियों में बाढ़ आयी। अनेक लोग मौत के घाट उतर गये। लोग बेघर हो गये। कई बच्चे अनाथ हो गये। लोगों के लिए ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं। ऐसे समय में दुनिया से भी मदद मिली। उस समय भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की घोषणा की गयी। इतना ही नहीं मा. प्रधान मंत्री जी ने भी घोषणा की। लेकिन आज तक पूर्णरूपेण जो आर्थिक सहयोग करना था वह नहीं हुआ है। गुजरात सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभायी है। कच्छ के अंदर पुर्नवास का काम लगभग पूरा होने को आया है। एनजीओ ने अच्छा सहयोग दिया है और लोगों के तन मन धन से सेवा की है। लेकिन भारत सरकार की ओर आज भी गुजरात के लोग उम्मीद करके बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि मा. वित्त मंत्री जी शीघ्र ही भारत सरकार का वादा पूरा करेंगे।

मद 75 में ससंद भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के पुन: सुधार पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 19.44 करोड़ की मांग की गयी है। यह ठीक काम हो रहा है। संसद भवन पूरे देश की शान है आन है और यहां सुरक्षा में कोई भी कमी रहेगी और दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना घटित होती है तो सभी के लिए यह शर्म की बात बन जाती है। इसलिए जितनी हो सके उतनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए और हर कदम पर निगरानी रखनी चाहिए। आज के दिन संसद भवन की सुरक्षा के लिए जिन कर्मचारियों ने अपनी आहूति दी है उन्हें भी नतमस्तक प्रणाम करता हूं।

महोदय, मद 92 में एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये मांगे हैं। हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 27.6 करोड़ रुपये मांगे हैं, महात्मा गांधी बुनकर योजना के लिए 7.50 करोड़ योजना के कार्यान्वयन के लिए मांगा गया है। इतनी सारी धनराशि खर्च होने के बाद भी आज बुनकरों की क्या स्थिति है। उनको रहने के लिए मकान नहीं

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। अपने बालकों को ठीक तरह से पढ़ाई नहीं करवा सकते। आज भी वे मजदूरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनका जो बुनकर का व्यवसाय था, वह आज अन्य लोगों ने ले लिया है। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज वाले हथकरघा चला रहे हैं। उनको बुनाई के ठीक दाम भी नहीं दे रहे हैं। पूरे दिन अपने हाथों से हथरकघा चलाते चलाते वे थक जाते हैं फिर भी शाम को 50-60 रुपये से ज्यादा रोजगारी नहीं मिलती। सरकार की ओर से अच्छी-अच्छी योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उनका लाभ उन तक सीधा नहीं पहुंचता। इसलिए मा. मंत्री जी से निवेदन है कि इन योजनाओं की मॉनीटरिंग की जाये और समय-समय पर इसकी जांच की जाये कि इससे बुनकर ही लाभान्वित होते हैं या अन्य कोई और?

इसी मद में सीसीआई की मूल्य समर्थन अभियान के कारण कपास की खरीद पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए धनराशि मांगी गयी है। लेकिन सही समय पर सही स्थान पर सीसीआई के द्वारा कॉटन की खरीद नहीं होती। हम बार-बार सीसीआई को विनती करते हैं कि अमुक स्थान पर परचेज सेंटर खोले जाये लेकिन यह मांग बहुत आखिर में मान्य होती है। तब तक किसान मुनाफाखोर लोगों के हाथों बिक गया होता है। क्योंकि वे अपना कॉटन से भरा ट्रैक्टर लेकर दर-दर ठोकर खाकर उसे इन लोगों के हवाले जाना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सीसीआई के द्वारा उचित समय में उचित स्थानों पर परचेज सेंटर खोले जाये।

साबरमती आश्रम ट्रस्ट को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ की मांग की गयी है। सहायता दी जा रही है वह सराहनीय है लेकिन परम पू. महात्मा गांधी ने यह गांधी आश्रम जिन दलित और पिछड़े लोगों के लिए बनाया था, वो आज कहां हैं। आज उनका कोई स्थान नहीं रहा। लेकिन इन आश्रम पर अन्य लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं आश्रम की भूमि जो दलितों को देनी चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को देनी चाहिए उसके स्थान पर बिल्डरों को दी जा रही है। कोऑपरेटिव सोसायटियों को दी जा रही है। लेकिन दलित कहीं नहीं हैं। यह भी जांच का विषय है।

महोदय, आईसीडीएस के अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना को दाखिल करने के लिए धनराशि की मांग की गयी है। मेरी दृष्टि से इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि किशोरी को उचित न्याय मिल सके आज हम सब समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि लड़की की हत्या जन्म लेने के पहले माता के पेट में ही की जाती है। वह दुनिया का मुंह देखने से पहले ही दुनिया से विदा हो जाती है। इसलिए ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि मां हंसते हंसते बेटी को जन्म दे और पिता अपनी लाडली को बड़ा करके पढ़ाये लिखाये। इसके साथ-साथ अनसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश पढ़ाई के लिए विशेष सहायता देनी चाहिए। अन्य समाज के हजारों विद्यार्थी आज विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। गुजरात ने अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश भेजने का उचित कदम उठाया है। प्रत्येक वर्ष 40 से 50 विद्यार्थी विदेश जा रहे हैं। मेरी मांग है भारत सरकार की ओर से इन योजनाओं में गुजरात सरकार को अधिक आर्थिक सहायता दी जाये।

मा. मंत्री जी पंचायत सशक्तीकरण प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मांगी है। इन सब योजनाओं का सही रूप में कार्यान्वयन हो और रुपये का सही-उपयोग हो, इसके लिए ब्लॉक लेबल पर कोई कमेटी बननी चाहिए ऐसी मेरी मांग है। महोदय, मा. मंत्री जी ने विश्वविद्यालय एवं कालेजों में खेल कूद को प्रोत्साहन देने हेतु 1.50 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके साथ-साथ विद्यालयों में खेल आधारित ढांचा सृजन के लिए अनुदान मांगा है, जो सराहनीय है। लेकिन मैं सदन का ध्यान युवाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा युवा वर्ग पढ़ा लिखा है। मजबूत है। सन्नकट एवं संस्कारी है। लेकिन क्या उसे उचित मौका मिला है। वह भी खेल-कूद में दुनिया की तरह देश को नंबर वन बनाना चाहता है। लेकिन स्कूल कालेज में खेल के लिए मैदान नहीं है। जिम्नास्टिक की व्यवस्था नहीं है। आधुनिक जो उपकरण निकले हैं वे संस्था स्थापित नहीं करती। परिणामस्वरूप युवाओं में जो प्रतिभा है वे उसे बाहर दिखा नहीं सकते। परिणामस्वरूप युवा निराश होकर परेशान होकर कभी-कभी अपनी राह बदल देता है। जो इस देश की पूंजी थी वो इस देश के लिए कभी सिरदर्द बन जाती है। इसलिए मा. मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि खेल-कूद और शिक्षा के बारे में स्कूल, विद्यालय, कालेज एवं यूनीवर्सिटी को अनुदान खुले हाथों से दिया जाये और उसे पूर्ण रूप से मदद की जाये।

महोदय, एनडीए के समय दिल्ली में एनआरआई सम्मेलन हुआ। विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों के चेहरे पर नूर था उत्साह था और वे खुशहाल थे क्योंकि उन सभी के मुंह से एक ही आवाज निकलती थी कि यदि इसी तरह भारत का विकास होता रहेगा तो रोड, पानी टेलीफोन, रेलवे और दूसरी सुविधा बढ़ती रहेगी तो हमें जल्दी से जल्दी स्वेदश वापिस लौटना पड़ेगा। लेकिन आज एनडीए के समय में शुरू किये गये काम ठंडे बस्ते में डाल दिये गये हैं। और यूपीए में वामपंथी साथी कभी हां कभी ना कहते हैं और मा. मंत्री जी अपने वक्तव्य में कहते हैं हर काम के लिए, मैं हूं ना। देश की जनता के, दिल ने फिर याद किया, है और कहते हैं, एनडीए को मैं न भूलूंगा।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

इसलिए अंत में मा. मंत्री जी को मैं यही कहूंगा कि
किसानों को सब्सिडी, जवानों को रोजगार,
बालकों को पौष्टिक आहार, महिलाओं का रक्षण
दलितों को शिक्षा, विदेश में अभ्यास,
स्कूल कालेजों को खेलकूद, राज्यों को आपदा में हर तरह का सहयोग,
मुनाफाखोर और काला बाजार का हर तरह का विरोध
कॉटन की खरीद, फसल का उचित दाम, किसानों को ऋण मुक्ति
भारत विकास के लिए उचित युक्ति, गांवों का हो विकास,
आतंकवादी और गद्दारों का हो विनाश,
मा. मंत्री जी से रखता हूं इतनी आस,
मौका मिला है तो काम करके दिखाओ कुछ खास।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा समाप्त हुई और माननीय मंत्री जी कल इस बारे में उत्तर देंगे।

अब सभा कल 15 दिसम्बर, 2005 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.32 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 15 दिसम्बर, 2006/ 24 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री रायापति सांबासिवा राव	302
2.	श्री बालासाहिब विखे पाटील श्री राकेश सिंह	303
3.	श्री ब्रजेश पाठक	304
4.	श्री अनंत कुमार	305
5.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता श्री हेमलाल मुर्मू	306
6.	श्री संजय धोत्रे श्री बापू हरी चौरे	307
7.	श्री बागुन सुम्बरूई	308
8.	श्री गणेश सिंह श्री धर्मेन्द्र प्रधान	309
9.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	310
10.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	311
11.	श्री इलियास आजमी	312
12.	डा. वल्लभभाई कथीरिया	313
13.	श्री कमला प्रसाद रावत	314
14.	श्री अशोक कुमार रावत श्री मुंशी राम	315
15.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	316
16.	श्री राजेन गोहेन	317
17.	योगी आदित्यनाथ	318
18.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	319
19.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	320
20.	श्री रशीद मसूद	321

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अबदुल्लाकुट्टी, श्री	3162
2.	आदित्यनाथ, योगी	3209
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3211, 3234, 3240
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3265
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3091, 3185, 3247
6.	आठवले, श्री रामदास	3136, 3200, 3245
7.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	3161
8.	बंसल, श्री पवन कुमार	3173
9.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3104, 3160, 3187, 3227
10.	बर्मन, श्री हितेन	3156
11.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3169, 3224
12.	भड़ाना, श्री अवतार सिंह	3094
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	3269
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3127
15.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3092, 3160, 3274
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3140, 3150
17.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	3158
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3158
19.	चन्देल, श्री सुरेश	3122, 3189, 3241
20.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3145, 3150
21.	चिन्ता मोहन, डा.	3148, 3154, 3277

1	2	3
22.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3108
23.	धनराजू, डा. के.	3163
24.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3139
25.	गणेशन, श्री एल.	3134, 3211, 3221
26.	जगन्नाथ, डा. एम.	3153, 3216, 3242, 3256
27.	झा, श्री रघुनाथ	3116, 3167, 3237
28.	जोगी, श्री अजीत	3143
29.	करूणाकरन, श्री पी.	3105
30.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3205, 3239, 3252, 3260
31.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3107, 3148, 3186
32.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3099, 3178
33.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3112, 3184, 3228, 3258, 3263
34.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3266
35.	कृष्ण, श्री विजय	3164
36.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3135
37.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3147, 3152, 3166, 3210, 3215
38.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3148
39.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3172
40.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3164, 3223
41.	महाजन, श्री वाई.जी.	3110, 3190, 3231
42.	महतो, श्री बीर सिंह	3149

1	2	3
43.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3265
44.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3110, 3145, 3150
45.	महतो, श्री टेक लाल	3168
46.	मंडल, श्री सनत कुमार	3101, 3220
47.	माने, श्रीमती निवेदिता	3171
48.	मनोज डा. के.एस.	3268
49.	मसूद, श्री रशीद	3194, 3232, 3254, 3261
50.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	3203
51.	मेघवाल, श्री कैलाश	3098, 3273
52.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3159, 3163, 3237
53.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3202
54.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	3265, 3280
55.	मोहन, श्री पी.	3133
56.	मुकीम, मो.	3097, 3212
57.	मो. ताहिर, श्री	3147, 3166, 3210, 3215
58.	मूर्ति, श्री ए.के.	3123, 3221
59.	मुंशी राम, श्री	3152, 3210, 3213
60.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3278
61.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3160, 3279
62.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3095
63.	नायक, श्रीमती अर्चना	3157
64.	निहाल चन्द, श्री	3120
65.	निखिल कुमार, श्री	3148, 3211
66.	ओराम, श्री जुएल	3144, 3207

1	2	3
67.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	3175
68.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3180, 3283
69.	पलनिसामी, श्री के.सी.	3227
70.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3151
71.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3165, 3182, 3236, 3280
72.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3111, 3206
73.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	3167, 3281, 3284, 3285
74.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3129, 3192, 3258
75.	पटेल, श्री किशनभाई बी.	3124, 3217, 3243
76.	पाठक, श्री ब्रजेश	3191, 3233, 3250, 3259
77.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3183
78.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3128
79.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	3210, 3271
80.	पोन्नुस्वामी श्री. ई.	3214
81.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3198, 3244
82.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3258
83.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3203
84.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3125
85.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	3272
86.	राणा, श्री काशीराम	3192
87.	राणा, श्री रविन्दर कुमार	3159
88.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3201, 3234, 3249
89.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3145, 3190
90.	रावत, श्री अशोक कुमार	3210
91.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3275
92.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3170, 3220
93.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3137, 3222
94.	रेड्डी, श्री एम श्रीनिवासुलु	3201
95.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3096, 3149
96.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3102, 3179, 3230, 3255, 3262
97.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3155, 3218, 3246
98.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3146
99.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3126
100.	सत्पथी, श्री तथागत	3109
101.	सेनथिल, डा. आर.	3113, 3214
102.	सेठी, श्री अर्जुन	3130
103.	शाहिद, मोहम्मद	3147, 3152, 3166, 3210, 3215
104.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3163
105.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3131, 3195, 3234, 3240, 3253
106.	शिवन्ना, श्री एम.	3141, 3219
107.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3147, 3152, 3166, 3210, 3215
108.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3129
109.	सिंह, श्री अजीत कुमार	3145
110.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3240
111.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3143, 3276
112.	सिंह, श्री दुष्यंत	3121, 3225, 3282

1	2	3
113.	सिंह, श्री गणेश	3197, 3235, 3251, 3264
114.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3237
115.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3142
116.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3193, 3237
117.	सिंह, श्री राकेश	3199
118.	सिंह, डा. राम लखन	3208
119.	सिंह, श्री रेवती रमन	3132, 3204, 3238
120.	सिंह, श्री सुग्रीव	3124, 3217, 3243, 3257
121.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3211
122.	सुब्बा, श्री एम. के.	3115
123.	सुगावनम, श्री ई. जी.	3118, 3188, 3229, 3248
124.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	3158
125.	सुमन, श्री रामजीलाल	3154, 3277
126.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3093, 3181, 3226
127.	तुम्मर, श्री वी. के.	3100
128.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3177, 3182, 3236, 3280
129.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3114, 3196, 3272
130.	वल्लभनेनी, श्री बालाशौरी	3148, 3267
131.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3140, 3150
132.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3090
133.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3176, 3211, 3234, 3240
134.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3117, 3142
135.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	3119
136.	यादव, श्री गिरिधारी	3170
137.	यादव, श्री मित्रसेन	3138
138.	यादव, श्री राम कृपाल	3270
139.	यादव, श्री सीता राम	3106
140.	येरननायडु श्री किन्जरपु	3158, 3174
141.	जाहेदी, श्री महबूब	3103

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	308
कोयला	:	306
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	319
संस्कृति	:	
विदेश	:	302, 318, 320
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	303, 305, 307, 310, 312, 313, 315, 317
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	304, 309
योजना	:	316
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	
शहरी विकास	:	311, 314
युवा कार्यक्रम और खेल	:	321

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	3150, 3217, 3221, 3235, 3273
कोयला	:	3138, 3168, 3186, 3206, 3208, 3234, 3244, 3265, 3274, 3282, 3283
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3090, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3099, 3119, 3121, 3125, 3126, 3131, 3143, 3147, 3166, 3172, 3175, 3177, 3191, 3194, 3195, 3196, 3201, 3202, 3207, 3212, 3215, 3225, 3232, 3239, 3253, 3255, 3258, 3262, 3263, 3264, 3278
संस्कृति	:	3100, 3101, 3102, 3113, 3115, 3118, 3123, 3134, 3135, 3136, 3137, 3141, 3179, 3184, 3199, 3231, 3233, 3248, 3256, 3268, 3269, 3276, 3279
विदेश	:	3116, 3117, 3132, 3140, 3142, 3149, 3151, 3154, 3158, 3180, 3209, 3223, 3241, 3245, 3247, 3249, 3251

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3103, 3107, 3108, 3111, 3112, 3114, 3120, 3130, 3153, 3156, 3159, 3160, 3163, 3169, 3174, 3176, 3182, 3183, 3185, 3187, 3188, 3193, 3203, 3205, 3210, 3211, 3213, 3214, 3216, 3218, 3219, 3220, 3222, 3224, 3227, 3236, 3238, 3240, 3250, 3252, 3254, 3259, 3260, 3261, 3267, 3275, 3280, 3281
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3146
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3127, 3129, 3133, 3144, 3164, 3167, 3181, 3192, 3197, 3198
योजना	:	3091, 3098, 3106, 3109, 311
अंतरिक्ष	:	3266, 3272
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	3171, 3277
शहरी विकास	:	3104, 3124, 3139, 3145, 3148, 3155, 3161, 3162, 3173, 3178, 3189, 3190, 3200, 3204, 3228, 3229, 3230, 3237, 3242, 3243, 3257, 3271, 3284, 3285
युवा कार्यक्रम और खेल	:	3092, 3105, 3122, 3128, 3152, 3157, 3165, 3170, 3226, 3246.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।